राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] अष्टम् विधान सभा के अष्टम सत्र का 41 वां दिवस [संख्या 27

बुधवार

दिनांक 18 अप्रेल, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री कैलाश मेघवाल ।

हवामहल बाजार, जयपुर में भिखारियों से समस्या

730. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—(1) क्या यह सही है कि हवामहल बाजार जयपुर में भिखारियों की संख्या सबसे अधिक देखने को उस वक्त मिलती है जब देश विदेश के पर्यटक यहां हवामहल को देखने आते हैं एवम् आसपास के शोरूम से विभिन्न वस्तुओं की खरीददारी हेतु बाजार में मौजूद रहते हैं? क्या इससे विदेशियों की निगाह में देश की प्रतिकूल छवि बनती है? यदि हाँ, तो इनके उन्मूलन हेतु सरकार की क्या योजना है और उसकी क्रियान्विति कब तक की जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि हवामहल व्यापारी संघ की ओर से सभी सम्बन्धित अधिकारियों को बार-बार निवेदन करने पर भी इस ओर कोई कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई।

(3) जयपुर नगर में पर्यटन महत्व के अन्य स्थलों से भिखारियों को दूर रखने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है?

राज्य मंत्री पर्यटन (श्री बुलाकी दास कल्ला) : (1) हवामहल बाजार जयपुर में कभी-कभी भिखारियों की संख्या अधिक देखने को उस वक्त मिलती है जब देश विदेश के पर्यटक यहां आते हैं और विभिन्न वस्तुओं की खरीददारी हेतु बाजार में मौजूद रहते हैं। अतः पर्यटकों की निगाह में यदा कदा देश की प्रतिकूल छवि बनना सम्भव है। इस समस्या के उन्मूलन हेतु समय-समय पर सम्बन्धित विभागों, अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(2) हवामहल व्यापारी संघ की ओर से एक ज्ञापन पर्यटन विभाग को दिनांक 12–4–84 को प्राप्त हुआ है। इस विषय में विभाग द्वारा सबन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जावेगा।

(3) जयपुर नगर में पर्यटन महत्व के अन्य स्थानों से इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु सम्बन्धित विभागों को उचित एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः लिखा जायेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, दया आती है मंत्री जी पर ऐसा जवाब दिया है जैसा किसी प्राइवेट कम्पनी का सरकार के सामने जवाब है। इस समस्या को वह मानते हैं. मानने के साथ यह भी मानते हैं कि इस समस्या की वजह से देश की छवि पर्यटक, जो बाहर से आते हैं। उनकी निगाह में खराबी, होती है। जितने पर्यटक आते हैं उनमें से अधिकांश के पास केमरे होते हैं, वह भिखारियो की फोटो लेते हैं। आज भी हिन्दुस्तान की छवि बाहर बुरी दिखाई जाती है कई एजेन्सियां होती हैं, हिन्दुस्तान से ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा भी हिन्दुस्तान की बुरी छवि दिखाई जाती है। यह भिखारी जिस स्थिति में पर्यटकों के आगे-पीछे घूमते रहते हैं। इससे पर्यटकों को घूमने-फिरने में मुश्किल हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वह अपना पीछा छुड़ा कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आपने कहा निवेदन किया है, निवेदन किया जा रहा है, फिर लिखा जा रहा है। आखिर इस समस्या के समाधान के में कब तक प्रयास करेंगे। इस समस्या का समाधान अकेले पर्यटन विभाग से नहीं होगा, इस समस्या का समाधान पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग से भी जुड़ा है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पुलिस विभाग और समाज कल्याण विभाग से इस समस्या के समाधान के बारे में कब कब और क्या क्या प्रयत्न किया गया है और वह सफल क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में 11-7-79 को एक पत्र पुलिस अधीक्षक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा गया था। उसके बाद उन्होंने धारा 144 लगाई। इसी सन्दर्भ में 29-12-79 को हवामहल सहित आठ पर्यटक स्थलों पर भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई गई थी। समाज कल्याण विभाग इस पूरी समस्या को हल करने के लिए अधिक सतर्क है। उसने जयपुर, अजमेर, उदयपुर में 50-100 लोगों के लिए भिक्षुक गृह बनाये हैं। इस सन्दर्भ में दिनांक 13-12-83 को गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सभी सम्बन्धित लोगों को बुलाकर इस बात का निर्णय लिया गया. विचार किया गया, कि क्यों नहीं यहां एक विशेष पुलिस का दस्ता लगाकर इस समस्या का स्थाई समाधान किया जाए। इसके बारे में लगातार विचार विमर्श चल रहे है। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य मेरी इसके बात से सहमत होंगे कि यह समस्या समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है. इस विभाग ने इस सम्बन्ध में काफी कुछ प्रयत्न किये हैं और सफल भी हुए हैं।

(श्र बुलाकीदास कल्ला)

यह प्रश्न समाज कल्याण विभाग से पूछा था, लेकिन यह हमारे पास आया किसी कारण से। मैंने संयुक्त जिम्मेदारी के आधार पर अपना कर्तव्य समझ कर इसका जवाब दे दिया ताकि सदन में यह प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहे। इस सम्बन्ध में जब-जब निषेधाज्ञा लागू होगी, तब-तब भिक्षा वृत्ति पर रोक लगेगी और आगे भी हम लगाने का प्रयास करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : यह सही है, मैंने समाज कल्याण विभाग से प्रश्न पूछा था। लेकिन इसमें पुलिस का भी सहयोग लें, धारा 144 भिक्षुओं को हटाने के लिए लागू की थी, यह सही....

श्री बुलाकीदास कल्ला : 11-7-79 को आपकी सरकार ने लगाई थी।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं भी यही कह रहा हूं। यह समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग से भी सम्बन्धित है। यहां कब ऐसी स्थिति आयेगी जब भिक्षावृति को बन्द कर दिया जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमारे पर्यटन विभाग से जो सम्बन्धित लोग हैं वह समय पर जाकर इस प्रवृति को रोकने के प्रयास करते हैं। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की मैं विधान सभा के सत्र के बाद एक मीटिंग बुलाकर इस समस्या के समाधान के लिए उचित कार्यवाही करवाने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री उदयराम धाकड़।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : यह देश के लिए कलंक है। आज भी लोग भीख मांगते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री उदयराम धाकड़।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोन-सा नियम या अधिकार है इसको रोकने का ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यह स्थाई समाधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। श्री उदयराम धाकड़। 731।

जिला चित्तौड़गढ़ से चलने वाली बसों को पंचायत मुख्यालयों पर रोकना

731. **श्री उदयराम धाकड़ :** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बड़ी सादड़ी एवम् डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ के पंचायत मुख्यालयों पर परिवहन निगम की बसें नहीं रुकती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में चलने वाली बसों को पंचायत मुख्यालयों पर रुकने

(श्री उदयराम धाकड़)

के आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी नहीं ।

(2) इस क्षेत्र में संचालित बसें सम्बन्धित पंचायत मुख्यालयों पर रुकती हैं । अत : आदेश प्रदान करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री उदयराम धाकड़ : अध्यक्ष महोदय, अजमेर बांसवाड़ा जो बसें चलती हैं वह हमारे क्षेत्र में पंचायत मुख्यालयों जैसे डूंगला, सादड़ी में नहीं रुकती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है । जालौर से उदयपुर तक चलती हैं वह भी नहीं रुकती हैं, यह बसें रुकनी चाहिए ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने जैसा अपने उत्तर में कहा कि बसेज़ सब जगह पर रुकती है । जितने मुख्यालय हैं, उन पर बसें रुकती हैं चाहे प्राइवेट बसेज हों या रोडवेज की बसेज हों । कुछ एक्सप्रेस बस नहीं ठहरतीं, क्योंकि अगर वह छोटी-छोटी जगह ठहरेंगी तो लम्बी दूरी जल्दी तय नहीं कर पायेंगी । मैं इसको सही नहीं मानता कि कोई बस नहीं रुकती । कुछ एक बसेज, जो एक्सप्रेस हो सकती है, हर स्टाप पर नहीं रुकतीं । ऐसा नहीं है कि पंचायत हैड क्वार्टर पर कोई भी बस जो सधारण हो, नहीं रुकती हो माननीय सदस्य के पास अगर कोई जानकारी है कि साधारण बस वहां नहीं रुकती तो वह मुझे बतायें, उसको रुकाने के लिए मैं कार्यवाही करूंगा ।

श्री उदयराम धाकड़ : एक तो आवरी माता का स्थान ऐसा है जहां बहुत दूर-दूर से आदमी आते हैं । यह दोनो बसें कम से कम आवरी माता में रुकनी चाहिए । फिर जयपुर–बांसवाड़ा बस चलती है—उसमें भी वहां से लोग बैठते हैं इसलिए वह भी रुकती चाहिए । नीमच से उदयपुर चलती है वह सब जगह रुकती है किन्तु महेरा में नहीं रुकती है इसलिए वहां भी रुकनी चाहिए ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से बांसवाड़ा बस चलती है तो जरा सोचिये जयपुर से बांसवाड़ा कितनी दूरी है । अगर हर स्टाप पर रुकवाने लग गए तो फिर तो बसों का पहूंचने का कोई समय ही नहीं रहेगा । यह रूट और बसों से भी कनेक्टेड है । यह नहीं है कि इसी से कनेक्टेड है । और भी बसें चलतीं है उनसे कनेक्टेड है । उन्होंने कहा कि आवरी माता का ऐसा स्थान है तो मैं देख लूंगा । यदि बस को रुकवाना उचित रहेगा तो मैं अपनी ओर से आदेश दे दूंगा ।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे क्षेत्र में भी····

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न । आर्डर प्लीज । संबंधित प्रश्न पूछें ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर संबंधित प्रश्न पूछें ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : इन्होंने जो कहा कि दस किलो मीटर उत्तर कर फिर जाना पड़ता है तो उनको डाइरेक्ट टिकट दिया जाये जिससे कि उनको दिक्कत नहीं हो ...

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

अगला प्रश्न। श्री छीतरलाल आर्य। श्री हीरालाल आर्य।

ग्राम पंचायत पीपल्दा कलां में न्याय उपसमिति के चुनावों में हुई अनियमितता

732. **श्री छीतरलाल आर्य (अलवर):** श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा की ग्राम पंचायत पीपल्दा-कलां में पिछले दिनों हुए न्याय उपसमिति के चुनावों में हुई अनियमितता की शिकायत वहां के पंचो ने उच्च अधिकारियों को की थी ?

(2) क्या उक्त मामले की जांच कराई गई ? यदि हां, तो कौन व्यक्ति दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

चुनाव मंत्री श्री अहमद बक्श सिंधी) :

(1) पंचायत समिति इटावा की ग्राम पंचायत पीपल्दा कलां में दिनांक 1-2-84 को हुए न्याय उपसमिति के चुनाव के संदर्भ में एक में कुछ पंचों ने जिलाधीश कोटा को पत्र पेश किया था।

(2) उक्त पत्र में अंकित तथ्यों की जांच दिनांक 6-3-84 को उप जिलाधीश कोटा द्वारा की गई जो असत्य एवं निराधार पाई गई।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, एक तो न्याय उप समिति का चुनाव पीपल्दा में हुए उसमें वहां के पंचों ने पहले सही तौर से फार्म भरे थे फिर पटवारी, जिसको आपने इतना महत्वपूर्ण न्याय उप समिति के चुनाव का प्रिसाइडिंग आफिसर बनाया है, उसने मिलीभगत से सही भरे गये कागज को गलत भरवाया। उसने काट कर कहा कि मैं प्रिसाइडिंग आफिसर हूं इसलिए इस तरह से भरो। यह कटा हुआ फार्म है। उसके अनुसार उन्होंने भरा है। जो शिकायत की है, ओमप्रकाश पंच है उसका सही भरा हुआ फार्म हैं, वह काटकर गलत किया हुआ है। वह रिकार्ड में है। आप उसको देखें। उप जिलाधीश ने उसको किस तरह से देखा है ? क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायत थी फार्म को देखनें की वह उन्होंने देखा या नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय बतायें कि शिकायत क्या थी ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, जिन पंचों और उप सरपंचों की बात की जा रही है, जिन्होंने फार्म भरे हैं वह पढ़े लिखे लोग हैं। एक इन्टरमीडियेट है और एक मेट्रीकुलेट है। फार्म भरना उनको आता नहीं है। यह तो मानने में नहीं आता है। फार्म सीधा-साधा होता है। उन्होंने अपनी अकल से विवेक से काम लिया होता तो फार्म में गलती, काटाफांसी नहीं होती और अगर रिटर्निंग आफिसर पटवारी के जो कि न्याय समिति के मेम्बरों के चुनाव के लिए अधिकारी हैं, को उसमें

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

आपत्ति ही नहीं होती कोई अगर गलत फार्म भरा है तो वह रिजेक्ट होगा।

अब माननीय भंवरलाल जी शर्मा के सवाल का जवाब में अर्ज करूंगा। जिन लोगों के, 7 आदमियों के फार्म रिजेक्ट हुए, 7 आदमियों के फार्म एक जैसे ही भरे गये थे। तो रिजेक्ट होंगे तो सातों ही होंगे। उसके लिए तो प्रावधान है, आप भी इलेक्शन पिटीशन करते हैं। सिविल जज या मुन्सिफी कोर्ट हो या जहां मुन्सिफी नहीं है वहां सिविल जज के यहां हो, वहां इलेक्शन पिटीशन में फैसला हो जाता है। इसमें कोई आपको ग्रिवान्सेस है तो उसको रेमेडी भी है।

श्री छीतरलाल आर्य : मंत्री महोदय ने गलत नहीं करने की बात कही है तो इन्होंने किसी मंत्री जी ने तो गांधी जी के जन्म दिन को मरण दिवस कह दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर

श्री हीरालाल आर्य : वह पंच पढ़े लिखे होने की वजह से उन्होंने अपने विवेक से कई फार्म भरे थे लेकिन पटवारी ने सही फार्म को यह कह कर कि मैं कह रहा हूं जैसे भरिये, सारे फार्म को गलत भरवाया उन्होंने इसका विरोध किया। आप फार्म दिखवा लें। वह सही भरे गये थे और काटकर गलत भरवाये हैं, क्या यह सही है ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई इन्क्वायरी तो हो नहीं सकती। जिस उप जिलाधीश से इन्क्वायरी की है उन्होंने तथ्यों को गलत पाया है। आपका बयान सही कैसे मान लूं ?

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, उस फार्म को देखा ही नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : शिकायत क्या आई है, यह तो बताइये। जिन लोगों ने शिकायत की वह शिकायतें क्या थीं यह तो बताइये ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैंने वह शिकायत बताई। यह फार्म गलत तौर पर खारिज किये गये। उसकी इन्क्वायरी हो गयी। आप क्या चाहते हैं इसके बाद ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अगर इन्क्वायरी से वह संतुष्ट नहीं है तो अब तो इलेक्शन पिटीशन के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, न्याय उप समिति के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण सवाल को....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न श्री गोपाल पचेरवाल।

जिला बूंदी के कापरेन संकेण्डरी स्कूल की क्रमोन्नति

733. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या जिला बूंदी में 1980 के बाद संकण्डरी स्कूलों को हायर संकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बूंदी में चल रहे संकण्डरी व हायर संकण्डरी स्कूलों की 1980 से अब तक की विषयवार छात्र संख्या क्या रही ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य सरकार संकण्डरी स्कूलों को हायर संकण्डरी में क्रमोन्नत करने का क्या मापदण्ड रखा था ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने कापरेन संकण्डरी स्कूल को निर्धारित मापदण्डों में आने के बाद भी क्रमोन्नत नहीं ! दिया गया किया गया यदि हां, तो क्यों !

शिक्षा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां । वर्ष 1980 के बाद बूंदी जिले में क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जिला बूंदी में चल रहे संकेण्डरी व हायर संकण्डरी स्कूलों की वर्ष 1980-81 से वर्ष 1983-84 तक की विद्यालयवार छात्र संख्या की सूची भी सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) संकण्डरी स्कूलों को हायर संकण्डरी में क्रमोन्नत करते समय राज्य सरकार द्वारा छात्र संख्या, भवन व्यवस्था, स्थानीय मांग एवं भौगोलिक स्थिति आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया था ।

(4) ऐसे स्थान पर जो मापदण्ड में आते हैं विद्यालय को एक अवधि में ही क्रमोन्नत कर पाना सम्भव नहीं होगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जो छात्र संख्या है, विषय है सब के आधार पर क्रमोन्नत किया जाता है । मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा, बरूथन, तालेडा, देई और अलोद इनकी छात्र संख्या और सबजेक्ट आप बता दें तो अच्छा है । उस क्राइटेरिया में कापरेन आता है या नहीं ।

श्रीमती कमला : सूची का चौथा आइटम है । मैंने कहा है कि बहुत से ऐसे विद्यालय आज भी मौजूद हैं जो क्राटेरिया में आते हैं जिनको हम क्रमोन्नत नहीं कर पाये हैं । एक साथ क्रमोन्नत कर पाना भी संभव नहीं होता है । जैसे-जैसे वित्तीय प्रावधान होता है वैसे-वैसे क्रमोन्नत करते हैं । कभी कभी यह भी होता है कि कहीं छात्रों की संख्या अधिक होती है तो भी क्रमोन्नत नहीं कर पाते हैं, जिसको क्रमोन्नत करते हैं उसमें कम होती है, उनका तकाजा ज्यादा होता है तो कर दिया जाता है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, विज्ञान में 7, कला में 8

श्री मती कमला : यह तो सूची मैंने दी है। मैंने अभी जवाब दिया, यह सूची भी

मैंने दी है। यह जवाब भी मैंने दिया है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कम संख्या वाले को भी तकाजा होने के कारण, अधिक संख्या वाले के मुकाबले में क्रमोन्नत करना पड़ता है। यह आप भी जानते हैं, आपके वक्त में भी होते रहे हैं

श्री गोपाल पचेरवाल : हमारे वक्त में ऐसा नहीं हुआ है।

श्रीमती कमला : कभी राजनैतिक कारणों से स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं किया है। बाकायदा रिकार्ड के आधार पर करते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो गैर कांग्रेसी क्षेत्र हैं वहां क्रमोन्नत किये हैं। गैर कांग्रेसी क्षेत्र में मिडिल स्कूल भी दिये हैं, विषय भी दिये है, क्रमोन्नत भी किये हैं। आप किसी एक विशेष गांव के अन्दर राजनैतिक प्रभाव, रंग देकर उसका हाईलाइट करें, यह उचित चीज नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, कापरेन सैकण्डरी स्कूल में सारे सबजेक्ट हैं, प्रांगण है, सब कुछ होने के बाद भी उसे क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

श्रीमती कमला : आपने कापरेन का उदाहरण किया है। राजस्थान में कई कांग्रेसी क्षेत्र भी हैं जिनका काफी तकाजा है, माननीय सदस्यों ने शिक्षा की मांगों के वक्त भी कहा है और जब मिलते हैं तब भी कहते हैं, 84-85 में हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत होने चाहिये। बड़ी बड़ी छात्र संख्या के स्कूल हैं, लडकियों के भी हैं, उनको भी हम नहीं कर पाये। पुराने आजादी के मिडिल स्कूल हैं। सैकण्डरी स्कूल बने काफी वर्ष हो गये, वह भी बाकी हैं। यही एक गांव नहीं है बहुत से गांव हैं जिनमें होना बाकी है, जिनमें किया जाना है जैसे-जैसे वित्तीय प्रावधान होता जायेगा, जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) तालेरा में यह स्कूल खोल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्रीदाऊ दयाल जोशी : क्या यह सही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

प्रश्न कर्ता एक पूरक प्रश्न की अनुमति देता हूं। सब कुछ आधार और प्रक्रिया होने के बाद भी एक छूट है राजनैतिक प्रभाव की। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : सरकार जब भविष्य में सैकण्डरी स्कूलों को हायर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करे तो बूंदी ज़िले के कापरेन सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने में क्या प्राथमिकता देगी? पण्डित बृज सुन्दर जी शर्मा भी उस क्षेत्र में गये थे, कोई दूसरा मंत्री नहीं जा पाया है।

श्री अध्यक्ष : यही तो वे गलती करते हैं।

श्री मती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है, तकाजा होता

है, लोग डेपूटेशन लेकर आते है, बार बार मांग को दोहराते हैं तो उसको कन्सीडर करना पड़ता है। राजस्थान में ऐसी ऐसी जगह भी हैं जहां आधा-आधा किलोमीटर पर बहुत वर्ष पहले से स्कूल खुले हुए हैं। जो हमने आधार बना रखे हैं उनसे डेवियेशन होते ही रहते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : भविष्य में क्या मन्शा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।
अगला प्रश्न । श्री चुन्नी लाल

करवाड़ कोटा के सरपंच द्वारा अनधिकृत भू-आवंटन

734. **श्री चुन्नीलाल** : (खण्डार) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के करवाड़ ग्राम पंचायत के सरपंच ने खसरा नं. 610 की 2।।।) बीघा जमीन दिनांक 8–12–1983 को स्वयं के नाम एलाट कराली है ?

(2) उक्त जमीन अनुसूचित जाति, जन जाति चयनित व्यक्ति के नाम एलाट क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या उक्त मामले में दोषी सरपंच व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री जय कृष्ण शर्मा) (1) जी हां।

(2) आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष केवल एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ था, समिति की सलाह पर छोटी पट्टी का आवंटन पड़ोसी खातेदार को ही किया गया।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, कमेटी के समय सरपंच, जो एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर है, का प्रार्थना पत्र मौजूद था, गांव के किसी भी व्यक्ति का कोई प्रार्थना पत्र मौजूद नहीं था। चयनित परिवार का प्रार्थना पत्र मौजूद नहीं था। सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सारे प्रार्थना पत्रों को गायब करवाया, अपने नाम अलाटमेंट करवाया यह जो पट्टी थी उसके पास, और किसी काश्तकार की भूमि नहीं थी, क्या सरपंच की भूमि थी ?

श्री जय कृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जैसा मैंने कहा, जब अलाटमेंट होता है उसमें एम. एल. ए. भी मेम्बर होता है, एस.डी.ओ. भी मेम्बर होता हैं, तहसीलदार भी मेम्बर होता है, विकास अधिकारी और प्रधान भी मेम्बर होते हैं, सरपंच भी एक मेम्बर होता है। कमेटी होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें अगर प्रार्थना पत्र अकेले सरपंच का था तो प्राथमिकता इस बात का भी दी गई जो हमारा कानून है उसके अन्दर कि जो छोटी पट्टी वह पड़ोसी को मिले। सरपंच का खेत उस छोटी पट्टी के साथ था और कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं था, जिसको रिजेक्ट करते। इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। सरपंच होना कोई गुनाह नहीं है कि इस बात के लिये सब कानूनों को मुल्तवी कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री चुन्नीलाल : यह नहीं हो सकता कि केवल एक ही प्रार्थना पत्र मौजूद था। सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी, सरपंच ने उसको गायब करवाया है ताकि गांव के, चयनित परिवार के कोई प्रार्थना पत्र नहीं आयें। सरपंच का षडयंत्र था। सिर्फ अपना प्रार्थनापत्र लगाकर उसमें सरकारी जमीन को हड़पा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, आप मुझे माफ करेंगे, उस कमेटी में आप भी शायद उस क्षेत्र के थे, आप उपस्थित नहीं थे—

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) घुसने नहीं देते हैं।

श्री जय कृष्ण शर्मा : वह कमेटी है, कौन घुसने नहीं देता है ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, कभी सूचना नहीं दी जाती। कभी प्रशासन द्वारा सूचना नहीं दी जाती।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री जय कृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, एस. डी. ओ. ने नोटिस निकाला था। ऐसा नहीं कि उसी दिन नोटिस निकलता हो, उसका भी एक टाइम पीरियड है। नोटिस 15 दिन पहले निकालकर साया कराया जाता है और चस्पा होता है, जो भी अलाटमेंट होता है. ये अलाटमेंट करने हैं वे अलाटमेंट के नम्बरों की भी सूचना होती है, इसकी सूचना हुई है। माननीय सदस्य भी एक मेम्बर थे। माननीय सदस्य ने शिकायत की हो ऐसा भी हमारे नोटिस में नहीं है। स्ट्रिप आफ लैण्ड में नहीं आती हो, वह बात भी नहीं है, सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं है तो वे अलाटमेंट के हकदार हैं। तो ऐसा कौनसा कारण है कि सरपंच को जमीन नहीं दी जाय। जब 8–9 मेम्बर हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह भाटी।

लूनकरणसर लिफ्ट नहर में खालों का निर्माण

735 **श्री देवी सिंह भाटी** : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राजस्थान नहर के लूनकरणसर लिफ्ट नहर क्षेत्र में क्या प्रस्तावित सारे खाले विभाग द्वारा बना दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या लिफ्ट नहर क्षेत्र के खालों द्वारा सिंचाई शुरू करने से पूर्व ही टूट चुके हैं और उनकी शिकायत किसानों ने विभाग को की है ? क्या समस्त टूटे खालों की मरम्मत विभाग द्वारा करवाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि लिफ्ट नहर के पानी का पूर्ण उपयोग खाले टूट जाने के कारण नहीं हो रहा है ?

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) राजस्थान नहर के के लूनकरणसर लिफ्ट नहर क्षेत्र में कुल 1290 कि. मी. लम्बाई के खालों में 1237 कि. मी. खालों का निर्माण कार्य किया जा चुका है, 53 कि. मी. खालों का निर्माण कार्य शेष रह गया है। यह खाले मुख्यत: लिफ्ट नहर की टेल पर बीकानेर माईनर एवं बीकानेर सब माइनर पर बनाये जाने हैं। इन माइनरों का निर्माण कार्य पूर्व में राजस्थान नहर मण्डल के आदेशानुसार स्थगित रखा गया था। पुन: इन पर कार्य चालू करने के आदेश वर्ष 81-82 में पारित किये गये तदनुसार टेल के इन खालों का कार्य आरम्भ किया गया जो कि अब पूर्ण किया जा रहा है।

(2) विभाग द्वारा पक्के खालों का निर्माण सही ढंग से करवाया गया किन्तु कई चकों में काश्तकारों के उपलब्ध न होने के कारण तथा प्रतिकूल मौसम व खाली पड़े क्षेत्र में मवेशियों के आवागमन से कुछ खाले क्षतिग्रस्त हो गये थे। ऐसे क्षतिग्रस्त खालों की सिंचाई की आवश्यकतानुसार मरम्मत करवा दी गई है।

(3) जी नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (2) में बताया, मैं पूछना चाहता हूँ विभाग द्वारा पक्के खालों का निर्माण किस ढंग से कराया गया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने गत बजट सत्र में भी यह फर्माया था कि 24-3-83 को इसके अलावा जो खालों का लेवल खराब था, उसकी जांच की गई और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि पूर्व में खाले गलत बने हैं और, अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया कि काश्तकार वहां पानी लेने को तैयार नहीं हैं। वह क्या केवल बादलों के भरोसे खेती करते हैं भले ही वह बरसे या नहीं बरसे। अगर मंत्री महोदय सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराये खालों से तो वे क्यों नहीं लेंगे, यह तो बता दें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आपने कुछ पूछा है और अब जवाब क्या चाहते हैं। प्रश्न पूछा है खाले पूर्व में टूट चुके हैं और अब यह दूसरी बात कह रहे हैं कि लेवल की खराबी है। अगर प्रश्न वैसा करते तो मैं वैसा जवाब तैयार करके लाता। खेतों में अगर खालों के लेवल गलत बनने की बात करते तो मैं वैसा ही उत्तर देता। यह जो कहा कि क्या किसान पानी लेना नहीं चाहते है। अध्यक्ष महोदय, जितनी जमीन इस इलाके में अलाट हुई है उतने लोग अभी वहां पहुंचे नहीं है इसलिये बहुत से जो खाले हैं उसमें पानी यूं ही चल रहा है। रख रखाव के आधार के आधार पर उनकी 1981-82,82-82 में मरम्मत कराई गई थी। विभिन्न जगहों पर जितनी खालों में रेत आ गई थी, उनकी सफाई भी कराई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि कितने एरिया में खेती हो रही है। पिछली बार 25 हजार एकड़ में सिंचाई हुई थी और इस साल 40 हजार एकड़ में सिंचाई होगी। टोटल लैण्ड के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं खरीफ और रबी में

81-82 में 116 एकड़ में सिंचाई हुई थी, 82–83 में 341 एकड़ में सिंचाई हुई, उसके बाद 83-84 में 380 एकड़ में सिंचाई हुई और उसके बाद 534 और एक हजार छः 32 हजार एकड़ में सिंचाई का लक्ष्य है और टोटल एरिया है 1,64,297 । किसान वहां जब नहीं होते हैं । तो देखभाल भी नहीं होती है पशु भी चरते हैं तो उनसे भी खाले टूट जाते हैं। जब किसान 1981–82 में आये तो हमने एक मुहिम चलाकर मशीनें लगाकर सफाई की और मरम्मत भी कराई । अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं कि कितने खालों की मरम्मत कराई खाले क्षतिग्रस्त होते रहते हैं तो हम मरम्मत करते रहते हैं। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी किसान आकर जो पानी आया है, उसका उपयोग करें इसमें पिछले वर्षों के मुकाबले बढ़ोतरी भी हुई है। पिछले साल 25 हजार एकड़ में थी, इस साल 32 हजार एकड़ और मौजूदा साल में 40 हजार एकड़ में सिंचाई होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने प्रश्न में पूछा है खालों के निर्माण के बारे में। मेरा प्रश्न स्पष्ट है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रोटेक्शन चाहूंगा, स्थिति बिलकुल स्पष्ट है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, आप इनसे प्रश्न पूछ लीजिये, कैसे स्पष्ट हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हम बरसात के भरोसे ही खेती करते हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि हमने सुविधा उपलब्ध करा दी है । तो मुझे बता दे, कौन से काश्तकार को सुविधा उपलब्ध कराई है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है । स्पेसिफिकली नाम नहीं पूछा गया है ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही आपसे चाहता हूं अगर खालों से आप पानी दें और काश्तकार को जमीन अलाट कर दें तो ऐसा कौनसा मूर्ख काश्तकार होगा कि पानी मिले रेगुलर फिर भी नहीं ले।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया, सिंचित क्षेत्र बढ़ रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कागजों में है। जितने काश्तकार बैठे हैं उनको आज पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं है। सिंचाई के लिये कह कर मंत्री महोदय गुमराह कर रहे हैं। आप स्वयं जांच कर सकते हैं, मौके पर इन केनाल्स पर टेन पर्सेन्ट भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री पीरूराम :

श्री पीरूराम (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, ने यह बात कही कि जो खाले हैं वे पशुओं की वजह से टूट गये, यह बात बिलकुल निराधार है। जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया कि पक्के खालों से सिंचाई खालों से सिंचाई ज्यादा बढ़ रही है। वह गंग केनाल और भाखरा केनाल में नहीं बढ़ी है तो फिर वहां कैसे बढ़ रही है। काश्तकार आपके इन पक्के खालों से बहुत दुःखी हो गया है । काम बढ़िया हुआ है तो मंत्री महोदय जो बातकरते हैं लेवल की।

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई बढ़ ही नहीं रही है।

श्री चन्दनमल बैद : फिर इस साल खरीफ में 9949 एकड़ में मूंगफली कैसे हुई अगर सिंचित एरिया नहीं बढ़ रहा है तो। 1980–81 में 1800 एकड़ में हुई थी।

श्री अध्यक्ष : लूनकरणसर की मूंगफली आजकल सबसे बढ़िया है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मूंगफली में सिंचाई चाहिये ही नहीं ।

(व्यवधान)

मूंगफली में एक सिंचाई होती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा।

खाद्य एवं रसद विभाग में निर्धारित नार्म्स

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक, प्रवर्तन अधिकारी, सहायक जिला रसद अधिकारी, जिला रसद अधिकारी के लिये मासिक निरीक्षण का नार्म्स निश्चित है ? यदि हां, तो कितने कितने निश्चित हैं ?

(2) क्या ये नार्म्स राज्य के सभी जिलों में लागू हैं, यदि नहीं तो क्यों और किस-किस जिले या स्थान पर लागू नहीं हैं ?

(3) क्या जयपुर शहर में प्रवर्तन स्टाफ के निरीक्षण बन्द हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार जयपुर शहर में निरीक्षण पर लगी पाबन्दी हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री घासी राम यादव) (1) जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। ये नार्म्स पूरे राजस्थान में लागू हैं।

(3) जी नहीं। दिनांक 8·6-82 के आदेशानुसार जिला प्रशासन के ये आदेश थे कि प्रवर्तन स्टाफ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण करने से पूर्व वे जिलाधीश जिला रसद अधिकारी, जयपुर से पूर्व अनुमति प्राप्त कर निरीक्षण करेंगे किन्तु अब यह आदेश भी दिनांक 17-4·84 से निरस्त कर दिये गये हैं।

× × × माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री घासीराम यादव)

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्रीमती अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी एक तो मेरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने यह दिया, जिला प्रशासन के ये आदेश थे कि प्रवर्तन स्टाफ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण करने से पूर्व जिला रसद अधिकारी, जयपुर से पूर्व अनुमति प्राप्त कर निरीक्षण करेंगे। किन्तु अब यह आदेश भी दिनांक 17–4–1984 से निरस्त कर दिये हैं। प्रश्न के भाग (4) में मैंने यह पूछा था, "क्या सरकार जयपुर शहर में निरीक्षण पर लगी पाबन्दी को हटाने का विचार रखती है? आपने जवाब दिया, "प्रश्न ही नहीं उठता।" इस बात पर मैं ज्यादा नहीं जानना चाहूंगी। मैं तो यह जानना चाहूंगी कि 8–6–1982 के आदेश के पहले राजस्थान में कितने मामले गड़बड़ी के पकड़े गये और जयपुर में कितने पकड़े गये? जिस समय निरीक्षण चालू था नार्म्स के आधार पर उस समय राजस्थान में कितने मामले पकड़े गये और जयपुर में कितने पकड़े गये? इसका उत्तर दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अलग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जिलेवार सूची आपने नहीं मांगी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने सारे राजस्थान के नार्म्स के बारे में पूछा है।

श्री अध्यक्ष : नार्म्स के बारे में बता दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, 6–1–1984 को फिर डी. एस. ओ. की चेतावनी निकली थी कि फिर दुबारा निरीक्षण चालू किया जायगा। तब कितने मामले सही पाये गये? नम्बर दो।

नम्बर तीन, आपने जो आदेश निकाले हैं निरस्त करने के वह जरा पढ़ कर सुना दें। यह भी बता दें कि आपने निरीक्षण के अभाव में जो नार्म्स तय किये राजस्थान में और जयपुर में, कोयला, खानें का सामान और घी कितने पैसों में बिका?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या यह फर्मा रही हैं कि कितने गड़बड़ी के मामले पकड़े गये। ऐसा सवाल उन्होंने पूछा नहीं है, केवल नार्म्स के बारे में पूछा था....

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको जयपुर के मामलों की याद है।

श्री घासीराम यादव : आपने केवल नार्म्स का पूछा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गड़बड़ी के मामले पकड़ने के लिए पहले तो जिलाधीश की अनुमति लो फिर नार्म्स के आधार पर चैकिंग करना पड़ेगा। आपने आदेश ऐसे निकाले हैं तो वह क्यों काम करेंगे?

श्री घासीराम यादव : सारे राजस्थान में तत्कालीन जिला रसद अधिकारी ने अपने स्तर पर यह निर्णय लिया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इन्सपेक्टर्स परेशान करते हैं, नाजायज चैकिंग करते हैं। यह व्यावसायिक लोगों की शिकायत थी। इसलिये उन्होंने आदेश दिया कि उनसे पूर्व अनुमति लेकर चैकिंग करें ऐसा कोई केस ध्यान में नहीं आया कि अनुमति मांगी गई हो और वह नहीं दी गई हो।

माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा, उनकी भावना को ध्यान में रखते हुये 8–6–1982 के आदेश को दिनांक 17-4-1984 से निरस्त कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो आदेश आपने निरस्त करने के लिये जारी किया है उसको कृपया पढ़ कर सुना दें।

श्री घासीराम यादव : आदेश यही दिये हैं कि जिला रसद अधिकारी ने जो आर्डर किया है उनको निरस्त किया जाता है।

श्रीमती उजला आरोड़ा : आपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खाली छूट दे रखी है। निरीक्षण नहीं करने की वज़ह से कोयला क्या भाव बिक रहा है, घी किस भाव बिक रहा है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय!

श्री भरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जिला रसद अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा तय किये गये नार्म्स बिना राज्य सरकार की अनुमति के परिवर्तन करने का अधिकार था क्या?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कोई बन्द नहीं किया। विपक्ष के नेता महोदय स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि अनावश्यक चैकिंग करने से लोगों को परेशानी होती है इसलिये पहले अनुमति लेकर चैकिंग करें। ऐसा कोई केस नहीं आया डिपार्टमेन्ट के सामने····

श्री भरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल सीधा है कि राज्य सरकार ने जो नार्म्स तय किये हैं उन नार्म्स में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने का अधिकार जिला रसद अधिकारी को था क्या जिसके तहत उन्होंने यह आदेश जारी किया?

श्री घासीराम यादव : परिवर्तन नहीं किया। बराबर चैकिंग हो रही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा प्रश्न यह है कि उनको अधिकार था क्या?

श्री घासीराम यादव : इतना तो डी. एस. ओ. को अधिकार होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिकार का सवाल नहीं है···

श्री घासीराम यादव : अधिकार तो नहीं था लेकिन जो अनावश्यक रूप से चैकिंग हो रही थी उसको बन्द किया है····

श्री अध्यक्ष : वह आन्तरिक व्यवस्था है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

अगला प्रश्न श्री नन्दलाल मीणा,

चित्तौड़ गढ़ जिले में चालित प्राइवेट बसेज

737. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में चलने वाली प्राइवेट बसें अपने निर्धारित रुट पर नहीं चल रही हैं और किराया भी यात्रियों से अधिक वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो निर्धारित रुट पर नहीं चलने वाली बसों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : निम्नांकित 5 रुटों पर बसें निर्धारित मार्ग पर नहीं चल रही हैं जिसका कारण रास्ते का खराब होना है :—

1. चित्तौड़गढ़ से कांकरोली।

2. निम्बाहेड़ा से विजयपुर वाया केवल गादोली।

3. निम्बाहेड़ा—बोहेड़ा (करटेल्ड बोहेड़ा तक) बड़ी सादड़ी तक वृद्धिकृत।

4. प्रतापगढ़—दानपुर

5. रतनगढ़ से चम्बल डेम,

उक्त मार्गों की बसें रास्ता खराव होने के कारण निर्धारित रुट पर नहीं चल रही हैं, अतः बस मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, दो मार्गों निम्बाहेड़ा—विजयपुर वाया चित्तौड़गढ़ तथा घोसुण्डा–कनेरा रुट पर अधिक किराया लेने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन रुटों पर नियमानुसार किराया लिये जाने हेतु बस मालिकों को पावन्द किया जा चुका है।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं मंत्री महोदय, से यह जानना चाहूंगा कि जिन रुटों पर परमिट दिये गये उन की सड़के खराब होने की वजह से बसें नहीं चलाई जा रही हैं तो क्या राज्य सरकार इन बस मालिकों के परमिट निरस्त करने की कार्यवाही करेगी ?

दूसरा जिन दो रुटों पर निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूल किया है वह किराया कितना था ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह शिकायत प्राप्त हुई कि 5 रुटों के निर्धारित मार्गों पर बसें नहीं चलती हैं। स्पेशल रोड टैक्स के तहत बस मालिकों को जितने भी रुटस, जितने भी परमिट मिले हैं उनसे उसका टैक्स लिया जाता है। 5 रुटस ऐसे मालूम हुये जिनके ऊपर बसेज कुछ किलो मीटर पर नहीं चलती हैं। वह रुट्स हैं चित्तौड़ गढ़ से कांकरोली यह 115 किलो मीटर का रुट है, 50 किलो मीटर बस नहीं चलती है। ऐसे ही निम्बाहेड़ा—विजय नगर वाया केवल गादोली। यह 51 किलो मीटर का रुट है 19 किलो मीटर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

में नहीं चलती है। निम्बाहेड़ा-बोहेड़ा (बोहेड़ा तक कर्टेल्ड) बड़ी सादड़ी तक वृद्धिकृत 1 सांगरिया से बड़ी सादड़ी 55 किलो मीटर का रुट है उसमें 10 किलो मीटर नहीं चलती है। प्रतापगढ़ से दानपुर 71 किलो मीटर का रुट है, 12 किलो मीटर नहीं चलती है। बड़ी सादड़ी से दानपुर, रतनगढ़ से चम्बल डेम, बेगू तक वृद्धि–कंवरपुरा से चम्बल डेम–91 किलो मीटर का रुट है उसमें 21 किलो मीटर बस नहीं चलती है।

अध्यक्ष महोदय, जब उनको अधिनियम 1960 के तहत नोटिस दिया गया कि आप पूरे रुट्स पर बसें नहीं चलाते हैं तो क्यों नहीं आपका परमिट कैंसिल कर दिया जाय, तब उन्होंने लिख कर दिया कि रास्ता बसों के पहुंचने का नहीं है। इसके ऊपर हमारे विभाग के एक डी. टी. ओ. को नहीं, दो को भेजा। एक चित्तौड़ गढ़ के डी. टी. ओ. और दूसरे बांसवाड़ा के डी. टी. ओ. सर्वे करने के लिये भेजा। सर्वे करने के बाद यह पाया गया कि बसों के जाने का रास्ता ही नहीं है। इसलिये हमारी मीटिंग के अन्दर इस बात को रखा गया कि क्यों नहीं उन रुट्स के परमिट, जो उनको दिये गये हैं, करटेल कर दिया जाय। इस प्रकार की कार्यवाही आर. टी. ओ. की मीटिंग में रखी हुई है।

जो अधिक किराया लिये जाने की शिकायतें आई हैं इसके ऊपर उनको नोटिस दिया गया है। वह कार्यवाही तो उन्होंने बन्द कर दी है लेकिन जो अधिक किराया लिया गया है उसके ऊपर मोटर व्हीकल्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। वह कार्यवाही उनके ऊपर की जायेगी

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि....

श्री अध्यक्ष : यह सारे राजस्थान का मामला नहीं है। यह तो चित्तौड़गढ़ का मामला हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, जब परमिट दिये जाते हैं तब क्या रास्ता नहीं देखा जाता है ?

श्री अध्यक्ष : भूपालसिंह....

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहूंगा कि जिस रुट्स के लिये बस मालिक एप्लाई करते हैं, उनको उसका पहले ही सर्वे कर लेते हैं और फिर कम चलाते हैं। तो जो बसें नहीं चलाई जा रही हैं उनके परमिट की फीस बर बर जमा हो रही है या नहीं हो रही है ? अगर जमा नहीं करा रहे हैं तो परमिट कैंसिल करके दूसरों को क्यों नहीं देते ताकि दूसरे लोग उन रुट्स पर बसें चला सकें ? न तो वह पैसा देते हैं न बसें चलाते हैं। इसलिये आपको उनको कैंसिल करके नये लोगों से एप्लीकेशंस मांगनी चाहिये।

श्री नन्दलाल मीणा : एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जो रुट्स हैं इनमें से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कच्चे रुट्स भी हैं कुछ, इन पर बरसात के समय में गाड़ियां नहीं चलती हैं। बरसात के बाद जब उनको

(8)

(श्री नन्द लाल मीणा)

साफ किया जाता है उस समय गाड़ियां चलायी जाती हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे, जब इन बस मालिकों को परमिट दिया गया था उस समय यह आपके ध्यान में नहीं लाया गया था कि उनमें से अधिकांश रूट्स कच्चे हैं, बरसात में वहां बसें नहीं चलने वाली हैं और इसी आधार पर परमिट दिये गये थे ? वर्तमान में जहां बसें नहीं चल रही हैं, वहां उन यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है, फिर भी दूसरे लोगों को परमिट नहीं दे रहे हैं। तो क्या भविष्य में बरसात के बाद जो ऐसे रूट्स हैं उन पर बसें चलाने के लिये व्यवस्था करेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य ने स्वयं इस बात को माना है कि बरसात की वजह से ज्यादातर रूट्स खराब हैं।

श्री अध्यक्ष : कुछ तो आपका काम हल्का कर दिया।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बतलाऊं कि रूट्स के परमिट देते वक्त सर्वे किया जाता है परन्तु एक सी स्थिति नहीं रहती है। कभी अधिक बारिश हो जाती है, कभी रास्ते कट जाते हैं, कभी कुछ और बात हो जाती है। जो उनको रूट्स के परमिट दिये थे, कोई नये परमिट नहीं दिये, बहुत अर्से से उनके पास हैं, चलते भी रहे। लोगों की शिकायत नहीं आई। मैं तो यह कहता हूं, यह प्रश्न किया गया है बस मालिक बस नहीं चला रहे हैं। बहुत अर्से से परमिट उनको दिये हुये थे, उन रूट्स पर बरसात के समय नहीं चलाने या थोड़े समय के लिये चलाने की कार्यवाही करते हैं। तो स्पेशल रोड़ टैक्स लगाने के बाद 105 किलो मीटर का किसी के पास परमिट है तो 105 किलोमीटर का स्पेशल रोड़ टैक्स देना पड़ता है। अभी तक बस मालिकों द्वारा यह मामला अपने तरीके से किया गया है, जिसमें टैक्स का सवाल है इसलिये मैंने इसकी जानकारी करायी है, दो डी. टी. ओ. को भेजा है। इसके बाद ये रूट्स जितने अर्से तक के लिये मोटरेबल हो सकते हैं, मेरा यह प्रयत्न होगा, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं मोटरेबल ये रूट्स चाहे 9 महीने के लिये हों, चाहें 8 महीने के लिये हों चाहें 7 महीने के लिये हों, अगर वह नहीं चलायेंगे तो उनके परमिट कानून के मुताबिक कैंसिल किये जायेंगे। इस बात के लिये किसी को बख्शा नहीं जायेगा कि वह मर्जी आये तब चलाएं और मर्जी आये तब नहीं चलाएं परन्तु मोटरेबल रूट्स नहीं हैं तो आखिर बसें चलाने की स्थिति में मोटर मालिक होंगे नहीं। इसलिये कौन से रूट्स जोड़े जायं इसके लिये सर्वे करायेंगे, जिससे आवागमन की सुविधा हो सके। अगर छोटे शटल चल सकेंगे तो छोटे शटल के परमिट दिलाने की व्यवस्था करूंगा। व्यवस्था के लिये जरूर मैं विचार करूंगा जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके, यही मेरा कहना है।

जहां तक पचेरवाल जी ने कहा कि जब परमिट देते हैं तब नहीं देखते हैं। परमिट देते हैं तब देखते हैं, सर्वे करते हैं, सब किया जाता है। परन्तु एक सी स्थिति हमेशा नहीं होती है। स्थितियां बदल जाती हैं, बदलती हुई स्थिति में ऐसा हो गया होगा। किन्तु मैं यह आश्वासन देता हूं, इसकी जांच

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कराकर व्यवस्था करने की कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री सुखलाल सैंणचा।

प्रश्न सं. 738

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल आर्य

इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलना

739. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की जनता इटावा में सहायक जिलाधीश का कार्यालय खोलने की माँग समय-समय पर करती रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस हेतु जिलाधीश कोटा ने भी सिफारिश की है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को मुद्दे नजर रखते हुए वहां शीघ्र उक्त कार्यालय खोलने पर विचार करेगी ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब वहां की जनता की भी मांगे है, जिलाधीश महोदय इस बात को अनुभव करते हैं फिर क्योंकर राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया ? कृपया कारण बताने की कृपा करें

श्री जयकृष्ण शर्मा : पहला कारण तो यह है कि पीपल्दा से इन्द्रगढ़ के जो गांव हैं वे बूंदी के अन्दर मिला दिये गये हैं। इसकी वजह से एक तो केस वर्क कम हो गया। दूसरा कारण यह है कि जो केस के हमारे पास आंकड़े हैं, एक एस. डी. ओ. और दो ए सी. एम. कोर्ट कोटा के अन्दर मौजूद हैं, इन तीनों के केसेज के आंकड़ों को देखा जाय तो इतने अधिक केस नहीं हैं कि पीपल्दा के अन्दर एक अलग से कोर्ट ए. सी. एम. की खोल दी जाय। जहां तक स्थानान्तरण का सवाल है, मैंने माननीय सदस्य को यह बताया कि पीपल्दा के क्षेत्र में से कुछ गांव निकल गये हैं। पीपल्दा ऐसा क्षेत्र नहीं बनता कि वहां पर ए. सी. एम. कोर्ट कायम करके ए. सी. एम. के लिये केस वर्क इतना उपलब्ध हो सके कि वह कोर्ट के लिये कार्यभार। साथ ही यह भी कहूंगा, कोटा ऐसी जगह पर है जहां दो ए. सी. एम. की कोर्ट और एक एस. डी. ओ. कोर्ट मौजूद है। इसलिये किसी प्रकार भी केसेज की अधिकता नहीं है जिसकी वजह से अलग कोर्ट खोलने का कोई विचार किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर। माननीय सदस्य उत्तर आ गया।

श्री हीरालाल आर्य : इटावा में दो ए. सी. एम. कोर्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, उनमें अधिकतर केसेज····

श्री अध्यक्ष : इसके विस्तार में न जायं, इसका उत्तर आ गया। आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, उस इलाके में····

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, माननीय सदस्य, आर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : नायब तहसील के····

श्री अध्यक्ष : आर्डर। कृपया।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : श्री गोकुलचन्द्र शर्मा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 अप्रेल, 1984)

राज्य परिवहन निगम द्वारा पुनः सेवा में लिये गये परिचालक

512. **श्री भैरूंसिह गुर्जर** (खारची) **श्री गोकुलचन्द्र शर्मा** (सुमेरपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982 व 1983 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कितने परिचालकों को बिना टिकट सवारियां बिठाने के आरोप में निगम से सेवामुक्त व बर्खास्त किया गया ? इन पर कितनी-कितनी बिना टिकट सवारियों का आरोप था ? कृपया परिचालक के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सूची में से कितने परिचलकों को पुनः निगम की सेवा में ले लिया गया पुनः सेवा में लिये गये परिचालकों के विरुद्ध कितनी बिना टिकट सवारियों का आरोप था ? कृपया परिचालकों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना विस्तृत है कि इसका जवाब तैयार करने में बहुत समय चाहिये। आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो, 1982–1983 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कितने परिचालकों को बिना टिकट सवारियां बिठाने के आरोप में निगम सेवा से मुक्त व बर्खास्त किया गया ? इन पर कितनी कितनी बिना टिकट सवारियों का आरोप था ?" इसमें····

श्री अध्यक्ष : पुनः स्थगित किया या।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन था यह प्रश्न महत्वपूर्ण था, इसमें कई आरोप थे जिनपर ज्यादा सवारियां बिठाने का चार्ज था उनको बेहाल कर दिया, जो कम सवारियां बिठाने वाले थे उनको वापस बहाल नहीं किया और ज्यादा सवारियां बिठाने वालों को वापस नौकरी में रख लिया। ऐसा महत्वपूर्ण सवाल था।

श्री अध्यक्ष : पुनः स्थगित।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मैं क्या विश्वास करूं, कब आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : अब आप जानते हो, कब आयेगा। अब आप यह दुबारा देंगे तब आयेगा।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 740

आर्डर।

अगला प्रश्न सुश्री पुष्पा जैन, श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे वाला ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द्र कटारिया।

खाद्य विभाग में प्रवर्तन स्टाफ के रिक्त पद

741. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग में प्रवर्तन स्टाफ के वर्तमान में कौन कौन से पद रिक्त हैं ? सरकार ने इन पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही की है ? इसमें से कितने पद तीन वर्ष से व कितने पद दो वर्ष से रिक्त पड़े हैं ?

(2) सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

(3) विभाग में सन् 1974 से आज तक विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग कब तक हुई एवं अब कब तक होने जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि सन् 1974 से नवम्बर, 83 तक विभागीय पदोन्नति समिति की कोई मीटिंग नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है, जो पद पदोन्नति कोटे से भरे जाने थे, उनके लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर ली गई हैं तथा जो पद सीधी भर्ती से भरे जाने है उनको लोक सेवा आयोग को अग्रेसित किया हुआ है।

(2) सीधी भर्ती वाले पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भर दिया जायेगा, तदर्थ पदोन्नति से रिक्त पदों को भरे जाने की ार्यवाही जारी है।

(श्री घासीराम यादव)

(3) राज्य स्तरीय सेवा के पदों की वर्ष 1982–83 तक के कोटे के लिये दिनांक 28–12–83 को एवं अधिनस्थ सेवा के पदों के लिये 1983–84 तक के कोटे के लिये दिनांक 9-2-84 एवं 29-3-84 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें हो चुकी हैं।

(4) जी हां। प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण मीटिंग का आयोजन नहीं हो सकता था।

कृपया परिशिष्ट संख्या 3 देखिये)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने भाग (4) में कहा है 1974 से लेकर अब तक आप डी॰ पी. सी. की मीटिंग नहीं करा सके ...

श्री अध्यक्ष : इस बीच में ढाई पौने तीन साल का भी समय आ जाता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन, साहब, 10 साल की अवधी में काम करने वाले कर्मचारियों को कोई प्रमोशन मिलना चाहिये। वह किस कारण से वंचित रह गये। मत्री महोदय, इसके क्या कारण थे?

दूसरा, आपने रिक्त पद बताये, कभी आपने देखा कि इस कारण से राजस्थान में सप्लाई नहीं हुई ? फिर किस प्रकार के सुचारु रूप से काम चलेगा ? आपके 21 डी एस. ओ. हैं उसमें 5 पद रिक्त पड़े हैं, जो आपने स्वीकार किया। आप के अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी के 5 पद कुल हैं उनमें से 4 पद रिक्त सहायक जिला रसद अधिकारी के 18 पद हैं उसमें से 8 रिक्त हैं। क्या यह भी सही है, प्रवर्तन अधिकारी के 100 पद हैं उसमें 7 और उसके बाद 19, इतने पद रिक्त पड़े हैं। वह रिक्त पड़े रहने के कारण क्या हैं ? प्रमोशन का यह है कि जो सहायक रसद अधिकारी है उस को पांच साल का अनुभव होगा तो वह डी. एस. ओ. बन सकता है। दस साल से डी. पी. सी. की बैठक नहीं करायी। तीन साल उस पद का काम करने का अनुभव होगा तो वह ऊपर के पद पर चयनित किया जायगा। जो दस साल से बेक लोग रह गया, अब आप डी. पी. सी. करायेंगे क्या उस समय का उनको लाभ देंगे ? आपकी गलती के कारण डी. पी. सी. नहीं हो पायी।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें गलती का सवाल नहीं है, यह तो नया महकमा था इसमें अलग-अलग विभागों के लोग आये थे। मैं समझता हूं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहिये कि किसी तरह से काम पूरा किया। केबिनेट में मामला गया था कि किस तरह से प्रमोशन कोटा दिया जाय। इसमें थोड़ी कमी रह गई इसलिये इसको दुबारा भेजा है। पहले 25 प्र. श. दिया हुआ था हमने कहा 50 प्र. श. पदोन्नति से भर्ती होनी चाहिये, वह भी कर लिया। 5 साल का, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, 3 साल होना चाहिये। उसके बाद केबिनेट में जा रहा है इसमें यह जोड़ा नहीं लेकिन हमने सब काम पूरे कर दिये हैं। यह जो पद खाली पड़े हैं यह सीधी भर्ती से भरे जायेंगे। 19 पद खाली पड़े हैं, जिसमें से 16 हम भेज रहे हैं। पी. एस. सी. की परीक्षा हो चुकी है हाई कोर्ट से रुका हुआ है, आते ही भर्ती हो जायेगी।

(श्री घासीराम यादव)

डी. एस. ओ., ए. एस. डी, एक ही कैडर की पोस्ट है उनके लिये भी हमने 10 पोस्ट पी. एस. सी. को भेजी हुई हैं। उसका रिजल्ट आने पर पूरी हो जायेगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर में डी. एस. ओ. का पद रिक्त है, जैसलमेर में डी. एस. ओ. और ए. डी. एस. ओ. के पद रिक्त हैं। तीनों अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी जैसलमेर में नहीं हैं, डूंगरपुर में नहीं है। आखिर वहां काम कौन देखता है? और कब से यह पद रिक्त हैं।

श्री घासीराम यादव : यह तो इसमें लिखा हुआ है कितने समय से कौन नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि 10 पोस्ट डी. एस. ओ. की खाली पड़ी हैं जो पी एस. सी. से आने वाली है, दो महीने से रिजल्ट रुका हुआ है हाई कोर्ट में वरना भर जाती। ई, आई की पोस्ट्स भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है; और भी हमने 16 दे रखी हैं वे आ जायेंगी। नीचे के लोग काम कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : डूंगरपुर और जैसलमेर में कितने काम कर रहे हैं?

श्री घासीराम यादव : डूंगरपुर में डी. एस. ओ. आर. ए. एस. आफिसर है वह काम कर रहे हैं उसके नीचे विशेष आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

रायपुर व सोजत तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

738. **श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) रायपुर तथा सोजत तहसील के किन किन गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है और कब तक इन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जावेगा? क्या सोजत तहसील के चण्डावल स्टेशन पर ग्रामवासियों की भारी मांग के बाद भी विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है जबकि पास के पंचायत हैड क्वार्टर मुन्डावा व अन्य 2 किलोमीटर की दूरी के गांव विद्युतीकृत हैं?

(2) क्या सरकार जनहित में चण्डावल स्टेशन का अब विद्युतीकरण करावेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील सोजत के शत-प्रतिशत ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है तथा तहसील रायपुर के 47 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य वार्षिक योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप किया जायेगा। अत: समस्त ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध मे अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है। चन्डावल स्टेशन तहसील सोजत के विद्युतिकृत ग्राम मुरडवा की राजस्व सीमा में स्थित है। स्टेशन के पास के क्षेत्र से 18 घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। परन्तु विद्युत लाईनों से अधिक दूर स्थित होने के कारण मण्डल के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर कनेक्शन देना साध्य

(श्री सुखलाल सेणचा)

नहीं पाया गया। अतः यह कनैक्शन अभी नहीं दिये जा सके हैं।

(2) चण्डावल स्टेशन के पास स्थित हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से माह मार्च, 1984 में स्वीकृत करवाई गई है। हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के पश्चात् चन्डावल स्टेशन के पास के अन्य श्रेणी के कनैक्शन भी दिये जा सकेंगे।

चारणवाला रेगूलेटर की टूटी वाटर सप्लाई चैनल

740. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चारणवाला रेगूलेटर के पास वाटर सप्लाई चैनल टूट गई है ? यदि हां, तो कब और कितनी दूरी में ?

(2) जहां ये चैनल टूटी है उतनी दूरी में कितना अर्थ वर्क हुआ था और उस पर काम्पेक्शन का कितना खर्चा आया था ?

(3) इस नहर के इस हिस्से की मरम्मत कराने पर कितना खर्चा होगा ?

(4) इस चैनल के टूटने के क्या कारण थे ? क्या इसकी जांच कराई गई है ? यदि हां, तो किससे तथा जांच के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जब चैनल टूटी ही नहीं तो जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उपनिवेशन तहसीलों में सिंचाई विभाग से प्राप्त भूमि का भू-अभिलेख

942. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोलायत उपनिवेशन तहसीलों में सिंचाई विभाग से प्राप्त चक प्लानों में से कितनी भूमि का भू अभिलेख तैयार कर लिया गया है ?

उत्तर

कोलायत उपनिवेशन तहसीलों में, सिंचाई विभाग से फरवरी, 84, तक 313 चक प्लान प्राप्त हुए हैं तथा इन सभी 313 चकों की कुल 3,29,574 एकड़ भूमि के भू-अभिलेख तैयार किये जा चुके हैं।

पीपल्दा क्षेत्र की ड्रेनों पर पुलियाओं का निर्माण

943. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

(श्री हीरालाल आर्य)

क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के जलोदा खातियान से अयानी, कांकरा डोरली के रास्तों पर पड़ने वाली ड्रेनों पर पुलियाएं नहीं होने से गांव का रास्ता अवरुद्ध हो गया है ?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त स्थानों पर शीघ्र पुलियाओं का निर्माण करायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

चारनवाली शाखा प्रथम फूलासर माइनर की मिट्टी हटाने के कार्य की जांच

944. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चारनवाली शाखा प्रथम फूलासर की आर. डी. 20 से 22.5 के मिट्टी कार्य के अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में दिनांक 30-11-1982 को निविदाएं आमंत्रित की गई व 4-2-1983 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में नेगोशिएशन द्वारा 59.00 पैसे प्रति घन मीटर की निम्नतम दर से मैसर्स जाणी एण्ड कम्पनी को कार्य आदेश न देकर मैसर्स रामकिशन रामचन्द्र को 59.51 पैसे प्रति घन मीटर की दर से कार्य दिया गया ? क्या यह सही है कि मैसर्स जाणी एण्ड कम्पनी ने पानी, मिट्टी ड्रेसिंग की अतिरिक्त राशि लेने की पूर्व शर्त वापिस लेने हेतु लिखित में दे दिया था तथा इसके उपरान्त अन्य फर्म को कार्य आदेश क्यों दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त साइट पर विभागीय रिकार्ड में 105326 घन मीटर मिट्टी बताई गई व मोके पर वास्तविक मिट्टी कार्य इससे हजारों घन मीटर कम है ? क्या राज्य सरकार उक्त घपले की जांच शीघ्र करवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 30-11-82 को उक्त कार्य की निविदाए अधिशाषी अभियन्ता रानप, चारणवाला शाखा खण्ड प्रथम, बज्जू में आमंत्रित की गई थी तथा दिनांक 4-2-83 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रानप, बीकानेर के द्वारा उक्त कार्य के नेगोशिएशन किये गये जिसमें मै. राम किशन रामचन्द्र द्वारा रु. 59.51 प्रति हजार घन फुट पर कार्य करने के रेट दिये गये थे। मै. जाणी एण्ड कम्पनी ने अपने रेट रु. 59/– प्रति हजार घन फुट के दिये एवं शर्त भी दी की पानी व दरेसी के कार्य का भुगतान बी. एस. आर. रेट से अलग में देना होगा। इस प्रकार उक्त फर्म के रेट रु. 59.51 प्रति हजार घन फुट से अधिक हुए। मै. जाणी एण्ड कम्पनी ने पानी व ड्रेसिंग की अतिरिक्त राशि की पूर्व शर्त वापिस लेने हेतु लिखित में नहीं दिया था। प्राप्त निविदाएं, कार्य आदेश, जी शिड्यूल की प्रतियां संलग्न हैं।

(राजस्थान नहर मंत्री)

(2) जी, हां विभाग के रिकार्ड के अनुसार उक्त कार्य की मिट्टी 105326 घन मीटर है तथा यह सही नहीं कि वास्तविक मिट्टी कार्य पर हजारों घन मीटर कम है। जब मिट्टी कम ही नहीं है तो जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी के नीचे से लक्ष्मीपुरा गांव के पास पानी निकालने के लिये बड़ा पाइप

945. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी के नीचे से लक्ष्मीपुरा गांव के पास पानी निकलने का पाइप छोटा होने से बरसात के दिनों में पानी भर जाता है और अक्सर नहर क्षतिग्रस्त होती रहती है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर अधिक बड़े पाइप लगाने या पुल की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, बरसात के दिनों में कुछ समय के लिये पानी भर जाता है और कभी कभी नहर के किनारे भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

(2) केवल भारी वर्षा के समय में पानी का भराव रहता है जो वर्षा के पश्चात् थोड़े समय में इसी पाइप द्वारा निकल जाता है। अतः बड़ी पुलिया बनाने की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान खनिज परामर्शदात्री मण्डल का गठन

946. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) - क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शासकीय आदेशों के अन्तर्गत राजस्थान खनिज परामर्शदात्री मण्डल का गठन किया जाता है ? यदि हां, तो कृपया तत्सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) वर्तमान में कार्यरत मण्डल का स्वरूप क्या है एवं दिनांक 1-1-1983 से 31-1-1984 तक मण्डल की कब कब बैठकें हुई व उनमें क्या निर्णय लिया गया ? कृपया मण्डल के सदस्यों की सूची एवं मण्डल की बैठकों की कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। मण्डल के गठन के आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) संलग्न आदेश में मण्डल का स्वरुप एवं सदस्यों का विवरण उपलब्ध है। दिनांक 1-1-83 से 31-1-84 तक मण्डल की बैठक नहीं हुई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ग्राम खींवसर तहसील नागौर की राजस्व भूमि खसरा नं. 1533 का बेचान,

947. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती सुमन पत्नी श्री सत्य प्रकाश सांघी भूतपूर्व प्रोजेक्ट डाईरेक्टर, श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश पोरवाला, विकास अभिकरण, नागौर द्वारा ग्राम खींवसर तहसील नागौर में राजस्व भूमि खसरा 1533 खरीदी गई ? यह खसरा नम्बर सन् 1958 में किसके नाम दर्ज था और किस किस नाम से आगे बेचान होता रहा है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त खसरा नम्बर में कृषि उपयोगी ट्युब वैल खोदे गये हैं ? यदि हां, तो कब और कितना ऋण किस एजेन्सी द्वारा दिया गया ?

(3) क्या उपरोक्त भूमि का हस्तान्तरण नियमानुसार हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों और इसके लिये कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। किसी संस्था द्वारा ऋण देने की जानकारी नहीं है।

(3) इस हस्तान्तरण में किसी अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

मैसर्स ओरियन्टल टेल्क प्रा. लि. नीम का थाना को खनिज केलसाइट एवं डोलोमाईट का खनन पट्टा

948. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मैसर्स ओरियन्टल टेल्क प्रा लि. नीम का थाना को खनिज केलसाइट एवं डोलोमाईट का खनन पट्टा कब किन शर्तों पर स्वीकार किया गया था ?

(2) स्वीकार होने की तिथि से 31 दिसम्बर, 1983 तक इस खनन पट्टाधारी ने इस पट्टे के अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्र से कुल कितना कितना केलसाइट एवं डोलोमाइट का उत्खनन किया व कितनी राशि रायल्टी के रूप में राज्य कोष में जमा कराई ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मैसर्स ओरियन्टल टेल्क प्रा. लि. नीम का थाना के खनिज केलसाईट, लाईमस्टोन, डोलोमाईट का खनन पट्टा निकट ग्राम रातपुरा तहसील नीम का थाना जिला सीकर परिशिष्ट "छ" पर अंकित विशेष शर्तों के अनुसार दिनांक 15-2-73 से स्वीकार किया गया था। अन्य शर्तें मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1950 के अनुसार हैं।

(श्री खनिज मन्त्री)

(2) उक्त खनन पट्टा दिनांक 16-2-73 से प्रभावित है व दिनांक 31-12-83 तक कुल कैलसाइट व डोलोमाइट का उत्खनन क्रमशः 2447.9 टन 87.7 टन हुआ एवं सभी खनिजों के विरुद्ध वर्ष 1983-84 तक कुल रुपये 18,48,415.65 जमा कराये गये हैं। वर्षवार विवरण अलग से परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

खनिज अभियन्ता अजमेर के यहां प्रधान एवं उपधान खनिज के परमिट प्राप्ति के लिये विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

949. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खनिज अभियन्ता, अजमेर के क्षेत्राधिकार में दिनांक 15-2-1984 के दिन प्रधान एवं उपप्रधान खनिज के पी. एल., एम. एल. अथवा परमिट प्राप्त करने के कितने प्रार्थना-पत्र कितने क्षेत्रफल के लिये कब कब से विचाराधीन थे ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें

(2) वित्तीय वर्ष 1982-83 एवं चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 15-2-1984 तक पट्टे अथवा परमिट प्राप्त करने के किस किस के प्रार्थना-पत्र किस किस कारण से खारिज किये गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट "छ" में अंकित है।

(2) परमिट का कोई भी प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया गया। पट्टों व पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों के खारिज किये जाने सम्बन्धी सूचना संलग्न परिशिष्ट "ख" में अंकित है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. उदयपुर के पास खनन कार्य आने वाली मशीनरी

950. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. उदयपुर के पास वर्तमान में या दिनांक 31-12-1984 को आधार मानकर खनन कार्य में सहयोग देने तथा उपयोग में आने वाली क्या क्या मशीनरी (शावेल्स, डम्पर्स, ड्रिल्स, बुलडोजर्स, एयर कम्प्रेसर्स, क्रशिंग प्लांट वर्कशोप, स्टोर्स केमिकल लेबोरेटरी आदि) हैं तथा इससे कितने टन खनिज व ओवरबर्डन के खनन की मासिक या वार्षिक क्षमता बनती है ?

(2) क्या यह सही है कि यहां के सम्पूर्ण इक्विपमेन्ट के अनुसार खनन कार्य हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री खनिज मन्त्री)

उत्तर

(1) दिनांक 31–12–83 को खनन कार्य में आने वाली मशीनरी आदि निम्न प्रकार थी :—

क्र. सं.	मशीन	संख्या	विशेष विवरण
1.	शावल	8	दो शावल जो डीजल इंजिन से चलित हैं, भारी मरम्मत में हैं।
2.	डम्पर	28	तीन डम्पर 35 टन के एवं 7 डम्पर 25 टन के भारी मरम्मत में हैं।
3.	ड्रिल	12	चार ड्रिला भारी मरम्मत में है।
4.	डोजर	7	—
5.	एयर कम्प्रेसर	8	एक एयर कम्प्रेसर भारी मरम्मत में है
6.	क्रशिंग प्लान्त	1 यूनिट	—
7.	वर्कशाप	1 यूनिट	—
8.	स्टोर	1 यूनिट	—
9.	केमिकल लेबोरेटरी	1 यूनिट	—

उपलब्ध मशीनरी के आधार पर वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 35.00 लाख मेट्रिक टन आंकी जाती है।

(2) 35 लाख मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता विद्युत को सुचारू रुप से सप्लाई व उचित वोल्टेज के प्राप्त होने पर ही सम्भव हो सकती है। विद्युत प्राप्त करने में अनिश्चितताओं एवं वोल्टेज के उतार चढ़ाव का उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वर्ष 1983–84 में 30 लाख मैट्रिक टन

(श्री खनिज मन्त्री)

खनन कार्य का लक्ष्य रखा गया था, जो प्राप्त कर लिया गया है।

चूरू तहसील के 46 ग्रामों में नियम से अधिक लगान की वसूली

952. श्री भालूखां (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू तहसील के 46 ग्रामों में नियम से अधिक लगान की दरें सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बढ़ा दी गई है। इन ग्रामों में नियमानुसार दर कम करने की कार्यवाही सरकार करेगी। उपरोक्त 46 गांवों में से 35 गांवों का रकबा कम करने का आदेश जारी हो चुका है मुख्यालयों पर सूचना नहीं पहुंचने से किसानों से अधिक लगान वसूल किया गया है। क्या सरकार अधिक लिये गए लगान को किसानों को वापिस देने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

(2) 11 गांवों के फैसले के सम्बन्ध में सरकार कब तक उपरोक्त गावों की भांति निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, आंशिक रूप से सही है कि तहसील चूरू के 46 ग्रामों में से केवल 25 ग्रामों में सम्वत् 2028 में स्वीकृत लगान दरें सन् 1954 में स्वीकृत संशोधित लगान दरों की जानकारी भू. प्रबन्ध अधिकारी को न होने से भूल वश बढ़ी हुई दरें स्वीकृत हो गई थी। इन 35 ग्रामों की लगान दरें राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 107 के प्रावधानानुसार संशोधित कराई जाकर स्वीकृति जारी करदी गई है, जिसकी सूचना जिलाधीश चूरू को भू. प्रबन्ध आयुक्त के माध्यम से शीघ्र भिजवा दी जावेगी। यदि काश्तकारों से लगान अधिक वसूल कर लिया गया है तो, उसका नियमानुसार समायोजन कर दिया जावेगा।

(2) तहसील चूरू के कुल 91 ग्रामों की सन् 1954 में स्वीकृत संशोधित लगान दरों पर राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किये जाने पर केवल मात्र 35 ग्रामों में ही लगान दरें बढ़ी हुई, पाई गई इसलिये शेष 11 ग्रामों के संबंध में नया निर्णय लिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

मान इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के स्टाफ को वेतन

953. श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर की मान इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन में कार्यरत 105 स्टाफ कर्मचारियों को पिछले 10 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है और न ही बोनस दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि उनका न तो ई. एस. आई. का पैसा जमा किया जाता है और न प्रोविडन्ट फण्ड का ?

(2) क्या यह सही है कि श्रम निरीक्षक द्वारा जब निरीक्षण किया गया

(श्री त्रिलोकसिंह)

गया तो कारखाने के मालिक ने रिकार्ड दिखाने से इन्कार कर दिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस कारखाने के लाइसेन्स का चीफ फैक्टरी इन्सपेक्टर के कार्यालय से नवीनीकरण भी नहीं कराया गया है ?

(4) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) स्टाफ कर्मचारियों को अप्रेल, 1983 से जनवरी, 1984 तक 6,83,-693.95 रुपये की राशि का भुगतान देय था इसमें से रुपये 6,54,230/– की राशि का भुगतान कर दिया गया-शेष राशि रुपये 29,463-55 का भुगतान देय है।

स्टाफ कर्मचारियों को वर्ष 1982-83 के बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

मैसर्स मान इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, जयपुर ने ई. एस. आई. का पैसा माह जनवरी, 1983 तक जमा कराया है उसके बाद कोई पैसा जमा नहीं कराया है।

भविष्य निधि का पैसा दिसम्बर, 1982 व मार्च, 83 से अब तक जमा नहीं कराया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम केटीया के गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार

954. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम केटीया में वर्ष-1983 के अन्त तक कितने गैर खातेदार रहे ? ऐसे लोगों का कब्जा भूमि पर कितने वर्षों से चला आ रहा है ?

(2) उक्त ग्राम में अर्से से काबिज गैर खातेदारों को खातेदारी न देने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार ग्राम केटीया के अर्से से काबिज समस्त लोगों को खातेदारी अधिकार देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम केरीया में वर्ष 1983 के अंत तक कुल 27 गैर खातेदार रहे हैं जिनका आवंटन से लगातार कब्जा चला आ रहा है।

(2) भूमि का आवंटन उपलब्ध क्षेत्र में से अधिक क्षेत्र का हो जाने के कारण आवंटियों को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सके।

(3) उपलब्ध क्षेत्र से अधिक आवंटन हो जाने के कारण आवंटन निरस्तीकरण

(श्री राजस्व मन्त्री)

का मामला अति जिलाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है। वहां से निर्णय होने पर इस विषय में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

सवाई माधोपुर बांध के डूब में आई जमीन का मुआवजा

955. श्री हंसराज शर्मा। (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर के बांध व सूखाल की डूब में आई जमीनों का मुआवजा काश्तकारों को वर्ष 1982 तथा 1983 में दिया गया है? क्या उनको मुआवजे की पूरी राशि का मुगतान किया गया है? नहीं, तो कितनी राशि काट कर मुगतान किया गया है और क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि जब तक काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया था तब तक खाली भूमि पर काश्तकारों द्वारा फसल बोने के कारण उनके खिलाफ पेनल्टी लगाई गई? यदि हां, तो किस आधार पर?

(3) क्या यह भी सही है कि मुआवजा देने से पूर्व काश्तकारों से 1/4 लगान वसूल किया गया था? यदि हां, तो कब से? काश्तकारों से $\frac{1}{4}$ लगान की कुल कितनी राशि बकाया थी? यह राशि मुआवजे की राशि में से काटने का क्या कारण था?

(4) क्या यह भी सही है कि अब तक जो मुआवजा दिया गया उसमें से सभी लोगों से बकाया लगान तथा पेनल्टी की राशि काटी गई थी?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। मुआवजे का मुगतान काश्तकारान को वर्ष 80 व 83 में किया गया है। मुआवजे की समस्त राशि का मुगतान किया गया है।

(2) यह सही है कि जब तक काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया था तब तक उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से काश्त करने वालों के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की रिपोर्ट पेश होने पर पैनल्टी लगाई गई थी। चूंकि नियमानुसार जब उक्त भूमि को कब्जे सरकार लिया जाकर, राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज हो गई तो उस पर अनाधिकृत काश्त करने वालों के ऊपर पैनाल्टी आरोपित किया जाना अनिवार्य है। यह सही नहीं है। मुआवजा देने से पूर्व काश्तकारों से 1/4 लगान वसूल नहीं किया गया है।

(3) काश्तकारों को मुआवजे की सम्पूर्ण राशि का मुगतान बिना किसी कटौती के किया गया था।

(4) यह भी सही नहीं है कि अब तक जो मुआवजा दिया गया है, उसमें से किसी से भी बकाया लगान तथा पैनेल्टी की राशि नहीं काटी गई है। निर्धारित मुआवजे की सम्पूर्ण राशि का मुगतान सम्बन्धित काश्तकारों को किया गया था।

(राजस्व मंत्री)

पैनाल्टी एवं लगान का चुकारा सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा स्वेच्छा से राज्य के खाते में अदा किया है।

तहसील सिकराय के तहसीलदार द्वारा 91 के तहत जारी नोटिस

956. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 अप्रेल, 1982 से लेकर अब तक तहसील सिकराय के तहसीलदार द्वारा राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 91 के तहत कितने किसानों के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए तथा कितनों से पेनल्टी वसूल की ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या तहसीलदार सिकराय द्वारा धारा 91 के तहत काश्तकारों को सजाएं (कारावास की) सुनाई हैं तथा वारन्ट जारी किए हैं ? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध किस-किस तारीख को ? कृपया नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध वारन्ट जारी किए गये हैं उनसे पूर्व के वर्षों में पेनल्टी वसूल की गई है तथा उनका खसरा परिवर्तनशील में इन्द्राज है ? यदि हां, तो कब-कब ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अप्रेल सन् 1982 से लेकर अब तक तहसीलदार सिकराय द्वारा राजस्थान भू-राजजस्व अधिनियिम 1956 की धारा 91 के तहत 2396 किसानों के विरुद्ध नोटिस जारी किये है तथा 442 किसानों से पेनल्टी वसूल की है। विवरण सूची 'स' एवं 'द' संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण सूची 'क' संग्लन है।

(3) जी हां। विवरण संलग्न सूची 'ख' अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई]

बून्दी में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत गिरफ्तार लोग

958. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1 जनवरी, 1980 से फरवरी 1984 तक भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत जिला बून्दी में तहसीलदारों द्वारा कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

उत्तर

बून्दी जिले में 1 जनवरी, 1980 से फरवरी, 1984 तक भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदारों द्वारा 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

बड़ी सादड़ी में उपखण्ड कार्यालय खोलने का प्रस्ताव

959. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील बड़ी-सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में उपखण्ड कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? अब तक उपखण्ड कार्यालय स्थापित नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ? क्या राज्य सरकार वर्ष 1984–85 में उक्त उप खण्ड कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़-गढ़ में उपखण्ड कार्यालय स्थापित करने का मामला राज्य सरकार के सन् 1978 से विचाराधीन है। आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में इस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त होने की दशा में राज्य में कुछ नए उपखण्ड बनाने पर विचार किया जावेगा। उस समय इस प्रस्ताव पर भी अन्य सभी प्रस्तावों के साथ गुणावगुणों (Merits) के आधार पर विचार किया जावेगा।

पटवारियों के स्थानातरण हेतु निर्धारित नीति

960. **श्री तकीउद्दीन अहमद** (जोहरी बाजार) **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पटवारियों के स्थानान्तरण के लिये राज्य सरकार अथवा राजस्व मण्डल द्वारा कोई नीति निर्धारित की हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि पटवारियों के स्थानान्तरण दो वर्ष पूर्व करने पर कलक्टर को राजस्व मण्डल से पूर्व अनुमोदन कराना पड़ता है ?

(3) जिला धौलपुर में माह अप्रेल 1983 से अब तक कितने पटवारियों के स्थानान्तरण दो वर्ष से पूर्व कलक्टर द्वारा बिना पूर्व अनुमोदन के किये गये हैं और उससे राज्य सरकार को कितनी राशि स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रूप में वहन करनी पड़ी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, पटवारियों के स्थानान्तरण के लिए सरकार द्वारा नीति निर्धारण की हुई है।

(2) जी हां।

(3) जिला धौलपुर में माह अप्रेल, 1983 से अब तक 31 पटवारियों के स्थानान्तरण किये गये है। यात्रा भत्ता पर अनुमानित राशि चार हजार खर्च होगी। सूचि संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखे)

निजी संस्कृत शिक्षण संस्थाओं को मान्यता

961. श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या संस्कृत शिक्षा में निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने की शर्तों का पालन न करने वाली संस्थाओं को भी मान्यता जारी हो रही है ?

(2) यदि हां, तो ऐसी, संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखें तथा उनकी मान्यता समाप्त नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार वर्षों से मान्यता शर्तों को पूरा नहीं करने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने का विचार रखती है ?

(4) यदि हां, तो कब तक ! नहीं, तो क्यों !

उत्तर

(1) निम्न शिक्षण संस्थाएं काफी लंबे समय से संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं। तथा इनकी समय-समय पर वृद्धि मान्यता में की जाती रही हैं।

1– नर्मदेश्वर उ. प्रा. संस्कृत वि., धौबलाई।

2– मानव भारती उ. प्रा. संस्कृत वि., दुर्गापुरा।

3– भारती बाल मन्दिर विद्यालय, जयपुर।

4– सरस्वती बाल मन्दिर उ. प्रा. वि., आमेर रोड़, जयपुर।

5– आदर्श विद्या भवन उ. प्रा. संस्कृत वि., बनीपार्क, जयपुर।

6– राज कन्या उ. प्रा. संस्कृत वि., जयपुर।

7– गांधी जन उ. प्रा. संस्कृत वि., जयपुर।

8– शान्ति वीर जैन दिगम्बर उ. प्रा. संस्कृत वि., शान्ति नगर, महावीर जी।

(2) सूची बिन्दु संख्या। पर दर्शायी गई हैं। मानन्यता के लिये निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति हेतु इन संस्थाओं को आदेश दिये गये हैं कि वे आवश्यक पूर्ति तुरन्त कर स्थायी मान्यता प्राप्त करें। संस्था में कार्यरत अध्यापकगण व छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया गया है। आवश्यक पूर्ति यथाशीघ्र कराने के प्रयास जारी हैं।

(3) इन संस्थाओं में छात्र संख्या व स्टाफ कर्मचारियों के हित में मान्यता एवं माप-दण्डों के अनुसार पूर्ति कराने हेतु नोटिस दिया गया हैं, ताकि इसी सत्रान्त तक वे मापदण्डों की पूर्ति कर लें ?

शिक्षा मंत्री)

(4) जी, नहीं। संस्था में कार्यरत अध्यापक छात्रों के हित में मान्यता समाप्त करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये संस्थायें काफी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। मान्यता हेतु मानदण्डों की पूर्ति यथाशीघ्र करा ली जावेगी।

तहसील चित्तौड़गढ़ में विजयपुर घाटी के ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु सर्वे

962. **श्री शोभरामल** (चित्तौड़गढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या चित्तौड़गढ़ तहसील में विजयपुर घाटी में 84 गांव हैं एवं वहां आज भी बिजली नहीं पहुंच पायी है! यदि हां, तो क्या सरकार ने इन ग्रामों को बिजली दिलाने हेतु सर्वे कराया है? यदि हां, तो क्या वर्ष 1984-85 में विजयपुर तक बिजली पहुंचाने की कोई राज्य सरकार की योजना है?

(2) क्या इस क्षेत्र के विकास के लिये पूर्व में भी कोई विद्युतीकरण की योजना बनाई गयी थी? यदि हां, तो उसे क्यों निरस्त कर दिया गया गया?

उत्तर

(1) जी हां। माह फरवरी 1984 में पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना स्वीकृत करवाई गई है, जिसके अन्तर्गत विजयपुर क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण भी प्रस्तावित है। ग्राम विजयपुर का विद्युतीकरण बस्सी से 33 के. वी. लाइन खींच कर विजयपुर पर 33/11 के. वी. सब स्टेशन बनाये जाने के पश्चात् किया जा सकेगा। अतः वर्ष 1984–85 में विजयपुर ग्राम के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। माह फरवरी। 1984 में पंचायत समिति चित्तौगड़ की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में विजयपुर घाटी क्षेत्र के केवल दो ग्रामों को छोड़कर शेष सारे ग्राम विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किये जा चुके हैं।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा पुस्तक विक्रय हेतु आमंत्रित आवेदन-पत्र

963. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** कोटा: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा सैकन्डरी व हायर सैकण्डरी की पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं के पंजीकरण के लिये आवेदन-पत्र दिनांक 14–3–1984 तक आमंत्रित किये गये थे?

(2) यदि हां, तो बोर्ड को कितने आवेदन-पत्र किस-किस के प्राप्त हुये हैं और उनमें से किस-किस का पंजीकरण किया गया है और किसको पंजीकरण हेतु पात्र नहीं माना गया है? कृपया विक्रेता का पूरा नाम एवं पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 28–2–84 थी जिसे बढ़ाकर

(शिक्षा मंत्री)

20–3–84 किया गया । इसी प्रकार विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 14–3–84 थी जिसे बढ़ाकर 25–3–84 एवं पुनः बढ़ा कर 7–4–84 किया ।

(2) बोर्ड को 1013 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जिनमें से 866 पुस्तक विक्रेताओं का पंजिकरण किया जा चुका है और शेष 147 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

संस्कृत विद्यालयों में छात्र संख्या के मापदण्ड के अनुरूप शिक्षकों की कमी

964. **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या संस्कृत शिक्षा में ऐसे राजकीय विद्यालय भी हैं जिनमें 49 छात्र संख्या के अनुपात से एक शिक्षक का अनुपात पूरा नहीं होता ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालय कितने हैं ?

(2) उक्त विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की पूर्ति नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार निर्धारित छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कमी को दूर करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । इस प्रकार के लगभग 11 विद्यालय हैं ।

(2) कारण ये रहे है कि ये विद्यालय इसी वर्ष खोले गये है । अध्यापकों की पूर्ति की कार्यवाही वित्तीय साधनों को देखते हुये किया जाना सम्भव होगा ।

(3) खण्ड 2 के अनुसार ।

अजमेर सिटी पावर हाउस में बने सीमेन्ट टेंकों का दुरुपयोग

965. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में स्थित सिटी पावर हाउस में बने हुये सीमेन्ट के टेंकों के अब किसी उपयोग के नहीं रहने से उनमें पानी भरा रहता है और कूड़ा करकट भी पड़ता रहता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कारण वहां के पडोस के नागरिकों को यहां सड़ान्ध एवं दुर्गन्ध से पैदा होने वाले कई तरह के बिमारियों के कीटाणुओं का प्रकोप भी सहना पड़ता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में विद्युत विभाग एवं राज्य विद्युत् मण्डल के अधिकारियों की ओर से शिकायतें की गई है और अजमेर के जिलाधीश ने भी पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो इस दुरावस्था को कब समाप्त कर दिया जायगा ?

38

(ऊर्जा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, अजमेर में स्थित सिटी पावर हाऊस से विद्युत उत्पादन बन्द होने के कारण वहां पर बने हुए सीमेन्ट टैंक अब किसी उपयोग में नहीं आ रहे हैं एवं वर्षा ऋतु में उनमें पानी भर जाता है।

(2) वर्षा का पानी कुछ समयोपरान्त स्वतः ही सूख जाता है तथा समय समय पर मलेरिया विभाग द्वारा उन टैंकों में दवाइयां आदि छिड़की जाती रही हैं।

(3) जी हां, अजमेर नगर संभाग कार्यालय को इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इन टैंकों के अधिकांश भाग में मिट्टी भरवादी गई एवं शेष भाग में मिट्टी भरवाई जाने का कार्य प्रगति पर है।

जिला झुंझुनूं में विद्युत् विभाग द्वारा मारे गये छापे

966. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 में चिड़ावा जिला झुन्झुनूं में बिजली की चोरी पकड़ने के लिए विद्युत विभाग द्वारा छापे मारे गये थे और कुछ फैक्ट्री मालिकों को स्वीकृति से अधिक पावर की मोटरें चलाते हुए पकड़ा गया था? यदि हां, तो पकड़े गये फैक्ट्री मालिकों की सूची पते सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 1982-83 में चिड़ावा जिला झुंझुनूं में विद्युत मण्डल द्वारा आकस्मिक छापों के दौरान 33 उपभोक्ताओं को अवैधानिक रूप से विद्युत का उपभोग/चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिनकी सूची परिशिष्ठ 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

सीकर में फर्जी अभियन्त विजिलेंस द्वारा पैसे ऐंठने का असफल प्रयास

967. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1983 में ग्राम कटराथल-दौलतपुरा (सीकर) में फर्जी अभियन्ता विजिलेंस बनकर ग्रामीणों से पैसे ऐंठने का असफल प्रयास किया गया था? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? क्या फर्जी विद्युत् विभाग में ही कार्यरत है!

(2) क्या यह भी सही है कि इस संबंध में राज्य सरकार एवं विभाग को शिकायतें की गई? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग ने उक्त सम्बन्ध में जांच करवाई? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा पुलिस से जांच कराई गई थी? यदि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हां, तो क्या इनका चालान पेश किया गया ?

(5) सरकार भविष्य में इस प्रकार के विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस बारे में पुलिस थाना रघुनाथगढ़ में अभियोग संख्या 27/83 धारा 170 भा. द. स. में दर्ज करवा दिया था। अभियुक्त विद्युत मण्डल में ही कार्यरत कर्मचारी हैं।

(2) इस संबंध में इस विभाग में पूर्व में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जांच राष्ट्रदूत दिनांक 23-4-83 में प्रकाशित समाचार आधार के पर की गई थी।

(3) जी हां विद्युत मण्डल के सतर्कता अनुभाग द्वारा इस संबंध में प्रारम्भिक जांच की गई थी। जांच के दौरान निम्न व्यक्ति दोषी पाये गये :—

1. श्री अशोक कुमार, सी. सी. ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रा. वि. नि.), सीकर

2. श्री भागीरथ प्रसाद मीणा, एम. टी. आर. II कार्यालय सहायक अभियन्ता (मीटर्स), सीकर

(4) इनके विरुद्ध मुकदमा पुलिस थाना रघुनाथगढ़ में दर्ज करा दिया गया था। इनके विरुद्ध विभागीय जांच भी वर्तमान में चल रही है।

(5) जी हां। मण्डल के विभागीय सतर्कता अनुभाग से इस मामले की प्राथमिक जांच करवाई थी। पुलिस थाना रघुनाथगढ़ जिला सीकर द्वारा दिनांक 5-10-83 को संबंधित न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है।

विभागीय जांच एवं न्यायालय के निर्णय पर ही नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

968. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बांरा) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक डा. पुरुषोत्तम नागर के विरुद्ध भ्रष्टचार व अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इन शिकायतों की जांच के लिए उच्चतर शिक्षा के निदेशक श्री शिवनाथसिंह को नियुक्त किया था ? यदि हां, तो कब ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन आरोपों की जांच हेतु राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ (14) शिक्षा

(शिक्षा मन्त्री)

4/82 दिनांक 14-9-82 के द्वारा निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे। श्री शिवनाथ सिंह दिनांक 29.2.84 को सेवा निवृत हो गये हैं, उनके स्थान पर श्री ओ. पी. भार्गव, जो पहले विशेषाधिकारी शिक्षा विभाग में थे और अब निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें इस जांच हेतु आदेश क्रमांक एफ 14 (7) शिक्षा/4/82 दिनांक 21. 1. 84 के द्वारा नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है प्रतिवेदन गोपनीय होने से निर्णय के पूर्व उसका प्रकाशन जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता। निर्णय होने के बाद, रिपोर्ट तथा निर्णय सदन की सूचनार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

संस्कृत शिक्षा व सामान्य शिक्षा के वरिष्ठ अध्यापकों के वेतन-मानों में अन्तर

969. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा में 1978 में आश्वासन दिये जाने के बावजूद बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद संस्कृत शिक्षा व सामान्य शिक्षा के वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान में अन्तर रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इस अन्तर को कब तक समाप्त कर देगी ?

उत्तर

जी हां। संस्कृत विभाग के वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान को सामान्य शिक्षा के समक्ष करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हेर (भरतपुर) के अध्यापकों के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत

970. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हेर (भरतपुर) के अध्यापकों द्वारा सत्र 1982–83 की परीक्षाओं में कुछ अध्यापकों द्वारा हेरा फेरी करने, पैसे लेकर पास करने तथा गंभीर अनियमितताएं करने एवं विद्यालय में अनुशासन भंग करने की शिकायतें ब्लाक कांग्रेस (आई) कमेटी कुम्हेर, के अध्यक्ष की ओर से होने पर जांच करवाई गई थी ?

(2) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) श्री कमलसिंह बेधड़क, अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस (आई) कमेटी, कुम्हेर, भरतपुर के नाम से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच करने पर श्री कमलसिंह बेधड़क ने प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय

(शिक्षा मन्त्री)

कुम्हेर के माध्यम से लिखित में सूचित किया कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है और यदि कोई शिकायत की गई तो वह गलत एवं आधारहीन है।

(2) भाग–1 में वर्णित स्थिति में कोई जांच की कार्यवाही आगे नहीं की गई थी।

रानीवाड़ा आर. ई. सी. के अन्तर्गत डिमान्ड नोटिस की जमा राशि

971. **श्री रतना राम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा आर. ई. सी. के अन्तर्गत पिछले तीन वर्ष से 930 काश्तकारों के कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा हैं ? यदि हाँ, तो इन काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि रानीवाड़ा में काश्तकारों की करीब 650 फाइलें कृषि के लिये विद्युत कनेक्शन लेने हेतु जमा हैं ? यदि हां, तो इन काश्तकारों को कब तक डिमाण्ड नोटिस जारी कर कनेक्शन दे दिये जायेंगे ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, ग्रामीण विद्युतिकरण निगम उपखण्ड, रानीवाड़ा में माह मार्च, 84 तक कुल 134 कृषि आवेदकों के डिमान्ड नोटिस के पैसे जमा हैं। कृषि उपभोक्ताओं को मण्डल के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ही कनेक्शन दिये जाते हैं। वर्ष 1984–85 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किये जाने वाले लक्ष्यों के अनुरूप इन आवेदकों को प्राथमिकता के अनुसार कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(2) जी हां। प्रार्थना पत्रों के डिमाण्ड नोटिस जारी किया जाना विद्युत मण्डल के निर्धारित लक्ष्यों एवं वित्तिय साधनों की सुलभता पर निर्भर करता है। अतः इन सभी आवेदकों को कब तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे, इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

राजकीय नरेन्द्र बाल विद्यालय जयपुर में बस व्यवस्था

972. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने राजकीय नरेन्द्र बाल विद्यालय, जयपुर के छोटे-छोटे छात्र छात्राओं को स्कूल लाने ले जाने के लिये कोई बस व्यवस्था लागू कर रखी है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि ड्राइवर एवं प्रधानाध्यापिका की लापरवाही के कारण बस महीने में करीब 10 या 15 दिन ही चलती है जिससे छात्रों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) क्या सरकार छात्रों के हित में उक्त स्कूल की बस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने पर गौर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) वर्तमान में बस बन्द है। दोषी ड्राइवर एवं अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है।

(3) जी हां । सत्र 1984-85 से बसों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था कर दी जावेगी।

राज्य में परिवहन निगम की बसों में सुरक्षा हेतु गार्डों की नियुक्तियां

973. **श्री बालचन्द आर्य** (डाग)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में परिवहन निगम की बसों में लूटपाट, डकैतियों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार बसों में सुरक्षा गार्डों की नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों।

उत्तर

बसों में डकैतियों को रोकने हेतु प्रभावित राष्ट्रीय राज मार्गों पर गश्ती दल द्वारा पैट्रोलिंग की व्यवस्था लागू है एवं मुख्य-मुख्य बस स्टेण्डों पर इन बसों में यात्रियों की चैकिंग की व्यवस्था भी चालू कर दी गई है। फिलहाल परिवहन निगम की बसों में सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान के यातायात विभाग में मोटर व्हीकल इन्सपेक्टर के कुल पद

974. **श्री छीतरमल** ं (अटरु) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के यातायात विभाग में मोटर व्हीकल्स सब इन्स्पेक्टर एवं मोटर व्हीकल इन्सपेक्टर के कुल कितने पद हैं तथा इन पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने लोग पदस्थापित हैं ?

(2) इन दोनों पदों में से कितने कितने पद विभागीय पदोन्नति एवं सीधी भर्ती द्वारा कब कब भरे गये और क्या उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिये आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया गया था ?

उत्तर

(1) विभाग मे मोटर व्हीकल इन्सपेक्टर के 72 पद हैं जिनमें से 4 अनुसूचित जाति तथा (2) अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति पदस्थापित हैं। मोटर व्हीकल सब इन्सपेक्टर के 49 पद हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के 2 व्यक्ति पदस्थापित हैं। अनुसूचित जन-जाति का कोई व्यक्ति इस पद पर पद-

(यातायात राज्य मन्त्री)

स्थापित नहीं है। वांछित सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त पदों को भरे जाने हेतु अनुसूचित जाति जन जाति के लिये आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जयपुर में पुजारियों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र की स्थापना

975. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के मंदिर श्री आनन्द कृष्ण बिहारीजी चांदनी चौक, सीटी पैलेस, जयपुर में कोई पुजारियों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण योजना व आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रशिक्षण केन्द्र के प्रारम्भ होने के पहले ही केन्द्र के निमित्त हजारों की राशि व्यय की जा रही है, यदि प्रशिक्षण देने हेतु किसी की नियुक्ति हुई है, तो कृपया आदेशों की प्रति व व्यय करने की स्वीकृतियों के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि प्रशिक्षणार्थियों का चयन हो चुका है, तो कृपया नामों की सूची सदन की मेज पर रखें। इसमें क्या कोई पिछड़ी जातियों के प्रशिक्षणार्थी भी हैं ?

(4) क्या प्रशिक्षण देने वाला नव-नियुक्त व्यक्ति प्रशिक्षण देने के नाम पर केन्द्र को अपना निजी आवास बनाने की अनाधिकृत चेष्टा तो नहीं कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना से सम्बन्धित सामग्री/कार्यक्रम व राज्यादेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रशिक्षण केन्द्र को संचालित करने हेतु फिलहाल आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 1–12–83 से 31–3–84 तक के व्यय के लिये मात्र 10,000/–रुपये की राशि प्रधान कार्यालय के निधि बजट से निम्न प्रकार स्वीकृत की गई है।

संवेतन—	2400–00
यात्रा व्यय—	1000–00
विविध व्यय	6600–00
	10000–00

इसके अतिरिक्त 3000/–रु. की राशि प्रधान कार्यालय के निधि बजट से प्रशिक्षण केन्द्र में विजली उपकरणों हेतु भी स्वीकृत की गई है।

प्रशिक्षण देने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्य प्रशिक्षक पद पर श्री भंवरलाल श्रीमाली भूतपूर्व सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर (सेवा निवृत आर. ए. एस अधिकारी) को नियुक्ति कोन्ट्रेक्ट बेसिस पर मंदिरों को निधि से देय 800/–रु.

MLC

(देवस्थान राज्य मन्त्री)

प्रति माह के वेतन पर की गई है। नियुक्ति आदेश की प्रति व स्वीकृत की गई राशि के आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) प्रशिक्षण कार्य को तीस-तीस कर्मचारियों के विभिन्न बैचों में सम्पादित किया जावेगा। प्रथम बेच के चयनित प्रशिक्षणार्थियों की सूची संलग्न है राजकीय मंदिरों की पूजा का कार्य सम्बन्धित सम्प्रदाय के सेवा पूजा पद्धति के जानकार व्यक्ति से ही लिया जाता है। वर्तमान में पिछड़ी जाति का पुजारी राजकीय मंदिरों में नियुक्त नहीं है।

(4) जी नहीं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

जयपुर व सीकर से डीलक्स बस सेवा

976. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जयपुर से बीकानेर व पिलानी के लिये डीलक्स बस तथा सीकर से दिल्ली के लिये दिन में डीलक्स बस चलाना विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। जयपुर से बीकानेर व पिलानी के लिए तथा सीकर से दिल्ली के बीच डीलक्स बसों हेतु वांछित सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं है। अतः वर्तमान में इन मार्गों पर डीलक्स बसों का संचालन किया जाना विचाराधीन नहीं है।

राज्य में राष्ट्रीयकृत मार्ग

978. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अब तक कौन कौन से मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है तथा उन मार्गों पर वर्तमान में कितनी-कितनी बसें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एवं कितनी-कितनी अनुबंधित चलायी जा रही हैं? कृपया सूचना सदन के पटल पर रखें।

(2) अब कौन-कौनसे मार्गों का राष्ट्रीयकरण करना प्रस्तावित है तथा ऐसे कितने मार्ग हैं जो राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिये हैं लेकिन बसें नहीं चलाई जा रही हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान में अब तक राष्ट्रीयकृत किये गये मार्गों के नाम एवं उन पर चलाई जा रही परिवहन निगम की स्वयं की तथा अनुबन्धित बस सेवाओं की संख्या दर्शाते हुए सूची परिशिष्ठ "अ" व "ब" पर संलग्न प्रेषित है।

(2) वर्तमान में राष्ट्रीयकरण हेतु प्रस्तावित मार्गों की सूची परिशिष्ठ "स" व "द" पर संलग्न प्रेषित है।

(यातायात राज्य मन्त्री)

वर्तमान में एक ही ऐसा मार्ग है (डग-पिडावा वाया नन्दपुर) जिसका सम्पूर्ण भाग कच्चा एवं वाहन संचालन योग्य न होने के कारण उस पर निगम की बसें संचालित नहीं की जा रही हैं। इसके अलावा निम्न मार्ग ऐसे हैं जिनके कुछ भाग कच्चे व संचालन योग्य न होने के कारण उन मार्गों पर बसें नहीं चल रही हैं :—

मार्ग	असंचालन योग्य भाग
(1) जयपुर-प्रतापगढ़ वाया अचरोल-ताला-गठवाड़ी	ताला से गठवाड़ी-प्रतापगढ़ तक
(2) भवानीमण्डी-सोजत वाया पगारिया-आवर-पिडावा	आवर से पिडावा तक
(3) इकलेरा-दहीखेड़ा–परवाड़ वाया अरनिया-खानपुर	खानपुर से दहीखेड़ा-परवाड तक

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

झालावाड़ में अनुसूचित जाति के लोगों को उचित दर की दुकानों के परमिट

979. श्री बालचंद्र आर्य (डग) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कितने लोगों को उचित दर की दुकानों के परमिट प्राप्त हैं ? कृपया नामजद सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) चालू वर्ष में अन्य कितने लोगों को परमिट देने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वित्तीय वर्ष 83-84 में झालावाड़ जिले में 6 ग्रामीण क्षेत्र एवं 1 शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो पूर्ण हो चुका है जिसमें एक प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री राजेन्द्र कुमार, कालूराम जाटव, खानपुर का आया था जिन्हें दुकान आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 84-85 में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

भरतपुर के किले व नहर का जीर्णोद्धार

980. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या पुरातत्व राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर का किला और उसके चारों ओर की नहर भारत सरकार द्वारा संरक्षित और पुरातत्व महत्व की इकाइयां घोषित की गई हैं।

(श्री राजबहादुर)

(2) क्या आर्कोलोजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया द्वारा लगभग 14 माह पूर्व राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र द्वारा भारत सरकार के इस निर्णय से अवगत कराया गया है कि भरतपुर के किले की दीवार तथा सुजान गंगा नहर के पुस्ते आदि की मरम्मत व पुनर्निर्माण का कार्य राज्य सरकार द्वारा करवा लिया जावे तथा इस कार्य पर आने वाले वास्तविक खर्च का भुगतान आर्कोलोजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा ?

(3) यदि आर्कोलोजिकल सर्वे ग्राफ इण्डिया द्वारा राज्य सरकार को उक्त आशय का पत्र प्राप्त हुआ, तो भरतपुर के किले व इसके चारों ओर की नहर की मरम्मत व जीर्णोद्वार हेतु राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अतिरिक्त सचिव से इस सम्बन्ध में प्राप्त किसी पत्र की प्रतियां दिनांक 20 जुलाई, 1982 से अब तक दो-तीन बार मुख्य मंत्री जी को भेजी गई हैं ? यदि हां, तो अब तक किले व इसके चारों ओर की नहर के पुस्तों व घाटों की मरम्मत व जीर्णोद्वार का कार्य न करवाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) भरतपुर किले की दीवारें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित घोषित हैं तथा भरतपुर किले की चारों ओर की नहर भी भारत सरकार के अधीन है।

(2) दिनांक 4 व 5 अप्रेल, 1983 को माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार, माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार व महानिदेशक, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार के मध्य नई दिल्ली में इस कार्य के विषय में विचार-विमर्श हुआ था एवं यह तय रहा कि किले की दीवार की मरम्मत का कार्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्वयं करायेगा, नहर की दीवार की मरम्मत व पुनः निर्माण का व्यय तो भारत सरकार वहन करेगी परन्तु निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जावेगा।

(3) पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार से हुए विचार-विमर्श के अनुरूप नहर की दीवार की मरम्मत व पुनः निर्माण हेतु रुपये 94.94 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 25-11-83 को जारी करदी गई है परन्तु वित्तीय वर्ष 83-84 हेतु निर्धारित राशि राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(4) दिनांक 25-11-1983 को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा नहर की दीवार की मरम्मत इत्यादि के लिए रुपये 94.94 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई परन्तु वित्तीय वर्ष 83-84 के लिए निर्धारित राशि अभी तक राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं करायी है। फिर भी उक्त स्वीकृति में शामिल नहर की दीवार की मरम्मत व

(पुरातत्व राज्य मन्त्री)

पुन: निर्माण के कार्य की निविदाएं अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड भरतपुर द्वारा प्राप्त करली गई है परन्तु आवश्यक राशि प्राप्त न होने के कारण कार्य आवटित नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार द्वारा नहर का पानी निकाले जाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया है और किले की दीवार की मरम्मत का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कराया जा रहा है तथा कार्य प्रगति पर है। इस दीवार का लगभग 200 क्यूबिक मीटर आर. आर. मैसेनरी कार्य हो चुका है। दो हजार स्क्वायर मीटर में पोइन्टिंग का कार्य भी किया जा चुका है। जहां तक 20 जुलाई, 1982 से किसी पत्र की प्रतियां दो तीन बार भेजे जाने का प्रश्न है, पत्र के ब्यौरे अथवा नम्बर व तिथि के बारे में स्पष्ट विवरण के अभाव में कोई जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट ही नहीं होता कि माननीय प्रश्नकर्त्ता का अभिप्राय किस पत्र से है। घाटों की मरम्मत का कार्य पानी निकल जाने व मोट वाल की मरम्मत के पश्चात ही संभव हो सकेगा।

राजस्थान मुख्य नहर पर पानी का नाप

981. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान मुख्य नहर व इसकी अन्य प्रणाली पर नहर हैड पर पानी का नाप किस प्रकार लिया जाता है तथा इसकी प्रमाणिकता किस आधार पर आंकी जाती है ?

(2) क्या राज्य सरकार नहर प्रणालियों के हैड पर आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र स्टेज रिकोर्डर, ए. पी. एम, परशियल फ्लमस लगाकर पानी के डिस्चार्ज की सही प्रमाणिकता ज्ञात करने का विचार करेगी जिससे अधिकारियों द्वारा गलत माप भेजने की प्रवृत्ति पर रोक लगा सके ?

(3) राजस्थान नहर की किस किस प्रणाली में आउट लेट पर विभाग द्वारा शोकेट लगा रखे हैं ? शोकेट किन कारणों से लगाये गये हैं ? क्या राज्य सरकार नियम विरुद्ध मोघों में लगे शोकेट हटाकर स्थाई व सही व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान मुख्य नहर एवं उसकी अन्य प्रणालियों के हैड पर पानी का नाप गेज मापक पट्टियों पर चल रहे पानी की गेज के आधार पर स्टैण्डर्ड हाइड्रोलिक फार्मूलों से किया जाता है। नहरों के हैडस का डिजाईन इन्हीं फार्मूलों के आधार पर किया जाता है। बड़ी नहरों के शीर्ष पर proport onate Distr butor, बनाये जाते हैं। इन हैडों में से प्रवाहित पानी की मात्रा हाईड्रोलिक सिद्धान्तों द्वारा स्वत प्रमाणित होती है।

(2) राजस्थान नहर प्रणाली को लघुतम ईकाई मोघा पर ए. पी. एम. आउटलेट लगाने का प्रावधान वर्ष 1984–

(राजस्थान नहर मन्त्री)

85 के प्रस्तावित कार्यक्रम में रखा गया है तथा आवश्यक बजट के उपलब्ध होने पर यह ए. पी. एम. लगा दिये जावेंगे। अधिकारियों द्वारा गलत माप भेजने की कोई प्रवृति नहीं है क्योंकि ऐसा करने से उपलब्ध जल का विभिन्न नहरों पर समुचित व न्याय संगत वितरण नहीं किया जा सकता इसके अलावा जैसा कि उत्तर संख्या एक में वर्णित है कि नहरों के हैडस में से स्वः प्रमाणित मात्रा ही प्रवाहित की जाती है।

(3) नहर प्रणाली में आउटलेट का डिजाइन चक के एरिया और आउटलेट पर उपलब्ध पानी के दवाब के हिसाब से किया जाता है। यह आउटलेट आर. सी. सी. अथवा एम. एस. पाइप के होते हैं जो कि 6 "9", 12 "15" के स्टेण्डर्ड व्यासों में ही उपलब्ध होते हैं। यदि किसी आउटलेट का साइज डिजाइन के मुताबिक इन स्टेण्डर्ड व्यासों के अतिरिक्त आती है तो उसमें शोकट लगा कर सही किया जाता है ताकि नहरों के समूचे क्षेत्र के पानी उपयुक्त मात्रा में पहुंचाया जा सके। मोघों में इन कारणों से शोकट लगाना अनुचित नहीं है। वर्ष 1984-85 के प्रस्तावित कार्यक्रम में ऐसे पाइपों को हटा कर मोघों पर ए. जी. एम. मशीनें लगाये जाने का कार्यक्रम है।

(स्थगित-प्रश्न)

(दिनांक 4 अप्रैल, 1984)

राजस्थान नहर पर हुई क्षति

575. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर (कच्ची चेनल) माह दिसम्बर, 1983 में आर. डी. 1276 व आर. डी. 1218 पर क्षतिग्रस्त हुई? यदि हाँ, तो उक्त क्षति कितनी दूरी में और कहां कहां हुई?

(2) उक्त क्षति के कारण कितनी अनुमानित हानि हुई?

(3) क्या उक्त क्षति के कारणों की जांच कराई गई? यदि हां, तो क्षति के कारणों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अस्थाई कच्ची वाटर सप्लाई चैनल माह दिसम्बर, 1983 में आर. डी. 1276 व 1218 पर क्रमशः 350 फुट व 300 फुट की लम्बाई में क्षतिग्रस्त हुई।

(2) लगभग 30 लाख रुपये।

(3) इन क्षतियों का अध्ययन किया जा रहा है।

व्यवस्था का प्रश्न

सीमा में दिये गये तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों का सूचीकरण

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : अभी विचारणीय विषय सदन के समक्ष है ही नहीं इसलिये पाइन्ट ऑफ आर्डर काहे का ?

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने व्यवस्था दे दी कोई विषय चल रहा हो और उसमें नियमों की या संविधान की अवहेलना हो रही हो, तो व्यवस्था का प्रश्न आता है।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं यही निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आवर्स के मुतल्लिक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह विचारणीय विषय है। मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। श्री मोदी, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 33 के अन्तर्गत प्रत्येक माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र के सम्बन्ध में अनुदान की मांगों पर, विचार किया जाय तो 60-60 तारांकित प्रश्न और अन्य सत्र में 20-20 तारांकित प्रश्न दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है लेकिन पूरे प्रश्न काल को देखते हुए आज तक पूरे सत्र में केवल कुछ ही माननीय सदस्यों को छोड़ कर बाकी माननीय सदस्यों के एक भी प्रश्न यहां पर नहीं आ पाया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा अधिकार है, हमारे अधिकारों की रक्षा करना आपके ही अधिकार में है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। बैठ जांय।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जांय; आसन पैरों पर है, बैठ जांय।

ऐसा है कि यह बात निर्विवाद है कि सभी माननीय सदस्यों को वाद-विवाद में हिस्सा लेने का, कई तरह के प्रश्न, प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है। लेकिन प्रश्न जो यहां पर छप कर के आते हैं उसके लिये एक प्रक्रिया निश्चित है। जितने प्रश्न दिये जाते हैं दस दिन के पश्चात् उन प्रश्नों को फिर छपाई के लिये भेजा जाता है। छपाई के लिये क्रम वह होता है जो लाटरी से निकाला जाता है जिसमें सभी माननीय सदस्यों को उसी तरह का अधिकार है जैसे अन्य अधिकार हैं। यह मैंने विवरण दिया। वह जाकर उस हिसाब से प्रश्न निकाल सकते हैं लाटरी के 7-7 रुपये सब देते है या दो रुपये का टिकट खरीदते हैं, 2, 4, 10, 20 का खरीदते होंगे। यह तो धर्म खाता है, न आप इसमें बैठ सकते हैं, न मैं इसमें बैठ सकता हूं। केवल एक अधिकार मेरे पास है और वह यह है कि किन्हीं माननीय सदस्य को यह शिकायत हो कि उनका प्रश्न आया नहीं, कोई आवश्यक प्रश्न हैं, तो उस को पूर्ववर्तिता देनी चाहिये।

(श्री अध्यक्ष)

इस स्थिति में अगर माननीय सदस्य आकर के कहते हैं तो मैं उनके प्रश्न के स्थान को बदल सकता हूं या उनके प्रश्न को ले सकता हूं। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें आप जानते हैं हमारा सदन 20 तारीख तक चलेगा, 20 तारीख तक के जो प्रश्न पत्र हैं वह भी मेरे ख्याल से चार दिन पहले छप चुके हैं, सूची निश्चित हो चुकी है। किसी ने बड़ा भोज किया हो और उसमें समाप्ति पर हो और बाद में जिसको कहते हैं, बस बधाई दी जा रही हो उस वक्त कोई माननीय सदस्य आये और कहे, साहब, मैं खाना खा नहीं सका। तो भई दोष किसका ? या तो उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की होगी या अवसर प्राप्त कर नहीं सके होंगे। शिकायत उन्होंने की नहीं। दूसरे, जनतंत्रवाद में अवसर है हर माननीय सदस्य को वाद विवाद में हिस्सा लेने का लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी प्रस्ताव सदन के समक्ष आये उसमें 200-200 माननीय सदस्य बोलें। ऐसे तो यह सदन चलना हो असंभव हो जायेगा। कार्यवाही सब खुली हैं, इसमें जैसा मैंने कल भी निवेदन किया था, जनतांत्रिक प्रणाली है, यह एक पंचायती प्रणाली है इसकी सब कार्यवाहियां खुली हैं। इसमें सभी जिनकी इच्छा हो, सज्जन 11 से 5 बजे के बीच विराज सकते हैं। लेकिन गांव के सब लोग बैठते हैं तो सभी पंचायत नहीं करते, 2-4 लोग कह देते हैं कि साहब यह मामला है, यह ठीक ही प्रतीत होता है, तो इसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिये माननीय सदस्य यह फर्मायें कि हम में से बहुत से बोले नहीं, तो सब बोलने लग जायेंगे तो फिर सदन की कार्यवाही चल नहीं सकती। उसके बाद भी यदि माननीय सदस्य का कोई प्रश्न है, तो आप कल मिले भी थे, मेरे सामने वह प्रश्न ले आयें। मैं अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं लेकिन इसमें भी कई टंटे हैं उस दिन जिस मंत्री से सम्बन्धित प्रश्न है उन मंत्री जी का दिन है या नहीं, वह प्रश्न ग्राह्य है या नहीं। कई तरह के सवाल आते हैं। फिर भी आपका कोई प्रश्न नहीं आया तो मैं यही कह सकता हूं कि नहीं आया, अफसोस की बात है। आप पहले सतर्क····

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : व्यवस्था में थोडा सा परिवर्तन तो आप कर ही सकते हैं। यह तो आपके अधिकार में है।

श्री अध्यक्ष : खाना पूरा बन गया उसके बाद में मीनू में परिवर्तन कैसे हो····

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, आगे तो हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

ऐसा है, जनतांत्रिक प्रणाली किसी एक व्यक्ति की बनाई हुई नहीं है। यह एक प्रक्रिया से शताब्दियों में, हमारे देश में कोई दस शताब्दी के अनुभवों के आधार पर बनी हैं। ओछी कंबली है, सिर ढकते हैं तो पैर उघड़ जाते हैं, पैर ढकते है तो सिर उघड़ जाता है। ऐसा कोई नियम भी नहीं हो सकता कि जो सब के लिये सर्व जन हिताय

(श्री अध्यक्ष)

हो प्रयत्न यह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों का हो सके। और अवसर सब को है, जैसे चुनाव लड़ने का अवसर सब जनता को है लेकिन बहुत थोड़े चुनाव में खड़े होते हैं और जो खड़े होते हैं वे सब आते नहीं, जीवन पर्यन्त कोशिश करते हैं फिर भी चुनाव नहीं जीतते। लेकिन अवसर सब को है, नागरिक अधिकार है। इसी तरह से माननीय सदस्यों को विशेष अधिकार है....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। आसन पैरों पर है। बैठ जांय।

फिर भी आप यह प्रश्न यहां उठाने के बजाय मेरे से मिलें, प्रश्न साथ लायें, यदि वह कहां एड जस्ट हो सकता हो, मन्त्री जी उस दिन उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हों, उनको कोई असुविधा न हो, तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपका प्रश्न आये। लेकिन आप मेरे पर यह दोष डालना चाहें कि इस सत्र में बोले नहीं। तो कई माननीय सदस्य ऐसे होते हैं उनको बड़ी प्रतिष्ठा की नजरों से देखा जाता है। वे 3-4 साल में एक बार बोलते हैं। यह मैं आपको बता दूं। इसलिये सब के लिये कार्यवाही खुली है। जो विषय सामने रख दिए जाते हैं उन पर कुछ माननीय सदस्य बोल लेते हैं। बाद में मौखिक पूछ लेते हैं, भाई, इसमें आपका मत क्या है। मत लेकर के उसको आपके सामने रख देते हैं....

(व्यवधान)

अब इस पर बहस नहीं होगी, माननीय सदस्य, कृपया। आर्डर प्लीज। मैंने आपको निवेदन कर दिया।

श्री मोहनलाल मोदी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक पूरे सत्र के अन्दर चन्द माननीय सदस्यों के तो नित्य प्रतिदिन प्रश्न आ जांय।

श्री अध्यक्ष : नित्य प्रतिदिन आयेंगे, जो सजग रहेंगे उनके नित्य प्रतिदिन आयेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, अगर यह सजग हों, तो हमको बता दीजिये, सजगता किस तरह होती है।

श्री अध्यक्ष : उन लोगों के लिए है जो अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। उनकी कानून भी मदद करता है।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जाय, माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जांय, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर। अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो। आर्डर आर्डर। बैठ जाय, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो फर्माया उससे न्याय की पूजा आज रही कहां। एक ओर तो आप फर्मा रहे हैं कि यहां पर लॉटरी सिस्टम से निकलते है, दूसरी ओर सजगता की बात कर रहे हैं। तो साहब, यह न्याय कहां है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अध्यक्षीय व्यवस्था पर चर्चा नहीं होगी। बैठ जाय, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, टिप्पणी नहीं हम तो निवेदन करना चाह रहे हैं। इस व्यवस्था पर आप पुर्नविचार करें। सारे माननीय सदस्यों को समान अधिकार मिलें, अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : आपसे निवेदन कर दिया, आप प्रश्न ले आवें मैं देख लूंगा।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायं।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर**—कोटा स्थित हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ गोदावरी धाम में गटर का पानी भरने के विषय में,

(2) **श्री हरीश शर्मा**—स्वरोजगार योजना के तहत जिन व्यक्तियों ने बैंकों से ऋण प्राप्त किया है उन्हें स्थानीय निकायों से आवश्यक भू-खण्ड, केबिन आदि बनाने की सुविधाएं उपलब्ध न होने के विषय में,

(3) **श्री रामकवांर बैरवा**—गत 8 रोज से फागी में बिजली की व्यवस्था अस्त-व्यवस्त होने के विषय में,

(4) **श्री हंसराज शर्मा**—गत 12 अप्रेल को सवाई माधोपुर कॉलेज में एक लेक्चरार की पिटाई के कारण छात्रों में रोष के विषय में,

(5) **श्री भगवानदास शास्त्री**—अजमेर नगर में पेयजल के संकट के विषय में,

(6) **सर्वश्री हीरालाल आर्य, छीतरलाल आर्य, दाऊदयाल जोशी, श्रीमती उजला**

अरोड़ा, श्री अनंगकुमार जैन—बूंदी जिले में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की धानमण्डी शाखा के मैनेजर को आगामी 19 अप्रेल को 11 लाख रुपये की व्यवस्था करने के विषय में एक धमकी भरा पत्र मिलने के विषय में,

(7) बंशीलाल पटवा—भीलवाड़ा नगर में बिजली की व्यवस्था एक सप्ताह से बन्द होने के विषय में,

(8) श्री महावीर प्रसाद—ग्राम पंचायत सोरण, जिला टोंक में एक नयी बस्ती में बसाये गये 70 हरिजन परिवारों के लिये पेयजल, शिक्षा, रोशनी आदि की व्यवस्था न होने के विषय में,

(9) श्री हाजी चाव खां—तहसील कॉमां, जिला-भरतपुर में खनिज के मामलों में भ्रष्टाचार के विषय में,

(10) श्री देवीसिंह भाटी—सांगरिया, जिला गंगानगर के औद्योगिक क्षेत्र में आबादी के बीच सिनेमा घर का निर्माण होने से जनता में असंतोष के विषय में,

(11) श्रीमती विद्या पाठक—जयपुर शहर में साइकिल रिक्शाओं की हालत ठीक न होने के विषय में,

(12) श्री रामकिशोर मीणा—ग्राम महुआ, जिला अजमेर में आंगनबाडी योजना के तहत संचालित पोषाहार कार्यक्रम में घटिया किस्म की सामग्री वितरित करने के विषय में,

(13) श्री कैलाश मेघवाल—ग्राम-भूमाबड़ा, तहसील-लक्ष्मणगढ़, जिला-सीकर में एक मेघवाल युवती से बलात्कार की घटना के विषय में,

(14) श्री मेघराज तावड़ व श्री त्रिलोक सिंह—गत 14 मार्च को गांधी नगर, जयपुर निवासी श्री गोयल को लापता करने की घटना के विषय में,

(15) श्री गुलाबचन्द कटारिया—सिरोही जिले में कक्षा 8 की आगामी 19 अप्रेल को होने वाली गणित की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो जाने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार के पास भेजा जा रहा है। मैं इन्हें अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(16) श्री घनश्याम तिवाड़ी व सुश्री पुष्पा जैन—कल दिनॉक 17-4-84 को सदन के कुछ सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं और इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

पूर्व में प्राप्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है—

(1) सर्वश्री बालचन्द आर्यवीर, अनंगकुमार जैन, हीरालाल आर्य, छीतरलाल आर्य, हरीश शर्मा—गत 2 अक्टूबर को पुन्दला ग्राम, पंचायत तहसील-मेडता निवासी श्री मांगुराम की हत्या।

(श्री अध्यक्ष)

सरकार ने सूचित किया है कि अन्वेषण में स्थानीय विधायक का नाम प्रथम सूचना में दलगत भावना से लिखवाना पाया गया और कुछ अन्य अभियुक्तों का कोर्ट में चालान कर दिया गया है।

(2) श्रीमती उजला अरोड़ा जयपुर स्थित जवाहर नगर नाले में एक स्कूटर के गिर जाने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कालोनियों का रख रखाव नगर परिषद द्वारा किया जायेगा, उक्त नाले को ठीक करने की व्यवस्था की जा रही है।

(3) श्रीमती उजला अरोड़ा–जयपुर स्थित चौकड़ी गंगापोल में दीवार को तोड़कर एक दरवाजा निकालने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों ने अपने कच्चे मकान बना रखे हैं जिन्हें हटाने के लिये नगर परिषद को लिखा जा रहा है।

(4) **श्री छीतरलाल आर्य**–ग्राम-हीकड, तहसील-अटरू जिला कोटा के एस. एच. ओ. बांरा द्वारा एक कुम्हार युवती को पकड़ ले जाने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि एक नामजद रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीयन किया गया था और बरामदगी के समय उक्त महिला के साथ उसके पिता भी थे बयानों के बाद वह अपनी इच्छा से अपने पिता व भाई के साथ रह रही है।

(5) **श्री देवीसिंह भाटी**–राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र की तहसील कोलायत नम्बर 1, 2, 3, 4 में किसानों पर गलत तावान लगाकर लगाकर जबरन वसूली के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि काबिज भूमि के संबंध में कुर्की या वसूली का कोई निर्देश नहीं दिया गया है, केवल अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है जो कि राज्य एवं भूमिहीन काश्तकारों के हित में है।

(6) **श्री बंशीलाल पटवा**–भीलवाड़ा सहकारी होलसेल भण्डार के कुछ कर्मचारियों को निलम्बन की अवधि का मुगतान न करना।

सरकार ने सूचित किया है कि दो कर्मचारियों को 31 मार्च तक का भुगतान कर दिया गया है और भण्डार द्वारा सिंगल बैंच के निर्णय के विरुद्ध डबल बैंच में अपील की कार्यवाही की गई है। निलम्बित कर्मचारी से गबन की राशि वसूल कर ली गई है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य जानते हैं कि जो कार्य सलाहकार समिति ने सत्र का समय रखा था, उसके अनुसार परसों का दिन है, वह अंतिम दिन होगा। क्योंकि बहुत से प्रस्ताव प्रति दिन माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की है कि इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा और वह अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। इसलिए माननीय सदस्यों को

(श्री अध्यक्ष)

यह अधिकार होगा कि दो-दो मिनट में अपनी बात कहें। इसी तरह से अब शेष दो दिन और आज के भी कई तरह के वक्तव्य आदि रखे हैं। जो भी माननीय सदस्यों ने काफी संख्या में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव दिये थे उनमें से दृष्टि में उपयोगी थे इसलिए प्रति दिन मैंने 3-4 इस तरह के वक्तव्य रखें हैं और आज के दिन भी ध्यान आकर्षण प्रस्तावों की संख्या तीन है। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न पर आधे घन्टे घन्टे की चर्चा है, साढ़े चार बजे मुख बंद का प्रयोग किया जायेगा। तो यह सब कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि आज समय का अभाव होगा इसलिए माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे समय की बचत करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख बन्द का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : जैसी भी परिस्थियां होंगी पहले तो मैं प्रयत्न यही करूंगा कि साढ़े चार बजे मुख बंद का प्रयोग कर दिया जाय लेकिन उसके बाद में यदि माननीय सदस्य, जो वाद विवाद में हिस्सा लेना चाहते हैं, संख्या अधिक होती है तो समय आने पर उस पर विचार किया जायेगा।

लेकिन पहले ही बिना किसी जरूरत के, बिना कोई समय सीमा रखे चलेंगे, तो कोई सीमा नहीं रहेगी और समय पर कार्य संचालन नहीं होगा।

अब जिन माननीय सदस्यों के आज स्थगन प्रस्ताव आये हैं, जिनको मैंने, राज्य सरकार के पास कार्यवाही हेतु भेजा है, इस कारण अस्वीकार कर दिया है उन पर माननीय सदस्य दो दो मिनट बोलने की कृपा करें। क्योंकि इस तरह के प्रस्तावों की संख्या काफी अधिक है इसलिये मैं यह मानकर चलता हूं कि माननीय सदस्य समय का पूरा ध्यान रखेंगे।

कुमारी पुष्पा जैन (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री कैलाश मेघवाल : (अजमेर पूर्व) पाईन्ट आफ आॅर्डर।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेडा) : पाइन्ट आफ आॅर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : पिछले कई दिनों से

श्री अध्यक्ष : पाइंट आॅफ आॅर्डर है, तो कृपया एक माननीय सदस्य कहें। पाइन्ट आफ आॅर्डर ही होना चाहिए—

श्री भूपाल सिंह : बिल्कुल पाइन्ट आफ आर्डर की सीमा का ही है—

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर। पहले इनको इजाजत दी है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जिस पृष्ठभूमि में व्यवस्था दी है उसको तो मैं शिरोधार्य करता हूं। अब आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर जो व्यवस्था दी

(56)

(श्री कैलाश मेघवाल)

है उस पर पुनर्विचार किया जाय, पुनर्विचार इसलिये किया जाय, माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ दो महीने से विधान सभा चल रही है और हरिजनों के ऊपर आंतक का इससे गम्भीर कोई मसला आज तक विधान सभा में नहीं आया। आप इसकी गम्भीरता को देखिये। एक मेघवाल युवती के....

श्री अध्यक्ष : इसमें कोशिश करेंगे कि सरकार की ओर से उत्तर जल्दी आ जाये। मेरी व्यवस्था वापस ली गयी। मैं यह व्यवस्था देता हूँ कि....

श्री कैलाश मेघवाल : बराबर हरिजन महिलाओं के साथ....

श्री अध्यक्ष : अब मैंने आपकी बात मान ली। मैंने व्यवस्था बदल दी है। मैं जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करूंगा।

श्री भूपाल सिंह : अर्ज करना यह है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर 72 प्रतिशत लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। उसके लिये स्थगन प्रस्ताव दिया है --

श्री अध्यक्ष : कब दिया ?

श्री भूपालसिंह--एक सप्ताह हो गया। वह राज्य सरकार की जानकारी के लिये भेजा है। मेरा प्रस्ताव यह था गेंहू की निकासी बंद कर रखी है राज्य सरकार ने जिससे किसानों को 100/125 रूपया क्विंटल का फर्क पड़ता है। 100 के बजाय 60 प्रतिशत पैसा मिलता है। उसने सर्दी में खड़े रहकर रात को पानी पिलाया है, महंगा खाद दिया है, महंगा बीज दिया है। उसको बाद में खोलेंगे तो सारा अनाज सेठों के पास चला जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको पहले भी आश्वासन दिया था, इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था कराऊंगा।

श्री भूपाल सिंह : सरकार से जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा अर्ज करना यह है कि आवश्यकता ही नहीं है, किसी डिपार्टमेंट से तो पूछना नहीं है। अकाल तो है नहीं --

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : मेरा निवेदन है कि पिछले 10 रोज से 10--12 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में --

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वर्तमान में चर्चा नहीं होगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वह आये हैं जो बहुत पहले दिये हुए हैं। यह प्रस्ताव के बारे में है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये कुछ नहीं कर सकता, तत्काल।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) अध्यक्ष : महोदय, मेरे इलाके में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर, गोदावरी प्रोजेक्ट के बारे में—

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर व्यवस्था दे दी है। अंकित न हो। आर्डर। बैठ जायें।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बैठ जायें, माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : समय न लें व्यर्थ में।

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जायें।

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : ×××
करता हूँ आपको....

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करता हूं आपको....

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया सदन से....

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। बैठ जायें।

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया सदन से....

श्री हंसराज शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें। इस तरह से अवहेलना नहीं हो। मैंने कह दिया कि कितने प्रस्ताव हैं जिनका जवाब आ गया है, सब एक दिन में अस्वीकार कर दूं तो सब पर वक्तव्य नहीं हो सकता, सब पर बोल नहीं सकते।

जिन का जवाब आ गया है, जवाब आने के बाद अस्वीकार करके सब को सूचना दे दी....

श्री हंसराज शर्मा : मैं तो निवेदन करूं....

श्री अध्यक्ष : अब मैं इस तरह का....

श्री हंसराज शर्मा : आप सुन लें मैं अंकित के लिये नहीं कह रहा हूँ मैं तो यह चाहता हूँ कि जिनको जानकारी के लिये भेजा जाय उनकी जानकारी लिखित में मिल जाय तो सन्तोष हो जायेगा कि उन पर कार्यवाही हुई है, हो रही है। नहीं तो हमारे यहां प्रस्ताव देने का क्या फायदा है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसी पूर्व में कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री हंसराज शर्मा : हमारा यहां प्रस्ताव देने का फिर कोई फायदा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जायें।

श्री हंसराज शर्मा : ऐसा कर दें कि एक महीने में, बीस दिन में हमारे पास उत्तर आ जायेगा।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : सभी प्रस्तावों का आना जरूरी नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री हंसराज शर्मा : सरकार प्रस्ताव का जवाब देना नहीं चाहती है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हंसराज शर्मा : सरकार जान बूझकर जवाब देना नहीं चाहती।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले भी इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था। इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि इसी सत्र में जवाब आ जायेगा....

श्री अध्यक्ष : जवाब मंगाने का प्रयास कर रहा था और आपने पुनः दे दिया है आज यह होने के बाद इस विषय पर चर्चा समाप्त हो जायेगी। मैंने कोशिश की थी इस का जवाब मंगवाने की। आज 10 बजे तक के लिये ताकीद की थी लेकिन आपको धैर्य नहीं रहा....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : बड़ा अहम प्रश्न है कोटा जिले का।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। अंकित न हो। माननीय सदस्य, कृपया।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, बैठ जायं। अंकित न हो, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। समय न लें। नहीं, तो मैं सभी व्यवस्थायें रद्द करके अगला कार्य लूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

आपने यहां पर प्रस्ताव दिया है उस पर कोशिश कर रहा हूँ कि अन्य माननीय सदस्य भी बोलें। आपको इतना धैर्य नहीं था, पुनः दे दिया। तो आज उसे अस्वीकार करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था। मैंने उनको समय दिया है जवाब देने के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : ठीक है, जवाब मंगा लें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री हरीश शर्मा। स्व-रोजगार योजना के तहत बैंकों से ऋण के बारे में।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत बड़ा गम्भीर है। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने स्व रोजगार योजना चालू की थी उसका उद्देश्य यह था कि हायर सैकण्डरी या उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले लेकिन इस योजना का काम ठप्प पड़ा हुआ है। भाई भतीजावाद के कारण पार्टी के मैम्बर और जो उनके हीं पढ़े लिखे लोग थे उनको ऋण दिया है। उन्होंने इस प्रकार से ऋण लिया है। राज्य सरकार ने ऑर्डर निकाला है, पढ़कर सुनाता हूं। पत्र क्रमांक है, एफ-173/उ. नि/जीः उ क दिनांक 23-11-84। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके द्वारा आदेश दिया गया कि ऐसे ऋण प्राप्त करने वाले नवयुवकों को यू. आई. टी., नगर पालिका, नगरपरिषद् द्वारा थड़ी, भूखण्ड स्थान, केबिन आदि उपलब्ध कराकर उनको रोजगार करने की व्यवस्था दी जाय। अध्यक्ष महोदय, इस रोजगार योजना का बिलकुल डब्बा बैठ गया है, बिल्कुल ही धोखाधड़ी है। बेरोजगार लोगों में आक्रोश पैदा करने के लिये जानबूझकर यह किया गया है। इसको ठीक ढंग से लागू किया जाय तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। जो कुछ हो रहा है वह यह हो रहा है कि इन बेरोजगारों से रुपया लेकर लोन दे रहे हैं। उनको लिया हुआ रुपया लौटाया जाय। अध्यक्ष महोदय, उनसे अधिकारी बार-बार चक्कर कटाता रहता है। बेरोजगार लोगों में आक्रोश पैदा कर रहे हैं जान बूझकर। अगर सुचारू रूप से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। तो लेकिन इस योजना के पीछे यह हो रहा है कि बैंक वाले उन बेरोजगारों से रुपया ले लेकर ऋण दे रहे हैं। यह उनको वापस कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हो रहा है, बड़ी दुकानें, स्थान वे देंगे तो फिर अब तक एक को भी क्यों नहीं दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो मुझे उदाहरण दे दें एक भी बेरोजगार को ऋण नहीं मिला। ये सब धोखा है, फर्जी हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर बात यह है कि ये गुमराह कर रहे हैं केवल चन्द वोटों की खातिर। लेकिन उनकी समझ में आ गया कि यह हमारे साथ धोखा है। वे कहीं नहीं जायेंगे अब।

श्री अध्यक्ष : श्री राम कंवार बैरवा फागी में बिजली सप्लाई में अव्यवस्था।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : पिछले 8-10 दिन से बिजली नहीं जा रही है। कभी जाती भी है तो कभी लाइट फ्यूज हो जाती है। इसका कारण है, 10 अप्रेल को मेरे लड़के की शादी थी और उसमें बाबू जगजीवन रामजी आये थे। तो ज्योंहि वे वहां पहुंचे बत्ती बन्द हो गयी। तभी से गड़बड बराबर आज तक चल रही है। चीफ इंजीनियर, एक्स. ई. एन. सबको हम टेलीफोन कर चुके हैं। हां हां करते हैं लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हुआ है। कल वहां के सरपंच साहब का मेरे पास तार आया कि बराबर दस रोज से इस प्रकार की अव्यवस्था चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, आप इसका पता लगायें

(श्री राम कंवार बैरवा)

कि क्या यह राजनैतिक कारण है, यह मामला क्या है जो कोई असर नहीं हो रहा है इस बात का। वहां शादी ब्याह का अवसर है, सब लोग इस वक्त बड़ी तकलीफ में हैं। मुझे सरपंच साहब ने कल तार दिया है। वहां की व्यवस्था को ठीक करवायें और जिन्होंने ये गडबडियां की हैं चाहे कोई कर्मचारी स्तर पर हुई है या ऊंचे स्तर हुई है उसका पता लगा करके इसका समाधान करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा। कॉलिज पर लेक्चरार की पिटाई के संबंध।

(अनुपस्थित)

श्री भगवान दास शास्त्री स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर तलमंडी शाखा के मैनेजर से 11 लाख रूपये मांगना। कई माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं इस पर। कोई एक माननीय सदस्य इस संबंध में कह सकते हैं। जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिये हैं उनके नाम हैं सर्व श्री हीरालाल आर्य, छीतर लाल आर्य, दाऊदयाल जोशी, श्रीमती उजला अरोड़, श्री अनंग कुमार। सिर्फ एक माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैं एक को इजाजत दूंगा माननीय सदस्य, मैंने पूर्व में ही व्यवस्था दी है।

श्री हीरालाल आर्य : बैंक को लूटे जाने की घटना है....

श्री अध्यक्ष : अब आप लम्बी चौड़ी भूमिका तो इसमें बनाइये नहीं। यह जो मामला है इस शाखा के प्रबन्धक को धमकी दी है उसके बारे में अब आप भूमिका बांधेंगे कि इतना लूट लिया, इतने कत्ल किये। ये अलग बातें है, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लूट पाट और बैंक डकैतियों की जो घटना आये दिन होती रहती हैं इससे राजस्थान का वातावरण आतंकित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, ये सब आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है। इससे वातावरण और भी भयाक्रांत आतंकमय हो गया है। बूंदी में पहले भी बैंक में डकैती पड़ चुकी है अध्यक्ष महोदय, फिर डकैतों ने बैंक मैनेजर को लिखा कि 19 अप्रेल को 11 लाख रुपये की व्यवस्था कर लें अन्यथा उनके परिवार को, खुद उन को समाप्त कर दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, ज्योंहि यह पत्र डाक से उनके पास पहुंचा तो पूरे बैंक में तो आतंक फैल ही गया, डर फैल ही गया, पूरे जिले में और जिले के साथ-साथ पूरे प्रांत में भी इस तरह का भय और आतंक व्याप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय, साथ ही उस पत्र में जिस सिख युवक के हस्ताक्षर हैं उसने यह लिखा है कि हम संत भिंडरवाला के व्यक्ति हैं। इस तरह के पत्र से वहां का वातावरण आतंकमय हो रहा है। बावजूद इसके कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और इस तरह की घटनाएं बाद में नहीं हों, ऐसी घटनाओं में जो इन्वाल्व्ड थे उनको पकड़ने में या उनका सुराग प्राप्त करने में राजस्थान का पुलिस विभाग असफल रहा है। अध्यक्ष महोदय, बावजूद सारी पुलिस की बन्दोबस्ती के, बावजूद इसके कि वहां पर व्यवस्था के लिए टुकड़ी लगी हुई है वहां

(श्री हीरालाल आर्य)

पर अपराध शाखा और दूसरी शाखाओं के महा निरीक्षक आदि पुलिस की पूरी सतर्कता के आतंकवादियों ने फिर बैंक में यह नोटिस दिया है। पुलिस का कितना उनको भय है, पुलिस की कितनी सतर्कता है उस पर इससे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस का किसी को भी कोई डर नहीं है क्योंकि पुलिस कुछ कर नहीं पाती, यद्यपि वह बराबर....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : दुर्घटनाएं, घटनाएं हुई हैं उसके अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पायी। पहले जो बैंक डकैतियां हुई उसमें पकड़ नहीं पाये फिर यह धमकी मिली है जिससे एक बूंदी जिला ही नहीं पूरा कोटा संभाग और राजस्थान प्रांत की जनता आतंकित है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं बार-बार नहीं हों और जो भय और आतंक फैला हुआ है उसमें कमी आये इसके लिये पुलिस को आप विशेष सतर्क कीजिये। यद्यपि ये सतर्क होने वाले नहीं हैं इनकी विफलता, कायरता की वजह से यह सब हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि पुलिस में दम नहीं है तो राजस्थान के पुलिस विभाग को समाप्त कर दें। राजस्थान की जनता अपने बलबूते पर इन आतंकवादियों से निपट लेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री वंशीलाल पटवा। बिजली की अव्यवस्था।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) **:** मैं एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा, उसमें सारी बातें कह दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कोटा डिवीजन के अन्दर लगातार युवकों के जो कीर्तिमान हो रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वहीं के लिये नहीं कोटा जिले या कोटा डिवीजन के लिये ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे प्रांत के लिये एक चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, 20 मार्च को मोहनखेड़ा के अन्दर ऐसे ही युवकों ने, उग्रवादियों ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, चार जनों की हत्या कर दी। उसका आज तक पुलिस कोई पता नहीं लगा पायी। इसके बाद 24 मार्च को रंगपुरा रोड पर सोनिया नाम की बच्ची की हत्या कर दी गयी उसका आज तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पायी है। फिर, अध्यक्ष महोदय, चार अप्रैल को बूंदी में बैंक डकैती हुई, जो डकैत थे वे एक लाख रुपये ..

श्री अध्यक्ष : इसके संबंध में चर्चा हो चुकी है पूर्व में सदन में। नये तथ्य हों, तो बतायें, माननीय सदस्य।

श्री छीतरलाल आर्य : बूंदी फैजाबाद मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक....

श्री अध्यक्ष : वह हो चुकी है, जानकारी है।

श्री छीतरलाल आर्य : उसके ऊपर शनिवार को एम. एल. गर्ग, जो एक मैनेजर हैं, को एक चिट्ठी मिली है। उसके ऊपर उग्रवादियों मतलब सिख महेन्द्र सिंह का साइन है, उस चिट्ठी के एक कोने पर, एम. एल. गर्ग नाम के दोनों तरफ पिस्तौल का चित्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें धमकी दी गयी है कि आप 19 मार्च को 11 लाख रुपये....

श्री अध्यक्ष : 19 मार्च तो निकल गया।

श्री छीतरलाल आर्य : 19 अप्रेल को 11 लाख रुपये रख जायं वरना आपको और आपके परिवार को,.... माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की धमकी दिये जाने से सारे कोटा जिले के अन्दर लोग उग्रवादियों से आतंकित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से इस बात का जवाब चाहूँगा कि सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाये जिससे कि राजस्थान की जनता और कोटा जिले की जनता, जो भय से आतंकित है, भय से मुक्त हो। उनकी सुरक्षा की जाय, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद। ग्राम पंचायत सोरन जिला टोंक में एक नयी बस्ती बसाये जाने के विषय में

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा था?

श्री अध्यक्ष : हां, श्री वंशीलाल पटवा मैंने हां कर दी, बीच में दूसरे माननीय सदस्य बोल गये इसलिये मैं समझा बोल लिये। आप श्री वंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव आपने निरस्त कर दिये एक तो होलसेल भंडार के बारे में और दूसरा बिजली अव्यवस्था के बारे में। दोनों पर एक ही साथ बोल लूं?

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर में पिछले एक सप्ताह से बिजली की व्यवस्था पूर्ण रूप से टूट चुकी है। घण्टे दो घण्टे दिन में आती है, घण्टे-दो घण्टे रात्रि को आती है। ऐसी दयनीय स्थिति हो गयी है कि रात्रि को दुकानें नहीं खुलतीं। इस बिजली का प्रभाव व्यापारियों पर, घरों में रहने वाले व्यक्ति हैं, उन पर पड़ा है। इसके साथ ही सबसे बड़ा प्रभाव जो बिजली का पड़ा है वह वाटर वर्क्स पर पड़ा है। वाटर वर्क्स वाली सीधी लाइन है लेकिन फिर भी इनको बिजली नहीं मिल पा रही है। इसके साथ साथ आजकल एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, परीक्षायें दे रहे हैं। रात्रि को अंधेरे में पढ़ नहीं सकते। बिजली की ऐसी दयनीय स्थिति है। निरन्तर रिप्रजेन्टेशन किये जा रहे हैं, कहा जा रहा है लेकिन बिजली की व्यवस्था एक सप्ताह से भीलवाड़ा नगर में टूट चुकी है। उसके बारे में कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा अहम् सवाल है, वह यह है कि बच्चों की पढ़ाई है। एग्जाम में उनका हर्जा होगा। दूसरे, पानी की सप्लाई गर्मी में नहीं होगी तो इस से त्राहि-त्राहि मचेगी, लोगों में

(श्री बंशीलाल पटवा)

असंतोष होगा, लोग आंदोलित होंगे। मेरा निवेदन आपके माध्यम से यह है कि आप इस प्रश्न को सीरियसली लें, सरकार को कम से कम कहें ताकि बिजली की व्यवस्था, चाहें कितनी भी अवधि तक दे सकें कोई निश्चित अवधि बता दें और कारण बता दें। ऐसी स्थिति में बिजली नहीं हुई, तो भीलवाड़ा में लोग आंदोलित होंगे, स्थिति खराब होगी, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव होल सेल भंडार के कर्मचारियों के बारे में है। सरकार ने जो उत्तर दिया, वह बिल्कुल मिथ्या उत्तर दिया है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं सारे पेपर्स लाया हूं। क्योंकि लम्बा बोलना तो अनुचित है इसलिए मैं आपको संक्षेप में यह अर्ज करना चाहता हूं। दो कर्मचारी हैं भूपालसिंह, लेखाकार और श्यामसिंह तोपनीवाल, लिपिक इनको, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं, होलसेल भन्डार के अन्दर इर्रेगुलरिटीज इतनी हैं, खरीद-फरोख्त में, कर्मचारियों के साथ सारी इर्रेगुलरिटीज बरतता रहता है। दोनों कर्मचारी 3-2-75 को निलंबित किये गये हैं। दयनीय स्थिति है। दुर्भावना होलसेल भण्डार के अधिकारियों की मैं आपको बताऊं, 3-2-75 को निलम्बित किये गये हैं, और 10-1-76 को आरोप पत्र दिया, जब कि निलम्बन के एक सप्ताह की अवधि में आरोप पत्र दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। इसके बाद इनको 22-6-77 को पृथक कर दिया गया है। इसके बाद कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट का निर्णय इनके पक्ष में हुआ और 10-8-82 को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जो डबल बेन्च को रिप्लाई दिया इन्होंने, डबल बेन्च में होलसेल भण्डार गया, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्टे लेने की कोशिश की इनका वेतन आदि नहीं देने के लिए। वहां भी स्टे नहीं मिला। उस उत्तर को सरकार दबा गयी। अब जो उत्तर दिया गया है कि मार्च तक का वेतन दिया गया है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सारा वेतन और उनके एरियर्स जोडकर 30 हजार पर-कर्मचारी होते हैं, लेकिन 7 हजार उन्होंने जमा करा दिया। सरकार ने इस तरह से गलत रिप्लाई दिया है, मैं समझता हूं, प्रिविलेज बनेगा। मेरा यह निवेदन है कि इस तरह से गलत रिप्लाई नहीं दिये जायें। होलसेल भण्डार में इर्रेगुलेरिटीज हो रही हैं, वह रुकनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन कर्मचारियों का वेतन है, 7 हजार जमा करा दिया, स्थगन देने के बाद यह पैसा जमा कराने के अन्दर, अधूरा देने के बजाय पूरा जमा करायें। जो भी इर्रेगुलरिटीज आये दिन होती हैं, कर्मचारियों के साथ ज्यादती होती है, उसको सरकार देखे, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर, प्रसाद, सोरण के बारे में,

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सोरण ग्राम पंचायत में धोलाखेड़ा नाम का एक गांव है, वहां पर 70 हरिजन परिवारों को बसाया गया। उनको ग्राम पंचायत ने पट्टे दिये, बैंक से उनको ऋण दिलवाकर मकान बनवाये गये। अब, उसके बाद एक

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कुंआ खोदने के लिए उनको थोड़ी बहुत राशि, पंचायत समिति के वहां के भूतपूर्व सरपंच हैं, उनको थोड़ी बहुत राशि दी गयी। उस से थोड़ा कुआ तो खुद गया, लेकिन उसके बाद वह अधूरा कुआ पड़ा हुआ है। 2 हैण्ड पम्प लगाये गये। एक हैण्ड पम्प, जिसमें खारा पानी आता है वह चालू है और एक हैण्ड पम्प बंद है बहुत लम्बे टाइम से, उसको ठीक नहीं किया गया। विभाग ने जिस समय उनको वहां बसाया, उस समय यह नहीं देखा गया कि यह ग्राम पंचायत की भूमि है या यह नगर पालिका की भूमि है या नगर पालिका और ग्राम पंचायत के बीच में आने वाली भूमि है। अब एक और डिस्पूट खड़ा हो गया कि यह नगर पालिका की भूमि है, उधर कहते हैं कि यह पंचायत की जमीन है। आज न उनको पंचायत वाले मानते हैं, न नगर पालिका वाले मानते हैं। उनको लोन दिया गया, उनको वहां पट्टे दिये गये, तहसीलदार ने रिपोर्ट की लेकिन आज जिस प्रकार की अव्यवस्था है आज उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया। वहां पर कोई सार सम्भाल करने वाला नहीं है, न वहां राशन की दुकान है, न वोटर लिस्ट में नाम है, न पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम है, न नगर-पालिका की वोटर लिस्ट में नाम है, न उनके राशन कार्ड बनाये गये, आज उनको राशन से महरूम रखा गया है, आज उनको पेयजल की सुविधा से महरूम किया गया है। न पंचायत कुआ खोदने के लिए किसी प्रकार की सहायता देती है। यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन परिवारों के साथ इस प्रकार का कार्यक्रम चलाकर उनको पट्टे देकर बसाया गया, लेकिन आज इन सब सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है, मताधिकार से वंचित कर दिया गया है, राशन से वंचित कर दिया गया है। उनके बच्चे आज वहां पढ़ नहीं सकते. किसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था वहां पर है नहीं, तो आज इस प्रकार की शोचनीय स्थिति है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम् मसला है जिसमें हरिजनों के उद्धार की बात करते हैं, हरिजनों को ऊपर उठाने की बात करते हैं। 70 परिवार वहां पर दुखी हालत में हैं। वहां उनको राशन नहीं मिल रहा है, बच्चों को शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपसे चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सरकार की ओर से वक्तव्य दिला दें, और पुनर्विचार करें। यही मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हाजी चाव खां, खनिज के मामले में भ्रष्टाचार, तहसील कामां, जिला भरतपुर।

श्री चावखां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर धोलाखेड़ा और दोएसर, जो पहाड़ी हैं, वहां पर जो ठेके दिये जाते हैं वह उन गरीब आदमियों के लिए, और

(श्री चावला)

जो लोग इस काम के अन्दर मजदूरी करते हैं या इस प्रकार जिनके पास जमीन वगैरह कोई भी साधन नहीं हैं, वह पहले उस आदमी को दिये जाने चाहिए। उन लोगों को नहीं दिये जाते । वहां पर रमेश कुमार, डॉक्टर रामदास का लड़का है, लखपति पार्टी है, उसको घोलाखेड़ा पहाड़ी का बजरी का ठेका 15-4-81 से लेकर 20-3-83 तक दिया जाता रहा है। मैंने बार बार उसकी शिकायत की। शिकायत करने के बावजूद आज तक उसकी इन्क्वायरी नहीं की गयी। इसके लिए मैंने इस बात की भी शिकायत की कि यहां पर जो भी बजरी निकाली जाती है, अगर वह 50 ट्रक वहां बजरी निकालते हैं तो वहां जो पर्ची काटी जाती है वह सिर्फ 3 या 4 ट्रक की काटी जाती है। उसके उपरान्त पंचायत ने वहां पर बजरी निकालने के लिए, अपना टैक्स होता है, ढाई रुपया ट्रॉली टैक्स लगाया। उसके उपरान्त पंचायत के ऊपर उन्होंने मुकदमा चलाया । पंचायत को परेशान किया । बार बार पंचायत समिति में इस बात को लाया गया। जब वह बजरी वहां से बाहर जाती है ठेकेदार को उसका कोई नुकसान नहीं होता। जब तक ले जाने वाला आदमी, जो ढाई रुपए का टैक्स देता है, चुंगी देता है तो पंचायत की आय बढ़ती है लेकिन ठेकेदार को क्या नुकसान है। लेकिन नुकसान ठेकेदार को यह हो रहा है, क्योंकि वहां चोरी, जो 50 ट्रक वहां से बाहर निकलते हैं, चुंगी देने पर फिर टैक्स भरना पड़ता है, इसलिए उनके ऊपर परेशान किया जाता है पंचायतों को और मुकद्दमा चलाया गया। इसलिए जब बार बार शिकायत करने के बाजबूद अभी वह 20-3-83 के बाद उसका ठेका कैंसिल कर दिया और उसको नहीं दिया गया। इसके अलावा वहां पर एक रामजीलाल नाम का पटवारी है उन्होंने उसके बाद ठेका, सरीन माइका, सोप स्टोन का ठेका है लेकिन वह उसको तो निकालते ही हैं उसके बावजूद हजारों टन और भी निकाल रहे हैं और इसके लिए पंचायत का कोई ठेका नहीं है। इसलिए सरकार उसकी तुरन्त कार्यवाही करे और ठेका वापस लिया जाय, जो गरीब और मजदूर लोग हैं उनको ही दिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी, सांगरिया जिला गंगानगर के औद्योगिक क्षेत्र में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है। मेरा है, कोलायत उपनिवेशन की तहसील नम्बर-एक में तावान जो लगाया गया, इसके बारे में है। राज्य सरकार से जानकारी लेनी है।

श्री अध्यक्ष : दिया ही नहीं क्या ?

श्री देवीसिंह भाटी : जो अभी अस्वीकृत किया है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इसको भी अस्वीकार कर दिया। राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है। इसलिए इस पर भी आप कहना चाहें तो

(श्री अध्यक्ष)

कह दें, उस पर चाहते हैं-उपनिवेशन क्षेत्र को तहसील कोलायत के नं. 1,2,3,4 किसानों पर गलत तवान, इसके सम्बन्ध में भी कह दें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसे कुछ अतिक्रमी हैं जिन्होंने भूमि पर नाजायज काश्त की है, उसकी वजह से तावान लगाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा, उपनिवेशन आयुक्त ने अपने पत्र 25-10-83, उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 से 4, में लिखा है कि जो डिस्प्यूटेड मामले हैं जब तक उनका निर्णय नहीं हो जाय आप इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। इसके उपरान्त भी, अध्यक्ष महोदय, वहां वसूली करी तहसीलदार ने, एक ही केस ऐसा नहीं है, कई केसेज हैं ऐसे, जिनमें 50 गुना तावान लगाया है। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मौके के ऊपर पानी लगता नहीं, सुविधा नहीं उसके बाद भी सिंचित दरों से तावान लगाया जा रहा है। एक जिन्दु खां पुत्र श्री बलए खां, जिसकी 19 बीघा जमीन थी उसके ऊपर 50 गुना तावान लगाया है, इसी प्रकार दूसरा सेरूवाला, गोकुल ग्राम का निवासी है उसकी इसी प्रकार केवल 18 बीघा जमीन थी उसका तावान और दो हजार पेनल्टी के लगा दिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जब मौके के ऊपर, पहली बात तो सिंचाई नहीं हो रही है उसके उपरान्त जब केवल यह देखा जाता है कि पहली दफा अतिक्रमण करते हैं तब उनके ऊपर थोड़ा तावान लगायें, पेनल्टी लगायें, लगा सकते हैं। परन्तु शीघ्र ही 50 गुना पेनल्टी लगायी गयी उसके ऊपर ए. सी. सी. के यहां उनके दावे चल रहे हैं, केसेज डिस्प्युटेड हैं। खसरा में कभी सिंचाई हुई नहीं। यह मामला विचाराधीन है। उसके उपरान्त भी तावान कायम किया गया, जबर्दस्ती कुर्कियां कायम की गयीं। इसके बारे में राज्य सरकार ने जो यह जानकारी आपको दी कि उन्होंने अतिक्रमण किया है नाजायज काश्त की है, यह बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे सैंकड़ों केसेज के दावे विचाराधीन हैं इसके उपरान्त भी जबर्दस्ती इन्होंने तावान कायम किया, तावान कायम करके कुर्कियां लागू कर रखी हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे काश्तकार बड़ा परेशान है। अपनी जगह छोड़कर जाना चाहता नहीं है क्योंकि पीढ़ियों से वह वहां काबिज है। इस लिए....

श्री अध्यक्ष : लम्बी चर्चा नहीं, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा राज्य सरकार से कि जब तक फैसले निर्णीत नहीं हो जायं इनके ऊपर तावान कायम नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

(अनुपस्थित)

श्री राम किशोर मीणा जिला अजमेर में आंगनबाड़ी योजना के बारे में। पहले वाला बी.डी. ओ चला गये क्या ?

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : अजमेर जिले का है । मेरे वहां का नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ट्रान्सफर होकर वहां चले गये होंगे ।

श्री राम किशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी योजना के तहत जो असहाय व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को शारीरिक दृष्टि से अपलिस्ट करने के लिए, जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए इस तरह की सामग्री वितरित की जाती है । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया है, वह नीतियों के हिसाब से बहुत अच्छा है । लेकिन इसके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के कारण, हम बच्चों को, औरतों को जो स्वास्थ्य लाभ देना चाहते हैं, वह नहीं दे कर के उनके लिए ऐसा कार्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं इसकी मार्फत ताकि वह जल्दी से जल्दी इस लोक से उठ जायें और आगे आने वाली पीढ़ी इस तरह की हो कि वह अपने खुद के पैरों पर खड़ी नहीं हो सके ।

अध्यक्ष महोदय, यूनीसेफ के मार्फत पार्सल के द्वारा यह गुड़ भेजा गया है, जो आपकी अनुमति से मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा । इसकी आप जांच करायें । यह इस तरह का गुड़ है, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी योजना के तहत पोषाहार के लिए ग्रामवासियों के बच्चों को वितरित किया गया है, यह किसी भी हालत में खाने योग्य नहीं है, अध्यक्ष महोदय । यह हमारे ग्रामों में बड़े आदमी तम्बाकू पीते हैं उसके अन्दर रस्सी काम में आती है, इस से भी गिरी हुई क्वालिटी का यह है, किस तरह से बच्चे खाकर अपना स्वास्थ्य लाभ करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनकी सही, निष्पक्षता से जांच हो तथा इसमें जो गड़बड़ियां हैं उन पर तुरन्त रोक लगाई जाय, जो स्वास्थ्य के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं व्यक्ति, उनको दण्डित किया जाय । अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़ ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह गुड़ पोषाहार के लिये नहीं है । यह ऐसा है जिससे गांवों में शराब बनती है । यह गुड़ ऐसा है जिसको जानवर भी नहीं खा सकते हैं । मैंने भी इसको देखा है । हम पोषहार को, लोगों के स्वास्थ्य की बात करते है, गांवों में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर, आर्डर, अंकित न हो....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़,

(व्यवधान)

अंकित न हो.

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़–गांधी नगर, जयपुर निवासी श्री राकेश गोयल को लापता करने की घटना के सम्बन्ध में।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, आज पुलिस कितनी सतर्क है और कितनी एक्टिव है इसका इससे पता लग जायेगा। राकेश गोयल नाम के एक लड़के, जो 22 साल का है, पास पड़ोस के कुछ लोगों से पहले आपस में मन-मुटाव था, बाद में समझौता हो गया। समझौते के बाद रामबाबू गोयल के लड़के राकेश गोयल, जिसकी उम्र 22 साल की है, 14 तारीख को वहां से गायब किया। गायब करने वालों में जितेन्द्र शर्मा उर्फ फोनू पुत्र रामेश्वर दयाल, श्री सुरेश शर्मा उर्फ गोपाल तथा श्री राजेन्द्र शर्मा एवं कमलसिंह उर्फ बाबूसिंह, यह सी. आई. डी. में सब-इन्सपेक्टर है, अध्यक्ष महोदय, इन चार लोगों के गेंग ने इस राकेश गोयल का अपहरण किया है। चार्ज यह लगाया है कि एक अरुण नाम की लड़की को वह भगाकर ले गया जब कि हकीकत यह है अध्यक्ष महोदय, धर्मेश नाम का लड़का जब डूंगरपुर से आ रहा था तो यह पाया गया कि इन्हीं के गेंग के साथ उक्त राकेश को डूंगरपुर में राजकमल होटल में ठहराया गया और सुशील कुमार के नाम से होटल में कमरा दिया गया। यह जब जयपुर आये, 15 तारीख को यहां आए तब सिन्धी कैम्प पर भी देखे गये उन्हीं के गेंग के साथ। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, एक लक्ष्मणसिंह रिटायर्ड इन्सपेक्टर पुलिस....

श्री अध्यक्ष : किसी का नाम नहीं लें, माननीय सदस्य। यदि मान हानिकारक मामला हो तो नाम नहीं लें।

श्री मेघराज तावड़ : उनके खिलाफ चार्ज नहीं है, अध्यक्ष महोदय, उनके यहां पर उनको देखा गया। उनके सामने मार-पीट की गई। उसके साथ किशनसिंह का होटल है, जो कि एक पुलिस के रिटायर्ड इन्सपेक्टर का है, भरतपुर में उनका होटल है वहां पर। लेटर लिखा गया कि सुशील यहां खड़ा हुआ था, उसके पिता को लेटर मिला कि लड़का यहां सामान छोड़कर चला गया है उसको ले जाओ। यह चिट्ठी डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस को दे दी गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वहां पर नहीं जा सकता। क्या पता, मेरा लड़का लापता है, मार दिया गया है या यातना दी जा रही है। उसके साथ कई लोगों को देखा गया लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पुलिस के सी. आई. डी. के इन्सपेक्टर्स वह भी उसमें इन्वाल्व हैं। पूरी की पूरी गेंग है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके जरिये से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, क्या कारण है कि पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पाई? माननीय गृह राज्य मन्त्री जी, यह आपकी पुलिस की एक्टिवनेस है। नामजद रिपोर्ट है फिर भी आप लोगों को पकड़ने में क्यों घबराते हैं? इस तरह से पक्षपात करते हैं और पुलिस के लोग ऐसे गेंग में इन्वाल्व हैं इसलिये पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि

(श्री मेघराज तावड़)

सी. आई. डी से इसकी जांच करवाई जाय, राकेश गोयल, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, अपहरण किया गया है, अगर वह जिन्दा है तो लाया जाय या अगर मर गया है तो उसकी लाश लाई जाय ताकि कुछ न कुछ तो पता लगे। उसके माता-पिता बतला रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, आपने सारी बात कह दी।

श्री मेघराज तावड़ : आखिरी शब्द कहना चाहता हूं... जो गायब करने वाले थे उन्होंने उनके पड़ौस में कमरा ले रखा था। वह कमरा उन्होंने रात को खाली कर दिया है, ट्रक से सामान ले गये। इसलिये मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप तुरन्त कार्यवाही करें, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया सिरोही जिले में कक्षा 8 की आगामी 19 अप्रेल को होने वाली गणित की परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने के बारे में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह सिरोही की पिछले 3 सालों से घटना बराबर हम सुन रहे हैं। आज से कोई दो साल पहले हमारे हायर सैकण्डरी बोर्ड की परीक्षा का पेपर भी वहां पर पहले से ही वितरित किया हुआ पाया गया, उसके कारण से बोर्ड की परीक्षा फिर से हुई। अभी पिछले दिनों कुछ समय पहले राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा थी जब शिवगंज में और सिरोही में इस बात की चर्चा थी कि वहां पर पेपर्स बिक रहे हैं।

श्रीमन्, यही नहीं, अभी मैं परसों ही सीकर था तो सिरोही में 19 तारीख का जो प्रश्न पत्र है गणित का 8वीं कक्षा का मैं स्वयं वह प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। जो पेपर कल होने वाला है वह वहां बाजार में बिक रहा है। एक नहीं खुले में जो चाहे उस प्रश्न पत्र को प्राप्त कर सकता है जिसकी परीक्षा कल होने वाली है।

यही नहीं, श्रीमन्, इस तरह के 4 प्रश्न पत्र और बाजार में बिक रहे हैं जिनके दाम अलग अलग हैं। जिस दाम के चाहो ले लो। समान परीक्षा के नाते सारे जिले में एक ही स्थान पर यह प्रश्न पत्र बने हैं। एक ही स्थान से सारे जिले में प्रश्न पत्र विद्यालय में जायेंगे....

श्री अध्यक्ष : आज कल 8वीं के पर्चों का क्या भाव चल रहा है, by the way.

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह भाव तो अलग-अलग है, 5 रुपये का भी बिकता है 10 रुपये का भी बिकता है। न्यू टाइप का प्रश्न पत्र भी इसके साथ में है जिसके खानों में हां/ना, ए, बी, सी. लिखना होता है।

मैं आपके माध्यम से सदन की मेज पर वह प्रश्न पत्र रखना चाहता हूं। जो कल परीक्षा होने वाली है, वह प्रश्न पत्र बाजार में बिक रहा है जिसको मैं यहां पर लेकर आया हूं। जिससे मालूम होगा कि यह स्थिति हमारे राजस्थान के प्रशासन की है, विशेष कर के सिरोही जिले में पिछले तीन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सालों से यह घटना लगातार होती चली आई है। हायर सैकण्डरी बोर्ड के पेपर वहां बिकते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के पेपर वहां बिकते हैं। लोग पता नहीं किस प्रकार से जहां पेपर रखे जाते हैं, वहां से उसको लाते हैं और छपवा कर के इनको अपने यहां लोकर के लोगों को बांटते हैं। उसी क्रम में उसी आर्डर में उसमें प्रश्न होते हैं जो प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल में मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार एक तो सिरोही जिले में होने वाली परीक्षाओं को तुरन्त स्थगित करे, स्थगित करने बाद पांच दिन में इसका सारा पता लगाये कि कौनसा पेपर ठीक है और उसके बाद नये प्रश्न पत्र छपवा करके परीक्षा ली जाय। दूसरे, जो परीक्षा इन्चार्ज हैं या जिनके पास में पेपर रहते हैं, जिनकी कस्टडी में पेपर रहते हैं, जिनके पास से आते हैं उन सबके खिलाफ इन्क्वायरी करायी जाय कि आखिर यह हर बार स्थिति क्यों बनती है, विशेषकर जब राजस्थान के अन्य किसी हिस्सों में नहीं होती बार बार इस जिले में क्यों होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी, समस्या सदन के सामने आ गई है। समाप्त कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसलिये मैं चाहूंगा कि परीक्षा स्थगित करें और फिर से परीक्षा आयोजित की जाय।

एक आपने कल व्यवस्था दी थी, मेरा कल एक स्थगन प्रस्ताव था जिसको आपने अस्वीकार किया था उदयपुर महिला मण्डल छात्रावास के सम्बन्ध में। कल आपने कहा था कि····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको अवसर दिया था लेकिन दुर्भाग्य से आप उपस्थित नहीं थे। उस पर आज चर्चा नहीं होगी। यदि आप चाहें तो मुझसे मिलें तो पुनर्विचार करके उस पर फिर दुबारा व्यवस्था दे सकता हूं। कृपया इस वक्त इस प्रश्न को नहीं उठावें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी और सुश्री पुष्पा जैन ने, कल जो दो माननीय सदस्यों में आपस में आरोप प्रत्यारोप का प्रसंग चल गया था, उस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव तो लाया नहीं जा सकता·······

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उस सम्बन्ध में नहीं है। पाली जिले के प्रशासन में जो खामियां हैं उस पर····

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाली जिले में प्रशासन ठप्प हो गया है इसके बारे में मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष : बात को तोड़ करके नहीं कहें। मैंने अनुमति नहीं दी है। मैंने देख लिया है, उस प्रसंग में बात करके जो घटना·······

(व्यवधान)

सदन के अन्दर होती है उस सम्बन्ध में सरकार कुछ भी नहीं कर सकती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, सदन के बाहर की बात है। आपने अन्दर का पढ़ लिया बाहर की बात है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, विषय सुन लीजिये मेरा।

श्री अध्यक्ष : मैंने विषय पढ़ लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय इतना ही है, बाहर पिटाई हुई आपस में, प्रशासन पर आरोप लगाये। प्रशासन बाद में दो गुटों में बंट गया, उस कारण से जिले की जो हालत हो रही है उस हालत पर स्थगन प्रस्ताव है मेरा। यहां की लड़ाई के बारे में नहीं बोलूंगा। यहां की लड़ाई के बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भेज दिया लेकिन दो मिनट बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पाली जिले के माननीय विधायकों में इस प्रकार की आपस में लड़ाई चल रही है और आरोप प्रत्यारोप लगा करके एक दूसरे की पिटाई की है। इसके कारण से जनता पर फर्जी केस बनाये हैं। पाली जिले में प्रशासन की स्थिति ठप्प हो गई है। आज हालत पाली जिले में यह हो गई है, अध्यक्ष महोदय, प्रशासन पूरी तरह से दो गुटों में बंट गया है। जनता का काम करने के बजाय विधायकों द्वारा एक दूसरे पर लगाये गये चार्ज और इनके द्वारा की गई शिकायतों को निपटाने में प्रशासन लगा है। सरकारी अधिकारी अन्य लोगों को इन शिकायतों में फंसाने में लगे हैं। चाहे किसी इण्डस्ट्रियल प्लाट का मामला हो एस. पी. लेवल के लोग इन विधायकों की सिफारिश पर कब्जा कराते हैं, जमीन पर कब्जा हो रहा है। सारा प्रशासन इस प्रकार से ठप्प हो गया है, पाली जिले का सारा का सारा प्रशासन इन माननीय विधायकों की शिकायतों में इनके द्वारा लगाये गये चार्ज का निपटारा करने में लगा है। आम जनता के काम के लिये पाली जिले का प्रशासन नहीं है, कोई वहां नहीं है, अध्यक्ष महोदय,.... ...

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले का क्या लेना-देना है विधान सभा से।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बात न करे, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रशासन का है। एक दूसरे के खिलाफ लोगों से फर्जी शिकायतें कराई गई, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने दुर्भाग्य से शिकायतें की उनके खिलाफ 182 के केसेज दर्ज कर दिये गये हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस आदमी ने बलात्कार की शिकायत दर्ज की तो विधायकों ने जोर से शिकायत दर्ज कराई, उस पर 182 के केसेज दर्ज कराये। 182 के केस इन्होंने दर्ज कर लिये, उनके प्लाटों पर जबरन कब्जा कर लिया, अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, समाप्त कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारा प्रशासन वहां ठप्प हो गया है, प्रशासन वहां काम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं कर रहा है, सारा का सारा प्रशासन इनकी लड़ाई में जकड़ा हुआ है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी से लेकर कोई भी अधिकारी इनकी गतिविधियों को नियन्त्रित नहीं कर रहा है। सारा पाली जिला भ्रष्टाचार की पकड़ में है। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति शोभनीय नहीं है, ××× सारा का सारा प्रशासन ठप्प हो गया है.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समाप्त कर दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिये निवेदन करूंगा कि स्थिति को सुधारा जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रशासन के ऊपर रिफ्लेक्शन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाली जिले का सारा प्रशासन ठप्प हो गया है, अध्यक्ष महोदय........

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आरोप गलत, निराधार, मिथ्या है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आरोप बिल्कुल सही है। वहां के अधिकारियों ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, ऑर्डर। बैठ जायं। ऑर्डर ऑर्डर,

श्री दिनेशराय डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट मैं कहना चाहता हूं, मेरे जिले का प्रश्न है। एक पाइन्ट है, कहां प्रशासन ठप्प हो गया—....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप भी एक गुट को रिप्रजेन्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है, कृपया। ऑर्डर प्लीज। किस विषय पर आप बोलना चाहते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैं, अध्यक्ष महोदय, इस पर कहना चाहता हूं, आरोप-प्रत्यारोप तो दो एम. एल. एज. के बीच में है। आप कह रहे हैं, सारे जिले के अन्दर भ्रष्टाचार फैल गया है और सारा प्रशासन ठप्प हो गया है। यह सत्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

ग्राम पुन्दलर में किसी हत्या के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैंने उस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। जैसा कि मैंने पूर्व में माननीय सदस्यों से निवेदन किया है कि आज समय का अभाव है। एक माननीय सदस्य इस विषय पर बोल सकते हैं।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सबजुडिस मामला है। यह कोर्ट में विचाराधीन मामला है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैंने व्यवस्था दे दी है। कोई भी एक माननीय सदस्य बोल ले। बालचन्द्र आर्यवीर, अनंग कुमार जैन, हीरालाल आर्य, हरीश शर्मा इनमें से एक माननीय सदस्य को इजाजत दूंगा।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुन्दला ग्राम पंचायत मेड़ता सिटी में रामनारायण डूडी विधायक और उनके साथियों ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति मांगूराम की हत्या कर दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन के विवाद को लेकर के। मांगूराम जो अनुसूचित जाति का है, उसके परिवार के पास जमीन थी, वह जमीन छीनना चाहते हैं। कई बार उनको धमकियां दीं और मांगूराम की हत्या कर दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उसके भाई का पत्र है, जिस मांगूराम की हत्या कर दी गई उसके भाई मदनलाल का पत्र है। थाने में रिपोर्ट कराने के बाद भी उसके परिवार को बार बार आतंकित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पत्र पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं। ऑर्डर प्लीज। ये सदन के सदस्य हैं। वह मृतक व्यक्ति का भाई है। जो आपको सूचना मिली उसे अपने शब्दों में आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, पढ़ करके सुनाने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी हत्या 2-10-83 को कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि का विवाद था। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार उसके परिवार को आतंकित किया, धमकियां दीं और मांगूराम की हत्या कर दी गई। अभी भी उसके परिवार को आतंकित किया जा रहा है। बराबर जमीन उसके पास से छीनने की धमकियां दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसका परिवार जो अनुसूचित जाति का है, की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : मुझे स्पष्टीकरण देना है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस तरह की बात, जो मानहानिकारक या अपमानजनक हो, नहीं कही जाय।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माननीय सदस्य पर आरोप लगाया है, मान हानि नहीं है क्या ?

श्री अध्यक्ष : एफ. आई. आर. में नाम दिया है, पुलिस रिपोर्ट में बाद में द्वेषवश फंसाया गया है। यह बात है इनके स्पष्टीकरण का कहां सवाल आता है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ।

श्री छीतरलाल आर्य ।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष, यह बड़ी विडम्बना है कि आज रक्षक ही भक्षक बन गये हैं। मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज शासन और प्रशासन दोनों ही हत्याओं, रेप केसेज में और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 2-10 को मांगूराम भावरी जो शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति था, की हत्या करने का आरोप विधायक रामनारायण डूडी के ऊपर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि टपूकड़ा में आन्दोलन हुआ उस समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से पुलिस बुलाई गयी++ मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, । आर्डर आर्डर ।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि दिनांक 16 सितम्बर, 1983 को फलोन ग्राम छबड़ा कोटा के अन्दर.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं। समाप्त कीजिये।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, वहां++और दो सिपाहियों ने++

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। विषयान्तर हो रहे हैं।

ऑर्डर ऑर्डर, अंकित नहीं हो।

श्री छीतरलाल आर्य : × × ×

श्री प्रद्युम्नसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, मैं इतना के किसी केस के बारे में स्थगन प्रस्ताव आया था उसके बारे में आपने बोलने के लिये बालचन्द्र आर्यवीर को और उसके बाद में छीतरलाल आर्य को बोलने की इजाजत दी। स्थगन प्रस्ताव का जो

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

विषय था उस अमुक विषय पर विचार व्यक्त करने के लिये आपने इजाजत दी थी पर उन्होंने इस दौरान तिजारा से आने वाले माननीय विधायक के ऊपर आरोप लगा दिया। अब यह मैं आपको.......

श्री अध्यक्ष : अगर मानहानिकारक है तो एक्सपंज कर दिया जायगा। जो विषय से हट कर बात कही गयी है और मानहानिकारक है उसको एक्सपंज कर दिया जायेगा They will he espunged.

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की इजाजत दी जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इस पर फिर बहस हो जायेगी।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर बिना मतलब पोलिटिकल कलर दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इस पर बहस नहीं होगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक मिनट बोल लें, साहब।

श्री अध्यक्ष : फिर चर्चा का विषय बन जायेगा, सभी बोलने के लिये तैयार हो जायेंगे और बिना मतलब चर्चा का विषय हो जायेगा।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, इसको बिना मतलब पोलिटिकल कलर दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बोलने का अवसर दे दूंगा, अगर आप आग्रह करना चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दे दूंगा तो फिर यह चर्चा का विषय बन जायेगा और अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे इसलिये मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है जवाहरनगर नाले के बारे में।

श्री अध्यक्ष : एक स्कूटर गिर जाने के बारे में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, अध्यक्ष महोदय, जवाहर नगर नाले में एक स्कूटर गिर जाने के बारे में। अध्यक्ष महोदय, जवाहरनगर नाले की तरफ से मैं उधर से जा रही थी........

श्री अध्यक्ष : उस समय मैं भी उपस्थित था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर उसके बारे में जो जवाब दिया गया है कि नगरपालिका इस काम को करवाये। अगर उसके लिये म्यूनिसिपैलिटी से बात करते हैं तो वह कहती है यू. आई. टी.

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इसको बनाये। यू. आई. टी. को कहते हैं तो वह यह कहते हैं कि नगर परिषद का क्षेत्र है। अभी यहां पर मन्त्री महोदय उपस्थित हैं वह यह बोलें कि यू. आई. टी. के बारे में बोलो ही मत, चाहे मैं बैठा हूं, म्यूनिसिपेलिटी के बारे में कहो। तो अध्यक्ष महोदय, जवाहरनगर का नाला आधा जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है और आधा हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत आता है। यह कोई स्टेटलेस जगह तो है नहीं कि इसका स्वामी कोई भी बनने को तैयार नहीं है। मैंने नगर विकास प्राधिकरण के सचिव से बात की तो वह कहते हैं कि यह हमारा नहीं है और मैंने जब हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर से बात की तो वह कहते हैं कि हमारा नहीं है। आये दिन वहां पर दुर्घटनायें होती रहती हैं। जयपुर का यह नाला है इसे जब बाढ़ राहत कार्य हुआ था तब ठीक किया जा सकता था, पर ठीक नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, विकास प्राधिकरण की यह जिम्मेदारी है कि वह इसे ठीक करावे। इसकी स्थिति ऐसी गम्भीर है कि आये दिन एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं। आने वाली बरसात में यह नाला दोनों नालियों को काटता हुआ पास वाले मकानों को ध्वस्त कर देगा। मेरा आपसे अनुरोध है, मन्त्री महोदय बैठे हैं यह दो मिनट इस के बारे में कह दें। अध्यक्ष महोदय, वह कोई बात करके लौटे हैं। मन्त्री महोदय, आप मेरी बात ध्यान से सुनें, जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर परिषद दोनों ही आपके अन्तर्गत आते हैं। अब दोनों में से कौन इस काम को करे इससे मुझे अर्थ नहीं है। मुझे अर्थ यह है कि केवल यह नाला पटना चाहिये ताकि दुर्घटनायें जो हो रही हैं वह नहीं होवें। यह दुर्घटना जो मेरे सामने घटी और आपके सामने भी घटी इतनी भयंकर थी कि पति और पत्नि दोनों ही मृत्यु के मुख से बचे। अभी तक उनकी हड्डी पसली टूटी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कार्यवाही होनी चाहिये। मैं चाहूंगी कि आप आदेश मन्त्री महोदय को दें ताकि वह नाला इमीजियेटली बने। नाला पटना भी चाहिये, मैं यह नहीं कहती कि पूरा नाला पाट जाय। मैं तो यह कहती हूं कि जो नाला रास्ते को त्रिकोणात्मक काटता हुआ पूरी सड़क को तोड़ता हुआ टूटा है, वह नाला भर दिया जाय। यह जयपुर की सुरक्षा के लिये बहुत जरूरी है। वहां पर सचिव यतिन्द्रसिंह जी और कई — —

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर रहते हैं। वहां पर यह स्थिति बनी हुई है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई घटना घट जावे और दिक्कत पैदा हो जाये।

श्री अध्यक्ष : एक विषय और है दीवार तोड़ने के बारे में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, अध्यक्ष महोदय। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इसके बारे में दो शब्द बोल दें।

श्री अध्यक्ष : आप दीवार तोड़ने के बारे में, माननीय सदस्या, कुछ कह दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं उसके बारे में निवेदन कर रही हूं।

अध्यक्ष : महोदय, गंगापोल दरवाजे के बारे में जो उत्तर दिया गया है यह बिलकुल ही गलत है। वहां अगर आप जायेंगे तो आपको मालूम होगा कि स्थिति कुछ और ही है। पर जो जवाब दिया गया है वह ऐसा है जैसा सवाल दीगर और जवाब दीगर हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने परकोटे को तोड़े जाने के बारे में कहा था।

इन्होंने कहा है कि वहां पर जो सात झोंपड़ी हैं थाने से दूर हैं और परकोटा जो तोड़ा गया है वह एक खेत में से आम रास्ता निकालने के लिये तोड़ा गया है। यह जवाब बिलकुल ही गलत दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय अपनी रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था उस समय यह बात आई थी कि जो पुरातत्व की चीजें हैं डन्डे, परकोटे, दरवाजे इनकी सुरक्षा सरकार करेगी। यह एग्रीमेन्ट सरकार का हुआ था। अब यह दरवाजा तोड़ दिया गया है। सरकार खुद अपने एग्रीमेन्ट से मुकर रही है। इससे हमारे यहां की जनता परेशान हो रही है। मेरा यह कहना है कि परकोटे को दुबारा बनाया जाय, जिन लोगों ने परकोटे को तोड़ा है उन्हें दण्डित किया जाय और एग्रीमेन्ट को सलामत रखा जाय। मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगी कि भविष्य में इसका और ध्यान रखा जाय कि इस तरह की पुरातत्व की चीजों को नष्ट नहीं किया जाय और पुरातत्व की सम्पत्तियों की खुदबुर्द नहीं करें। आपने जो सात झोपड़ियों के बारे कहा है, उसमें तो वह लोग सन् 1971 से रह रहे हैं। वह तो सन् 71 से सर्वेधारी हैं आप उन सन् 71 के सर्वेधारियों को कैसे हटा देंगे जब तक कि आप उन्हें दूसरी जगह नहीं देवें? आपने इस तरह अगर गरीब लोगों को सताने की कोशिश की और उनकी आड़ में अपनी इच्छायें पूरी करने की तो मैं आपको देख लूंगी यह मेरी आपको चुनौती है।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरलाल आर्य-एस. एच. ओ. बारां द्वारा एक युवती को बरामद करने के विषय में। माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, 19 मार्च को मेरे क्षेत्र खीवड़ग्राम में एक विवाहित युवती को एस. एच. ओ. रूपसिंह थानेदार बारां ने जबरदस्ती पकड़ लिया और अध्यक्ष महोदय, उस युवती को 23 तारीख तक अवैध तरीके से बन्द रखा गया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं उस महिला के भाई और पिताजी दोनों बार-बार आवेदन निवेदन कर रहे थे फिर भी उस महिला को नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कोटा जिले में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, उस युवती को बरामद करके थानेदार ने....

श्री अध्यक्ष : जब उस युवती को बरामद किया गया था तब उसके पिता थानेदार के साथ थे ?

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, उसको जबरदस्ती पकड़ कर थानेदार ले गया। उसके साथ दो आर. ए. सी. के

(श्री छोतरलाल आर्य)

सिपाही और थे उन्होंने जबरदस्ती उसको पकड़ा और लेकर आये। पिता और भाई साथ नहीं थे, वह तो बाद में आये थे। इस तरह, अध्यक्ष महोदय, 23 मार्च, तक बन्द रखा गया। इन्हीं पुलिस अधिकारियों ने और पुलिस के सिपाहियों ने महिला के साथ ज्यादती की। इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। कोटा जिले में थानेदार और दो सिपाहियों ने व एक कांग्रेस भाई के विधायक के खिलाफ में—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री छोतरलाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि जो विषय आपने दिया है उसी तक आप सीमित रहें। आपने पूर्व में भी एक माननीय सदस्य के लिये मानहानिकारक आरोप लगा दिये थे। विषय किसी माननीय सदस्य से संबंधित नहीं हो फिर भी आप इस तरह की बातें करें तो वह आपके और हमारे किसी के लिये भी शोभा की बात नहीं है।

विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों पर व्यवस्था

वार्षिक योजना की राशि के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा सूचना व योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि में अन्तर

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक 27 मार्च, 1984 को माननीय विपक्ष के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत ने निम्नांकित दो विशेषाधिकार उल्लंघन के प्रस्तावों की सूचना दी है :—

अपने बजट भाषण में दिनांक 15 मार्च, 1984 को वित्त मंत्री ने बताया कि सन् 1984-85 की वार्षिक योजना का आकार 430.38 करोड़ रुपये होगा। इसी प्रकार सार्वजनिक रूप से भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसी सूचना समाचार पत्रों को दी है कि योजना का आकार 430.38 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है, जबकि वास्तविकता यह है कि वर्ष 1984-85 के लिए योजना आयोग ने 387 करोड़ रुपये की राशि की सीमा ही निश्चित की है। इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने लिए सदन को गलत सूचना दी और इस प्रकार सदन का अपमान किया।

सिनेमा घर निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये मनोरंजन कर में छूट सम्बन्धी घोषणा व तट सम्बन्धी विज्ञप्ति में अन्तर

1982-83 के बजट भाषण में भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री चन्दनमल बैद ने यह घोषणा की थी कि राजस्थान के ऐसे म्यूनिसिपल कस्बों आदि, जहां एक भी सिनेमाघर नहीं है, में सिनेमा-घर बनाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए आगामी पांच वर्षों में एक निश्चित स्लैब के अनुसार मनोरंजन कर से छूट दी जायेगी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-11-82 को जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, वह इस घोषणा के विपरीत है। इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह छूट ऐसे कस्बों में दी जायेगी, जिनकी आबादी एक लाख से

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

कम हो। इस प्रकार यह विज्ञप्ति बजट में की गई घोषणा के विपरीत है और सरकार द्वारा इसे जारी करने से वित्त मंत्री तथा मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा की अवहेलना हुई और सदन का अपमान किया गया है।

इन दोनों ही प्रस्तावों पर मैंने तथ्यात्मक जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी से प्राप्त की। मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि इन प्रस्तावों पर विशेषाधिकार के हनन का मामला प्राइमाफेसी बनता है या नहीं, इस बारे में प्रक्रिया के नियम 162 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति की राय प्राप्त करूं अतः मैं इन दोनों प्रस्तावों को प्रथम जांच करके जांच रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करने हेतु विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करता हूं।

सर्वश्री सुखलाल सैंणचा व शिवदानसिंह राठौड़ द्वारा पारस्परिक आरोप प्रत्यारोप

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन मूव किया था। पिछले कई दिनों से आप भी यह महसूस कर रहे थे कि सदन में माननीय सदस्यों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने की होड़ सी कर रखी है। अध्यक्ष महोदय, पिछली 7-3-84 को माननीय सदस्य, जो जैतारण से जीतकर आये हैं, शिवदान सिंह जी ने माननीय सदस्य श्री भैरूंसिंह गुर्जर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, विस्तार में नहीं जायं, आपने दो विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव दिये हैं उन पर मैं विचार कर रहा हूं। इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व मेरी यह कोशिश रहेगी कि उन पर कुछ व्यवस्था दी जा सके।

सुश्री पुष्पा जैन : आप विचार करेंगे उस पर उससे पहले मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : कई विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव आते हैं इसलिए कानूनी स्थिति मालूम....

सुश्री पुष्पा जैन : मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी। मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव इस तरह का है कि आपको मंजूर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उसके सम्बन्ध में बहुत थोडा निवेदन करना चाहती हूँ। माननीय सदस्य जो जैतारण से जीतकर आये ने इस तरह के आरोप लगाये हैं कि राजस्थान में गुंडों का गैंग बना है, खारची से जो जीतकर आये हैं माननीय सदस्य उन्होंने आरोप लगाया है कि 1720 बीघा जमीन हड़प की है। साथ ही यह भी कहा कि एस. सी. और एस. टी. की जमीन सिरोही में 500 बीघा हड़प ली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि कई कत्ल कर दिये गये हैं, माननीय सदस्य जो खारची से जीतकर आये हैं उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने पंचायत समिति के चपरासी की पुत्री के साथ बलात्कार किया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य ने एक पत्र भी लिखा है मुख्य मंत्री को और आपको भी शायद। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच करवा ली जाय। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगी कि यदि आरोप मिथ्या थे तो इस सदन की एक प्रक्रिया है उसके

(सुश्री पुष्पा जैन)

अनुसार विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मूव करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव आज तक नहीं किया....

श्री अध्यक्ष : पूर्व में भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय भैरूसिंह जी गुर्जर, जो खारची से जीतकर आये हैं ने भी प्रत्यारोप माननीय सदस्य, जो जैतारण से जीत कर आये हैं, पर लगाये। उन्होंने कहा कि गणेश सहकारी गृह निर्माण समिति में कई तरह के अनाप-शनाप घपले हुए हैं, पैसे का गबन हुआ है, प्लाटों की हेरा-फेरी हुई है। यही नहीं, सुखलाल संणचा पर उन्होंने आरोप लगाये कि सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक से जो उनको गाड़ी मिली हुई है उसका वह निरन्तर मिस-यूज़ कर रहे हैं। और भी आरोप लगाये गये, मैं यह जानना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाये यदि आरोप गलत हों तो आज तक ब्रीच आफ प्रिविलेज़ का मोशन आना चाहिए था। यदि नहीं आया, आरोप सच्चे थे या झूठे थे यह सदन, जिसकी अपनी गरिमा और मर्यादा है का इस कदर दुरुपयोग किया जाये, आप क्या उचित समझते हैं? मैं कहना चाहती हूं कि सब जन प्रतिनिधि इस सदन में जनता से जीतकर आये। हमारी एक गरिमा है। जनता हमारे बारे में क्या सोचती होगी, क्या प्रतिक्रिया करती होगी जब इस प्रकार के दंगल हमारे सदन में होते हैं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इस सदन में बैठने वाले हर माननीय सदस्य की इमेज़ जनता में गिरी है। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जैसे पार्लियामेंट में एक प्रेक्टिस रही है और इस सदन की भी प्रेक्टिस रही है कि इस तरह के माहौल में ब्रीच आफ प्रिविलेज़ के मोशन आये तो आप उन्हें स्वीकार करें। इसलिए मैं कहूंगी कि मेरा जो ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन है इसे आप स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : आधे घण्टे की चर्चा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : इस पर निर्णय तो करें।

श्री अध्यक्ष आपने यह कहकर डिबेट प्रारम्भ की थी कि मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूं, मैं समझ गया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कहना चहता हूं कि आप समझने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहे हैं।

एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जिस समय आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बना, उस समय आपने व्यवस्था दी थी कि नियमों में कई प्रकार के प्रावधान हैं उनका माननीय सदस्य उपयोग कर सकते हैं। उनके आधार पर यदि कोई कार्यवाही की जा सकती है तो मोशन मूव कर सकते हैं मैं यह नहीं कहता कि किसी सदस्य को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, आरोप लगाये जाते हैं, लेकिन आरोपित सदस्यों को भी यह सुविधा है कि वह आरोप मिथ्या हों मैं तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन माननीय सदस्य के खिलाफ मूव करें लेकिन पिछले सत्र में जो आरोप-प्रत्यारोप का वातावरण बन है उस वातावरण में कोई एक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दूसरे माननीय सदस्य आरोप का खण्डन सदन में कर रहे हैं, लेकिन ब्रीच आफ प्रिवलेज मोशन उस पर्टिकुलर पाइंट पर लाने का इरादा नहीं है। यह सत्य है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए इस सदन का उपयोग किया है। इससे इसकी गरिमा गिरी है इसलिए यह पर्सनल मैटर नहीं हो सकता। यह आरोप कितने सही हैं कितने नहीं हैं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन यह प्रांगण इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखना, मैं समझता हूं, उचित मालूम होता है। इसको स्वीकार कर विशेषाधिकार समिति को दे दिया जाय जो भविष्य के लिए उदाहरण बन जायेगा कि आरोप-प्रत्यारोप किस सीमा तक लगाये जा सकते है और किस सीमा तक इस सदन का उपयोग हो सकता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, आपने पूर्व में व्यवस्था दी थी विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के बारे में कि सत्र समाप्त होने से पूर्व व्यवस्था दूंगा। इसके बाद मुझे यह निवेदन करना है कि विपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा, सदन के प्रांगण का दुरुपयोग किया जाता है। दोनों माननीय सदस्यों में से किसी ने विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं उठाया इससे यह मानकर चला जाये कि इस सदन के प्रांगण का दुरुपयोग किया गया है। श्रीमन् मुझे भी सदन के अन्दर काफी साल रहने का अनुभव है यहां पर कितनी दफा आरोप-प्रत्यारोप लगे हैं, लोगों ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिये हैं, इसके बावजूद मुझे ध्यान है किसी सदस्य ने दूसरे सदस्य के खिलाफ इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप के लिए कभी विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं उठाया इस सदन के अन्दर। इसलिए मुझे जो कुछ नजर आता है वह यह है कि केवल कांग्रेस दल की छवि धूमिल करने के लिए यह लाया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आरोप-प्रत्यारोप तो आपकी पार्टी के सदस्य ने लगाये हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने अपना निर्णय सुरक्षित कर रखा है इसलिए मुझे उसकी ग्राह्यता के बारे में ज्यादा नहीं कहना। मुझे काफी सालों का अनुभव है इस सदन का कि आरोप-प्रत्यारोप लगाने के बाद जैसे आपने मुझ पर आरोप लगाये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया......

श्री अध्यक्ष : आम तौर से सद्भावना का वातावरण बन जाता है लेकिन दुर्भाग्य से इस दफा यह प्रकरण कुछ ज्यादा ही चल गया है।

सुश्री पुष्पा जैन : आप क्या चाहते हैं, भविष्य में इसी तरह इस सदन का उपयोग किया जाये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : यह तो आप हमेशा ही करती हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक सदस्य ने

(श्री दाऊदयाल जोशी)

दूसरे सदस्य के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है, माननीय सदस्य ।

आधा घण्टे की चर्चा

अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों की बसें

(तारांकित प्रश्न संख्या 373)

आधा घण्टे की चर्चा—श्री सुरजाराम, सदस्य विधान सभा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की बसेस विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 373 के उत्तर जो दिनांक 28 मार्च, 1984 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधा घंटे की चर्चा उठायेंगे ।

श्री सुरजाराम टाक (नोखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के करीबन 180 परिवारों को 1981-82 में बसें उपलब्ध कराई गयीं । अध्यक्ष महोदय, यह जो 79 बसें उपलब्ध कराई गयी थीं उसमें से 11 बसें शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की नीलाम हो चुकी हैं या बिक चुकी हैं या वह बन्द हो चुकी हैं । मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गहरा मसला है और अहम मसला है कि जो परिवार गरीबी की रेखा से नीचे थे उनको अच्छे साधन सुविधायें उपलब्ध कराने को बसें दी गयी थीं यह परिवार आज इस स्थिति में आ चुके हैं कि बसें जिस कीमत में दी गयी थीं उससे भी आज डबल बकाया हो गयी हैं । 3 लाख में उपलब्ध कराई थी राज्य सरकार ने आर. एफ. सी. द्वारा 4 साल में में चक्रवर्ती ब्याज लगते लगते करीब 6 लाख रुपये इन परिवारों पर आर. एफ. सी. द्वारा निकाले जा रहे हैं । मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस विषय में बड़े ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि इन बसों को आज की तारीख में 2 रुपये पर किलो-मीटर दिया जाता है जब कि खर्चा पर किलोमीटर 2 रुपया 60 पैसे आता है । वह इस तरह से है कि ड्राइवर और डेप्रिसियेशन का खर्चा करीबन 90 पैसे आता है और टायरों की कीमत बढ़ी उस कारण 40 पैसे प्रति किलोमीटर आता है और डीजल और पैट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि हुई उसमें 80 पैसा पर किलो मीटर आता है, सर्विसिंग ग्रीसिंग, आइल चार्जेज और जो दूसरा खर्चा है वह 5 पैसे पर किलो मीटर आता है, इन्सटालमेंट आर. एफ. सी. को देना पड़ता है वह इन्ट्रेस्ट 70 पैसा पर किलो मीटर आता है, केपिटल इन्ट्रेस्ट, जो 50 हजार रुपये पर परिवार के लगे थे, का 5 पैसा पर किलो मीटर के हिसाब से आता है । रीपेइंग आफ दी केपिटल अमाउन्ट 5 पैसा और वीयर एण्ड टीयर और अन्य जो खर्चा है उसका 5 पैसा, रोड टैक्स और इन्श्योरेंस में जो बढ़ोतरी हुई है उसका भी 5 पैसा पर किलो मीटर आता है । अन्य जो चार्जेज हैं कुल मिलाकर इन परिवारों का 2 रुपये 60 पैसा पर किलो मीटर के हिसाब से बस का खर्चा आता है ।

(श्री सुरजाराम टाक)

(1.32 म. प.)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पीठासीन)

मान्यवर सभापति महोदय, इस तरह से इन परिवारों को राज्य सरकार की ओर से, राजस्थान वित्त निगम की ओर से सुविधायें देकर बसें उपलब्ध कराई गयी थीं इन बसों पर आज की तारीख में हर आपरेटर को, बस मालिकों को 5 हजार रुपया पर मन्थ नुकसान अलग हो रहा है। मान्यवर सभापति महोदय, एक बहुत लम्बा पीरियड गुजर गया। इसमें इन बस मालिकों ने प्रायः राज्य सरकार को और मन्त्री जी को इस विषय में अवगत कराया था, मान्यवर, इसके लिए आप कुछ रास्ता निकालें जिससे कि हम लोग बसों को चला सकें।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या जो आज आ रही है वह यह है कि पिछले तीन सालों में बड़ी भारी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उसमें टायरों की बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं और पैट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने जिस टाइम बसें उपलब्ध कराई थीं उस समय बस की लागत करीबन 3 लाख रुपये थी। आज की तारीख में आर. एफ. सी. द्वारा जो ब्याज लिया जा रहा है वह है करीब $12\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट। स्थिति यह आई कि $12\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट के साथ में डिफाल्टर ब्याज है वह 3 साल से बराबर लगता रहा। इन्होंने डिफाल्टर ब्याज भी 6 पर्सेन्ट के हिसाब से चार्ज कर लिया। इस तारीके से $12\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट और 6 पर्सेन्ट याने $18\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट ब्याज लगता रहा। मान्यवर सभापति महोदय, यह जो डिफाल्टर राशि थी, आर. एफ. सी. को करीबन $4\frac{1}{2}$ हजार रुपया पर मन्थ ब्याज के ही चुकाने पड़ते हैं। सभापति महोदय, आज की स्थिति ऐसी है कि इनको 2 रुपया पर किलो मीटर चार्ज दिया जा रहा है और यह कुल मिलाकर $4\frac{1}{2}$ हजार रुपये तो आर. एफ. सी. के। इन्ट्रेस्ट के दे देते हैं और ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज इस ढंग से लगाते हैं कि $4\frac{1}{2}$ हजार रुपया अगले टाइम में मूलधन के साथ मिल जाता है। इस तरीके से बस मालिकों को 7 हजार रुपया तो मन्थली इन्सटालमेन्ट है, किश्त है वह चुकानी पड़ती है और $4\frac{1}{2}$ हजार रुपया इनको ब्याज के निमित्त देने पड़ते हैं। $11\frac{1}{2}$ हजार रुपया तो यह हो गया और पैट्रोल और अन्य खर्चे हैं वह $3\frac{1}{2}$ हजार रुपया है, इस प्रकार 15 हजार रुपया पर मन्थ इनका एक्सपेन्डीचर एक बस का है और जो इनकी इनकम है वह करीबन 10 हजार रुपये आती है।

मान्यवर सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मसला है, इन बस मालिकों के परिवारों को बसाने के लिए राज्य सरकार बड़ी गम्भीरता से और नम्रता से विचार करें क्योंकि यह बस मालिक काफी लम्बे टाइम से परेशान हैं या इनकी परिस्थिति ऐसी बन गयी है कि यह अपनी बसों को चलाने में पूर्णतया असमर्थ हैं। मान्यवर सभापति महोदय, आपको बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन है कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि यह आपरेटर्स

(श्री सुरजाराम टाक)

के जो घर हैं वह कम से कम बिकें नहीं।

आज के हालात के अन्दर इन लोगों को बहुत छोटे छोटे रूट दिये गये हैं। जो अनुबंधित बसें थीं इनके लिए निर्धारित किया गया था कि इन को कम से कम 350 किलो मीटर का रूट दे दिया जायेगा। स्थिति यह है कि कई बसें तो 300 किलो मीटर से भी कम चल रही हैं और कइयों को उससे भी कम रूट दे रखा है। इस तरीके से जो इन बसों को 350 किलो मीटर पर डे का रूट देना चाहिए था या इससे भी अधिक किलो मीटर पर डे देते तो यह बस मालिक शायद सक्षम हो जाते इनको चलाने के अन्दर। हुआ यह कि जो इसलिए मेरा सुझाव था कि इन लोगों को जो 350 किलो मीटर या इससे अधिक किलो मीटर पर डे रूट दिया जाता है उसके लिए इनको निजी परमिट इश्यू किये जायें। यह बीच का रास्ता है जिससे कुछ रिलिफ इनको मिलेगा।

नम्बर दो, आज जिस ढंग से कीमतों में बढ़ोतरी हुई अनुपात में इन लोगों के बराबर पैसे नहीं बढ़ाये गये। आज की तारीख में जो दिल्ली नगर निगम द्वारा रेट दी जा रही है वह 2 रुपया 40 पैसे पर किलोमीटर है। मान्यवर सभापति महोदय, राजस्थान में इन लोगों की बसें पहले 1 रुपया 60 पैसे में अनुबंधित की गयी थीं। उसके बाद में बढ़ा करके 1 रुपया 80 पैसा कर दिया। अभी थोड़े समय पहले दो चार महीने हुए होंगे, इन्होंने 2 रुपया किया है। मान्यवर सभापति महोदय, निगम और रोडवेज की जो बसें चलाई जा रही हैं उन पर खर्चा 3 रुपया 13 पैसा पर किलो मीटर आता है बसें बढ़िया सर्विस देती हैं, लोगों को जल्दी राहत पहुंचाती हैं ऐसी बसों को तो यह 2 रुपये से कम दे रहे हैं और रोड़वेज की जो बसें हैं जिनकी कोई एफीशियेन्सी नहीं है, कोई बढ़िया सर्विस नहीं है जिससे आम लोग इतने दुखी हैं, आप देखिये, लोग खड़े रहते हैं बस स्टेण्ड पर, उनको दस, दस, दो, दो और चार, चार घण्टे बसों के लिए इन्तजार करना पड़ता है। उन बसों का खर्चा 3 रुपया और $3\frac{1}{4}$ रुपया पर किलोमीटर आता है जब कि अनुबन्धित बसें हैं, जिनकी बहुत ही बढ़िया सर्विस है, बहुत ही बढ़िया एफीशियेन्सी से सर्विस देती हैं उनको आज दो रुपया पर किलोमीटर देने में सरकार हिचकिचा रही है।

मान्यवर सभापति महोदय, एक कल्पना थी कि इन परिवारों को राज्य सरकार ऊंचा उठायेगी किन्तु जो हमारे देश की नेता का एक नेशनल प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के द्वारा इन लोकों को राहत पहुचाने का कार्यक्रम था वह बड़ा विफल हुआ। यह बस आपरेटर्स हैं बहुत ही दुखी हैं। यह लोग बड़ी ही दयनीय हालत में पहुंच गये हैं। इसलिए, मान्यवर सभापति महोदय, इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाये। या यह जो आर. एफ. सी. ने इनको 3 लाख रुपये में बसें दी थी उसके ब्याज में कोई छूट दी जाये या कोई दूसरा रास्ता बीच का निकाला जाये या इनको

(श्री सुरजाराम टाक)

अनुदान राशि देकर छूट दी जाये। ब्याज इनका 4 साल में इतना बढ़ गया है कि 3 लाख में तो बसें ली थीं आज आर. एफ. सी. के 6 लाख रुपये हो गये हैं। अब बसें नीलाम भी नहीं होंगी, आक्शन नहीं होंगी। बस मालिक उनको नहीं चला पा रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि $12\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट ब्याज और 6 पर्सेन्ट डिफाल्ट का ब्याज ले करके $18\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट पर मन्थ के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज लगाते हैं, हर महीने जो ब्याज होता है उसको मूलधन में ऐड कर देते हैं। 1 लाख और 4 हजार, एक लाख और 8 हजार, यह चुका नहीं पायेंगे और इनका चक्रवर्ती ब्याज चलता रहेगा। 4 साल में यह स्थिति आई है कि जिन बसों की कीमतें 3 लाख रुपया थी उसी बस को बकाया आज 6 लाख रुपया हो गयी। वह आज 6 लाख रुपया आर. एफ. सी. को चुकाने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए, माननीय सभापति महोदय, इसका कोई बीच का रास्ता निकालें। इन बस मालिकों को राहत दी जाय। या दूसरे अच्छे से अच्छे इनको दिये जायें जिससे कि यह सक्षम हों चलाने में। जो दूसरी सुविधायें दी जा रही हैं। रोडवेज की बसों को वह इनको नहीं दी जा रही हैं। प्राइवेट आपरेटर्स की फेमिली में से किसी को कभी जाना पड़ता है या खुद मालिक जाता है तो वह भी टिकट लेकर बैठे। ऐसी भी सुविधा नहीं दी गयी है इसलिए यह भी विचारणीय विषय है कि इन लोगों को इस तरह की सुविधायें क्यों नहीं दी जा रही हैं? जब कि आप स्टाफ के लिये तीन सीटें सुरक्षित रखते हैं, अन्य लोगों के लिये सीटें रखते हैं तो दो सीटें इनके लिये रख दें तो कौन सी दिक्कत आने वाली है। उससे कौन सा बड़ा नुकसान होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत विचारणीय विषय है कि जब बसें अनुबन्धित की थीं 81–82 में उस टाइम में 79 प्राइवेट बसें थीं। धीरे धीरे यह हालत आ गयी है कि बसें करीब करीब आज की हालत में चलने लायक भी नहीं है जिसकी सूची मेरे पास आई है।

माननीय मन्त्री जी ने जो सप्लीमेंट्री सूची पेश की थी उसमें 11 बसें आक्शन से चुकी है या ये नीलाम करने के लिए हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह विचारणीय विषय है इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद भी स्थिति आज यह आ गई है कि यह परिवार इनको चलाने में बिल्कुल असमर्थ है। के हालात के अन्दर, सभापति महोदय, यह बहुत जरूरी विचारणीय विषय है कि इन परिवारों को बचाने के लिये आप कम से कम कोई बीच का रास्ता निकालें। या तो राज्य सरकार इन बसों को मुनासिब दर से खरीद ले जिससे इन बस आपरेटर्स को रिलीफ मिले ये बस आपरेटर या मालिक जो मान की हालत के अन्दर 80 परिवार इनको कतई नहीं चला सकते। इसके लिये या तो रोडवेज इन बसों को खरीद ले ताकि इनको छुटकारा मिल जाये वरना यह परिवार जिनको आप ऊपर उठाना चाहते हैं, जिनके प्रति आपकी हमदर्दी है, देश की नेता की हमदर्दी है आप लोगों की हैं, हमारे जो बहुत विद्वान और सम्माननीय मन्त्री महोदय बैठे हैं उनकी भी हमदर्दी है, आप इस पर विचार कीजिये कि हमें क्या करना

(श्री सुरजाराम टाक)

है। आपको कोई बीच का रास्ता निकालना होगा अगर बीच का रास्ता नहीं निकला तो यह इनके लिए बहुत बुरा होगा। यह परिवार कभी नहीं बस चला पायेंगे…

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुरजाराम टाक : माननीय सभापति महोदय, स्थिति यह आ गई है इनकी बसें बिकेंगी। आज जिस तरीके से खर्च बढ़ रहा है उन लोगों पर जो भार पड़ा है। इस कारण इनके घर बिकेंगे और इनके परिवार वाले मर जायेंगे। सभापति महोदय, आप इसको गंभीरता से लें ताकि इनके परिवारों को बसाया जा सके…।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री सुरजाराम टाक : इस पर आप विचार कीजिये ताकि इन परिवारों को बचाया जा सके। हमारा एक नेशनल प्रोग्राम था कि हम इनको आगे बढ़ायेंगे, हमारी एक योजना थी उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाये हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। हो सकता है कि इन लोगों की कुछ कमियां रही हों फिर भी कुल मिलाकर जो कमियां हैं उनको भी हमें दूर करना होगा। इसके लिये हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ताकि इन परिवारों को बचाया जा सके…

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री सुरजाराम टाक : माननीय सभापति महोदय, मैंने मुद्दा यह है कि इनको निजी परमिट दिये जायं, जो 350 किलो मीटर था रूट प्रतिदिन इसको भी बढ़ा दिया जाये और अनुदान की जो राशि है उसकी भी व्यवस्था कर दी जाये $2\frac{1}{2}$ रुपया कम से कम रेट होनी चाहिये। आपकी रोडवेज की बसों का खर्चा बहुत ज्यादा है उसके हिसाब से $2\frac{1}{2}$ रुपया बहुत ज्यादा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इस पर भी विचार कीजिये तो ठीक रहेगा…

श्री मोहनलाल मोदी : दूसरे प्रान्तों में क्या है ?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। कृपया बैठें।

श्री सुरजाराम टाक : धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, मेरे को मौका दें।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल ताम्बी।

(व्यवधान)

बिराजें। आपको भी मौका दे दूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, यह गम्भीर विषय है जिस पर काफि विस्तार से माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला है। मैं भी अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं....

श्री सभापति : केवल पांच मिनिट में, श्रीमान्।

श्री रतनलाल ताम्बी : प्रश्न यह है कि एक ओर हम समाजवादी समाज की रचना की शोषण हीन समाज की बात करते हैं रोडवेज ने स्वयं शिड्यूलड कास्ट्स बात करते हैं, ओर शिड्यूल्ड ट्राइब्स आपरेटर्स के लिए एक नयी योजना राजस्थान में शुरू की। हमने प्रयास किया कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें स्वावलम्बी हो सकें परन्तु दुर्भाग्य इस बात का रहा कि स्वावलम्बी होकर खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है यह स्थिति बन पायी है कि जितने भी बस आपरेटर्स थे जिन्होंने अपनी सारी पूंजी को समाप्त कर दी और आज उनकी स्थिति यह है कि ब्याज दर ब्याज की स्थिति बन गई, उससे पीढी दर पीढी की यह परिवार वापस उभर नहीं सकते। एक तो यह है। दूसरा मेरा निवेदन यह करना है कि एक तरफ तो हम यह कह रहे हैं शोषण नहीं होना चाहिए तो रोडवेज और प्राइवेट बसें जो चल रही हैं उनके बीच में इतनी असमानता है कि जहां तीन रुपया और सवा तीन रुपया रोडवेज का पर किलो मीटर खर्चा आता है वहां पर जो प्राइवेट बसें चल रही हैं, हायर की हुई हैं उनको दो रुपया दे रहे हैं। मैं समझता हू कितना बड़ा अंतर है। यह शोषण को प्रोत्साहन देने की नीति है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में बोर्ड में भी काफी विचार-विमर्श हुआ। कुछ लोगों ने असहमति प्रकट की, रेट्स के बारे में असहमति प्रकट की लेकिन रोडवेज के जो व्यवस्थापक हैं या प्रबन्धक हैं, या चेयरमेन हैं उन लोगों ने उनकी भावना की कदर नहीं की और एक मनमाना निर्णय थोप दिया। आज की स्थिति में टायर की कीमतें, मोटर पार्ट्स की कीमतें, डीजल की कीमत बढ़ गई है, और उस पर ब्याज, दर ब्याज, इस स्थिति में मैं समझता हूं, यह बहुत बड़ा अन्याय है। इस बारे में आज पुर्नविचार की आवश्यकता है। मेरा इस व्यवसाय से संबंध है उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि पर किलो मीटर जो रोडवेज देती है उसमें कोई बस नहीं चलाई जा सकती है। रोडवेज की बसों की जो स्थिति, रख रखाव की स्थिति है और प्राइवेट बसों की स्थिति है उसमें बहुत बड़ा अन्तर है, इसलिये निश्चित रूप से इस पर पुर्नविचार की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा कि अन्य राज्यों में भी जो रेट्स हैं उनके हिसाब से राजस्थान में भी कम रेट दी जा रहीं हैं। बस आपरेटर्स ने इस बारे में जाच के मांग की थी जांच के बाद जो पूरी कार्यवाही करवायी थी माननीय यातायात मन्त्री जी जब इस पर प्रकाश डालें तो उसको स्पष्ट करें, उससे स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जायगी। बोर्ड में इस बारे में विचार विमर्श हुआ। बोर्ड के सदस्यों की क्या राय थी, क्या आधार लेकर निर्णय लिये, उन सब को जब आप उत्तर दें तो अपने भाषण में बतायें तो मैं समझता हूं, स्थिति बहुत स्पष्ट हो जायेगी।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बारे में बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। शोषण मुक्त समाज रचना की बात करने वाले हम सब लोग इस पर विचार करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री सभापति : श्री यातायात मन्त्री महोदय।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय यातायात मन्त्री महोदय को बोलने दीजिये। आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री हीरालाल आर्य : एक ज्वलंत समस्या है...

श्री सभापति : बिराजें आप। माननीय यातायात मन्त्री।

(व्यवधान)

बोलेंगे तो एक ही न। माननीय सदस्य, बिराजें।

(व्यवधान)

कृपया मेरा निवेदन सुन लीजिये।

माननीय सदस्यगण, माननीय श्री सुरजाराम की प्रार्थना पर आसन ने आधे घण्टे की चर्चा कीं एक प्रश्न के सदंर्भ में अनुमति दी है। इस आधे घण्टे की चर्चा का समर्थन माननीय सदस्य श्री रतन लाल ताम्बी ने किया है। आप लोगों का नाम उस आधे घण्टे की चर्चा में नहीं है। जहां तक प्रश्न है इन....

(व्यवधान)

आप मेरी बात तो सुनिये। आप मेरी बात तो सुन लीजिये।

आधे घण्टे की चर्चा $1\frac{1}{2}$ बजे आरम्भ कर दी गई थी। अब दो बजने में केवल 12 मिनट का समय है। माननीय मन्त्री महोदय को अपना जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप सब प्रश्न पूछ लीजिये। माननीय मन्त्री जी को उत्तर देने दीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, कट्ठे ही जवाब दे देंगे।

श्री सभापति : आप केवल प्रश्न पूछना चाहते हैं। केवल प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, आप के माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से इस चर्चा के दौरान जो मुद्दे रह गये हैं उनके बारे में कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। क्या यह सही है कि पहले जो पूंजीपति लोग थे वे शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अपने चुंगल में फसाये रखने के लिये तरह तरह के तरीके ढूंढा करते थे, कांग्रेस ने भी सोचा की शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों को अपने चुंगल में फांसे रखें, इसके लिये एक तरकीब निकालकर, जाल में फसान वाला विज्ञापन निकालकर कि 5 हजार में आपको बस देंगे...

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिये।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा, कांग्रेस ने प्रलोभन दे कर अपने चुंगल में फंसा लिया है। 5 हजार के नाम पर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का बस खरीदने के लिये कम से कम एक लाख रुपया खुद का खर्चा हुआ है, क्या यह सही है ? एक बात। दूसरा जो निगम की बसें चल रही हैं, इसकी खुद की बस के ऊपर 2,60 प्रति किलोमीटर खर्चा आता है और उनको केवल 1.90 रुपया दे रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा....

श्री सभापति : सब मुद्दे माननीय सदस्य ने उठा लिये हैं।

श्री हीरालाल आर्य : निगम की बस यदि लेट हो जाती है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगती लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट की बस एक मिनट लेट हो जाय तो उस पर 10 रुपये पैनल्टी, एक दिन लेट हो जाये तो 400 रु. पैनल्टी, एक दिन कोई भी बस की दुर्घटना हो जाय तो पांच हजार जुर्माना। बस कभी भी खराब हो सकती है कोई एक दिन पहले कैसे लिख कर दे सकता है कि मेरी बस दुर्घटना ग्रस्त होने वाली है। एक दिन पहले लिख कर दें तो आप बस रोक सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, यांत्रिक खराबी हो सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

किसी कारण से बस रुक सकती है तो 400) रु. का जो जुर्माना है और लेट होने की जो पैनल्टी फिक्स की है वह बहुत ही ज्यादा की है। सभापति महोदय, जो बसें लेट होती हैं वह कन्डक्टर की वजह से होती है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें, कृपया बिराजें। आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय सभापति महोदय, दूसरे प्रान्तो में भी जो निगम हैं वे इस तरह से बसें चलाते हैं, दिल्ली, यू. पी. में 2.60 पैसे, एक जगह 2.80 पैसा, फिर राजस्थान में ऐसा क्यों किया जा रहा है ? यह तो आप शिड्यूल्ड कास्टस के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह जो रोड़वेज की खुद की बसें चल रही हैं इसके आधार पर उन्होंने बसें चलाना बन्द कर दिया और उनकी बसें खड़ी हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त कर दें। मेरे विचार से माननीय मन्त्री महोदय को अपना वक्तव्य देने दीजिये—....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द आमलिया : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा....

श्री दाऊदयाल जोशी : मन्त्री पद से हटने के बाद माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द आमेलिया (चौरासी) : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने रोडवेज में जो मुनाफा बताया है क्या वह प्राइवेट बसेज के द्वारा ही अर्जित किया हुआ पैसा है ? दूसरा यह है कि आपके यहां जो रोडवेज की बसेज चलती हैं उनका खर्चा 3-15 पैसे आता है और उतना ही खर्चा प्राइवेट में आता है। तब जो गाड़ियां प्राइवेट में चलती हैं उनको 1-60 पैसे क्यों दिये जाते हैं जबकि रोडवेज की बसेज का इस प्रकार का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है ?

दूसरा, राजस्थान में जो प्राइवेट बसें कान्ट्रेक्ट पर दी हुई है उनको 350 किलोमीटर तक दो रुपया और उसके बाद 1.60 दिया जाता है जब कि दिल्ली परिवहन निगम में 2 रुपया 60 पैसा दिया जा रहा है और यू. पी. में तीन रुपया दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने आदिवासियों और हरिजनों को आर्थिक विकास की दृष्टि से अपना धन्धा चलाने का मौका दिया था लेकिन ये बस ओनर अपना सारा इन्वेस्टमेंट करके भी डूब रहे हैं। उनको आप किस तरह उभारने की कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : फिर बाद में मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद में प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : सभापति महोदय, पहले मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जाय.......

(व्यवधान)

श्री सभापति : जो मांग है, समाज कल्याण की है। आप अभी सारा समय लेना चाहते हैं, अजीब बात है।

(व्यवधान)

आप भी फरमा दीजिये।

श्री नाना लाल (राजसमन्द) : सभापति महोदय, हमारी पार्टी की एक नीति है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका उत्थान करना चाहते हैं। जो योजना बनाई वह भी पिछड़े वर्ग के लिये बनाई गई थी। इस योजना को फेल करने के लिये कुछ लोगों ने यह प्रतिज्ञा की है कि इस योजना को हम फेल करके रहेंगे। उसी हिसाब से इनको परेशान किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जन जाति को निगम द्वारा दस हजार का अनुदान देते हैं, उसके बाद उनके पास जितना पैसा था वह भी लगा दिया। वित्त निगम को जो पैसा देना चाहिये था वह उनको नहीं दिया गया। चेसिस के लिये उनको अपना घर बेचकर भी लगाना पड़ा। ऐसी स्थिति में उनको 1 रुपया 60 पैसा और 1 रुपया 80 पैसा प्रति किलोमीटर दिया जा रहा है, यह उनके साथ भयंकर अन्याय है। कई दिनों तक तो उन्होंने इस विरोध में अपनी स्ट्राइक रखी। उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो उद्देश्य इस योजना के लिये रखा गया था वह आज नहीं है। मैं समझता हूं राज्य सरकार इस नीति को बदल नहीं सकती है.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय, आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की भावना को बदलिये····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्यथा हमारी पार्टी को नुकसान हो सकता है।

श्री पीरूराम (टीवी) : सभापति महोदय, मैं दो-तीन बात बसों के बारे में पूछना चाहता हूँ। मन्त्री जी सही जवाब दें। एक तो मेरा यह निवेदन है कि बसों के मालिक जब बिल पास कराते हैं तो आमतौर पर सुनने में आया है कि 5 प्रतिशत कमीशन दफ्तर में देते हैं। यह बात क्या सही है ?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ ये 150 बसें प्राइवेट है जिसमें 50 शिड्यूल्ड कास्ट की है और 100 अनुसूचित जन जाति की है। तो इनकी बसेज के अन्दर भी आपने भेदभाव रखा है। उनको ली-लैण्ड का चेसिस दिया। उनको दिया मर्सडी चेसिस जो लीलैण्ड चेसिस है वह गाड़ी किसी कीमत में सिवाय कबाड़ियों के कोई नहीं खरीद पाता मर्सडी गाड़ी है वह किसी भी टाईम कहीं भी अच्छी कीमत में बिक जाती है। जो लोहा होता है वह सोना होता है। उसके बाद हालत यह है कि ली लैण्ड टायर ज्यादा फोड रही है। उसके साथ ही जो भी उसके रख रखाव का खर्चा होता है वह ज्यादा आयेगा। इसलिये ऐसा लगता है कि जान बुझकर इन अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों के साथ सरकार यह खिलवाड़ कर रही है। उन्हे यह कह रहे हैं, काफी मुझे मिले भी है जिसने उन्हें यह बसें अलाट की हैं उस के पास जायें। ये लोग सरकार के पास जायेंगे, सरकार को कहेंगे, इन्साफ मांगेंगे। मेरा निवेदन है, इनका मकान तो बिक चुका करीब करीब, अब आप रहम दिल होकर इनके बच्चों को तो मत बिकाओ वरना यह पलायन कर जायेंगे। मेरा कहना है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के पास करीब 90 या 85 गाड़ियां हैं अब तो रोडवेज दफ्तर इनको वापिस सम्भालें, या यह एक पैसा नहीं ले, ये सब बस देने को तैयार हैं सीधे के सीधे क्योंकि इनके घर का खर्चा नहीं चलता है। आपकी इस प्रकार की भेदभाव वाली भावना को काफी माननीय सदस्य बता चुके हैं। इसके बाद में मैं यह भी बताना चाहता हूँ, मान लें यहाँ से जोधपुर गाड़ी जाती है और रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाता है और दूसरे दिन आती है तो बस की सवारियों को कितना बड़ा भारी नुकसान होता है। यह एक बड़े शर्म की बात है। इन गरीबों के प्रति कितना बड़ा अन्याय हमारी सरकार कर रही है। हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी चाहती हैं कि गरीबों का उत्थान हो और इधर हमारी सरकार चाहती है कि गरीब दबा रहे। मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करें। मन्त्री महोदय, इस पर सद्‌भावनापूर्वक विचार करें, या तो इनकी शर्तें आप मान लें या ····

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

या इन्हें प्राइवेट रूट दे दें।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप बोलना चाहेंगे ?

श्री अमर चन्द (गंगरार) : सभापति महोदय, बस आपरेटर्स के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो नीति बनाई वह भी महज इसलिये कि गरीब आगे बढ़े और ये भी कुछ धन्धा करके अपने परिवार का भरण-पोषण करें, लेकिन जिस भावना से जिस उद्देश्य से, यह योजना लागू की गई थी, पहाड़ियाजी के मुख्य मन्त्रित्व काल में यह योजना लागू की गई थी इसके पीछे जो भावना थी वह यही थी कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को 50 पर्सेन्ट बसें अलाट करने का निर्णय किया गया था। आज वह बात निकल गयी। उनका मन्त्री मण्डल बदल जाने के बाद वह सारी बातें निकल गयीं और आज शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को ऊपर उठाने के बजाय उनको और नीचे बैठाया जा रहा है। मेरा इसमें एक सुझाव है, अब इनके रहे सहे जेवरात और मकान आदि सारे के सारे लोगों के गिरवी पड़े हुए हैं या कुछ लोगों को बेच दिये गये है। अब जबकि 3 लाख के बजाय 6 लाख के ऊपर कर्ज हो चुका है तो आप ही विचार करें कि ये कैसे आगे बढ़ पायेंगे। मेरा इसमें एक निवेदन है कि इन लोगों को उनमें छूट दी जाय और ब्याज में छूट दी जाय ताकि ब्याज की छूट से उन लोगों की थोड़ी पूर्ति हो सके।

दूसरा इसमें मेरा सुझाव यह है कि रोडवेज के द्वारा इनको जो माइलेज दिया जाता है वह माइलेज जैसे दो रुपये या 1 रुपया 90 या 85 पैसा जो कुछ है वहां अन्य राज्यों के अन्दर 3 रुपये है। दूसरे हमारे यहां पर रास्ता बना हुआ है कच्चा जिस के ऊपर बसें चलती हैं तो ज्यादा खर्च आता है फिर यह और व्यवस्था बना रखी है। दूसरे राज्यों के अन्दर तीन रुपये प्रति किलोमीटर देते हैं। तो इनको उसी प्रकार तीन रुपये प्रति किलोमीटर देकर, कुछ ब्याज में छूट देकर उनकी मदद की जाय तो उनका बचाव हो सकता है। सभापति महोदय, नहीं तो यह ऊपर चढ़ने के बजाय रसातल में पहुंच जायेंगे। यह तो ज्यों ज्यों दिन निकल रहे हैं त्यों त्यों कामड़ा भारी व्है रह्यो है, जैसी कहावत है कि ज्यों ज्यों भीजे कामड़ो त्यों त्यों भारी होय। इस प्रकार इन गरीबों का तो नामोनिशान मिट जायेगा, बसों के नाम पर मेरा तो यही सुझाव है कि यह जो दो सुझाव मैंने दिये हैं उनसे इनकी किसी प्रकार की मदद हो सकती है। बस इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय यातायात मन्त्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : सभापति महोदय, जो मुद्दे उठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं अपनी ओर से कुछ बात कहूं उसके पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना उचित समझूंगा। राजस्थान पथ परिवहन निगम में 213 बसेज अनुबन्धित हैं। उनमें से 97 बसेज जो हैं वह अनुसूचित जाति और जनजाति की हैं। 97 में से 79 बसेज तो एक स्कीम के तहत उनको दी गयी है जिनको राजस्थान के बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत दिया जाना हमने तय किया है। उसके अलावा 18

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

बसेज ऐसी है जो पहले से ही हरिजन और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने बैंक से लोन लेकर के अनुबन्धित कर रखी हैं। राजस्थान पथ परिवहन निगम ने अनुबन्धित बसें 1979 से ही चलाना तय कर रखा था इसलिए 1979 के बाद 18 बसेज, जो हरिजनों और सनुसूचित जनजाति के लोगों की हैं, इस निगम में अनुबन्धित हो गयीं। उनके जो भी रेट्स थे वह भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके बाद 79 बसेज राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लोगों और अनुसूचित जनजाति के लोगों की राजस्थान पथ परिवहन निगम से अनुबन्धित हुई। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह भी कह देना उचित समझता हूं कि राजस्थान पथ परिवहन निगम ने जो भी शर्तें, जो भी एग्रीमेंट अनुबन्धित करने के समय उनसे कराया था वह एग्रीमेण्ट कोई मैंने नहीं तैयार किया, कोई राजस्थान सरकार ने तैयार नहीं किया। उनके बीच में जो एग्रीमैण्ट हुआ था वह राजस्थान पथ परिवहन निगम और जिन्होंने बसें लगायी थीं उनके बीच में हुआ है। वह एग्रीमैन्ट दोनों की रजामन्दी से हुआ है। उसमें कहीं राजस्थान सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की थी उसमें इस बात के लिए कहा था कि 5 पर्सेन्ट पर उनको वित्त निगम से ऋण मिल जायेगा। पाँच पर्सेन्ट पर वित्त निगम से उन्हें ऋण मिल गया। यह भी था कि उन्हें कोटा में चेसिस मिल जायेंगे। अब यह ठीक है कि किसी को टाटा के मिले, किसी को मर्सडीज के मिले। पथ परिवहन निगम कोटा से उनको चेसिस मिल गये। चेसिस मिलने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बॉडी बना लीं और उनको ऋण मिल गया। तो राजस्थान सरकार ने जिन रियायतों की घोषणा की थी वह रियायतें उनको प्राप्त हो गयीं। उसके बाद चूंकि राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी, उस समय कन्ट्रैक्ट की शर्तें थीं उसके मुताबिक जो शर्तें छपी हुई थीं, माननीय सभापति महोदय, कोई नयी उसमें तब्दील नहीं की, उसके अनुसार उन्होंने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साथ अनुबन्धित कर लीं। अनुबन्धित करके वह समय समय पर उन बसों को चलाते रहे। चलाने के बाद, कुछ अर्से के बाद यह प्रश्न पैदा हुआ कि जितना भी उन्हें पैसा दिया जाता है वह उन्हें पोसाता नहीं है, उससे उन्हें लाभ नहीं, उससे वह नुकसान की ओर जा रहे हैं। यदाकदा और समय समय पर वह लोग मुझसे भी मिलते रहे और समय समय पर अधिकारियों से भी मिलते रहे। हमने यह प्रयास भी किया कि जो रेट्स हैं वह बढ़ाई जायें। केवल 97 बसेज नहीं राजस्थान पथ परिवहन निगम में 213 बसेज आज के दिन अनुबन्धित हैं। यह भी माननीय सभापति महोदय, आपको बताऊँ, जो 79 बसेज प्लस 18 बसेज राजस्थान में हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वह हड़ताल पर गये, उनमें से 28 बसेज हड़ताल पर गयीं, 28 बसेज बहुत अर्से तक बन्द रही उनमें से आज के दिन एक दो बसें है वह तो निलाम हो गयीं। एक अलवर का अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसने खुद कहा कि मैं तो गलत जगह फस गया हूँ, मैं तो ज्यादा से ज्यादा इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता इसलिए इस बस को नीलाम कर दिया जाय और

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जो इससे मिले वह तो इससे ले लिया जाय और अगर मुझसे कुछ लेना हो तो वह भी देने को तैयार हूं, पर मेरे बस का नहीं है। एक बस उसने स्वयं लिखकर, वित्त निगम को लिखकर नीलाम करा दी। एक बस को हमने। एक बस जो है वह क्या है कि अनुबन्धित भी चलती थी और रात को या कभी, जब समय मिलता था, वह इल्लीगल पंसेन्जर ले करके इधर उधर चला जाता था। उसको जब पकड़ा तो उसको यह कहा कि भई आप बस हटा लें और उसने बस हटा ली। 9 बसेज ऐसी हैं जिन्होंने पता और जगह पर लगा दीं या कुछ नहीं किया, उन्होंने हमसे तो आकर कहा नहीं। इसलिए बसेज स्वेच्छा से राजस्थान रोडवेज कार्पोरेशन को छोड़कर चली गयी। अब स्थिति हमारे सामने आज के दिन यह है। अब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि कार्पोरेशन के अन्दर वहां यह मिलता है, वहां यह मिलता है, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए समय-समय पर बतांता भी रहा हूं और अब भी बताना चाहता हूं कि जो दरें थीं पहले, जिसका कि माननीय सदस्यों को भी पता है. 1979 से पहले जो दरें थीं वह 1.40 थीं, 79 के बाद 1980 के अन्दर हमने 1977 से 1980 के माडल की गाड़ियों की दरें 1 60 रुपये प्रति किलोमीटर रखीं और 350 किलोमीटर से आगे चले तो 1.40 रुपये प्रति किलोमीटर रखीं। इसी तरह 1976 से नीचे के माडल को 1.50 रुपये रखी और 350 किलोमीटर से ज्यादा चलने पर 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर रखी। सन् 1981 के बाद रिवीजन किया। रिवीजन करके हमने जिनका किराया 1.60 था उनका 1.80 कर दिया। जो 350 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी उसका 1.60 कर दिया और 1976 के माडल की गाडी का 1.70 और 1.50 कर दिया। इसके बाद फिर आया और फिर आने के बाद हमने 10 पैसे उसके अन्दर और बढ़ा दिये। बढ़ाने के बाद 1.90 रुपये, दो रुपये तक प्रति किलोमीटर कर दिया। उसके करने के बाद जो यह तर्क दिया जाता है जो यह बातें कही जाती हैं कि डीजल की कीमत, टायरों की कीमत बढ़ी हैं इसकी वजह से यह दर पोसाती नहीं है या यह घाटे की चीज है, राजस्थान रोडवेज केवल अनुबन्धित बसों के आधार पर ही आज लाभ की स्थिति में है और अनुबन्धित बसों से ही यह सब रोड़वेज पैसा कमा कर दिया है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि आज जो अनुबन्धित बसेज हैं उनके पास अच्छे-अच्छे रूट्स हैं, कोई अलवर से जयपुर जाती है, कोई अलवर से जयपुर से जोधपुर जाती है, कोई जयपुर से बांसवाड़ा जाती है। जयपुर से जो अच्छे-अच्छे रूट्स है जिन रूट्स पर अच्छी सड़कें हैं जो ज्यादा-ज्यादा किलोमीटर्स के रूट्स हैं उन के ऊपर अनुबन्धित बसें चलती हैं और उन बसों के ऊपर लोड़ फैक्टर ज्यादा है, राजस्थान पथ परिवहन निगम की जो बसें जयपुर से दिल्ली चलती हैं उनकी पांच रुपये पर किलोमीटर से ज्यादा इनकम आती है। यह सवाल नहीं है कि अनुबन्धित बसों के ज्यादा आंकड़े आये, केवल वह तो लोड फैक्टर और अच्छे रूट्स का सवाल है। यदि उन्हीं बसों को मैं वह रूट्स दे दूं, जो

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मेरे पास हैं कि वह साढ़े तीन सौ किलोमीटर चलें, जयपुर से बांदीकुई चलें, भरतपुर और कुम्हे और खेड़ली चलें, जयपुर से नीम का थाना चलें, तो आज उनकी इनकम, जिस इनकम के लिये ये कहते हैं कि इस इनकम के आधार पर राजस्थान रोड़वेज को फायदा हुआ है, तो इनकी इनकम भी गिर जायगी। क्योंकि यह लोड़ फैक्टर का सवाल है। कौन सा 'रूट ज्यादा लोड़ फैक्टर को कैच करता है। इसलिये इनका यह सवाल सही नहीं है। मैं इस बात को मद्दे नजर रखकर यह कहना चाहता हूं कि जब जब कीमतें बढ़ी हैं जैसा मैंने बताया, उनकी हम दरें बढ़ाते रहे हैं। दरें बढ़ाने के साथ ही, माननीय सभापति महोदय, जब हमने उनसे बात की तो हमने कुछ और भी राहत दी है। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वह आते है तो उनसे बात नहीं करते हैं। हमने उनसे बातचीत के बाद हमने कुछ किया है। जिस गन्तव्य स्थान तक वे जाती हैं, अगर ढाई घंटे लेट हो जाता है, आधा घंटे एक बार में तो उन पर कोई जुर्माना नहीं होता है, यह भी तय किया है। यह भी छूट दी है। इसके बाद उनको मुख्यालय पर आने के लिये और जो भी जगह है, उसके लिये नोर्म्स तय किये हैं। इसके अलावा रास्ते में कोई ब्रेक डाउन हो जाता है जैसा माननीय सदस्य ने कहा रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद या टायर फट जाने के बाद उसको कोई पेमेन्ट नहीं होता है, जिस स्थान तक वह आता है उस स्थान तक का पेमेंट होता है। दूसरे दिन भी यदि किसी वजह से नहीं जा पाता है तो उस पर किसी प्रकार का कुछ नहीं है। इसके अलावा हमने यह भी तय किया है ...

श्री हीरालाल आर्य : एक दिन भी बस रुकती है तो वसूल करते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं जो बोल रहा हूं, मेरी सुन लीजिये, और अगर कोई बात आप....

श्री हीरालाल आर्य : एक दिन बस रुकती है उसकी पेनल्टी वसूल करते हैं या नहीं? एक रूक जाती है या कोई यांत्रिक खराबी हो गई....

श्री जयकृष्ण शर्मा : ब्रेक डाउन होता है तो नहीं करते हैं। बाकी जो मैंने बताया मैरिज पार्टी है और आप कोई इधर से ले जाओगे तो क्यों नहीं वसूल करेंगे। कार्पोरेशन ने बस इसलिये नहीं दी कि जब चाहो तब कहीं चले जाओ कहीं आ जाओ। वह उन्होंने किया मैंने तो नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : मजबूरी होगी,

श्री जयकृष्ण शर्मा : मजबूरी में होने वाले ब्रेक डाउन और टैक्नीकल खराबी वाले में नहीं है।

इसके अलावा मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, अनुबन्धित वाहनों के स्वामी को प्रथम पखवाड़े में पेमेंट किया जाता है 21 तारीख तक। और दूसरे पखवाड़े में 6 तारीख तक/पहले पखवाड़े में पेमेंट करते हैं उनमें न तो किश्त काटते हैं न कुछ और करते हैं। जो दूसरे पखवाड़े में पेमेंट करते हैं उसमें से 4500 रुपये, जो वित्त निगम

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

का है, काटते हैं। यह बहुत सी हमने सहूलियतें इस तरह से दी हैं। अनुबन्धित बस मालिकों की जो 7800 रुपये किश्त थी, उसको भी वित्त निगम ने 4500 कर दिया हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कह दूं, मैंने तो जिस समय घोषणा की, जिस समय वित्त निगम से लोगों ने ऋण लिया, जिस समय बस तैयार करायी, उस समय दस्तखत करने के लिये मैंने तो कही नहीं थी, मैं तो न मन्त्रिमण्डल का सदस्य था, ना मेरे पर राजस्थान के इस विभाग का दायित्व था। यह तो आपकी भ्रांति है...

(व्यवधान)

श्री पीरूराम : आप यह नहीं कह सकते हैं, मैं राजस्थान मंत्रिमंडल में नहीं था, जो मंत्री जिस टाइम थे ...

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आपने जो कुछ पूछा है उसका जवाब दे दिया है। आपने सवाल किया, किसी स्कीम को फेल करना चाहते हैं ? मैं तो किसी की स्कीम को फेल नहीं करना चाहता, मैं एक बात कह दूं, कोई भी काम करने से पहले हमें हर बात को सोचना होगा, उसका इकानामिक प्रभाव सोच कर निकालना होगा। किसी भी धंधे को करने के पहले उसका आर्थिक किस प्रकार का दृष्टिकोण हैं, उसकी क्या योजना है, क्या प्रोजेक्ट है, जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं हो, तब तक मैं कहूंगा कि इस प्रकार काम नहीं चल सकता है। मैं माननीय सभापति महोदय, यह भी कह दूं, जिस प्रकार की बातें हुई मैं समझता हूँ, उन बातों के अन्दर कोई सार नहीं है। मैंने स्वयं भी इस बात के लिये कहा था, यह भी कहूं, बोर्ड के अन्दर जो नान-आफिसियल मेम्बर साहिबान हैं, उन्होंने इस बात के लिये कहा कि इनकी रेट बढ़ायी जाती है उसमें 10 पैसा और होना चाहिये। उसका बोर्ड के अन्दर नोट ऑफ डिसेंट दिया था। माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं और सदन भी जानता है, जो कार्पोरेशन है, यह तो ठीक है आप सब कहते हैं, आप सब का गुस्सा, आप सबकी बातें आपको कहनी हैं, मंत्री जी ने यह बात नहीं कहीं मंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। आदेश देने की बात नहीं है, कार्पोरेशन से आप भी जवाब तलब करते हो, हाउस भी करता है, दूसरे लोग भी करते हैं। जो ये निगम हैं, जो ये स्टेट अण्डरटेकिंग्स हैं, किस प्रकार से घाटे में चले जा रहे हैं, इसके लिये दूसरे प्रश्न पैदा हो सकते हैं, दूसरे तरीके पैदा हो सकते हैं परन्तु कार्पोरेशन को घाटे में ले जाने के लिये कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता है जिससे यह कहने का मौका मिले कि कार्पोरेशन के घाटे में जाने की वजह से राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं हो सकी इसलिये मेरा यह सवाल नहीं है। मैं अब भी कहता हूं, जो कुछ भी बातें कहीं गई हैं वे सब तथ्यहीन हैं कि अनुबन्धित बसों की वजह से निगम मुनाफे में आया है। इस बात में कोई सार नहीं मानता। यह तो केवल रूट की बात है। जो दरें हमने बढ़ायी है, 1.90 की है हालांकि एग्रीमेंट में नहीं है उसके बाद भी

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मैंने समय-समय पर निगम के अधिकारियों को यह आदेश दिये हैं कि जैसे-जैसे कीमतें बढ़े आपको इस पर निगम की मीटिंग के अन्दर, निगम के बोर्ड में विचार करना चाहिये क्योंकि वे कीमतें बढ़ने से लिंक करते हैं। यह बात मैंने हमेशा जब-जब भी उनसे इस संबंध में, निगम की और बातों पर विचार विमर्श किया है, कही है। यह अपनी सलाह और आदेश दिये हैं। यह भी मैं आश्वासन दे सकता हूं कि मैं पुनः इसी बात की सलाह और आदेश दूंगा, बदलती हुई परिस्थितियों में इस बात को वे फिर देखें और जो भी रास्ता निकाल सकें, उसमें सब के हितों को देखते हुए कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालें जिससे कि हमारी अनुबन्धित बसों के जो आपरेटर्स हैं वे अपनी बसें सही तरह से चला सकें।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई....

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, मंत्री महोदय का वक्तव्य दुराग्रह से परिपूर्ण है। एक बार सामने वाले से हस्ताक्षर करा कर उसका शोषण करते रहते हैं, और इसकी दुहाई देते रहते हैं मैंने तो अनुबन्धित नहीं किया, वे कर दें दस्तखत, मैंने नहीं किया इसकी बराबर दुहाई देते रहते हैं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य, बिराजें—

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय, उनकी बात सुनते नहीं हैं—

श्री सभापति : अंकित न हो....

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें....

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री सभापति : अंकित न हो—

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री सभापति : अंकित न हो, अंकित न हो....

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये, कृपया बिराजिये, अंकित न हो....

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री सभापति : अंकित न हो....

श्री हीरालाल आर्य : ×××

एक माननीय सदस्य : प्रश्न तो पूछ सकते हैं....

श्री सभापति : आपने तो चर्चा प्रारम्भ की है। आज समाज कल्याण विभाग की मांग है उसके अन्दर बोलिये, इस संबंध में चर्चा करलें खूब डट कर इन्हीं से संबंधित मांग है। कृपया बिराजें।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं —

श्री सभापति : जब समाज कल्याण विभाग की मांग चले तब प्रश्न कीजिये ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं जब उनकी हड़ताल हुई तो कितनी बार आपने वार्ता की ? क्या सफलता मिली ?

श्री सभापति : कोई अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य । कोई उत्तर नहीं होगा । आप बिना अनुमति के प्रश्न पूछ रहे हैं बिना अनुमति के बोल रहे हैं । कृपया विराजें, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक छोटा सा सुझाव है....

श्री सभापति : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य, कृपया बिराजें । मेरे साथ सहयोग कीजिये । आसन के साथ सहयोग कीजिये । कृपया विराजें । माननीय सदस्य, कृपया विराजें । कृपया विराजें ।

व्यवस्था का प्रश्न

आधे घण्टे की चर्चा में प्रश्न पूछने का अधिकार

श्री समर्थलाल : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब कोई मंत्रीगण स्टेटमेंट देते है उनके बाद सदस्य महानुभावों को सवाल पूछने का अधिकार है । आप उसके संबंधित महानुभाव जिन्होंने यह पेश किया था मामला को प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें ।

राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया । उन्होंने यह चाहा है कि जब कभी माननीय मंत्री गण वक्तव्य दें तो माननीय सदस्यों का उस वक्तव्य के संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार है । मैं इस संबंध में माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि आजजो वक्तव्य मंत्री महोने दिया है वह वक्तव्य के रूप में नहीं बल्कि माननीय सदस्य सुरजाराम जाट ने आधे घंटे की चर्चा का मुद्दा उठाया था केवल उसका उत्तर दिया है । यह वक्तव्य की तारीफ में नहीं आता ईसलिये मैं प्रश्न पूछने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हीरालाल आर्य सदस्य विधान सभा कोटा जिले के मांगरोल, कैथून तथा अन्य गांवों में मसूरिया साड़ी के बुनकरों को पर्याप्त सामान नहीं मिला और उनके द्वारा बनाया हुआ माल खरीदने की सरकार द्वारा उचित व्यवस्था नहीं करने के संबंध में मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, कोटा जिले की प्रसिद्ध मसूरिया साड़ी....

मांग पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, मांग संख्या 30 पर आज चर्चा होगी । दूसरी तरफ आपने लिख दिया है कि साढ़े चार बजे

(श्री भैरूलाल मीणा)

मुखबन्द कर विधेयक पास कर दिये जायेंगे तो क्या यह भी मुखबन्द कर पास कर दिया जायेगा या कुछ बोलने का मौका मिलेगा। पहली विधान सभा में भी हमने कहा था कि बीच में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिये। अभी भी स्थिति यही रखी है मुखबन्द कर इसको पास कर देंगे। क्या यही होगा ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको ध्यान होगा, मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न का जवाब दे दूं, बिराजें....

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराडा) : सभापति महोदय, पहले भी जब यह मांग आयी है तो आखिर में आयी जैसे आज। साढ़े चार बजे मुखबन्द की बात है। तो क्या हम लोगों को अपनी बात कहना नहीं देना नहीं चाहते हमको मौका देना नहीं चाहते ? यदि आपकी यह नीति हो तो हम को कह दीजिये कि हमें बोलने देना नहीं चाहते।

श्री सभापति : कृपया बिराजें मैं व्यवस्था दूं या नहीं दूं।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : कांग्रेस के लोग आप पर कब ध्यान देते हैं, आप × × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य भैरूलाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए आसन से

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

व्यवस्था चाही है कि आज की मांग के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये समय नहीं मिलेगा क्योंकि साढ़े चार बजे मुखबन्द हो जायेगा। आपको ध्यान होगा माननीय अध्यक्ष ने जीरो आवर में ही व्यवस्था दे दी थी कि जब चर्चा चलेगी और समय बढ़ाने का अवसर आयेगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय उस पर विचार करेंगे और मुखबन्द का समय साढ़े चार बजे से आगे खिसका देंगे। यह माननीय अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया था इसलिये इस सम्बन्ध में आपको प्रश्न ही नहीं करना चाहिये।

माननीय श्री हीरालाल आर्य।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोटा जिले के मांगरोल कैथून तथा अन्य गांवों में मसूरिया साड़ के बुनकरों को पर्याप्त सामान न मिलना व उनके द्वारा बनाये गये माल क्रय की व्यवस्था का अभाव

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, कोटा जिले की मसूरिया साड़ी प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में और समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। कोटा मसूरिया साड़ी का काम कोटा के दो प्रमुख नगरों खास तौर से मांगरोल और कैथून में होता है। वहां के हजारों बुनकरों द्वारा हाथ-करधा से यह निर्मित की जाती है। वहां के हजारों बुनकरों की आजीविका के लिये कोटा मसूरिया साड़ी का व्यवसाय प्रमुख धन्धा है। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों के पास आजीविका का दूसरा कोई साधन नहीं है। सभापति महोदय, यह साड़ी इतने अच्छे किस्म की होती है कि इसको जो कोई व्यक्ति

(श्री हीरालाल आर्य)

देखती है तो इसको खरीदना पसन्द करता है। यही कारण है कि यह दुनियां में प्रसिद्ध है। सभापति महोदय, इस व्यवसाय की प्रसिद्धि और इनकी बढ़ती हुई प्रशंसा को देखते हुए कुछ लोगों ने इस व्यवसाय को ठप्प करने के प्रयत्न किये। आज मसूरिया साड़ी का काम करने वाले हजारों लोगों का व्यवसाय सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति की वजह से संकट में हो गया है। सभापति महोदय, इस ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो बिचौलिये लोग हैं या जो पूंजीपति व्यक्ति हैं, वे वहां बुनकरों के पास आते है, उनको नकली माल उपलब्ध कराते हैं और सस्ती दर पर उनसे बना हुआ तैयार माल लेते हैं। इस तरह से उनका शोषण कर रहे हैं। सभापति महोदय, यही नहीं, इस हाथ करघा से बना हुआ जो माल होता है उसको बरबाद करने के लिये नकली पावरलूम की साड़ियां बना कर कोटा साड़ी के नाम से लाकर कोटा के बाजारों में धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। इस तरह नकली माल बनारस और मांगावास से आकर कोटा के बाजारों में बेचा जा रहा है, जो वहां के पूंजीपति है वे यह चाहता हैं कि बुनकरों के हाथ से बना हुआ, तैयार माल जो होता है उसको समाप्त करके नकली माल बेचते रहें। वहां के बुनकरों ने इस बात की शिकायत की कि बाहर से जो कच्चा माल और नकली माल माल आ रहा है और मसूरिया साड़ी के नाम से जो बनारस और मोंगावास से आकर बिक रहा है उससे स्थानीय व्यवसाय संकट में पड़ गया है। इस व्यवसाय के संकट में पड़ने की बात को लेकर वहां के बुनकरों ने कई बार निवेदन किया कि हमारा हाथ से बना हुआ माल अच्छी किस्म का होता है और इसको हर एक व्यक्ति पसन्द करता है इसलिये हाथ के बने हुए माल के लिये कोटा साड़ी के नाम से स्पेशल ट्रेड मार्क दिया जाय। यह वहां के व्यक्ति मांग करते रहे हैं। सभापति महोदय, उनकी मांग के बावजूद न तो उनकी साड़ी को ट्रेड मार्क दिया गया और न ही जो माल नकली आ रहा है उसको रोकने के लिये सरकार ने कोई प्रयत्न किया। सभापति महोदय, इसी तरह से वहां के मजदूरों की मांग थी कि उनको कच्चा माल सूत आदि सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाय और जो बना हुआ तैयार माल है उसकी उनको वास्तविक कीमत मिले। इसके लिये उनकी यह भी मांग थी कि एक केन्द्र स्थापित किया जाय। बुनकरों के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता सरकार के वक्त में हाथ कर्घा उत्पादन निर्यात परियोजना की राजस्थान लघु उद्योग निगम की एक इकाई मांगरोल कैथून में स्थापित की गई। वह केन्द्र बुनकरों को कच्चा माल सस्ती दर पर उपलब्ध कराता था। जो बुनकर कच्चे माल से माल तैयार करते थे उसको सही कीमत पर वह खरीदता था। जब यह केन्द्र स्थापित किया गया तो वहां के बुनकरों को बड़ी राहत मिली और बिचौलिये और जो पूंजीपति लोग सस्ती कीमत पर उनका तैयार माल खरीदते थे उनको इससे हानि हुई तो उन्होंने चालाकी की कि केन्द्र किसी प्रकार से समाप्त हो। इस प्रकार का उन्होंने प्रयास किया यहां पर सरकारी अधिकारियों और सरकार से मिल कर। क्योंकि यह सरकार गरीबों का तो कम ध्यान रखती है और पूंजीपतियों का

(श्री हीरालाल आर्य)

अधिक, तो उनके बहकावे में आकर और नकली माल के चंगुल में आकर सरकार ने केन्द्र को पैसा देना बन्द कर दिया जिससे वह न तो मजदूरों को सस्ता माल उपलब्ध करवा सके और न उसके द्वारा तैयार माल को खरीद सके। धीरे धीरे सरकार, जो कि बुनकरों की विरोधी सरकार है, ने जो केन्द्र थे मांगरोल और बंबून के उन दोनों केन्द्रों को समाप्त कर दिया। उन दोनों केन्द्रों को समाप्त कर देने से मजदूरों की हालत बड़ी दयनीय हो गई है। उनके सामने आजीविका की, रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। जब केन्द्र समाप्त हुआ तो उन्होंने सब अधिकारियों को लेटर लिखा और उसकी एक कापी मेरे पास भी भेजी जिसमें उन्होंने जो दयनीयता का उल्लेख किया है उसको संक्षेप में मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा।

श्री सभापति : पूरा पढ़ रहे हैं ? माननीय सदस्य संक्षेप में, जो महत्वपूर्ण है वह पढ़ दें।

श्री हीरालाल आर्य : रुपया उपलब्ध कराने बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि—प्रार्थीगण गरीब हालत के कोटा डोरिया के बुनकर हैं। एक मात्र यही हमारा पेशा है। कच्चा माल ब्रांच लघु उद्योग, मांगरोल से खरीद लिया करते थे और कपड़ा तैयार करके ब्रांच लघु उद्योग, मांगरोल को विक्रय कर दिया करते थे। किन्तु 3-4 माह से हैड आफिस महाप्रबन्धक महोदय (द्वितीय) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तिलक मार्ग, जयपुर से ब्रांच मांगरोल को माल व कोटा डोरिया खरीददारी करने का नगदी रुपया भिजवाना बन्द कर दिया जिससे हमारा रोजगार बन्द हो गया और डोरिया खरीददार मनमानी करके बहुत ही कम भाव में खरीदने लग गये। निगम 118 में खरीदता था और जो पूंजीपति, बिचौलियें हैं वे 100 रुपये में, 110 रुपये में खरीद रहे हैं। हमारा रोजगार ऐसे ही चले तो गांव छोड़ने की नौबत है। काफी परेशानी आ रही है। हमारा दर्द सुनने के लिए हमारी परेशानी को दूर करने के लिए श्रीमान के पास अर्जी भेज रहे हैं। आप इस पर गौर करें, अति दया होगी।"

इस तरह की दयनीय हालत के बारे में उन्होंने अपना निवेदन किया। सभापति महोदय, आज सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति, मजदूरों के शोषण की नीति, पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने की नीति, पूंजीपतियों के इशारे पर ही सारी नीतियां निर्धारित करने की नीति है। इस कारण वहां एक साड़ी उद्योग है वह संकट में हो गया है और वहां के हजारों मजदूर आज बेरोजगार होकर दर दर भटकने की और खाली रहने की स्थिति में आ गये हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं कुछ मांग करना चाहूंगा। वह मांग यह है कि जो कोटा मसूरिया साड़ी उद्योग है वहां पर उसको कच्चा माल उपलब्ध करवाने और तैयार माल लेने के जो केन्द्र थे, वे केन्द्र वापस कायम किये जाये। दूसरी मेरी मांग है जो नकली माल बाहर से आ रहा है वह नकली माल बन्द किया जाय, उसको सरकार रोके और जो कोटा डोरिया की हाथ कर्घा से तैयार साड़ी है उस साड़ी के लिये कोटा साड़ी नाम का

(श्री हीरालाल आर्य)

ट्रेड मार्क दिया जाय। यह उनकी मांग है। आपने कहा कि फर्जीवाड़ा चल रहा है उससे उन लोगों को मुक्ति मिल सकेगी। मैं यह भी मांग करूंगा कि उनको हाथ कर्घा खरीदने के लिए बैंकों द्वारा अधिक से अधिक तादाद में लोन उपलब्ध कराया जाये, क्योंकि उनके प्रार्थना-पत्र बैंकमें पड़े हुए हैं। यह सरकार एक तरफ कहती है कि हम हाथ कर्घा वालों को लोन आदि उपलब्ध करा रहे हैं दूसरी तरफ उनके एक भी प्रार्थना-पत्र पर मांगरोल ब्रांच ने और जयपुर ब्रांच ने अभी तक कोई लोन नहीं दिया है। उनकी ये सारी मांगे मानें, इस उद्योग को पुनः जीवित किया जाय, इस तरह की आपके माध्यम से सरकार से, मुख्य मन्त्रीजी से मांग करता हूं।

श्री सभापति : आपका तो माननीय सदस्य इसमें कुछ भी नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कोटा का मामला है, हाड़ौती का उद्योग····

श्री सभापति : वह ठीक है। प्रश्न पूछ लेना। मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद प्रश्न पूछ लें।

श्री दाऊदयाल जोशी : इन्होंने, मन्त्री महोदय ने इस सदन को पूरा पूरा विश्वास दिलाया था कि निश्चित रूप से कोटा का यह उद्योग मरने नहीं दिया जायेगा। कोटा के दो उद्योग हैं। कोटा स्टोन और दूसरा कोटा साड़ी, जिनके कारण जग जाहिर कोटा का नाम हो गया हैं। आज ये दोनों उद्योग पिछड़ रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय—·····

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री उद्योग) : आप सुनना चाहते नहीं किसी की बात, आप तशरीफ रखिये, आप बिराजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : पिछले साल भी आपको सुना था × × आश्वासन देंगे।

श्री सभापति : × × × शब्द एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक साल से आप वहीं के वहीं खड़े हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप बिराजें।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं माननीय मन्त्री महोदय, पिछले साल आपने जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन के बावजूद भी पिछले साल से वे वहीं खड़े हैं।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई तथ्यपूर्ण आश्वासन दें जिससे ये उद्योग सड़े नहीं।

श्री सभापति : बिराजिये। बिराजिये कृपया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तशरीफ रखिये।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित किया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप देखिये, वे हाथ जोड़ रहे हैं। मैं भी पैर या हाथ जोड़ूं, क्या करूं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : आप ब्राह्मण हैं, आप बनिये हो, आप ब्राह्मण पुत्र हैं।

श्री सभापति : शांत रहें। कृपया शांत रहें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोटा जिले के कैथुन एवं मांगरोल एवं अन्य गांवों में कोटा डोरिया साड़ियों का उत्पादन करने वाले हाथ कर्घे बहुत बड़ी संख्या में हैं जिन पर हजारों बुनकरों की जीविका निर्भर है। कोटा डोरिया की साड़ियां देश में बहुत प्रसिद्ध हैं एवं इनका विदेश में निर्यात भी किया जाता है। उक्त पारम्परिक उद्योग को जीवित एवं विकसित करने के उद्देश्य से ही बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल के विक्रय की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से ग्राम कैथून एवं मांगरोल में स्थापित आगार से स्थानीय बुनकरों द्वारा प्रारम्भ में 3–4 वर्षों तक कच्चे माल एवं विक्रय की सुविधा का लाभ उठाया परन्तु उसके पश्चात् बुनकर स्थानीय व्यापारियों से घटिया किस्म का धागा, जो निगम के आगार में उपलब्ध अच्छे स्तरीय धागे की तुलना में सस्ता था, खरीद कर तैयार माल स्थानीय व्यापारियों को ही बेचने लगे क्योंकि घटिया किस्म के धागे से बना तैयार माल निर्धारित स्तर का नहीं होने के कारण आगार उन्हें लेने में असमर्थ था। दूसरे प्रान्तों में पावरलूम से निर्मित नकली कोटा डोरिया ने भी पारम्परिक उद्योग को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। यह वस्त्र असली कोटा डोरिया साड़ी की तुलना में सस्ता पड़ता है परन्तु बाजार में कोटा डोरिया के नाम से बेचा जाता है। कोटा में यह वस्त्र थोक के भाव में आता है व यहां केवल प्रिंटिंग कराई जाती है। व्यापारी असली कोटा डोरिया के नाम से पावरलूम से बनी तथा नकली कोटा डोरिया की साड़ियां बेचते हैं जबकि इस पारम्परिक उद्योग को जीवित रखने एवं प्रोत्साहित करने हेतु राजकीय लघु उद्योग निगम के द्वारा संचालित भण्डारों में सदैव की भांति असली कोटा डोरिया साड़ियां ही क्रय की जाती हैं।

उद्योग विभाग द्वारा असली-नकली कोटा डोरियां में भेद करवाने हेतु क्वालिटी मार्किंग स्कीम बनाई गई व इस हेतु कैथून व मांगरोल में एक क्वालिटी तकनीकी सुपरवाइजर व दो क्वालिटी मार्किंग इन्स्पेक्टर (तकनिकी) की नियुक्ति की गई जो असली साड़ियों पर क्वालिटी मार्किंग की मोहर लगाकर चिन्हित करते थे। बुनकरों एवं व्यापारियों दोनों ने ही उक्त योजना के प्रति उदासीनता दिखलाई तथा इसका लाभ नहीं उठाया। वे तैयार माल पर गुणांकन चिन्ह लगवाकर अपने माल में किसी प्रकार का अन्तर पैदा नहीं करना चाहते थे क्योंकि क्वालिटी मार्किंग उसी उत्पादन पर लगाया जाता था जो सभी दृष्टि से सही हो। बुनकर परम्परागत तौर पर किसी न किसी प्रकार स्थानीय व्यापारियों से जुड़े हुए हैं अतः दोनों ने ही इस योजना का परित्याग किया जिसके फलस्वरूप क्वालिटी मार्किंग योजना निष्क्रिय हो गई व अन्ततः इसे बन्द करना पड़ा।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

तत्कालीन राजस्थान हाथ कर्घा परियोजना मण्डल द्वारा कोटा जिले के कैथून, शीर्षवाली एवं छीपा बड़ोद कस्बों में उत्पादन एवं बिक्री आगार स्थापित किए हुए हैं। ये आगार अभी भी चालू हैं जिनका प्रबन्ध अब राजस्थान हाथ कर्घा विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

अब राज्य में राजस्थान हाथ कर्घा विकास निगम की स्थापना हो चुकी है जिसके द्वारा इस उद्योग की सुरक्षा व विकास से सम्बन्द्ध समस्याओं का पूर्ण अध्ययन कर योजना तैयार की जा रही है। निगम का प्रथम पैट्रोफिल्स कापरेटिव लिमिटेड के तकनीकी अधिकारियो के माध्यम से प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कराना है।

(2.36 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सरकार इस उद्योग की समस्याओं की ओर पूरी तरह जागरूक है और बुनकरों को लाभान्वित करने हेतु यथा सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय हीरा लालजी ने प्रश्न यहां पर उठाया है यह बात सही है कि जो वहां आर्टिफिशियल कोटा डोरिया की साड़ी बनती है उसको आर्टिफिशियल या नकली बनायें, स्टिफ कम्पीटीशन करना पड़ता है आज की तारीख में। यह कम्पीटीशन काफी समय से चला आ रहा है। सरकार ने कदम उठाये थे उनके बारे में, श्रीमान् सन् 72 के अन्दर सरकार का जब ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तो हमने क्वालिटी मार्किंग की योजना बनायी और वहां पर कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया। उसके बाद 1978 के अन्दर जो इसमें 120 काउन का धागा लगता है, और, अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर 20-22 डेनेरिन का रेशमी धागा लगता है, तो रा-मैटीरियल उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने डिपो खोल दिये। डिपो के प्रति शुरू में रूचि थी, इससे इन्होंने मैटीरियल देना आरम्भ किया। लेकिन ग्रेजुअली माल का उठाव जो था, धीरे-धीरे कम होने लगा। तो उस सूरत के अन्तर जाकर सरकार को डिपोज वहां बन्द करने पड़े। वहां के जो बुनकर थे वे वहां के व्यापारी जो कोटा डोरिया का व्यापार करते हैं के चंगुल में आये। हम 120 पाउन्ड्स का धागा देते थे और वे 100 पाउन्ड्स का धागा लगाते थे, जो कि बहुत ही सस्ता होता है, इससे कुछ उत्पादन भी बढ़ जाता है। तकनीकी आदमी तो मैं नहीं हूं लेकिन जैसा विभाग ने बताया 100 पाउन्ड्स का धागा लगाने से उत्पादन बढ़ता है, मजदूरी बढ़ती है और व्यापारियों का मुनाफा बढ़ता है। तो शुरू-शुरू में तो यह चलता था लेकिन अब उत्तर प्रदेश में पावर लूम के थान के थान चले आते हैं और कोटा के अन्दर प्रिंटिंग करते हैं। अब बहुत कम्पीटीशन है, जबंदस्त कम्पीटीशन है, जबंदस्त कम्पीटीशन वहां पर हो गया है और जो असली कोटा डोरिया बनाने वाले हैं उन लोगों के लिए रोजगार की समस्या हो गयी है। अब मैं आपको आंकड़े बताऊं, 1978–79 में रेशमी धागा कुछ कि. ग्रा. 231 रेशमी और सूती धागा 370 किलोग्राम बिका, कैथून डिपो का आपको बता रहा हूं 1978–79 में 249 रेशमी धागा और 370 सूती धागा 1980–81 में 341

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

रेशमी और सूती निल । यहां से डाउन फॉल आता है, 1980–81 रेशमी में 3·14 सूती निल, 1982–83 में निल 1983–84 में निल । यही हाल मांगरोल के डिपो का था । सरकार की ओर से तो डिपो प्रारम्भ किये गये थे लेकिन जब वहां के लोगों ने लाभ ही नहीं उठाया तो उस स्थिति में सरकार को ये डिपो बन्द करने पड़े । अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद वहां पर से हमारे यहां पर कुछ लोग माल लेकर के आते हैं, राजसिको के पास, राजस्थान लघु उद्योग निगम उनके माल को खरीदता है । प्रश्न यह आता है कि ठीक है तो यह ले लेते हैं ।

इसी तरह से ट्रेड मार्क की स्कीम शुरू करी थी 1972 में, उसका भी लाभ नहीं उठाया । अगर कोई ट्रेड मार्क लगवाने आये और उसका माल ठीक है तो ट्रेड मार्क लगाया जाता था, माल सही है तो लगायेंगे, इसको क्वालिटी कंट्रोल कहना चाहिए, लेकिन नहीं लगवाया । व्यापारियों के दबाव में आकर वह योजना चली नहीं । अब यह चीज सामने आयी है । पूर्व में भी माननीय सदस्य ने पूछा था उस संदर्भ में मैंने यह कहा कि कैसे रिवाइज करें, इसके बारे में क्या करना चाहिए । अब यह तय किया है कि डी. आई. सी. कोटा को, अध्यक्ष महोदय, निर्देश दिये आ रहे हैं कि पुनः सर्वे करें । एक दफा डिपो तीन साल तक बिना कारोबार के चालू रखा, शायद लोगों की रुचि फिर से रिवाइज हो जाय । डी. आई. सी. को इस बात के लिये निर्देश दिये जा रहे हैं कि सर्वे करें और देखें अगर लोगों, की रुचि होगी तो पुनः हम यहां पर खोल सकते हैं, डिपो खोल सकते हैं, कच्चे माल की व्यवस्था होगी, माल अच्छा बना होगा, सही होगा तो उसको खरीद भी लेंगे ।

इसके अलावा मैंने आपके समक्ष एक बात और कही थी । एक संस्था है, पेंट्रोफिलस कोआपरेटिव लि दिल्ली के अन्दर । अध्यक्ष महोदय, इसने इसके बारे में कुछ रिचर्स की है । उन्होंने कहा है, जो पोलिस्टरयॉर्न को यूज करने की बात इसमें चल रही है इस बात की सम्भावनाओं का पता लगाया है । मैंने एक सवाल पूछा था अधिकारियों से तो बताया गया कि पोलिस्टर धागे की साड़ियां बनेगी तो उसकी जो ओरिजनलिटी है वह खत्म हो जायेगी तो रेशमी की जगह पोलिस्टर यार्न यूज करने से ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी । इस बात की अभी रिसर्च कर रहे हैं उनके अधिकारी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं ।

हमारे तीन हैंड़लूम बोर्ड के ट्रेनिंग केम्प खुले हुए हैं जनता कपड़ा बनाने के लिये हैं । उन्होंने भी इस बात का प्रयत्न किया है कि कुछ लोगों को साड़ी बनाने के लिये ट्रेनिंग देना चाहते हैं । तो उनको साड़ी बनाने के लिये भी ट्रेनिंग दी जायेगी । इसके अलावा मैंने हैंड़लूम बोर्ड वालों को इस बात के लिये भी कहा है कि वह भी इन सम्भावनाओं का पता लगायें और वहां पर रा मैटीरियल, सामान बेचने के लिये सर्वे करें । अगर वहां के लोग तैयार हों तो वहां पर डिपो खोलें ।

तो अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो कदम उठाये गये हैं, जो काम किये

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जा सकते हैं, उनके बारे में संक्षेप में मैंने आपके सामने निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष : कोई नयी बात हो तो पूछ लें। पहले तो आप यह बतायें कि यह यॉर्न रेशमी और सूती बिकता क्यों नहीं है ? इसका क्या इलाज किया जाय ?

श्री हीरालाल आर्य : वही कह रहा हूं। मन्त्री महोदय ने बताया, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पूंजीपति हैं, जो बिचौलिये हैं, वहां के जो व्यापारी हैं जो कि मजदूरों का शोषण कर रहे हैं उनसे प्रभावित होकर उन्होंने यह वक्तव्य दिया है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न। सवाल पूछ लें। बिकता क्यों नहीं है ?

श्री हीरालाल आर्य : वही निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय——

श्री अध्यक्ष : बिकता है या नहीं बिकता है ?

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, यही नहीं जो बुनकर है उनकी डिपो पर माल खरीदने के लिये भीड़ पड़ती थी। उसको लेने के लिये हमेशा तैयार रहते थे। अभी मन्त्री महोदय ने जो आंकड़े बताये कि इस तरह से घटने लग गए थे। उस घटने का कारण वहां उपलब्ध कराये जाते वाले धन की कमी भी। वहां धन ही उपलब्ध नहीं कराया गया। तो कारण यह था कि धन की कमी थी। वे इतना धन ही उपलब्ध नहीं करा पाये। अगर यह बात सही है तो बतायें कि आपने किस किस डिपो को कब कब कितना पैसा उपलब्ध कराया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : धन उपलब्ध कराने से आपका क्या अभिप्राय है, यह समझाने की कृपा करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप से प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : जो कच्चा माल था डिपो में, उसके लिये वहां के जो केन्द्र थे उनको पैसा उपलब्ध कराया जाता था। वह पैसा बुनकर को कच्चा माल देने के लिये उपलब्ध कराया जाता था बुनकर माल तैयार करके लाते थे और डिपो को बेचते थे।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर। लम्बी चर्चा नहीं होगी।

श्री दाऊदयाल।

श्री हीरालाल आर्य : दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया कि जो वहां क्वालिटी मार्किंग के इन्सपेक्टर लगाये थे। उसमें बुनकरों और व्यापारियों ने इन्ट्रेस्ट नहीं लिया बुनकरों ने तो इन्ट्रेस्ट लिया था। वे तो चाहते थे कि उनके माल पर मार्का लगे लेकिन व्यापारियों ने निश्चित रुप से इन्ट्रेस्ट नहीं लिया क्योंकि वे नकली माल लेकर बेचते हैं।

श्री अध्यक्ष : नकली सब जगह पैदा हो गया है। नकली के सामने असली टिकता नहीं है।

108

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो तीन हैंडलूम बोर्ड के ट्रेनिंग सैंटर चल रहे हैं उनको क्या साड़ी बनाना सिखायेंगे। वे तो परम्परागत रूप से अच्छी साड़ी बुनकर देते हैं। केन्द्र जो कैंसिल किया गया है, उसको वापस चालू किया जाय। उसको अधिक से अधिक पैसा देकर देकर बुनकरों को अधिक से अधिक कच्चा माल दिलाया जाय और जो तैयार माल है उसको खरीदा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंत्री महोदय कृपा करके यह बतायें कि जिला उद्योग केन्द्र में मीटिंग 9-5-83 को हुयी। इस उद्योग को विकसित करने के लिये उसमें एक निर्णय हुआ था, जो बाबा आदम के जमाने के खटोले थे, बाद में एक उद्योग द्वारा ऋण से 9-9 हजार तक के तकवे लाकर दिये गये थे जिससे उनका उत्पादन जहां पहले एक घंटे एक गज होता था वहां अब एक घंटे में पांच गज होगा है। इसलिये निर्णय लिया गया था 9-5-83 को कि किशनगढ़ से स्पेशल कारीगरों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी जाय इस पर क्या कार्यवाही हुयी? एक बात।

दूसरे कैथून के अन्दर डिजाइन के लिये आफिस खोला जहां लगातार 3 साल तक केवल आफिस ही रहा, कोई डिजाइन का उच्चाधिकारी या सक्षम अधिकारी वहां पर नहीं लगाया जो कि इस डिजाइन को विकसित करे। आज ढाई साल हो गये, अध्यक्ष महोदय, कोटा औद्योगिक नगरी होते हुए भी जोइंट डायरेक्टर की पोस्ट कन्टीनुयस खाली चली आ रही है केवल 4 दिन के लिए जोइंट डायरेक्टर कोटा में आये थे। इन तीनों प्रश्नों का जवाब देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 9-5-83 की मीटिंग में क्या निर्णय हुआ, क्या नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। चलिये।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी आदत हो गयी है बीच में बोलने की, इससे न आपका लाभ है न मेरा लाभ है....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : तैयारी करके नहीं आये।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर नहीं चाहते तो मैं मंत्री महोदय को अवसर नहीं देता मेरे पास काफी लम्बी सूची है।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्यों नहीं सुनेंगे। यह तो हमारा जीवन मरण का प्रश्न है हम सुनना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष, 9-5-83 की प्रोसीडिंग्स मेरे पास में इस समय उपलब्ध नहीं है उसके बावजूद माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं इस बात

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

का पता लगाऊंगा कि मीटिंग के अन्दर क्या निर्णय हुए। आपकी मार्फत यही आश्वासन देना चाहूंगा कि यह पार्टी लाइन्स का सवाल नहीं है। एक प्रोडक्शन तैयार है...

श्री अध्यक्ष : आपका यह समझना चाहिये कि एक धन्धा अगर पैरों पर खड़ा हो सकता है तो सरकार की पूरी मदद रहेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यही आपकी मार्फत माननीय सदस्यों को, सदन को आश्वासन है कि इस....

श्री अध्यक्ष : इस धन्धे में लोगों की पसन्द है कि ऐसा माल ही खरीदें तो चल सकता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पूरी कोशिश की जायेगी। इतना ही मैं आपकी मार्फत सदन को आश्वस्त कर सकता हूं।

राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र की तहसील कोलायत नं. 1 व 2 में 1980-81 में पाक विस्थापितों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न कराना

श्री अध्यक्ष : प्रकिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री देवी सिंह भाटी सदस्य राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र के तहसील कोलायत 1-2 के पास विस्थापितों के बारे में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, 1971 के अन्दर पाक विस्थापित भारत के अन्दर आये। उन्होंने बड़ी तकलीफ उठायी। आखिर में केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया। जैसा कि पुनर्वास विभाग का मुख्य दायित्व भारतीय मूल के अन्य देशों से राजस्थान राज्य में आये हुए विस्थापितों को भारत सरकार की नीति के अनुसार जो विकोपार्जन का साधन जुटाकर और अन्य आवश्यक आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान कर स्वावलंबी बनाना है ताकि वे अन्य नागरिकों की भांति समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने मान्यता के आधार पर जैसी परिस्थियां आयी, उत्पन्न हुई पाक विस्थापितों को, पहल उसमें की और सन् 1980-81 के अन्दर राज्य सरकार को राशि उपलब्ध करवा दी गयी। पाक विस्थापितों को भूमि आवंटन करें, शिक्षा की सुविधा दें। स्वास्थ्य केन्द्र खोलें पशु चिकित्सालय व सड़कों की सुविधाओं के लिये और विशेषकर पेय जल सुविधा के लिये उन्होंने बजट राज्य सरकार को 1980-81 में आवंटित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि विस्थापित इतनी तकलीफ पाये हुए पाकिस्तान से भुगतते हुए यहां पहुंचे, यहां कैंपों में रहे। उसके उपरांत जब मौका दिया केन्द्र सरकार ने कि इनको जमीन आवंटित की जाय परंतु राज्य सरकार ने जो जमीन आवंटित की कोलायत उपनिवेश तहसील नंबर 1 और 2 में, अध्यक्ष महोदय, उसमें से 70% भूमि यह कहकर आवंटित की पूर्व में कि आपको सारी भूमि संचित आवंटित की जायगी लेकिन मौके के ऊपर 70%. उपनिवेशन विभाग के आंकड़ों के अनुसार आज भी अन-

110

(देवीसिंह भाटी)

कमांड हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कह उनके दिया कि हमने तो वहां ले जाकर इनको संचित भूमि आवंटित कर दी, अध्यक्ष महोदय, मैं यह राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आज के दिन भी कोलायत उप-निवेशन तहसील नंबर 1 और 2 में कहीं भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, कहीं भी आपकी नहर प्रणाली सिस्टम तैयार हो गया है, जो भी आवंटित क्षेत्र हैं, कहीं भी उस के अन्दर आपने सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी ? नहीं। क्योंकि आपके नहर का सिस्टम ही नहीं बना। अध्यक्ष महोदय, उसके उपरांत कैंप में बैठकर एक कमेटी के द्वारा आवंटन का कार्यक्रम चालू कर दिया और वहीं पट्टे वितरित कर दिये। बाड़मेर के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, मौके के ऊपर उन्होंने जमीन दिखायी नहीं और जब ले जाकर मौके के ऊपर जमीन दिखायी तो मालूम हुआ उन को टीबे दे दिये। एक पटवारी की ड्यूटी लगा दी कि आप फलां क्षेत्र में इनको मौके के ऊपर कब्जा निशानदेही दे दो। अध्यक्ष महोदय, पटवारी को जब यह कार्य संभलाया गया तो उसने यह कहा कि मे इस प्रकार से एक-एक दिन के अन्दर 50-50, 60-60 व्यक्तियों को कब्जा निशानदेही मौके के ऊपर नहीं दे सकता। हकीकत यह हुई, अध्यक्ष महोदय, ले जाकर अंगुली के निशान से उसने बता दिया कि फलां जमीन आपकी फलां जमीन आपकी है। बाद में जब उन्हों-तहसील से सम्पर्क किया और कहा कि हमें आप कम से कम मौके के ऊपर निशानदेही-तो दो। अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि भूमि उनके पास में कमाण्ड तो कम रही और अन-कमांड ज्यादा है। जैसा कि इन्होंने बताया है पूर्व में, जो भी प्रश्न पूछे गये हैं उत्तर में कि उन्होंने 10 बीघे से लेकर 15 बीघे तक....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मूल समस्या के बारे में एक दो प्वाइंट्स —

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि मूल समस्या वही आयेगी विचार में जो आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखकर दी हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि थोड़े के अन्दर आपने जो समस्या लिखी है उसको सदन के समक्ष रख दें। उसका मंत्री जी उत्तर दे देंगे। इसमें आप जोड़ें तोड़ें और बढ़ायें, उसको तो कोई उत्तर आना संभव होता नहीं है। समय का अभाव है इसलिये थोड़े में आप अपनी बात फर्मा दीजिये, उत्तर दिला दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पुनर्वास विभाग की यह जिम्मेवारी थी, जब आवंटन कार्यक्रम चालू करवाया तो वह स्वयं मौके पर संन्तुष्ट होते कि उन्होंने वाकई में सिंचित भूमि अलाट की है या नहीं। आपस में तालमेल नहीं रहा पुनर्वास विभाग का और उप निवेशन विभाग का आज भी पुनर्वास विभाग की यह जिम्मेवारी है कि अगर उन्हें मौके के ऊपर असिंचित भूमि आवंटित की है तो सिंचित दिलायें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भी पूर्व में माना है कि उनको अनकमांड भूमि अलाट हुई। अध्यक्ष महोदय, उनके साथ ज्यादती क्या हुई है कि 27 हजार रुपये प्रति मुरब्बे तो इन्होंने कीमत लगा दी, उसके साथ में इन्होंने बताया कि दस बीघे आपकी कमांड है और 15 बीघे

आपकी अनकमांड है, परन्तु अनकमांड की कीमत नहीं लगायी, पूरी की पूरी कमांड की कीमत 27 हजार रुपये लगा दी जो कि बिल्कुल गलत है, अध्यक्ष महोदय।

इसके उपरांत, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सबसे पहले जब आपने ले जा करके इनको बिठा दिया मौके के ऊपर तो आपको कम से कम उन टीबों में पेयजल की सुविधा तो उपलब्ध करानी चाहिये थी। केन्द्र सरकार ने विशेष तौर से 50 लाख रुपये डिग्गियों के निर्माण के लिये आवंटित किये परन्तु आज के दिन एक भी क्षेत्र में किसी भी मौके पर सिंचाई की सुविधा कतई उपलब्ध नहीं है; लगातार चार वर्ष से वे प्यासे मर रहे हैं। कहीं भी नजदीक पानी का स्रोत नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि जहां भी आपने डिग्गियां बनाने का प्रावधान किया है वहां पेयजल की सुविधा तो निश्चित तौर पर पहुंचायें। खेती तो आज वे नहीं कर सकते, खेती के लिये तो बिलकुल आपके भरोसे पर बैठे हैं परन्तु पेयजल की सुविधा जब तक आप उपलब्ध नहीं करवाते हैं, आपकी डिग्गियां निर्मित नहीं हो जाय तो आपका यह कर्तव्य है कि आप टैंकर्स के द्वारा कम से कम पीने के लिए पानी की तो व्यवस्था करवाइये, पशु चाहे जायं भाड़ में।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, इनको जैसा भी बजट एलोकेट हो गया उसके उपरांत भी न तो शिक्षा सुविधा के लिये उन्होंने कोई भवन बनाये हैं, न इन्होंने कोई पशु चिकित्सालय खोला है। अध्यक्ष महोदय, नहर का पानी ले जाने के लये, कच्चे खालों का निर्माण करने लिये भी इनको बजट एलोकेशन हुआ था लेकिन वह भी अभी तक कार्यक्रम चालू नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना है कि चार वर्ष हो गये परन्तु इस ओर कतई कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कई लिखित में पत्र दिये, ध्यानाकर्षित किया। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि वहां आपने उन्हें ले जाकर बैठा तो दिया परन्तु आज वे किसके पास जायें? आपके पास लाखों रिप्रेजेंटेशन आये उनके कि हमें अनकमांड भूमि अलॉट हुई है, हमें पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, हमें कोई शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, कोई कच्चे खाले नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यानाकर्षित करता हूँ कि इसके समाधान के लिये तुरन्त आप क्या कर रहे हैं? कम से कम इतना तो आप कीजिये कि पेय जल की डिग्गियां निर्मित होकर उसके अन्दर पानी नहीं छूट जाय, पानी वहां संग्रहित नहीं हो जाय, पानी.

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। पहले की बात की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मंत्री महोदय।

श्री देवीसिंह भाटी : टैंकर्स की आप व्यवस्था करें और जो अनकमांड भूमि अलॉट हुई है उसके बजाय कमांड भूमि एलाट करवायें।

श्री जय कृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, भारत पाक युद्ध 1981 में प्रभावित 1650 विस्थापित परिवारों को बीकानेर जिले की उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 1 व 2 में एक और मुरब्बा कमांड भूमि वर्ष 1980-81 में उपनिवेशन

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

विभाग बीकानेर द्वारा आवंटित की गयी है तहसील कोलायत 1, 2 में कुल आवंटियों की संख्या जैसा मैंने बताया 1656 हैं सिंचित रकबा भूमि बीघा में 34, 453 व अल्प सिंचित भूमि बीघा में 6,013 है। यह भूमि 27 हजार रुपये प्रति मुरब्बा-कीमतन आवंटित की गयी है। आवंटित भूमि में 102 मामले को छोड़कर सभी विस्थापित परिवारों को 10 बीघा से 25 बीघा तक सिंचित भूमि आवंटित की गयी है केवल मात्र 102 परिवारों को जो कम सिंचित भूमि आवंटित की गयी है जिसका कारण उपनिवेशन विभाग द्वारा यह बतलाया गया है कि इन मुरब्बों में दस पीवजा तक ही कमांड भूमि उपलब्ध थी। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने जो कहा है कि सिंचित भूमि नहीं है, ठीक नहीं है।

27 हजार डी-कमाण्ड मुरब्बा की दर से कीमत ली गयी है और उन्हें एक-एक मुरब्बा, जैसा मैंने कहा, दे दी गयी। इसके साथ ही, हमने यह रुपया उपनिवेशन विभाग को दिया है, कोलोनाइजेशन विभाग को 363 आदमी जो विस्थापित परिवार हैं, उन्होंने भी प्रार्थना पत्र दिये हैं, 102 तो वह हैं, जिन्हें अन कमाण्ड भूमि आवंटित की गयी हैं, जिसकी एवज में सिंचित भूमि आवंटित करने की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा जांच की जा रही है। उन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राजस्व उपनिवेशन विभाग द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। क्योंकि हमारे पास शिकायत आई, हमने उनको लिखा कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1-2 में 9 डिग्गियां पीने के पानी के लिए तैयार कर दी गयी हैं। इनमें से 6 डिग्गियों का निर्माण कार्य पूरा किया जाकर पीने का पानी उपलब्ध करा दिया गया है। 2 डिग्गियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनमें पीने का पानी शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जायेगा। शेष डिग्गी निर्माणाधीन है।

इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहूंगा, हमने 50 लाख रुपया पी. एच ई. डी. को इस कार्य के लिए पुनर्वास विभाग से दे दिया है। इस तरह से तहसील पूंगल में 11, तहसील कोलायत में 8 और तहसील कोलायत नं. 2 में एक इस तरह कुल 20 डिग्गियों का निर्माण हुआ। इसी तरह कुछ और भी योजना हैं, जैसे पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 20 डिग्गियों का निर्माण, प्राथमिक शाला भवन, माध्यमिक शाला भवन-2, पशु चिकित्सालय केन्द्र-2, प्राथमिक शिक्षा केन्द्र-एक, मुख्य नहर से खेतों तक कच्ची खालों का निर्माण इस तरह की योजनायें हैं, वह भारत सरकार द्वारा इन विस्थापितों के कार्य करने के लिए मंजूर हुई हैं। उनकी दिक्कतें यह हैं कि प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, पशु चिकित्सालय के लिए कौनसी साइट, कौनसी जगह उपलब्ध कराई जाय। यह 71 में आये, पहले बहुत दिनों तक बस नहीं पाये, जब इन्होंने कोई आबादी बनाई नहीं तो अब यह तय किया जा रहा है कि कौनसी जगह पर इनका निर्माण कराया जाय। हमने भारत सरकार को 50 लाख रुपये के लिये लिखा

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

है। भारत सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि विस्थापितों के लिए जल्दी से जल्दी 1984-85 में यह राशि उपलब्ध करा देंगी इसके लिए हमने 40 लाख की राशि भारत सरकार से मांगी है। इसी तरीके से इन लोगों, जो विस्थापित हैं, को राजस्थान नहर क्षेत्र में प्लाट आवंटित करने है। मैं बताऊं, यदि प्लाट मण्डी की तीन मील की परिधि में स्थित हो तो उसका विवरण निम्न प्रकार है :– ए, बी और सी,-ए तीन रु. प्रति वर्ग गज, बी का 2 रु. प्रति वर्ग गज और सी का 1.50 रुपए प्रति वर्ग गज। आवंटियों, जो भी इसमें आवंटन करायेगा, से 18 महीने के बाद आवासीय भूखण्ड की कीमत वसूल करने का मामला राजस्व विभाग के समक्ष रखा जायेगा। यह उसके विचाराधीन है कि किस प्रकार कीमत वसूल की जाय। यह जानकारी मैंने माननीय सदस्य को दी है। मैं माननीय सदस्य से यह भी कहूंगा कि हम बहुत ही जागरूक हैं। हम यह चाहते हैं कि पुनर्वास विभाग द्वारा जो हमने पैसा दिया है जिन-जिन विभागों को उनको हम जल्दी ही इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि वह उन कार्यों को अति शीघ्र पूरा कर दे जिससे हमारे जो विस्थापित हैं, जिनको सुविधा मिलनी चाहिए वह उनको अतिशीघ्र मिल सके। इसके अलावा भी कोई और कमियां हैं, कोई और शिकायतें हैं तो माननीय सदस्य भिजवा दें। मैं उनको यह कह सकता हूं, हमने उनके प्रति बहुत ही अच्छी सद्भावना रखी है। हम चाहते हैं कि सब बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके शीघ्रातिशीघ्र हल करने का प्रयत्न कर सकें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, दो तीन प्रश्न पूछूंगा। एक तो यह, क्या यह आपकी जानकारी में आया कि है कि जो जमीन उन्हें अलॉट हुई है सिंचित मुरब्बा मानकर 27 हजार रू. में, उसके साथ में अन-कमांड भूमि भी अलॉट हुई ? जैसा आपने वक्तव्य में बताया है, उसके लिए एक ही राशि निर्धारित कर दी, जो सिंचित के लिए राशि थी, वही उसकी लागू कर दी जब कि आपने अपने रिकार्ड में माना है, पट्टे दिये हैं उसके अन्दर बताया है कि इसके अन्दर 12 बीघा अन कमाण्ड और 13 बीघा कमाण्ड है। जो अन कमाण्ड है उसकी तो कम से कम अन कमाण्ड की रेट लगानी चाहिए। एक तो आप इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करें और उपनिवेशन विभाग को लिखें।

दूसरा मेरा यह निवेदन है, जैसा आपने बताया, कहीं कहीं डिग्गियों का निर्माण हो गया है। कृपया आप यह बता दें, मैं बिलकुल संतुष्ट हो जाऊंगा, कौन-कौन से चकों में आपने डिग्गियां निर्मित की हैं और पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी है ? यह बता दें आप कि कोलायत उपनिवेशन तहसील नं. एक और दो में किसी भी चक के अंदर आपने डिग्गी के अन्दर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी है ? यह कृपया बता दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, आपको मैं यह निवेदन कर दूं कि जो मेरे पास जानकारी है, मैंने वह जानकारी आप को दे दी। गांवों के नाम मेरे पास हैं नहीं कि कौन-कौन से गांव में डिग्गियां बनाई। जैसा आपने कहा, मैं इसकी और जानकारी

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कर लूंगा मैंने आप से कहा, पी. एच. ई. डी. को 50 लाख रुपए इन डिग्गियों के निर्माण के लिए....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आप नाम मंगाकर माननीय सदस्य को भेज दें। डिग्गियों का पैसा किसी के लिए आये और वह कहीं और बंट जाय।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की पालना करूंगा। इसी के साथ, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उनको असिंचित भूमि दे दी। मैं उपनिवेशन विभाग से इस सम्बन्ध में बातचीत करूंगा अगर इस प्रकार से हुआ है तो हम यह कतई नहीं चाहेंगे कि हमने 27 हजार मुरब्बा सिंचित भूमि का लिया कीमतन और उनको असिंचित भूमि दी जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : लास्ट, जैसे अध्यक्ष महोदय, निर्देश दिये, फर्माया सहानुभूति प्रकट की, मैं इतना ही चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है, सिंचाई की कोई बात नहीं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब तक डिग्गियों का निर्माण हुआ नहीं है यह कोलोनाइजेशन विभाग की जिम्मेदारी है, साधन उपलब्ध हैं, कम से कम टैंकर्स की व्यवस्था करायें जिस से कम से कम हर परिवार के लोग पानी तो पी सकें। इसके लिए क्या आप व्यवस्था करवायेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने आपको बताया कि डिग्गयों का निर्माण नहीं हुआ। जैसा कि आप कह रहे हैं, उनको पानी पीने की कोई असुविधा है तो हम इसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : धन्यवाद। सिर्फ यह मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि डिग्गियों का निर्माण कई जगह हो गया है, परन्तु अभी तक वहां नहर का सिस्टम बना नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं हुआ इसलिए यह समस्या सामने आ रही है। आप कम से कम टैंकर्स की व्यवस्था कर दें जिससे गर्मियों का मौसम निकाल लें।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

भीलवाड़ा जिले की आटूण पचायत द्वारा सुखाड़िया नगर व नया समलिया योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्डों की जिलाधीश द्वारा निरस्ती

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा भीलवाड़ा जिले की आटूण पंचायत द्वारा सुखाड़िया नगर व नया समलिया योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्डों को जिलाधीश द्वारा निरस्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत, आटूण पचायत द्वारा जो भू-खण्ड आवंटित किये गये, जिलाधीश महोदय द्वारा निरस्त किये जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि यह भूखण्ड आटूण पंचायत, भीलवाड़ा जिले की पंचायत ने

(श्री बंसीलाल पटवा)

सन् 1964 से लेकर 1969 तक आवंटित किये यह भूखण्ड सुखाड़िया नगर के नाम से, विष्णु नगर नया समालिया के नाम से हैं। 4811 भू-खण्ड इन्होंने इस अवधि में आवंटित किये। आवंटन के बाद लम्बी अवधि निकल गयी, अलग-अलग भूमि उन्होंने जो इनके अन्दर आबादी में ली उस भूमि में इन्होंने भू-खण्ड आवंटित किये, जिसमें से 518 बीघा भूमि तो अंदर हल्के आबादी ले ली गयी और 50 बीघा जो हल्के आबादी नहीं ली गयी, उसमें से आवंटित हो गई। इस तरह से यह 4 हजार भू-खण्ड तीन नगरों के नाम से अलग अलग आवंटित किये गये 1964 से 69 तक, इसमें से 11 जून, 80 को कब्जा देने हेतु पंचायत ने अखबारों के जरिये विज्ञप्ति निकाल कर जितने भी भू-खण्ड धारी थे, उनसे अपने पुराने पट्टों की फोटोस्टेट प्रतियां प्रस्तुत करने के लिये निवेदन किया। उन्होंने फोटोस्टेट प्रतियां सारी की सारी 4811 नहीं की होंगी, कुछ कम की होंगी लेकिन अधिकांश ने प्रस्तुत कर दी। तत्कालीन जिलाधीश महोदय, मीठालाल जी मेहता थे उन्होंने सन् 1972 में राज्य सरकार को, राजस्व सचिव को पत्र लिखा है पत्र क्रमांक एफ 12 (7)/3/रा/3/72/1006 दिनांक 16–3–72. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जो सार है, निर्णय की दृष्टि से इसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि पत्र लम्बा है। जिलाधीश महोदय ने लिखा है कि उन्होंने ग्राम सभा की बैठक बुलाई 72 में और बैठक बुलाकर के ग्रामवासियों से पूछा कि यह भू-खण्ड आवंटन किये भीलवाड़ा नगर से साढ़े 5 किलो मीटर की दूरी पर हैं। तो उन्होंने ग्राम सभा की बैठक बुलाकर जो निर्णय लिया। उन्होंने पत्र-लिखा उसका सार यह है—

"मैंने इस समस्त मामले पर मनन किया एवं पत्रावलियों का अवलोकन भी किया उससे यह ज्ञात आया है कि यह भूमि ग्राम आटूण में भीलवाड़ा नगर से 4–5 मील की दूरी पर स्थित है। जिस समय इन भूखण्डों का विक्रय किया गया था, उस समय इस भूमि का बाजार भाव भी इससे अधिक नहीं था। पंचायत द्वारा जो राशि प्राप्त की गई उसका उपयोग पंचायत ने ग्राम आटूण में स्कूल भवन, औषधालय, कूए आदि के निर्माण में कर लिया गया हैं। मैंने स्वयं ने आटूण ग्राम में ग्राम सभा की बैठक में शामिल होकर इस बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की।"

अन्त में उन्होंने यह लिखा है कि–

श्री अध्यक्ष : पत्र तो ठीक है पर इस पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी क्या? यह तो उनकी राय होगी।

श्री बंसीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, दो लाइनें और निवेदन कर दूं—

श्री अध्यक्ष : पत्र तो ठीक है, आप जो कह रहे है वह भी ठीक है लेकिन कानूनी, संवैधानिक क्या स्थिति बन गई ?

श्री बंसीलाल पटवा : यही निवेदन कर रहा हूं–

(श्री बंसीलाल पटवा)

"मानवीय दृष्टिकोण से प्रेरित होकर एवं ऊपर वर्णित ग्रांवटियों की संख्या को देखते हुए मैंने यह कार्यवाही प्रस्तावित की है। वैसे भी राज्य सरकार ने गांवों में सरकारी जमीन पर ग्रनाधिकृत निर्माण कार्य को नियमन करने के लिए 25 नये पैसे प्रति वर्ग गज की दर निर्धारित कर दी है। नियमित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यदि किसी ग्रावंटन में 25 पैसे प्रति गज की दर से कम है तो"....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह बात ठीक है लेकिन मुद्दे का प्रश्न क्या है ?

श्री बंसीलाल पटवा : मुद्दे का प्रश्न ही ग्रर्ज कर रहा हूं, यह पत्र लिखा गया, वही मैं बतला रहा हूं "पंचायत ग्रधिनियम की धारा 27 के ग्रन्तर्गत वैध घोषित किया। सूचना राजस्व सचिव को दे दी इसके ग्रतिरिक्त पत्र क्रमांक एफ 12 (7) 3/रा/ग्र/72/1006 दिनांक 16-3-1972 लिखा गया। इसके ग्रतिरिक्त समय समय पर मंत्रियों से ग्रधिकारियों से मिलते रहे। जब ग्राबादी भूमि, ग्रन्डर हल्के ग्राबादी भूमि में जमीन दे दी गई तो मेरा यह निवेदन है कि जब ग्रन्डर हल्के जमीन रेगुलेराइज करते है, एनक्रोचमेन्ट को भी रेगुलराइज करते हैं, तो उन्होंने तो बेची है, ग्रन्डर हल्के ग्राबादी के ग्रन्दर लोगों को दी है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह ग्रर्ज कर रहा हूं कि समय समय पर मंत्रियों, ग्रधिकारियों को ज्ञापन दिया, विक्रय नियम 266 राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम सन् 1961 के तहत किया गया, कई बर्ष बीतने के बाद। ग्रब, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे निवेदन करूं कि कई वर्ष बीतने के बाद सन् 1965 में ग्रावंटन किया ग्रन्डर हल्के ग्राबादी लोगों को ग्रौर 20 वर्ष के बाद ग्राज दिन तक सरकार को पता नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं की। यह जानकारी पहले मिली नहीं थी, ग्रब ग्रचानक 20 वर्ष बाद, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापको ग्रर्ज करूं....

श्री ग्रध्यक्ष : उन्होंने भवन निर्माण वगैरह करवा लिये हैं क्या ?

श्री बंसीलाल पटवा : उन्होंने भवन निर्माण वगैराह कुछ नहीं कराया है। कई वर्ष बीतने के बाद उप जिला विकास ग्रधिकारी, भीलवाड़ा ने ग्रतिरिक्त जिलाधीश को एक पत्र लिखकर धारा 27 (ए) राजस्थान पंचायत ग्रधिनियम 1953 एवं नियम 272 राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के तहत निरस्त करने हेतु उन्होंने लिखा। तो मोटे तौर पर मैं ग्रर्ज करूं....

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया संक्षेप में। माननीय सदस्य, इतने प्रश्न नहीं हो सकते हैं। यह बतायें कि क्या....

श्री बंसीलाल पटवा : मैं संक्षेप में ही ग्रर्ज कर रहा हूं....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर। ग्राप यह बतायें कि इसको निरस्त कर दिया क्या ?

श्री बंसीलाल पटवा : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ तो निरस्त कर दिये। मेरा इस बारे में निवेदन है कि जब जिलाधीश महोदय काम्पीटेन्ट आँथोरिटी है जमीन के बारे में, मैं सोचता हूं कि तत्कालीन मीठालाल जी मेहता, जो जिलाधीश थे, राज्य सरकार को इस तरह से लिखा. लिखने के बाद निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद आज वही जिलाधीश, एक ही पोस्ट पर काम करने वाला एक ही अधिकारी इस तरह से अपने निर्णय को बदलें तो मैं समझता हूं कि सामान्य न्याय प्रक्रिया के तहत....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मंत्री जी।

श्री बंसीलाल पटवा : अनुचित होगा, रूल्स का वायेलेशन होता है। इस तरह से सभी वर्गों के लोग हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के भी है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के भी है और दूसरे वर्गों के भी हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समझ गया। माननीय मंत्री जी।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि यह अनुचित होगा। सरकार से विश्वास उठ जायेगा कलेक्टर को शंका की निगाह से देखेंगे। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसको एग्जामिन करालें और एग्जामिन कराने के बाद रूल्स के तहत कोई बात होती है तो वह करें, नहीं तो यह बहुत बड़ा मेजर है। इसके तहत इस तरह से होगा तो अनुचित होगा, वर्षों से लोगों को आंवटन है इस दृष्टि से बिल्कुल न्याय संगत नहीं होगा, गलत होगी, सरकार की बदनामी होगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी। आँर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा मंत्री) : ग्राम पंचायत आटूण द्वारा वर्ष 1968 से 1974 तक की अवधि में भू-खण्ड व विक्रय किये गये हैं, भू-खण्ड विक्रय में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियमों की अवहेलना पाये जाने पर राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 27 (ए) के अन्तर्गत विक्रय निरस्त करने के लिये उप-जिला विकास अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश भीलवाड़ा के न्यायालय में 1955 मामलों की निगरानी प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त जिलाधीश, भीलवाड़ा के न्यायालय में 1550 विक्रय के मामले निरस्त किये जा चुके हैं। न्यायालय ने राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियमों के नियम 256 से 266 की पालना विक्रय में न होने के कारण निगरानी स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त 1350 मामलों में निगरानी और दर्ज कराये जाने की कार्यवाही अतिरिक्त जिलाधीश, भीलवाड़ा के कार्यालय में विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत आटूण द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए तथा ऐसी दर पर भू-खण्ड विक्रय किये गये जो उस समय की बाजार दर से बहुत कम थी। भू-खण्ड धारियों में किसी प्रकार की असन्तुष्टी होने की जानकारी राज्य सरकार अथवा जिलाधीश भीलवाड़ा को प्राप्त नहीं हुई है।

(श्री बंसीलाल पटवा)

चूंकि भू-खण्ड विक्रय में नियमों की अवहेलना हुई है। अत: विक्रय को नियमानुसार निरस्त करना अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि श्री मीठालाल जी मेहता कलेक्टर थे उन्होंने सभी 5 हजार मामलों में राज्य सरकार को सिफारिश भेजी थी क्या ?

श्री बंसीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, लम-सम, उन्होंने फिगर्स नहीं दिया है, उन्होंने सन् 1965 से 1969 तक जो आवंटन हुआ है उसके सम्बन्ध में लिखा है। यह पत्र है सन 1964 से लेकर 1969 तक जो आवंटन हुये हैं, उसके बारे में लिखा है, जिसमें 25 पैसे....

श्री अध्यक्ष : लेकिन इसमें कहीं यह बात भी है क्या कि इतने भू-खण्ड आवंटित हुये हैं, यह पट्टे हैं, उसके बारे में सिफारिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या ?

श्री बंसीलाल पटवा : ऐसा तो नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1964–65 में आवंटन हुये हैं, उन्होंने फिगर्स मैन्शन नहीं किया। उनको इस तरह से निरस्त किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : यह 50 के बारे में भी हो सकती है, 5 सौ के बारे में भी हो सकती है और 5 हजार के बारे में भी हो सकती है....

श्री बंसीलाल पटवा : तो मेरा यह निवेदन है कि यह हकीकत है, सरकार एग्जामिन करा ले।

श्री अध्यक्ष : कानून के अनुसार कार्यवाही हो रही है। सभी पक्ष अपना अपना पक्ष रख सकते हैं।

श्री बंसीलाल पटवा : जिलाधीश महोदय के फैसले के अनुसार लोगों को आवंटन किया गया कि हम इस तरह से कर रहे हैं, यह हालत है, आगे जाकर बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाये। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको एग्जामिन करा लें अन्यथा रूल्स का वायलेशन होगा, अनुचित होगा। 1964 से लेकर 1965 तक अलाटमेंट किये गये हैं, मीठा लाल जी मेहता ने इस तरह से पत्र लिखा है और राज्य सरकार की 20 साल के बाद नींद टूटी है। अब निरस्त कर रहे हैं क्योंकि इसलिए आप उसको निरस्त करना चाहते हैं, यह एक अन्यायपूर्ण कार्यवाही होगी, वैसे भी कोर्ट में जायेंगे। यह एक लम्बा प्रोसीजर हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : कितने भू-खण्ड हैं ऐसे ?

श्री बंसीलाल पटवा : 4811

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि पंचायत के किसी क्षेत्र में, 4000 भू-खण्ड हैं, इसका अर्थ है चार हजार परिवार, एक परिवार में 6 की संख्या हो तो 24 हजार वहां की आबादी है क्या ?

श्री बंसीलाल पटवा : आबादी नहीं है वहां पर एरियाज हैं, सबएरियाज हैं, जैसे

(श्री बंसीलाल पटवा)

खेड़ावाग, जैसे रानौली, जैसे देवली, इन सब ग्रामों के आदमियों ने लिये हैं। कलेक्टर ने ग्राम सभा की है, माननीय अध्यक्ष महोदय;

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जो विभाग ने मुझे, जानकारी दी उसके अनुसार एक तो पंचायत ने नियमों की पालना नहीं की, इसलिए निगरानी हुई। दूसरे में, जो इन्होंने भू-खण्ड दिये, सरकारी अधिकारियों को, उदयपुर के लोगों को और जयपुर के लोगों को, जो आये उनको देते गये सरपंच जी और सरपंच जी का स्वर्गवास हो गया, अब....

श्री अध्यक्ष : इतनी बड़ी समस्या है तो सरकार कुछ देख तो लें, कानूनी समस्या क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां। मैंने निवेदन किया 1500 और कुछ के फैसले हो गये, तेरह सौ और कुछ विचाराधीन हैं। ज्यों-ज्यों केसेज सामने आ रहे हैं उन पर विचार करके निर्णय ले रहे हैं। यह तो पंचायत एक्ट के अन्दर ही कार्यवाही हो सकती है। उस पर कहते हैं कि जांच करवा लीजिये। हम क्या जांच करवायेंगे। मीठालाल जी मेहता का कागज क्या वकत रखता है। उस वक्त में मजिस्ट्रेट की हैसियत से उन्होंने फैसले कर दिये।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय मन्त्री महोदय वह सरपंच आपकी ही पार्टी के थे। आप ही लोगों ने आवंटन कराये और आज आप ही बदल रहे हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह सरपंच तो आपकी पार्टी के थे।

श्री अध्यक्ष : अब संसार में नहीं रहे।

श्री बंसीलाल पटवा : वह आपकी पार्टी के थे। उन्होंने आवंटन किये और आज इस तरह से कर रहे हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी पार्टी के थे। उन्होंने गलत काम किया है तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे।

श्री बंसीलाल पटवा : रूल्स का वायोलेशन कर रहे हैं, कह करके मुकर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय सदस्य ने इस विषय में जो विचार व्यक्त किये और माननीय मन्त्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण दिया उसमें बहुत भिन्नता है। सदन अभी तक क्या सत्य है, इससे वंचित है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय में आप अपने स्तर पर सही स्थिति की जांच कर लें और सदन को अवगत करा दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसकी जानकारी करना चाहेंगे तो हम इसकी पूर्ण जानकारी कराने को तैयार हैं।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : यहां क्यों नहीं दे रहे हो ?

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे अच्छा होगा, आप अपने स्तर पर जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष : आसन के अपने अधिकार सदन के अन्दर कार्यवाही चलाने तक है, इससे बाहर सरकार काम कर रही है। सरकार अपनी तरफ से जिम्मेदार है। अपनी तरफ की बात है वही सरकार यहां कह देती है, उस पर चर्चा हो जाती है। उसके बाद में विषय समाप्त हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी पार्टी का होते हुए भी एक्शन ले रहे हैं, आप बताइये।

श्री बंसीलाल पटवा : ठीक है, बन्दर बाट की बात कर रहे हैं और ··

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, कृपया बैठ जायं।

मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं मांग संख्या 30–जन जाति क्षेत्रीय विकास

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। निम्नलिखित अनुदान मांगें, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत को जायेंगी। मांग संख्या 33, मांग संख्या 30।

श्री दुलाराम (राज्य मन्त्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,38,72,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,65,22,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) :

1. विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के साथ किये जा रहे सौतेले व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

2. विकलांगों को रोजगार दिलाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

3. अनुसूचित जाति जनजातियों के कल्याण के व्यापक कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आमीन खां (शिव) :

4. बाड़मेर जिले के शिव तहसील मुख्यावास पर दलित वर्ग के छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

5. एकीकृत बाल विकास परियोजना की क्रियान्विति में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

6. गरीबों को कानूनी सलाह शुल्क तथा सहायता की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

7. हरिजन बस्ती के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत राशि का पेयजल योजना में सही उपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

8. हरीजन बस्तियों में हैन्ड पम्प नहीं लगाया गया है तथा जनजाति के मोहल्लों को रख दिया गया है इस पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

9. चौकी जहां जनजाति के व्यक्ति ही ज्यादा रहते हैं, 5वीं कक्षा नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. टौंक जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र, छात्राओं की छात्रवृत्ति पूर्ण रूप से नहीं दिये जाने, लेप्स हो जाने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) :

11. नैनवा विधान सभा क्षेत्र की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में पेयजल और विद्युत की समुचित व्यवस्था कराने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा (निवाई) :

11. निवाई विधान सभा क्षेत्र की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में पेयजल और विद्युत की समुचित व्यवस्था कराने में विभाग असफल रहा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा)

13. अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) :

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

14. बनवासी छात्रावास, उदयपुर की भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. वर्ष 1982 से समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास की व्यवस्था परिवर्तन पर चर्चा के लिये।

16. प्रतापगढ़ व अरनोद में निराश्रित गृह खोलने बाबत चर्चा के लिये।

17. राज्य में चल रही बाल कल्याण योजनाओं पर बच्चों के विकास की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं होने बाबत चर्चा के लिये।

18. विभिन्न बाल परियोजनाओं हेतु कर्मचारियों में जनजाति का कोटा पूरा नहीं लेने बाबत चर्चा के लिये।

19. राज्य में बिना जाति प्रमाण पत्र के लाखों की छात्रवृति का भुगतान कर दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

20. राज्य में महिला विकास ऐजेन्सियां अब तक गठित नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

21. राज्य में बच्चों द्वारा भीख मांगे जाने को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

23. कन्या छात्रावासों के बाउन्ड्री वाल बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

23. राज्य में सर्वेक्षण के आधार पर पाये गये विकलांगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

24. समाज कल्याण विभाग अथवा संस्थाओं द्वारा चल रहे छात्रावासों को पंचायत समितियों को स्थानान्तरित कर उन्हें अनुदान देने पर चर्चा के लिये।

विष्णुप्रकाश बाजारी (ब्यावर) :

25. ब्यावर में अनुसूचित जाति का होस्टल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) :

26. पंचायत हैड क्वार्टर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावास खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

27. जनजाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रों को पर्याप्त एवं समय पर छात्रवृति विभाग द्वारा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं) :

28. समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) :

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

29. सरकार समाज कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

30. जिला बीकानेर व जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार लोगों को कुटीर उद्योग लगाने हेतु ऋण उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

31. आवासनियों को दिये जाने वाले भोजन का स्तर सुधार करने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) :

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :

32. अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों के विकास व प्रकाश की समुचित व्यवस्था किये जाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

33. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

34. अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक स्तर ऊपर उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति भत्ता में वृद्धि किये जाने व समय पर दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावासों में समुचित व्यवस्था करने व वृत्तिका बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आरक्षण के अनुरूप नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में व्याप्त सामाजिक बुराई को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :

40. ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करवा कर ग्रामीण झगड़े कम करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) :

41. हरिजन मोहल्लों में पानी की पाइप लाईनों की बेहद कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

(श्री अमीन खां)

42. बाड़मेर जिले के हरिजन बस्ती गढ़रा-रोड के तीन वार्डों में पानी के कनेक्शन देने पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

43. बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम गांधी में हरिजन बस्ती में पानी का स्टेण्ड बना पेयजल उपलब्ध कराने में जलदाय विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) :

44. जिले में 6 माह से रिक्त समाज कल्याण अधिकारी का पद भरा जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. सांचोर में स्थित शास्त्री सदन अनुसूचित जाति छात्रावास के छात्रों की सख्या 60 तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) :

46. समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विशेष योजना बनाने की आवश्यकता तथा उन्हें ऊंचा उठाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

47. समाज में समानता लाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

48. पिछड़े वर्ग के उत्थान में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

49. विभाग में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

50. विभाग द्वारा फर्जी आंकड़े तैयार कर सरकार को अन्धेरे में रखने पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

51. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रमों का व्यापक स्वरूप प्रदान कर समाज के कमजोर वर्गों को पूर्ण संरक्षण देने तथा कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. महिला कल्याण के अन्तर्गत महिला वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजनायें बनाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

53. जयपुर जिले में लालगढ़, बावड़ी का बास, हिम्मतपुरा, चितोड़ी में आश्रम विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

(श्री जीतमल जैन)

54. गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में समाज कल्याण विभाग द्वारा मण्डप लगा कर किये गये अपव्यय पर चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) :

55. उदयपुर जिले में आदिवासियों को विभाग द्वारा संचालित प्रवृत्तियों का लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

56. टोंक में समाज कल्याण द्वारा संचालित अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिये एक होस्टल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

57. टोंक जिले में मोटरयान दुर्घटना से मृत अथवा अपंग हुए व्यक्तियों को अनुदान देने में विफलता पर चर्चा के लिये ।

58. टोंक जिले में अंगहीन और दृष्टिहीन, निराश्रितों को पेन्शन देने में शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

59. टोंक जिले में पिछड़े वर्ग को कानूनी सलाह निशुल्क देने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

60. टोंक जिले में भिक्षावृति को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

61. टोंक जिले में एकीकृत बाल विकास योजना को क्रियान्वित करने में विफलता पर चर्चा के लिये ।

62. बालकों के विकास के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की क्रियान्विति करने में टोंक जिले में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

63. टोंक जिले में पालना गृह प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

64. टोंक जिले में जनजाति क्षेत्रों तथा शहरी गन्दे क्षेत्रों में बच्चों के लिये पोषाहार के प्रोग्राम की विफलता पर चर्चा के लिये ।

65. टोंक जिले में शिशु गृह नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

66. टोंक जिले में अनाथालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

67. टोंक जिले में महिला रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये ।

68. टोंक जिले में शारीरिक एवं मानसिक पीड़ितों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये सहायता कार्यक्रम नहीं चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

69. टोंक जिले में वृद्ध एवं निर्बलों का कल्याण कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये ।

70. टोंक जिले में बधिर, मूक और अन्धों के विद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

71. टौंक जिले में नेत्रहीन लड़के लड़कियों के निवास स्थान सहित पाठशाला कार्यक्रम की विफलता पर चर्चा के लिये ।

72. टौंक जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र, छात्राओं के छात्रावासों के भवनों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

73. टौंक जिले में हरिजन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं देने पर चर्चा के लिये

74. अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के अध्यनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां एवं वजीफा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

75. टौंक के भूतपूर्व समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले पर विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

76. निवाई में अनुदानित छात्रावास को अधिग्रहण कर विभाग द्वारा अन्य छात्रावास की तरह व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

77. छात्रावास की वर्तमान व्यवस्था को बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. टौंक में पोषाहार केन्द्र 45 से बढ़ाकर 100 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

79. विभाग द्वारा कार्यशील महिला छात्रावास टौंक में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

80. टौंक में राजकीय समाज कल्याण छात्रा वास की छात्रसंख्या 70 से बढ़ाकर 150 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

81. विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम की उपलब्धि का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

82. विभाग में मानीटरिंग के अभाव से योजना का लाभ कमजोर व निर्बल व्यक्ति को नहीं मिलने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

33. विभाग द्वारा विभिन्न प्रवृत्तियां जो संचालित की जाती हैं, उनका प्रचार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

84. राज्य में भारी संख्या में कुष्ठ रोग के मरीजों और भिखारियों की देखभाल करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

85. जयपुर स्थित पुराने मानसिक पीड़ित महिला गृह को बन्द कर आवासीनियों महिलाओं के रोग व भूख से मरने और और गत 3 वर्ष से उक्त संस्था के लिये निर्मित भवन खाली पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती विद्या पाठक)

86. जयपुर स्थित राजकीय बालिका गृह में से अनेकों बालिकाएं प्रशासन की लापरवाही से गायब हो जाने के क्रम में चर्चा के लिए ।

87. समाज कल्याण विभाग में अधिकांश कारागृह वेल फेयर अधिकारियों के अभाव में बन्दियों व उनके परिवार को उत्पन्न हो रही असुविधा की चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

88-घुमक्कड़ जाति को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आरक्षित कर आवंटन करने हेतु चर्चा के लिये ।

89-जिला बीकानेर में विकलांगों की शिक्षा और कल्याण हेतु सुविधायें उपलब्ध कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

90-चिकित्सा के दौरान हुए विकलांग एवं अन्धों को सरकार की तरफ से प्राथमिकता न दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

91-जिला बीकानेर में वृद्ध एवं निर्बल के कल्याण के लिये पेंशन व अन्य सुविधाएं दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

92-जिला बीकानेर में बधिर, मूक और अन्धों के लिये विद्यालय खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

93-जिला बीकानेर में नेत्रहीन लड़के, लड़कियों के लिये निवास स्थान सहित पाठशालाएं बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

94-अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कालेज स्तर की छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

96-महिला कल्याण योजना के अन्तर्गत दहेज प्रथा का उन्मूलन करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

96-अनुसुचित जाति एवं जन जाति के लोगों में व्याप्त सामाजिक बुराइयां दूर करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

97-जहाजपुर क्षेत्र के समन्वित बाल विकास परियोजना की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

98-टोंक में कार्यरत पोषाहार केन्द्रों पर खाद्य सामग्री को बच्चों को नहीं देकर अपने पशुओं को खिलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

99-आंगन बाड़ी स्कीम, अलीगढ़ (उनियारा) में भयकर अनियमितता, गबन-घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

100-टोंक शहर में अनु. जाति एवं अनु. जन जाति के एवं कमजोर व्यक्तियों को वर्ष 1980 से 1984 तक जो विभिन्न

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

योजना हेतु ऋण एवं अनुदान दिया गया है वह समृद्ध एवं सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101–धोलाखेड़ा (टोंक) नई बस्ती जिसमें 70 परिवार अनु. जाति (हरिजन) के रहते हैं, में पेयजल, शिक्षा, राशन एवं नागरिक सुविधाओं से वंचित कर दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति एवं जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

102–जयपुर जिले में जनजाति के छात्र व छात्राओं को परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वालों का चयन कर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दिये जाने के, क्रम में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 30 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 30 मुख्य शीर्षक जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

1. जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने में असफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

2. पंचायतों को माडा योजना में स्वीकृत कार्यों की क्रियान्विति में असफलता पर चर्चा के लिये।

3. जनजातीय उपखण्ड खोले जाने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

4. आदिवासी क्षेत्र में गांव बिखरे होते हैं। ढाई सौ की बस्ती एक स्थान पर नहीं होती है इस संख्या को कम कर हैण्डपम्प लगाने हेतु चर्चा के लिये।

5. उदयपुर जिले में रहने वाले पिछड़े वर्ग के नागरिकों को जनजाति क्षेत्रीय उप योजना के तहत सही लाभ नहीं मिलने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

6. जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत माड़ा क्षेत्र की योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

7. आदिवासी बहुल क्षेत्रों की शालाओं में खेलकूद की व्यवस्था करने में विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

8. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला के

(श्री बहादुर सिंह)

गांव खेड़ा वडलीपाड़ा में आश्रय स्कूल भवन के निर्माण के विलय के संबंध में चर्चा के लिये।

9. बांसवाड़ा जिला के ग्रामीण जनजाति क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों को पूरा करने में असफल रही है, जिस पर चर्चा के लिये।

10. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला के जनजाति क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

11. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में नये कुओं के निर्माण हेतु अनुदान देने में असमर्थ रही, जिस पर चर्चा के लिये।

12. पंचायत समिति, बांसवाड़ा जिला बांसबाड़ा में गांव वगैरी तालाब सर्वेशुदा होने से सेंकशन नहीं देने पर चर्चा के लिये।

13. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला के पंचायत समिति, पीपलखुर में ग्राम पंचायत दानपुर में अधूरे तालाब को पूरा करने में विफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

14. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला के पंचायत समिति पीपलखुर के गांव जूनाखेड़ा के नाले पर अधुरा तालाब को पूरा करने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

15. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में जनजाति क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना लागू करने में विफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

16. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला के अ. ज./अ. ज जाति के क्षेत्र में विधि कॉलिज (एल. एल. बी.) खोलने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

17. बांसवाड़ा जिला के गांव नवागांव में सैकण्डरी स्कूल नहीं खोलने पर जन-जाति के लोगों को शिक्षा में पीछे रखने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

18. उदयपुर जिले में आदिवासी क्षेत्र सलूम्बर में कॉलेज खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री असलम खां (बाली):

19. पंचायत समिति, बाली के जनजाति क्षेत्र में चिकित्सालय में औषधियों की कमी पर चर्चा के लिये।

20. पंचायत समिति, बाली के मांडा जनजाति क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के आवास गृहों की सुविधा हेतु चर्चा के लिये।

21. पंचायत समिति, बाली जिला पाली के आदिवासी क्षेत्र में खेतों की मेड़बन्दी व जमीन के कटाव को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री असलम खां)

22. पंचायत समिति, बाली के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के नाणा से भीमाणा व भीमाणा से दानवरली और गोरिया से बीजापुर की सड़कों के बनाने व इन सड़कों के बरसाती नालों पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

23. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति क्षेत्र में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये।

24. अनुसूचित जाति क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्राथमिक शालायें खोलने पर उदासीनता बरते जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

25. आदिवासी ग्रामीणों को सुचारु रूप से शिक्षा उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :

26. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में गरीब आदिवासी जनता को दवाइयां समय पर उपलब्ध कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

27. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के दूर-दराज आदिवासी इलाकों में आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी व सब सेन्टर खोलकर जनता को राहत नहीं दे सकी, इस पर चर्चा के लिये।

28. राज्य सरकार अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कुशलगढ़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा में पीछे रखा है जबकि आदिवासी खेती पर ही निर्भर हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्य (डग) :

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

29. भवानी मंडी कस्बे में दिनांक 11-1-84 की रात्रि को किशनलाल मेहता की निर्ममता पूर्वक पीटकर हत्या कर दी। पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (थानपुर):

30. आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये मोन्टेसरी व नर्सरी जैसी स्कूलों की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

31. जनजाति क्षेत्र के आदिवासियों को मेडबन्दी करने हेतु समय पर ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. आदिवासी क्षेत्र में गोबर गैस प्लान्ट न लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

33. जनजाति क्षेत्र के लोगों को लघु उद्योग लगाने हेतु समय पर ऋण व अनुदान न देने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. आदिवासी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री बहादुर सिंह)

35. आदिवासी एरिया में उपभोक्ता भण्डारों द्वारा सस्ते मूल्य पर खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में उन्नति न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत विभाग द्वारा शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय के औचित्य पर चर्चा के लिये।

38. आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के संबंध में लोगों को प्रेरणा देने हेतु चलचित्रों का प्रदर्शन न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

39. आदिवासी पिछड़े क्षेत्र में सड़कें न बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग न खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :

41. आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग न खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

42. उपभोक्ता भण्डारों द्वारा आदिवासी ग्रामीणों को सस्ती व खाने योग्य खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध न कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. कुशलगढ़ क्षेत्र में रामगढ़ ग्राम में आश्रम स्कूल चालू करने में राज्य सरकार असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) :

44. उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

45. तहसील सराड़ा में कच्ची सड़कें अधूरी पड़ी हैं एवं उन पर पुलिया नहीं होने से आदिवासियों को आने-जाने में कठिनाई होती है इस पर चर्चा के लिये।

श्री असलम खां (बाली) :

46. पंचायत समिति बाली जिला पाली की मांडा योजना के आदिवासी गावों में सरकारी कर्मचारियों के रहने हेतु आवासीय व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्य (डग) :

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :

47. अधिकारियों की प्रभावशाली लोगों से मिली भगत होने से जनजाति के लोगों को भू-आवंटन का लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये।

(श्री छीतरलाल आर्य)

48. जनजाति के लोगों को विभाग से जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है उस पर चर्चा के लिये ।

49. जनजाति के लोगों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

50. विशिष्ठ योजना के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत टोंक जिले की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

51. उदयपुर जिले का मास्टर प्लान (योजना) बनाकर इस क्षेत्र से बहने वाले पानी को बड़े बान्ध बनाकर आदिवासियों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

52. उदयपुर जिले में आदिवासियों को घटिया नस्ल के पशु दिये गये हैं जो कर्जा दिया गया उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये ।

53. किसानों को खास कर आदिवासियों को अपनी जमीन के समतल बनाने हेतु कर्जा दिया जाने पर चर्चा के लिये ।

54. उदयपुर जिले के जनजाति विकास उप योजना द्वारा आदिवासियों के कृषि भूमि का सुधार सामूहिक रूप से गांव वाइज कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

55. जनजाति के विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त राशि आवंटित नहीं किये जाने से उनको छात्रवृति का लाभ नहीं मिलने पर चर्चा लिये ।

56. जनजाति क्षेत्रों में अव्यवहारिक योजनाओं के कारण आवंटित बजट का पूरा व्यय नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री यदुनाथसिंह (नंदबई) :

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

57. सरकार जनजाति के लोगों का विकास करने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलालमीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

58. आदिवासी गांवों में वन लगाने हेतु अलाट की गयी भूमि में हुयी अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये ।

59. वन संरक्षण हेतु ऐसे नागरिकों को भूमि अलाट की जाय जिनके पास कम भूमि हो, इस पर चर्चा के लिये ।

60. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आवासन लोन नहीं दिया जाता, इस पर चर्चा के लिये ।

61. जनजाति विकास विभाग द्वारा आदि-

(श्री भैरूलाल मीणा)

वासियों के आर्थिक उत्थान हेतु जर्सी गाय उपलब्ध करायी जाये, इस पर चर्चा के लिये।

62. जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत आदिवासियों की भूमि का विकास नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

63. जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत जल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

64. जनजाति विकास के अन्तर्गत विभाग में जनजाति के लोगों को रोजगार दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

65. जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले भीलों को सिचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

श्री कुन्जीलाल (बामनवास) :

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

66. आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में की जा रही अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

67. आदिवासी क्षेत्र में कृषि के लिये लघु सिचाई योजनायें एवं रोजगार के साधनों को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) :

68. जिला जैसलमेर व बीकानेर में जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कृषि विस्तार में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :

69. मांगरोल तहसील के केकाकेड़ी व बलमाडा के गांव में कुआ बनाकर पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

70 जनजाति के विकास हेतु एलाट किये गये धन का समुचित उपयोग किये जाने जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. माडा योजना के अन्तर्गत अलाट किये गये फण्ड का समुचित उपयोग किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

72. राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को भूमि एलाट करने में विफल रही जिस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

(श्री बंसीलाल पटवा)

73. वन विभाग द्वारा वनों के मध्य निवास करने वाले आदिवासी को उसकी भूमि मकान व खेती से उजाड़ा जा रहा है। इस पर चर्चा के लिये।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) :

74. आदिवासियों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

75. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव है, स्कूल बन्द हैं इस पर चर्चा के लिये।

76. ग्रामीण इलाकों में विशेष कर आदिवासी इलाकों में पशु औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये।

77. आश्रम स्कूल रावछ का कार्य शीघ्र पूरा कराने पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) :

78. डूंगरपुर जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

वैद्य भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) :

79. जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत माडा क्षेत्र के कुओं में पानी के गिरते हुये जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिये छोटे-छोटे एनीकट बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिव सिंह रावत (बाड़ी) :

80. बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्थित सिगोरई, मुआवनी आदि गांवों को जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

81. टीडी बांध में डूबी जमीन के कारण बेघर आदिवासियों को 1971-72 से काश्त कर रहे वो जमीन एलोट नहीं की गयी इस पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

82. जनजाति क्षेत्र के विकास के नाम पर फर्जी आंकड़े बनाने पर चर्चा के लिये।

83. जनजाति क्षेत्रिय विकास के अन्तर्गत आदिवासियों को राहत न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

84. जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

85. जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का लाभ आदिवासी लोगों को न मिलने तथा इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में होने वाली लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

88. वन विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति व आदिवासी लोगों को सरकारी वनों के पूर्व लकड़ियों के भारे चिठ्ठा काट कर दी जाने वाली सुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

87. राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर ली जाने वाली कास्त की भूमि 24 मीटर से अधिक ली जाने से किनारे के आदिवासियों को बेघर हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 उदयपुर क्षेत्र में आदिवासियों से ली जा रही भूमि का मुआवजा कम दिये जाने से भारी असंतोष होने पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द आमलिया (चोरासी) :

89. लेम्प्स एवं मिनि लेम्प्स की अव्यवस्था से उत्पन्न हुयी स्थिति पर इसे दी जाने वाली सब सीडी के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) :

90. जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ द्वारा आदिवासियों को सुविधा उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

91. लेम्पस एवं पैक्स में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा के लिए।

92. टी. ए. डी. योजना का लाभ आदिवासियों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. खमनौर पंचायत समिति के रहने वाले आदिवासियों को टी. ए डी. योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

94. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति में जनजाति पशु पालकों को पशुओं के लिये चारा उपलब्ध कराने हेतु माडा योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के चारागाह विकास का कार्य करवाये जाने हेतु विशेष योजना बनाने व स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्विति के संदर्भ में चर्चा के लिये।

95. जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की पंचायत समिति बस्सी में माडा योजना के अन्तर्गत ग्राम बल्लुपुरा, चांदपुरा, घाटा चपड़िया, हरिरामपुरा में प्रस्तावित पेयजल कूप की स्वीकृति नहीं दिये जाने से इन ग्रामों की पेयजल समस्या का निराकरण नहीं होने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

96. माडा योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति बस्सी में ढाणी घोलकी भई,

(श्री मोहनलाल मोदी)

झकोंवाली ढाणी झई मीठावास, झाझवाड़, माली हालाढाणी, निमोरा उगावास, लालपुरा, रामपुरा चण्डालिया, रतनपुरा, मेसरी, घीगड़कावास श्यामपुरा, बिहारीपुरा, किशनपुरा, मंदरूपुरा, चतरपुरा, अभयपुरा, चित्तोड़ी, बुदरूपुरा, लालपुरा श्रीनगर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल कूप की स्वीकृत दिये जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

97. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में जनजाति के लोगों को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने हेतु देवगांव में मिनी हैल्थ सेंटर, झई में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

98. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के माडा ग्रामों में सिचाई के कुंओं में गिरते पानी के स्तर को रोकने व सिचाई के कुओं में पानी का स्तर बढ़ाने के लिये छोटे बड़े ऐनिकट इसी वितीय वर्ष में निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

99. जनजाति विकास के अन्तर्गत पंचायत समिति बस्सी में माड़ा योजना के ग्रामों के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों के अभाव की स्थिति को दूर करने हेतु विद्यालय भवनों का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

100. जनजाति विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम झई में निर्मित आश्रम स्कूल को आरम्भ नहीं किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

101. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति में जनजाति के व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ की योजना के अन्तर्गत खनिज मजदूरों को औजार अनुदान, मुर्गियों की इकाई हेतु अनुदान, पुराने कुओं को गहरा कराने, कुओं में पानी की क्षमता बढ़ाने हेतु बोरिंग कराने हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगन्दा) :

102. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में अनुसूचित जनजाति के ही अधिकारियों कर्मचारियों को भर्ती किया जाने पर चर्चा के लिये ।

103. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की मीटिंग समय पर नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

104. आदिवासियों के लाभ की योजनाओं में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

(श्री मेघराज तावड़)

105. अनुसूचित जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा मत्स्य मार्केट सहकारी समिति जयसमन्द को भुगतान नहीं करने पर चर्चा के लिये।

106. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत मांडा योजना की पुन: सीमांकन करने पर चर्चा के लिये।

107. अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की उपेक्षा एवं लेम्पस एवं पेक्स द्वारा किये जा रहे अत्याचार एवं दमन पर चर्चा के लिये।

108. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति में भेद-भाव बरतने पर चर्चा के लिये।

109. अनुसूचित जनजाति विकास विभाग में ग्रामीणों और आदिवासियों को लघु उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

110. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

111. मांडा क्षेत्र में फ्री ब्लास्टिंग तथा वन सहायता राशि में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पक्षपात पर चर्चा के लिये।

112. मांडा क्षेत्र में लुहारी कलां आश्रम स्कूल की दयनीय स्थिति एवं बन्द होने के बारे में चर्चा के लिये।

113. जहाजपुर मांडा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के अभाव की बाबत चर्चा के लिये।

114. मांडा क्षेत्र में सिंचाई एवं एनीकट की अपर्याप्त व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

115. मांडा योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में भ्रष्टाचार तथा घपलेबाजी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. मांडा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं एवं संचार सेवाओं के अभाव के बारे में चर्चा के लिये।

117. मांडा क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन की पद्धति में परिवर्तन कर तथा सलाहकार समिति का गठन कर स्वतंत्र संचालन की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 33 व 30 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाय तो क्या स्थिति बनती है, इसको कल्पना शायद हम लोग नहीं कर सकते। आज मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर इस सदन में चर्चा प्रारम्भ हुई है। अध्यक्ष महोदय, चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व मैं आपके सामने दो पैरा-

(श्री नन्दलाल मीणा)

ग्राफ पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। चूंकि राजस्थान की 28 प्रतिशत जनता के भाग्य का उत्थान इन मांगों के जरिये निर्भर करता है, उन वर्ग में जो संगठन बने हुए हैं, समय समय पर जो कुछ भी हुआ है, इन विभागों के बारे में कहा है, मैं दो पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद चर्चा प्रारम्भ करूंगा।

श्री अध्यक्ष : कौनसे संगठन ने कहा है यह।

श्री नन्दलाल मीणा : यह है साहब, दलित वर्ग संघ, जयपुर। उन वर्गों का समाज कल्याण विभाग उत्थान करता है।

श्री अध्यक्ष : उसमें जो बातें कही गई हैं वह अपनी भाषा में आप कह दीजिये। दूसरे का लिखा हुआ है उसको पढ़ने की''''

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भाषा में यह बात निवेदन कर रहा हूं। समाज कल्याण विभाग के निदेशक, श्री मेहरा ने सरकारी नियमों, आदेशों को ताक में रखकर अगस्त और जुलाई, 83 में विभाग द्वारा जो नियुक्तियां दी गई उसमें पांच हजार रुपये, आठ हजार रुपये और दस हजार रुपये तक की रिश्वत ली। इसके साथ-साथ समाज कल्याण विभाग के सवाई माधोपुर के जिला परिवीक्षा और समाज कल्याण अधिकारी को विश्व बैंक से'''

श्री अध्यक्ष : आपने इस सम्बन्ध में पूर्व सूचना दे रखी है ?

श्री नन्दलाल मीणा : दे रखी है।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद में जो कोई भी बात कही जाती है सदन में, बहुत जिम्मेदारी से कही जाती है। जो माननी सदस्य कहते हैं वह अपनी ओर से कहते हैं इसलिए इन परिस्थितियों में दूसरों ने क्या कहा है, यह नहीं कहा जायगा। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका मत क्या है वह बतायें।

श्री नन्दलाल मीणा : मेरी जानकारी यह है और मैं आश्वस्त हूं इस बात के लिए अध्यक्ष महोदय,'''

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : किसी भी अधिकारी का नाम लेना ठीक नहीं है। माननीय सदस्य ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

व्यवस्था का प्रश्न

रूपनेतर व्यक्ति पर आरोप

श्री रामनारायण चौधरी (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ किसी दूसरे आदमी की कही हुई शिकायत इस सदन में माननीय सदस्य न तो पढ़ सकते हैं, न कह सकते हैं। यदि स्वयं माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो, तो भी आपको पहले सूचना देंगे, सूचना देने के बाद वह आरोप लगा सकते हैं। सरकार को भी नोटिस देंगे। यों खड़े

(श्री रामनारायण चौधरी)

होकर कह दें उस अधिकारी ने 10 हजार रुपये लिये, मान्यवर, यह तो वेग एलिगेशन है।

श्री अध्यक्ष : जहां तक आरोप लगाने का सवाल है, माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने मन्त्री जी को और आसन को भी इसकी सूचना दे दी है और जो आपने दूसरी बात कही कि किसी तीसरे का नाम लेकर के बात नहीं कही जा सकती तो उस सम्बन्ध में मैंने व्यवस्था पूर्व में ही दे दी। जो कुछ भी यहां कहा जाता है वह माननीय सदस्य स्वयं अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कहते हैं और उसको सत्य मान करके कहते हैं। यह है व्यवस्था।

(व्यवधान)

कटौती प्रस्ताव में अंकित विषय पर ही विचार व्यक्त करने का अधिकार

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री नन्दलाल मीणा : मैंने प्रारम्भ में ही यह बात कही थी···

श्री सूर्यकुमार : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री नन्दलाल मीणा ने आरोप लगाने के लिए जो प्रक्रिया के नियम हैं, उनके अनुसार तो कार्यवाही कर ली। लेकिन जो प्रक्रिया के नियम हैं और यह व्यवस्था आसन के द्वारा समय समय पर कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में दी हुई है, उसके अनुसार माननीय सदस्य इस प्रकरण के बारे में चर्चा तभी कर सकते हैं जब इन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया हो।

श्री नन्दलाल मीणा : हां दिया है।

श्री सूर्यकुमार : अगर कटौती प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिये हुए हों तो माननीय सदस्य जिन अधिकारियों और जिन मन्त्रियों के खिलाफ में आरोप लगाना चाहते हैं उनको आरोपित किया हो तब तो ठीक है। अगर उस सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव नहीं दिये हों तो मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य को, अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जावे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर, आर्डर बाधा नहीं डालें, माननीय सदस्य, उनकी बात सुनने दीजिये।

श्री सूर्यकुमार : अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव की सूची आपके सामने मौजूद है। माननीय सदस्य ने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उसकी प्रतिलिपि उनके पास है। हमको जो प्रति कटौती प्रस्ताव की इस सचिवालय द्वारा दी जाती है वह हमारे पास है। मैंने उनको देखा है, उससे मुझे अध्यक्ष महोदय, इस आशय का माननीय सदस्य श्री नन्दलाल मीणा का कटौती प्रस्ताव देखने को नहीं मिला है। अगर इनके अतिरिक्त कोई कटौती प्रस्ताव आसन के सामने हैं तो बात अलग है। माननीय

(श्री सूर्यकुमार)

अध्यक्ष महोदय, आप उनको देखकर बोलने की इजाजत दें। अगर नहीं हो तो मेरी आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कटौती प्रस्ताव है, वह सभी सदस्यों के हैं। इन कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ मान लिया जाये ऐसी यहां पर व्यवस्था है। यह जब सारे कटौती प्रस्ताव पेश हुए मान लिये जाते हैं तो यह सदन की सम्पत्ति हो गयी। जब सदन की सम्पत्ति हो गये तो किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की पाबन्दी नहीं है। इन सम्पूर्ण कटौती प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है।

श्री सूर्यकुमार : यह नहीं है, यह व्यवस्था नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है। इस सत्र में यह रेगुलर चल रहा है कि कोई भी माननीय सदस्य किसी भी मन्त्री या अन्य लोगों पर चार्जेज बिना चेतावनी के, पहले सूचना दिये हुए ही लगा देते हैं जैसे कि सुश्री पुष्पा जैन ने कल ही चार्ज लगाया कि 77 लाख रुपये का मकान यहां पर देवेन्द्र सिंह जी का है। उन्होंने न तो पहले लिखित में दिया और न ही कोई सूचना दी। तो इस प्रकार के नाजायज आरोप अपोजीशन के सदस्यों द्वारा इस सदन में बार बार लगाए गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का जिक्र करना चाहते हैं तो इन कटौती प्रस्तावों के साथ साथ सूचना कोई दी गयी हो या कोई स्पेसिफिक चार्जेज भ्रष्टाचार के लगाये हों तो अलग बात है। केवल मात्र भ्रष्टाचार के चार्जेज लगाने है तो पूर्व सूचना देना जरूरी है। अगर पूर्व सूचना स्पेसिफिक चार्जेज की नहीं दी तो चार्जेज नहीं लगा सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब व्याप्त भ्रष्टाचार में सारा का सारा समाज कल्याण विभाग आ गया। अब इसके जो अंग प्रत्यंग हैं वह सभी इसमें आ गये। इसमें समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार एक जगह तो होता नहीं है वह पेट में जाता है फिर हाथ में भी होता है, पैर में भी होता है, सिर में होता है। व्याप्त भ्रष्टाचार का मतलब सम्पूर्ण जगह पर है।

श्री नन्दलाल मीणा : तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि…

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर व्यवस्था दी जायेगी।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वह तो आप बाद में दे दें, मुझे तो बोलने दें क्योंकि साढ़े चार बजे आप मुख बन्द कर देंगे। मुझे जनजाति विकास पर बोलना है। सारा का सारा पैसा खा गये मन्त्री और अधिकारी मिलकर।

श्री अध्यक्ष : आपने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसमें इस सम्बन्ध में लिखा है कि…

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह समाज कल्याण विभाग मन्त्री और अधिकारी मिल चुके हैं।

श्री सूर्यकुमार : आपने इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं या नहीं ? अगर नहीं दिये हैं तो आप बोल नहीं सकते हैं। अगर आपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं तो आप दिखा दीजिये। अध्यक्ष महोदय, श्री नन्दलाल मीणा ने कटौती प्रस्ताव इस बारे में नहीं दिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : व्याप्त भ्रष्टाचार में सब आ गया।

श्री सूर्यकुमार : श्री नन्दलाल जी मीणा ने नहीं दिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नन्दलाल मीणा द्वारा देना जरूरी नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं क्या वह सभी माननीय सदस्य बोलेंगे ? वह कटौती प्रस्ताव दिये हुए मान लिये जायेंगे। अब व्याप्त भ्रष्टाचार में सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति है, तो सभी बोल सकते हैं।

श्री सूर्यकुमार : नहीं बोल सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोल सकते हैं और बोलेंगे।

श्री सूर्यकुमार : नहीं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री बन्सीलाल पटवा, श्री गोपाल पचेरवाल ने दिये समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल आपने, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दी थी कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसके अलावा भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यह आपने फर्माया था।

श्री सूर्यकुमार : आप बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप घबराते क्यों हैं ? जो कुछ कहा जाये उसका आप जवाब दे देना। हम तो बोलेंगे।

श्री सूर्यकुमार : श्री नन्दलाल मीणा नहीं बोल सकते हैं आप बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : श्री नन्दलाल मीणा भी बोलेंगे, भंवरलाल शर्मा भी बोलेंगे और बन्सीलाल भी बोलेंगे, सभी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

ऐसा है कि जिन माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनकी संख्या काफी है। वह माननीय सदस्य मेरा ध्यान आकर्षित करें, विपक्ष के सदस्यों ने जो इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं।

(व्यवधान)

(142)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर आर्डर।

श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा): मैंने दिये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कौन सा है आपका कटौती प्रस्ताव? कौन से नम्बर का है?

श्री बन्सीलाल पटवा: नम्बर तो मुझे याद नहीं है। अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगर आपको नम्बर याद नहीं तो इसका मतलब है कि आप उनको पढ़ कर नहीं आये, फिर आप कैसे बोलेंगे।

श्री बन्सीलाल पटवा: अध्यक्ष महोदय, सारा पढ़ कर आया हूं अब नम्बर तो याद नहीं है पर मेरी नोलेज में सभी हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके पास भी तो आते हैं।

श्री बन्सीलाल पटवा: आते हैं और मैंने पढ़े हैं, मैंने दिये हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ कर बता दीजिये कृपया मैं भी कोशिश कर रहा हूं।

श्री सूर्यकुमार: यदि अनुमति हो तो श्री नन्दलाल मीणा ने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनको पढ़ कर सुना दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): आप तो बोलते जावो।

श्री सूर्यकुमार: वह नहीं बोल सकते।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई): आप तो संयत भाषा में बोलें। यह आप इन्स्ट्रक्शन दे दें अध्यक्ष महोदय।

श्री देवीसिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सी. पी. जोशी ने दिया है।

श्री अध्यक्ष: अब सी. पी. जोशी से पूछना पड़ेगा कि इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं या नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, पेज चार पर 28 नम्बर पर रामधन ने दिया।

श्री अध्यक्ष: सूची संख्या कौनसी है?

श्री भंवरलाल शर्मा: प्रथम है, नम्बर चार पेज पर है, इसमें रामधन ने दिया है व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा की जाये।

श्री अध्यक्ष: किस माननीय सदस्य का है?

श्री भंवरलाल शर्मा: श्री रामधन का है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा: श्री रामधन सदस्य ने दिया है।

श्री अध्यक्ष: किस पक्ष का है? इस पक्ष के या उस पक्ष के?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री रामधन ने दिया है, व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में श्री सी. पी. जोशी ने दिया है। अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा तो हमने दो नाम बता दिये हैं श्री रामधन और सी. पी. जोशी।

श्री नन्दलाल मीणा : तब तक मैं अपनी बात कह दूं, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : पहले पाइन्ट आफ आर्डर का तो डिस्पोजल होने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : आपकी तो आदत है।

श्री अध्यक्ष : आपने दिया है ? आप अपने कटौती प्रस्ताव पढ़ दीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : मैंने दिये हैं, अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव पूरे विभाग पर दिये हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिस माननीय सदस्य ने आप को लिखित में दिया है, कटौती प्रस्तावों में माननीय सदस्य ने लिखित में दिया है।.....

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव में दिया है कि कर्मचारियों के प्रति उदासीनता बरतने के बारे में।

श्री देवेन्द्रसिंह : आपने सूचना लिखित में नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर घपलेबाजी हो रही है, इसलिये उदासीनता हो रही है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि कटौती प्रस्ताव जिन माननीय सदस्य ने अलग अलग दिये हैं, उन कटौती प्रस्तावों में अलग से दिया हो तो ठीक है, नहीं तो यदि मामला मानहानि या अपमानजनक या आरोपित करने वाला हो उस कटौती प्रस्ताव के साथ अलग से सूचना दी जानी चाहिये कि मैं अमुक विषय पर अमुक अमुक अधिकारी और अमुक अमुक मन्त्री या अन्य किसी व्यक्ति के बारे में आरोप लगाना चाहता हूं। यह होना चाहिये। उसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि किसी घटना का विवरण हो या कोई ऐसा कार्य हो उसके सम्बन्ध में वह कहना चाहते हैं उस पर सरकार से जानकारी करने के पश्चात् कह सकें। उसके सम्बन्ध में जब आप अपनी बात कहेंगे तो उसके बाद में सरकार अपने पक्ष को रखती है, ऐसा नियमों में कुल मिला कर उद्देश्य है। जब आप अपने कटौती प्रस्ताव देते हैं उस समय जैसे इस विभाग के सम्बन्ध में आप कहना चाहते हैं इसके अन्दर आप किसी तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं, तो कटौती प्रस्ताव के माध्यम से कह सकते हैं पर इसमें आप आरोप लगाना चाहते हैं इस तरह की

(श्री अध्यक्ष)

जो विषय हों उनकी सूचना आम तौर पर काफी समय पहले ही दी जानी चाहिये ।

लेकिन आसन ने इस पर अपना उदार दृष्टिकोण रखा है । सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व अथवा मांग पर विचार होने से पूर्व यदि आप इस तरह की सूचना दे देते हैं तो उसको नियमानुसार सूचना मान लिया जाता है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा । आपको वाद-विवाद का अधिकार है, मेरा कोई यह उद्देश्य नहीं है कि उसमें किसी तरह का बन्धन रखा जाए या उसको किसी तरह से नियंत्रित किया जाए । वैसे इस सम्बन्ध में हमारे जो अधिकार हैं, उनसे आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं । लेकिन बड़े अधिकारों का उपयोग हम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है । मैं समझता हूं कि इस वर्तमान केस के अन्दर अवसर दे दिया, विपक्ष के यदि ऐसे कोई कटौती प्रस्ताव हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : ऐसे कटौती प्रस्ताव हैं ।

श्री अध्यक्ष : वेग हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वेग नहीं हैं । नियमों के अनुसार जैसा होना चाहिए वैसा है । श्री बन्सीलाल पटवा का एक कटौती प्रस्ताव है विभाग में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर विचार करने के बारे में ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, अनियमितता के सम्बन्ध में यहां दिन भर चर्चा चलेगी । यदि किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं तो आपके लिये जरूरी होगा कि कम से कम...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

उन बातों की ओर आसन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहूंगा कि अनियमितता किसी भी प्रकार की हो ? उसमें यदि किसी अधिकारी का इन्वाल्वमेंट हो तो क्या सदन में इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए...

श्री अध्यक्ष : की जा सकती है, लेकिन नियमों, में जो प्रावधान है चर्चा के लिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रावधान यह है कि विभाग का वर्किंग किस तरह चल रहा है डिपार्टमेंट में इर्रेगुलेरिटीज हो रही है । अब इर्रेगुलेरिटी में यह चाहो कि अमुक अधिकारी ने यह कर दिया । अमुक अधिकारी का आपने नाम लिए तो आपका कट मोशन जैसा आप कह रहे हैं कि वह उचित होगा, वह इनवेलिड होगा । आप अफेक्ट उसी हालत में कर सकें, जिसमें इससे पहले कई माननीय सदस्यों ने अपने कट मोशन दिये हैं । वह कट मोशन स्वीकार नहीं किये गये, और स्वीकार नहीं किये गये उस हालत में जनरेलाइज़ किया है । कि इस विभाग में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनियमितता है। यदि अनियमितता में विधान सभा के सदस्य हों, मंत्री हों, चाहे कोई भी हों उसका उनमें इन्वाल्वुमेंट होता है तो नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि उसकी पूर्व सूचना दे दी जाय। तो पूर्व सूचना भी दे दी गई है। उस हालत में आप अगर यह चाहें कि एक किसी टीचर ने कर दी गड़बड़ तो उसमें यह लिखना पड़ेगा कि झुन्झुनू जिले के प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक श्री द्वारका प्रसाद ने तीन दिन की वहां हाजिर नहीं की, इसलिए उस पर चर्चा की जाये मैं समझता हूं, आप इस सदन का—

श्री अध्यक्ष : उस स्थिति में यह होगा कि विभाग के अन्दर अध्यापकों की अनुपस्थिति पर चर्चा। अनियमितता तो बहुत हैं, जहां पर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य शायद, मैंने सुना नहीं, खरीद के मामले में कोई अनियमितता के मामले में डिसकस कर रहे हैं तो अनियमितता जब होगी....

श्री अध्यक्ष : अनियमितता और भ्रष्टाचार आप समझते हैं, इन दोनों शब्दों में काफी भेद है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनियमितता छोटा भाई है और भ्रष्टाचार बड़ा भाई है। दोनों एक ही परिवार के हैं।

श्री अध्यक्ष : भ्रष्टाचार कह देते, फिर अनियमितताओं का विवरण दे देते तो कोई बात थी।

श्री माणकमल मेहता : Ilegal and corruption अलग-अलग चीजें हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता को बोलने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि आप लोकायुक्त का एक्ट देखें यदि आप प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट देखें, उसमें जो करप्शन की परिभाषा दी है उसमें इर्रेगुलर एक्टीविटीज हैं, उस इर्रेगुलर एक्टीविटी में किसी आदमी को नुकसान पहुंचाया जाय, या किसी को लाभ पहुंचाया जाय, वह लाभ किसी दूसरे को पहुंचाया जाये, या लाभ स्वयं के लिए अर्जित किया जाय, यह सब करप्ट एक्टिविटी के डेफिनेशन में आते हैं, सारे के सारे।

श्री अध्यक्ष : भ्रष्टाचार लिखना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भ्रष्टाचार कानून में नहीं लिखा है। आप लोकायुक्त एक्ट उठाकर देख लें। किसी विधान सभा में लोकायुक्त का....

श्री अध्यक्ष : किसी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है यह शब्द तो काम में ले सकते हैं। नियुक्तियों में भ्रष्टाचार है, यह भी कह सकते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि नियुक्तियों में अनियमितता है, नन्द लाल से हम कह देंगे कि आप भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग नहीं करें, अनियमितता का करते जायें, तो आप उसको मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अनियमितता और भ्रष्टाचार दोनों में फर्क है। भ्रष्टाचार से अनियमितता हो सकती है। भ्रष्टाचार है

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पांच हजार रुपये लिये, अनियमितता कह दें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : अध्यक्ष महोदय, अनियमितता में मोटिव इम्प्यूट नहीं होता है। मोटिव जिसमें होता है। वह चीज होती है। अनियमितता बिलकुल अलग चीज है। नियमों के अनुसार नहीं चलना, उसमें थोड़ा सा नियमों से अलग हटकर चलना वही अनियमितता है। इसमें मोटिव थोड़े ही इम्प्यूट कर सकते हैं। वह जो नीयत है भ्रष्टाचार बाकी इसमें मोटिव है। इंटेशनली एक आदमी इस काम का करता है। आपने लिखा है कि जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार उसने काम नहीं किया····

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुद्दा आसन के विचाराधीन यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं, उसमें यदि अनियमितता की है तो अनियमितता शब्द इस्तेमाल करें अगर भ्रष्टाचार की बात लिखी है तो लिखित में पूर्व में सरकार को सूचित करें। जैसा मुझे विदित हुआ है कई माननीय सदस्यों, जिन्होंने आसन के सामने पेश किये, उनके कटौती प्रस्ताव नहीं हैं। समस्या इस बात की है उसका आप फैसला करें। दूसरा यह कि जिन्होंने लिखित में आसन को और सरकार को भेजा है उसमें भी इन्होंने कोई स्पेसिफिक चार्जेज नहीं लगाये हैं, व्याप्त भ्रष्टाचार शब्द है, तो साहब, यह तो कोई अन्याय की बात बोल सकते हैं इसलिए स्पेसिफिक चार्जेज से सरकार को सूचित किया तो उन माननीय सदस्य, चार्जेज जिनका कटौती प्रस्ताव है भी लाभ है, जिनका कटौती प्रस्ताव में नाम है, उनको आपको इजाजत देनी पड़ेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : पूरा आतंक है भ्रष्टाचार से।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, बजट में यह भी प्रावधान कराने के लिये वित्त मंत्री को कहा था विधान सभा में एक पागलखाने की कोई व्यवस्था करा दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सैकिण्ड सुन लें।

जो मांगों पर विचार चल रहा है उसमें व्यवस्था यह है कि जो कटौती प्रस्ताव आते हैं वह सारे प्रस्तुत किये हुए मान लिये जाते हैं। उसमें व्यवस्था आपने यह कर रखी है कि प्रत्येक माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, बोलें, जरूरी नहीं है। आपने हमको यह इजाजत दे रखी है कि आप अपने दल के तीन-तीन माननीय सदस्यों को आज की चर्चा में बुलवायेंगे। तय हम यह करते है कि इस मांग या विषय पर यह दो-चार लोग अपनी कहेंगे व सारी बातों को रिप्रजेंट करेंगे, वह सिर्फ अपने ही कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित नहीं रहेंगे अगर यह होती तब तो व्यवस्था माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति मिलती और वह बोलने। लेकिन आपने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

व्यवस्था यह कर लीजिये, जो विषय सामने आ गया है; उसके लिये आप सलेक्ट कर लीजिये कि कौन लोग बोलगे ! प्रत्येक हम 32 में से 2-3-4 लोग आपके सामने बैठे हैं आप पहले अनुमति देते आये हैं तो आज प्रश्न कैसे खड़ा हो गया कि साहब इस पर तो बोल सकते हैं इस पर नहीं बोल सकते । फिर दूसरी बात और है, दो-तीन दिन पहले माननीय समर्थलाल जी ने जो हमारे चेतराम मीणा मंत्री हैं उनके खिलाफ एक आरोप लगाया था । उन्होंने आपसे अनुमति मांगी, आपने उनको अनुमति दे दी । केवल इतना देख, उन्होंने अनुमति मांगी आपने अनुमति दे दी बोलने की, पिछले चार दिन पहले आपने यह निर्णय दिया है ।

श्री सूर्य कुमार : उनका कटौती प्रस्ताव था ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब चार दिन पहले आप निर्णय कर चुके हैं तो आज नई व्यवस्था देंगे तो उचित नहीं होगा । फिर दूसरी बात यह है कि जब हाउस के सामने यह बात आ गई है एक माननीय सदस्य ने बहुत ही बढ़िया बात कही है, जो भी माननीय सदस्य चार्ज लगाता है किसी पर वह उत्तरदायित्व पूर्ण उसका कर्त्तव्य होना चाहिए । अब एक बात मंत्री महोदय के सामने मंत्री महोदय के लिए आ रही है, क्या उन्होंने अपने विभाग में कोई भ्रष्टाचार किया है अगर यह बात हाउस में आती है, डिस्कस होती है, यह चार्ज लगायेंगे, वह स्पष्टीकरण देंगे तो उनकी छवि अच्छी होगी । क्या बुराई हो जायेगी इसके अन्दर । यह बात अगर सही है कि उसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकें, तो भी यहां आना चाहिये हाउस के अन्दर । सिर्फ एक टेक्निकल बात के आधार पर उस बात को, काण्ड को हाउस के अन्दर रखना चाहते हैं, उसको टाला नहीं जाना चाहिये । यह भी मान लेते हैं कि नियमों के विरुद्ध है । मैं तो मानता हूं नहीं, फिर भी आप मानते हैं तो आपको बहुत बड़ा अधिकार है, आप बड़ी उदारतापूर्वक समय देते रहते हैं, तो आज क्यों नहीं । मंत्री के खिलाफ चार्ज लगाता है उसका मुंह बंद करना क्यों चाहते हैं । मुख बंद प्रयोग तो करेंगे जब मांग पास करायेंगे तब करेंगे । अभी मुख बन्द क्यों करना चाहते हैं ? अगर मान लो, टेक्निकली बात नहीं भी लिखी, अनियमितता लिखी, भ्रष्टाचार नहीं लिखा इस छोटी बात के लिए कोई बड़ी बात हो, कोई बड़ी कहना चाहते हैं, सदन को अवगत कराना चाहते हैं, उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने यहां नोटिस दिया है । वह भी तैयार हैं उसका उत्तर देने के लिये तो इस चर्चा में क्यों बाधा डाली जाये । क्यों नहीं करने देना चाहिये । मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो सारे प्रस्ताव हैं चाहे उन्होंने पेश किये हो चाहे हमने किये हों, सदन की प्रापर्टी हो गये । इन पर कोई माननीय सदस्य बोल सकता है, उसके लिये सीमा निश्चित कर रखी है, आपकी हमारी सहमति है । हमने कुछ लोगों के नाम लिये हैं उसमें श्री नन्द लाल मीणा का नाम हमारे दल की ओर से बोलने वालों में हैं । तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि सब बातों पर विचार करके एक स्वस्थ चर्चा यहां होनी चाहिए, जिम्मेदारी रहे इनकी, संतुलित

ढंग से बोलें। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि बोलने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज् श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों के संकलन पृष्ठ 140 पर यह व्यवस्था दी है कि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये बिना भी दूसरों के कटौती प्रस्तावों के समर्थन में बोला जा सकता है। 24 मार्च, 1955 की मांग संख्या 35 सिंचन तटबंधन आदि पर श्री शिवदास गोयल, जिनका उस मांग पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं था ने बोलने का अवसर चाहा। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि जो कटौती प्रस्ताव था वह उसके ऊपर बोलें और सपोर्ट मेंबोलें तो एक दो बार मगर विषयान्तर न हों। तो बिना कटौती प्रस्ताव के भी बोला जा सकता है।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं, अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टचार पर नहीं बोलूंगा।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : जो कोई भी सदस्य कटमोशन देते हैं उसी पर वह बोलते हैं, इस प्रकार की पूर्व में भी व्यवस्था इसी सदन में होती रही है। आपने भी ऐसी व्यवस्था के लिए पहले कहा था।

श्री अध्यक्ष : जो कटौती प्रस्ताव स्वीकार होते हैं वह फिर पूरे सदन की सम्पत्ति बन जाते हैं। उसके पक्ष में, विपक्ष में कहा जा सकता है इस सदन के अन्दर। तो कटौती प्रस्ताव अगर कोई आ गया तो उस पर तो हो सकती है चर्चा।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो हो सकती है, इसमें आपत्ति नहीं है। इधर के कटौती प्रस्ताव पर बोल सकते हैं लेकिन गम्भीर मानहानि के आरोप जो व्यक्तिगत हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ हो, उल्लेख कटौती प्रस्ताव में नहीं है। ऐसा कटौती प्रस्ताव, मान्यवर, आता तो आप उसको रिजेक्ट कर देते। अगर ऐसा कटौती प्रस्ताव आता....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज्। शांत रहें। गम्भीर मसला चल रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, ऐसा कटौती प्रस्ताव आता कि फलां अधिकारी इस काम में 5 हजार रुपये खा गया, यह रिश्वत ली, ऐसा कटौती प्रस्ताव आता तो आप रिजेक्ट कर देते। यह तो आपने जनरेलाइज् कर दिया कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर चर्चा। अगर किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो दूसरा तरीका है, मिनिस्टर के खिलाफ हैं तो दूसरा तरीका है। दूसरा प्रस्ताव लाइये और उस पर चर्चा कराइये विधान सभा में किस को आपत्ति है? उसका गवर्नमेन्ट जवाब देगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : विभाग पर चर्चा हो रही है। विभाग में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार के कार्यकलाप हो रहे हैं, इस पर बोला जा रहा है। पूर्व में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी गयी कि कोई भी कटौती प्रस्ताव पर कोई भी सदस्य बोल सकते हैं। यह सारे सदन की सम्पति है। कोई नहीं रोक सकता। विभाग में यदि कहीं गड़बड़ी है तो इस पर बोलने का हर माननीय सदस्य को अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज–श्री राम रघुनाथ चौधरी।

श्री दाऊदयाल जोशी : सब लोग कहते हैं, अफसरशाही आ गयी है। हर सदस्य ने बजट पर कहा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य बैठ जायें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज

श्री दाऊदयाल जोशी : आप लोग चिल्ला चिल्ला कर रोज कहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। श्री रामरघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, जो विषय सामने है उस पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि कटौती प्रस्ताव जब सदन में मूव कर दिये जाते हैं तो मूव किये हुए माने जाते हैं, यह बात सही है और यह बात भी सही है कि क्योंकि सारे सदस्य, जो कटौती के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन पर बोलना सम्भव नहीं है इसलिए निश्चित करते हुए उसमें से जो पार्टी उचित समझती है नाम दे दें, लेकिन सारी पार्टी के सदस्य, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव मूव किये हैं, अगर किसी तरह का कोई कटौती प्रस्ताव है और उसको स्वीकृत किया गया है तब ही उसके ऊपर इन्डीविजुअल नाम लेकर या लांछन लगाकर बोल सकते हैं। नहीं तो जब तक अलग से उसकी स्वीकृति नहीं हो तब तक किसी तरह भी इस तरह से बोला नहीं जा सकता। यह आगे विषय आया है जिसमें आपने कई बार निर्णय दिये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय दाऊदयाल जी, बैठ जायें। श्री महावीर प्रसाद।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि 28 वें पर लिखा हुआ है समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री अध्यक्ष : किन माननीय सदस्य का है?

श्री दाऊदयाल जोशी : श्री रामधने जी का।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह इन्डीविजुअल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायें। आर्डर, आर्डर। बैठ जायें।

श्री महावीर प्रसाद,

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्टी का सवाल नहीं है। यह सदन की सम्पत्ति हो जाता है। अब इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। पूर्व में जो व्यवस्था दी है, मैं सुनाता हूं। एक

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मांग पर सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद ही अन्य सदस्य बोल सकते हैं। सामान्य प्रशासन पर।

श्री अध्यक्ष : इस पर निर्णय हो चुका है माननीय सदस्य पहले से ही।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारे सदस्य बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री सूर्य कुमार।

श्री सूर्यकुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक व्यवस्था आसन की ओर से दी गयी, उस की ओर निवाई टोंक से आने वाले सदस्य श्री महावीर प्रसाद ने ध्यान आकर्षित किया लेकिन वह इसको ठीक से समझ नहीं पाये। उसमें विचारणीय विषय यह था आसन के सामने कि एक माननीय सदस्य श्री शिवदास गोयल ने एक मांग के संबंध में अपना कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया था....

श्री अध्यक्ष : वह मैंने पढ़ ली, माननीय सदस्य।

श्री सूर्यकुमार : तो वह उस पर बोलना चाहते थे। यह व्यवस्था उस पर थी। लेकिन एक व्यवस्था आसन की ओर से 27-9-77 को दी गयी है। कटौती प्रस्तावों पर बोलते समय उससे सम्बद्ध विषय पर राय व्यक्त करने के बीच में बाधा डालने के कारण श्री माणकचन्द सुराणा सदस्य विधान सभा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर श्री सभापति द्वारा निम्न व्यवस्था दी गयी :

"यह बजट के ऊपर जनरल डिबेट नहीं है इसलिए मैं इजाजत नहीं दूंगा"

केवल कटौती प्रस्ताव पर बोल सकते हैं ?

तो कटौती प्रस्ताव पर ही बोल सकते हैं। जब कटौती प्रस्ताव ही नहीं है माननीय सदस्य का तो इस संबंध में बोलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कोई अधिकार ही नहीं है कटौती प्रस्ताव पर बोलने का। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि यह कटौती प्रस्ताव पर किस समय बोल सकते हैं ? तो पहले जिनका कटौती प्रस्ताव है वह तो बोलें। समर्थन का सवाल तो बाद में आयेगा। तो पहले कोई कटौती प्रस्ताव जिसने मूव किया है वह तो बोलें, समर्थन में बोलने का अधिकार तो माननीय नन्दलाल जी को उसके बाद में ही प्राप्त होगा। इसलिए मेरी आपत्ति, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि जब तक कोई इनका कटौती प्रस्ताव इनकी तरफ से नहीं हो, भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाने वाला प्रस्ताव नहीं है, तो 273 की अनुमति के आधार पर यह कटौती प्रस्ताव की आड़ में कोई आरोपकारक चीज, मानहानिकारक चीज इस सदन में नहीं कही जा सकती। सदन का इसके लिए दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यह मेरी आपत्ति है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मानहानिकारक और अपमानजनक

(श्री रामनारायण चौधरी)

कटौती प्रस्ताव किसी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर यदि आता तो, अध्यक्ष महोदय, आप कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते। यदि आपकी इजाजत देने की मंशा होती तो नियमों के अन्दर अधिकार है। न तो आप ऐसा कोई कटौती प्रस्ताव मन्जूर नहीं करते और न कभी भी आज तक मानहानिकारक और अपमानजनक भ्रष्टाचार से संबंधित हुआ है। फलां अधिकारी इतने खा गया, आज तक ऐसा कोई कटौती प्रस्ताव मन्जूर नहीं हुआ। इसकी मंशा स्पष्ट है कि आप व्यक्तिगत तौर पर अधिकारियों की प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं, आरोप लगाना चाहते हैं, किसी सरकारी कर्मचारी पर या मिनिस्टर पर लगाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी है नियमों के अन्दर। उस तरीके से लगाये जा सकते हैं। उस पर यहां चर्चा हो सकती है। लेकिन अपमानजनक और मानहानिकारक कटौती प्रस्ताव आप स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आप जेनरल बात, अनियमितता की बात तो स्वीकार कर सकते हैं, उसके जरिये कोई रेफरेंस तो दिया जा सकता है माननीय सदस्य द्वारा लेकिन पाइन्टेडली बाकायदा एक लिस्ट पढ़ी जाये कि इस काम में इतने रुपये खा गये, इस काम में इतना रुपया खा गये, इस काम में इतना रुपया खा गये और वह भी व्यक्तिगत, तो इस प्रकार की मंशा नहीं है आपकी कटौती प्रस्तावों को स्वीकार करने की। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर चर्चा करने का यह तात्पर्य नहीं है कि माननीय सदस्य अपने विशेषाधिकारों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि अमुक अधिकारी [इसमें इतने रुपये खा गया, इसमें इतने रुपये खा गया और इसमें इतने रुपये खा गया। अगर ऐसा है तो दूसरा प्रस्ताव लायें और उस पर चर्चा करवा दें। हमें इसमें क्या आपत्ति है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट बोलूंगा। यह जो कटौती प्रस्ताव है....

(व्यवधान)

....माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह तो निर्णीत कर दिया कि जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जिनको प्रस्तुत किया हुआ मान लिया गया है वह चाहे माननीय सदस्यों ने दिये हों या नहीं दिये हों वह सदन की प्रापर्टी है और आप सब बोल सकते हैं। यह तो आपने फर्मा दिया है। अब आपने एक कटौती प्रस्ताव यह स्वीकार किया है कि समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा। यह आपने कटौती प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है, अब इसके तहत अगर बोलने की अनुमति देते हैं, चाहे कोई भी बोले....

श्री अध्यक्ष : लेकिन व्याप्त का मतलब यह नहीं है कि आप उसे एक जगह केन्द्रित करना चाहते हैं। यह कहां तक उचित है?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आप पाबन्दी लगा सकते हैं। आप केन्द्रित नहीं करें, इसको व्यापक ही रखें। पाबन्दी आप लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री दुलाराम (मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। सन् 1978 के अन्दर यहां विपक्ष का राज था, माननीय श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी जो इरिगेशन मिनिस्टर थे, और मैं और रामनारायण जी विपक्ष में बैठते थे, उस समय यह प्रश्न आया इरिगेशन पर। मैंने यह कह दिया इन्होंने शराब पी रखी है। × × × मेरे से माफी मंगवाई।

श्री अध्यक्ष : आपने नोटिस नहीं दिया होगा।

श्री दुलाराम : मैंने नोटिस नहीं दिया, इन्होंने कौन सा नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

हालांकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है जिस भ्रष्टचार की यह बात कर रहे हैं, आसन जो व्यवस्था दे उससे मैं बन्धा हूं, दूर नहीं भागूंगा, व्यवस्था के बाद पूर्ण उत्तर दूंगा, कोई मेरे में कमजोरी नहीं है।

(व्यवधान)

मैं दूंगा। निश्चिन्त रहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक पक्ष की तरफ से व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया, माननीय श्री नन्दलाल मीणा मंत्री जी के विरुद्ध, कुछ विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाना चाहते थे लेकिन आपत्ति इस बात पर की गई कि इस प्रसंग में उनका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। सदन ने काफी देर तक इस पर विचार-विमर्श किया। जितने भी कटौती प्रस्ताव सामने आये उन सब को प्रपन ने देखा। मैंने भी माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि यदि इस तरह का कोई कटौती प्रस्ताव हो तो वे आसन को बतायें। लेकिन ऐसा कोई कटौती प्रस्ताव सिवाय श्री रामधन के नहीं है जिसमें यह बात कही गई थी कि व्याप्त भ्रष्टाचार इस विभाग के अन्दर है। ऐसा कटौती प्रस्ताव बहुत कम देते हैं लेकिन पता नहीं क्या जंच गई उन्हें उन्होंने यह रखा ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : 111 और 115 और है।

श्री अध्यक्ष : इस के साथ-साथ माननीय श्री नंदलाल और अन्य कई विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मुझे नियम 273 के अन्तर्गत एक सूचना दी, उसमें कहा चार बिन्दुओं पर वे आरोप लगायेंगे उसकी यह पूर्व सूचना है। वे हैं नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण, बलात् तरीके से हत्यायें करना। आप जानते हैं कि जब मांगों पर विचार व्यक्त करने का अधिकार केवल कटौती प्रस्तावों के माध्यम से होता है। कई वर्षों से हमारे सदन के अन्दर यह परम्परा रही है कि कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्य प्रस्तुत करते हैं लेकिन एक-एक करके कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

अनुमति दी जाय तो सदन का बहुत अधिक समय चला जायेगा। इसलिये हमने यह बात मान ली कि जितने भी कटौती प्रस्ताव समय पर प्राप्त होंगे उनको प्रस्तुत किया हुआ समझा जायेगा। यानी ज्यों ही मांग प्रस्तुत की जाती है उस संबंध के जितने भी कटौती प्रस्ताव होते हैं वे स्वतः ही सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये मान लिये जाते हैं। इस तरह के प्रस्ताव सदन की सम्पत्ति हो जाते हैं। हमारे यहां पर जो वाद-विवाद चलता है उसमें भी किसी पक्ष के माननीय सदस्य उन कटौती प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए उस विषय पर चर्चा करते हैं। वास्तविकता यह भी है कि उन कटौती प्रस्तावों तक ही अपने आपको सीमित रखते हों, यह बात सम्भव भी नहीं है क्योंकि किसी माननीय सदस्य को अपनी बात कहने के अन्दर उसकी भूमिका बांधनी पड़ती है, उसके उदाहरण देने पड़ते हैं। तो यह तो वाद विवाद के अपने-अपने व्यक्तिगत तरीके हैं जो थोड़ा बहुत विषयान्तर हो जाता है उसका भी न माननीय सदस्य इतना एतराज करते हैं और न आसन की ओर से ही उसमें कोई बाधा पैदा की जाती है। हमारी जो प्रक्रिया के नियम और जनतंत्रवादी प्रणाली है उसमें खास मुद्दे के विषय नीति सम्बन्धी आते हैं, सरकार की क्या नीति है, क्या नीति नहीं है, यह बड़ा महत्त्वपूर्ण पक्ष होता है। उसके साथ में भ्रष्टाचार पक्षपात, अकर्मण्यता, शिथिलता यह सभी जाने-माने विषय होते हैं जो सामने आया करते हैं। यह प्रशासन के साथ जुड़े हुए होते हैं। यह भी आप जानते हैं कि संविधान के अन्तर्गत माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह पूर्ण स्वतंत्रता इसलिये दी गई है, यह मान कर चला जाता है कि जो कुछ भी कहा जाता है वह जनहित में कहा जाता है। जो अभिव्यक्ति होती है उससे जनता की भलाई हो, इस उद्देश्य से वे बातें कही जाती हैं। आप जानते हैं कुछ भी यहां पर कहा जाये तो किसी अदालत के अन्दर उस बात को लेकर के किसी तरह का मुकदमा या वाद भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रसंग में जब यह प्रसंग सामने आ गया तब इसमें आपत्ति हो गई, खास तौर से आपत्ति होना भी स्वाभाविक है। आसन भी सदैव इस बात का ध्यान रखता है कि चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जन साधारण हो, उसकी कुछ यहां सदन में चर्चा हो, उससे आरोपित होता हो, अपमानित होता हो तो हमारी इस छूट के साथ कि हमें विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता है, इन नियमों को और कठोर कर दिया गया है। उसमें यह है कि जो माननीय सदस्य इस तरह के प्रश्न उठाना चाहते हैं उनको वर्तमान स्थिति में, जब अपना आय-व्ययक चल रहा है, इसका दूसरा वाचन हो रहा है अब चर्चा कटौती प्रस्ताव के माध्यम से उठाई जायेगी, वह तो होगा, वह माध्यम तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ-साथ दूसरा जो नियम 273 की सूचना है वह भी इसके साथ अनिवार्य हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में जब यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, क्या किया जाये। कोई आसन की तरफ से इरादा नहीं कि माननीय सदस्यों के जो यहां पर स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने के अधिकार हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की

(श्री अध्यक्ष)

सीमा लगाई जाये । साथ ही साथ जब नाम पर आपत्ति हो, जिससे तीसरे लोगों के मान सम्मान का प्रश्न हो तो उस वक्त इन नियमों का पालन कठोरता से करवाना भी आवश्यक हो जाता है । माननीय नंदलाल जी मीणा ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने प्रारम्भ इन्हीं बातों से किया । उनकी तरफ से किया । उनकी तरफ से काफी बड़ी संख्या में कटौती प्रस्ताव भी आये । शायद पहले उनका विचार नहीं होगा, बाद में उन्होंने अन्य कई माननीय सदस्यों के साथ सूचना दे दी । मेरा विनम्र निवेदन यह है कि अपन जो कुछ भी कहते करते हैं वह जनहित में कहते हैं । जब इस तरह के प्रश्न निहित हों जिसमें किसी के मान सम्मान का प्रश्न हो तो उसमें हमको बहुत ही जिम्मेदारी से बात कहनी चाहिये । वैसे विभाग में भ्रष्टाचार है, पक्षपात है, उसके अन्दर शिथिलता है, उसके अन्दर और कुछ कमजोरियां है उसके बारे में आम तौर से आप कह सकते हैं । जरूर कहें, लेकिन अधिकारी के नाम से आप जो कहना चाहते हैं, मैं समझता हूं वह नहीं कहना चाहिये । जो विभाग के अन्दर बुराइयां हैं उस बुराई पर नाम से बच कर के अपन सब कुछ कह सकते है लेकिन व्यक्तिगत आरोप इसमें नहीं आयेंगे । ऐसी आशा मैं लेकर चलता हूं । वैसे मैंने आपको निवेदन कर दिया, हमारा यह अधिकार है कि कितनी ही कटु बात हो अपन स्वयं के भी विरुद्ध हो तो जो कुछ कहते हैं, जनहित में कहते हैं । इसलिये इस जिम्मेदारी को निभाते हुए और साथ ही साथ हमारे जो नियम हैं, उनका पालन करते हुए ही आप बात कहेंगे । इस आशा के साथ यह मैं अपना अभिनिश्चय है, वह देता हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने जो व्यवस्था दी है, अध्यक्ष महोदय, वह तो शिरोधार्य है लेकिन बेस जो बना है वह माननीय रामधन जी का कटौती प्रस्ताव है । आपकी व्यवस्था का जो आधार है वह माननीय रामधन जी का भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रस्ताव है, कटौती का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं । ऐसा है कि माननीय सदस्य रामधन जी का मैंने उदाहरण दिया है, सचेत किया है । केवल उन्हीं का हो, ऐसी बात भी नहीं है और....

श्री रामनारायण चौधरी : मैं एक बात कह रहा था बीच में

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था माननीय सदस्य, जो लाडनूं से आ रहे है माननीय रामधन जी उन्हें अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेने का पूरा अधिकार है । नियमों के तहत कोई भी माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पेश नहीं करते....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टेक्निकल दृष्टिकोण है सब सदस्य अनुमति दें इसको अपनी तो....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हां, अनुमति

(श्री अध्यक्ष)

दें । सदन पर है । वह पहले आप पर है । माननीय सदस्य जो लाडनूं से आने वाले रामधन जी हैं अपने कटौती प्रस्ताव....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं । वह डेप्राइव आफ डिबेट होता है । मैंने अभी सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर दिया कि इसको टेक्निकल दृष्टि से नहीं देखें ।

श्री नन्दलाल मीणा :

(व्यवधान)

माननीय दाऊदयाल जी, कृपया ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपकी भावना के अनुरूप —

श्री अध्यक्ष : समझ गया माननीय सदस्य । बैठ जायें कृपया ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान समाज कल्याण विभाग द्वारा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । एक मिनट ।

मैं एक जो पुराना तरह का कोई उदाहरण है, कट मोशन्स के बारे में दिया हुआ है....

Cut motions are not admissible if they ventilate personal grievances or if they cast aspersions on individual Government officials.

Cut motions seeking to discuss a matter affecting relations with a friendly foreign country.

Cut motions are not admissible if they ventilate personal grievances or if they cast aspersions on individuat Govt. officials.

एक माननीय सदस्य : मुझे बता दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या विषय है चर्चा का ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । बातें नहीं करें, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव....

(व्यवधान)

घोषणा

मुख बन्द के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : अब एक व्यवस्था और दे रहा हूं । आज मुख बन्द प्रयोग का समय साढ़े चार बजे था । क्या साढ़े चार बजे ही कर दें ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं

श्री अध्यक्ष : तो सदन की अनुमति

(186)

(श्री अध्यक्ष) :

से मुख बन्द का समय 7-00 बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 33 व 30 पर विचार

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में चलने वाली आंगनबाड़ी के लिये मुख्य सेविकाओं के 152 पदों में से 40 पद आरक्षित थे। जुलाई 1983 में इनके लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये। अध्यक्ष महोदय, 24, 25 और 26 जुलाई, 1983 साक्षात्कार के लिये निर्धारित की गई। अध्यक्ष महोदय, साक्षात्कार में....

(4 15 म. प.)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन)

जो शैक्षणिक योग्यता थी, जो नियम थे, उसके आधार पर सब प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए परन्तु, सभापति महोदय, नियुक्तियां किस प्रकार की गई, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, 24, 25, 26 को साक्षात्कार होने वाले थे, उसके बजाय 27, 28, 29, 30 जुलाई, 1983 को किये गये उसके पहले—

(व्यवधान)

मुख्य सेविकायें आंगनबाड़ी के लिये साक्षात्कार होने थे, परन्तु निदेशक, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से 24-7-83 को 19 महिलाओं की नियुक्तियां की गई, 28-7-83 को तीन महिलाओं की नियुक्तियां की गई, 30-7-83 को दो महिलाओं की नियुक्तियां की गई, 4-8-83 को दो महिलाओं की और 5-8-83 को दो महिलाओं की नियुक्तियां मुख्य सेविकाओं के पद पर की गई। सभापति महोदय, 27, 28, 29, 30 जुलाई को साक्षात्कार लिये गये, जबकि इसकी 24, 25, 26 तारीख निर्धारित की गई। इससे ऐसा लगता है कि साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं, साक्षात्कार चल रहा था इसी दरमियान महिलाओं की नियुक्तियां.... ।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम (मंत्री, समाज कल्याण) : एक मिनट मेरा निवेदन सुन लें—

(व्यवधान)

मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, 24, 25, 26 जुलाई को किसका इन्टरव्यू था ? आप कह रहे मुख्य सेविकायें रख ली। ये मुख्य सेविकायें कौनसी है....

श्री नन्द लाल मीणा : बता दूंगा।

श्री दुला राम : भाई, मुझे क्लियर ना कर दें, मुझे जवाब देना है....

(व्यवधान)

आप वैसे ही ××× बोले जायं, क्या फायदा ?

(व्यवधान)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दुलाराम) :

24, 25, 26 जुलाई, 83 को, सभापति महोदय, यह आप क्लियर करवाइये....

(व्यवधान)

मेरा निवेदन भी सुनोगे या नहीं....

(व्यवधान)

मैं उनसे कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं।

24, 25, 26 को किसका इन्टरव्यू था और मुख्य सेविकायें कौनसी थीं, यह थोड़ा क्लियर करवा दें।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, अपाइन्टमेण्ट आर्डर इश्यू हुए उसमें से 30-7-83 को जो आदेश जारी हुए, सभापति महोदय, उसमें क्रम सं० 24 पर हैं, कुमारी आज्ञा पुत्री बनवारी लाल निवासी जयपुर का आंगनबाड़ी के पद पर कार्यकर्त्ता के रूप में। पहले जो शर्तें रखी थीं, उसमें दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य था परन्तु इस महिला ने अपने अनुभव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया उसके बावजूद उसको नियुक्ति दे दी गई। सभापति महोदय, इसी प्रकार 27-7-83 को नियुक्ति हुई जिसमें क्रम संख्या 17 पर श्रीमती शकुन्तला भारती है। आयु मेक्सिमम 35 ईयर रखी गई थी जबकि उसकी आयु 2 वर्ष अधिक थी। उसको भी नियुक्ति दे दी गई। सभापति महोदय, सामान्य भर्तियों के लिये 19, 20, 21 सितम्बर, 1983, जो वहां 40 पद थे, उनमें से केवल 28 पद शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को दिये गये, बाकी सामान्य भर्ती के आधार पर 152 पद जो बकाया थे, उन पर लिये गये। साधारण भर्ती के 73 पद थे और आंगनबाड़ी अनुभव वाली 28 महिलाओं की नियुक्ति करनी थी, शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स की जो बची, 14 महिलायें थीं, उनको नियुक्ति देनी पड़ी। सभापति महोदय, 1-11-83 के द्वारा जो 108 अभ्यार्थियों को नियुक्ति दी गई उसमें क्रम संख्या 4, 57, 62, 64, 65, 69, 75, 82, 90, 99 के अभ्यर्थियों के नाम के आगे जन्म तिथियां नहीं थीं। इसके अलावा, सभापति महोदय, इसी आदेश में क्रम संख्या 81, 82, 87, 90, 92, 96, 104 के अभ्यर्थियों के नाम के आगे अपने पति अथवा पिता का नाम नहीं था। ये नियुक्तियां, सभापति महोदय, दो बार की गईं। जब साक्षात्कार एक बार हो रहा हो, साक्षात्कार की तिथि एक निर्धारित की गई, सभापति महोदय, नियुक्तियां इस प्रकार छुटपुट समय में करके लगातार करके की जायं, तो सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करता हूं इसके बारे में किस प्रकार का क्या आभास होता है।

सभापति महोदय, विश्व खाद्य संगठन के माध्यम से बच्चों के लिये दलिया और सोयाबीन आता है। जिला पर्यवेक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर ने वहां से लौट करके जयपुर में एक ट्रक भर कर दलिया और आइल बेच दिया। शिकायत विभाग को प्राप्त हुई, विभाग ने इन्क्वायरी आफिसर भेजा, इन्क्वायरी आफिसर ने बयान लिये और जहां से ट्रक का आर. आर. कटा, उसकी नकल भी ले ली। जब यह प्रमाणित हो गया, तब डाइरेक्टर सोशल वेलफेयर ने अपने नोट में लिखा कि

(श्री नन्दलाल मीणा) :

ये जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी है, इनको निलम्बित किया जाता है और इनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है ।

सभापति महोदय, कुछ ही समय बाद डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना एक अलग नोट प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया कि जिला परिवीक्षा और समाज कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर उस वक्त, बयान के समय मौजूद नहीं थे, उनके बयान नहीं लिये गये हैं और बयान नहीं लिये जाने के कारण दोबारा किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से पुनः जाँच होनी चाहिए । यह कह कर सारा मामला रफा दफा कर दिया और माननीय मन्त्री महोदय ने तो 25-11-1983 को वह जांच ही बहाल कर दी । माननीय सभापति महोदय, इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अनियमितताएं तो हुई हैं । अगर मैं यह कह दूं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो आप कहोगे कि नहीं हुआ है परन्तु, सभापति महोदय, जबरदस्त भ्रष्टाचार इसमें हुआ है । मैं अब इस बात को यहीं समाप्त कर देना चाहता हूं । इस मामले में ज्यादा चर्चा हो गयी ।

मैं मुख्य मुद्दे पर आना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय । शुरू में मैंने यह कहा, जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाती है तब उस खेत का कौन रखवाला होता है । समाज कल्याण मंत्री, जनजाति विकास मन्त्री श्री दुलाराम जी शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं । हमें बड़ी खुशी हुई जब इनके पास विभाग आया । हम यह सोचते थे कि लम्बे समय से श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर के पास यह महकमा रहा और सारे आदिवासियों को उपेक्षित कर दिया गया । आदिवासियों का अधिकांश पैसा, जो बजट प्रावधान के अनुसार था वह पैसा आदिवासी इलाके में खर्च नहीं हुआ । समाज कल्याण विभाग की गतिविधियों में भी खर्च नहीं हुआ । उधर जब यह महकमा इनके पास आया, तो कुछ आशा जगी थी । परन्तु, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने किस प्रकार आदिवासियों के साथ भेदभाव बरता है । सभापति महोदय, यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि ट्राइबल सब-प्लान एरिया में जिला स्तर पर जिला विकास अभिकरण का गठन किया गया, सारा पैसा उन लोगों को, जिला विकास अभिकरण को स्थानान्तरित होता है और जिला विकास अभिकरण अपने जिले में जनजाति के विकास की योजनाएं लागू करता है । सभापति महोदय, मैं जो कुछ भी सरकारी रिकार्ड के आधार पर आंकड़े इकट्ठे कर पाया हूं, उसके आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि जिला बांसवाड़ा को जो पॉपुलेशन है जो वहां उनको आवंटित किया गया है, वह जरा लम्बा-चौड़ा है, सारा एवरेज जो निकाला प्रति व्यक्ति तो, सभापति महोदय, जिला बांसवाड़ा को 1981-82 में 44 रुपये प्रति व्यक्ति दिया गया, डूंगरपुर को, सभापति महोदय, 13 रुपये 1981-82 में दिया गया है । उदयपुर को 17 रुपये प्रति व्यक्ति 1981-82 में, सभापति महोदय, दिये गये, चित्तौड़गढ़ जिले को, सभापति महोदय, 1981-82 में 12 रुपये प्रति व्यक्ति दिये गये और सिरोही को 26 रुपये औसतन प्रति व्यक्ति 1981-82 में दिये

(श्री नन्दलाल मीणा) :

गये हैं। सभापति महोदय, 1982–83 में इसी तरह से बांसवाड़ा को 40 रुपये 20 पैसे, डूंगरपुर को 10·11 रुपये प्रति व्यक्ति दिये। उदयपुर को 10·74 रुपये दिये, चित्तौड़गढ़ को 10·40 रुपये दिये और सिरोही को 20·10 रुपये प्रति व्यक्ति दिये। 1983–84 में, सभापति महोदय, बांसवाड़ा को 50·90 रुपये, डूंगरपुर को 16·48 रुपये, उदयपुर को 20·50 रुपये, चित्तौड़ को 10·71 रुपये, सिरोही को 30·56 रुपये प्रति व्यक्ति दिये। सभापति महोदय, इससे यह जाहिर होता है कि राजस्थान के ट्राइबल सब-प्लान एरिया में सारे आदिवासियों, जो उदयपुर संभाग अरावली पहाड़ों में रहते हैं, की एक समान समस्या है। सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान सरकार द्वारा और विभाग द्वारा यह योजना चालू की जा रही है। उस योजना को क्रियान्वित करने के लिये इस प्रकार के आवंटन में भेदभाव जनजाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह भेदभाव मुझे तो समझ में नहीं आता। माननीय मन्त्री महोदय ने इसको दिखवाया होगा, क्यों किया जाता है। इसके बारे में, मन्त्री महोदय, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, आप जब अपना उत्तर दें, उस वक्त यह बतावें कि जिला विकास अभिकरण के माध्यम से जो पैसा इस इलाके में व्यय किया जा रहा है वह डूंगरपुर को कम तो बांसवाड़ा को ज्यादा, चित्तौड़ को कम तो उदयपुर को ज्यादा राशि आवंटित करने का मापदण्ड क्या है ? इस प्रकार का भेद भाव क्यों किया जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री बुलाराम : आप बोल लो, आप अच्छा बोलते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया गया। सन् 1952 से राजस्थान में समाज कल्याण विभाग अथवा पिछड़ी जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास चलाये जा रहे थे, छात्रावास का सारा खर्च राजस्थान सरकार वहन करती थी। पिछले वर्ष 1981–82 में इस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। सभापति महोदय, गये सत्र में भी जब यह व्यवस्था लागू की थी तब मैंने इस बात को सदन में कहा था, मैंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि इस व्यवस्था के लागू होने से राजस्थान में पढ़ने वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के अधिक मात्रा में फेल हो गये। सभापति महोदय, जो विधान सभा के जरिये मेरा सवाल था, उसमें चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में जो परिणाम मैंने प्राप्त किये हैं वह आपके सामने मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। जिस प्रकार की उसमें व्यवस्था है आखिर वह व्यवस्था कैसी है ? सभापति महोदय, छात्रावास में मैस कमेटी बनायी गयी है। मैस कमेटी में 8–10 विद्यार्थियों को रख दिया गया। और सारा सामान बाजार से खरीदने, खाने का इन्तजाम कराने की यह सारी व्यवस्था उन 8–10 बालकों के जिम्मे कर दी, व्यवस्थापक तो सिर्फ उनकी निगरानी करता था। इस तरह से क्या हुआ कि विद्यार्थी छात्रावास में भर्ती हो गया, भर्ती होने के बाद उस मैस कमेटी में चुना गया और

(श्री नन्दलाल मीणा) :

चुनने के बाद वह साल भर तक आटा, दाल, दलिया, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया करता रहा। सभापति महोदय, परिणाम यह हुआ उस लड़के को साल भर बाद होस्टल से निकलना पड़ा क्योंकि फेल हो गया। मैं यह परिणाम चित्तौड़गढ़ के इसलिए बता रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, 1981–82 में जो परिणाम 69 पर्सेन्ट था राजकीय छात्रावास, प्रतापगढ़ में आज यह व्यवस्था लागू करने के बाद 49 पर्सेन्ट हो गया। और तो और, माननीय सभापति महोदय, एक आदिवासी छात्रावास, बड़ी सादड़ी का तो ऐसा है जिसका 1981–82 का परिणाम 28 पर्सेन्ट रहा। इसी तरह से, सभापति महोदय, 1981–82 के परिणामों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 60 पर्सेन्ट से अधिक किसी भी छात्रावास का परीक्षा का परिणाम आता था वह छात्रावास का परिणाम नहीं रहा। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यवस्था इन्होंने लागू की थी, माननीय सभापति महोदय, उस व्यवस्था में इस प्रकार की खराबी थी। यह इससे स्पष्ट जाहिर होता है। मन्त्री महोदय, क्या आप हर छात्रावास से 5 लड़कों को इस गारण्टी से भर्ती कर रहे हैं कि वह लड़के फेल होकर घर जायेंगे ? इस तरह से राजस्थान के, सभापति महोदय, मैंने आंकड़े निकाले हैं, लगभग 750 विद्यार्थी समाज कल्याण विभाग अपनी योजना के आधार पर फेल करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह विभाग और यह मन्त्री महोदय, निदेशक समाज कल्याण विभाग और अधिकारी लोग शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स का शैक्षणिक उत्थान करना चाहते हैं ? यह कतई संभव नहीं। यह नहीं करना चाहते।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, समाज कल्याण विभाग की आपने पूरी रिपोर्ट तो पढ़ी होगी। यह बताते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थी अपने राज्य की किसी शिक्षा संस्था में छठवीं से आठवीं और ग्यारहवीं, तक पढ़ने जायेंगे तो उनको प्रवेश शुल्क तत्काल जमा नहीं करवाना पड़ेगा। जब उनको छात्रवृत्ति मिलेगी तो छात्रवृत्ति से काटकर सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थाओं को यह जमा करा दी जायेगी। सभापति महोदय, 20-3-83 को प्रश्न संख्या 228 का मुझे विधान सभा में यह जवाब मिला है कि चित्तौड़गढ़ जिले में एक भी शिक्षण संस्था ऐसी नहीं है जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के विद्यार्थियों को इस बात की रियायत दी हो कि तुम बाद में छात्रवृत्ति से जमा कराना। यही सारे राजस्थान की स्थिति है। मन्त्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस तरह के लुभावने नारे लगाते हैं। आप जब शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स के लोगों के पास जाते हैं तो उनको मोहित करते हैं कि हम उनके प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, स्थिति यह है, ऐसे में चित्तौड़गढ़ जिले के आधार पर कह सकता हूं कि राजस्थान में ऐसे विद्यार्थी से एडमिशन फीस बाद में लिये जाने के सरकार का नियम है, उस नियम की पालना सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। सभापति महोदय, इसके अलावा एक और बात है। यह तो हो गया, हायर सेकेण्डरी तक का राजस्थान में कुछ कालेजेज में पोस्ट ग्रेजुएशन शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थी पढ़ते हैं। सभापति महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है, ट्राइबल

(श्री नन्दलाल मीणा)

सब-प्लान एरिया में इस वर्ष में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 996 विद्यार्थियों ने पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और शिड्यूल्ड कास्ट्स के 838 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। सभापति महोदय, मेरी जानकारी है कि दिसम्बर, 1983 तक एक भी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं दी जबकि समाज कल्याण विभाग का नियम है कि भारत सरकार से मिलने वाली यह छात्रवृत्ति साल में चार बार मिलनी ही चाहिए, नये लड़के जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं, माननीय सभापति महोदय, उनको कम से कम तीन इन्सटालमेन्ट में तो मिलनी चाहिए, परन्तु दिसम्बर तक इन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। सभापति महोदय, यह तो कोई बात नहीं, भले ही दिसम्बर के बाद दें परन्तु स्थिति यह है कि 996 विद्यार्थियों में से शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कुल 445 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी, मतलब 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को स्वीकृत की गई और शिड्यूल्ड कास्ट्स के 838 विद्यार्थियों में से 482 लोगों को दी गयी यानि 51 पर्सेंट शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गयी। सभापति महोदय, हम एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम इनका शैक्षणिक उत्थान करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता हम देना चाहते हैं। परन्तु यह सारी बातें, सभापति महोदय, कागज में हैं। छात्रवृत्ति 50 और 51 पर्सेन्ट से अधिक इस वर्ष 1983-84 में राजस्थान के शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स के विद्यार्थी, जो कालेजों में पढ़ते हैं, को नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, पब्लिक स्कूल्स खुले हुए हैं।

डेढ़ महीने से विधान सभा चल रही है जिसमें चर्चा हो रही है कि हरिजनों और आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएँ बढ़ रही हैं। सभापति महोदय, आज इस बात को देखना है कि जब इसी वर्ग से आने वाला कोई आदमी अधिकारी बनता है, कोई आई. ए. एस. आफिसर बनता है या आर. ए. एस. आफिसर बनता है या और कोई प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य करता है तो स्वतः ही वह सोचेगा कि मेरा इस वर्ग के बारे में सोचना दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। उसकी आत्मा इस बात के लिए आगाह करेगी कि वह उस वर्ग के बारे में सोचे। आज क्या हो रहा है मेधावी छात्रों के लिये, पब्लिक स्कूल में हर व्यक्ति पैसे के आधार पर अपने बच्चे को भर्ती करा देता है। पर वह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है क्योंकि सभापति महोदय, इन पब्लिक स्कूल में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये रिजर्वेशन नहीं है। अब यह विभाग की मर्जी पर है, दया पर है कि जिसकी समझ में आयेगा उसको लेंगे। यह होगा, भाई ठीक है नन्दलाल के बच्चे को भर्ती करना है तो कर दो, मेघराज तावड़ के बच्चे को भर्ती नहीं करना है। ये दक्षिणा समझ कर के उसे देते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो समाज कल्याण विभाग में चल रही है उसे बन्द किया जाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि इसके लिये कानून बनाये।

(श्री नन्दलाल मीणा)

सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में जनजाति विकास विभाग के माध्यम से हमारी प्रतापगढ़ तहसील में एक प्रयास नाम की संस्था चलती है, तिलोनिया से उनका सम्बन्ध है, अजमेर के पास है। बांसवाड़ा जिले में घंटाली है। एक गांव है घंटाली वहां पर यह संस्था चलती है। सभापति महोदय, घंटाली में चलने वाली संस्था की संस्थापक हैं मिसेज स्वामीनाथन। इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कभी बांसवाड़ा आप पधारें तो वह स्वतः ही आपको मिल जायेंगी और आमन्त्रित करेंगी, आप घंटाली चलिये। इस तरह से जो भी ट्राइबल सब प्लान का अधिकारी या जिला प्रशासन का अधिकारी जब बांसवाड़ा जाता है तो वे आमन्त्रित करती हैं घंटाली में। गांव का नाम है घंटाली, स्वामीनाथन नाम है उनका। सभापति महोदय, वहां पर आदिवासियों के नाम पर, आदिवासियों की योजनाओं के नाम पर अधिकारियों से मिल चुकीं। अधिकारियों के साथ सम्बन्ध घनिष्ठ बनते चले जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि विभाग द्वारा चलाई जाने वाली जो योजनाएं और प्रवृत्तियां हैं वे उन लोगों को स्थानान्तरित की जा रही हैं। प्रतापगढ़ में, सभापति महोदय, पब्लिक हैल्थ डिमार्टमेंट की तरफ से रामपुरिया गांव में चिकित्सालय खोला था, वह चिकित्सालय प्रयास नाम की संस्था को ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको बताऊं, सभापति महोदय, ट्रांसफर ही नहीं किया उनके खिलाफ पंचायत समिति, जिला परिषद्, एस. डी. ओ., एडीशनल एस. पी. प्रतापगढ़, सब लोगों ने राज्य सरकार को शिकायत की कि इसको यह जो अस्पताल ट्रांसफर किया है, इनके पास अन-ट्रेंड कम्पाउण्डर हैं, वे कुछ नहीं जानते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, काफी लोग इंजेक्शन लगाने की वजह से बीमार हो गये और मर गये। उसके बावजूद राजस्थान की सरकार और खास कर डवलपमेंट डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों आमादा है इस बात के लिये कि उनकी झोली भरी जाय।

सभापति महोदय, बांसवाड़ा की जो घंटाली की स्वामीनाथन हैं उनको पाइराइट प्रोजेक्ट प्रशिक्षण के लिये 17,750 रुपये 82–83 में दे दिया। भील समुदाय को पशुपालन प्रशिक्षण हेतु सोशल रिसर्च सेंटर घंटाली को 10,000 रुपया दे दिया। सभापति महोदय, उस औरत का काम सिर्फ यह है कि वह आदिवासी ड्रेस पहनती है, अधिकारियों से मिलती है और अधिकारियों का मनोरंजन करती है। यह मनोरंजन स्वरूप आदिवासियों के विकास के पैसे अधिकारियों की मनमानी की वजह से वहां स्थानान्तरित किये जा रहे हैं। ठीक इसी तरह से, सभापति महोदय, प्रयास नाम की जो संस्था प्रतापगढ़ में है, वहां इस बात की शंका है कि यह संस्था ईसाई मिशनरीज की संस्था है, इलाके में गरीब आदिवासियों को प्रभावित कर करके उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित न कर लें। इसके लिये लोग वहां बड़े शंकित हो रहे हैं। सभापति महोदय, इसके बावजूद सरकार ने नेत्र एवं चल चिकित्सा शिविर के लिये 9,670 रुपये 82–83 में उनको दिये। परिवार कल्याण का 12,000

(श्री नन्दलाल मीणा)

रुपया दे दिया। इसी प्रकार 38,770 रुपया, सभापति महोदय, 82–83 में दिया और 83–84 में पुन: पैसा पशुपालन प्रशिक्षण हेतु दिया। अब जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो उसको पशुपालन से क्या लेना देना, सभापति महोदय, परन्तु उसको 2800 रुपया दिया। मिनी हैल्थ सेन्टर जो रामपुरिया का ट्रांसफर किया उसको 12,000 रुपया दिया और दवाओं के लिये 7,800 रुपया दिया। वित्तीय सहायता 3,000 रुपया दे दी। सभापति महोदय, 30,800 रुपया प्रयास नाम की संस्था को दिया। मुझे कोई हर्ज नहीं, मानलो वह संस्था स्वयं सेवी संस्था है और समाज में काम करना चाहती है, कोई चिन्ता नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार ने पैसा देने के बाद आज तक कभी आपने अपने किसी अधिकारी को इसके लिये भेजा है कि वहां पर पैसे का उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, उसके बारे में पंचायत समिति प्रतापगढ़ ने क्या कहा है, एस. डी. ओ. ने क्या कहा है, बांसवाड़ा के जिला प्रशासन ने क्या कहा है। इन रिपोर्ट्स पर राज्य सरकार ने कभी अमल किया है? सभापति महोदय, इससे स्पष्ट जाहिर है कि सरकार आदिवासियों का पैसा खर्च करने के लिये ऐसे ऐसे खराब काम कर रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, सभापति महोदय, मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं, जो हरदम करता आया हूं। नियम के विपरीत राजस्थान में एस. सी., एस. टी. के लोगों की खेती की जमीन गैर एस. सी., एस. टी. को स्थानान्तरित हो रही है। बराबर इस बात को विधान सभा में उठाता रहा हूं, परन्तु मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि सरकार इस पर मौन क्यों है। क्या सरकार यह चाहती है कि राजस्थान के एस. सी., एस. टी. के किसान भूमिहीन बन जायं। सारी जमीनें अपनी मजबूरी और गरीबी के कारण दूसरों के हाथों में सौंप दें? राज्य सरकार को चाहिये और खास कर जनजाति विकास विभाग मन्त्री को चाहिये कि जनजाति विकास विभाग के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान रखे, वह सारा वर्क आउट कराये। वह सारा वर्क आउट कराया हुआ है। सर्वे, सभापति महोदय, हमने करवाया था, सारे ट्राइबल एरिया सब-प्लान के लिये। उसमें यह बता दिया गया है कि इतनी इतनी जमीनें, इस इस तहसील में एस. टी., एस. सी. को गैर एस. सी., एस. टी. के पास मिलेंगी। आज पचास प्रतिशत पैसा इस ट्राइबल सब प्लान में खर्च हो रहा है परन्तु इस योजना के पीछे कि इन आदिवासियों के पास उनकी जमीनें सुरक्षित रह सकें, सरकार कोई ध्यान नहीं देना चाहती है, कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहती है। मैं, मन्त्री महोदय, चाहूंगा इस बारे में उचित कदम उठायें। सभापति महोदय, आदिवासी अपनी जमीन से महरूम न हों, इसके लिये कोई व्यवस्था करें वरना सारी जमीनें लोग छीन छीन कर ले जायेंगे। सभापति महोदय आप समाचार पत्र बहुत पढ़ते हैं। राजस्थान पत्रिका 15 मार्च की आपने पढ़ी होगी। उदयपुर में गिरवा पंचायत समिति है, माननीय भेरूंलाल जी मीणा वहां से चुन कर आते हैं। वहां एक गांव है अलसीगढ़। सभापति महोदय, नाई ग्राम सेवा सहकारी

(श्री नन्दलाल मीणा)

समिति के अन्तर्गत वह आता है। जैसे मैंने पूर्व में निवेदन किया, सभापति महोदय, 40 लाख रुपया ट्राइबल सब प्लान का आदिवासियों के नाम पर झूठे अंगूठे लगाकर कर्ज मांड रखा है। जब उनसे वसूली होने के लिये नोटिस जाता है, सभापति महोदय, वह भोलाभाला अनभिज्ञ व्यक्ति आज भी यह कहता है कि मैंने तो पैसे नहीं लिये। क्योंकि अंगूठा उसका है। सरकार को चाहिये था वह उसको राइट आफ करे। परन्तु सरकार इन पैसों को राइट आफ तो नहीं करना चाहती, बल्कि अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ हो रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा, 15 मार्च, 1984 का समाचार है। मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि सहकारी ऋणों की दुबारा वसूली से आदिवासी संकट में हैं। यह सारा राजस्थान का आदिवासी इन सहकारी समितियों से परेशान है। सभापति महोदय, खडाला का डूड में काफी लोग चले गये हैं। आज उनको जमीन नहीं दी···

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं समाप्त करना चाहता हूं, परन्तु एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में आदिवासी सरकारी सेवाओं में हैं। खास कर आजकल जिला डूंगरपुर के जिलाधीश, मुझे यह समझ में नहीं आता है, आदिवासियों के पीछे लट्ठ लेकर क्यों पड़े हुए हैं। मजबूर करना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कि वह नौकरी से त्याग पत्र देकर घर चला जाय। अगर वह नहीं जाता है तो उसको पुलिस के हवाले किया जाता है यह हालात डूंगरपुर जिले में हैं। सिंचाई विभाग के उप अभियन्ता, भंवरलाल परमार, सभापति महोदय, पुराने स्थायी कर्मचारी हैं उन्होंने सरकार से मकान बनाने के लिये कर्ज लिया। उन्होंने मकान अपने गांव में अपनी जमीन पर बना लिया। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद जब वापस कहा कि अंतिम आपकी किश्त भेजी जा रही है, उस किश्त के लिये किसी अधिकारी को जांच के लिये भेजेंगे। जब जांच अधिकारी वहां गया तो जो प्लाट उसका था, सभापति महोदय, आपने देखा होगा, पहाड़ी इलाका है हम लोग हमारी मर्जी से विचरण करते हैं। जहां समझ आया मकान बना लिया, आज नष्ट करके दूसरी जगह बना लिया। उसने पक्का मकान बनाया था, कोई अच्छी जगह मकान बनाना चाहिये था ताकि किसी प्रकार बाल बच्चे परेशान नहीं हों। तो पट्टा लिया था दूसरी जगह का और बना दिया दूसरी जगह। वहां श्री भंवरलाल परमार के विरुद्ध, सभापति महोदय, कलेक्टर डूंगरपुर ने एफ. आई. आर. विचार के लिये प्रस्तुत कर दी। आज वहां सारे लोग परेशान हैं। नियोजन कार्यालय डूंगरपुर में मोहनलाल डांगी, एस. टी. का व्यक्ति है। जो 79 में नौकरी पर लगा था एल. डी. सी. के पद पर। उस व्यक्ति को अभी जनवरी, दिसम्बर में सेवा से मुक्त कर दिया बगैर नोटिस के, जैसे बनिये की दुकान हो। इस प्रकार का सलूक, सभापति महोदय, आदिवासियों के साथ किया जा

(श्री नन्दलाल मीणा)

रहा है। आप तो यह देखिये, इसके पीछे···

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य, कृपया।

श्री नन्दलाल मीणा : इसके अलावा सभापति महोदय, एक और हुआ कि डूंगरपुर में एम. एल. एं और एम. पी., मिनिस्टर, आई. ए एस. आफिसर की इतनी हिम्मत नहीं कि वह इस तरह हाथ डाल दे। कहीं पेट्रोल पंप सीज कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इस तरह का आतंक आदिवासी इलाके में, डूंगरपुर में खास कर फैलाया जा रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : जब वह कमजोर होंगे तो फिर क्या करेंगे···

श्री नन्दलाल मीणा : वह कमजोर इसलिये हैं, सभापति महोदय, उनको अधिकार नहीं दिया जाता।

मिनी ब्लाक्स के बारे में एक बात कह कर समाप्त करता हूं कि राजस्थान में हमने मिनी ब्लाक्स बनाये···

श्री सभापति : कृपया दो मिनट में।

श्री नन्दलाल मीणा : दो मिनट में, सभापति महोदय, मिनी ब्लाक्स के बजाय और कुछ कह दूं।

मैं जनजाति विकास विभाग के और विषयों की ओर नहीं जाना चाहता परन्तु जैसा कि मैंने निवेदन किया, जो बजट आवंटन हुआ है उसके आधार पर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और दूसरे विभाग जिला अभिकरण निष्क्रिय हैं आदिवासियों के उत्थान के लिये। मैं चाहूंगा कि सरकार इसके लिये समुचित व्यवस्था करे, समन्वय निर्देशन समिति, जो राजस्थान की हाई पावर कमेटी बनी हुई है, की मैं अफसोस के साथ कहता हूं, सभापति महोदय, सन् 1980, जब से कांग्रेस हुकूमत में आई उनके बाद लगभग 3–4 वर्ष होने आये केवल दो मीटिंग आमन्त्रित की गई और दो मीटिंग हुई। मीटिंग आमन्त्रित करते हैं, हम लोग पहुंचते हैं, ट्रेन से उदयपुर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मीटिंग स्थगित हो गई है। प्रतापगढ़ चले आये तो स्थगित, जयपुर भी चले आयें तो स्थगित। एक भी मीटिंग नहीं होती। मन्त्री महोदय सिर्फ अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। इनको आदिवासियों की कुछ भी नहीं पड़ी। नहीं पड़ी होने से मीटिंग नहीं हो रही है। अधिकारी इस बात के लिये मौन हैं। जब मन्त्री जी इस मामले में उदासीन हैं तो उनको किस बात की चिन्ता? यह हालत यहां पर है।

सभापति महोदय, आदिवासी इलाका शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान में पिछड़ा हुआ इलाका है। अनुपात की दृष्टि से, मेरे ख्याल से, 8 प्र. श. वहां पर शिक्षा है। राजस्थान सरकार ने 2–3 सालों के दौरान खास कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो इस बात का फैसला कर रखा है कि यहां कोई स्कूल खोलने ही नहीं। इस प्रकार का दृष्टिकोण हुकूमत में बैठने वाले व्यक्ति का होगा तो दुलाराम जी से मैं कहना चाहता हूं कि सदा दीवाली संत की नहीं होती, कल दिन हमारा

(श्री नन्दलाल मीणा)

होगा, हम भी उसी कठघरे में आपको खड़ा रखेंगे। परन्तु एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, उस वर्ग के प्रतिनिधि हो आप। राजस्थान की सरकार बनाने आये सब के सब आपके लोग हैं। यह प्रतापगढ़ का क्षेत्र है जिसे वंचित करने की कोशिश की, उससे हम को कोई चिन्ता की बात नहीं है। हम में इस बात का बूता भी है कि हम अपने अधिकारों को लड़ कर लें, जैसा कि मेघराज तावड़ ने कहा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, अधिकारियों को बचाने की बात की जा रही है, माननीय मन्त्री महोदय, सवाई माधोपुर के डी. पी. एस. डब्लू. से इस केस को रफा-दफा करने के लये× × ×

श्री सभापति : इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। कृपया इसको एक्सपंज कर दीजिये। यह व्यवस्था के खिलाफ है।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, × × × कहा है मैंने।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

माननीय श्री देवेन्द्रकुमार।....

× × × अभिव्यक्ति माननीय सभापति महोदय के आदेश अनुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

कृपया विराजें।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : दोनों स्थितियों में अन्तर है....

(व्यवधान)

समाज कल्याण के छात्रावासों की चीनी और लकड़ी बेच खाई लोगों ने, कम्बल बेच खाये।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

माननीय श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : सभापति महोदय, मांग संख्या 33 और 30 पर बोलने का आपने अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं, सभापति महोदय....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : जनजाति उप योजना के बारे में आपसे निवेदन करूंगा। हमारी सरकार ने....

श्री दुलाराम (मन्त्री, समाज कल्याण) : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, यह बात बाद में दब जायेगी

(श्री दुलाराम)

ज्यादा लंबी बहस होने के बाद, बहुत गंभीर मसला है, आरोप लगाया मेरे पर कि × × × और 12 एम. एल. ए. ने मुझे लिख कर दिया कि यह निर्दोष व्यक्ति है, इसको दोष मुक्त किया जाय। इसको अपने पद पर बहाल कर दें।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : सभापति महोदय, हमने भी लिख कर दिया है × × × उसके पास जिन्दगी भर नहीं निकलेंगे। शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें कृपया।

श्री गोपाल पचेरवाल : शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी को निलंबित किया गया था फर्जी फंसा कर, हमने उसके लिये अपील की थी मंत्री जी से कि उसको बहाल किया जाय। हमने कहा था, फिर कहा × × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें। माननीय श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री हंसराज शर्मा : इसमें उन्होंने बांट खाया।....

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करता हूं,

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

हमारा टाइम खराब करते हैं.

सभापति महोदय, जनजाति परियोजना के बारे में....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो आज ही बता दो. ये केन्द्र अपने लोगों को पालने के लिये, कांग्रेसियों को जीवन दान देने के केन्द्र हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दाऊदयाल जी, आप कितने सम्मानीय और कितने अनुभवी सदस्य हैं। आप हर बार बोल कर कृपया व्यवधान न डालें। विराजें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारे देश की नेता, राष्ट्र की नेता प्रधान मंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य निर्धारित किये हैं हमारी सरकार उदयपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले आदिवासियों के बारे में काफी आगे बढ़ी है। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारा क्षेत्र जहां से मैं चुन कर आया हूं, उदयपुर क्षेत्र ऐसा है जो पहाड़ी क्षेत्र है आर्थिक दृष्टि से गिरा हुआ है आज से नहीं पुराने जमाने से, राजा महाराजाओं के टाइम से लेकिन आजादी के बाद हमारी कांग्रेस सरकार ने वहां रहने

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

वाले आदिवासियों की स्थिति के बारे, शिक्षा के बारे में ध्यान दिया है। सभापति महोदय, साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हू, आज भारत सरकार हमारे लिये, हम को आगे बढ़ाने के लिये हमारा विकास करने के लिये लाखों रुपये भेजती है जो जन जाति 84 योजना के आधार पर हम खर्च करते हैं लेकिन मेरे को इस बात का दुःख है, सभापति महोदय, कि जन जाति के लिये जो पैसा दिया जाता है वह दूसरे विभागों को, कृषि और पी. डब्लू. डी. को दे दिया जाता है, ट्राइब वालों के पास में उसका हिसाब भी नहीं रहता, जन जाति कार्यालय में उसका हिसाब नहीं रहता। जिस गति से हमारा विकास होना चाहिये....

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : हमारा विकास करना चाहते हैं, हमारी आर्थिक हालत सुधारना चाहते हैं, लेकिन टुकड़े-टुकड़े में उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यदि आप इस एरिया को लेना चाहते हैं और इस बात को भी कहना चाहता हू, सभापति महोदय, वहां पर आदिवासी एरिया एक ही है लेकिन उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासियों की हालत इतनी खराब है जितनी सवाई माधोपुर, कोटा के आदिवासियों की हालत अच्छी है। उनके पास जमींदारी है, उनके पास सवारी है और सर्विसेज के अन्दर इधर के लोग 80 प्र. श. आगे आते हैं। आज मैं मानता हूं, थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य ने कहा था कि ट्राइब्स के विकास के लिये पैसा आता है, सभापति महोदय, उदयपुर जिले में 18 पंचायत समिति हैं उसमें से 7 पंचायत समितियां आदिवासियों की है लेकिन जो डूंगरपुर को पैसा मिलता है उससे विरोध नहीं है मेरा लेकिन यह देखना चाहिये कि जनसंख्या कहां की कितनी है, कितनी पंचायत समितियां ज्यादा हैं। समान दृष्टि से अगर बराबर बांटते रहोगे तो उदयपुर जिले का आदिवासी एरिया बहुत पीछे रह जायेगा। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एरिया में काम बहुत हुआ है लेकिन इस तरह से हुआ है सभापति महोदय, आज हमारी रोड्स की स्थिति यह है कि रोड पूरी हुई तो पुलिया बाकी है। आवागमन के साधन नहीं होने से पहाड़ी एरिया मे विकास नहीं हो सकता। आवागमन के साधन नहीं होंगे तो हम आर्थिक दृष्टि से विकास नहीं कर सकते। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जो अधूरे काम हैं, स्कूल भवन अधूरे पड़े हैं, रोड्स अधूरी पड़ी हुई हैं, लाखों रुपये जिन इरिगेशन के काम पर लगे हुए हैं वह अधूरे पड़े हुए हैं, यानि उनमें थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाने पर अच्छा विकास हो सकता है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जितने अधूरे काम हैं चाहे सिंचाई के हों, चाहे पी. डब्लू. डी. के हों, जितने काम अधूरे काम हैं उनको पूरा कर दिया तो हमारी हालत बहुत अच्छी हो सकती है।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं मानता हूँ, महसूस कर चुका हूं मेरे एरिया में आदिवासी पानी चाहते हैं। उनके पास

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

जोत कम है, जमीन कम है, उनको पानी की जरूरत है। पानी की जरूरत पड़ती है तो बड़ी मुश्किल से कुआं खोदते हैं लेकिन हमारा जो विद्युत विभाग है वह हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। जिन आदिवासियों को बिजली की जरूरत है, उन लोगों ने एप्लाई किया है, उन लोगों ने कहा कि हमको बिजली का कनेक्शन दीजिये, बिजली दीजिये ताकि हम पानी का उपयोग करके खेत में कुछ पैदा कर सकें। सभापति महोदय, आदिवासी बड़ी मुश्किल से मेहनत करके कुआं खोदता है और जितनी जमीन है उससे अपने बाल बच्चों का जीवन निर्वाह करता है। उनकी स्थिति को देखते हुए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर जो आदिवासी एरिया है उसको आपकी बिजली देने की जो स्थिति है उसमें से सबसे पहले दीजिये। आज होता क्या है, सभापति महोदय, मैं यह मानता हूँ यह महसूस करना पड़ेगा इस बात को कहने की आवश्यकता है कि आप बिजली देंगे तो प्रभावशाली व्यक्तियों को देंगे और हम लोग कहेंगे तो नहीं देंगे क्योंकि हम लोग प्रभावशाली नहीं है। हमारे आदिवासी इतने गरीब हैं कि वह अपनी बात कह नहीं सकते। हम लोग जाते हैं, शिकायत करते हैं कि हमको बिजली नहीं दे रहे हैं किन्तु हमारे अधिकारियों की जो लापरवाही है, कमजोरी है उस के कारण हमारा विकास नहीं हो रहा है। यह सबसे बड़ी हमारी कमजोरी रही है। इसके लिए चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो सबको सोचना पड़ेगा। आदिवासी एरिया के विकास के लिये पैसा आ रहा है, उनको आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति है, हमारी सरकार की योजना है कि इनका विकास करें, परन्तु इनकी कमजोरी के कारण विकास नहीं कर पाते है।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जन जाति का एक भवन बना है, जन जाति के उत्थान के लिए उदयपुर में ऑफिस है। क्या जरूरत थी भवन बनाने की? क्या आवश्यकता थी उसके ऊपर 12 लाख रुपया लगाने की। उनके लिए सोफा इस ढंग से, पंखा इस ढंग से, फर्नीचर इस ढंग से खरीदने की क्या जरूरत थी? फिर गाड़ियां क्या कर रही हैं? हमारे आदिवासी आज उस गाड़ी के पास जाना तक पसंद नहीं करते हैं। इनका सही उपयोग नहीं हो रहा है, ज्यादातर दुरुपयोग हो रहा है। हमारा पैसा ज्यादातर अधिकारियों और कर्मचारियों पर लग रहा है उनकी जेबों में जा रहा है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार सबसे पहले आदिवासियों की ओर ध्यान दे क्योंकि वह पीछे रह गये हैं। यह तो आपने रिजर्वेशन किया इसलिए हम बोल सकते हैं अगर रिजर्वेशन हटा लेंगे तो इतना भी नहीं बोल सकेंगे। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ पैसा इस ढंग से लगायें जिससे आदिवासी क्षेत्र का विकास हो सके।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी सी कहूंगा। हमारे उदयपुर में एक बड़ा महत्वपूर्ण निगम बना है। वहां का एम. एल. ए. उसका डायरेक्टर था। जन जाति निगम लेम्प्स चल रहे हैं, उसका व्यापार चल रहा है कपड़े का, वह कपड़ा कहां से

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

आया मुझे हिसाब दीजिये। सभापति महोदय, कपड़ा लेते टाइम कमीशन, देते टाइम कमीशन। गुण गाते हैं जनजाति के। मैं चाहता हूँ जन-जाति निगम बना है उसको आप बन्द कर दीजिये। उसमें लाखों रुपया हमारी सरकार का लग रहा है, हमारे आदिवासी का लग रहा है।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विभाग का कोई उपयोग नहीं है। आज धौली मूसली की कीमत क्या है? धौली मूसली, जो आदिवासी पहाड़ों में से निकाल कर लाता है, 40 रुपये में बिकती है उसे व्यापारी लेता है। सभापति महोदय, लेम्प्स 30-35 रुपये में लेता है। सभापति महोदय, व्यापारी सारा फायदा उठाते हैं और आदिवासी के लिए कहते हैं कि हम तो उनको फायदा दे रहे हैं। मैं सबसे पहले इसका विरोध करता हूँ। हमारा जो निगम है उसको बन्द कर देना चाहिए और जो मठाधीश लगे हुए हैं उनको दूसरी जगह लगा दो ताकि हमारा विकास अच्छा हो सके।

मैं आपके द्वारा एक निवेदन और करना चाहूँगा, सभापति महोदय, एक क्वेश्चन था मेरा मैंने पूछा था, क्या उदयपुर जनजाति निगम की उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे सस्ते अनाज, कपड़े की दुकानें हैं? यदि हाँ, तो कितनी? तो जवाब मिलता है। जी, नहीं। राज संघ के अधीन आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी संस्थायें लेम्प्स, पेक्स, जिनकी संख्या अभी कुल 152 हैं, के माध्यम से दैनिक आवश्यकता की उपभोक्ता खाद्य सामग्री व कपड़ा आदि विक्रय किया जाता है। इनको क्या मालूम? इनके अतिरिक्त दो चल उपभोक्ता वाहन कार्यरत हैं। सभापति महोदय, दो-चार प्रश्न मैंने पूछे थे, दिनांक 6.9.83 का प्रश्न है। मैंने एक भवन के बारे में पूछा था, सभापति महोदय, पंचायत समिति सराड़ा क्षेत्र में 1982 में कितने सहकारी भवनों का निर्माण किया गया है? कृपया ऐसे भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें। जवाब क्या मिलता है। पंचायत समिति सराड़ा में 1982 में 61, बहुत बढ़िया। इसमें बताया है कि मिनी हेल्थ सेन्टर देवपुरा का निर्माण कार्य दो तीन साल से....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : बिराजें। माननीय सदस्य, बिराजें। समय बढ़ाना है, बैठक का समय बढ़ाना है।

सदन की अनुमति से आज की बैठक का समय आज की कार्य सूची के समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 33 व 30 पर विचार

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि—

एक माननीय सदस्य : समय तो पहले ही बढ़ा दिया था।

श्री सभापति : उस समय तो निर्धारित हुआ था, श्रीमान्, समय नहीं बढ़ा था।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : देवपुरा में

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

महाराणा प्रताप के टाइम का एक भवन पड़ा है। फिर एक बात, सभापति महोदय, इसमें बताया कि स्टाफ क्वार्टर है। वैसे इन्टाली-खेड़ा, इन्टाली मेरे क्षेत्र में नहीं आता, सभापति महोदय, अब आप सही माने या नहीं, मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारा सही विकास करना चाहते हैं तो जो जन जाति निगम योजना के अन्तर्गत बना है उसे दुकानदार की दुकान बना रखा है। उसको उठाकर आप जयपुर लाइये उसकी वहां कोई जरूरत नहीं है। वहां पर तो गरीबों का शोषण हो रहा है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है। एक ढोंग बनाकर लोगों को जिन्दा रखने की यह बात है। आज आदिवासी का नुकसान हो रहा है। गरीबों का शोषण हो रहा है उसको सरकार को देखना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि डिपार्टमेन्ट आपके पास है, आप बड़े जागरूक हैं लेकिन आपकी कमजोरी होगी अगर इस तरह की कमजोरी को देखेंगे नहीं, किसी पर भी विश्वास करके चलेंगे तो हमारा आदमी, आदिवासी डूब जायेगा, हमारा गरीब आदिवासी पीछे रह जायेगा।

एक बात और बोलूंगा, सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा ही समाज के अन्दर सबसे बड़ी प्रवृत्ति है जो जानवर को मनुष्य बना देती है।

मैं शिक्षा मंत्री का आभारी हूं कि हमारे क्षेत्र उदयपुर में काफी प्राइमरी स्कूल खोले। खोल दिये स्कूल, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भवन कब बनेंगे। अगर वहां भवन बनेंगे तो बच्चे आराम से पढ़ कर एडवोकेट बन सकेंगे....

श्री मेघराज तावड़ : दबी जुबान से मत बोलो।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : आप सुनें। आपके बूते की बात नहीं है।

मैं समाज कल्याण मंत्री जी से, जनजाति मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप स्कूल खोलते हैं तो हमारे उस पहाड़ी इलाके के अन्दर आपको भवन बनाने पड़ेंगे, स्कूल के लिये भवन बनाने पड़ेंगे, छात्रावास आपको बनाने पड़ेंगे, आयुर्वेद का भवन आपको बनाना पड़ेगा, डिस्पेंसरी का भवन बनाना होगा। आज आदिवासी न चंदा दे सकते हैं और न कुछ कर सकते हैं। सभापति महोदय, चार सालों से अकाल था। कुदरत की देन से इस साल अच्छी बरसात हुई है लेकिन हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है, अकाल के दिन ही अच्छे थे, वह टाइम बहुत अच्छा था, काम तो मिल जाता था। आज 90 प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी है। 90 प्रतिशत फसल नष्ट हुयी। 90 प्रतिशत फसल नष्ट होने के बाद यह सोचा कि चना होगा छोटे छोटे टुकड़ों में तो हमारा निर्वाह होगा। सभापति महोदय, चना नष्ट हो गया, हम लोग चिल्लाते रहे। हमने सोचा था कि गेहूं चना पैदा हो जायेगा पर दुर्भाग्य से, 27-28 को शीत लहर इतनी पड़ी कि चना गेहू बिल्कुल जल गया। हमारी हालत दयनीय हो गयी। हम कहते हैं कि हमारी हालत ठीक करो। यह सही है कि कुछ लोग आदिवासियों का

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

भला नहीं करने देना चाहते हैं। लेकिन सरकार सहयोग नहीं करेगी तो वहां के आदिवासी किसी के हाथ में नहीं रहेंगे, कहीं के कहीं चले जायेंगे। मैं साफ बात कहता हूँ, एक भूखा आदमी किसी के घर में घुमने में कोई देरी नहीं करता है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको किसी तरह का धन्धा दें। आज हमारे यहां पर अकाल की भयंकर स्थिति है।

आपको बरसात की बात बता दी, शीत लहर की बात बता दी। मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी को, पहाड़ी एरिया के लोगों को मजदूरी चाहिए। आज रोड़ का काम अधूरा है, लाखों रुपया सरकार का खर्च हुआ है। पाल तो आपको बता दूंगा. आप आयेंगे तो बता दूंगा कि पाल कैसी होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल आमदनी हो उन लोगों की ऐसा प्रबन्ध करें। वह भूखे नहीं रह सकते। वह भूखे नहीं सो सकते हैं लेकिन अपनी हिम्मत से, इज्जत से चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल काम शुरू करायें ताकि गरीबों को जिन्दा रख सकें।

दूसरी बात है सभापति महोदय, समाज कल्याण की। सोशल वेलफेयर बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है परन्तु मैं इसको समाज कल्याण नहीं समान कल्याण विभाग कहना चाहता हूँ। आपके इतने अधिकारी लोग हैं पर मैं मेरे क्षेत्र उदयपुर की बात करता हूँ। उदयपुर में बहुत से छात्रावास हैं लेकिन उनकी कोई देखरेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्या तनखवाह नहीं देते हैं सुपरवाइजरों को? इन्चार्ज को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं? आफिसर के पास गाड़ी नहीं है क्या? फिर भी वह जांच नहीं करते हैं। यह अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, वे छात्रावास जिस रफ्तार से चलते हैं, आपके अधिकारी उनको कन्ट्रोल करें, गरीब का शोषण हो रहा है, वह रोकें और पैसे का उपयोग करें। अब मैं ज्यादा बात समाज कल्याण के बारे में न कहकर सोसायटी के बारे में कहूँगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, साल भर में तो आज ही मौका मिला है....

श्री सभापति : बिराजें।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : हम तो उसी में जन्में हैं, उसी में जिन्दा हैं और उसी में मरेंगे। अनुशासनहीन नहीं है अनुशासन में रहने वाले हैं....

श्री सभापति : संक्षेप में जल्दी समाप्त करें, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : बैठो।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, आपकी बात का ही उत्तर दे रहा हूँ। हम तो जिम्मेदार पार्टी के लोग हैं। आप के जैसे नहीं हैं। हम को तो सब को साथ लेकर चलना है।

श्री सभापति : आसन को सम्बोधित करें, माननीय सदस्य।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : मैंने पहले भी कहा, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ, कोआपरेटिव सोसायटी बहुत अच्छी चीज है। आदिवासी तो वैसे ही कोआपरेटिव हैं। उनमें ऐसा कोआपरेशन है कि एक रोटी को पांच जने बांट कर खाते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, कोआपरेटिव सोसायटी तो बनायी उसमें क्या हो रहा है। 13-15 साल पुराने कर्ज हैं, जिन लोगों में हैं उन्होंने 100-100 रुपये लिये होंगे लेकिन आज हालत यह है, सभापति महोदय, वह रुपया बहुत बढ़ गया। जो 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है लेकिन ब्याज पर ब्याज होकर 300-400 हो गये जिससे उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। मेरा आदिवासी रो रहा है। उसको पैसा नहीं मिल सकता है, वह पैसे से वंचित रहा है, अनुदान से वंचित रह गया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसी तरह से एक बार पैट्रोल पर खर्च घटाकर मंत्री भी देख सकते हैं, कह सकते हैं, गरीब का पैसा माफ करो। आदिवासियों का पैसा माफ करो चाहें पट्रोल का खर्चा कम कर दो। यह हो जाये तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं मानता हूँ कि सन् 1970 से पहले का कर्जा है। सभापति महोदय, सरकार को इसको समझ कर माफ करना चाहिए। वे गाड़ी में बैठकर वसूल करने जाते हैं तो आदिवासी कहां पकड़ में आता है। रास्ते में मिल जाये तो बात अलग है। जो खर्चा होता है गाड़ी का वह नहीं करें एक साल और उसका कर्जा माफ कर दें। इस आधार पर सरकार को सोचना पड़ेगा और आदिवासियों के कर्ज को माफ करना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हूँ कि उदयपुर डिवीजन में काम अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करावें। ट्राइबल का पैसा जो दूसरों तक जाता है उसको रोकें। हमारी जो योजना है कुओं की, एनीकट्स की व तालाबों की जो नहरें बाकी हैं, रोड की पुलियां जो बाकी पड़ी हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करवायें। सरकार घोषणा करे कि अधूरे कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करवायें। आपने समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग की मांगों पर जो चर्चा करने जा रहे हैं....

श्री सभापति : कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। 15 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : जो चर्चा करने जा रहे हैं इस चर्चा के दौरान मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस चर्चा को वह रूप नहीं देना चाहता, सभापति महोदय, जो अन्य विभागों की मांगों की चर्चा को रूप दिया गया है। यह विभाग उन पिछड़े, दलितों और शोषितों का विभाग है जिनके भविष्य के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है। यह चीज अलग है कि सरकार कौनसी है ? हमारी भी सरकार थी लेकिन जहां तक इस विभाग का दृष्टिकोण है, पिछड़ा समाज है, जो सामाजिक दृष्टि से अविकसित समाज है, दलित, शोषित समाज

(श्री गोपाल पचेरवाल)

है, दलित शोषित, समाज का आदमी है उसके उत्थान के काम करना इस विभाग का काम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, अभी प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें कही- उन्होंने आरोप-प्रत्यारोप भी लगाये। मैं आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता लेकिन समाज की जो व्यवस्था है, सभापति महोदय, समाज की जो रचना है उसमें जो वर्ण व्यवस्था का सवाल है, उससे मानसिक पीड़ा है जो सवर्ण संस्कृति है वह कभी-कभी बोल पड़ती है। सभापति महोदय, जब किसी दरिद्र के विकास का सवाल आयेगा तो सवर्ण संस्कृति चुप नहीं रहेगी, जब समाज के पिछड़े हुए और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक विकास का सवाल आयेगा तो मनु स्मृति को समझने वाले कुछ लोग, मनुस्मृति को मान्यता देने वाले अपने आपको रोक नहीं पायेंगे। निश्चित रूप से बोलेंगे। वह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति को कैसे आगे ला सकते हैं, यह उनकी मानसिक पीड़ा है। यह सवर्ण संस्कृति की देन है। इससे कोई हमको बुरा महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि जब दलित के उत्थान की बात होगी, पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मैं सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पहले इस विभाग के द्वारा, आपकी योजनाओं के द्वारा, सरकार के कार्यक्रम के द्वारा आप इस वर्ग का भला कैसे करना चाहते हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपका जिला लेवल पर समाज कल्याण अधिकारी होता है, उस समाज कल्याण अधिकारी के ऊपर जितना भार आपने डाल रखा है उससे आपकी जो योजना है। आपका जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को वह सही तरीके से नहीं कर पाते। आज आपके जो कार्यक्रम हैं, छात्रों के संचालन, विकलांगों का काम है, बेरोजगार शिक्षित हैं उनका काम है, पेंशन का काम है, डी. आर. डी. ए के आधार पर आपकी जो अन्य योजनाएं चल रही हैं, उनकी क्रियान्विति कराने का उनके पास काम है। कई तरह के काम हैं उनके पास, हरिजन बस्तियों में बिजली और नल कनेक्शन दिलाने का काम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से कि एक व्यक्ति से आप इतने काम जिला स्तर पर लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी योजनाओं का अच्छी तरह से काम नहीं कर पायेंगे। वह मात्र अपनी नौकरी पकाने और अपनी तनख्वाह पकाने के सिवाय और कोई काम नहीं कर पायेंगे क्योंकि उसको जिलों की मीटिंग में जाना पड़ता है, जिला परिषद की मीटिंग में जाना पड़ता है। जब मन्त्री जी जयपुर, कोटा, उदयपुर या जिला हैडक्वार्टर जायेंगे तो उनकी सेवा में उनको जाना पड़ेगा। आपके कोई उच्चाधिकारी जब जिला स्तर का दौरा करेंगे तो उनकी सेवा में उनको जाना पड़ेगा। फिर यह आशा करें कि वह विकलांग का काम भी देखें, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता देने का काम भी वे देखें, आपकी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं उनको भी वह देखें, हरिजन बस्ती में नल, बिजली का कार्यक्रम भी देखें, आपके जेल में जो बंदी हैं उनको भी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

देखें, आपके जो भिखारी बच्चे हैं उनके कार्यक्रम को भी देखें तो इतने सारे काम को वह नहीं देख सकते। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कार्य का विभाजन कीजिये और उसके लिये एक अलग अधिकारी आप नियुक्त कीजिये ताकि आपकी जो योजनाएं हैं वे प्रभावी तौर से जिलों में लागू हो सकें। यह मेरा आपसे एक निवेदन है।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से कि बेरोजगारी भत्ते का जहां तक सवाल है बेरोजगारी भत्ते में बी. ए. पास हो या एम. ए. पास, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैट्रिक पास करने के बाद भी जो जो आदमी बेरोजगार हैं उनके लिये आपने स्वरोजगार योजना चलायी उस स्वरोजगार योजना में जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस तरह स्वरोजगार योजना में हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी पास को आपने लिया है उसी तरह से जब तक आप किसी योजना के आधार पर उसको रोजगार नहीं दे देते हैं, तब तक मैं मांग करता हूं और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि हायर सैकण्डरी पास और सैकण्डरी पास को भी बेकारी भत्ता देने की योजना में शरीक किया जाय।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा विशेष तौर पर, सभापति महोदय, हमारी सरकार को एवं माननीय समाज कल्याण मन्त्रीजी को, हमारे समाज कल्याण विभाग में डायरेक्टर शिड्यूल्ड कास्ट के है, मन्त्री शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, उसके बावजूद सरकार ने हमारे ऊपर यह नीति ठीक रखी है कि जो बी. ए. और एम. ए. द्वितीय श्रेणी में पास होगा उसको ही बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थी को जो सुविधाएं मिलती और शहर में रहने वाले विद्यार्थी को जो सुविधाएं मिलती हैं, गांवों के विद्यार्थी गांव और जिला स्तर पर पढ़ते हैं, और आपके बच्चे को जो शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है, डायरेक्टर साहब के बच्चे को जो शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है या और अन्य माननीय सदस्यों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है उसके आधार पर वे लोग प्रथम श्रेणी में पास हो सकते हैं, संपतराम जी का बच्चा एम. ए. पास करेगा फर्स्ट, सेकण्ड डिवीजन में, मेहताजी का बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास हो सकेगा, दुलारामजी का बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो सकेगा। लेकिन जो गांव के, शहर के अन्तिम छोर के शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति हैं, जिसके पास पढ़ने के साधन उपलब्ध नहीं हैं, जिसके पास और कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं क्या हम उनसे यह उम्मीद करें कि वह द्वितीय श्रेणी में एम. ए. पास करके बेरोजगारी भत्ते की लाइन में लगें? यह असंभव चीज है। मैं मांग करना चाहूंगा, यह आपका साहसिक कदम होगा, मन्त्रीजी, शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चे, चाहे वह किसी भी श्रेणी में पास हों, चाहे वह ग्रेस से पास हों, चाहे सप्लीमेंट्री में पास हों, जो बेरोजगार शिड्यूल्ड कास्ट के नौजवान हैं जिन्होंने बी. ए. किसी भी श्रेणी में पास किया है उनको बेरोजगारी भत्ता देने की आप घोषणा करें तो मैं आपका स्वागत करूंगा। केवल द्वितीय और प्रथम

(श्री गोपाल पचेरवाल)

श्रेणी से पास होने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे तो यह केवल ऊंट के मुंह में जीरा है और आपका दिखावा है, आपका नाटक है। इसके लिये आपका 20 सूत्री कार्यक्रम नहीं है, आप मुल्क के प्रति हमदर्द नहीं हैं। मुल्क के प्रति हमदर्दी रखते हैं तो जो शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति हैं, जो गांव में रहने वाले पिछड़े वर्ग के, हरिजनों के, मेहतर के, चमार के लड़के हैं जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में बी. ए. पास कर लिया है। जब तक आप उनको नौकरी नहीं देते हैं तब तक उनको हर परिस्थिति में छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, जो विकलांग छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दिये जाने की प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बात की। यह बात सही है, सभापति महोदय, इस बार कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल पाई है इसलिये हम को पीड़ा होती है कि हमारे विभाग में हमारे लोग रहते हैं और उसके बाद भी छात्रवृत्ति नहीं मिले। हमारे मन्त्रीजी शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, उसके बाद भी छात्रवृत्ति नहीं मिले यह बहुत ही गम्भीर विषय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर आप इस काम को करें। अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स के प्रति आप हमदर्दी रखते हैं तो जिस तरह से ओल्डएज पेंशन हैं, ग्रामोत्थान का पैसा जिसे पंचायत समिति के द्वारा, जिला ट्रेजरी के द्वारा या किसी और साधन से दिलवाते हैं, इसी तरह से यह छात्रवृत्ति भी आप पंचायत समिति के माध्यम से दिलाने की व्यवस्था करें। पिछड़े वर्ग के ओल्ड ऐज पेंशन प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उनको पंचायत समिति के माध्यम से आप पेंशन दिलवाते हैं उसी तरह शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पंचायत समिति के माध्यम से दिलवाते हैं। तो उनको छात्रवृत्ति मिल सकेगी अन्यथा बड़ा संकट और दुविधा उनके सामने है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, पोषाहार कार्यक्रम पर समाज कल्याण का जो निर्णय है, उसके अनुसार पोषाहार गर्भवती महिलाओं को देते हो, उनके बच्चों को देते हो। विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में और पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में आपने इसको लागू कर रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं नगरपालिका का क्षेत्र है उसमें भी, सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, हालांकि आज हमारे बूंदी जिले में कई जगह नहीं है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें मजदूर रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं राज्य में उन जगहों पर आप निश्चित रूप से व्यापक स्तर पर पोषाहार केन्द्र चलाइये। पोषाहार कार्यक्रम को भी आप समाज कल्याण के अधीन ही रखें। लेकिन जहां नगरपालिकाएँ हैं, स्वास्थ्य विभाग हैं, पंचायत समितियां हैं इनके माध्यम से आप इस कार्यम को व्यापक स्तर पर चलायेंगे तो जो आपके पोषाहार केन्द्र की योजना है वह गांव-गांव पहुंच सकेगी और जहां आपकी मांडा योजना है वहां भी पहुंच सकेगी लेकिन कहीं उदयपुर में है तो बूंदी में नहीं है। कोटा-बूंदी में तो आपके कोटा के किशनगंज शाहबाद के कई क्षेत्र

(श्री गोपाल पचेरवाल) ·

में नहीं हैं। इसको व्यापक स्तर पर चलायें। जो आदिवासी बांसवाड़ा में रहते हैं वहां जो स्थिति है वही आपके बूंदी के किसी गरीब क्षेत्र में है, वहां भी शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की वही स्थिति है। आप दोहरीनीति मत अपनाइये। इसको व्यापक रूप से पूरे राजस्थान के 27 जिलों में लागू किया जाय। मैं समझता हूं, इसको राजनीतिक दृष्टि से मत चलाइये। राजनीति से ऊपर रहकर इसका निर्णय कीजिये। मैं चाहूंगा, आज आप घोषणा करें कि पोषाहार केन्द्र पूरे प्रदेश में पचायत, समिति, स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिकाओं के माध्यम से संचालित किये जाने चाहिये और जहां औद्योगिक क्षेत्र हैं और जहां मजदूर तबके के लोग रहते हैं वहां विशेष तौर से सचालित किये जाने चाहिये। यही, मेरा निवेदन है।

दूसरा निवेदन मैं करना चाहूंगा, आपके समाज कल्याण में जो नया पैटर्न है होस्टलों का, आज यह हमारे लिये बहुत गम्भीर विषय है। मैं नहीं जानता कि उपाध्याय जी के टाइम में हुआ या किसी और अधिकारी के टाइम में हुआ लेकिन यह एक तरह से हमको भुलावे में रखना है। मैं माननीय मन्त्री से एक सवाल करना चाहूंगा, आप छठी क्लास से लेकर आंठवीं तक पढ़ने वाले छात्र को 100 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सौ रुपये से तीन रुपये और कुछ पैसे प्रति दिन हो गये। उसमें से क्या वह खाना खायेगा, तेल लगायेगा, साबुन लगायेगा, कपड़े बनायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी का कौनसा चमत्कार है कि सौ रुपये में एक छात्र कपड़ा भी पहन लेगा, भोजन भी कर लेगा, तेल भी लगा लेगा, साबुन लगा लेगा और फिर वह शिक्षा प्राप्त कर लेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार के पास और इन्दिरा गांधी के पास कोई जादू का डंडा हो जिससे सौ रुपये में सारी व्यवस्था कर लें तो फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं है और न मुझे कोई बात कहनी है लेकिन निश्चित रूप से अगर आप यह मानते हैं कि दलित वर्ग पिछड़ा वर्ग, जो सवर्ण समाज के द्वारा मनुस्मृति के आधार पर और सवर्ण ग्रन्थों के आधार पर सामाजिक तौर पर पीड़ित रखा गया हैं, सामाजिक तौर पर उपेक्षित रखा गया है, दलित रखा गया है, शोषित रखा गया हैं उस वर्ग को निश्चित रूप से आप आगे ले जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। उनकी शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार ले लेती है तो शिक्षा उनमें चेतना पैदा करेगी, हर पिछड़े वर्ग के घर तक शिक्षा की दस्तक उनके दरवाजे पर होगी तो यहां कुछ नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यह करेंगे तो निश्चित रूप से वह स्वयं सक्षम होंगे, स्वयं अपनी प्रगति के लिये जागरूक होंगे और वह वर्ग संघर्ष के लिये भी तैयार होंगे और संघर्ष कर सकेंगे। अपने अधिकार के लिये सजग होंगे। लेकिन केवल आप 80 रुपये देकर उससे मुक्त होंगे तो यह नाटक होगा। यह उस वर्ग से केवल वोट की राजनीति करने वाली बात होगी। सौ रुपये दे दिया जाय और कहें आपके बच्चे को सौ रुपये देकर शिक्षा दे रहे हैं, आप हमको वोट दे दीजिये, वोट की राज-

(श्री गोपाल पचेरवाल)

नीति को शिक्षा से जोड़ना चाहेंगे तो फिर आपका नाटक होगा। फिर आज आप समाज के भले की बात नहीं सोच सकते। वोट की राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर, सैद्धांतिक आधार पर, संविधान की गरिमा को लेते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने की गांधी के सपने को पूरा करने की भावना आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको समाज के उस पिछड़े वर्ग की, दलित और शोषित वर्ग की सम्पूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी तभी समाज का भला होगा अन्यथा वह आपका नाटक होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप का जो पुराना पैटर्न है उसी को आप वापस लागू कीजिये कि बच्चे वहां पढ़ेंगे, किताब भी उनको वहां से मिलेगी, उसको नाश्ता मिलेगा। मुझे पता है, सभापति महोदय, 1966-67 में जब इलेक्शन थे तब हमारे यहां होस्टल खुला था, उनको नाश्ता मिलता था सुबह आठ बजे, दिन में स्पेशल डायट मिलती थी, फर्स्ट क्लास कपड़े मिलते थे, बाटा के जूते मिलते थे, सारी पुस्तकें, उनको मिलती थीं, इतनी कॉपियां मिलती थीं कि बच्चे के पास सब्जेक्ट से ज्यादा कॉपियां होती थीं। लेकिन आज वह बच्चा कॉपियों के लिए तरसता है। उसके पास किताब नहीं है, उसको नाश्ता तो नसीब होता ही नहीं है, स्पेशल डाइट के लिए कहना तो मूर्खता होगी कि मैं स्पेशल डाइट के लिए जिक्र करूं जहां सौ रुपए होंगे क्या उसकी स्पेशल डाइट होगी? मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि उनके प्रति आपका लगाव है, जिस वर्ग से आप आये हैं, उनके प्रति आपकी सहानुभूति है तो चाहे आपको आपकी सरकार में, केबिनेट में विरोध भी मोल लेना पड़े तो विरोध मोल लीजिए और इसको आप बदलिये, यही मेरा निवेदन आप से है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, सारे विभागों में रोस्टर प्रणाली की पालना नहीं की जाती है। हम कई बार, हम कई कमेटियों में दौरे पर गये, हमने हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर का दौरा किया, सभापति महोदय। हमने देखा, किसी विभाग ने शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का जो प्रमोशन रोस्टर प्रणाली के आधार पर किया जाना चाहिए, उसकी कोई, पूर्ति नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि राज करने वाला व्यक्ति भी सवर्ण, मुख्य मन्त्री जी भी सवर्ण, फिर और कोई मन्त्री सवर्ण, फिर अवर्ण की बात कौन सोचेगा? अवर्ण के बारे में सोच सकता है, वह भी यही मैम्बर, कैलाश मेघवाल, नन्दलालजी मीणा, और कोई, दुलारामजी, लेकिन मैं उम्मीद करूं सवर्ण जाति के व्यक्ति से, फिर चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का ही हो, तो मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। किसी आदमी ने जो उस वर्ग से निकला है, जिसने उस पीड़ा को देखा, उस भूख को देखा, उसकी तकलीफ को देखा, वह आदमी उस वर्ग के बारे में सोच सकता है। आप समाज कल्याण के मन्त्री हैं और आप उस वर्ग से निकले हैं, आपने उस पीड़ा को समझा है, आपने उस तकलीफ को देखा है, अगर आपने उस पीड़ा को समझा और तकलीफ को देखा, तो निश्चित रूप से आपको अपने विभाग के

(श्री गोपाल पचेरवाल)

अन्दर एक सेल बनाना पड़ेगा। सरकार से, केबिनेट से यह प्रावधान कराना पड़ेगा कि समाज कल्याण विभाग का यह सेल सारे विभागों पर नियन्त्रण रखेगा। जो विभाग का आदमी उस रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं करेगा, जो प्रमोशन में बेईमानी करेगा, पिछड़े वर्ग के प्रति, आपका समाज कल्याण विभाग का वह सेल चीफ सैक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को, आपकी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा कि समाज कल्याण विभाग में भी और अन्य विभाग में भी, चाहे वह पंचायत विभाग हो, और कोई विभाग हो, उस विभाग में यह अनियमिततायें की गयी हैं, उसको प्रमोशन नहीं दिया गया है। वह उसके लिए दण्डित होगा जो उसके लिए जिम्मेदार होगा, चाहे कलक्टर होगा, चाहे डिप्टी सैक्रेटरी होगा, उसको दण्डित किया जाना चाहिए। यदि आप में साहस है, आप करवा सकते हैं, यदि आप इस वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो आप अपनी केबिनेट में यह पास करवाइये और सरकार को यह कहिये कि इस तरह का सेल बनाया गया है समाज कल्याण विभाग में, जो प्रमोशन के काम को देखेगा, जिसका केवल मात्र एक काम होगा कि जिसका प्रमोशन ड्यू होगा, पी.एच.ई.डी. में उसको प्रमोशन दिया गया कि नहीं दिया गया, पुलिस में उसको प्रमोशन दिया गया कि नहीं, हर, एक डिपार्टमेंट में उसको प्रमोशन दिया गया है कि नहीं, यह सारे काम वह देखेगा। आप एक सेल का गठन कीजिए ताकि आपके पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रमोशन आसानी से मिल सके अन्यथा, सभापति महोदय, हमारे व्यक्ति का नाम है फस्ट नम्बर पर, आखिर में वह 36वें नम्बर पर आ जायेगा। 75 में पुलिस के यहां हुआ था कि आपकी डी.पी.सी. बैठी नहीं, पुलिस विभाग में लोगों को प्रमोशन दे दिये गये और हमारे लोग प्रमोशन से रह गये। मैंने पिछली बार सदन में पूरे आंकड़े और रेकार्ड्स रखे थे कि इस तरह हमारे लोगों के साथ ज्यादती की जाती है, हमारे लोगों को नॉन-फील्ड पोस्ट्स पर लगाया जाता है। अगर पुलिस विभाग में एस.पी. है तो किसी और डिपार्टमेंट, ट्रैफिक में लगेगा। लेकिन कोई और होगा तो वह लगेगा किसी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में और यह हुआ है। जहां जहां भी शिड्यूल्ड कास्ट के अधिकारी बैठे हैं, चाहे भरतपुर कलक्टर एन.के. वर्मा या बी.एल. मेहता रहे हों, चाहे रोहताश कुमार, एस.पी. रहे हों, जहां-जहां भी शिड्यूल्ड कास्ट के अधिकारी रहे हैं, लगे हैं पूरी रचना के साथ, प्लानिंग के साथ, सारे सवर्ण चाहे वह विधायक हों, चाहे वह अधिकारी हों, चाहे वह राजनेता हों, पूरे तरीके से व्यूह रचना के साथ शिड्यूल्ड कास्ट के साथ सलूक करते हैं और यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के अधिकारी काम नहीं करते। यह गलत है कि सिर्फ उसी वर्ग के अधिकारी काम करते हैं। मैं चाहता हूं, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जो सवर्ण अधिकारी हैं, जिनके पास राजनीति है, पैसा है, राजनीतिक एप्रोच है वह लोग आज भी काम नहीं करते हैं, वह ज्यादा काम करते हैं जो गरीब तबके से निकलते हैं। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, आप की सरकार में बैठकर, जितने आई.ए.एस. ऑफिसर, जितने हमारे आर.एस.एस.

(श्री गोपाल पचेरवाल)

ऑफिसर, आई.पी.एस., और लोग हैं, उनको लगाइये डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर, जो आपकी पॉलिसी है, जो आपकी स्कीम है, तभी वह प्रभावी तरीके से काम कर पायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको, इस तरह आप एक सेल का गठन कीजिए।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी माननीय मीणा साहब ने जिक्र किया था महिला सुपरवाइजर का। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है, उनके पास शिकायत हो, किसी अधिकारी ने, मन्त्री ने पैसे खाये हों, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, उनकी जानकारी के लिए। 77 में हमारा, जनता पार्टी का राज था, 77 की विधानसभा में बजट पर समाज कल्याण की डिमाण्ड्स पर मैंने एक बात बोली थी, चाहे आप देख सकते हैं, रेकार्ड की बात है। राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में सरकार को एक काम करना चाहिए और वह यह करना चाहिए कि समाज कल्याण में चपरासी से लेकर समाज कल्याण के मन्त्री तक शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति होना चाहिए और आज, शिड्यूल्ड कास्ट का डायरेक्टर और शिड्यूल्ड कास्ट का मन्त्री होने की वजह से केवल समाज कल्याण विभाग में 62 शिड्यूल्ड कास्ट की लड़कियों को रोजगार दिया गया है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, यह भी डायरेक्शन हैं मन्त्री की, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है लेकिन, पहली बार यह सरकार है राजस्थान की, जहां शिड्यूल्ड कास्ट की सीधी भर्ती की गयी है। आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया। बहुत बड़ा काम आपका जब होगा, जब आपका विरोध भी होगा, आप पर आरोप भी लगेंगे लेकिन जिन महिलाओं को भर्ती किया है आपने समाज कल्याण विभाग के अन्दर महिला सुपरवाजर के पद पर, मैं चाहता हूं उनको सी.डी.पी.ओ. के पद पर आप सीधा प्रमोशन दीजिए आप यह जरूर करिये, आप उनको प्रमोशन दीजिए, जिन लड़कियों की आपने नियुक्ति की है····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

····वरना आप चले जायेंगे, शिड्यूल्ड कास्ट का इस विभाग पर वर्चस्व नहीं रहेगा। मेरी मान्यता है कि कोई भी सरकार हो, आपकी सरकार चली जायेगी, दूसरी सरकार आयेगी, आप मन्त्री होंगे या नहीं होंगे, कोई दूसरा मन्त्री होगा, लेकिन जिस तरह से आज नियुक्तियां दी गयी हैं, उन लड़कियों को प्रमोशन मिलने वाला नहीं है। आप करवाइये सरकार में बैठकर, कि समाज कल्याण विभाग में जिन महिलाओं को, जो शिड्यूल्ड कास्ट की हैं, जो योग्यताएँ रखती हैं उन लड़कियों को सी डी.पी.ओ. के पदों पर आप प्रमोशन दीजिए और उन अच्छी पोस्ट्स पर आप उनको लाकर रखिये तो, आपकी जो नीति है, पोषाहार कार्यक्रम में आंगनबाडी योजना है, उसको प्रभावी तौर से लागू किया जा सकेगा।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, माड़ा योजना के अन्दर, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मांडा योजना श्रीमान, मेरे क्षेत्र में गोचर के लिए कुछ कुए के निर्माण की मंजूरी हुई। आपकी सरकार कितनी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

शीतलता से चल रही है, कितनी शीतलता से चल रही है, मैं यह नहीं कहता, बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन प्रवृतियों में कितना अन्तर है। 80-81 के अन्दर जावों पेयजल योजना के अन्दर रोज हंगामा हुआ है कि पिछड़े को, दलित को, हर गांव को, व्यक्ति को पेयजल योजना लागू करने की बात की जा रही थी कि हम सबको पेयजल उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। आपने राजस्थान में माडा योजना के अन्तर्गत केशोरायपाटन में 80-81 में 11 कुओं के निर्माण की स्वीकृति दी। मैं पूछना चाहता हू आप पूछें अपने अधिकारियों से कि कितने कुएं पूरे हुए। 80-81 की सरकार की टर्म पूरी होने जा रही है। सभापति महोदय, दो कुए पूर्ण हुए 80-81 में। फिर आपके 80-81 में किए 7, उनमें से 2। तो, सभापति महोदय, आप जो पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है, जिलाधिकारी आपकी सुनते नहीं हैं, वह करते नहीं हैं। तो, या तो आप पैसा देना बन्द कर दीजिए। अगर आपने किसी चीज के लिए स्वीकृत किया है, पानी जैसी चीज के लिए आपके अधिकारी गड़बड़ करें, उसमें पैसा नहीं दें तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? इस गांव के लोगों को, पिछड़े वर्ग को, एस.सी., एस.टी. के लोगों को ये लोग पानी नहीं पिला सकते हैं तो हम क्या दे पायेंगे उनको? तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, सरकार से, कि बून्दी जिले के अन्दर मांडा योजना के अन्तर्गत जो स्कूल मंजूर हुए हैं, पानी के लिए जो कुए मंजूर हुए हैं उन सारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर निर्देश दें अधिकारियों को कि ऐसी योजनाओं में बदमाशी नहीं करें और लागू करें। . . .

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सभापति महोदय, आपके यहां से समाज कल्याण विभाग से पैसा मंजूर किया जाता है नल और बिजली के लिए। उसमें क्या होता है, सभापति महोदय, हम जैसे जन प्रतिनिधि, नगरपालिका के चेयरमैन हैं, वार्ड मेम्बर हैं, वह बदमाशी करते हैं। क्या करते हैं कि हमको तो वोट की राजनीति करनी होती है। किसी वार्ड नम्बर 5 में हरिजन रहते हैं और 5 नम्बर की हरिजन बस्ती के नाम से नल-बिजली का पैसा स्वीकृत कराया। अब, उस समय बिजली वार्ड नं० 5 के करीब है, नल की पाइप लाइन भी आपके वार्ड नं 5 के करीब है। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं कि वार्ड नं. 3 में जो लाइन आई, क्योंकि वार्ड नं. 3 से 4-5 का जो गैप है सवर्ण बस्तियों को, उसको हम पूरा करेंगे। हमारे पैसे का दुरुपयोग करेंगे सवर्ण बस्तियों के नाम पर। तो, मन्त्री महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा, मैं पिछली बार भी आपकी जानकारी में लाया था कि मेरे ही क्षत्र काकारण में कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन ने शिड्यूल्ड कास्ट के नाम पर स्वीकृत पैसा, पाइप लाइन के नाम पर वार्ड नम्बर 2 से लाकर तीसरे-चौथे में बसा दिये और अपने वार्ड में ले गये और जो मन्शा आपकी पैसा देने की थी, या सरकार की मन्शा थी कि शिड्यूल्ड कास्ट के वार्ड में पाइप लाइन डाली जाय, वह आधे में रह गयी। 500 या 200 फीट का जो आपने पैसा दिया, सवर्ण बस्तियों

(श्री गोपाल पचेरवाल)

में लाये और सवर्ण बस्ती के कोने तक पहुँचा दिया।

श्री पीरूराम (टीवी) : माननीय सदस्य, आपके सवर्ण क्लास का है क्या चेयरमैन वहां जो भेदभाव बरत रहा है ? जैसा आप बता रहे हैं, वह सवर्ण क्लास का तो नहीं है ? वह भी तो शिड्यूल्ड कास्ट का है, वह भी शिड्यूल्ड कास्ट की पीड़ा को पूरी तरह समझता है।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कि वह शिड्यूल्ड कास्ट का चेयरमैन मेरे समर्थन से बना है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, काकरण के चेयरमैन के सम्बन्ध में। आपके समझ में नहीं आये तो मैं क्या करूं ? मैंने काकरण नगरपालिका का उल्लेख किया है और जो चेयरमैन है वह आपका नहीं है....

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी के समर्थन से बना है, आपका नहीं है। इस होश में मत रहिए। वह तो विरोधी पक्ष के समर्थन का चेयरमैन है।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो पैसे का दुरुपयोग कर रहा था नगरपालिका का चेयरमैन, उसको रोकने के लिए आप उस पर नियंत्रण कीजिए और जो समाज कल्याण विभाग द्वारा नल-बिजली का पैसा जो हरिजन बस्तियों के विकास के लिए, नल-बिजली के लिए दिया जाता है वह उन बस्तियों में प्रयोग किया जाना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है और जो पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है इन बस्तियों के नाम पर, उसको रोका जाना चाहिए। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री गोविन्द आमलिया।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 पर बहस चल रही है, मैं अपने आपको मांग संख्या 30 और 33 की इस बहस में शरीक होते हुये जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वैसे इस विभाग को कुछ वक्त तक मुझे भी देखने का अवसर मिला और मैं जो समझ पाया हूं वह यह है कि वास्तव में इस विभाग की एग्जिस्टेन्स ही नहीं है और उसकी उपयोगिता भी नहीं है। इसलिये नहीं है कि जिस समय यह सोचा गया था कि इस विभाग के द्वारा जन जाति के लोगों की और खासकर के आदिवासी इलाकों का एक समुचित ढंग से विकास होगा, वहां के लोगों का अन्य लोगों द्वारा जो शोषण किया जाता है उससे बचाया जायेगा। उस तरह की भावना से यह विभाग सन् 1975 में खोला गया था। आज अगर हम गौर से देखें तो इस विभाग के पास इसका कार्य 10 प्रतिशत के बरवर भी नहीं है और वह इस लिये कि इस विभाग का नाम जन जाति

(श्री गोविन्द आमलिया)

क्षेत्रीय विकास विभाग रखा है अर्थात् 23 पंचायतें जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला पूरा, 7 तहसीलें उदयपुर की और एक तहसील सिरोही की और एक तहसील चित्तौड़ की जिसकी कुल आबादी 18 लाख और कुछ है, इसमें से 66 प्रतिशत लोग जन जाति के हैं और इसका जो उद्देश्य है वह जन जाति के लोगों को व्यक्तिगत लाभ के हिसाब से या व्यक्तिगत फायदा नहीं पहुंचाने के हिसाब से नहीं होकर क्षेत्रीय विकास के नाम से यह विभाग चल रहा है। क्षेत्रीय विकास में चाहे माही बजाज हो, चाहे धरियावद का डेम हो, नदी का बान्ध हो या कोई भी बड़े बड़े बान्ध हैं, स्कीम्स हैं उस पर सारी धनराशि खर्च की जा रही है और यह भी निश्चित नहीं है कि इन बान्धों के नीचे आदिवासियों की जमीन कितनी है, कौन से लोगों को लाभान्वित किया जायेगा, कौन इसका फायदा उठायेंगे? इस बात की किसी भी तरह से योजना नहीं है।

मैं इस बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि माही बजाज के नीचे आज जो सिंचाई की या नहरों की शुरूआत हो गई है, पानी आना शुरू हुआ है तो ऐसा सुना जा रहा है, निश्चित, बिल्कुल साफ है इस इलाके के अन्दर जो सिंचाई क्षेत्र होगा उसमें न केवल सवर्णों के, न केवल बांसवाड़ा और बाहर के लोगों के परन्तु गंगानगर और बाहर के जो बड़े बड़े किसान वहां जाकर के जमीन खरीदने लगे हैं और उसका इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। इस तरह से अगर यह हालत रही तो मेरा जहां तक ख्याल है है 1975 से लेकर आज तक जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग का यह कार्य शुरू हुआ है वह किसी तरह से उपयोगी प्रतीत नहीं होता है।

इसी तरह से आप अगर आदिवासियों को सीधा लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जो कार्य हाथ में लेने की बात इसमें रखी है इसको देखें, तो कुल मिलाकर के 10 प्रतिशत के करीब यह राशि आदिवासियों को सीधा लाभ पहुंचाने की दृष्टि से है। जिस पर विभाग के आयुक्त, विभाग के उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त जो भी हैं उन अधिकारियों के हाथ में केवल यह 10 प्रतिशत राशि ही है जो हैण्डिल करनी होती है। क्योंकि जब मैं यह कहता हूं कि इस विभाग की उपयोगिता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अगर आज इस विभाग के पास 55 करोड़ स्टेट प्लान का और 5 करोड़ 51 लाख रुपया इसमें रखा है, तो हार्डली उसमें 5 करोड़ रुपया भी आदिवासियों को सीधा लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उस पर खर्च होने वाला नहीं है। इसके साथ इस विभाग के अधिकारी या इस विभाग में न केवल इसके अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त हैं परन्तु सभी अधिकारी कमिश्नर से लेकर नीचे के जितने भी अधिकारी होते हैं वह सभी डेपुटेशन पर होते हैं, प्रतिनियुक्ति पर होते हैं और उनकी इन आदिवासियों के विकास के सिलसिले में न उनकी किसी तरह से रुचि होती है, न उनके विषय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जैसा उनके विकास की बात कही गई है उस तरह से लगन भी उनकी नहीं होती है। ऐसी सूरत में वह किसी तरह से इनको कार्य भी ढंग से नहीं संभाल पाते हैं और इस दौरान

(श्री गोविन्द ग्रामलिया)

अधिकारियों के स्थानान्तरण भी होते हैं और स्थानान्तरण के साथ ही वह किसी तरह से इस मक्सद को हासिल करने में सफल भी नहीं होते हैं। वैसे इसके साथ जितनी बड़ी बड़ी योजनाओं और उस पर खर्च होता है, इसके अलावा बहुत बड़ी राशि इसके अधिकारियों के आफिसेज, उनके वाहनों और अन्य प्रकार के खर्चों में सारी खर्च होती है, तो कुल मिलाकर के आदिवासी इलाके में जन जाति क्षेत्रीय विकास महकमें के कार्य की उपयोगिता जो समझ रहे थे वह तो किसी तरह से कारगर समझ में नहीं आती है।

लेकिन इसके साथ ही 1-2 संस्थायें और हैं, जैसे माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर यह एक और सरकार का बल्कि सरकार के खजाने पर जबर्दस्त कुठाराघात या उसका दुरुपयोग होता नजर आता है। वह इसलिये कि यह संस्था सन् 1964 में, उस समय जब आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिये और जितना विकास हुआ है उसके शोध के लिए किसी तरह से उपयोगी समझी गई होगी लेकिन वह न केवल आज एक सफेद हाथी की तरह से इस सरकार पर खर्चीली होती जा रही है और रखी हुई है, परन्तु इस संस्थान के द्वारा जो पूर्व में केवल प्रिन्सिपल्स और कुछ लेक्चरर्स, रिसर्च असिस्टेन्ट इस तरह के पद थे, उनकी दिन पर दिन उपयोगिता, उनकी आवश्यकता कम होती जा रही है। ऐसे वक्त में और इन पदों की अधिक से अधिक बढ़ोतरी करके और सरकार के खजाने पर ज्यादा से ज्यादा भार डाला जा रहा है। क्योंकि यह कहें कि इस संस्थान के द्वारा आदिवासियों के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास जैसी बात के लिये अब तक कितना कार्य हुआ है, उसके मूल्यांकन के लिये इसको अगर माना जाता है तो क्या किसी महकमे के और दूसरे विभागों के अन्दर काम करने वाले लोग क्या अपने आपका या उनके दूसरे महकमों के द्वारा किये हुये कार्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं ? इसके अन्दर बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के पद हैं।

(5.39 म. प.)

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सभापति, पदासीन)

वैसे आज निदेशक का पद रिक्त है अतिरिक्त निदेशक का भरा हुआ है, दो उप निदेशक और उसी तरह से 2 उप निदेशका समाज कल्याण से प्रतिनियुक्ति पर हैं, 3-4 व्याख्याता कालेज शिक्षा योग संग्रहीलय के लिये एक पद जो से प्रति नियुक्ति पर है, इसी तरह से प्रमुख साखा सांस्कृतिक किसी अधिकारी का है वह भी रिक्त पड़ा हुआ है तो कई ऐसे पद हैं, जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और एक ही अधिकारी जो अतिरिक्त निदेशक हैं उसी पद पर लम्बे समय से प्रिन्सिपल के पद से चले आ रहे हैं, शायद प्रमोट होकर के हैं तो इस तरह से इसके अन्दर आज कम से कम जो 14 लाख, 15 लाख का खर्चा इस माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा हमारे खजाने पर जबर्दस्त वजन डाला जा रहा है। मेरी राय में इस महकमे की, इस संस्थान की वास्तव में इस समय तक कोई उप-

(श्री गोविन्द आमलिया)

योगिता नहीं रही। इसलिये इसके लिये अगर उसकी उपयोगिता को बढ़ाना है या उसको कुछ कारगर ढंग से काम करें तो निश्चित तौर से कुछ उनके कार्यों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिये। उनके भी कुछ लक्ष्य निर्धारित करके देना चाहिये अन्यथा छोटे-छोटे कुछ मामूली शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा कार्य करके इतना बड़ा इस महकमे पर वजन डालें तो यह भी उचित नहीं रह जाता है। वैसे माननीय सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम, जिसके लिए अभी माननीय देवेन्द्रकुमारजी ने काफी बातें कहीं, का वास्तव में उद्देश्य था कि आदिवासियों को सस्ते और उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुए उपलब्ध कराई जायं। दूसरे महाजन और शोषणकर्ता लोग होते हैं, जो व्यापार का कार्य करने में लगे हुए हैं उनसे इनको मुक्ति दिलाने सम्बन्धी उनका उद्देश्य था लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति यह है कि आज सारे जितने लैम्ब और पेक्स में कार्यकर्ता हैं वह मैनेजर और उनके कर्मचारी एक तरह बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते है, उनको बाकायदा सरकारी महकमों की तरह कानून, कायदे और समय के अनुसार कार्य करने की आदत होती है। हालांकि समय जैसा हर एक आफिस का होता है उसी तरह से लेम्स एण्ड पेक्स की दूकानें खोली और उसी तरह से समय के अनुसार काम करते हैं। आज गांव के बाहर के आदिवासी आते हैं, दूसरे लोग आते हैं वह अपना समय निकालकर आते हैं लेकिन उसके द्वारा उनकी जो उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिये वह नहीं होती। बल्कि स्थिति यह है, जैसा मैं निवेदन करूं, लाइफ ब्वाय साबुन की जो कीमत है वह अगर शहर में दो रुपये में मिलती है तो वह गांव में दो से ढाई तक मिलती है। इस तरह से जो पास की आर्डिनरी एक दुकान है उसमें और इसमें भी इतना फर्क है। मेरा जहां तक ख्याल है जिस भाषा में उन्होंने कहा, उस तरह से नहीं कह करके यह कहते, जैसे एक ऑफिसियल और उनका सरकारी तरीका है कि ऊपर से खरीदते वक्त भी कमीशन लेने-देने की बात होती है, और माल का रख रखाव होता है उसके आधार पर उसकी कीमत बढ़ करके इस तरह से हो जाती है कि उस क्षेत्र में आदिवासियों के लिए किसी भी प्रकार उसकी उपयोगिता नहीं लगती। इसी तरह से वहां पर नियन्त्रित वस्तुओं और खाद बीज अवेलेबल कराने का उद्देश्य है उसमें भी एक तरफ से जगह-जगह पर आदेश लेना होता है, आदेश लेने के संस्थान में भी कभी कोई क्लर्क छुट्टी में चला गया होता है, कभी क्या होता है, तो ऐसी सुरत में जब जिस समय फसल की आवश्यकता होती है, किसान को जरूरत होती है, अगर वह उस लेम्प की दूकान पर पहुंचता है तो मैनेजर साहब छुट्टी पर चले गये होते है। ऐसी सूरत में लैम्प एण्ड पैक्स की जो वास्तव में उपयोगिता थी जो वहां के लोगों की आवश्यताओं की पूर्ति करने की जरूरत थी, वह उस तरह से नहीं हो पा रही है। वैसे आदिवासियों के इलाके, जहां पर सामाजिक और अन्य प्रकार के कार्य हैं, आदिवासियों की मदद करने के लिए एक तरह से ढाई सौ या उससे ज्यादा उनके जो खर्च होते हैं उसमें उनकी जोनिंग करने की और मदद करने की एक तरह से आवश्यकता महसूस

(श्री गोविन्द आमलिया)

करते हुए पहले यह प्रावधान रखा था। प्रावधान आज भी है लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है। 1974–75 के आस पास कुछ शुरू शुरू में आदिवासियों को सामाजिक रीति रिवाज या किसी मुसीबत के समय में मदद ढाई सौ रुपये तक की होती थी, लेकिन इसके बाद किसी भी तरह का उन लोगों को फायदा दे करके उन लोगों की सेवा नहीं की जा रही है। मेरा जहां तक ख्याल है, इस विकास निगम का जो शुरू से बोर्ड बना था उस बोर्ड के बाद में आज तक किसी भी तरह बोर्ड का विधिवत न तो चुनाव हुआ और न किसी भी तरह जो बोर्ड का पूर्ण रूप से गठन होना चाहिये, उस तरह से भी नहीं है। मैं जानता हूं, सभापति महोदय, 13 या 14 आई. ए. एस. ऑफिसर उसके मेम्बर है और जनजाति विकास विभाग के कमिश्नर उस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इस तरह से सारे ही आई. ए. एस. ऑफिसर और दूसरे बड़े अधिकारी इसके सदस्य हैं उसमें जन प्रतिनिधि पहले जो चयनित किये गये थे वह तो हटा ही दिये गये थे। कम से कम मेरा जहां तक ख्याल है, जनता पार्टी के टाइम से आज तक कभी भी कोई भी जन प्रतिनिधि इसके अन्दर चयनित नहीं किया गया है। यह अधिकारी ही अपने आप जो तय करते हैं वह उस क्षेत्र के लिए, उस इलाके के लिए उनका एक तरह से निर्णय होता है, उसमें जन प्रतिनिधि का किसी भी तरह से इन्वाल्वमेन्ट नहीं होता। मेरा यह माननीय मन्त्री महोदय और सरकार से निवेदन था कि आज उस इलाके के लोगों की आदिवासी जनजाति के लोगों की अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको जल्दी ही इस सहकारी विकास निगम अन्दर जन प्रतिनिधियों को नीचे से लेकर के के ऊपर हर स्तर पर चुनाव करा करके शरीक करना चाहिये। जहां चुनाव नहीं हो तो जैसे कि लैम्प एण्ड पैक्स में आपने जिस तरह से नोमिनेट किये हैं, उसी तरह से नोमिनेट करके राज्य स्तर के निगम में तुरन्त उनको नियुक्त करना चाहिये। इसी तरह से सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

समाज कल्याण के लिये खास करके हम लोग छात्रावासों से ज्यादा सम्बन्धित हैं। हमारे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर शुरू से बहुत काफी संस्थायें प्राइवेट संस्थायें छात्रावास चलाती थीं। पूर्व में कई हमारे क्षेत्र के कई समाज सेवी लोग अच्छे उद्देश्य से यह छात्रावास चलाते थे। पिछले साल खास करके जो प्राइवेट संस्थायें जो छात्रावास चलाती उसमें बहुत बड़े परिवर्तन किये। उस परिवर्तन के द्वारा ट्राइबल एरिया में एजूकेशन को काफी सैटबैक मिला है। सैटबैट इस मायने में मिला है, जैसे यह नियम बनाये कि जो छात्रावास आज तक प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा चलते थे उसका जो वार्डन होता था उसको आज की तारीख में असिस्टेन्ट वार्डन की तरह की एक पोस्ट कायम करके या असिस्टेन्ट वार्डन माना है और उसका चीफ वार्डन किसी भी एजुकेशन इन्स्ट्रीयूशन, चाहे सैकण्डरी हो, हायर सैकण्डर हो, के हैड को माना है। तो उसका जो सुपरविजन है वह उनके द्वारा होता है और

(श्री गोविन्द आमंलिया)

फाइनेन्स पंचायत सीमितियों के हाथ में होता है इसके अलावा जो खर्चा करने, सामान लाने आदि की व्यवस्था करनी हैं, वह लडकों के द्वारा की जाती है। जैसा अभी माननीय सदस्य श्री नन्दलाल जी कह रहे थे कि आज स्थिति यह है कि ट्राइबल लड़के जो किसी भी तरह इण्टलिजेण्ट समझे जाते, हैं मेस कमेटी में रखे जाने लगे। मेस कमेटी में वजन उनके ऊपर डाला जाने लगा। हर योजना कुछ ढंग के लड़कों के लिए आती है. उनके ऊपर यह मेस का वजन डालने से न केवल वह आज पास नहीं हो रहे हैं बल्कि स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। इस तरह से साल भर के बीच में उनको छात्रावास छोड़कर चले जाना पड़ता है। इसके साथ ही, सभापति महोदय, जो पंचायत समिति का हाल है वह आपके ध्यान में है ही क्योंकि जो फाइनेन्स का सवाल आता है, पैसा देने का सवाल है वहां तो समिति के अध्यक्ष को होता है। अध्यक्ष विकास अधिकारी जी को देता है और कहीं कुछ काम करना होता है तो उस सूरत में छात्रावास को चलाने के लिये उनके पास पैसा ले जाना पड़ता है। इस तरह उनकी गतिविधियों में परेशानी होती है और किसी विद्यार्थी को कुछ फायदा नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से उन्हें परेशानी में डालते हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं के द्वारा स्वच्छ और अच्छी तरह के वातावरण में बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्य किये जा रहे थे उनसे आज काफी परेशानी में डाला जा रहा है। छात्रावासों के नियम बनाये उसके द्वारा एक तरह से काफी परेशानी हो रही है। समाज कल्याण विभाग को चाहिये कि इसके बारे में निर्णय लेवें।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में मैं पहले यह निवेदन करना चाहूंगा, पता नहीं माननीय समाज कल्याण मन्त्री महोदय, इन्ट्रेस्ट ले रहे हैं या नहीं, डूंगरपुर जिले में स्थिति यह है कि 5 आई. सी. डी. एस. ब्लाक्स हैं और एक, समाज कल्याण अधिकारी का पद है, 6 अधिकारी गजेटेड आफिसर्स हैं जिनका यह जिम्मा होता है। उस जगह पर आज स्थिति यह है कि न तो समाज कल्याण अधिकारी है वहां पर और केवल 5 में से एक ही ब्लाक का अधिकारी वहां पर तैनात है। हमने बार-बार लिखा, उनसे कहा भी कि वहां चार जगह पर चार अधिकारियों के पद खाली हैं। समाज कल्याण अधिकारी का अलग पद रिक्त है, उन पोस्टों पर जल्दी से जल्दी आप नियुक्ति करें या कहीं से भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है तो करें। लेकिन इस बारे में आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई और स्थिति यह है कि एक ही अधिकारी, जिनके पास 6-6 गाड़ियां हैं और पता नहीं वह किस तरह से पूरे जिले को कवर करते हैं और किस तरह से जो हमारे पोषाहार के कार्यक्रम हैं और जो भी अन्य कार्यक्रम उनको दिये हैं, उनकी पूर्ति करते हैं?

इस तरह से समाज कल्याण विभाग में एक बात खासकर के और निवेदन करने की है सभापति महोदय, जैसे अभी माननीय सदस्य कुछ नियुक्तियों की चर्चा कर रहे थे,

(श्री गोविन्द आमलिया)

समाज कल्याण विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के और कुछ वार्डन के लिये, हॉस्पिटल सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिये यहां पर नियुक्तियां की जा रही थीं। डूंगरपुर जिला साढ़े पांच सौ किलो मीटर है जयपुर से, शहर से दूर डूंगरपुर जिला आता है और उसके लिये 200 किलो मीटर दूर अपने गांव में बसा हुआ आदमी जिसको शहर में आने के लिये भी पैसा, डूंगरपुर तक आने के लिये पैसा नहीं मिले उस व्यक्ति को चतुर्थ श्रेणी का इन्टरव्यू अटेन्ड करने के लिये जयपुर आना पड़ता है। पता नहीं किस दृष्टि से उसको रखा गया था लेकिन मैं अपने दिमाग से यह मानता हूं कि चाहे कोई भी इसके अन्दर उनका इन्टेनशन हो लेकिन किसी दृष्टि से यह ठीक नहीं है। यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के लिये आज मेरे गांव रास्तापास कम से कम 600-700 किलो मीटर दूर से आकर के कोई भी बच्चा भर्ती हो तो ऐसे उनको किस तरह से कोई हमने आदेश दिये हैं, कोई नियम बनाये हैं तो निश्चित तौर से उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये, और समाज कल्याण का जिस तरह से मकसद है उसी तरह से कार्य हाथ में लेना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, आज जनजाति क्षेत्रीय विकास और समाज कल्याण दो मांगों पर बहस जारी है। इससे आपको अहसास हो ही गया कि आज अनुसूचित जनजाति और समाज कल्याण दोनों ही विभाग अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्बन्धित हैं। इसलिये आज सदन में जिस तरह के लोग और मन्त्री रुचि ले रहे हैं वह आपके सामने हैं।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की तरफ माननीय मन्त्री महोदय और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा माननीय भूतपूर्व उपमन्त्री जी ने कहा कि इस विभाग की उपयोगिता नहीं है, नाममात्र का है, हकीकत यह है, सभापति महोदय, कि इस विभाग के जो उद्देश्य थे वह उद्देश्यों से कहीं दूर है। मैं तो यह कहना चाहता हू कि इस विभाग का निर्माण इसलिये किया गया, इसलिए खोला गया कि इनके भाई-भतीजों को एकत्रित करके उनको नौकरी दी जाय। जो जहां भी बैठा है उनको वहां लाकर थोपा जाय और आदिवासियों के नाम पर जो पैसा आता है उसका मिसयूज किया जाय।

मैं तो यह समझता हू, माननीय सभापति महोदय, कि आज ट्राइबल सबप्लान, प्लान जो बनाया गया और जिसके पैसे से यह डिपार्टमेंट खोला गया—उसका मतलब होता है कि जिस इलाके में आदिवासी रहता है उसकी स्थिति को जाना जाय, वहां की परिस्थितियों को समझा जाय, वहां की लोकल स्थिति को समझा जाय। लेकिन, सभापति महोदय, होता क्या है कि उसके विकास के जो प्लान बनते हैं वह आलीशान शीशमहल के अन्दर, पखों

(श्री मेघराज तावड़)

के नीचे बैठकर के आइडिया बनाया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हू कि क्या यहां के कमिश्नर, क्या यहां के मन्त्री जो अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वहां पर अपनी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं क्या कभी घोड़े और ऊंट पर बैठकर इन्टीरियर इलाके में गये ताकि उनको पता लगे, माननीय सभापति महोदय, कि वास्तव में वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं और हम किस तरह की योजनायें लागू करना चाहते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं। यही नहीं केवल इस विभाग के नाम पर जो एरिया विकास के नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है उसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है, उस इलाके को नहीं मिल रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हू, आज 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम पर जहां आदिवासी और हरिजनों के मुहल्ले में हैन्ड पम्प सबसे पहले लगाये जाने चाहिए, वहां नहीं खुद रहे हैं। हैण्ड पम्प वहां खुदेगा जहां प्रभावशाली सरपंच, प्रधान या अन्य लोग रहते हैं। आदिवासी जो पहाड़ी पर रहते हैं वहां हैण्ड पम्प नहीं खोदे जा रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस विभाग में वास्तव में काम करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से यह खोला गया है, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो, सभापति महोदय, उस इलाके में जाना पड़ेगा और वहां ऐसे लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा जो वहां रहते हों, आदिवासी संस्कृति भाषा को समझते हों। जिनका आदिवासियों से सम्पर्क हो, ऐसे लोगों को वहां लगाना पड़ेगा। मुझे इस बात को कहते हुए अफसोस है कि गये साल हमने ऐसे आदमी का नाम लिया जो वास्तव में आदिवासियों के लिए कुछ काम करना चाहता था, वह आर.ए.एस. अधिकारी था। हमने कहा कि ऐसे आदमी को लगाओ जो आदिवासी इलाके में ठीक काम करे, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, कमिश्नर हो, जो वास्तव में उनसे हमदर्दी रखता हो, जो उस इलाके को समझता हो, वहां कुछ काम करना चाहता हो, जिसकी रुचि हो। सभापति महोदय, सात-सात आदिवासी विधायक जाकर मुख्य मन्त्री जी से मिले लेकिन उन्होंने यही कहा कि हम इस बारे में सोचेंगे। उधर से जितने भी आदिवासी विधायक चुनकर आते हैं उनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं, बोल नहीं सकते। आज वह यहां होते तो हमसे ज्यादा बोलते, लेकिन × × × अपनी बात ठीक से नहीं कह सकते। मैं कहना चाहता हूं आदिवासी और सुरक्षित सीटों के कारण ही आप हिन्दुस्तान और राजस्थान पर राज कर रहे हो। लेकिन आपको देख लिया कि राजस्थान के और हिन्दुस्तान के सारे आदिवासी लोग कितने सजग हैं, कितनी उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, कितना उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यहां 54 विधायक हैं जो हरिजन और आदिवासी हैं, और टोटल आदिवासी इलाका है जैसे

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गोविन्द आमलिया)

उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा लेकिन इन इलाकों में से केवल दो मन्त्री हैं, वह भी उप मन्त्री। एक को तो निकाल दिया और घर वापस भेज दिया, एक को आपने अपने पास लगा रखा है। डिप्टी मन्त्री पूरे आदिवासी इलाके से उदयपुर डिवीजन से है, लेकिन पावरलैस् है, पहले माननीय मन्त्रीजी कह रहे थे, इनके पास विभाग था क्या कर लिया इन्होंने। आज गोपाल पचेरवाल कह रहे थे कि हरिजन मन्त्री है, इसलिए यह कहते हैं। सभापति महोदय, आदिवासी, हरिजन मन्त्री होने से कोई काम नहीं कर सकता। आपकी नीति पूंजीवादी व्यवस्था की है। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर जहां इन्दिरा गान्धी जो कहेंगी जिस तरह चाहेंगी वह स्थिति लागू होगी। बाकी आपकी कोई स्थिति लागू नहीं हो सकती।

मैं कहना चाहता हूं कि आज उस इलाके के मन्त्री की, वहां की स्थिति समझने वाले मन्त्री की हालत खस्ता है। मिनिस्टर वह हो जो आदिवासी इलाके का हो पहाड़ी इलाके का होना चाहिए, जो वास्तव में कुछ काम कर सकता है, लेकिन उनको यह क्षेत्रीय विकास विभाग नहीं दिया जाता है। यह हमारा विकास नहीं चाहते हैं। आज मुझे अफसोस है इस बात का कि उदयपुर जिले में एक मीटिंग हुई थी उसमें मन्त्री महोदय वहां बैठे थे, जब पैसा खर्च नहीं हुआ वाली बात लोग बता रहे थे तो मन्त्री ने धीमे से कहा कि हम तीन ही विधायक विरोधी दल के वहां पर हैं, उन्होंने धीरे से कहा कि भई पैसा खर्च नहीं हुआ तो कोई बात नहीं हमको तो वोटों की तरफ से पैसा खर्च हो, इतना हमारा स्वार्थ है, यह पूरा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं अगर राजनीतिक आधार पर, वोटों के आधार पर एस.सी., एस.टी. की बात करते हैं तो छोड़ दीजिए। इनका नाम लेना छोड़ दीजिए सभापति महोदय, मुझे अफसोस है इस बात का कि जहां

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

थोड़ासा मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे समय देंगे।

जहां भर्ती होती है आज उस विभाग में जितने लोग हैं, आप पता लगा लीजिए कि वास्तव में आदिवासी और हरिजन लोग कितने हैं। वहां के कितने लोग गांवों में जाते हैं और वहां जाकर समझाते हैं। आज प्रचार-प्रसार का माध्यम क्या है, बता दीजिए सामने बैठे हैं, गैलरी में आपके अधिकारी बैठे हैं आपका कौनसा माध्यम है। मैं कहना चाहता हूं सत्ता पक्ष मे बैठे हुए माननीय सदस्य हैं उनको भी पूरा पता नहीं होगा, उनको यह मालूम नहीं है कि कौन-कौन से अधिकारी, कौन-कौनसी चीजें इनको दी गई है, कौन-कौनसी स्कीमें लागू हो गई हैं, कौन-कौनसी बनाई गई हैं। वहां बैठे हुए सदस्यों को पूरा पता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हू कि वास्तव आदिवासियों के लिए भला करने की बात करते हैं तो आपका प्रचार का माध्यम क्या है ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : सभापति महोदय, तावड़ साहब बोल रहे हैं, उन्होंने

(श्री छोगाराम बकोलिया)

54 विधायक एस. सी. और एस. टी. के बताये हैं। मेरे ख्याल से 57 हैं। जब आपको विधायकों की संख्या पूरी पता नहीं तो आपको अधिकारियों के बारे में क्या पता है?

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विराजिये। तावड़ साहब का समय जा रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या-क्या कार्यक्रम हैं, आपको मालूम नहीं।

श्री नन्दलाल मीणा : 58 हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : यह पता तो है मंत्री जी तो नींद से उठकर बोलने लग गये। उनको पूरा ख्याल नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारियों के पास, आपके पास उतना मसाला नहीं है जितना हमारे पास है, आपका राज होते हुए भी नहीं हो सकता आपके पास।

मेरा निवेदन यह था कि आदिवासियों को इस विभाग में लगाया जाये। यह सूद खोर लोग जिस तरह से पैसे का मिसयूज करते हैं, जो डंडी मारने वाले हैं तागडी मारने वाले हैं, अधिकारी बन गये, आई. ए. एस. बन गये वह जाकर इस विभाग में बैठ गये। सभापति महोदय, हमारा सारा का सारा पैसा दूसरे रास्ते से निकल गया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं मंत्री जी जो यहां नहीं है, उप मंत्री हैं, इनके बूते की बात नहीं है, मंत्री जी होते तो मुद्दे की बात कहता। सभापति महोदय, एक आफिसर है। ××××

श्री सभापति : जो सदन में नहीं हैं, उनको नाम से सम्बोधित नहीं करें।

श्री मेघराज तावड़ : एक अधिकारी हैं, लेखाधिकारी हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। अधिकारी को नाम से सम्बोधित नहीं करें।

श्री मेघराज तावड़ : तमाम हमारी चीजें खा गये। इतना घोटाला है हम कौन-सी बात कहें।

श्री सभापति : नाम से सम्बोधित नहीं करें। नाम अगर आये तो उसे एक्सपंज किया जाये।

श्री मेघराज तावड़ : लेखाधिकारी हैं, जिनका नाम आया है। मैं कहना चाहता हूं कि इन अधिकारी ने बहुत बड़े घोटाले किये हैं, अपने भाई-भतीजों को नौकरी पर लगाया है, अपने लोगों को आर. ए. एस. में भर्ती किया है। मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या उसने उन लोगों को एजेंसी नहीं दी? हमारे 12 लोगों को भर्ती किया गया एल. डी. सी. के पद पर, लेकिन उनकी एप्लीकेशंस लेकर सीधे भर्ती किया गया है। ×××

श्री सभापति : नियमों का ध्यान रखें, नाम से सम्बोधित नहीं करें।

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलेखित नहीं किया गया।

श्री मेघराज तावड़ : ××× है, तीन अधिकारी हैं, इन्होंने सीधी भर्ती की है।

श्री सभापति : आप नाम ले रहे हैं, एक्सपंज किया जाये।

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान नहीं डालें। आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : आदिवासी तरस गये। इसी विभाग में लोग एल. डी. सी. के पद पर हैं, उनको रीजनल मैनेजर नहीं बनाया जाता है। एक आदिवासी डूंगरपुर का है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं वह सक्षम है, योग्य है, एम. ए. है उसके बावजूद उसको प्रमोशन नहीं दिया गया। किस भलाई की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं? इस तरह से इस विभाग में यह घोटाले हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो पैसा खर्च हो वह बड़ी-बड़ी योजनाओं पर नहीं खर्च होकर हमारी छोटे-छोटे एनीकेट्स बना कर खर्च किया जाये। जो पैसा आता है हमारे क्षेत्र में अस्पताल पर पैसा खर्च किया जाना चाहिए, सड़कों पर किया जाना चाहिए ताकि आदिवासियों का भला हो सके। बड़े-बड़े डैम बीड-बडी स्कीम्स पर नहीं। आपको ताज्जुब होगा सभापति महोदय, हमारे यहां गोरी टूरिस्ट बंगला बनाया गया है वह विभाग का पैसा आदिवासियों का पैसा लगाकर बनाया गया है, आप किस को यह खूबसूरती दिखाना चाहते हैं? क्या आप सड़कों को खूबसूरत करना चाहते हैं, महलों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जहां आदिवासी बैठ नहीं सकता है? ये बड़े-बड़े अधिकारी हैं इनका बड़ा खर्चा होता है। आज जो आफिस उस निगम का बना है, उसका फर्नीचर आप जाकर देखें आपको पता चलेगा कोई आदिवासी वहां जाता है वह कभी सीट पर नहीं बैठता है, वह नीचे बैठता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पैसा निगम में खर्च हो रहा है उसका मिसयूज हो रहा है। इसलिए माननीय सदस्य ने पूर्व में कहा वह सही है। आज माडा योजना जो पूरे राजस्थान में मेरे इलाके में, आज मंत्री जी नहीं हैं, उप मंत्री जी पता नहीं नोट कर रहे हैं या नहीं....

श्री दुलाराम : मैं बैठा हूं।

श्री मेघराज तावड़ : 49.60 प्रतिशत ट्राइबल पापुलेशन आदिवासियों की है। मैंने मंत्री महोदय को कहा था उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह पत्र भारत सरकार को लिखेंगे मालूम नहीं कि उन्होंने लिखा है या नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि 43 प्रतिशत आबादी सलूम्बर एरिया की जिसमें ट्राइबल एरिया लिया गया है। मेरे इलाके में 49.66 प्रतिशत पापुलेशन है उसको नहीं लिया गया है। हमारे साथ भेद-भाव किया जा रहा है। सभापति महोदय, इसलिए मांडा योजना में मेरे इलाके में काम नहीं हुआ। एक दिन मैं कमिश्नर साहब से मिलने गया। एक जन प्रतिनिधि का कमिश्नर साहब किस तरह आदर करते हैं यह उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। जब मैं मिलने

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मेघराज तावड़)

गया तो वह किसी अधिकारी के साथ बात कर रहे थे। मुझे कहा कि वहां बैठ जाओ। सभापति महोदय, मैं तो इस प्रकार का आदमी हूं, कि ऐसा अधिकारी जो ट्राइबल के लोगों से मिलना पसन्द नहीं करे, उसके माथे पर कुर्सी मारने के सिवा कोई चारा नहीं। ऐसे लोगों के कुर्सी मारो तो पाप नहीं लग सकता है। सभापति महोदय, यह कैसे वहां बैठे हैं किस ने बिठाया है। मंत्री जी में अगर दम है तो आदिवासियों को वहां बिठायें, जो उनका भला कर सकते हैं। जो विजय वर्मा थे, जो आदिवासियों को समझते थे, उनको हटाकर फेंक दिया है। आज जो कमिश्नर बिठाया गया है वह आदिवासियों की समस्या के बारे में नहीं जानता। मंत्री महोदय बतायें कि कमिश्नर ने और बड़े अधिकारियों ने कितनी हवाई जहाज के द्वारा यात्रा की है, कितना पैसा मिसयूज किया है और आप भी बतायें कि आपने कितनी मीटिंगें की। आज सभापति महोदय, हजारों रुपया हमारी मीटिंग में खर्च हो गया है। टेलीग्राम दिये जा रहे हैं, मंत्री जी का प्रोग्राम था आने का, हम लोग दौड़कर जिले में गये, मंत्री जी वहां गायब, मंत्री जी को जुकाम हो जाये उनका प्रोग्राम कैंसिल। सभापति महोदय, मैं दो-चार बातें और कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं लैम्प्स एण्ड पैक्स के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। इनके अधिकारी, जंगलात के फारेस्टर भी हैं, अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई, एक उच्च लेवल पर कमेटी बनी। मैंने अधिकारी से पूछा कि सफेद मूसली का भाव क्या है? जो कमेटी बनी हुई है वह साल भर से नहीं बैठी है। सफेद मूसली भी एक फारेस्ट प्रोडक्शन है उसकी कीमत तय की जाती है, जो तय हो गया साल भर वही रेट लिया जाता है लेकिन कमेटी बैठी ही नहीं। इसीलिए मैंने एक बार पूछ लिया कि इस बार आपने सफेद मूसली की कीमत क्या ली। हमारे कुछ सदस्य कह रहे थे, देवेन्द्र कुमार जी कह रहे थे, मंत्री जी भी कह रहे थे, उन्होंने भी पूछा कि कीमत क्या लगाई। उन्होंने जवाब दिया हमने अब की बार मूसली नहीं निकाली, हमारे पास स्टाक पहले का पड़ा हुआ है, अगले साल वह इतनी बड़ी हो जायेगी, आप भी जानते हैं कि सफेद मूसली जो अक्टूबर, नवम्बर में निकलती है उसके बाद वह रह जाती है तो उसके पत्ते बिखर जाते हैं और वह मिट्टी हो जाती है। इस तरह की अधिकारी ट्रेनिंग पाते हैं। मंत्री जी जागो कुछ तो रहम करो, जिन अधिकारियों को यह मालूम नहीं कि कौन सी प्रोडक्शन कहां से है। ऐसे ही एक बेल होती है। शिवजी को चढ़ाने के काम आती है। वह सब इकट्ठे कर लिये जिससे सारा मकान खराब हो गया। मेरे पास यह 13–14 पाइंट का पर्चा है अलग-अलग, मैं समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मंत्रीजी चाहें तो दे सकता हूं वह अधिकारियों की इन्क्वायरी करके दे दें। इसलिए मैं समाज कल्याण के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। इसके अन्दर माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान है, वह

(श्री मेघराज तावड़)

कायम किया गया, आज राज्य सरकार उस पर खर्चा किये जा रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं मानता हूं, मंत्री महोदय बतायेंगे कि माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान जो आदिवासियों के लिये 1965 में कायम किया गया था उसका क्या उपयोग है? क्या शोध करके जो सुझाव आते हैं राज्य सरकार को, इन सुझावों को राज्य सरकार लागू करती है, जिससे आदिवासियों का भला हो सकता है, क्या आप उनको लागू करते हैं? नहीं, सभापति महोदय, यह नहीं होता है। अब मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, समाज कल्याण के अन्तर्गत जिस तरह से छात्रावास चल रहे थे वह पहले जो स्थिति थी, जो पहले व्यवस्था थी वह तो ठीक थी लेकिन पता नहीं मंत्री जी ने मिलकर क्या ऐसी व्यवस्था चैन्ज की कि सारा भट्टा बैठ गया। सभापति महोदय, छात्रावासों का जहां तक सवाल है टाइम पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल सकती तो वह कुछ कर सकते हैं। सभापति महोदय, 6-6 और 10-10 महीने तक छात्रों को छात्रवृति नहीं मिलती है और ताज्जुब होता है, सभापति महोदय....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनट। सभापति महोदय, आज 72 लाख रुपये की जो छात्रवृति सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने दी थी वह अभी मार्च से पहले 18 लाख के लगभग मिली, बाकी पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने नहीं दिया। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप बताइये, सभापति महोदय, जब हमारे नाम से इतना पैसा अलाट होता है और नाम भी हमारा और जब सवर्ण जाति के सब लोग नाराज होते हैं कि कास्ट और ट्राइब्स के लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया लेकिन हमारे लिए क्या किया हम ही जानते हैं। मोर नाचता है, खूबसूरत है लेकिन पांवों की तरफ देखता है तो रोता है। तो वही हालत आदिवासियों की है। तो, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय एक तो छात्रावासों की हालत सुधारिये। आज जितने भी छात्रावास आदिम जाति सेवक संघ के अन्तर्गत बन्द पड़े हैं उनको आप अन्डरटेक कीजिए। मैंने आपको लिखकर दे रखा है और एक छात्रावास आदिवासी इलाके में पलासिया में सबसे पुराना छात्रावास है और आपको ताज्जुब होगा सुनकर, सभापति महोदय, कि जो छात्र हैं वहां वह किराये पर रहते हैं। केवल उनको रोटी खिलाने की बात करते हैं। तो इस तरह की जहां हालत हो तो यह उचित नहीं है और बदनाम मत कीजिए। मंत्री जी आप पिछड़े वर्ग से आते हैं और आप पूंजीवादी नीति से उठकर कुछ काम करेंगे तो ठीक है बाकी आपको सरकार दबाव में रखें तो आप इस्तीफा देकर यहां आ जाओ या फिर बगावत कर दीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन अपने समाज के साथ धोखा मत कीजिए। यही कह कर सभापति महोदय आपने समय दिया। धन्यवाद,

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रूपलाल।

(अनुपस्थित)

श्री देवीदत्त।

(अनुपस्थित)

श्री पीरूराम।

(अनुपस्थित)

श्री विष्णुवजारी।

(अनुपस्थित)

श्री कमला भाई।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया शांति बनाये रखें।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) : माननीय सभापति महोदय, आज जन जाति उपयोजना के बारे में मांग संख्या 30 और 33 के बारे में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिए माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज जन जाति उपयोजना के बारे में जो डिमाण्ड चल रही है यह 1975-76 में राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने उदयपुर डिविजन के अन्दर पिछड़े लोगों को और उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चितौड़ एवं सिरोही की 23 पंचायत समितियों के 4378 गांवों की जनसंख्या 18.30 लाख में से 66 परसेन्ट आदिवासी लोग रहते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 584 लाख रुपये का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद 933 लाख रुपये का प्रावधान रखा, उसके बाद 1074 लाख रुपयों का प्रावधान रखा। सन् 1983-84 के लिए 68.80 करोड़ का प्रावधान रखा। माननीय सभापति महोदय, यह आज राजस्थान के अन्दर 3।। करोड़ जनता है जिसमें यह 68.80 करोड़ का लक्ष्य 23 पंचायत समितियों के लिए क्यों रखा गया? यह इसलिए रखा गया है कि इन 23 पंचायत समितियों के लोग पिछड़े हुए हैं सदियों से, अंग्रेजों के जमाने से और महाराजाओं के जमाने से....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

श्री कमला भाई मीणा : पिछड़ेपन में हैं। तो हमारे देश की इन्दिरा गांधी उन्होंने देखा कि उदयपुर डिविजन के अन्दर आदिवासी लोग रहते हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह पहाड़ी क्षेत्र है तो इन लोगों का सुधार किया जाये। मगर, माननीय सभापति महोदय, यह आंकड़े तो कागजों में नजर आते हैं आज मौके पर जा करके देखो उन आदिवासियों की क्या स्थिति है। आज यह बात जरूर है कि प्राइमरी, मिडिल या सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी स्कूल खुले हैं वह वाजिब बात है तो कहूंगा कि वाजिब है मगर आज उन बच्चों के बैठने की जगह कहां है? गर्मी के दिनों में बैठ जायेंगे, किसी

(श्री कमला भाई मीणा)

वृक्ष के नीचे बैठ जायेंगे वह तो आदिवासी हैं। वर्षों से बैठते आ रहे हैं मगर आज वह सतमास में वह बच्चे कहां बैठेंगे ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जितने स्कूल खुले हैं प्राइमरी, मिडिल, सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी उसका सर्वे कराइये कि आदिवासी क्षेत्र में कितने भवन हैं और उन बच्चों की क्या कण्डीशन है। माननीय सभापति महोदय, मुझे जन जाति क्षेत्रीय उप-योजना विकास के बारे में यह आंकड़े देखकर दुख है और दुख इस बात का है कि आज उनके नाम से इतना बजट रखा गया है, आज इस बात को मानते हैं कि आदिवासी लोग पहाड़ों पर, टेकड़ियों पर रहते हैं। आज मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय, से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके विभाग के बड़े अधिकारी जो कारों में बैठकर घूमते हैं उन्होंने कभी आदिवासी के यहां जाकर देखा है कि इन आदिवासियों की क्या स्थिति है ? यह लोग कैसे रह रहे हैं ? इन लोगों के खाने के लिये क्या है ? इन लोगों के पहनने के लिए क्या है ? इन लोगों के रहने के लिए क्या है ? माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कभी यह रिपोर्ट मंगाकर देखी ? आप कह रहे हैं कि बहुत विकास हो गया है। सब कुछ ठीक हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज मैं बताऊं कि हमारी जयसमन्द बड़ी झील है। वह झील राजा जयसिंह ने बनाई। आजादी के बाद उस झील से किनारे की जमीन की सिंचाई हो रही है, ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। मगर उस झील के अन्दर जो मच्छियां हैं जिसको एक आदिवासी आगे से मच्छी पकड़ कर लाता है वह पड़ कर जाल में फंस जाये तो शायद मर भी जाये। फिर यह बताते हैं आदिवासियों की हमने यह प्रोग्रेस की है। यह कौन सी प्रोग्रेस है ? मुझे आप बतायें। मेरे क्षेत्र में जलावा करके एक गांव है।

(व्यवधान)

तो इस प्रकार से यह कहते हैं हम आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं। क्या विकास कर रहे हैं ? इनके नाम में यह आंकड़े हैं, 68.80 करोड़ के आंकड़े हैं। यह आंकड़े क्यों बताये जाते हैं ? इन गरीबों के नाम से क्या लिखा जाता है ? सभापति महोदय, आज आदिवासी लोग झोंपड़ियों में रहते हैं। जो 23 पंचायत समितियां हैं इन 23 पंचायत समितियों के लिये राजस्थान सरकार ने बजट पास किया है। आज उदयपुर में 12 लाख का बंगला बनाया है, उसकी क्या जरूरत थी। मैं, माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या वह बंगला बनाने से आदिवासियों की गरीबी मिट गई ? क्या वह बंगला बनाने से आदिवासियों की वह गरीबी दूर हो गई ? आप बतलाइये, उनकी गरीबी दूर हो गई ? माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से आज जन जाति उप योजना के सम्बन्ध में उदयपुर ग्रामीण से माननीय सदस्य भैरूलाल जी ने एक प्रश्न उठाया कि कितनी जन जाति उप योजना के अन्दर....

(श्री कमला भाई मीणा)

(6. 21 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

गाड़ियां खरीदी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आवश्यकता थी गाड़ियां खरीदने की ? आज आवश्यकता इस बात की है कि आदिवासियों की रोटी और रोजी का सवाल हल हो। आज उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से जानकारी लेना चाहता हूँ, गरीबी कैसे दूर होगी ? गरीबी उदयपुर में बंगला बनने से दूर नहीं होगी, गरीबी बंगला बनने से दूर नहीं होगी। गरीबी दूर होगी अधिक से अधिक कुएं खोदें, मेडबन्दी करायें, एनीकट बनायें, तालाब बनायें, उसके बाद पानी होगा, उससे उत्पादन बढ़ेगा या पशुधन की देख भाल होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी तभी दूर हो सकती है जब अन्न पैदा होता है। पेट के अन्दर अन्न जाता है तो आदमी की हालत तन्दरुस्त हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है इन आंकड़ों को देखकर। आज यह पैसा आदिवासी क्षेत्र में खर्च हो, सड़कें बनाई जायें, आदिवासी क्षेत्र में गरीबों के कुएं खुदवाये जायं, आदिवासी क्षेत्र में एनीकट बनवाये जायें, आदिवासी क्षेत्र में विद्युतीकरण कराया जाय, आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक बढ़ाया जाये। आदिवासी क्षेत्र में डिस्पेन्सरीज हों, पी. एच. सी. खुलवाये जायें, उनके भवन बनाये जायं, तब तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है वरना यह क्या करते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट कहां जाता है ? यह बजट इनके गाड़ियों में घूमने के लिये पेट्रोल में जाता है, और टी. ए. डी. ए. में जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है। मैं एक लाख का प्रतिनिधि चुनकर इस विधान सभा के अन्दर आया हूँ और मेरे क्षेत्र में 43 पंचायतें हैं, 250 गांव हैं, मैं उन गांवों में पैदल घूमता हूँ और आर. ए. एस. और आई. ए. एस. आफिसर गाड़ियों के बिना चल नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जन जाति उप योजना का बजट क्यों फालतू खर्च किया जा रहा है जब कि उन समाज का नाम न लिया जाये, उन समाज के नाम का बजट काम में न लिया जाये। 1947 से पहले राजा महाराजाओं के जूते खाते आये हैं, वह भी बात है, उसमें भी उनका जीवन निकलता था। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है।

आज मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आदिवासी छात्रावास खोले गये हैं, मेरे क्षेत्र में धरियावद है, मुवराना में है, लसाड़िया में है और कोटला में है। आज 20 वर्ष हो गये हैं उनके भवनों का ठौर नहीं है। आज बच्चे ऐसे पड़े रहते हैं कि चातुर्मास में बच्चे को कोई जानवर काट खाये। मुवराना के अन्दर और धरियावद के अन्दर यह कन्डीशन है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह आदिवासियों का विकास हो रहा है ? क्यों यह आंकड़े बताते हैं कि इतना पैसा आदिवासी के लिये खर्च किया जा रहा है ? 68-80

(श्री कमला भाई मीणा)

करोड़ का बजट है, यह पैसा आदिवासियों की जेब में जा रहा है और वे लोग ठाठ से पूंजीपति बन रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हाऊस के अन्दर आपके समेत दो सौ सदस्य हैं, आप ऐसा करें, आप पांच दिन का समय निकालें, मेरे उदयपुर डिवीजन के अन्दर जायें और देखें इन आदिवासियों की क्या हालत है, वे लोग कैसे रह रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, मुझे यह इसलिये कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा बजट होते हुए उनकी आर्थिक हालत नहीं सुधरी, उनकी × × × ढकने के लिये कपड़ा नहीं, उनके रहने के लिये झोंपड़ी नहीं, उनके खाने के लिये अन्न नहीं। देखा जाये तो उनके लिये इतना बजट खर्च हो रहा है...

एक माननीय सदस्य : क्या बोल रहे हैं ?

एक अन्य माननीय सदस्य : बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री कमला भाई मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कौनसी गलत बात कह रहा हूं ?

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से जिस मद के अन्दर वह बजट दिया जाता है उस मद में उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। आज उसका उपयोग नहीं होता और कागजों में बताया जाता है; उससे, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाभ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में, सेठ और साहूकारों से आदिवासी लोग दबे हुए थे। सन् 1968 में सहकारी समिति कायम हुई, उन आदिवासियों को पैसा दिया जा रहा था तो क्यों दिया जा रहा था ? माननीय अध्यक्ष महोदय, उन लोगों ने सोचा सरकारी पैसा लेंगे, महाजनों के कर्जे से मुक्ति हो जायेगी। उसका नतीजा क्या हुआ ? महाजन लोगों ने आदिवासियों की जमीनें दबा लीं। आज नतीजा यह हुआ कि उनकी जमीनें नीलाम की जा रही हैं। उनको भाग कर के दूसरी जगह जाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उदयपुर डिवीजन की यह कन्डीशन है, आज गुजरात सरकार नहीं होवे, उदयपुर डिवीजन के आदिवासी बिना मौत मारे जायें। आज हर घर से एक एक, दो दो व्यक्ति गुजरात के अन्दर जाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इधर देखा जाय तो जितना बजट है उससे उन लोगों का सुधार किया जाय। यह कहा जाता है कि आदिवासियों को पहाड़ों से शहद लाने में फायदा होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शहद पहाड़ों में मिलता है। उस जगह वह एक माल बनाकर × × × ऊपर चढ़ता है, नीचे गिर जाय तो जाय भगवान के घर। यह उन लोगों की कण्डीशन है फिर ये कहते हैं कि प्रोग्रेस कर दी, वह कर दी, निगम ने फायदा दे दिया और बड़े बड़े फायदे इन लोगों को हो गये। एक तरफ कहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम ...

(व्यवधान)

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कमला भाई मीणा)

× × ×गांवों में घूम कर लकड़ी लाता है फिर क्या कहते हैं निगम ने इतना फायदा दे दिया। कौनसा मुनाफा दे दिया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे गरीबी दूर नहीं होगी, गरीबी तभी दूर होगी जब आप उन्हें वन सम्पदा, खनिज सम्पदा, एग्रीकल्चर, उद्योग देंगे। तभी गरीबी दूर होगी। समाज कल्याण मन्त्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, अगर आप गरीबों की गरीबी दूर करना चाहते हो तो उन लोगों को मजदूरी मत पकड़वाओ, उन लोगों को बड़े-बड़े धन्धे दो। उन लोगों की गरीबी दूर करनी है तो मेरे क्षेत्र में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 10-15 खानें हैं कितनी ? 10-15 खानें। और उनमें सब कुछ निकलता है। आज जयपुर के बड़े बड़े सेठ वहां हैं; पांच जने हैं, उदयपुर के सेठों ने लिया है ठेका और गरीबों को नहीं दिया। एक तरफ कहते हैं गरीबों को ऊपर लायेंगे। कैसे लायेंगे ? असली माल तो ढो लेते हैं बड़े बड़े सेठ। इनके हाथ में कुछ नहीं पड़ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूँ तो मेरी आत्मा जल जाती है। आज हमारे यहां जंगल हैं। फर्नीचर के सामान के लिये तो सरकार ने एक व्यापार मण्डल कायम कर दिया। शायद वहां यह कर दिया कि एम. पी. के लोग लकड़ी इस जंगल से काट कर ले जायें। तो वे सारा जंगल काट कर ले जाते हैं। कोई देखने वाला नहीं है। इस प्रकार से आदिवासियों का सुधार कैसे किया जायगा ? यदि आदिवासियों का सुधार करना है तो उन्हें खानों के पट्टे दिये जायं, आदिवासियों को पेट्रोल पम्प के लाइसेंस दिये जायं, आदिवासियों को बसों के लाइसेन्स दिये जायं, आदिवासियों को बड़े बड़े धन्धे दिये जायं तब तो इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है वरना कुछ नहीं, दिन को लाया और रात को खाया और भगा, इससे तो वे मर रहे हैं और फायदा उठाने वाले कोई दूसरे हैं....

(व्यवधान)

कर तो दूसरे रहे हैं....

(व्यवधान)

क्या ? छेड़ दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कितने ही बी. ए., एम. ए. लड़के पढ़े लिखे हैं, नवयुवक हैं, वे आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई धन्धा नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : क्या करते हैं ?

श्री कमला भाई मीणा : क्या करते हैं, वे पेट भरने के लिये मजदूरी करते हैं....

(व्यवधान)

आपको इस बात का क्या दुःख है, मैं माननीय अध्यक्ष जी को सुना रहा हूँ।

इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों में सुधार लाना है तो पैसों का

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कमला भाई मीणा)

सदुपयोग होना चाहिये और सही ढंग से होना चाहिये । आज जैसा पहले ही मैं निवेदन कर चुका हूँ कि उदयपुर में 12 लाख का बंगला बना दिया, गाड़िया भी खरीद दीं । इसी प्रकार से काम किया गया है तो आदिवासियों का जीवन ही खतम हो जायगा और ये लोग ऐसे के ऐसे रह जायेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी व्यवस्था करने के लिये आपके माध्यम से मैं समाज कल्याण मन्त्री महोदय का ध्यान आर्कषित करना चाहूंगा क्योंकि ये समाज कल्याण मन्त्री महोदय अनुसूचित जाति के कहलाते हैं ।

(व्यवधान)

पैसे वाले भी बन गये होंगे, यह मैं नहीं कह सकता हूँ । पूर्व में आदिवासियों के खानदान में तो रहे होंगे और उस मुसीबत को देखी होगी । राजा महाराजा के जमाने में

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको खुशी नहीं है क्या ?

श्री कमला भाई मीणा : नहीं, खुशी है, अपने को तो लेकिन आप लोगों को पुरानी बात याद रखनी चाहिये कि इन लोगों की क्या कन्डीशन है और कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं । उस हिसाब से सोचें-समझें और कुछ काम करे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेकर अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए एक बात की ओर आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आर्कषित कराना चाहता हूँ । आज जन जाति उपयोजना का आफिस उदयपुर में कायम हुआ है । उदयपुर के अन्दर ट्राइबल कमीशन है, उससे लोगों का विकास होगा । अध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधि नहीं होगा तो इस हिन्दुस्तान का राज कैसे चलेगा और कौन उसका सुधार करेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उस जन-जाति उपयोजना के लिये 6 महीने हो गये मेरे ख्याल से माननीय समाज कल्याण मन्त्री ने मीटिंग बुलाई थी, 6 महीने हो गये हैं और अभी कोई नामोनिशान नहीं है । इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं. आप एक महीने में नहीं तो दो महीने में मीटिंग लें, बजट का किस प्रकार से विभाजन हो रहा है और इस बजट का क्या उपयोग हो रहा है, यह आप जानकारी लें ताकि आपकी आत्मा से आपको भी महसूस हो जाय कि वाकई विकास हो रहा है या नहीं । मगर आप जयपुर में बैठे-बैठे कागजों से देखोगे तो आपको क्या महसूस होगा । इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मीटिंग रखें और उसी क्षेत्र में मन्त्री महोदय जाकर देखें कि इन लोगों में कितने तो गरीब हैं कितने जने गरीबी से दूर हुए हैं । यह जानकारी आप लें तभी माननीय अध्यक्ष महोदय, सुधार होगा वरना तो कागज के आंकड़े कागजों में ही रह जायेंगे ।

मैं इतना ही कह कर अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हुआ अब अपनी बात समाप्त करता हूँ । जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30 और 32, समाज कल्याण और जनजाति क्षेत्रीय विकास के बारे में बहस हो रही है। मैं भी इन पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

सर्व प्रथम मैं समाज कल्याण के बारे में मेरे विचार प्रकट करूंगा। युवकों को समाज कल्याण के बारे में जो पढ़ते हैं, उसके अनुसार तो उनको काफी राहत मिलनी चाहिये मगर हकीकत में वह बराबर नहीं मिल रही है। पहली बात तो यह है मेरे डूंगरपुर में शायद अभी कोई छात्रावास दिया हो, तो मालूम नहीं, एक साल तक कालेज के छात्र-छात्राओं के छात्रावास के लिये यहां आकर विद्यार्थी रोते रहे। कई बार मैंने भी कहा है, समाज कल्याण विभाग में टेलीफोन भी किया है कि इस तरह की आदिवासी छात्र-छात्राओं को जो सुविधा है वह सुविधा टाइम पर नहीं दी जाय तो इसका उपयोग क्या है? डूंगरपुर जिले में नये छात्रावास खोले उसमें यह देखा नहीं जाता है कि किस पचायत समिति में कितने छात्रालय खोलने हैं। तृतीय श्रेणी के जितने भी छात्रावास थे उन छात्रावासों को क्रमोन्नत किया गया था। मेरी पंचायत समिति में केवल दो ही छात्रावास थे। मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में तीन और पंचायत समिति में दो थे। उसमें से केवल एक ही छात्रावास क्रमोन्नत हुआ। कई जगह 10–10, 15–15 छात्रावास थे, उनमें से 3–4 छात्रावास क्रमोन्नत किये गये हैं, तो जो यह असमानताएँ हैं उनके सम्बन्ध में मैं माननीय समाज कल्याण मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि जब-जब क्रमोन्नत किये जायें छात्रावास तो बराबर हर पंचायत समिति में देखकर के बराबर करने चाहिए।

इसी के साथ मेरे पूर्व वक्ताओं ने छात्रावासों के भवनों के बारे में यहां कई बातें बतायी हैं। डूंगरपुर के अन्दर और उदयपुर में भी जो-जो आदिवासी छात्रावास हैं उनके भवन ही नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि यह योजना चालू की गयी और आज तक जो किराये के भवनों में छात्रावास चल रहे हैं अगर उस किराये को भवन निर्माण में लगाया गया होता तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि छात्रावास का अपना एक अलग से भवन हो जाता लेकिन ऐसा नहीं करते। कई किराये के भवनों में छात्रावास चलाये जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जहां-जहां भी छात्रावास खोले हुए हैं वहां भवनों की स्वीकृति दी जाय और भवनों का निर्माण कराया जाय।

इसके साथ ही मैं वृद्धावस्था पेन्शन के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। वृद्धावस्था पेन्शन, अपाहिज पेन्शन, वृद्ध और अपाहिज लोगों के लिए है। ये हमारे हिन्दुस्तान में इस तरह की परिपाटी है कि माता-पिता मर जाते हैं, भाई या बहिन कोई अपंग होता है तो उसका पालन-पोषण कोई नहीं करता है, वह रोता फिरता है, रिगसता फिरता है कभी इस घर, कभी उस घर और इस तरह से उसका भरण-पोषण होता है। उसका एक यह नियम बना दिया गया है कि उसके नाम पर अलग जमीन हो, उसके माता-पिता हों तो पेन्शन नहीं दी जाय।

(श्री नाथूराम अहारी)

माता-पिता के बिना वह पैदा कैसे हुआ होगा। चाहे आदिवासी है या कोई दूसरा भी है। ऐसे लोगों का कोई न कोई सहारा तो होता ही है लेकिन इस तरह की एक शर्त रख दी गई है जिससे वह उससे वंचित रह जाता है। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह का जो कानून है वह अपाहिज, अपंग और वृद्धावस्था की पेन्शन के बारे में, इस पर कुछ करें। पंचायतों के सरपंच या प्रधान या एम. एल. एज., एम. पी. की सिफारिश से वृद्धावस्था पेन्शन, अपाहिज और अपंग पेन्शन स्वीकृत होनी चाहिए।

नियुक्ति के बारे में वैसे काफी इस हाउस में कहा जा चुका है, और अधिक नहीं कहना चाहिए पर मैं यह कहे बिना नहीं रहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो यह निर्णय किया कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिये भी राजस्थान में गुजरात के बोर्डर 3-4-5 सौ किलोमीटर या 600 किलो मीटर से चल कर लोग आते हैं। हमारा नियम है कि 10 को लेना है, तो मेरा ख्याल है, एक केन्डीडेट के पीछे 10 काल लेटर निकाले जाते हैं। 10 लेने हैं तो सौ आदमी बाहर से रोते हुए आयेंगे। उसमें से आप 10 रखोगे। 90 आदमी हमारे नाम से हमारे एम.एल.ए. के नाम पर रोते हुए वापस जायेंगे। उनका नम्बर क्यों नहीं आता है। वह दोनों तरफ के एम. एल. ए. के पास आते हैं तो वह यह थोड़े ही कहते हैं कि मन्त्री ने नहीं किया। वह एम.एल.ए. के घर पर आते हैं, एम एल ए. के निवास पर आते हैं और वैसे ही जाते हैं। इसी तरह से छात्रावास अधीक्षकों के भी इन्टरव्यू लिये गये वह भी यहां लिये गये। मेरे तो यह सुनने में आता है, क्या कहते हैं उसको, बाजार रेट क्या है, रेट कितनी है इस तरह का कुछ एक शब्द था। तो इस तरह से लोगों में अपने प्रति बुरा वातावरण फैलता है। मैं तो कहता हूं कि चपरासियों की, वार्डन की, इसी तरह कोई भी नियुक्तियां हैं वह ज्यादा से ज्यादा आप करें तो डिवीजन पर करें। यह मैं समाज कल्याण विभाग के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हर डिपार्टमेन्ट के लिये कह रहा हूं। चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे कोई भी हो, मेरे डूंगरपुर के दसवीं से लगाकर 12वीं पास लड़के के लिए कह सकता हूं, एम. ए., बी. ए. के लिए भी कह सकता हूं, कई लड़के ऐसे हैं जो चपरासी की नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। एक दसवीं का छोरा यह कहे, मुझे चपरासी की नौकरी करनी है तो इसका मतलब है कि वह बहुत परेशान है इसलिए वह चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह की पेचीदगी नियुक्तियों में न हों। जिले में अगर कोई ठीक तरह का केन्डीडेट नहीं मिले तो हमको बाहर से मंगाना चाहिए। मैंने एक अभी नयी ताजा खबर सुनी कि हमारे कलेक्टर साहब जहां जाते हैं वहां एक कुत्ते को पालने के लिए एक आदमी को ले जाते हैं। जहां इनका ट्रांसफर होता है वहां जाकर वह क्या करते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन करा कर नियुक्ति दे देते हैं। वह कुछ इस तरह का परेशान सा मालूम हुआ, ऐसा सुना है मैंने, हो सकता है कि झूठ हो। इस तरह से अफसरशाही करते हैं कि जहां जाते हैं,

वहां जहर खाने तक की बात आ गयी थी, ऐसा मैंने सुना है। तो नयी नियुक्तियों में इस तरह का सरलीकरण होना चाहिए ताकि लोगों को इस तरह परेशान नहीं होना पड़े। मैं समाज कल्याण मन्त्री जी से यह निवेदन करता हूं क्योंकि इन्होंने जिम्मा लिया है और सरकार ने जिम्मा लिया है, इसलिए यह गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी है कि इसमें गरीब से गरीब लोगों का चयन हो, गरीब से गरीब लोगों को राहत मिले, यह व्यवस्था करें।

छात्रावास में खाने के लिए 6 माह तक उनका बजट नहीं जाता है। बासौड़, बनकुड़ा इस तरह से कई छात्रावास हैं जहां 6 महीने से बजट नहीं पहुंचा है। इस कारण छात्र बड़े परेशान होते हैं। जो चेयरमैन होता है उसके सहारे वह जीते रहते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो समस्याएँ हैं उसे दूर करनी चाहिए।

अब मैं जनजाति निगम के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में ही कहें।

श्री नाथूराम अहारी : जनजाति विभाग को भी हमारे समाज कल्याण मन्त्री जी ही डील करते हैं। जब इसकी किताब उठाकर इसकी प्रगति के आंकड़े हम देखते हैं तो यह मालूम होता है कि हमारे आदिवासियों का भला हो जायेगा। लेकिन जनजाति निगम जो बना है, उसके बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने बता ही दिया है पर मैं फिर दोहरा देता हूं कि यह केवल आदिवासियों को माध्यम बनाकर उनका शोषण करने का है। ऐसा मैं महसूस करता हूं। हमारे उदयपुर में जो 12-13 लाख का बहुत बड़ा भवन बना है बरसात में एक भी आदमी सूखा नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह कि उसमें इतना पानी गिरता है। 13 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी, कि एक आदमी सूखा नहीं बचेगा। मतलब वह सूखा बच ही नहीं सकता है पानी से। फिर क्या मतलब दूरदराज में रहने वाले आदिवासियों को भवन बनाने का ? क्या मतलब है, हमारे गबरी रेस्ट हाउस का जो इसी प्लान में बना है ? उस आदिवासी को चाहिये रोटी, कपड़ा और मकान। उसके लिए तो हम 250 रुपये देते हैं एक मकान बनाने के लिए और इस तरह के खर्च करते हैं, मैं एक बात और कहना भूल गया समाज कल्याण विभाग के बारे में। आंगनबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा की मैं समझता हूं, कोई जरूरत नहीं है। इसलिये जरूरत नहीं है कि इसमें लाखों रुपया बरबाद हो रहा है इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा से एक आदमी को अक्षर ज्ञान हो गया, उसने 1000 रुपया लिया, उसने अंगूठा टेकने के बजाय, साइन कर दिये। जो पतड़ा लिख दिया उसमें कोई रकम तो पढ़ नहीं लेगा। इससे तो उल्टे उस पर गिरवशन होता। उसे कहेंगे तुमने साइन किये हैं। इसलिये मैं तो कहता हूं, जैसा हमारे बागड़ी में कहते हैं, पाका हांडा घानों नीं भरे, मतलब जो मिट्टी की मटकी है, वह पकी हुई है तो उस पर कच्ची मिट्टी नहीं लग सकती है। इस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिये

(श्री नाथूराम अहारी)

इसको बन्द करके आदिवासियों को सीधा फायदा दें। मैं जबसे आया हूं, चिल्ला रहा हूं, लिख कर भी दिया है। आदिवासियों के घर पर कुआ बना हुआ है उस कुएं पर बिजली मत दीजिये। एक गांव में दो तीन चार कुओं की ब्लास्टिंग करवाइये। समाज कल्याण मन्त्री जी इस पर ध्यान दें, आप दूसरी जगह पर ध्यान नहीं दें। मैं कहता हूं, यह इम्पार्टेन्ट है। हम आज गाय, बैल, भैंस बांटते हैं। लोगों को खाने के लिए नहीं है और हम गाय, बैल, भैंस देते हैं। उन्हें वह कैसे रखेंगे? उसके कुएं में पानी होगा तो सारी योजनाएं वह सफल कर देगा, आपकी सारी बातें मानेगा। मैं कहता हूं हर गांव में दो-तीन कुएं खुदवायें जायं। उनमें पानी आ जाय। सरकार द्वारा ब्लास्टिंग करवाइये और उस पर बिजली लगा दीजिये। फिर कौन कहता है कि आदिवासियों की हालत नहीं सुधर सकती है। आज हमारे डूंगरपुर में बरसाती पानी का दुरुपयोग हो रहा है। पानी बह-कर जा रहा है। पानी के रूप में सोना जा रहा है। सिंचाई विभाग को कई बार कहा है कि इसका सर्वे करायें। जो पानी बह कर नदी नालों का जाता है उदयपुर डिवीजन में इस पानी को रोक कर नीचे के हिस्से को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई किया जाय तो अकाल नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। यह हो भी सकता है। मैंने सुना है, उधर पहाड़ बांध कर मीलों तक पानी लेकर गये हैं। जमीन खोद करके, बोर करके क्यों नहीं पानी का उपयोग किया जाता है? क्या वजह है?

अध्यक्ष महोदय, मैं निगम के बारे में कहना चाहता हूं। जो निगम है उसको बिलकुल बन्द कर देना चाहिये। उसके माध्यम से आदिवासियों को न तो कोई काम मिलता है, न उसकी पदोन्नति हुई है। कई लोग रोते हैं, कई लोग आकर परेशान होते हैं। उसमें बिलकुल पदोन्नतियां नहीं हुई हैं। नियुक्तियां पक्षपात, भाई भतीजेवाद से होती हैं। कई अफसर और कई गाड़ियों की बात अभी कही गई है। नयी गाड़ियां खरीदी हैं। क्या जरूरत है गाड़ियों की? क्यों खरीदी इतनी गाड़ियां? उस पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। आदिवासियों के नाम का जितना भी बजट है, जो आपने बताया, उस बजट को सीधे राज्य सरकार पंचायत समितियों और गांवों के अन्दर ढंग से अलाट करे और विकास के काम कराये। आप देख लीजिये, जहां नान आदिवासी लोग हैं, जहां आदिवासी नहीं बसते हैं, वहां तो चिकित्सालय, स्कूल भवन और डिस्पेन्सरी सैंक्शन कर दी गई है, रोड पर सैंक्शन कर दी है मगर इंटीरियर, जो 10–15 किलोमीटर पर हैं, मैं, नहीं की है। मैं रोज लिख कर देता हूं। निगम के डायरेक्टर को क्या, कमिश्नर को क्या, जनजाति मंत्रीजी को क्या, सबको लिख कर दिया है। आदिवासी एरिया, जैसे गोरबा, झाकड़ो, तोलनिया, रघुनाथपुरा और डोजा आदि में बच्चों के बैठने के लिये भवन की व्यवस्था नहीं है वहां के लिये तो मजूरी नहीं करते हैं। कलेक्टर डूंगरपुर, मजूरी वहां के लिये देते हैं जो रास्ते में पड़ता है, जो रोड पर पड़ता है, वहां रेजीडेंशियल क्वार्टर की मंजूरी देते हैं, क्या करें? वहां कोई नहीं रहेगा। बाहर चला जायेगा। वहां कोई व्यवस्था होती नहीं है इसलिये वह वहां नहीं रुक सकता है। फिर कहते हैं कोई रहते नहीं हैं। हमने तो स्कूल बनाया

(श्री नाथूराम अहारी)

है लेकिन कोई रहता नहीं है। आप बनाते ही ऐसे मौके पर हो, रोड पर बनाते हैं वहां कोई नहीं रहेगा। आप इंटीरियर में इस तरह के रेजिडेंसियल क्वार्टर बनाइये तब जाकर सीधा फायदा हो सकता है। अभी निगम के बारे में जैसा बताया, मछली पकड़ने का, शहद लाने का काम है। क्या आदिवासियों के यही पल्ले पड़ा है। क्या आदिवासी यही कर सकता है? आप ले आओ, वह छोड़ देंगे उसको। आप कहोगे, जो शेर के मुंह में जाकर लाने की बात है वह तो आदिवासियों के लिये है। आदिवासियों के नाम से पैसों का दुरुपयोग करते हैं। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस तरह की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को बिलकुल बन्द कर देना चाहिये, जिससे आदिवासियों को सीधा फायदा पहुंचे। आदिवासियों को सीधा फायदा देने के लिये काम करें। सरकार के माध्यम से, जन प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका विकास हो।

मैं लैम्प एण्ड पैक्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जो पहले समितियां थीं, उन समितियों ने ही यह बंटाधार किया है। समितियों का जो सिद्धान्त है, उसका क्या हुआ है, इस तरह के व्यवस्थापक हुए, कोई इस तरह के मैनेजर हुए उन्होंने कई आदिवासियों के अंगूठे चेप रखे हैं। लाखों रुपया ले लिया था, उसकी वसूली अब हो रही है। उसकी जो आय है उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। जिस आदमी ने गबन किया है उससे वसूली नहीं हो रही है, उससे रिकवरी नहीं हो रही है। आदिवासियों के लिये यह कहा जाता है कि आदिवासी कर्जा नहीं लेते है, लेते हैं तो देते नहीं हैं। कोई रुपया नहीं देता है। जहां भी इस तरह का गबन हुआ है, उस पैसे की वसूली नहीं हुई है। एक आदमी 10–20 हजार रुपये खा गया उसकी वसूली नहीं हो रही है। ऐसे भी कई मसले पेंडिंग थे। तो जिन लोगों ने, जिन व्यवस्थापकों ने, जिन चेयरमैनों ने पैसे का गबन किया है, उससे तुरन्त वसूली होनी चाहिये। इस तरह की समिति....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम अहारी : दो मिनट।

मैं करीब-करीब यह सोचता हूं, आज कोई भी आदिवासी नहीं होगा जिसके ऊपर कर्जा नहीं हो। पुराने कर्जे का लगातार चार पांच अकाल पड़ने के कारण वह ब्याज पर ब्याज नहीं दे पाया! बिल्कुल नहीं दे पाया। 50-60 या 10 रुपया कर्जा हो तो दे देता, इतना तो वह चाय पानी में खर्च कर देता है। तो जो पुराने आदिवासियों के कर्जे हैं वह माफ करने चाहिये। यही आपसे कहना चाहता हूं।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनजाति विकास के नाम से बड़ी-बड़ी योजनाएं चलती हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं, बड़ी योजनाओं में क्या होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, डूंगरपुर का दौरा करें वहां जाकर देखें, जो गैर आदिवासी की जमीन है वह तो ऊपर है, डूब वाली जमीन है वह सब आदिवासियों की है। टीलों पर जितनी जमीन है वह सब गैर आदिवासी की

(श्री नाथूराम अहारी)

है। इसका मतलब यह है कि आदिवासी पहाड़ों में रहता है। जो तालाब का निर्माण किया जाता है उसमें सारी की सारी जमीन आदिवासी की डूबती है। इसलिये बड़ी-बड़ी योजनाएं बंद कर देनी चाहिये। आदिवासियों को फायदा पहुंचाने के लिये ज्यादा से ज्यादा कुएं बनाये जाय, ज्यादा से ज्यादा एनीकट बनाये जाय, ज्यादा से ज्यादा बरसाती पानी का उपयोग किया जाय, ज्यादा से ज्यादा मजदूरी दिलाई जाय, ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधा दी जाय। इस तरह के आदिवासी एरिया में काम होने चाहिये। तब जाकर आदिवासियों का सच्चा विकास हो सकता है।

मैंने इतनी देर तक जो आपका टाइम लिया, जो आपने मुझे टाइम दिया उसके लिये बहुत-बहुत आपका आभारी हूं।

धन्यवाद।

मुखबन्द के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : मुख बंद का समय 8 बजे तक के लिये बढ़ाया गया। साढ़े सात बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जाना प्रारम्भ होगा। क्योंकि अभी दो तीन माननीय सदस्य बोलने हैं, इसलिये भाषणों पर समय सीमा दस मिनट।

मांग संख्या 33 व 30 पर विचार

श्री हीरालाल आर्य : दस मिनट में कहना चाहें तो सब मुद्दों की बात कह सकते हैं और अगर भूमिका बांधे, तो दो घंटे में भी नहीं कह सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय मेरा नाम नहीं पुकारा।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा था। यहां आप उपस्थित नहीं थे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! नियम पढ़ें पहले। कायदे की बात करें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष समाज कल्याण विभाग की जो मांग है, उसके द्वारा 55-45 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। इसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है। पिछले वर्ष जितना बजट अलाट किया गया उसके बनिस्पत यह बहुत कम है। पिछले साल 54·14 करोड़ रुपया खर्च किया गया था उसमें केन्द्रीय सहायता अलग थी। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस मद में पैसा मांगा जा रहा है वह पिछले साल से चूंकि कम है इसलिये मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों पर यह सरकार कुठाराघात कर रही है। अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्याण के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलायी जाती हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाने के बाद भी, आजादी के इतने वर्षों के बाद शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों की जो दशा है वह बहुत ही दयनीय है। न उनके पास पहनने के लिये कपड़ा है, न खाने को ठीक भोजन है, न रहने के लिये ठीक मकान है। उनके मोहल्लों की हालत और भी खराब है। अध्यक्ष महोदय, आप उनके मोहल्लों का कभी अवलोकन करें तो वहां न प्रकाश की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है। वहां पर गंदगी का साम्राज्य व्याप्त है। अनुसूचित

(श्री हीरालाल आर्य)

जाति और जनजाति आयुक्त की जो 26वीं रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, आजादी के इतने साल बाद भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जो हालत है उससे सम्बन्धित इस रिपोर्ट का उद्धरण पढ़ना चाहूंगा — "राष्ट्र यथार्थ रूप से सभी दिशाओं में उन्नति होने का दावा कर सकता है परन्तु अनुसूचित जातियां तथा जन जातियां जैसे कमजोर वर्गों के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम उन्हें भूख, असमानताओं तथा अन्यायों से छुटकारा दिलाने में सफल नहीं हो पाये हैं। संवैधानिक आश्वासनों, संरक्षात्मक कानूनों तथा अनेक कार्यक्रमों के बावजूद इन समुदायों के अधिकांश लोग अभी भी कंगाल हैं। अनुसूचित जातियों के पास उत्पादक साधनों का स्रोत नहीं है और वे अभी भी सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित रहती हैं। देश के अपेक्षाकृत अल्प विकसित भागों में रहने वाली अनुसूचित जन जातियां हमारे कुछ कल्पना शक्ति रहित कानूनों और विकास की स्कीमों के फलस्वरूप उत्पादक" साधनों से धीरे-धीरे हाथ धोती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि अनुसूचित जाति और जन जाति की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिये जिन लोगों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, सारे साधन उन लोगों के पास हैं उत्पादन के और वे उनका शोषण करते हैं। उनको आजीविका कमाने के लिये उन पर निर्भर रहना पड़ता है इसलिये उनका शोषण होता है। इस तरह की बात आज समाज में व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारने के लिये विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की हैं, लेकिन शिक्षा के सम्बन्ध में वर्णन करूंगा संक्षेप में। आज शिक्षा में राजस्थान का प्रतिशत 24 है, उसमें अनुसूचित जाति का केवलमात्र 14 और अनुसूचित जन जाति का तो केवल मात्र 6 प्रतिशत है और महिला शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही अंधकारमय है। वैसे कहने के नाम पर अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिये विभिन्न प्रकार के छात्रावास, आश्रम, स्कूल खोलकर और छात्रवृत्ति व विभिन्न प्रकार के भत्ते आदि देकर उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है लेकिन वास्तविकता यह है कि आज जो छात्रावास चल रहे हैं उनकी दशा बहुत ही खराब है, जेल जैसी व्यवस्था में उनके भवन हैं। न वहां ठीक प्रकार की बिस्तर की व्यवस्था है, न आवास की व्यवस्था है, न प्रकाश की व्यवस्था है और न स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक प्रकार से भवन बने हुए हैं। वहां पर रहने वाले बच्चों को जो छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं वे भी इतनी कम हैं कि भोजन, वस्त्र और जीवन की दूसरी आवश्यक वस्तुएं भी वह लोग नहीं खरीद सकते। अध्यक्ष महोदय, यह वृत्ति 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों की केवल 100 रुपये और 9वीं से 11वीं तक के बच्चों को केवलमात्र 106 रुपये दी जा रही है। इसी तरह से पुस्तकें और स्टेशनरी के लिये 6 से 8 कक्षा के बच्चों को 40 रुपये और 9 से 11 कक्षा के बच्चों को 60 रुपये दिये जा रहे हैं। यह वृत्ति इतनी कम है कि न तो बच्चे ठीक तरह से भोजन प्राप्त कर सकते हैं और न ही स्टेशनरी खरीद सकते हैं, फिर नाश्ते, कपड़े और स्पेशल डाइट की तो दूर

(श्री हीरालाल आर्य)

की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी सत्र में इन छात्रावासों की दुर्दशा की ओर सरकार का एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया था। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इन वृत्तियों में वृद्धि करेंगे लेकिन आज तक, अध्यक्ष महोदय, इन वृत्तियों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और छात्रावासों के मैनेजमेंट में पिछली साल जो परिवर्तन किया था उसमें मैस कमेटी में वहां पढ़ने वाले छात्रों को ही लगा दिया गया। कहने के नाम पर कहते हैं कि इससे बच्चों में उत्साह बढ़ता है, वे आत्म निर्भर होते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जितने भी बच्चे मैस कमेटी में थे, वे सब के सब फेल हुए हैं या ग्रेस और तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्तियां जो दी जा रही हैं पूर्व मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक, वह भी इतनी कम हैं कि उससे बच्चों की पढ़ाई, फीस का काम चलता नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बढ़ोतरी की जाय। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति केन्द्र और राज्य सरकार मिल कर देते हैं परन्तु जैसी कि शिकायत है, आज लाखों रुपये की छात्रवृत्ति आई है वह विद्यार्थियों को मिली नहीं है। इससे सरकार की उदासीनता प्रकट होती है और विद्यार्थियों में भारी असंतोष है।

अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है लेकिन यह आरक्षण जितना दिया गया है उसके आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो मालूम होगा इतना कम है कि आरक्षण के नाम पर केवल खिलवाड़ किया गया है। अनुसूचित जाति का प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 4.75 प्र. श., द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में अब तक 7.37 प्रतिशत और तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 12.59 प्रतिशत है। जन जाति के आंकड़े तो और भी अंधकारमय हैं, अध्यक्ष महोदय, वह इस प्रकार हैं—प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 0.94 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी–1.03 प्रतिशत और तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 3.11 प्रतिशत है, यह नहीं के बराबर है। अध्यक्ष महोदय, जो तस्वीर इन आंकड़ों से सामने आई है उससे विदित होता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व में प्रगति कच्छप गति से की गई है। आरक्षण की नीति के पुनरीक्षण का उसको समाप्त करने का हल्ला आज देश में मचाया जा रहा है यह निराधार है, यह इन आंकड़ों से स्वयं सिद्ध होता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आरक्षण के अनुरूप जो नौकरियां दी जा रही है उनमें और अधिक आरक्षण की व्यवस्था की जाय। जहां अब तक आरक्षण के अनुरूप नौकरियां नहीं दी हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर कोटा पूरा करने की व्यवस्था करें। इतना ही मेरा आरक्षण के बारे में निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, आर्थिक विकास के बारे में निवेदन है कि आज प्रदेश की आधी से ज्यादा पापुलेशन....

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है।

श्री हीरालाल आर्य : उदारतापूर्वक सबको मौका दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट और है। एक मिनट में भाषण स्वतः ही समाप्त।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन अनुसूचित जाति और जन जाति के गरीबी की रेखा में आने वाले जो लोग हैं उनका प्रतिशत 80 और 75 है। इस आयोग की रिपोर्ट, जिसका मैंने उद्धरण दिया है, मैं इनके लिये 'कंगाल शब्द' का उपयोग किया गया है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि इनको दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही है। हरिजन मोहल्लों में न बिजली है, न प्रकाश है और न शिक्षा एवं स्वास्थ्य की ठीक प्रकार से व्यवस्था है। रोजगार दिलाने के नाम पर एस. सी. और एस. टी. के लोगों को कहा जा रहा है कि गांवों में ट्राइसम योजनाओं के माध्यम से शहरों में स्काईट योजनाओं के माध्यम से, एकीकृत विकास के दूसरे माध्यमों से उनको लोन आदि उपलब्ध कराये जा रहे हैं, मकान बनाने के लिये सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके नाम पर जो सब्सिडी और लोन दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पंचायत समितियों में विकास अधिकारी, बैंकों के अधिकारी और दूसरे अधिकारी मिल कर उनके नाम से आने वाली सब्सिडी को हजम कर रहे हैं यह उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी प्रकार ट्राइब्स में शिक्षित तो कर दिये गये हैं लेकिन काम-धन्धा खोलने के लिये उनको पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : अभी कन्क्लूड कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूलाल मीणा।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैं केवल पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

काफी सदस्यों ने जन जाति निगम में जो अनियमितताएं हुई वह बतायीं या जो भी इसके बारे में चर्चा की, मंत्री महोदय इन बातों को समझ गये होंगे। जो भी सदस्य इस पंक्ति से बोल रहे हैं वह क्योंकि फील्ड में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, व्यवस्था देखते हैं उस हिसाब से सही मायने में उन्होंने अपनी बातें कहीं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल यह चाहता हूं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, इस नाम से जो भी पैसा आ रहा है, खास करके पिछड़े वर्ग के नाम से पैसा आता है, वह पैसा जिस अनुपात में, जिस क्षेत्र में उदयपुर में लगना चाहिए, नहीं लगता है। मैं आंकड़ों के साथ कह सकता हूं। मैंने दो आंकड़े लिये हैं कोई ज्यादा नहीं लिये हैं। दो, स्कूल भवन और सिंचाई के आंकड़े हैं। चूंकि मेरे मतलब की जो बात होती है वही कहता हूं। बांसवाड़ा में भवन बनाने के लिए '82 से आज तक का जो खर्चा हुआ, मुझे प्रश्न के माध्यम से जो बताया, वही बता रहा हूं; 19·58 लाख रुपये खर्च किए गये, उदयपुर में 3·30 और डूंगरपुर में 18·38। यह भवनों के हिसाब से खर्चा किया गया। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ज्यादा खर्चा हुआ उससे मुझे वो नहीं है। लेकिन आगे के लिए मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखें, खास करके सिंचाई मद में बांसवाड़ा में हुआ

(श्री भैरूलाल मीणा)

40323.47, उदयपुर में 1284.50, डूंगरपुर में हुआ। 368.51 इनकी तुलना में सारा पैसा बांसवाड़ा में खर्च हुआ। खर्च हुआ, अच्छी योजना बनायी। मैंने पहले मेरे प्रश्न में पूछा कि माही डेम का खर्चा किया या नहीं।...

श्री अध्यक्ष : सत्ता के केन्द्र बदलते रहते हैं उसमें ऊंच नीच हो जाती है।

श्री भैरूलाल मीणा : हो सकता है।

उसका मुझे जवाब मिला कि माही डेम में कोई खर्चा नहीं किया गया सिंचाई विभाग के द्वारा। लेकिन आपके पत्रादि से मालूम पड़ता है कि वहां करोड़ों रुपये खर्च किए गये हैं। यह दो तरह की बात बता दी। जो भी खर्चा हुआ उसका रिकार्ड है। मैं गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पांच मिनट में बात समाप्त करने की बात कही है। मैं इतना ही कहूंगा कि आयन्दा के लिए मन्त्री महोदय और विभाग के आयुक्त महोदय यहां बैठे हुए हैं, वे वहां के जन प्रतिनिधि से सलाह लें कि क्या योजना बनायें, किस-किस फण्ड में पैसा खर्च करना चाहते हैं, आदिवासी का किस तरह से उत्थान करना चाहते हैं। हम लोग भी उनके बीच में रहते हैं, हमारी कुछ सलाह भी ले लें। भले ही हमारी सलाह रुपये में एक पैसे की, दो पैसे की मानें लेकिन हम जो भी कहते हैं उसका कुछ महत्व होना चाहिए। हमारे हिसाब से सलाह लेंगे तो ठीक होगा। मैं चाहता हूं इस मांग पर कि आने वाले समय में पैसा उदयपुर डिवीजन में जो हिसाब से आता है वह ही दें। उसे पैसे से जैसा सदस्यों ने कहा, स्कूल भवन, छात्रावास भवन निर्माण करायें और सिंचाई के छोटे मोटे बांध बनायें, जिससे क्या होगा कि जंगल भी रहेंगे, आदिवासी के पास जो कुछ छोटी मोटी जमीनें हैं वह पिलाई के काम में आ जायेंगी, पानी के स्रोत अच्छे रहेंगे क्योंकि जंगल कटने पर उल्टा हो रहा है बीकानेर साइड में। मैं 20 साल पहले बीकानेर गया था उस समय बीकानेर में भयंकर अकाल था और वहां रेती उड़ती थी। अब मैं जाता हूं तो बीकानेर में जंगल ही जंगल हो रहे हैं, बरसात होती है, बाढ़ आने लगी है। हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ने लग गया इसका कारण यह है कि जंगल कट कर खतम हो गये। जहां राजस्थान नहर लाकर पानी देते हैं वहां दिलायें, बड़ी अच्छी बात है लेकिन उदयपुर एरिया में, राजस्थान में जहां पानी की कोई समस्या नहीं थी वहां समस्या आने वाली है। मैं आपसे निवेदन करूं कि एक तो उस एरिया में आदिवासी ज्यादा रहते हैं उनके नाम से कुछ पैसा खर्च होगा तो आदिवासी को लाभ मिलेगा। और दूसरों को भी लाभ मिलेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो पैसा है वह भवनों में, सिंचाई के कामों में ज्यादा खर्च करें।

मैं आरक्षण के बारे में दो लाइन कहूंगा। मैंने राज्य पथ परिवहन निगम से पता किया कि आरक्षण के तहत कितने आदिवासियों को नौकरी दी। तो उन्होंने कहा कि वह तो काबिल नहीं हैं इसलिए उनको नौकरी नहीं मिल सकती। वहां तो उनका नामोनिशान ही खतम हो गया। इसी प्रकार पटवारी का पता किया तो उन्होंने

(श्री भैरूलाल मीणा)

इसके लिए भी कहा कि काबिल नहीं हैं। वहां भी उनको नौकरी नहीं मिलती। दूसरे विभाग से पूछा, सब जगह मुझे ना में जवाब मिला, 'नहीं जी,' 'नहीं जी' मिला। जब विभाग यह बात कहता है कि ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग दो, शिक्षित करो फिर उनको रोजगार दो। मैं पूछता हूं उदयपुर में अगर वह काबिल नहीं हैं तो उनको काबिल बनाने के लिये संस्था खोलें। उस संस्था में आदिवासी को जैसी संस्था उदयपुर में खोली जाये और उसमें आदिवासी नवयुवकों को ट्रेनिंग देकर रोजगार दिया जाय।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरलाल आर्य। यदि सात मिनट का समय लें तो आपके दल के दो माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही थोड़ा सा समय लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के मन्त्री महोदय दुलाराम जी, जिला कांग्रेस (आई) कमेटी के श्री गंगानगर के मन्त्री, श्री दुलाराम जी समाज कल्याण मन्त्री राजस्थान सरकार द्वारा जब श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां दौरे पर पधारीं तो 20 लाख रुपयों की धनराशि, चांदी-चांदी माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 लाख रुपये की चांदी, बड़े-बड़े अधिकारियों से, व्यापारियों से····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर। आसन पैरों पर है। आर्डर, आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। अंकित न हो, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री छीतरलाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। आर्डर, आर्डर। बैठ जायें। कृपया मेरी बात सुनियेगा।

श्री छीतरलाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराज जायें।

श्री छीतरलाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

ऐसा है कि आज जिस मांग पर विचार हो रहा है। वह मांग है-33, समाज सुरक्षा और कल्याण जनजाति क्षेत्रीय विकास। अब किसी को चांदी से तोला नहीं तोला, ऐसा कोई कटौती प्रस्ताव इस सम्बन्ध में नहीं है। जब चर्चा प्रारम्भ हुई उस वक्त व्यवस्था दे दी थी। आपके पास कोई उपयुक्त विषय नहीं हो तो मैं अन्य किसी माननीय सदस्यों

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

को अवसर दे दूं तो ज्यादा उचित रहेगा। आपकी तैयारी कम लग रही है।

श्री बालचन्द्र।

श्री छीतरलाल आर्य : आंगन बाड़ी योजना के तहत जो पोषाहार कार्यक्रम चल रहा है, अध्यक्ष महोदय, उसमें घटिया किस्म की सामग्री बच्चों को दी जा रही है और उनके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें गुड़ वगैरह जो दिया जा रहा है उसको मनुष्य तो क्या जानवर भी नहीं खा सकता है। इस तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्यक्रम चल रहा है वह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। सन् 1980 में खैरला स्टेट हाऊस छात्रावास के नाम से कागजों में एक फर्जी संस्था खोली गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 50 हजार रुपये का उस संस्था के अध्यक्ष श्री घनश्याम जी शर्मा, अध्यापक ने भुगतान ले लिया। इसकी एफ. आई. आर. भी लोज करायी गयी, लेकिन आज तक उस सम्बन्ध में कोई भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपने कोई इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव वगैरा दिया है क्या ?

श्री छीतरलाल आर्य : हां, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : दिया हुआ है ?

श्री छीतरलाल आर्य : सम्पूर्ण राजस्थान के एस. सी., एस. टी. के विद्यार्थियों को उत्तम मेट्रिक की जो छात्रवृति दी जाती है, 1983–84 की आज तक उन छात्रों को कोई छात्रवृति नहीं दी गयी है। इसी प्रकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां जयपुर के करीब दो हजार छात्र हैं। सबसे ज्यादा उनको आज तक छात्रवृत्तियां नहीं दी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार से जो समाज कल्याण की राशि प्राप्त हुई है वह अपर्याप्त है। मैं आपको निवेदन करूं कि करीब जयपुर शहर की मांग विद्यार्थियों की 18 लाख और 16 हजार की है, राज्य के अन्य जिलों की स्थिति तो और भी भिन्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर का जिस प्रकार से निवेदन किया, करीब 2 हजार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रुकी हुयी है। अब जो कुल राशि मिली है, मेरी जानकारी में 17 लाख 95 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति के मन्त्री महोदय जिस जाति से आते हैं उसी जाति के, अनुसूचित जाति के बैरवा समाज के एक व्यक्ति की जो जमीन है, उस संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि राम नारायण सन आफ गैंदीलाल निवासी

(श्र छीतरलाल आर्य)

सिंगनियों की खातेदारी की जमीन थी उसको नन्दा बद्री सन ऑफ नारायण जाति स्वर्णकार ने हाऊसिंग बोर्ड से निकालने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस स्वर्णकार के यह जमीन रहन थी, उसके रहन थी और इसी भूमि पर आवासन बोर्ड से निकालने के लिये कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उस स्वर्णकार ने उसकी जमीन को उसके नाम से प्रार्थना पत्र देकर हाउसिंग बोर्ड से निकलवा दिया है। इसके सम्बन्ध में × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आरोप न लगायें। बिना पूर्व सूचना के नहीं लगायें जो लगायें वह एक्सपंज किया जाय।

श्री छीतरलाल आर्य : × × ×

(व्यवधान)

हरिजन बैरवा के साथ ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बिना पूर्व सूचना के आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। अंकित नहीं होगा। कृपया बिराजें। आपके एक अन्य साथी ...

श्री छीतरलाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : फिर ऐसी कई बातें हैं। कोई नयी बात हो तो कहें।

श्री छीतरलाल आर्य : कमलेश कुमारी राणी की जो 10 बीघा की जमीन थी वह हाउसिंग बोर्ड ने छोड़ी है। उसमें भी उन्होंने × × ×

श्री बुलाकीदास कल्ला : जन जाति पर बोल रहे हैं या हाउसिंग बोर्ड पर।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये तो दुलीराम पर बोल रहे हैं।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो एस. सी., एस. टी. के साथ हो रहा है माननीय मन्त्री महोदय के द्वारा यह बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हरिजनों के ऊपर और अनुसूचित जाति के ऊपर निरन्तर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्यायें की जा रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में और कोटा डिविजन में भी इस प्रकार की हत्यायें हो रही हैं। भवानी मण्डी में 11 जनवरी को एक प्रभावशाली व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बुलाकर रात में निर्ममतापूर्वक पीटकर उसकी हत्या कर दी ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसे विषय का सम्बन्ध सुरक्षा और कानून

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था से है इसलिये पुलिस की डिमाण्ड के वक्त बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री दुलाराम : ये तो सब मुझे ही समझकर बैठे हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : वह भी उसी में आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार झालावाड़ जिले में, हरिजनों की बारात पर हमला हुआ और एक हरिजन की हत्या कर दी गयी। इसी प्रकार हरिजनों, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के छात्रावासों की हालत बहुत खराब है। ज्यादा दूर नहीं जाकर आप जयपुर में ही देखिये, एक बापू आश्रम है, उसकी हालत इस प्रकार की है जैसे कोई भूत बंगला हो, वर्षों से उसकी पुताई नहीं हुई। इसको तो मन्त्री महोदय भी जानते होंगे, कभी देखते होंगे, कभी उधर गये होंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बिजली के तार निकल रहे हैं बड़ी अव्यवस्था है। अभी हम अजमेर गये थे, वहां एक बालवाड़ी छात्रावास है, वहां पर हमारे साथ कुछ अधिकारी भी थे. लेकिन बाद में जाकर विद्यार्थियों से पूछा कि कैसी व्यवस्था है तो बताया वहां का जो वार्डन है, वह वहां के जो शौचालय आदि हैं उसका उपयोग करता है और छोटे बच्चे छात्रावास की 10-10 फीट की दीवार को फांदकर जंगल में शौचादि के लिये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार छात्रावासों में बड़ी अव्यवस्था है। झालावाड़ के छात्रावासों में पीने के पानी की बिल्कुल अव्यवस्था है। खण्डहर जैसा छात्रावास हो रहा है लेकिन उसको सुधारा नहीं जा रहा है। छात्रों को छात्रवृत्तियां नाम मात्र की दी जा रही हैं। सन् 1980 से अभी तक उनको छात्रवृत्तियां नहीं दी गयी हैं। इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और हरिजनों के मोहल्लों में बिजली की और पेयजल की बिल्कुल अव्यवस्था है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मीसरोली गांव है वहां नल लगा हुआ था, पता नहीं किस कारण से उसको काट दिया गया है। भवानी मण्डी में कई बस्तियां सड़ रही हैं, अंधकार छाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आये दिन वहां पर चोरियां होती हैं और दुर्घटनायें होती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उनके नाम पर सैंकड़ों लाखों रुपये का बजट तो स्वीकार कर देते हैं लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। उसका लाभ लेते हैं अधिकारी, वह कारों में बैठकर घूमते रहते हैं लेकिन उनका लाभ उन लोगों को नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी हम किस प्रकार से दशा सुधारना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चित्तौड़ गया था वहां पूछा जिलाधीश से कि आपने अपने यहां बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत या शहरों में जो प्रशासन गया उसके अन्तर्गत गरीबों को व अनुसूचित जाति के लोगों को कितने भू-खण्ड दिये? उन्होंने बताया कि हम ने 200 के करीब भू-खण्डों का आवंटन किया है। मैंने यह पूछा कि यह कागजों में ही किया गया है या जाकर के सम्भलाया गया है? उन्होंने बताया कि ऐसा तो नहीं किया गया है, केवल कागजों में ही किया है।

श्री अध्यक्ष : कागजों में तो कम से कम पक्का तो होता है। मौके पर हो जाय और कागजों में नहीं हो तो और बुरी बात है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जाति के लोग ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं। उनकी जमीन के ऊपर अन्य लोगों ने प्रभावशाली लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। उनको जमीन के ऊपर न तो काश्त करने देते हैं और न ही मकान बनाने दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको जो हम लाभ देना चाहते हैं वह नहीं मिल रहा है इसलिये जो लाभ दिया जाय वह सही ढंग से देना चाहिए और उन लोगों तक पहुंचना चाहिए यह मेरा सुझाव है।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट में ही होना चाहिए। यह नहीं हो कि विवादास्पद मामले आयें, मानहानिकारक आयें। कुछ रचनात्मक सुझाव हों उन्हें प्रस्तुत करें।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, योजना में समाज कल्याण के अन्तर्गत 5 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जो इस साल का बजट पेश किया है उसमें 3 लाख 95 हजार परिवारों को लाभान्वित करने की सम्भावना बतायी गयी है। जो लक्ष्य था उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मन्त्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान दें। जो हमारे को सेन्टर से बराबर निर्देश मिल रहे हैं कि जितना पैसा दे रहे हैं, राजस्थान सरकार उसका बराबर उपयोग नहीं कर रही है। वह पैसा लैप्स होता है। दूसरे प्रदेशों में, अध्यक्ष महोदय, बिहार में उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में टी. ए. डी. का प्रोग्राम चल रहा है वहां राज्य सरकार नयी नयी तरह की स्कीमें देती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे का उपयोग करती है। लेकिन राजस्थान में पिछले पांच छः सालों से लगातार सेन्टर के निर्देश आते रहे हैं कि इस प्रोग्राम के तहत जितना पैसा दिया जा रहा है उसका पुरा उपयोग किया जाय, उसकी क्रियान्विति की जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो बेरोजगारों की योजना के नाम से और दूसरी योजना के नाम से, एन. आर. ई. पी. के तहत रोजगार देने की व्यवस्था की जाती है। और इसके बढ़ा चढ़ा कर टार्गेट किये जाते हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार, उच्चस्थ अधिकारियों के पद हैं उनका तो क्रियेशन कर रही है लेकिन जो थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के पद हैं उस पर नियुक्ति पर पाबंदी लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, लगातार बेरोजगारी बढ़ी जा रही है। हमारे एस. सी. व एस. टी. व सभी कास्टों के लिये नौकरियों पर पाबन्दी लगी हुई है मेरा आग्रह है कि उसको जल्दी से जल्दी खोला जाय ताकि गरीबी की रेखा से नीचे जो परिवार हैं तथा जो बहुत तरह की बेरोजगारी बढ़ रही है इसको हम जल्दी से मीट आउट कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ट्राइबल होस्टल सुपरिंटेंडेंट का पद भरा गया आज से दो तीन माह पहले। उसमें मेरी सबसे

(श्री रामकिशोर मीणा)

बड़ी शिकायत, अध्यक्ष महोदय, यह है कि ये पद ट्राइबल एरिया के लिये ही था लेकिन इसमें जो भर्ती किये गये वे दूसरे जिलों से किये गये। उसमें सबसे बड़ी परेशानी, अध्यक्ष महोदय, यह होती है कि वह होस्टल आज बन्द हैं क्योंकि वहां पर जो कर्मचारी डेप्यूट किये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, जो चयनित किये गये वे वहां पर जाना नहीं चाहते। वे अपना सारा समय ट्रांसफर केन्द्र पर ही व्यतीत करते हैं। जो वहां के लोग वहां पर रह सकते हैं। वह तो जो फोर्थ क्लास के लिये अपाइंट किये गये हैं और थर्ड क्लास के लिये बाहर के लोग अपाइन्ट किये गये जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा के एरिया में रहना नहीं चाहते। इस कारण से वहां पर वहां के लोगों को ही लिया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। 53 में से 51 व्यक्ति तो इस ट्राइबल एरिया के बाहर के अपाइन्ट किये गये। अध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन का जो कोटा है हमारा वह भी डिपार्टमेंट ने आज तक पूरा नहीं किया। यह समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है कि वह हर एक विभाग को यह ताकीद करता रहे कि जो हमारा कोटा है वह जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय।

माननीय हीरालाल जी ने, अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से थोड़ा....

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो निदेशक महोदय है उनके पूर्वकाल के बारे में हमारे विधान सभा के विभिन्न सत्रों में कई बार इस तरह के चार्जेज लगाये गये हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और कुछ भ्रष्टाचार के भी आरोप समय समय पर लगते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान प्रशासन सेवा के कुछ अधिकारी थे उन्होंने यह महसूस किया कि वर्तमान निदेशक महोदय जब से आये हैं हम हमारा काम इज्जत से नहीं कर सकते, अपने मन के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। इस हालत में उन्होंने, अध्यक्ष महोदय, चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी को, समाज कल्याण के सेक्रेटरी को दो तीन बार लिखा। उन्होंने आखिर में यहां तक कह दिया, अध्यक्ष महोदय हमको, राजस्थान के किसी भी विभाग में भेज दें, हम चाहें बाबूगिरी का काम कर लेंगे लेकिन हम इज्जत से रहना चाहते हैं। हमको इज्जत के तौर पर रहने दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, एक अधिकारी को दो साल पहले लकवा हो गया था उस आदमी को वह निदेशक कभी लूला लंगड़ा दूसरे अधिकारियों के सामने बोलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके बारे में या कोई दूसरे माननीय सदस्यों के बारे में कुछ इस तरह कहूं जो भद्दा लगे तो कैसा लगेगा। तो उस तरह के जो मामले हैं उनके कारणों के अन्दर तो आपको जाना पड़ेगा। समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि गरीबों का विभाग है। इसमें कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक अधिकारी नहीं चार-पांच अधिकारी ने 17–12–83 को चीफ सेक्रेटरी को और विभिन्न अधिकारियों को ए. के. सक्सेना जो चीफ मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरी हैं, को लिखकर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

(श्री रामकिशोर मीणा)

"We, the R. A. S. officers working at present under the Director, Social welfare Department and ex-officio Managing Director, Rajasthan Scheduled Castes Development Corporation submit the following to bring to your kind notice the humiliating, contemptuous behaviour and attitude, unbecoming behaviour and abusive language used by Rr. B. L. Mehrda the present Director of Social welfare and Managing Director, R. S. C. D. C."

दो आफिसरों अध्यक्ष महोदय, सलेक्शन ग्रेड के आर. ए. एस. आफिसर प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस. सी. पी. तथा जनरल मैनेजर आर. एस. सी. डी. सी.…

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

ये दो अधिकारी, अध्यक्ष महोदय, निदेशक महोदय के व्यवहार के कारण से विभाग छोड़ करके चले गये।

The present set of officers have come to the firm conclusion theat further working under him is absolutely impossible now.

अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की जहां पर बातें हों, अध्यक्ष महोदय, तो सोचना पड़ेगा हमको। इस विभाग में हमको गुण्डाजी पैदा नहीं करनी है. गरीबों की भलाई के लिये यह डिपार्टमेंट बनाया गया है. इसमें हम किस तरह सुधार कर सकते हैं। इस तरह के जो चार्जेज हैं उनको हमको सीरियसली लेना चाहिये ताकि उसके आधार पर विभाग में कुछ सुधार करके गरीबों को राहत दे सकें।

धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। गुमराह न करें, माननीय सदस्य। दो बार कर दिया। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : आधा मिनट घुमक्कड़ जाति के बारे में कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी अवसर पर…

श्री देवीसिंह भाटी : मन्त्री महोदय, घुमक्कड़ जाति के बारे में आप जमीन आवंटन के लिये…

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अंकित न हो।

श्री दूलाराम (मन्त्री, समाज कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि करीब बारह माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव

(श्री दूलाराम)

इस सदन में रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विपक्ष हमेशा इस बात को कहता है कि अनुसूचित जाति की लड़की के साथ रेप हो गया, अनुसूचित जाति की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया गया। आज एक भी माननीय सदस्य कुछ अमूल्य सुझाव सरकार को नहीं दिये या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिये क्या अच्छी योजनाएं लागू हो सकती हैं उसके बारे में राय नहीं दी। इसका मुझे बहुत दुख है। यह'''

श्री अध्यक्ष : यह स्वाभाविक है।

श्री दूलाराम : आप ठीक फर्मा रहे हैं, यह स्वभाविक है। जहां तक''''

श्री मेघराज तावड़ : सुझाव के लिये बोर्ड बने हुए हैं उनकी मीटिंग होती हैं, वहां खुद वे नहीं जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : सुझाव देने का सबसे बड़ा स्थान है यह यहां नहीं दिया तो चिन्ता होना स्वाभाविक है।

(7.38 म. प.)

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सभापति, पदासीन)

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी मीणा ने बड़ी भावना में आकर यह सदन में कहा कि समाज कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति क गयी उसमें पैसे लिये गये। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का विशेष तौर से सदन के माध्यम से आभारी हूं कि उन्होंने सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं की नियुक्ति के आदेश दिये। माननीय नन्दलाल जी को उनके माननीय सदस्यों ने स्लिप पकड़ा दी और वे भावना में आकर बोल गये कि 5 हजार, 10 हजार रुपये की बोली पर नियुक्ति हुई। एक तरफ आप कह रहे हैं। कि'''

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिये आप, सब मेरे पास आये हुए हैं।

एक तरफ आप फर्मा रहे हैं कि एक आदिवासी की हालत ऐसी है कि वह कपड़े नहीं पहन सकता, रोटी नहीं खा सकता, उसकी हालत बहुत खराब है। उन महिलाओं, जिनके पास कुछ साधन नहीं था और रोटी का भी साधन नहीं था, के लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की और सबसे पहले चालीस महिलाएं सुपरवाइजर राजस्थान में प्रथम बार रखी गयी हैं, उनके बारे में आपने चार्जेज लगाये, उसके लिये मुझे दुःख है। अगर यह सच्चे अनुसूचित जाति के सदस्य होते तो चाहे मेरे प्रति आभार प्रकट नहीं करते, मगर माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्रति जरूर आभार प्रकट करते जिन्होंने पहली बार, पहली मर्तबा आदेश दे करके कहा कि आप 28% बैकलाग पूरा करके अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को नियुक्ति देंगे, इसमें एक परसेन्ट भी कमी नहीं करेंगे। माननीय

(श्री दूलाराम)

सभापति महोदय, आप फर्मा रहे हैं कि नियुक्तियों में 5–5 हजार, 10–10 हजार रुपये लिये हैं। यह मिथ्या आरोप सदन में...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया व्यवधान न डालें। सुनिये मन्त्री जी को। आपको अवसर था आपने बात कही। अब मन्त्री जी को सुनिये।

श्री दूलाराम : माननीय सभापति महोदय उसके अलावा कुछ माननीय सदस्ययों ही उठ गये, बीच में बोलने लग गए कि इसमें पैसे लिये गये हैं, इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, इसमें यह हुई है सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने यह लिख कर दिया है अध्यक्ष महोदय को कि इन्होंने नियुक्तियों में गलतियां की हैं, उसके अलावा यह भी उन्होंने लिखकर दिया है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बारे में मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य जिनका मैं नाम लेना सदन में अच्छा महसूस नहीं करता, ने मुझे यह कहा कि राजस्थान में जो महिला सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति कर रहे हैं, हमारी सिफारिश से करें। मैंने दृढ़ता से मुकाबला किया, साफ इन्कार किया कि मैं किसी भी माननीय सदस्य की सिफारिश जो कमेटी नियुक्त की है, उस पर थोपना नहीं चाहता, वह अपनी स्वतन्त्रता से नियुक्ति करेगी, मैं किसी प्रकार का उस पर दवाव नहीं डाल सकता। अब जिनकी नियुक्ति नहीं हुई उन्होंने स्लिप बनाकर माननीय सदस्य महोदय को सौंप दीं। दुःख हुआ मुझे। आप यह कहते कि मैंने फलां महिला सुपरवाइजर से पैसे लिये हैं। किसी एक भी महिला सुपरवाइजर का नाम लेते। आपने केवल यह कह दिया कि 143 महिला सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की गयी और सबसे 5–5 हजार रुपए लिए गये। अब यह अलग बात है कि मैंने किसी की बात नहीं मानी, सिफारिश नहीं मानी, मैंने स्वतन्त्रता से काम किया है, दबंगता से काम किया है। मैंने खुद राजस्थान में महिला सुपरवाइजर्स के अनुसूचित जाति, जनजाति के कोटे को पूरा करके भी बैकलॉग को पूरा करने की कोशिश की है। राजस्थान में हमको बी. ए. या वैसी क्वालिफाइड लड़की नहीं मिली। उसके बाद हमने जनरल की भर्ती की है, उसके पहले नहीं की। आप कह रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं कि हमने महिला सुपरवाइजर के लिए पैसे लिये। यह बड़े दुःख की बात है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप चार्ज लगाइये, आपका अधिकार है चार्ज लगाने का, क्योंकि खिलाफ पार्टी ने माननीय मुख्य मन्त्री जी से लेकर राजस्थान के फोर्थ क्लास सर्वेंट तक पर चार्ज लगाये। अब इनके पास बाकी कोई एक बात है, राजस्थान से निकलकर दूसरी स्टेट में तो जा नहीं सकते, जिसके खिलाफ यह चार्ज लगायें।

श्री चन्दनमल बैद : मध्य प्रदेश गये हैं।

श्री दूलाराम : हां, मध्य प्रदेश भी जा आये।

माननीय सभापति महोदय, एक इन्होंने यह बात कही...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री बूलाराम : एक इन्होंने यह कहा कि सहायक अधीक्षक दो हमने रखे हैं, उसमें भी गड़बड़ियां हुई हैं माननीय सभापति महोदय, आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, 52 पोस्ट्स थीं कुल, नन्द लाल जी साहब, कान खोलकर सुनना, राजस्थान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, 31 नियुक्तियां अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्तियों को दी गयी हैं और 21 नियुक्तियां सवर्ण जाति को मिली हैं। आपके पास भी डिपार्टमेन्ट रहा है, क्या आपने कभी दिलेरी दिखाई ?

(व्यवधान)

सुनिये आप।

माननीय सभापति महोदय, यह कह रहे हैं, फोर्थ क्लास सर्वेन्ट की आपने भर्ती की उसमें में गड़बड़ियां हुई। माननीय सभापति महोदय, टोटल 53 नियुक्तियां हुई हैं उनमें से हमने 4 सवर्ण जाति और बाकी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दी हैं। आप एक बात मुझे समझाइये, यह डिपार्टमेंट आपके पास भी 1978 से लेकर उस समय रहा, क्या आपने ऐसा किया, क्या आपने ऐसा करने की दिलेरी दिखाई ? माननीय सभापति महोदय, यूं ही कह दें कि मेरे अधिकारी ने, मेरी सलाहकार समिति बनी, उसने गड़बड़ की है, पैसे लिये हैं, यह निराधार आरोप है। उन्होंने अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से जो उम्मीदवार चयनित किये हैं, उनको मैं सही मानता हूं और जो आप कह रहे हो उसको सही नहीं मानता।

इसी तरीके से, माननीय सभापति महोदय, उसके बाद इन्होंने यह कहा इनकी तलवार किस पर चलती है ? दूसरे तो डराते हैं इनको। इनकी तलवार या तो एस.टी. पर या एस.सी पर चलती है। सबसे पहले नाम लिया, इन्होंने, हीरालाल जी वर्मा का। हीरालालजी वर्मा, जो सवाई माधोपुर में सोशल वेलफेयर ऑफिसर थे, एक ट्रक आया, एक ट्रक गुम हो गया, ट्रक गुम होने के बाद × × × यह आरोप भी लगाया इन्होंने। सभापति महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए निवेदन करूं। मुझे मालूम हुआ, एक ट्रक यहां से रवाना हुआ सवाई माधोपुर के लिए। वह ट्रक सवाई माधोपुर नहीं पहुंचा। इससे पिछला सैशन जो चल रहा था, उसके पहले की बात मैं निवेदन कर रहा हूं मैं, वह सैशन चलने के पूर्व मैंने उस अधिकारी को और जितने कर्मचारी थे, उन सबको सस्पैंड किया। सस्पैण्ड करने के बाद मैंने उसकी जांच कराई। माननीय सभापति महोदय, 12, विधायकों ने मुझे लिखकर दिया कि यह अनुसूचित जाति का उम्मीदवार है, इसका कोई दोष नहीं है, इसके खिलाफ गलत चार्जेज लगाये गये हैं। इसलिए मैंने उसको बहाल किया है और आप कह रहे हैं कि × × × अगर आप महसूस करते हैं....

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री यदुनाथ सिंह : एक तरफ तो आप कह रहे हैं, ट्रक पहुंचा नहीं, इसलिए जांच कराई, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विधायकों ने लिखकर दिया।

श्री दुलाराम : मेरी बात सुनिये, मेरा निवेदन सुनिये।

माननीय सभापति महोदय, अब, जांच हुई। जांच होने के बाद सारे विधायकों ने मुझे लिखकर दिया, 12 विधायकों ने लिखकर दिया। जांच मे यह प्रूफ हुआ कि ट्रक भाग गया है। यह सारे तथ्य, अगर आप कहेंगे तो मैं सदन में लाकर सबको दिखा दूंगा। आपको भी। माननीय सभापति महोदय, अब यह....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री दुलाराम : × × × क्या आप एस.सी. के हैं? क्या आप एस.टी. के हैं? एस.टी. के होते तो भी आप में कम से कम अगर रत्ती भर भी भावना होती, रत्ती भर भी आप में एस.टी. का खून होता तो शायद ऐसा आरोप उस हरिजन पर नहीं लगाते। आप किसी दूसरे के लिये लगाते तो मुझे दुख नहीं होता। मगर आपने उस हरिजन के ऊपर लगाया, और यह कहकर लगाया कि × × ×

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा इन्होंने यह बताया कि कुछ ऐसी महिला सुपरवाइजर हैं जिनकी जन्म तिथि सही नहीं है, कुछ के बाप के नाम नहीं हैं। आप मुझे लिस्ट दीजिए, मैं तो उसको निकाल दूंगा। अगर बाप के नाम सही नहीं हैं, तो भी मैं निकाल दूंगा, अगर उनके फर्जी सर्टिफिकेट हैं तो भी मैं निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

बैठिये आप। मेरी बात सुन लीजिए।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम ही लिस्ट देने लगेंगे × × ×

श्री सभापति : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, मैं तो मुख्य मन्त्रीजी और इन्दिराजी कृपा से राज कर रहा हूं, × × ×

यह तो क्या कह सकता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : × ×

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री दुलाराम : यह तो मैं क्या कह सकता हूं।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं, अगर

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दूलाराम)

कोई शिकायत आपको हो, अगर कोई शिकायत आप महसूस करते हैं तो मुझे आप दीजिए। मैं जांच करके कार्यवाही करूंगा।

इसके अलावा आपने यह भी कहा कि बड़ा आमूल चूल परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद मैस कमेटी को काम पर लगा दिया। माननीय सभापति महोदय, एक परम्परा पहले थी कि एक होस्टल सुपरिन्टेन्डेंट बच्चों को लाकर सामान देता था। उसके बाद इसी हाउस में यह चर्चा चली कि नहीं; यह व्यवस्था ठीक नहीं है, मैस कमेटी बनाइये। फिर हमने, राज्य सरकार ने एक मैस कमेटी बनाई। उसके अलावा अगर कोई आप सुझाव देते, आप यह कहते कि मैस कमेटी की बजाय यह कर दीजिए तो हम वह करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा भी माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 7 सदस्यों की एक कमेटी बना देंगे। जैसी भी वह राय देगी, उसी तरीके से उसकी व्यवस्था कायम कर देंगे। हमें कहीं हिचकिचाहट नहीं है। हम चाहते हैं, मेरा मानस है, मैं चाहता हूं, राज्य सरकार चाहती है, माननीय मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं कि अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का पैसा गरीब आदमी को डायरेक्ट मिले, उसको नुकसान नहीं हो। कहीं भी हमारे दिमाग में इस बात की हिचकिचाहट नहीं है। मगर आपने जो व्यवस्था खराब की थी, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। उसी की वजह से आज अव्यवस्था हो रही है। माननीय सभापति महोदय, आज जो अव्यवस्था हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है 1977 से लेकर 80 तक किसी ने भी इस डिपार्टमेंट के पन्ने नहीं पलटे, किसी ने भी यह नहीं देखा कि इस विभाग की व्यवस्था क्या है, किसी ने भी यह नहीं देखा कि उस बच्चे को अनुदान कितना मिल रहा है। किसी ने भी यह नहीं देखा कि उस होस्टल वाले बच्चे को हम क्या देने जा रहे हैं। आज आप चर्चा का विषय बना रहे हैं कि राजस्थान सरकार 106 रुपये देकर क्या उदारता दिखा रही है। मुझे आप एक बात बताइये, आपने कितनी उदारता दिखाई? फिर भी, हमने तीन चार साल के अन्दर दो दफा पैसे बढ़ाये हैं, फिर भी माननीय मुख्य मन्त्री जी का मानस है कि इसके अलावा फिर हम एक फेयर कमेटी बनायेंगे, फेयर कमेटी बनाकर उसका फेयर सर्वे करवायेंगे, फेयर दिखवायेंगे कि क्या, कितना पैसा उनका और बढ़ाया जाय, यदि व्यवस्था ठीक हो सकती है। मगर उसके बाद आप, नन्दलाल जी मीणा मन्त्री थे, इनके पास डिपार्टमेंट रहा है और वही मुझे सुझाव दे रहे हैं। सुझाव छोतरलाल जी ने ठीक दिया, और माननीय सदस्य बोले, ठीक बोले हैं। मगर उसके बाद जो राज्य सरकार में रहा हो, जिसने राज्य सरकार को भोगा हो, वह इस सदन में आकर यह बात कहे तो वह मुझे अच्छी नहीं लगी। माननीय सभापति महोदय....

श्री मेघराज तावड़ : इसका तो ट्रेनिंग

(श्री मेघराज तावड़)

पीरियड था इसलिए पूरी व्यवस्था नहीं कर पाये।

(व्यवधान)

श्री चन्दमल बैद : ट्रेनिंग में ही बर्बाद कर गये।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, एक इन्होंने यह कहा कि मैट्रिक, उत्तर मैट्रिक और विकलांग को छात्रवृत्ति कम मिल रही है। उसके आंकड़े अभी थोड़ी देर में मैं आपको निवेदन करूंगा, मेरे पास आंकड़े हैं कि कितनी हम उनको छात्रवृत्ति दे रहे हैं, कितनी नहीं दे रहे हैं, यह मैं आपको अभी निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, उसके अलावा माननीय सदस्य, श्री देवेन्द्र कुमार जी और गोपाल जी पचेरवाल, और कुछ अन्य सदस्यों ने सुझाव दिये, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि एस. टी. की एक मीटिंग मैंने उदयपुर में ली थी। उसी मीटिंग में हमने यह तय किया था कि एक कमेटी तय कर दी जाय अनुसूचित जन जाति के विकास निगम हेतु और वह।

(7. 49 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

जो राय देगी उसकी राय के अनुसार निगम को काम करने की हिदायत दे देंगे। मगर उस कमेटी ने अभी रिपोर्ट दी नहीं है। जब भी वह कमेटी रिपोर्ट दे देगी उसके तुरन्त बाद वह व्यवस्था कायम कर देंगे। इसमें हमने एम. पीज् को लिया, एम एल एज् को लिया, प्रधान को लिया, प्रमुख को लिया, अधिकारियों को भी हमने उसमें शामिल किया है। जहां तक यह कहा कि अधिकारियों को जीपें क्यों हैं, कारें क्यों हैं तो अगर उनके पास गाड़ियां नहीं होंगी अगर उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होगी, उनको हम व्हीकल नहीं देंगे तो क्या आप महसूस करते हैं कि वह पैदल चलकर झाड़ियों में जायेंगे, क्या आप महसूस करते हैं कि डूंगरपुर चले जायेंगे, क्या आप महसूस करते हैं कि एक एक पॉइन्ट को चैक कर लेंगे ? यह सम्भव नहीं हो सकेगा। उसके अलावा, अच्छी राय दीजिये इसमें—

श्री मेघराज तावड़ : कारें उस इलाके में नहीं जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर [माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : मैं उपलब्धियों के सम्बन्ध में भी निवेदन कर देता हूं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं एक माननीय सदस्य श्री राम किशोर जी मीणा ने यह बताया कि छठी पंचवर्षीय योजना में 5 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को पावर्टी लाइन से ऊपर लायेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आपने उस कार्य को पूरा नहीं किया ! इसके बारे में मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय—

श्री अध्यक्ष : कम से कम उन्होंने बात पढ़ कर तो कही है।

श्री दुलाराम : अनुसूचित जाति के

(श्री दुलाराम)

राजस्थान में 10 लाख परिवार हैं और छठी पंचवर्षीय योजना में 5 लाख परिवारों को पावर्टी लाइन से ऊपर लाने की बात कही, उसमें से 4 लाख 1 हजार 82 परिवारों को पावर्टी लाइन से इस साल के आखिर तक ऊपर लायेंगे। अगले साल में हमने एक लाख परिवारों को, एक साल में प्रापर्टी लाइन से ऊपर लाने की व्यवस्था की है।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आंकड़ों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में आप बात बताते हैं, 1978 में पूर्व मैट्रिक को 96, 927 पर जनता पार्टी शासन में 1 करोड़ 34 लाख रुपये व्यय किये गये। अब आप सुनिये, 2 लाख 36 हजार 120 1983-84 में 2 करोड़ 85 लाख 66 हजार हमने व्यय किये हैं जिसको आप कम मानते हैं। उत्तर मैट्रिक के बारे में 1977-78 के अन्दर और ·978-79 के अन्दर 9654 और 76 लाख 87 हजार रुपये आपने खर्च किये हैं। 1983-84 के अन्दर 24,000 छात्रों पर 2 करोड़ 21 लाख रुपये हमने व्यय किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिप्लोमा और डिग्रीधारी पर 10 लाख 30 हजार रुपये खर्च किये हैं और 1983-84 के अन्दर कांग्रेस शासन में 12, 518 विद्यार्थियों पर 58 लाख 88 हजार रुपये खर्च किये है। आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया, सुनते नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 2:8 छात्रावास जनता पार्टी शासन में थे और कांग्रेस शासन में 339 छात्रावास हुए। इन्होंने एक भी नहीं खोला। आप अब ××× हल्ला मचा रहे हैं आप इतनी बात कह रहे हैं, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा दुःख हो रहा है। मैं भी महसूस करता हूं और मैं आप लोगों के साथ शामिल हूं, क्या विपक्ष के नेता महोदय, माननीय भैरोंसिंह जी ने उस समय आपकी एक भी बात मानी ? एक पर्सेन्ट भी नहीं मानी। एक भी अनुसूचित जाति के इलाके में छात्रावास नहीं खोला। आज कांग्रेस जब देने जा रही है, माननीय मुख्य मन्त्री जी देने जा रहे हैं, राजस्थान का मन्त्रिमण्डल देने जा रहा है, कांग्रेस के माननीय सदस्य पक्ष करते हैं, सरकार से दिलवा रहे हैं, तो उसका आप विरोध कर रहे हैं—

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आपने कितनी दी छात्रवृत्ति ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से अनुसूचित जाति स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत 1 लाख 12 हजार परिवारों को पैसा दिया गया। इस 55 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय किये गये हैं और अनुसूचित जाति और जन जाति, जिन पर अत्याचार हुये हैं, के एक भी किसी परिवार को आपने फायदा नहीं दिया और अभी, जमीनों पर कब्जा हो गया, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ रेप हो रहे हैं। आपके माननीय भैरोंसिंह जी ××

श्री दाऊदयाल जोशी : ××× ऐसा मत बोलो....

श्री दुलाराम : ××× और क्या करते हैं....

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द को एक्सपन्ज किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : इस तरह की बात करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मन्त्री महोदय को ताड़ना दीजिये ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्य वीर : ताड़ना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, बैठ जायं। माननीय सदस्य, कृपया....

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : ×××

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : मेरा निवेदन सुन लीजिये—

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय भैरोंसिंह जी ××× तो आपके मुख्य मन्त्री जी ×××

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : कैसे मन्त्री बन गये। ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

भाषा में संयमता बरतें, माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : ×××

श्री अध्यक्ष : भाषा में संयम बरतें।

श्री दूलाराम : अत्याचारों के मामलों में जनता पार्टी के शासन के दौरान एक भी परिवार को कानूनी मदद नहीं दी गई....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, सभी पक्षों के सदस्यों ने कई उपयोगी सुझाव भी दिये हैं। पांच मिनट में गुलोटिन लग जायगा इस लिए उस सम्बन्ध में भी आप कुछ कहना चाहें ...

श्री दूलाराम : निवेदन तो सारा ही करूंगा जो अचिवमेन्ट हुये हैं और होने जा रहे हैं।

300 परिवारों को हमने फायदा पहुंचाया इस पर 3 लाख 14 हजार रुपये खर्च हुये छुआछूत के लिये हमने 9 पंचायतों को इनाम दिये जिस पर 1 लाख 10 हजार रुपये खर्च हुये। अन्तर्जातीय विवाह, आप एक भी शादी नहीं करवा सके, हमने दो

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दूलाराम)

शादी करवाई जिस पर 10 हजार रुपये खर्च किये। सहकारी समितियों को अनुदान में आपने एक रुपये भी खर्च नहीं किया—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर,

श्री दूलाराम : 41925 व्यक्तियों को 22 लाख 13 हजार रुपये की हिस्सा राशि उपलब्ध कराई गई। कार्यशील महिलाओं के छात्रावासों के लिये 1 करोड़ रुपया, जिससे हम छात्रावास खोलने जा रहे हैं। महिला प्रशिक्षण के लिये आपने एक नहीं खोला। हम 7 खोलने जा रहे हैं। आपने 40,425 विकलांगों को सहायता दी; 1983–84 में 78 हजार विकलांगों को सहायता दे रहे हैं। समन्वित बाल विकास योजना के तहत 25 लाख 10 हजार रुपये तो आपने खर्च किये और हमने 3 करोड़ 10 लाख किये। अब आप कौन सा मुकाबला करना चाहते हैं, और कौनसी बात कहना चाहते हैं। क्या अनुसूचित जाति, जन जाति के परिवारों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी मैं निवेदन करूं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठे-बैठे नहीं बोलें, माननीय सदस्य।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पिछले वर्ष राजस्थान में 2 हजार दुकानें हमने अनुसूचित जाति के परिवारों को अलाट कीं। यह एक नया अचिवमेन्ट है। आपने तो उनकी जो दुकानें होंगी वह भी ले ली होंगी। उसके बाद एक भी संघी यह नहीं चाहता था कि एक भी अनुसूचित जाति का सदस्य दुकानों के लिये मण्डी में जाय, मगर हम उनको जबर्दस्ती भेज रहे हैं। राज्य सरकार 5 हजार रुपये का अनुदान और 5 हजार का लोन देकर उनके द्वारा दुकान चलवायेगी। यह भी प्रथम दफा राजस्थान में हुआ है पहले कभी हुआ नहीं। इसी तरह से गत वर्ष 25 सिनेमा और 27 पट्टे राजस्थान में अनुसूचित जाति के परिवारों को को-आपरेटिव बेसिस पर अलॉट करने की योजना है और रजिस्ट्रेशन आदि के लिये भी पैसा अलाट करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा नई योजनायें भी हम चालू करने जा रहे हैं। जो गरीब आदमी एक छोटी सी रेड़ी लगाकर, अनुसूचित जाति का सदस्य रेड़ी लगाकर खड़ा रहता है उसको हम 500 रुपये का अनुदान देंगे और 500 रुपये लोन दिलायेंगे। 1000 रुपये में रेड़ी सब्जी की या फल-फ्रूट की वह लगायेगा उसके लिये हम 500 रुपये का अनुदान देंगे। जूता बनाने वाला गरीब आदमी जो रोड पर बैठा हुआ है वैसे 3 हजार परिवारों को हम बेनीफिट करेंगे जिसमें 750 रुपये की सब्सिडी और 750 रुपये का उसको हम लोन देंगे....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : हकीकत नहीं

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

बोल रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंची है सब्सिडी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष जी, ऊंट के बालों से बोरे बनाये जाते हैं और भी कई चीजें बनती हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग बनाते हैं वैसे 2500 परिवारों को हम बेनीफिट करेंगे। एक हजार रुपये का अनुदान देंगे और एक हजार रुपये का हम लोन दिलवायेंगे। इसी तरह से चर्मकार, जो चमड़े का काम करते हैं, 5 हजार परिवारों को हम बेनीफिट करेंगे। जिसमें 1500 रुपये की सब्सिडी और 1500 रुपये का लोन हम दिलवायेंगे। टोकरियों और फर्श आदि जो बनाते हैं; गरीब आदमी चाहे गांव में बैठकर बना रहा हो या शहर में बैठकर बना रहा हो, ऐसे हम 2500 व्यक्तियों को बेनीफिट करेंगे उसमें 1500 रुपये का लोन होगा और 1500 रुपये की सब्सिडी होगी। कम्बल, केश या टोंक में जो चीजें बनाते हैं उसके हैं, उसके लिये निवेदन कर रहा हूं, उनके लिये हम 9 हजार परिवारों को बेनीफिट करने जा रहे हैं जिसमें 1500 रुपये की सब्सिडी होगी और 1500 रुपये का लोन होगा। उसी तरह से बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, छपाई और दस्तकारी के लिए हम एक हजार परिवारों को बेनीफिट करेंगे जिसमें 1500 रुपये का लोन और 1500 रुपये की सब्सिडी देने जा रहे हैं।

इसी तरीके से सुथार, लुहार, कारीगर जो अनुसूचित जाति के लोग काम करते हैं ऐसे एक हजार लोगों को हम बेनीफिट करेंगे, 1500 रुपये की सब्सिडी और 1500 रुपये का लोन होगा। इसी तरह से साइकिलों पर जो गरीब आदमी अनुसूजाति का आदमी शहरों में वढ़ई का काम करता है ऐसे एक हजार परिवारों को हम बेनीफिट करेंगे। 1500 रुपये का लोन दिलवायेंगे और 1500 रुपये की सब्सिडी। इसी तरह से शिल्पकार, जो कशीदे का काम करते है, 500 परिवारों को हम बेनीफिट करेंगे, 1500 रुपये का लोन और 1500 रुपये की सब्सिडी दिलवायेंगे।

इसी तरीके से अन्य जो कोई भी होंगे उनके लिये हमने 30 लाख रुपया अलग रखा है, कोई भी दस्तकार ऐसा हमको मिल जाय जो इस लाइन में नहीं है उसको भी हमने बेनीफिट करने के लिये सोचा है। धोबी, जो ड्राइक्लीन का काम करेगा, ऐसे भी हम 500 परिवारों को बेनीफिट करेंगे, जिसमें 2500 रुपये की सब्सिडी और और 2500 रुपये लोन दिलवायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवर्स के जो सेट है उसके लिये हम दो हजार परिवारों को बेनीफिट करेंगे 2500 रुपये का लोन होगा, और 2500 रुपये की सब्सिडी होगी। दूकानों के लिए हमने तीन हजार रुपये दूकान रखी है, इस साल उसमें पांच हजार रुपये का लोन कर दिया और 5 हजार रुपये की हमने सब्सिडी कर दी। आटो रिक्शा के लिये हम 5 हजार परिवारों को

(श्री दुलाराम)

बेनिफिट करेंगे जिसमें 5 हजार की हमने सब्सिडी कर दी और बाकी उसका लोन होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। गुलेटिन का प्रयोग करके सभी चर्चा समाप्त की गई।

मांगों पर मतदान।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। गुलेटिन का प्रयोग हो गया, कोई भाषण और किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी।

मांगों पर मतदान।

मुख बन्द प्रयोग मांग संख्या 30 व 33 का पारण

मांग संख्या 33–प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,38, 72,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,65,22,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

शेष अनुदान की मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,31,55,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 मन्त्री परिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 84, 26,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,01 32,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है,

(श्री अध्यक्ष)

प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 प्रशासनिक-निक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,31,72,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग 6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 7,71,47,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,32, 86,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखा-नुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 विविध सामान्य सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,00,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,05,74,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3, 90,90,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 बिक्री-कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री अध्यक्ष)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,67,50,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,71,02,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4, 33, 83,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 जनसम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,45, 26,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग कि संख्या 20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,05, 43,000 तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 32,52,30,000 रुपये (बत्तीस करोड़ बावन लाख तीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,67,12,000 रुपये (छब्बीस करोड़ सड़सठ लाख बारह हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा

(श्री अध्यक्ष)

अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,44,29,000 रुपये (बीस करोड़ चवालीस लाख उन्नतीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,20,00,000 रु. (दो करोड़ बीस लाख रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—29 नगर आयोजना एवम् प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,02,72,000 रुपये (आठ करोड़ दो लाख बहत्तर हजार रु.) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31 पुनर्वास एवम् सहायता के सम्बन्धमें 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 35,52,000 रुपये (पैंतीस लाख बावन हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,09,39,000 रुपये (दो करोड़ नौ लाख उन्तालीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या—34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में

(श्री अध्यक्ष)

31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,52,99,000 रुपये (पन्द्रह करोड़ बावन लाख निन्यानवे हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवम् आर्थिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,99,56,000 रुपये (सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छप्पन हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवम् भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 26,25,30,000 रुपये (छब्बीस करोड़ पच्चीस लाख तीस हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 राजकीय उप-क्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,56,54,000 रुपये (दो करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,47,89,000 रुपये (अठारह करोड़ सैंतालीस लाख नवासी हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,75,75,000 रुपये (चौबीस करोड़ पिच्छत्तर लाख पिच्छत्तर हजार रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 लेखन सामग्री एवम् मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,91,86,000 रुपये (चार करोड़ इक्यानवे लाख छियासी हजार रु.) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21, 10, 76,000 रुपये (इक्कीस करोड़ दस लाख छिहत्तर हजार रु.) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है मांग संख्या 48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 77,09,00,000 रुपये (सतत्तर करोड़ नौ लाख रुपये) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन
राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1984

श्री बृज सुन्दर शर्मा : (वित्तमन्त्री) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1984 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.20 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 19 अप्रेल, 1984 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(2351)

परिशिष्ट 1.

तारांकित प्रश्न संख्या 753 की सूची

1980 के बाद क्रमोन्नत उ. मा. वि.

(1) देई

(2) नेनवा

(3) तालेड़ा

(4) केशवराय पाटन

(5) बरुधन

(6) अलोद

(7) इन्द्रगढ़

————

सत्र 1980-81 कक्षा 10

क.सं.	नाम विद्यालय	छात्र सं.	छात्र सं. विज्ञान	वाणिज्य	कला
1.	उ.मा.वि., बून्दी	467	200	162	105
2.	उ.मा.वि., लाखेरी	166	58	49	59
3.	उ.मा.वि., हिण्डोली	62	....	48	14
4.	मा.वि., अजेता	09	....	....	09
5.	मा.वि., अलोद	13	....	....	13
6.	मा.वि., अन्थेड़ा	04	....	04	....
7.	मा.वि., अरनेहा	21	....	....	21
8.	मा.वि. बड़ाखेड़ा	20	....	20	....

1	2	3	4	5	6
9.	मा.वि., बड़ासयागांव	25	....	25	....
10.	मा.वि., बालचन्दपाड़ा	62	17	....	45
11.	मा.वि., बांसी	17	....	....	17
12.	मा.वि., बल्धन	22	14	....	08
13.	मा.वि., बसौली	06	—	....	06
14.	मा.वि., चौगानगेट	27	....	27	—
15.	मा.वि., डाबी	2	—	—	2
16.	मा.वि., दवलाना	14	....	....	14
17.	मा.वि., देई	58	....	29	29
18.	मा.वि., दुगारी	9	....	....	9
19.	मा.वि., घाट का बराना	20	....	....	20
20.	मा.वि., गोठड़ा	12	....	....	12
21.	मा.वि., गुढानाथा	18	....	....	18
22.	मा.वि., जजावर	20	....	....	20
23.	मा.वि., ज.सा. बांध	9	....	....	9
24.	मा.वि., झालीजी का बर	19	....	....	19
25.	मा.वि., कापरेगन	58	23	16	19
26.	मा.वि., करवर	22	....	....	22
27.	मा.वि., के.पाटन	130	36	42	52
28.	मा.वि., खेटकड़	21	....	....	21
29.	मा.वि., माटून्दा	16	....	....	16
30.	मा.वि., बादनगांव	14	....	14	....
31.	मा.वि., नैनवा	132	47	36	40
32.	मा.वि., नमाना	26	....	....	26
33.	मा.वि., समीटी	13	....	13	....
34.	मा.वि., सुवासा	33	....	....	33

1	2	3	4	5	6
35.	मा.वि., तालेड़ा	27	....	....	27
36.	मा.वि., तलवास	13	....	....	13
37.	मा.वि., थाना	6	....	6	....
		1613	395	500	718

जिला बून्दी सत्र 1981–82 कक्षा 10

1.	उ.मा.वि., बून्दी	585	200	185	200
2.	उ.मा.वि., लाखेरी	335	135	80	120
3.	उ.मा.वि., हिण्डोली	90	....	70	20
4.	मा.वि., अजेता	18	....	18	....
5.	मा.वि., अलोद	20	....	....	20
6.	मा.वि., अन्थेड़ा	10	....	10	....
7.	मा.वि., अरनेठा	32	....	....	32
8.	मा.वि., बड़ाखेड़न	30	....	30	....
9.	मा.वि., बड़ा नया गांव	22	....	22	....
10.	मा.वि., बालचन्दापाड़ा	95	60	....	35
11.	मा.वि., वामनगांव	20	....	20	....
12.	मा.वि., वासी	35	....	25	10
13.	मा.वि., बरूधन	25	15	....	10
14.	मा.वि., बसोली	8	....	....	8
15.	मा.वि., चौगानगेट	55	....	55	....
16.	मा.वि., दवलाना	20	....	....	20
17.	मा.वि. देई	60	....	37	23
18.	मा.वि., दुगारी	18	....	....	18
19.	मा.वि., घाट का वराज	30	....	....	30

(237)

1	2	3	4	5	6
20.	मा.वि. घोठड़ा	15	....	....	15
21.	मा.वि., गुढानाथावतान	25	....	....	25
22.	मा.वि., जभावर	30	....	....	30
23.	मा.वि., जवाहर सागर बांध	35	....	35	....
24.	मा.वि., झालीजी का बराना	30	....	....	30
25.	मा.वि., कापरेन	70	18	35	17
26.	मा.वि., करवर	40	....	....	40
27.	मा.वि.. के.पाटन	210	90	55	65
28.	मा.वि., खटकड़	12	....	....	12
29.	मा.वि. माटून्दा	28	....	....	28
30.	मा.वि., नेनवां	150	30	52	68
81.	मा.वि., नमाना	27	....	....	27
32.	मा.वि., समीधी	25	....	25	....
33.	मा.वि., सुवासा	25	....	....	25
34.	मा.वि., तालेड़ा	70	....	40	30
35.	मा.वि., तलवास	25	....	17	8
36.	मा.वि. थाना	12	....	12	....
		2337	548	823	966

सत्र 1982-83

1.	उ.मा.वि., बून्दी	475	185	170	120
2.	उ.मा.वि., लाखेरी	232	66	71	95
3.	उ.मा.वि., हिण्डोली	65	15	40	10
4.	उ.मा.वि., अलोद	28	—	—	18
5.	उ.मा.वि., बरूधन	25	11	—	14

1	2	3	4	5	6
6.	उ.मा.वि., देई	50	—	33	17
7.	उ.मा.वि., के.पाटन	183	75	44	64
8.	उ.मा.वि., नैनवा	95	33	42	20
9.	उ.मा.वि., तालेड़ा	58	—	—	58
10.	मा.वि., अजेता	29	—	22	—
11.	मा.वि., अन्थड़ा	5	—	5	—
12.	मा.वि., अरनेठा	30	—	—	30
13.	मा.वि., बड़ाखेडा	25	—	25	—
14.	मा.वि., बड़ा नया गांव	24	—	24	—
15.	मा.वि., बालचन्दपाड़ा	103	79	—	24
16.	मा.वि., बामनगांव	19	—	19	—
17.	मा.वि., बासी	28	—	18	10
18.	मा.वि., बसोली	8	—	—	8
19.	मा.वि., चौगानगेट	52	—	52	—
20.	मा.वि. दबलाना	20	—	—	20
21.	मा.वि., दुगारी	12	—	—	12
22.	मा.वि., घाट का बराना	25	—	—	25
23.	मा.वि., घोठड़ा	11	—	7	4
24.	मा.वि., गुढ़ा	14	—	—	14
25.	मा.वि., जभावर	16	—	—	16
26.	मा.वि., ज.सा.बांध	23	—	23	—
27.	मा.वि., भाजीजी का बर	30	—	--	30
28.	मा.वि., कापरेन	75	24	28	23
29.	मा.वि., करवर	20	—	—	20
30.	मा.वि., खटकड़	14	—	—	14
31.	मा.वि., माटून्डा	10	—	—	10

32.	मा.वि., नमाना	15	25	--	15
33.	मा.वि., समीधी	25	—	25	—
34.	मा.वि. सुवासा	22	—	—	22
35.	मा.वि., तलवास	30	—	10	20
36.	मा.वि., थाना	20	—	8	12
37.	उ.मा.वि., इन्द्रगढ़	75	10	32	33
		1981	498	698	785

सत्र 1983-84

1	2	3	4	5	6
1.	उ.मा.वि., बून्दी	467	200	162	105
2.	उ.मा.वि., लाखेरी	301	97	91	113
3.	उ.मा.वि., हिण्डोली	85	19	47	19
4.	उ.मा.वि., बरूधन	45	—	14	31
5.	उ.मा.वि., के.पाटन	200	80	50	70
6.	उ.मा.वि., नैनवा	168	59	79	30
7.	उ.मा.वि., इन्द्रगढ़	106	31	30	45
8.	उ.मा.वि., अलोद	30	—	15	15
9.	उ.मा.वि., देई	80	—	50	30
10.	उ.मा.वि., तालेड़ा	90	—	45	45
11.	मा.वि., बालचन्दपाड़ा	112	79	—	33
12.	मा.वि., कापरेन	56	27	16	13
13.	मा.वि., करवर	27	11	—	16
14.	मा.वि., नमाना	29	—	15	14
15.	मा.वि., अजोता	26	—	16	10
16.	मा.वि., अ थेड़ा	03	—	03	—
17.	मा.वि., बड़ाखेड़ा	27	—	27	—
18.	मा.वि., बड़ा नया गांव	29	—	29	—

(240)

1	2	3	4	5	6
19.	मा.वि., वामन गाँव	18	—	—	18
20.	मा.वि., बांसी	40	—	24	16
21.	मा.वि., चौगानगेट	49	—	49	—
22.	मा.वि., गोठड़ा	22	—	11	11
23.	मा.वि. जवाहर सागर डेम	16	—	16	—
24.	मा.वि., माटूण्डा	14	—	8	6
25.	मा.वि., समीधी	18	—	18	—
26.	मा.वि., तलवास	16	—	12	4
27.	मा.वि., थाना	10	—	10	—
28.	मा.वि., सुमेरगंज मण्डी	29	—	29	—
29.	मा.वि., अरनेठा	20	—	—	20
30.	मा.वि., बसोली	05	—	—	05
31.	मा.वि., डाबी	02	—	—	02
32.	मा.वि., डबलाना	13	—	—	13
33.	मा.वि., दुगारी	16	—	—	16
34.	मा.वि., घाट का बराना	39	—	—	39
35.	मा.वि., गुढ़ानाथावतान	17	—	—	17
36.	मा.वि., जजावर	16	—	—	16
37.	मा.वि., झालीजी का बराना	24	—	—	24
38.	मा.वि., खटकड़	16	—	—	16
39.	मा.वि., सुवासा	29	—	—	29
		2310	603	866	841

1	2	3	4	5	6
जिला—बून्दी					
		सत्र 1980-81			कक्षा 11
1.	रा.उ.मा.वि., बून्दी	740	170	260	310
2.	रा.उ.मा.वि., लाखेरी	222	64	48	110
3.	रा.उ.मा.वि., हिण्डोली	28	—	19	9
		990	234	327	429
		सत्र 1981-82			
1.	रा.उ.मा.वि., बून्दी	540	140	200	200
2.	रा.उ.मा.वि., लाखेरी	260	70	80	110
3.	रा.उ.म.वि., हिण्डोली	70	—	50	20
		870	210	330	330
		सत्र 1982-83			
1.	रा उ.मा.वि., बून्दी	740	170	260	310
2.	रा.उ.मा.वि., लाखेरी	337	100	89	148
3.	रा.उ.मा.वि., हिण्डोली	65	—	50	15
4.	रा.उ.मा.वि., नैनवा	72	5	20	47
5.	रा.उ.मा.वि., बरूधन	16	9	—	7
6.	रा.उ.मा.वि., तालेड़ा	10	—	—	10
7.	रा.उ.मा.वि., देई	36	—	26	10
8.	रा.उ.मा.वि., अलोद	4	—	—	4
		1280	284	445	551

1	2	4	5		6
		सत्र 1983-84			
1.	रा.उ.मा.वि., बून्दी	474	104	179	191
2.	रा.उ.मा.वि., लाखेरी	209	74	52	83
3.	रा.उ.मा.वि., हिण्डोली	34	—	25	9
4.	रा.उ.मा.वि., के.पाटन	190	29	37	124
5.	रा.उ.मा.वि., नैनवा	119	30	43	43
6.	रा.उ.मा.वि., इन्द्रगढ़	52	8	29	15
7.	रा.उ.मा.वि., बरूधन	15	7	—	8
8.	रा.उ.मा.वि., अलोद	24	—	—	24
9.	रा.उ.मा वि., देई	65	—	35	30
10.	रा.उ.मा.वि., तालेड़ा	30	—	11	19
		1212	252	414	546

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 736 की विवरण

राजस्थान सरकार

(खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग)

एफ 21 (1) खावि/निरी/79–80 जयपुर, दिनांक 2–6–81

आदेश

इस विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 5 (46) एफ. एस./ए. सी. आर./76 दिनांक 21-4-76 व 20-3-80 के तहत निर्धारित मापदण्डों में परिवर्तन कर निम्नांकित मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :—

स्टेट सर्विस	निरीक्षण निर्धारित मात्रा		भ्रमण	
	उचित मूल्य की दुकानें	अनुज्ञापन धारी	दिन	रात
जिला रसद अधिकारी अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी	6	4	7	5
प्रवर्तन स्टाफ				
सहायक जिला रसद अधिकारी	8	5	1	,,
प्रवर्तन अधिकारी	15	5	10	7
प्रवर्तन निरीक्षक	15	5	10	7

1—प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों में से 50 प्रतिशत निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी को करना होगा।

2—प्रत्येक उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी के 50 प्रतिशत उन्हीं व्यक्तियों के निरीक्षणों का पुनः निरीक्षण किया जावेगा जो उसने पहली बार किये हैं, न कि अन्य अधीनस्थ अधिकारी के निरीक्षणों के पश्चात् क्रास चैकिंग के लिए किए हैं

जिला रसद कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में दो बार जिला रसद अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

जिला रसद अधिकारी प्रति माह कम से कम 20 विभागीय प्रकरणों का निरक्षिण भी करेंगे।

यह देखने में आया है कि प्रवर्तन स्टाफ की मासिक बैठकों से अभी तक उपयोगी परिणाम नहीं निकले हैं। अतः इन बैठकों को अधिक कारगर बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि बैठक में जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा माह में किये जाने के लिये लक्ष्य निर्धारित करेंगे। अन्य कार्यों के अतिरिक्त इन लक्ष्यों की प्राप्ति एवं प्रगति का आगामी मास की बैठक में किया जायेगा।

इस बैठक में सभी नवीन संशोधनों, आदेशों, अधिसूचना, परिपत्रों आदि के बारे में प्रवर्तन स्टाफ को अवगत कराया जायेगा, तथा प्रतियां भी उनको उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की जावे। उपखण्ड क्षेत्र तहसील क्षेत्र से चाही जाने वाली सूचना से प्रवर्तन स्टाफ को अवगत कराया जाये ताकि वे इसको जिला रसद कार्यालय में समय पर भिजवाने की व्यवस्था कर सकें।

यह बैठक प्रत्येक माह की 5 तारीख को बुलाई जावेगी यदि उस दिन अवकाश हो तो आगामी कार्य दिवस को बुलाई जाये, एवं 10 तारीख तक बैठक की कार्यवाही के विवरण की प्रतिलिपि विभाग को भिजवादी जाये।

अतिरिक्त आयुक्त खाद्य पदेन
उप शासन सचिव, राज. जयपुर।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

(1) उप शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक रिफोयर्स को उनके यू. ओ. नोट क्रमांक एफ 5 (7) ए. आर. ग्रुप 5/81 दिनांक 6–5–81 के संदर्भ में प्रेषित है।

(2) समस्त जिलाधीश/जिला रसद अधिकारी।

(3) समस्त अधिकारी खाद्य विभाग मुख्यालय।

(4) मीटिंग शाखा व्यवस्था पद्धति शाखा/स्थापना शाखा (प्रवर्तन)

उपायुक्त (खाद्य)

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 741 का विवरण

भाग–I की सूची

क्र. सं.	नाम पद जो वर्तमान में रिक्त हैं	कुल रिक्त	3 वर्ष से रिक्त	2 वर्ष से रिक्त
1.	जिला रसद अधिकारी	5	2	1
2.	अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी	4	—	1
3.	सहायक जिला रसद अधिकारी	8	—	6
4.	प्रवर्तन अधिकारी	7	—	—
5.	प्रवर्तन निरीक्षक	19	1	3

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके

तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

ग्राम मांदोलाई स्थित मन्दिर की भूमि का मुआवजा

742. **श्री चतुर्भुज** (टोड़ारायसिंह) : क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दांता जी देवस्थान का प्राचीन मन्दिर ग्राम पंचायत मान्दोलाई के अन्तर्गत आता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मन्दिर के अधीन 800 बीघा जमीन बाल भोग के निमित्त थी ? क्या सरकार ने उक्त भूमि को जब्त किया है ? यदि हां तो उस जमीन के बदले सरकार ने कितना मुआवजा किसको दिया है ?

(3) सरकार ने इस मन्दिर की सेवा आदि करने के बारे में क्या प्रबन्ध कर रखा है ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) यह सही है कि दांताजी का प्राचीन मन्दिर ग्राम मांदोलाई में स्थित है ।

(2) जी नहीं ।

(3) यह राजकीय मन्दिर नहीं है । परन्तु सरकार की ओर से तेल भोग के लिए प्रतिवर्ष रु. 225/– अनुदान के रूप में दिये जाते हैं ।

तहसील बागीदौरा में खोले गये प्राथमिक विद्यालय

743. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिला की बागीदौरा तहसील में वर्ष 1983–84 में कितने उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गये ?

(2) क्या उक्त तहसील में खोले गये स्कूल पूर्व स्वीकृत स्थानों पर ही खोले गये ।

(3) यदि हां, तो क्या उक्त तहसील के ग्राम बारीगामा का स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय वहां किन कारणों से नहीं खोला गया ?

(4) क्या उक्त गांव बारीगामा का स्कूल अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बागीदौरा तहसील, जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1983–84 में 4 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं।

(2) जी नहीं। वर्ष 1983–84 से पहले उपरोक्त चारों स्थानों पर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत नहीं किया गया था।

(3) ग्राम वारीगामा में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं।

आगूचा माइन्स पर हिन्दुस्तान जिंक द्वारा कार्य

744. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आगूचा माइन्स किन-किन शर्तों पर किस तिथि को हिन्दुस्तान जिंक लि. को कितनी अवधि के लिये कितनी वार्षिक रकम पर दी गई? शर्तों के अधीन कितना क्षेत्रफल दिया गया है? वर्तमान में कितने क्षेत्र पर हिन्दुस्तान जिंक्स कार्य कर रहा है?

(2) वर्तमान में इन माइन्स में प्रति माह कितना माल कौन-कौनसा कितनी कीमत का निकल रहा है तथा कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं?

(3) भविष्य में हिन्दुस्तान जिंक कौनसा प्लान्ट इस माइन्स के कार्य हेतु कहां किस स्थान पर लगाने जा रहा है?

उत्तर

(1) हिन्दुस्तान जिंक लि. को रामपुरा आगूचा खान दिनांक 13–3–80 से 20 वर्ष के लिये 1200 हैक्टर क्षेत्रफल के लिये स्वीकृत की गई। फर्म को प्रथम 2 से 5 वर्ष की अवधि के दौरान रुपये 15000/– की दर से वार्षिक रकम का भुगतान करना होगा। 6 से 10 वर्ष तथा 11 से 20 वर्ष की अवधि के दौरान क्रमशः रुपये 30,000/– व 45,000/–वार्षिक का भुगतान करना होगा। यह लीज प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1960 एवं एम. एम. आर. डी. एक्ट, 1957 की विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है एवं विशेष शर्त यह जोड़ी गई, कि विभागीय पूर्वेक्षण खर्चे की राशि का भुगतान फर्म को करना होगा।

(2) वर्तमान में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा क्षेत्र में विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य ही किया जा रहा है।

वर्तमान में खनन कार्य नहीं हो रहा है। विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य में 54 कामगार नियोजित हैं।

(3) भविष्य में परियोजना के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होते ही हिन्दुस्तान जिंक लि. का खननट्टा क्षेत्र में खनिज परिष्करण संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव है। परिष्कृत खनिज प्रस्तावित नये स्मेल्टर को भेजने की योजना है जो चंदेरिया स्टेशन के पास लगाया जाना प्रस्तावित है।

आर. डी. 1160 को पक्का करना

745. **श्री पीरूराम** (टीबी) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजस्थान नहर के आर. डी. 1160 आउटलेट, जो केसर देसर गांव को सिंचित करता है को पक्का करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार राजस्थान नहर आर. डी. 140 से बांगासर मोटेर माइनर बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान नहर के आर. डी. 116 आउटलेट (बायें) जो केसर देसर गांव की भूमि सिंचित करता है को पक्का करने का प्रस्ताव है। उक्त कार्य बजट राशि की उपलब्धि के अनुसार पूरा करा दिया जाएगा।

(2) राजस्थान नहर के आर. डी. 140 से बागासर मोदेर नामक माइनर बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सतपुड़ा पर मध्य प्रदेश द्वारा यूनिट्स लगाना

746. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सतपुड़ा में जहां पांच यूनिट लगे हुए हैं उसी परिसर में और उन्हीं यूनिट्स के बराबर मध्य प्रदेश सरकार ने इससे भी अधिक क्षमता वाले दो और यूनिट लगा लिए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि पांच यूनिट्स में तो राजस्थान का 40 प्रतिशत शेयर है और उक्त दो यूनिट्स में राजस्थान का कोई शेयर नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उन यूनिट्स को लगाते समय जिनमें कि अपना कोई शेयर नहीं है, मध्य प्रदेश ने राजस्थान से कोई अनुमति नहीं ली ? यदि हां, तो क्या यह एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं है ? यदि हां, तो क्या राजस्थान उन दो यूनिट्स में 40 प्रतिशत धन लगाकर 40 प्रतिशत बिजली लेने का प्रयास करेगा ?

उत्तर

(1) जी हां सतपुड़ा में जहां यूनिट लगे हुए हैं उसके पास में नई बिल्डिंग में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल ने अपनी और यूनिटें लगाई हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां—मध्य प्रदेश के साथ इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक अनुबन्ध नहीं है। चूंकि इन यूनिट्स में राजस्थान की कोई साझेदारी नहीं है और न ही उसमें राज्य की कोई पूंजी लगी हुई है, अतः इन यूनिट्स से उत्पादित बिजली में हिस्सा लेने के प्रयास का कोई औचित्य नहीं है।

(249)

परिवहन निगम में अनुसूचित जाति/जनजाति की अनुबन्धित बसें

747. श्री भरोसीलाल (हिन्डौन) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कितनी बसें अनुबन्धित हैं ?

(2) इन बसों से सरकार को प्रति कि. मी. कितने रुपये की आय होती है तथा इस अनुपात में बस मालिकों को कितनी राशि प्रति कि. मी. दी जाती है ?

(3) राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों का प्रति कि. मी. कितना खर्चा होता है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में परिवहन निगम में अनुसूचित जाति/जनजति के सदस्यों की 97 बसें अनुबन्ध पर हैं।

(2) इन बसों से निगम को 4·18 प्रति कि. मी. की आय हुई है तथा उन्हें किराया राशि के रूप में निम्न दरों के अनुसार भुगतान किया जाता है :-

अ. 1977 से 1984 तक के माडल की बसें	350 कि. मी तक 1.90 रु. प्रति कि. मी.
	350 कि. मी. से अधिक पर 1·70 रु. प्रति कि. मी.
ब. 1976 तक के मॉडल की बसें	350 कि. मी. तक 1·80 रु. प्रति कि. मी.
	350 कि. मी. से अधिक पर 1·60 रु. प्रति कि. मी.

इनमें से ऐसी बसों के लिये जिनकी बैठक क्षमता (ड्राइवर व कंडक्टर सीटे छोड़कर) 57 सीट या अधिक की है, 10 पैसे प्रति कि. मी. अधिक देय है।

(3) परिवहन निगम की बसों पर 4·15 रु. प्रति कि. मी. खर्चा होता है।

बीड़ी निर्माण हेतु निर्धारित मापदण्ड

748. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीड़ी बनाने के उद्योग में बहुत बड़ी संख्या घर पर सामग्री लेजाकर बीड़ी बनाने वाले होम वर्कर्स की है ?

(2) क्या केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार अथवा उनके किसी अधिकारी ने एक हजार बीड़ी बनाने के लिए आवश्यक बीड़ी पत्ता, जर्दा एवं डोरे का मापदण्ड

(श्री रंगजीलाल)

(श्री कैलाश मेघवाल)

निर्धारित किया है ? यदि हां, तो राजस्थान के किस-किस हिस्से के लिए क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि सामान्य रूप से मापदण्ड निर्धारित नहीं किए हुए हैं, तो राजस्थान सरकार के अपने बीड़ी बनाने के कारखाने के लिए ये मापदण्ड क्या-क्या हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्थान सरकार का कोई बीड़ी बनाने का कारखाना नहीं है।

विद्युत मण्डल में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक

749. **श्री घनश्याम जैन** (वेंगू) :

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में वर्कचार्ज अथवा अस्थाई श्रमिकों की नियुक्ति पर कोई प्रतिवन्ध है ? यदि हां, तो कब से और उक्त प्रतिवन्ध का कारण क्या है ?

(2) क्या वर्कचार्ज और अस्थाई श्रमिकों की नियुक्ति पर रोक लगाने के पश्चात् विद्युत् मण्डल द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से लाइन खींचने, खम्बे गाड़ने या अन्य प्रकार के कार्य कराये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासन में मितव्ययता को ध्यान में रखते हुये, 31 मई, 1980 से मण्डल में वर्कचार्ज अथवा अस्थाई श्रमिकों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है।

(2) जी हां। कभी-कभी प्रशासनिक कारणों से कुछ कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाते हैं।

ग्राम डूंगरसिंहपुरा व गणेशगढ़ की आबादी भूमि का अवैध आवंटन

750. **श्री महेन्द्रसिंह** (सगरिया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में गांव डूंगरसिंहपुरा व गांव गणेशगढ़ में आबादी भूमि को अवैध रूप से बीस साला आधार पर पट्टे बनाकर काश्त के काम में लिया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्या जिन अधिकारियों ने आबादी भूमि को गैर कानूनी ढंग से अलाट किया है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1969 में आबादी भूमि को कृषि में परिवर्तन कर आवंटन कर दिया गया था। उक्त आदेश दिनांक 23-10-77 को निरस्त कर दिया गया है।

(2) इस का कोई प्रश्न नहीं उठता।

अमरदेवी उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर का अधिग्रहण

751. **श्री शिवराम शर्मा** (वनीपार्क) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि अमरदेवी उच्च प्राथमिक विद्यालय, मजदूर नगर, अजमेर रोड, जयपुर को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये जाने की कार्यवाही जारी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में दिनांक 9 दिसम्बर, 1983 को इस विद्यालय को अधिग्रहण किये जाने सम्बन्धी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर आकर पूरी कर ली गई है ?

(3) यदि हां, तो उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् अभी तक इस विद्यालय को अधिग्रहण न किये जाने के कारण क्या हैं ? क्या अब आने वाले सत्र में यह विद्यालय राज्य सरकार के अधीन ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) शिक्षण संस्थाओं को राज्याधीन लेने हेतु वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार विचार करती है। निरीक्षण-प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिसम्बर, 1983 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है एवं प्रतिवेदन पर कुछ सूचना अधिग्रहण सम्बन्धित अपेक्षित है। वांछित सूचना प्राप्त होने पर ही राज्य सरकार अधिग्रहित करने पर विचार करेगी।

स्वतंत्रता सेनानियों को भूमि के खातेदारी अधिकार

752. **श्री भैरूसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा कृषि भूमि का आवंटन किये जाने व कब्जा दिलाने की तिथि से कितने वर्ष बाद खातेदारी अधिकार मिल जाते हैं ?

(2) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को नियमों के अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटित होने व कब्जा मिलने के 15-20 वर्षों पश्चात् भी अभी तक खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 एवं 18 के अन्तर्गत आवंटन के 10 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार मिल जाते हैं।

(राजस्व मन्त्री)

इसके अलावा ऐसे आवंटी जिन्हें 31 दिसम्बर, 1978 के पूर्व आवंटन हुआ है उन्हें लगान की ढाई गुना राशि जमा कराने के बाद खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने का प्रावधान है।

(2) उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान (जनरल कोलोनी) कन्डीशन्स नियम, 1955 के नियम 9 के अन्तर्गत ग्रान्ट से 10 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का प्रावधान है। उसके अतिरिक्त अगर ग्रान्टी क्रय राशि एवं अन्य सम्पूर्ण बकाया राशि चुका कर सात वर्ष पश्चात् भी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है।

उपनिवेशन क्षेत्र में स्वतन्त्रता सेनानियों को खातेदारी अधिकार नहीं मिलने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

पंचायत समिति सांगोद में विद्युतीकरण

753. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र में इस वर्ष कितने गांवों को विद्युतीकृत करना था व कितनों को किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग लाखों रुपया खर्च कर देने पर भी उन गांवों के कुओं को व घरों को बिजली कनेक्शन नहीं दे पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) भविष्य में इन गांवों के विद्युतीकरण की कोई योजना विभाग के पास है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 के कार्यक्रमानुसार पंचायत समिति सांगोद के आठ ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित था तथा उन सभी को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। कुओं पर विद्युत कनेक्शन मण्डल द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुसार ही दिये जाते हैं। घरों को विद्युत कनेक्शन दिया जाना आवेदकों द्वारा नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण करने एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(3) पंचायत समिति सांगोद के शेष ग्रामों को विद्युतीकृत किये जाने की स्वीकृति आर. ई. एवं आर. ई. सी. योजना में हो चुकी है किन्तु शेष ग्रामों का विद्युतीकरण मण्डल द्वारा फेज 1 प्रोग्राम के अनुसार, जो वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है, किया जा सकेगा।

श्रीमाधोपुर (सीकर) की विवादास्पद श्मशान भूमि

754. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले कई महीनों से श्रीमाधोपुर (सीकर) में श्मशान

(253)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भूमि के विवाद को लेकर आन्दोलन चल रहा है यदि हां, तो आन्दोलन के मुख्य कारण क्या हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्बन्ध में वहां गठित संघर्ष समिति द्वारा मा. मुख्य मन्त्री, जिलाधीश एवं उच्चाधिकारियों को ज्ञापन दिये गये हैं ? यदि हां तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि खसरा नं. 1097 कस्बा श्रीमाधोपुर (सीकर) के पूर्ववर्ती बन्दोवस्तों में तथा वक्फ बोर्ड, कृषि मंडी, कब्रिस्तान आदि के अभिलेखों एवं नक्शों में उक्त भूमि श्मशान भूमि दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त विवादास्पद भूमि पर उचित कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है ?

(5) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की मंशा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। एक पक्ष विवादग्रस्त भूमि को अपनी निजी खातेदारी की भूमि मानता है जिसे उसने जरिये बिकाउनामें से प्राप्त किया है और जो पूर्व में भी खातेदारी की भूमि रही है। जबकि दूसरा पक्ष इसी भूमि को श्मशान के लिये प्रयुक्त होना बतलाता है।

(2) जी हाँ। प्रकरण की जांच हेतु अतिरिक्त जिलाधीश सीकर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना के यहां भी न्यायिक प्रक्रिया में है।

(3) जी हां। मामला न्यायालयों में विचाराधीन है।

(4) कब्जे का मामला विवादास्पद है।

(5) न्यायालयों के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सहाड़ा तहसील की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

755. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला भीलवाड़ा की सहाड़ा तहसील में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत होकर चालू है ? यदि हां, तो प्रतिग्राम कृषि, औद्योगिक तथा घरेलू कितने कनेक्शन देने का लक्ष्य है और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

(2) क्या इस विद्युतीकरण पर व्यय की गई धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत उपभोग का ध्यान रखा जाकर सभी तरह के पर्याप्त विद्युत कनेक्शनों का लक्ष्य तय किया जाता है ? यदि हां, तो किस कदर ? नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(3) क्या उपभोक्ता हित में गंगापुर (भीलवाड़ा) मुख्यालय पर स्थित सहायक अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यालय द्वारा विद्युत प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य कार्य निष्पादित नहीं हो सकता ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सहाड़ा के 54 ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना माह मार्च, 1983 में स्वीकृत हो चुकी है। योजना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत 180 कृषि कुओं का ऊर्जीकरण, 25 औद्योगिक तथा 300 घरेलू कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का है। योजना में सम्मिलित ग्रामों में मांग के आधार पर योजना के कुल लक्ष्यों के अनुरूप विभिन्न श्रेणी के कनेक्शन दिये जायेंगे। वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुरूप योजना का कार्य पूर्ण किया जावेगा।

(2) जी नहीं। वार्षिक योजना मद में उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुये राज्य में ग्रामों व कुओं के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, जिनके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रखते हुये योजनावार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

(3) सहायक अभियन्ता, (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) गंगापुर को तीन स्वीकृत योजनायें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सहाड़ा–गंगापुर, एम. एफ.–रायपुर व चालू योजना ओ. वी. सहाड़ा का कार्य दे रखा है। ग्रो. एण्ड एम. व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं का हिसाब-किताब अलग-अलग से रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सहायक अभियन्ता मुख्यालय भीलवाड़ा के अधीनस्थ गंगापुर क्षेत्र का विद्युत प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य सहायक अभियन्ता ग्रा. वि.नि. गंगापुर के कार्यालय द्वारा निष्पादित नहीं हो सकता।

तहसील टौंक की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

756. **श्री रामलाल** (उनियारा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील टौंक के सभी ग्रामों में विद्युतीकरण योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि टौंक तहसील के ग्राम जेवाड़िया एवं ग्राम पंचायत डोडवाड़ी के सभी ग्रामों को उक्त स्वीकृत योजना से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों में मिनी योजना बना कर इनका विद्युतीकरण करेगी ? नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी पंचायत समिति टौंक के 114 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु दो योजनाओं पर कार्य चालू है, जिनके पूर्ण होने पर इस प. स. के शेष 88 ग्रामों के

(श्री ऊर्जा मन्त्री)

विद्युतीकरण हेतु योजना बनाये जाने का प्रयास किया जायेगा।

(2) पंचायत समिति टौंक को स्वीकृत दो ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में इस पंचायत समिति के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जबकि ग्राम डोडवाडी, जेवाडिया पश्चिमी भाग में स्थित है। अत: उक्त ग्रामों को स्वीकृत योजनाओं में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(3) जी नहीं। समिति वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुये चालू योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् ही इस क्षेत्र में और योजना बनाना सम्भव हो सकेगा।

गांधी नेशनल प्राथमिक विद्यालय अलवर का जीर्ण-शीर्ण भवन

757. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय गांधी नेशनल प्राथमिक विद्यालय, अलवर जिस भवन में चलता है, उस भवन की हालत बड़ी जीर्ण-शीर्ण हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उक्त सदन का उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित है ? यदि हां, तो विभाग की ओर से छात्रों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। छात्रों की सुरक्षा हेतु उक्त विद्यालय को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थाना हाउस, अलवर में स्थानान्तरित किया जा चुका है।

सांचौर में गोचर भूमि का आवासीय भूमि में रूपान्तरण

758. श्री कनक राज मेहता (सांचौर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर में गोचर भूमि का आवासीय भूमि में रूपान्तरण हेतु लोगों से रकम ली गई ? यदि हां, तो कितने लोगों से व किस तारीख को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गोचर भूमि रूपान्तरण की रकम लेने के आदेश नहीं थे ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार ली गई राशि पुन: आवेदकों को लौटाई जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। स्वेच्छा से स्वयं आवेदकों ने रकम जमा कराई है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी. हां। जिस भूमि का रूपान्तरण नहीं हो सकता उन आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गई राशि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर यथाशीघ्र लौटा दी जावेगी।

गोचर भूमि से सम्बन्धित पत्रावलियों की सूची तहसील सांचौर

सं. 1	पत्रावली सं. 2	प्रार्थना पत्र 3	आवेदक का नाम 4	राशि 5
1.	109/82	24.5.82	श्री हजारी/0जीवाजी मोची साकिन सांचौर	1443–50
2.	115/82	31.5.82	श्री गणशाराम, जेठाजी सुनार	1530–90
3.	116/82	7.6.82	श्री छगनलाल/नवाजी वगैरा सा.	4376–00
4.	117/82	7.6.82	श्री जवाराम/चेनाजी भावी	4376–00
5.	118/82	17.6.82	श्री जगमाल/आदूजी विश्नोई	2188–00
6.	119/82	17.6.82	श्री आशाराम पुत्र मंगलराम विश्नोई	3600–00
7.	120/82	17.6.82	श्री रामजी पुत्र नाथाजी ब्राह्मण सा. सांचौर	2188–00
8.	121/82	17.6.82	श्री रामकिशन पुत्र गंगाराम विश्नोई सा. सांचौर	4500–00
9.	122/82	17.6.82	श्री तेजाराम पुत्र हरचन्द्रराम सा. सांचौर	6815–00
10.	123/82	17.6.82	श्री राधेश्याम पुत्र ग्यारसीलाल वगैरा सा. सांचौर	4500–00
11.	124/82	17.6.82	श्री शांतिलाल पुत्र तिलकचन्द सा.सांचौर	4500–00
12.	125/82	17.6.82	श्री उदाराम पुत्र हरनाथ विश्नोई सा. सांचौर	4500–00
13.	126/82	17.6.82	श्री केवलराम पुत्र चुन्नीलाल, श्री भेराराम पुत्र चुन्नीलाल खत्री सा. सांचौर	4676–00
14.	127/82	17.6.82	श्री राजा पुत्र मोहन बागरी	2471–00
15.	128/82	17.6.82	श्री अब्दुल रहमान पुत्र लालमोहम्मद वगैरा सा. सांचौर	14814–00
16.	129/82	17.6.82	श्री चेनाराम पुत्र कालूराम वगैरा	7014–00
17.	130/82	17.6.82	श्री रामकिशन पुत्र मोती विश्नोई वगैरा	4500–00

(259)

1	2	3	4	5
18.	131/82	17.6.82	श्री सुरजाराम पुत्र परखाजी मोची	450–00
19.	132/82	17.6.82	श्री बाबू पुत्र ईसराजी मोची	450–00
20.	133/82	17.6.82	श्री मिश्रा पुत्र वस्ताजी मोची	450–00
21.	134/82	17.6.82	श्री नरसिंह पुत्र डुंगराजी मोची	450–00
22.	135/82	17.6.82	श्री राजा पुत्र शिवदानजी कोम मोची	4500–00
23.	136/82	18.6.82	श्री ताबाराम पुत्र नागजी वगैरा	6750–00
24.	137/82	18.6.82	श्री हाजी ईब्राहीम पुत्र हाजी गुलामोहम्द नागौर	1710–00
25.	138/82	18.6.82	श्री बुखारीहुसैन पुत्र हाजी गुलाबमोहमद	2376–00
26.	140/82	11.8.82	श्री सुवानअली पुत्र आर. बी. जी.	1916–00
27.	141/82	26.8.82	श्री आसुलाल पुत्र नेनाराम विश्नोई	5500–00
28.	142/82	26.8.82	श्री अम्माराम पुत्र जोदाराम ब्राह्मण	4495–50
29.	143/82	9.9.82	श्री लाखा पुत्र उदा वगैरा विश्नोई	8200–00
30.	144/82	9.9.82	श्री भाखाराम पुत्र धुकलाराम वगैरा विश्नोई	4135–50
31.	145/82	4.12.82	श्री प्रभु पुत्र नारायण जटिया सा. सांचौर	1781–00
32.	146/82	4.12.84	श्री वयना पुत्र रामा जटिया सा. सांचौर	1350–36
33.	147/82	4.12.84	श्री तलकाराम पुत्र भैराराम मेगवाल सा. सांचौर	3861–60
34.	148/82	4.12.84	मोडगर पुत्र मनगेर स्वामी सा. सांचौर	2112–00
35.	159/82	4.12.84	चमनाराम पुत्र साधुराम गुरू सा. सांचौर	1841–40
36.	150/82	7.12.82	श्री मोहनलाल पुत्र मांगीलाल सा. सांचौर	4500–00
37.	112/82	7.12.82	श्री लादूराम पुत्र रामकिशोर सा. सांचौर	4500–00
38.	155/82	7.12.82	श्री कन्हैयालाल पुत्र धनराज सा. सांचौर	4500–00

1	2	3	4	5
39.	158/83	27.1.83	श्री जगताराम पुत्र समरथाजी मेगवाल सा. सांचोर	2949-20
40.	171/83	23.4.83	श्रीमती राधा पुत्री कलाराम ब्राह्मण सा. सांचोर	3762-00
41.	184/84	4.2.84	श्री रूपाराम पुत्र भारमल विश्नोई सा. सांचोर	2620-00
			कुल योग	1,56,161-00

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 944 की प्रति)

NEGOTIATED 'G' SCHEDULE

Name of work : Earth work Excavation of Phulasar Minor–Ist from RD 20 to 22.500

ह०
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
वास्ते मुख्य अभियन्ता
रा.न.प. बीकानेर

Approximate Cost Rs. 2,71,000/–
Earnest Money Rs. 5,420/–
Cost of Tender Rs. 50/–
Period of Completion :—9 Months
Due date of Re–Negotiation :4-2-83.

S. No.	Name of Items	Qty.	Unit		Rate to be Quoted by the Contractor	
			In Fig.	In Words	In Fig.	In Words
1	2		3	4	5	6
1.	E/W Excavation & putting in embankment & spoils according to cross section as per specification of RCP with all leads & lifts for all kinds of soils.	105326 cum.	10 cum.	Per Ten cum	59/– पर हजार फुट पर गुनसठ रु० मात्र मिट्टी के देने होंगे। ह०	

259

(260)

1	2	3	4	5	6
2.	Water allowance on E/W for drinking purpose for labour including animals engaged for all E/W only lead 14 km (K) opposite site of RD 50 of Charanwala Br.	105326·10 cum.	cum Per Ten cum	59/–पर हजार फुट पर गुनसठ रु० मात्र मिट्टी के देने होंगे ।	ह०
3.	Dressing of E/W complete in all respect.	105326 cum.	—do—		

Note :—Condition of doing E/W compaction & completing E/W and made of payment for work done shall be governed by RCP specification for such type of work & amendments issued in specification from time to time.

TERMS & CONDITIONS

1. Please read carefully the specifications & conditions for E/W laid down by the Rajasthan Canal Board before filling the tendered rates.
2. Where cutting reach is immediately following/proceeded by a filling reach surplus earth obtained from cutting shall be utilised in filling reach. This will be limited to lead of 430 Meter after covering all leads & lifts upto horizontal leads as per BSR procceding/cesseding filling section upto distance of 200 F.

3. If payment is made on bank measurement for work done by camel cart in filling reaches the deduction of shrinkage will made as per previlent order of RCP.
4. Definate rate for such item be quoted separately instead of writting percentage above/below BSR.
5. Rolling cf E/W shall be done departmentally wherever necessary.
6. The payment for water allowance will be disband from the date of arrival of water at site of work by the deptt.

SD/–SIGNATURE OF THE CONTRACTOR WITH SEAL & ADDRESS.

True copy

Opened by me No cutting
six conditionson reverse.

Sd/–
Executive Engineer,
Charanwala Br. Dn. I, RCP
Bajju.

सी/एस.
अधीक्षण अभियन्ता
द्वितीय चरण वृत्त नं० 2
बीकानेर

Sd/–
Executive Engineer,
Charanwala Br. Dn. I, RCP,
Bajju

261

262

निम्नलिखित शर्तें

1. कार्य आदेश 15 दिन में देना होगा ।
2. पानी विभाग को बी. एस. आर. रेट पर अलग से देना होगा एवं मिट्टी के पेमेन्ट के साथ पानी का पेमेंट देना होगा ।
3. ड्रेसिंग पेमेण्ट बी. एस. आर. रेट अलग से देना होगा जो मिट्टी पेमेण्ट के साथ देना होगा ।
4. कार्य आदेश देने से पहले एस्टीमेट स्वीकृत कर के देना होगा ।
5. आफ सीजन में कार्य बन्द रखने की वजह से बिगर पैनल्टी समय अवधि बढ़ानी होगी ।
6. किये गये कार्य का पेमेंट देना होगा ।

ह०

हरलाल जाणी

Issued to M/s Ram Kishan Ram Chander

NEGOTIATED 'G' SCHEDULE

Name of work : Earth work Excavation of Phulasar Minor-Ist
from RD 20 to 22.500

ह०
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
वास्ते मुख्य अभियन्ता
रा.न.प. बीकानेर

Approximate Cost Rs. 2,71,000/–
Earnest Money Rs. 5,420/–
Cost of Tender Rs. 50/–
Period of Completion :—9 Months
Due date of Re-Negotiation :4-2-83.

S. No.	Name of Items	Qty.	Unit In Fig.	Unit In Words	Rate to be Quoted by the Contractor In Fig.	Rate to be Quoted by the Contractor In Words
1	2		3	4	5	6
1.	E/W Excavation & putting in embankment & spoils according to cross section as per specification of RCP with all leads & lifts for all kinds of soils.	105326 cum.	10 cum.	Per Ten cum	59/51 प्रति हजार पानी दरेशी सहित कार्य कर दिया जावेगा।	

1	2	3	4	5	6
2.	Water allowance on E/W for drinking purpose for labour including animals engaged for all E/W only lead 14 km (K) opposite site of RD 50 of Charanwala Br.	105326 cum.	10 cum Per Ten cum	59/51 प्रति हजार पानी देरेशी सहित कार्य कर दिया जावेगा ।	
3.	Dressing of E/W complete in all respect.	105326 cum.	—do—		

Note :—Condition of doing E/W compaction & completing E/W and made of payment for work done shall be governed by RCP specification for such type of work & amendments issued in specification from time to time.

TERMS & CONDITIONS

1. Please read carefully the specifications & conditions for E/W laid down by the Rajasthan Canal Board before filling the tendered rates.
2. Where cutting reach is immediately following/proceded by a filling reach surplus earth obtained from cutting shall be utilised in filling reach. This will be limited to lead of 430 Meter after covering all leads & lifts upto horizental leads as per BSR proceeding/cesseding filling section upto distance of 200 F.

3. If payment is made on bank measurement for work done by camel cart in filling reaches the deduction of shrinkage will made as per previlent order of RCP.

4. Definate rate for such item be quoted separately instead of writting percentage above/below BSR.

5. Rolling of E/W shall be done departmentally wherever necessary.

6. The payment for water allowance will be disband from the date of arrival of water at site of work by the deptt.

SD/–SIGNATURE OF THE CONTRACTOR WITH SEAL & ADDRESS.

True copy — Opened by me No cutting six conditionson reverse.

Sd/–
Executive Engineer,
Charanwala Br. Dn. I, RCP
Bajju.

सी/एस.
अधीक्षण अभियन्ता
द्वितीय चरण वृत्त नं० 2
बीकानेर

Sd/–
Executive Engineer,
Charanwala Br. Dn. I RCP,
Bajju

No. 544 Dated 18.2.84

To,

M/s Ram Kishan Ram Chander,
C/o M/s Ram Kishan Birma Ram,
Jassusar Gate, Bikaner.

Sub. :–**Tender for earth work excavation of Phulassar Minor–Ist. RD 20 to 22.500.**

The lowest Negotiated rates offered by you for the above mentioned work has been accepted by the Additional Chief Engineer, R. C. P., Bikaner vide his letter No. 3 AC/(215) RCP/CE/757 dated 4.2.83 on behalf of the Governor of State of Rajasthan in favour of you at the following rates without any condition :—

		Qty.	Rate
1.	E/W excavation and putting in imbankment & spoils according to cross section as per specification of RCP with all leads and lifts for all kinds of soils.	105326 Cum.	
2.	Water allowance on E/W for drinking purpose for labour including animals engaged for E/W only lead 14 Km (K) opposite site of RD 50 of CW.Br.	105326 Cum.	Rs. 59.51 per %0 CFT (Fifty Nine & paisa fifty on)e
3.	Dressing of E/W complete in ali respect.	105326 Cum.	

The surplus earth from cutting reaches would be utilised by you in making embankment in the filling reaches as per condition mentioned in 'G' Schedule.

The work may be got completed as per Rajasthan Canal Project specification and design within 9 monts. The income tax will be deducted at source as per prevelent rules in force.

The date of start of work will be reconed after 15 days from the date of issue of this order.

Please attend this office with in a period of seven days to enter into proper agreement.

sd/-
Executive Engineer,
Charanwala Branch Division-Ist,
R. C. P. Bajju

No. 545-547 Dated 18.2.83

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action please.

1. The Addl. Chief Engineer, RCP, Bikaner with reference No. 3AC/215/RCP/CE/757 dated 4.2.83.
2. The Superintending Engineer, RCP, Second stage circle No. 2nd, Binaner with reference to his letter No. 1089 dated 8.2.83
3. The Assistant Engineer, Sub-Division-Ist RCP, RD 961.

Sd/-
Executive Engineer,
Charanwala Br. Dn. Ist
RCP Bajju.

sd/-
Executive Engineer,
Charanwala Branch Division-Ist,
R. C. P. Bajju.

Copy of letter No. 3 AC/(215) RCP/CE/757 dt. 4.2.83 from Addl. Chief Engineer, Rajasthan Canal Project, Bikaner, to the Superintending Engineer, Rajasthan Canal Project, Second Stage Circle No. 2 R. C. P. Bikaner

———

Sub :–Tender for Earth work excavation of Phulasar Minor–Ist, from R. D. 20 to 22.500

Ref :–Your letter No. 33 dated 4.2.83

I am directed to convey you the sanction of the Addl. Chief Engineer, Rajasthan Canal Project, Bikaner to the acceptance of the lowest negotiated offer of M/s Ram Kishan Ram Chander for the above work at the following rates and without any condition.

Rates :—			
1.	E/W excavation & putting in imbankment & spoils according to cross section as per specification of R.C.P. with all leads & lifts for all kinds of soil.	105326 Cum.	Rs. 59.51 per %0 CFT. (Rs. Fifty Nine and Paisa fifty one)
2.	Water allowance on E/W for drinking purpose for labour including animals engaged for E/W only lead 14 Km (K) opposite site of R. D. 50 of CW. BR.	105326 Cum	
3.	Dressing of E/W complete in all respect.	105326 Cum	

The surplus earth from cutting reaches would be utilised by the contractor in making embankment in the filling reaches as per conditions mentioned in 'G' Schedule.

The work may be got completed as per Rajasthan Canal Project specification and design within 9 month. The income-tax may be deducted at source as per prevelant rules inforce.

Proper agreement may please be got executed with contractors and copy there of be furnished to this office for record.

The original tender documents consisting of 66 papers acknowledged.

Encl :—Above.

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER SECOND STAGE CIRCLE NO. 2 RCP BIKANER

No. 4 AC/SS6II/RCP/1089 Dated 8-2-83

Copy alongwith original tender documents and other relevent paper/papers consisting of 66 papers forwarded herewith to the Executive Engineer, Charanwala Branch Division–Ist Bajju for information and necessary action please acknowledge of the Tender documents.

Sd/-
Superintending Engineer.
Second Stage Circle No. 2
R.C.P., Bikaner.

(270)

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 946 की प्रति

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (प्र. सु.—5) विभाग

क्रमांक : प. 7 (39) प्र. सु./82 जयपुर, दिनांक : 21-10-82

"आज्ञा"

राजस्थान में खनिज विकास तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं पर विचार कर राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के राजस्थान खनिज परामर्शदात्री मण्डल के गठन की राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1.	मंत्री, खनिज (समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23/11/82 द्वारा "राज्य मन्त्री, खनिज" के स्थान पर "मन्त्री खनिज" पुनर्स्थापित किया गया)	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, खनिज विभाग	सदस्य
3.	शासन सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
4.	निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर	सदस्य
5.	प्रतिनिधि, जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया, भारत सरकार	सदस्य
6.	प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि., जयपुर	सदस्य
7.	प्रतिनिधि, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर	सदस्य
8.	प्रतिनिधि, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, इण्डस्ट्री हाऊस, कनाट-स्ट्रीट, कलकत्ता	सदस्य
9.	प्रतिनिधि, फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसियेशन, जयपुर	सदस्य

10. निदेशक, माइन्स सेफ्टी, अजमेर सदस्य

11. प्रतिनिधि इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, नागपुर—440001 सदस्य

12. उप सचिव, खनिज (द्वितीय) सदस्य–सचिव

बोर्ड के अध्यक्ष को बैठकों में आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारी/विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का अधिकार होगा। यह मण्डल निम्न प्रकार कार्य करेगा :—

1. खनिज सम्बन्धित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में किये जा रहे प्रयत्नों का समन्वय और एकीकरण करना।

2. विभिन्न कार्यक्रमों में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करना।

3. कठिनाइयों एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी विषय पर विचार कर विभिन्न कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिकताओं में यदि परिवर्तन आवश्यक हो, तो उनके सुझाव देना।

4. मण्डल के कार्य सलाहात्मक एवं समन्वयात्मक होंगे।

उक्त मण्डल स्थायी होगा, जिसका प्रशासनिक विभाग, खनिज विभाग होगा जो अन्य आदेश तक कार्य करता रहेगा। बोर्ड की बैठक आवश्यकतानुसार आमन्त्रित की जावेगी।

मण्डल के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समकक्ष माना जाकर मद संख्या—328 खान और खनिज खानों का विनिमय तथा विकास (क) निदेशन तथा प्रशासन संचालन एवं अधीक्षण यात्रा भत्ता (आयोजन भिन्न) से प्रभार्य होगा।

आज्ञा से

ह०

(वीरेन्द्र सिसोदिया)

272

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रशासनिक सुधार अनु0–4

क्रमांक–प. 7 (39) प्र. सु.–5/82 जयपुर, दिनांक :—23-11-82

"आज्ञा"

इस विभाग की समसंख्या आज्ञा दिनांक 21-10-82 में क्रम संख्या । पर अंकित "राज्य मन्त्री" के स्थान पर "मंत्री खनिज" पढ़ा जावे ।

आज्ञा से,

ह०

(वीरेन्द्र सिसोदिया)

273

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 947 का विवरण

उक्त तथाकथित खसरे की भूमि 654 बीघा ठुकरानी जोजे केशरसिंह राजपूत सा. खींवसर के नाम रेकार्ड में दर्ज थी जिसका निम्न प्रकार हस्तान्तरण हुआ है :—

1. ना. सं. 1/22. 12. 65 :—भंवरबाई सुनीताकुमारी पुत्री श्री ओंकार सिंह राजपूत सा. खींवसर को ख. नं. 1533/494 में से 304 बीघा बख्शीश
2. ना. सं. 2/22·12·65 कुंवर गजेन्द्रसिंह पुत्र ओंकारसिंह राजपूत सा. खींवसर को ख. नं. 1574/494 रकबा 350 बीघा बख्शीश।

क्रमांक 1 की भूमि 304 बीघा हस्तान्तरण का विवरण इस प्रकार है :—

1. ना. सं. 658/16·8·61 श्री जंवरीलाल हेमाराम पि. हरदेवाराम माली सा. भोपालगढ़ को ख. नं. 1533 : 494 में से 129 बीघा बेचान खातेदार दर्ज है। और ना. सं. 231/15·10·72 के श्री रणदेवसिंह पुत्र राजा शिवरतन देवसिंह राजपूत नि. चार ओल्ड सर्वे रोड देहरादून उत्तर प्रदेश को ख. नं. 1533/494 में से 175 बीघा इस 175 बीघा का आगे बेचान ना. सं. 602/30. 10. 80 श्री मांगीलाल पुत्र हरदेव माली सा. भोपालगढ़ को 1533/494 में 87 बीघा 10 विस्वा को और ना. सं. 603/30·10·83 से श्री माधोसिंह पुत्र भलाराम जाट नवों रोड सरदारपुरा, जोधपुर का 1740/1535/494—1 रकबा 87 बीघा 10 बिस्वा का श्री मांगीलाल ने बेचान ना. सं. 664/20.9.81 को श्रीमती सरोजा पत्नी चन्द्र प्रकाश पोरवाल कालाजी गोराजी मार्ग छोटी ब्रह्मपुरी. उदयपुर को ख. नं. 1533/494/1 में से 32 बीगा 10 बिस्वा एवं ना. सं. 664/20 9·81 श्री नन्दकिशोर पुत्र मुरली मनोहर पुरोहित, नागौर एवं श्रीमति सुमन धर्म पत्नि सत्यप्रकाश सा. नारनोल हरियाणा ख. नं. 494/1750 रकबा 55 बीघा हुआ जो खातेदार दर्ज है। और ना. सं. 705/14·8·82 के श्री माधोसिंह पुत्र भलाराम जाट ने अपनी भूमि 43 बीगा 15 विस्वा श्रीमती मुनीदेवी जोजे नवरत्नमल ओसवाल नेहरू पार्क, जोधपुर को ख. नं. 1533/494/2/1754 और ना. संख्या 706/14/82 श्रीमती कौशल्या जोजे प्रकाशचन्द ओसवाल बाफना नेहरू पार्क, जोधपुर को ख. नं. 1533/494/2/1755 रकबा 43 बीघा 15 विस्वा बेची जो मौजूदा खातेदार दर्ज है।

इसी प्रकार श्री गजेन्द्रसिंह की भूमि 350 बीगा का हस्तान्तरण आगे निम्न प्रकार हुआ है :—

क्र सं.	नाम क्रेता	ना. सं.	ख. नं.	रकबा
1.	राजकुमार सतीश देवीसिंह पुत्र शिवरत्न देवसिंह सा. 4 ओल्ड सर्वे रोड देहरादून, उत्तर प्रदेश (मोजूदा खातेदार दर्ज है)	232/15·10·72	1574/494	175 बीघा
2.	राज्य सरकार को	338/10·7·75	1642/1574/494	सीलिंग में अधिग्रहण 40 बीघा भूमि
3.	श्री बल्देवराम पुत्र भलाराम जाट भाटिया चौराहा, जोधपुर	657/16·8·81	1574/494	135 बीघा
4.	श्री बल्देवराम ने बेचो 135 बीघा			
	1. श्रीमती किरणदेवी पत्नी द्विराज ओसवाल सा. जोधपुर	856/21 7 83	1574/494	67 बीघा
	2. श्रीमती सुशीला पत्नी मूलचन्द सा. जोधपुर	856/21·7·83	1574/494/1796	67 बीघा 10 बिस्वा
	मोजूदा खातेदार रेकार्ड में दर्ज है।			

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 948 की विशेष शर्तें

Ann. A

Special Conditions

1. The Lessee shall use the dolomite won from the lease area solely in steel industries.

2. The lessee shall submit a certificate to the effect that the minea l produced by them have been used solely for the purpose metioned under condition no. 1 Or sold to the consumers directly. In case of the latter, the lessee shall submit such a ce tific ite from the consumer also.

3. The lessee shall take adequate steps to the satistaction of the Director of Mines & Geology, Rajasthan, Udaipur for proper analysis of the minera l dolomite before its destpach from the lessee area to ensure that the miner al being despatched was dolomite only.

4. The lessee shall at the time of inclusion of mineal lime stone if allowed by the State Govt. pay proportionate prospecting expenses incurred by the Department of Lime stone prospecting in the area according to quantum of prospecting work falling in the present lessee's area and the area of M/s. Kesoram Cement.

5. The lessee shall on demand supply limestone to M/s. Kesoram Cement Prop. Kesor am Industries and cotten mills Ltd. It price mutually settled and in case of disagreement on price so fixed by the Government.

6. The lessee shall pay royalty on limestone sold to M/s Kesoram Cement Prop. Kesoram Industries and cot en at the rate prescribed under M.C.R. Act, 1957 while on all other despatches of limestone from the lease area at the rate of royalty prescribed under the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 957 on limestone for lime burning.

Additional Special Conditions For Inclusion of Limestones

1. M/s. Oreintal Talc Products (P) Ltd. will pay additional deadrent at the rate of Rs. 45,000/- (Rs. forty five thousand) only for limestone for a period of 10 years and after 10 years the quantum of annual deadrent would beareviewed. This deadrent has been kept keeping in view the special condition provided in the existing mining lease of M/s. National Lime stone Co. and Shri Mohan Lal Agrawal regarding deadrent not less than 4 S.Q. miles as provided in the Rajasthan miner Mineral Concession Rules, 1959.

2. M/s. Oriental Talc products (P) Ltd. should surrenderd the lease when the lime stone reserves are found inadequate to support their cement plant in the area for which mining lease has been granted to M/s. Kasoram Cement Ltd. for which an undertaking has been given by the party.

247

परिशिष्ट ब

पट्टेधारी ने कैलसाइट, डोलोमाइट, लाइम स्टोन का निम्न प्रकार से उत्खनन किया है व राशि रायल्टी के रूप में राज्य कोष में जमा कराई है—

क्र.सं.	वर्ष	उत्पादन कैलसाइट	डोलोमाइट	लाइमस्टोन	राशि जो स्थिर भाटक एवं रायल्टी के रूप में सभी खनिजों के विरुद्ध जमा हुई
1	2	3	4	5	6
1.	75–75	754	87.7	2,954·3	7,214·60
2.	74–75	1172·9	....	55,740·3	1,13,727·45
3.	75–76	109	....	55,568·3	1,42,186·45
4.	76–77	110	....	62,760	1,87,893·90
5.	77–78	196	....	85,737·4	2,33,394·45
6.	78–79	106	....	72,064·6	2,28,214·60
7.	79–80	....	....	50,612·6	1,77,919·30
8.	80–81	....	....	55,347·1	2,66,725·07
9.	81–82	....	....	26,520	1 51,222·70
10.	82–83	....	....	42,121·1	2,36,398·86
11.	83–84	....	....	16,461·0	1,03,518.27
				31·12·83 तक	31·3·84 तक
	योग	2447.9	87·7	5,25,886·6	18 48,415·65

278

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 949 की सूचना

परिशिष्ट 'क'

खनि अभियंता कार्यालय अजमेर के क्षेत्राधिकार में 15–2–84 को विचाराधीन प्रधान/अप्रधान खनिज के खनन पट्टा पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र एवं परमिट के प्रार्थनापत्रों की स्थिति ।

(1) प्रधान खनिज खनन पट्टा प्रार्थना पत्र :

क्रमांक	आवेदक का नाम	खनिज का नाम	क्षेत्र का नाम	आवेदन पत्र की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री एफ. सी. फ्रामजी	मायका, बेरियल, प्रिसियस स्टोन	वसुन्दनी–264.47 एकड (नवीनीकरण प्रार्थना पत्र)	15-12-82
2.	श्री सत्यनारायण माथुर प्रो. सत्यप्रकाश माईनिंग वर्क्स	फेल्सपार, क्वार्टज आदि	जालियावास रुपापिथा–80.88 एकड (नवीनीकरण प्रार्थना पत्र)	27-12-82

1	2	3	4	5
3.	श्री कमलकुमार टांक प्रो. लक्ष्मी ईडस्ट्रीज	माइका, फेल्सपार, क्वार्टज	सरवाड़ व खिरियान 80 एकड़	16-5-83
4.	श्रीमती पुष्पादेवी अग्रवाल	मायका, फेल्सपार, क्वार्टज	खिरियान 100 है.	14-6-83
5.	श्री मानसिंह वागले	फेल्सपार, क्वार्टज	मकरेड़ा 80.82 है.	16-5-83
6.	श्री प्रताप कार्मशियल प्रा. लि.	एसबस्टस	आसन, 134 एकड़	10-8-83
7.	श्री ई. सी. फामनी	मायका फेल्सपार, क्वार्टज	वसून्दनी 32.37 है.	11-10-83
8.	श्री हरजीनाथ	सोपस्टोन, एसबसटस आदि	गुढ़ामुहामी 518 है.	25-10-83
9.	लक्ष्मी इंडस्ट्रीज प्रा. कमल कुमार टांक	फेल्सपार, क्वार्टज, एसबस्टस, आदि	चेनपुरा, राजगढ़ 172.66 है.	12-11-83
10.	श्री हरिशंकर शर्मा प्रो. भगवती मिनरल्स	एसबस्टस, फेल्स. क्वार्टज	पीसागन, 500 है.	12-12-83
11.	संदीप कुमार गिटढा	फेल्सपार, क्वार्टज	मोरबोला–129.50 है.	12-12-83
12.	श्री संतोष माईनिंग वर्क्स प्रो. श्री संतोष माथुर	मायका, फेल्स. क्वार्टज	किशनपुरा–77.91 है.	19-12-83
13.	श्री सुरेन्द्र कुमार गोधा	एसबसटस	टिकावड़ा 29.32 है.	22-12-83
14.	श्री रतनलाल	मायका, फेल्स. क्वार्टज	नागेलाव 215.82 है.	13-1-84

279

1	2	3	4	5
15.	श्रीमती भंवरी देवी तेली	मायका, फैल्सपार, क्वा. बेरियल	कलातखेड़ा 61 बीघा 19 बिश्वा 10 विश्वांसी	16-1-84
16.	श्री विनोद कुमार जैन	मायका, फैल्सपार, क्वा.	इन्दरपुरा, 79.13 एकड़	19-1-84
17.	श्री विनोद कुमार जैन	मायका, फैल्सपार, क्वा.	सनोद 35.07 है.	19-1-84
18.	ब्रह्मानन्द त्रिपाठी	एसबसटस, फैल्सपार क्वा.	प्रतापगढ़ 375 है.	10-2:84
19.	श्री ब्रह्मानन्द त्रिपाठी	एसबसटस, फैल्सपार, क्वा.	मांगलियावास 343.27	14-2-84
2.	**पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के प्रार्थना पत्र**			
1.	श्री बाबा मिनरल्स प्रो. श्री संदीप कुमार गिड्डा	मायज, फैल्ससपार, क्वार्टस बेरियल	फतेहगढ़, 129.50 है.	16-6-83
2.	श्री जगदीश मेहरा	फैल्सपार, क्वार्टस, जेस्पार, सोपस्टोन,	टोकरा 325.75 है.	28-11-83
3.	श्रीमती गुप्ता शकुंतलादेवी	मायका, फैलसपार, क्वार्टस	बाठोलाई–388.50 है.	2-12-83
4.	श्री जगदीश मेहरा	फैल्सपार क्वा. एसबसटस आदि	मठूसरी 200 है.	8-12-83
5.	श्री बाबा मिनरल्स प्रो. संदीप कुमार गिड्डा	मायका, फैल्सपार क्वा.	गोयला 129.50 है.	13-12-83

1	2	3	4	5
3.	**अप्रधान खनिज के प्रार्थना पत्र :**			
1.	श्रीमती फूलादेवी माली	चुनाई पत्थर	मेडोडागज–200 × 200 व. मी. (यह नवीनीकरण प्रार्थना पत्र है)	19-2-82
2.	श्री छीतर पुत्र लाखा रावत	चुनाई पत्थर	मणावाय 60 × 60 व. मी. (यह नवीनीकरण प्रार्थना पत्र है)	16-6-83 2-12-83
3.	श्रीमती शतीदेवी	बजरी	नसीराबादघाटी 150.40 व. मीटर	
4.	श्री सुवालाल मांभी	चुनाई पत्थर	बोराज 400–100 व. मी.	6-12-83
5.	श्री सतवतारराम माली	मारबल	सराधना 100–100 व. मी.	6-2-84
6.	श्री श्रवणकुमार गहलोत	मारबल	सराधना 100–100 व. मी.	6-2-84
7.	श्री नेमीचन्द जैन	मारबल	शीवपुरा 100–100 व. मी.	7-2-84
8.	श्री प्रेमचन्द ढड्ढा	मारबल	सरसरी 100–100 व. मी.	9-2-84
9.	श्री अमरचन्द कोठारी	मारबल	सरसरी 100–100 व. मी.	9-2-84
10.	श्री रोशन खां	मारबल	कायमपुरा 100–100 व. मी.	13-2-84
4.	**परमिट के प्रार्थना पत्र**			
1.	श्री अशोका	चुनाई पत्थर बालिस बजरी	150 घ. मी. मदार 132 घ. मी. मदार 15 घ. मी. मदार	4-1-83 4-1-83 4-1-83

1	2	3	4	5
2.	श्री अशोका	चुनाई पत्थर बालिस बजरी	66 घ. मी. मदार) 30 घ. मी. मदार) 30 घ. मी. मदार)	4-1-83
3.	श्री अशोका	चुनाई पत्थर बालिस बजरी	70 घ. मी. मदार) 30 घ. मी. मदार) 35 घ. मी. मदार)	11-1-83
4.	श्री अशोका	ग्रिट 44 घ. मी. नाल बजरी 50 घ. मी. नसीराबाद घाटी	नसीराबाद घाटी	3-2-83
5.	श्री अशोका	ग्रिट 81 घ. मी. नाल बालिस 40 घ.मी बजरी 18 घ. मी.	टणनाल नसीराबाद घाटी	3-2-83
6.	श्री सोमदत्त शर्मा	चुनाई पत्थर बजरी	200 घ. मी. नारेड़ी 50 घ. मी. माखुपुरा	23-2-83
7.	श्री हेमलता ब्रिक्स अजमेर	ईंट मिट्टी	आनासागर 425 टन	2-3-83
8.	श्री दिलीप ब्रिक्स अजमेर	ईंट मिट्टी	500 टन लोहागल	16-3-83
9.	श्री खेटवानी ब्रिक्स बांदनबाड़ा	ईंट मिट्टी	देवडिया 2070 टन	26-3-83

1	2	3	4	5
10	श्री चावला कं.	चुनाई पत्थर	120 घ. मी.	
		डुमाड़ा चुनाई पत्थर	125 घ. मी.	21-9-83
		नारेली चुनाई पत्थर	100 घ. मी.	
11.	श्री अशोक मनहोत	बालिस 52 घ. मी.	सावतसर कुचील	14-11-83
		बजरी 78 घ. मी.		
12.	श्री रोयल कं.	ब्लास्ट 130 घ. मी.	नारेली	23-11-83
		बजरी 50 घ. मी.	लोहागल	
13.	श्री गोविन्दसिंह राठौड़	ईंट मिट्टी आनासागर	1000 टन	8-12-83
14.	श्री बाबूलाल गुप्ता	बालिस 1500 टन	सांवतसर	8-1-84
15.	श्रीमती शकुन्तलादेवी माथुर	ब्लास्ट 90 घ. मी.	चाउन्डा	
		ब्लास्ट 35 घ. मी.	चाउन्डा	13-1-84
		बजरी 35 घ. मी.	फाइसागर	

1	2	3	4	5
16.	श्रीमती शकुंतला माथुर	ब्लास्ट 80 घ. मी.	चाउन्डा	13-1-84
		ब्लास्ट 43 घ. मी.	चाउन्डा	
		बजरी 48 घ. मी.	फाईसागर	
17.	श्री ताराचन्द नसीराबाद	चुनाई पत्थर 120 टन	बलवंता	16-1-84
		ब्लास्ट 80 टन	काशीया	
		बजरी 40 टन	श्रीनगर रोड़	
18.	श्री हरीसिंह केन	बालिस 30 घ. मी.	नारेली	21-1-84
		बजरी 150 घ. मी.	तबीजी	

परिशिष्ट (ख)

वित्तीय वर्ष 1982–83 एवं चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 15-2-84 तक प्राप्त प्रधान, अप्रधान खनिज के खनन पट्टे अथवा परमिट के प्रार्थना पत्र जो खारिज हुए की सूची :—

(1) प्रधान खनिज के प्रार्थना पत्र :—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	क्षेत्र	खनिज	आवेदन पत्र की तिथि	आवेदन पत्र खारिज किये जाने की तिथि	खारिज किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री रतनलाल पुत्र श्री मोहनदास	215.31 है नि. ग्रा. नाग्रेलाव, तह. ज जिला अजमेर	मायका, फेल्सपार, क्वार्टज ।	13. 5. 82	30. 12. 82	आवेदक को दिनांक. 9.11. 82 से लिखने पर भी बकाया न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया ।
2.	श्री बाल मुकन्द सोनी	198.00 है, नि. ग्रा. गारद की बाडी तह. ब्यावर जिला अजमेर	फेल्सफार, क्वार्टज केलसाइट ।	13·9·82	1·7·83	आवेदक को लिखने के बाद भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ।

1	2	3	4	5	6	7
3.	श्री मधुसूदन लक्ष्मीनारायण डागा	133.67 है. नि. ग्रा. सूरिया	मायका फैल्सपार क्वार्टज	19·1·83	16·9·83	आवेदक का आवेदन पत्र वैध आयकर शोधक प्रमाण पत्र, बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र के अभाव में अपूर्ण था।
4.	सर्वश्री गौरीनारायण खनिज उद्योग प्रो. श्री नेमीचन्द गुप्ता	100.00 है. नि ग्रा. नाईखुर्द	एसबसटस, सोप-स्टोन आदि	24. 1.83	8·8·83	आवेदन पत्र विवरण सूची गलत होने से आवेदक द्वारा पत्र दि. 22·1·83 से उक्त आवेदन पत्र दि. 24·1·83 को वापस उठा लिया गया।
5.	स———एजन———	100.00 है. नि. ग्रा. नाईखुर्द	एसबसटस,	29·1·83	16·11·83	आवेदक ने न्यूनतम सीमा तक बढ़ाने एवं निर्धारित न्यूनतम सीमा को स्थिरभाटक देने के सम्बन्ध में सहमति नहीं दी।
6.	मै. सत्यप्रकाश मईनिंग वर्क्स प्रो. श्री सत्यनारायण माथुर	194.24 है. नि. ग्रा. लखानी	फैलसफार क्वार्टज	2·2·83	25·10·83	आवेदित क्षेत्र अनुदान हेतु रिक्त नहीं।
7.	श्री हरजी नाथ	161.39 है. नि. ग्रा. गुढ़ा	फैलसपार, मेगने-साईट सोपस्टोन आदि	2·9·83	7·2·84	आवेदन पत्र वापिस उठा लिये जाने के कारण।

(2) सर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के प्रार्थना पत्र

1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री राम प्रसाद अग्रवाल	494 है, नि. ग्रा. मायड़	मायका, फैलसपार, क्वार्टज	27·8·82	1·1·83	पार्टी के पत्र दिनांक 14·9·82 से पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र का क्षेत्र लेना नहीं चाहती।
2.	श्रीमती शकुन्तला गुप्ता	140.00 है, नि. ग्रा. फाईसागर	मायका, फैलसपार, क्वार्टज	4·2·83	21·7·83	आवेदन पत्र वापिस लेने के कारण।
3.	सर्वश्री मेवाड़ सीमेन्ट प्रा. लि.	200.00 है, नि. ग्रा. नयागांव	लाईम स्टोन	8·4·83	20·3·84	आवेदित क्षेत्र के पास में मेजर सीमेन्ट प्लांट स्थापित हो रहा है। अतः मिनी सीमेन्ट के लिये स्वीकृति देना सम्भव नहीं होने से एवं आवेदक ने वैध अनुमोदन प्रमाण पत्र खनि अभियन्ता, अजमेर के पत्र दि. 17·1·84 से लिखे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये एवं साथ ही आयकर शोधन प्रमाण पत्र भी 13·3·84 को समाप्त हो गई थी।

1	2	3	4	5	6	7
4.	श्रीमती गुप्ता शकुन्तला देवी	80.94 है, नि. ग्रा. रूमानिया	मायका, फैलसपार, क्वार्टज	19·5·83	2·2·84	आवेदित क्षेत्र न्यूनतम क्षेत्रफल से कम होने एवं बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण।
(3) अप्रधान खनिज के प्रार्थना पत्र :—						
1.	मै. शक्ति सीमेन्ट उद्योग खरवा	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. सराधना	मारबल	13 4·82	26·7·83	क्षेत्र रिक्त नहीं होने के कारण।
2.	श्रीमती बीना दौलतराम	300 × 150 व. मी. नि. ग्रा. फतेहगढ़	,,	22·4·82	28·1·83	,, ,,
3.	मै. शिव शक्ति सीमेन्ट उद्योग, खरवा	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. सराधना	,,	13·4·82	26·7·82	आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति नहीं करने के कारण।
4.	श्रीमती बीना दौलत राम	300 × 50 व. मी. नि. ग्रा. मापनगर	,,	22·4·82	21 1·83	आवेदित क्षेत्र रिक्त न होने के कारण
5.	श्री रणजीत पुत्र कद्दू माली	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. मूणवाय	चुनाई पत्थर	3·5·82	26·7·82	क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र में पड़ने के कारण

1	2	3	4	5	6	7
6.	श्री बनवारी लाल अग्रवाल	60×150 व. मी. नि. ग्रा. किशनगढ़	मारबल	5·5·82	30·10·82	नगरपरिषद् की सीमा में आवेदित क्षेत्र पड़ने के कारण
7.	श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल	60×120 व. मी. नि. ग्रा. टूकरा	मारबल	5·5·82	10·12·82	बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण
8.	श्रीमती कान्ता मित्तल	60×60 व. मी. नि. ग्रा. मानपुरा की ढाणी	,, ,,	6·5·82	26·7·82	आवेदन पत्र विड्रां करने के कारण
9.	श्री रतनलाल वैष्णव	700×700 व. मी. नि. ग्रा. केरपुरा	चूनापत्थर	15·5·82	10·1·83	आवेदित क्षेत्र से आंशिक क्षेत्र खनि 'अभियन्ता, सोजत के क्षेत्र में पड़ने के कारण
10.	श्री रतनलाल शर्मा	150×80 व. मी. नि. ग्रा. सावर	मारबल	27·5·82	18·1·83	आवेदित क्षेत्र न लेने के इच्छुक होने के कारण
11.	श्री श्रवणलाल माली	60×60 व. मी. नि. ग्रा. मानपुरा की ढाणी	,, ,,	31·5·82	6·12·82	बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण
12.	श्री शिवप्रसाद छापरवाल	60×120 व. मी. नि. ग्रा. आखरी	,, ,,	8·6·82	10·1·83	आवेदक नियमानुसार वरीयता की श्रेणी में न आने के कारण

1	2	3	4	5	6	
13.	श्रीमती शशि गुप्ता	700 × 200 व. मी. नि. ग्रा. आखरी	मारबल	25·3·82	25·3·83	नौ माह पूर्ण होने के कारण स्वतः अस्वीकृत होने से अस्वीकृत किया गया।
14.	श्री हरिश्चन्द्र सिंधी	100 × 60 व. मी. नि. ग्रा. नेहरूनगर, अजमेर	चुनाई पत्थर	9·6·82	20·12·82	आवेदित क्षेत्र नगरपरिषद, अजमेर की सीमा में पड़ने के कारण।
15.	श्री कमलसिंह रावत	90 × 60 व. मी. नि. ग्रा. कावरा	मारबल	15·6·82	20·12·82	बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण।
16.	श्री बाबूलाल बाबाजी	90 × 60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	मारबल	6·7·82	4·4·8	आवेदित क्षेत्र रिक्त न होने के कारण।
17.	श्री मुकट विहारी बिड़ला	90 × 120 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,, ,,	6·7·82	4·4·83	आवेदक पत्र विदड्रा कर लेने के कारण।
18.	श्री उत्तम चन्द लूणावत	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. कायमपुरा	,, ,,	12·7·82	30·10·82	बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण।
19.	श्री भागू गूजर	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. मूडीवाल की ढाणी	,, ,,	12·7·82	30·10·82	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
20.	श्री सूरजमल गूजर	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. कल्याणपुरा	चुनाई पत्थर	19·7·82	30·10·82	बकाया नहीं होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण
21.	श्री बृज भूषण मित्तल	200 × 80 व. मी. नि. ग्रा. मकरेड़ा	मारबल	19·7·82	18·11·83	आवेदक द्वारा क्षेत्र न लेने में इच्छुक होने के कारण।
22.	श्री महेन्द्रसिंह सिंघवी	100 × 100 व. मी. नि. ग्रा. नन्दवाड़ा	ग्रेनाईट	26·7·82	25·4·83	नौ माह पूर्ण होने के कारण स्वत: अस्वीकृत हो गया।
23.	श्री रघुवीर शरण	120 × 80 व. मी. नि. ग्रा. सावर	मारबल	27·7·82	8·3·83	आवेदिक द्वारा आवेदित क्षेत्र न लेने की इच्छा के कारण।
24.	,, ,,	125 × 80 व. मी. नि. ग्रा. गणेशपुरा	,,	27·7·82	28·4·83	,, ,,
25.	श्री जे. सी. कोटिया	200 × 75 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	27·7·82	30·3·83	मारबल की नई नीति के अनुसार दो से अधिक मारबल के ख.प. न दिये जाने के कारण।
26	,, ,,	200 × 100 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	27·7·82	30·3·83	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
27.	श्री जे. सी. कोटिया	200×10 व. मी. नि. ग्रा. सावर	मारबल	27·7·82	30·3·83	मारबल की नई नीति के अनुसार दो से अधिक मारबल के ख.प. न दिये जाने के कारण
28.	,, ,,	90×200 व. मी. नि. ग्रा. राजपुरा	,,	27·7·82	30·3·83	,, ,,
29.	,, ,,	200×90 व. मी. नि. ग्रा. राजपुरा	,,	27·7·82	30·3·83	,, ,,
30.	,, ,,	150×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	27·7·82	30·3·83	,, ,,
31.	श्री सालिगराम शुक्ला	120×60 व. मी. नि. ग्रा. ओंकारपुरा	,,	27·7·82	18·4·83	प्रार्थी क्षेत्र न लेने के इच्छुक होने के कारण।
32.	श्री रघुवीर शरण	90×60 मी. नि. ग्रा. ओंकारपुरा	,,	27·7·82	18·4·83	प्रार्थी क्षेत्र न लेने के इच्छुक होने के कारण।
33.	———	60×120 व. मी. नि. ग्रा. गणेरा		27·7·82	18·4·83	——,,——

1	2	3	4	5	6	7
34.	श्री भीखाराम	60×60 व. मी. नि. ग्रा. सेलू	चुनाई पत्थर	3·8·82	1·1·83	बकाया न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण ।
35.	श्री काना	60×60 व. मी. नि. ग्रा. केलू	,,	3·8·82	14·12·82	,,
36.	श्री मदनलाल खटीक	60×60 व. मी. नि. ग्रा. केलू	,,	3·8·82	14·12·82	,,
37.	श्री सैयद मोहम्मद	125×75 व. मी. नि. ग्रा. मंकवाना	मारबल	21·8·82	20·1·83	वरीयता निर्धारित करनेके बाबत आवेदक को पत्र लिखा गया जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया ।
38.	श्री अजय कुमार सिंघल	60×60 व. मी. नि. ग्रा. काबरा	मारबल	24·8·82	18·1·83	आवेदित क्षेत्र के प्लान व विवरण सूची आपस में न मिलने पर उन्हें नयी विवरण सूची पेश करने हेतु लिखा पर उन्होंने पूर्व क्षेत्र का ही विवरण दिया ।
39.	श्री गुमानसिंह	150×60 व. मी. नि. ग्रा. तवीजी		4·9·82	15·1·83	बकाया न होने का प्रमाण-पत्र पेश न करने के कारण ।

(293)

1	2	3	4	5	6	7
40.	श्री गुमान सिंह	125×60 व. मी. नि. ग्रा. हडुण्डी	मारबल	4·9·82	1·1·83	बकाया न होने का प्रमाण-पत्र पेश न करने के कारण।
41.	श्री सैयद मोहुम्मद जागील	150×60 व. मी. नि. ग्र. तवीजो	,,	4·9·82	1·1·83	,,
42.	———	125×60 व. मी. नि. ग्रा. हडुण्डी	,,	4·9·82	10·1·83	,,
43.	———	125×60 व. मो. नि. ग्रा. हुडुण्डी	,,	4·9·82	10·11·83	,,
44.	———	150×60 व. मी. नि. ग्रा. तवीजी	,,	4·9·82	10·1·83	,,
45.	सर्वश्री कृष्ण मिल	60×60 व. मी. नि. ग्रा. मॉगलियावात	चुनाई पत्थर	13·9·82	10·1·83	,,
46.	श्री सवॉई सिंह	100×65 व. मी. नि. ग्रा. हुडुण्डी	मारबल	18·9·82	10·1.83	,,

1	2	3	4	5	6	7
47.	श्री सद्दिक मोहम्मद	135 × 60 व. मी. नि. ग्रा. उमरिया	मारबल	8·10·82	9·5·83	आवेदक द्वारा आवेदिक क्षेत्र न लेने बाबत इच्छा प्रकट करने के कारण
48.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	11·10·82	10·6·83	मारबल की नई नीति के अनुसार प्लान प्रस्तुत न करने के कारण ।
49.	श्री रामविलास दरगढ़	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. कवलाई	,,	11·10·82	18·1·83	आवेदित क्षेत्र रिक्त न होने के कारण ।
50.	श्री रोंशन खाँ	120 × 60 व. मी. नि. ग्रा कायमपुरा	,,	11·10·82	18·1·83	आवेदित क्षेत्र की सही विवरण सूची पेश न करने के कारण ।
51.	श्री श्रवण कुमार गहलोत	70 × 60 व. मी. नि. ग्रा. वेंडचास	,,	13·10·82	30·4·83	आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र न लेने की इच्छा प्रकट करने के कारण ।
52.	श्री सहजराम	90 × 60 व. मी. नि. ग्रा. करला	,,	13·10·82	18·1·83	बकाया प्रमाण-पत्र पेश न करने के कारण ।
53.	श्री मनीराजसिंह	90 × 75 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	23·10·82	10·6·83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण ।

1	2	3	4	5	6	7
54.	श्री अब्दुल गफुर	70×60 व. मी. नि. ग्रा. केकड़ी	मारबल	23·10·82	10·6·83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण।
55.	श्री ,,	70×75 व. मी. नि. ग्रा. उमरिया	,,	23·10·82	10·6·83	,,
56.	श्री प्रेमचन्द जैन	60×60 व. मी. नि. ग्रा. उमरिया	,,	23·10·82	10·6·83	,,
57.	,,	60×60 व. मी. नि. ग्रा. उमरिया	,,	23·10,82	10·6·83	,,
58.	श्री सूरजमल जाट	60×60 व. मी. नि. ग्रा. रलावता ?	,,	2·11·82	29·4·83	आवेदित क्षेत्र लेने से इच्छुक न होने के कारण।
59.	श्री अब्दुल गफ्फार	100×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	6·11·82	28·6·83	,,
60.	श्री सूरजमल माली	100×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	6,11·82	28·6·83	,,
61.	श्री छोटु पुत्र हाजी	150×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	8·11·82	28·6·83	,,

1	2	3	4	5		6 7
62.	श्री छोटु पुत्र हाजी	50×60 व. मी. नि. ग्रा.	मारबल	8·11·82	28·6·83	श्रावेदित क्षेत्र में इच्छुक न होने के कारण ।
63.	श्री महेश्वरी मार्बल	60×60 व. मी. नि. ग्रा. कजवारीया	,,	12·11·82	27·4·83	क्षेत्र न लेने की इच्छा प्रकट करने के कारण
64.	श्री जी. सी. कोटिया	100×75 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	20·11·82	30·3·83	मारबल की नई नीति के कारण 2 से अधिक ख. प. न दिये जाने के कारण ।
65.	,,	75×75 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	20·11·82	30·3·83	,,
66.	,,	80×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	20·11·82	30·3·83	,,
67.	,,	100×75 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	28·11·82	30·3·83	
68.	,,	100×75 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	28·11·82	20·3·83	
69.	,,	,,	,,	28·11·82	30·3·83	,,

1	2	3	4	5	6	7
70.	श्री जी. सी. कोटिया	100×75 व. मी. नि. ग्रा. सावर	मारबल	20·11·82	30·3·83	मारबल की नई नीति के कारण से अधिक ख. प. न दिये जाने के कारण।
71.	श्रीमती चन्द्रप्रभा जैन	75×75 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	24·11·82	28·6·83	के अनुसार प्लान प्रस्तुत न करने के कारण।
72.	श्री अशोक कुमार सेठी	60×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	24·11·82	28·6·83	,,
73.	श्रीमती जमीला वेग	60×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	24·11·82	28·6·83	बकाया नहीं प्रमाण पत्र पेश न करने के कारण।
74.	श्री अविनाश कुमार मुन्दड़ा	90×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	2·12·82	28·6·83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण।
75.	श्री रवीन्द्र चौधरी	60×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	25·11·83	28·6·83	,,
76.	श्री वैद्यनाथ चौधरी	60×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	25·11·82	28·6·83	,,
77.	श्री रविन्द्र चौधरी	90×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	25·11·82	28·6·83	,,

1	2	3	4	5	6	7
78.	श्री अब्दुल कयुम	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,, मारबल	25.11.82	28.6.83	आवेदित क्षेत्र लेने के इच्छुक न होने के कारण।
79.	श्री रवीन्द्र चौधरी	90 × 60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	25.11.82	28.6.83	,,
80.	श्री जे. सी. कोटिया	90 × 60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	29.11.82	28.6.83	मारबल की नई नीति के अनुसार प्लान प्रस्तुत न करने के कारण।
81.	श्री कप्तान छोटुराम	150 × 60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,, ,,	2.12.82	30.6.83	,,
82.	श्रीमती विमलादेवी	75 × 60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	2.12.82	30.6.83	,,
83.	श्री भूपेन्द्र सिंह	88 × 60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	2.12.82	30.6.83	,,
84.	श्रीमति उषा कटारीया	75 × 60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	2.12.82	30.6.83	,,

299

1	2	3	4	5	6	7
85	श्री भागचन्द जैन	80×60 व. मी. नि. ग्रा. उमरिया	मारबल ,,	2·12·82	30·6·83	मारबल की नई नीति के अनुसार प्लान प्रस्तुत न करने के कारण।
86.	श्री प्रेम चन्द जैन	60×60 व. मी. नि. ग्रा. उमरिया	,, ,,	2·12·82	30·6·83	,,
87.	श्री कँवरपाल जैन	60×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,, ,,	2·12·82	30·6·83	,,
88.	श्री माणक चन्द जैन	60×60 व. मी. नि. ग्रा. उमरिया	,, ,,	4·12·82	30·6·83	,,
89.	श्री रामलाल माली	60×60 व. मी. नि. ग्रा. त्रिजपुरा	,, ,,	6·12·82	30·6·83	,,
90.	श्रीमती कोशल्यादेवी	60×60 व. मी. नि. ग्रा. मोडी	,,	8·12·82	30·6·83	,,
91.	श्री शान्तीलाल जैन	60×60 व. मी. नि. ग्रा. मोडी	,, ,,	8·12·82	25·7·83	वरियता के आधार पर अस्वीकृत।
92.	श्री भँवरलाज धामाई	60×60 व. मी. नि. ग्रा. मांडी	,, ,,	8·12·82	27·7·83	,,

1	2	3	4	5	6	7
93.	श्री सुनील कुमार चोदेला	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. मोडी	मारबल ,,	8·12·82	30·6·83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण।
94.	श्री राजेन्द्र प्रकाश	——,,——	,,	8·12·82	9·5·83	आवेदित क्षेत्र न लेने के इच्छुक नहीं· नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण।
95.	श्री सुरेशकुमार शर्मा	——,,——				
96.	श्री मोहम्मद कुरेशी	——,,——		8·12·82	30·6·83	,,
97.	श्री सद्दीक मोहम्मद	——,,——		8·12·82	30·6·83	,,
98.	श्री राघवेन्द्र सिंह	——,,——		8·12·82	30·6·83	,,
99.	श्री महेन्द्र सिंह	——,,——		8·12·82	30·6·83	,,
100.	श्रीमती आलोल देवी	——,,——		8·12·82	30·6·83	,,
101.	श्री इसाका मुसलमान	——,,——		8·12·82	30·6·83	,,
102.	श्रीमती जमुनाबाई	——,,——		8·12·82	30·6·83	,,

1	2	3	4	5	6	7
103.	श्री रफीक अहमद	60×60 व. मी. नि. ग्रा. मोडी	मारबल	8·12·82	30·6·82	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण।
104.	श्री मनीराज सिंह	60×70 व. मी नि. ग्रा. मोड़ी	,,	8·12·82	30·6·83	,,
105.	श्री अब्दुल रफीक	60×60 व. मी. नि ग्रा. मोडी	,,	8·12·82	30·6·83	,,
106.	श्री तुलसीराम खटीक	100×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,, ,,	10·12·82	30·6·83	आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण।
107.	श्रीमती रामपाली खटीक	————	,,	10·12·82	30·6.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने कारण।
108.	श्री भीखा राम	90×50 व. मी. नि. ग्रा. खातोली	,, लाईमस्टोन	15·12·82	30·8·83	आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण।
109.	श्रीमती चन्द्र प्रभा जैन	75×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	मारबल			नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण।
110.	श्री जगदीश चन्द जोड़ा	75×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	15·12·82	13·7·83	,,
111.	श्री अब्दुल सलाम	60×60 व. मी. नि. ग्रा. सावर	,,	15·12·82	30·6·83	,,

1	2	3	4	5	6	7
112.	श्री याकूब अली	120 × 60 व. मी. नि. ग्रा. गणेशपुरा	मारवल ,,	15·12·82	30·6·83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण।
113.	श्री याकूब अली	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा.	,,	15·12·82	30·6·83	,,
114.	श्री अब्दुल सलीम	120 × 60 व. मी. नि. ग्रा. गोविन्दपुरा	,, ,,	15·12·82	13·7·83	,,
115.	श्री याकूब अली	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. गोविन्दपुरा	,, ,,	15.12.82	13.7.83	—,,—
116.	श्री अब्दुल करीम	120 × 60 व. मी. नि. ग्रा. गोविन्दपुरा	,,	15·12·82	13·7·83	क्षेत्र लेने का इच्छुक नहीं होने के कारण।
117.	श्री सुन्नालाल महाजन	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. मोडा	,,			मारबल की नई नीति के अनुसार क्षेत्र का प्लान पेश नहीं करने के कारण।
118.	श्री सुन्नालाल महाजन	——— गोविन्दपुरा	,,	15·12·82	30·6·83	,,
119.	श्री लक्ष्मण कुमार आर्य	———	,,	15·12·82	30·6·83	,,
120.	—,,—	60 × 60 व. मी. नि. ग्रा. मोडी	,,	15·12·82	30·6·83	,,

303

1	2	3	4	5	6	7
121.	श्री याकूब अली	60×60 व.मी. नि.ग्रा.	मोडी मारवल	15.12.82	30.6.83	मारवल की नई नीति के अनुसार क्षेत्र का प्लान पेश नहीं करने कारण।
122.	,, ,,	69×60 ,,	गोविन्दपुरा ,,	15.12.82	30.6.83	,,
123.	मै. मारुति	90×75 ,,	गणेशपुरा ,,	16.12.82	13.7.83	,,
124.	श्री अमरचन्द अग्रवाल	100×85 ,,	आखरी ,,	16.12.82	29.6.83	,,
125.	,, रामप्रसाद अग्रवाल	120×75 ,,	गोविन्दपुरा ,,	16.12.82	30,7.83	,,
126.	,, ,,	125×75 ,,	उमरिया ,,	16.12.82	21.7.83	न लेने के इच्छुक होने के कारण।
127.	श्री रामप्रसाद अग्रवाल	75×60 व.मी.निग्रा	उमरिया मारवल	16.12.82	22.3.83	क्षेत्र न लेने का इच्छुक होने के कारण
128.	,, रामलाल	60×60 व.मी.नि.ग्रा.	उमरिया ,,	16.12.82	30.6.83	नई नीति के अनुसार क्षेत्र का प्लान पेश न करने के कारण।
129.	,, अजीत वर्मा	75×60 व.मी नि.ग्रा.	उमरिया ,,	17.12.82	8·7.83	,,
130.	,, भूपेन्द्रसिंह	100×60 व.मी नि.ग्रा.	सांवर ,,	20.12.82	30.6.84	,,
131.	,, अब्दुल रहमान	120×75 ,, ,,	गोविन्दपुरा ,,	21.12.82	30.6.83	,,

1	2	3		4		5	6	7
132.	श्री महबूब	120 × 75	व.मी.नि.प्रा.	गोविन्दपुरा	मारबल	21.12.82	30.6.83	,,
133.	,, अब्दुल रशीद	120 × 75	,, ,,	गोविन्दपुरा	,,	21.12.82	30.6.83	,,
134,	,, नवीनचन्द जैन	00 × 60	,, ,,	लच्छीपुरा	,,	30.12.82	13.7.83	,,
135.	,, ,,	60 × 60	,, ,,	लच्छीपुरा	,,	24.12.82	18.4.83	क्षेत्र न लेने के इच्छुक होने के कारण
136.	,, दिनेशकुमार मंगल	75 × 60	,, ,,	उमरिया	,,	27.12.82	8.7.83	नई नीति के अनुसार क्षेत्र का प्लान पेश न करने के कारण,
137.	,, रामपाल गर्ग	75 × 60	,, ,,	उमरीया	,,	27.12.82	7.7.83	,,
138.	,, अब्दुल रशीद	150 × 60	,, ,,	राजपुरा	,,	27.12.82	19.7.83	आवेदित क्षेत्र लेने में इच्छुक नहीं
139.	,, गौरीशंकर माटी	60 × 60	,, ,,	मगरा	,,	30.12.82	7.7.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश नहीं किया
140.	,, श्रीमती सईदा माजदा	60 × 60	,, ,,	कायमपुरा	,,	31.12.82	7.7.83	,,
141.	,, अशोक कुमार शर्मा	60 × 60	,, ,,	रिछमालिया	,,	4.1.83	10.6.83	क्षेत्र लेने के इच्छुक नहीं होने के कारण

1	2	3	4		5	6	7
142.	श्री अब्दुल कयूम	60×60व.मी. नि.ग्रा.	घटियाली	मारवल	5.1.83	13.7.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश नहीं किया
143.	,, ,,	60×60 ,, ,,	गोविन्दपुरा	,,	5.1.83	13.7.83	,,
144.	,, रामलाल चौधरी	60×60 ,, ,,	उमरिया	,,	5.1.83	19.6.83	क्षेत्र न लेने की इच्छा जाहिर करने के कारण
145.	,, शिवचन्द बावजी	150×60 . ,,	सावर	,,	5.1.83	8.4.83	क्षेत्र रिक्त न होने के कारण
146.	श्रीमती सुरजबाई	400×100 ,, ,,	सावर	,,	6.1.83	13.7.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने
147.	श्री महेशकुमार शर्मा	90×60 ,, ,,	कवलाई	,	7.1.83	10.6.83	आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण
148.	,, ,,	75×60 ,, ,,	राजपुरा	,,	7.1.83	13.7.83	,,
149.	,, शौकत अली	90×60 , ,,	कवलाई	,,	7.1.83	13.7.83	,,
150.	, ,	,, ,, ,, ,,	,,	,,	7.1.83	13.7.83	,,
151.	,, साँवरमल जोशी	60×60 ,, ,,	नरवल	,,	12.1.83	19.4.83	नई नीति के अनुसार दो से अधिक प्लाट नहीं देने के कारण

1	2	3	4		5	6	7
152.	श्री नरेन्द्रकुमार महेश्वरी	60×60 व.मी.नि.ग्रा.	भदतुरी	मारबल	13.1.83	30.8.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण।
153.	,, सवाईसिंहे राजपूत	100×65 ,, ,,	हटुण्डी	,,	15.1.83	21.7.83	,,
154.	,, सम्पते लाल ब्राह्मण	60×60 ,, ,,	मोड़ी	,,	17.1.83	13.7.83	,,
155.	,, जगदीशचन्द	120×100 ,, ,,	सावर	,,	17.1.83	30.3.83	,,
156.	,, नरेन्द्र कुमार सेठी	120×60 ,, ,,	ऊँकारपुरा	,,	17.1.83	13.7.83	,,
157.	, चन्द्र प्रकाश सेठी	100×75 ,, ,,	सावर	,,	17.1.83	16.8.83	आवेदित क्षेत्र में से स्वीकृति हेतु जो क्षेत्र बचा वह आधे से भी कम रहने के कारण
158.	,, राजेन्द्रकुमार गुप्ता	100×75 ,, ,,	सावर	,,	17.1.83	16.8.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण।
159.	,, विजेन्द्र कुमार कंजोलिया	200×130 ,, ,,	सावर	,,	17.1.83	13.7.83	,,
160.	,, सुशील गुप्ता	,, ,, ,,	सावर	,,	17.1.83	13.7.83	,,
161.	,, सुरजमल जाट	100×70 ,, ,,	मानपुर की ढाणी	,,	21.1.83	13.7.83	,,
162.	,, जगदेव सिंह	75×50 ,, ,,	सराधना	लाइमस्टोन	21.1.83	28.6.83	आवेदन पत्र विड्रा करने के कारण

1	2	3	4	5		6	7
163.	श्री एस.सी.श्रीवास्तव	300 × 100 व.मी.नि.ग्रा.	रूपनगर	मारवल	22.1.83	13.7.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण ।
164.	,, एस.सी. श्रीवास्तव	,,	,,	,,	22.1.83	13.7.83	,,
165.	,, जगदेव सिंह	60 × 60 ,,	सराधना	,,	22.1.83	29.8.83	,,
166.	,, अजयकुमार सिंह	90 × 60 ,,	कावरा	,,	24.1.83	19.8.83	,,
167.	,, नवीनचन्द जैन	60 × 60 ,,	अर्जुनपुरा	,,	24.1.83	30.8.83	नई नीति के अनुसार क्षेत्र न पेश नई करने हेतु
168.	,, ओम प्रकाश	120 × 90 ,,	हरगाड़ा	,,	24.1.83	13.7.83	,,
169.	श्रीमती वन्दना अग्रवाल	60 × 60 ,,	भदसुरा	,,	24.1.83	13.7.83	,,
170.	,, उषा जौहरी	60 × 60 ,,	सराधना	,,	24.1.83	10.6.83	,,
171.	श्री सुरेश कुमार शर्मा	120 × 60 ,,	मकरेड़ा	,,	31.1.83	19.7.83	आवेदन पत्र विड्रा करने के कारण
172.	,, वन्दना अग्रवाल	150 × 60 ,,	तबीजी	,,	1.2.83	18.7.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने के कारण ।
173.	,, जगदीश चन्द्र कोटिया	160 × 100 ,,	सावर	,,	4.2.83	30.3.83	,,

1	2	3		4		5	6	7
174.	श्री स्टोन इण्डरनेशनल	90×90	व.मी.नि.ग्रा.	घटियाली	मारबल	5.2.83	30.7.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने
175.	,, संजय गर्ग	100×100	,,	गणेशपुरा	,,	5.2.83	30.7.83	,,
176.	एसोसियेटेड स्टोन कं.	115×90	,,	गणेशपुरा	,,	5.2.83	30.7.83	,,
177.	श्री शंकरलाल	100×90	,,	गणेशपुरा	,,	5.2.83	30.7.83	,,
178.	,, दिनेश पारीक	100×90	,,	गणेशपुरा	,,	5.2.83	30.7.73	,,
179.	,, एसोसियेटेड स्टोन	130× 20	,,	गणेशपुरा	,,	5.2.83	30.7.83	,,
180.	,, अमरीक सिंह	90×70	,,	घटियाली	,,	5.2.83	30.7.83	,,
181.	,, अमरीक सिंह	90×75	,,	गणेशपुरा	,,	5.2.83	30.7.83	,,
182.	,, सत्यनारायण	90×90	,,	घटियाली	,,	5.2.83	30.7.83	,,
183.	,, अमरीक सिंह	90×75	,,	घटियाली	,,	5.2.83	30.7.83	,,
184.	श्रीमती वीना दौलतराम	300×150	,,	रूपनगर	,,	5.2.83	30.7.83	,,
185.	श्री विजन्द्रसिंह	120×60	,,	सराधीनी	,,	5.2.83	30.8.83	सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा।

309

(३१७)

1	2	3		4		5	6	7
186.	श्री भगवानदासरामचंदानी	120×60	व.मी.नि.ग्रा.	सराधना	मारबल	7.2.83	30.8.83	सूचना प्रस्तुत करने असमर्थ रहा।
187.	,, विनोदकुमार विन्दल	60×60	,,	सराधना	,,	7.2.83	30.2.83	आवेदित क्षेत्र स्वीकृति हेतु रिक्त नहीं है।
188.	,, सांवरमल जाट	120×60	,,	सराधना	,,	7.2.83	19.7.83	शपथ पत्र में अचल संपत्ति का विवरण गलत होने के कारण
189.	,, गणपतलाल दगदी	100×100	,,	रूपनगर	,,	7.2.83	10.7.83	मारबल की नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने कारण।
190.	,, भारतभूषण	300×150	,,	रूपनगर	लाइमस्टोन	8.2.83	3.11.83	आवेदित क्षेत्र में खनिज मारबल उपलब्ध होने के कारण स्वीकृति करने की सहमति हेतु लिखा गया जो पेश नहीं किया।
191.	,, किशनाराम	60×60	,,	पिंगलोद	मारबल	9.2.83	18.7.83	मारबल की नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने पर।

1	2	3		4	5		6	7
192,	श्री एम. एम. राठोर	75×60	,,	सावर	मारबल	15.2.83	18.7.83	मारबल की नई नीति के अनुसार प्लान पेश न करने पर
193.	,, रामस्वरूप जाट	60×75	,,	हरमाणा		15.2.83	18.7.83	,,
194.	,, शिवरामजी जाट	75×60	,,	हरमाणा		15.2.83	18.7.83	,,
195.	,, मूलसिंह	75×60	,,	जाजोता	,,	18.2.83	18.7.83	,,
196.	,, नेमीचन्द गुप्ता	75×75	,,	रूपनगर	,,	18.2.83	30.8.83	आवेदन अपूर्ण रहने के कारण
197.	रिषी मार्बल प्रा. लि.	60×60	,,	मांड़ी	,,	19.2.83	10.6.83	,,
198.	श्री रतनलाल शर्मा	60×60	,	मांड़ी	,,	21.2.83	18.7.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश नहीं किया
199,	,, रतनलाल शर्मा	120×95	,,	केकड़ी	,,	21.2.83	30.8.83	ग्रेनाइट का खनन पट्टा आवंटन हेतु ग्रेनाइट पोलिशिंग का उद्योग राज्य में दो वर्ष में लगाये जाने बाबत सहमति देने हेतु आवेदक को लिखा गया जिसकी पालना करने में वे असमर्थ रहे इसलिये अस्वीकृत किया गया।

1	2	3		4		5	6	7
200.	श्री रतनलाल शर्मा	100×100	व.मी.नि.ग्रा.	केकड़ी	मारबल	21.2.83	30.8.83	ग्रेनाइट का खनन, पट्टा आवंटन हेतु ग्रेनाइट पोलिशिंग को उद्योग राज्य में दो वर्ष में लगाये जाने बावत सहमति देने हेतु आवेदक को लिखा गया जिसकी पालना करने में वे असमर्थ रहे इसलिये अस्वीकृत किया गया।
201.	,, रतनलाल शर्मा	125×70	,,	केकड़ी	,,	21.2.83	30.8.83	,,
202.	,, रतनलाल शर्मा	125×70	,,	केकड़ी	,,	,,	,,	,,
203.	,, रतनलाल शर्मा	150×60	,,	नाड़ी	,,	21.2.83	30.8.83	,,
204.	,, अब्दुल रजाक	100×100	,,	नाड़ी	,,	21.2.83	30.83.83	,,
205.	,, सज्जनसिंह	60×60	,,	नाड़ी	,,	,,	,,	,,
206.	,, सज्जनसिंह	60×60	,,	नाड़ी	,,	,,	,,	,,
207.	,, रतनलाल शर्मा	60×60	,,	नाड़ी	,	,,	,,	,,
208.	,, रतनलाल शर्मा	150×60	,,	नाड़ी	,,	,,	,,	,,

1	2	3		4	5		6	7
209.	श्री दिलीपसिंह	75×60	व.मी.नि.ग्रा.	जरमाणा	मारबल	22.2.83	18.7.83	मारबल की नई नीति के अनुसार प्लान पेश नहीं किये ।
210.	,, उगामाराम जाट	75×60	,,	हरमाणा	,,	22.2.83	18.7.83	,,
211.	,, अब्दुल गफार	120×75	,,	सावर	,,	23.2.83	18.7.83	,,
212.	,, अयुब खां	60×60	,,	मोड़ी	,,	23.2.83	10.6.83	क्षेत्र रिक्त नहीं होने के कारण ।
213.	,, मोहन पुत्र सूखा गूजर	75×60	,,	सावर	,,	23.2.83	10.7.83	मारबल की नई नीति के अनुसार प्लान पेश नहीं किये ।
214.	,, नारायणलाल	100×60	,,	सावर	,,	23.2.83	18.7.83	,,
215.	,, रमेश कुमार	90×60	,,	सावर	,,	23.2.83	18.7.83	,,
216.	,, अब्दुल रफीक	120×90	,,	सावर	,,	23.2.83	18.7.83	,,
217.	,, पवनकुमार जैन	70×60	,,	जाजोता	,,	24.2.83	21.10.83	आवेदन अपूर्ण होने के कारण ।

1	2	3		4	5		6	7
218.	श्री राजेन्द्र जाट	60 × 60	व.मी.	सुरसरा	मारबल	28.2.83	18.7.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश नहीं किये ।
219.	,, श्रवण जाट	60 × 60	,,	सुरसरा	,,	28.2.83	18.7.83	,,
220.	,, रामेश्वर	60 × 60	,,	सुरसरा	,,	28.2.83	18.7.83	,,
221.	,, रामकिशोर तापड़िया	60 × 60	,,	रूपगढ़	,,	2.3.83	18.7.83	नई नीति के अनुसार प्लान पेश नहीं किया ।
222.	,, रामस्वरूप वाहेती	120 × 60	,,	आखरी	,,	8.3.83	18.7.83	,,
223.	,, रमेशचन्द मंगल	150 × 70	,,	सावर	,,	11.3.83	28.10.83	,,
224.	,, सत्यनारायण	120 × 60	,,	सावर	,,	17.3.83	18.7.83	,,
225.	,, गिरधारीलाल अग्रवाल	150 × 150	,,	सावर	,,	17.3.83	30.8.83	,,
226.	,, जी. सी. कोटिया	60 × 100	,,	सावर	,,	18.3.83	30.3.83	आवेदक ने आवेदन पत्र विड्रा कर लिया ।
227.	,, सालगराम	225 × 60	,,	सावर	,,	18.3.83	27.4.83	,,
228.	,, सालगराम	100 × 60	,,	सावर	,,	18.3.83	18.7.83	,,

1	2	3		4		5	6	7
229.	श्री कुमुदनी कोटिया	100×100	व.मी.	सावर	मारबल	8.4.83	17.5.83	आवेदक ने आवेदन पत्र विड्रा कर लिया।
230.	,, कुमुदनी कोटिया	100×100	,,	सावर	,,	8.4.83	,,	,,
231.	,, कुमुदनी कोटिया	100×100	,,	सावर	,,	8.4.83	30.9.83	आवंटित क्षेत्र मारबल के लिये निर्धारित क्षेत्र से कम होने पर पूर्ण क्षेत्र का स्थिरभाटक देने बाबत सहमति देने में आवेदिका असमर्थ रही जिससे अस्वीकृत किया गया।
232.	श्रीमती शीला कोटिया	100×100	,,	सावर	,,	8.4.83	9.5.83	क्षेत्र नहीं लेने के कारण अस्वीकृत किया गया।
233.	श्रीमती शीला कोटिया	100×100	,,	सावर	,,	8.4.83	9.5.83	,,
234.	श्रीमती शीला कोटिया	100×100	,,	सावर	,,	8.4.83	17.5.83	,,
235.	श्रीमती शीला कोटिया	100×100	,,	सावर	,,	8.4.83	17.5.83	,,
236.	श्रीमती शीला कोटिया	100×100	,,	सावर	,,	8.4.83	17.5.83	,,

1	2	3		4	5		6	7
237.	श्री सालीगराम शुक्ला	100×100	व.मी.नि.ग्रा.	कुमारिया	मारबल	8.4.83	17.5.83	क्षेत्र नहीं लेने के कारण अस्वीकृत किया गया ।
238.	,, सालीगराम शुक्ला	100×100	,,	कुमारिया	,,	,,	,,	,,
239.	,, सालीगराम शुक्ला	100×100	,,	कुमारिया	,,	,,	,,	,,
240.	,, एस. सी. गर्ग	100×100	,,	कुमारिया	,,	8.4.83	9.5.83	आवेदित क्षेत्र न लेने के इच्छुक होने से ।
241.	,, एस. सी. गर्ग	100×100	,,	कुमारिया	,,	,,	,,	,,
242.	,, एस. सी. गर्ग	100×100	,,	कुमारिया	,,	8.4.83	30.8.83	आवेदित क्षेत्र का प्लान प्रस्तुत नहीं किया ।
243.	श्रीमती शकुन्तला कोटिया	100×100	,,	सावर	,,	8.4 83	17.5.83	क्षेत्र न लेने के कारण ।
244.	,, शकुन्तला कोटिया	100×100	,,	सावर	,,	,,	,,	,,
245.	श्री प्रकाश गूजर	100×100	,,	कुमारिया	,,	8.4.83	30.7.83	,,
246.	श्रीमती दलित कंवर	100×200	,,	रघुनाथपुरा	,,	16.4.83	27.8.83	आवेदन पत्र पर रही कमियों की पूर्तियां न करने के कारण अस्वीकृत किया गया

1	2	3		4		5	6	7
247.	श्री केसरीमल	100 × 100	व.मी.नि.ग्रा.	रघुनाथपुरा	मारबल	16.4.83	30.9.83	आवेदन पत्र पर रही कमियों की पूर्तियां न करने के कारण अस्वीकृत किया गया।
248.	श्रीमती शीला कोटिया	100 × 100	,,	नाड़ी	,,	30.4.83	17.5.83	आवेदित क्षेत्र न होने को प्रकट करने के कारण।
249.	श्री सुधीर गर्ग	100 × 100	,,	सावर	,,	30.4.83	17.5.83	,,
250.	,, भंवरलाल बरडवा	100 × 100	,,	मकरेड़ा	,,	7.5.83	25.7.83	आवेदित क्षेत्र रिक्त न होने के कारण।
251.	,, अनिल कुमार जैन	100 × 100	,,	उमरिया	,,	2.5.83	30.7.83	,,
252.	,, शिवशंकरसिंहराजपूत	100 × 100	,,	उमरिया	,,	9.5.83	30.7.83	,,
253.	,, शिवशंकरसिंहराजपूत	100 × 100	,,	मोड़ी	,,	10.5.83	30.9.83	,,
254.	,, रामजीलाल शर्मा	100 × 100	,,	उमरिया	,,	10.5.83	30.7.83	,,
255.	,, रामजीलाल शर्मा	100 × 100	,,	उमरिया	,,	10.5.83	30.7.83	,,
256.	श्रीमती लाडकंवर	100 × 100	,,	मोड़ी	,,	12.5.83	20.18.83	,,

1	2	3		4	5		6	7
257.	श्री नेमीचन्द शर्मा	100×100	व.मी।नि.ग्रा.	रिछमालिया	मारबल	31.5.83	21.10.83	आवेदित क्षेत्र रिक्त न होने के कारण।
258.	,, लक्ष्मीचन्द	100×100	,,	मकरेड़ा	,,	7.6.83	30.9.83	आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में पड़ने के कारण।
259.	,, अब्दुल रशीद	100×100	,,	राजपुरा	,,	20.7.83	26.12.83	आवेदित क्षेत्र आबादी में होने के कारण सरपंच से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु लिखा गया जिसकी पालना करने में असमर्थ रहने के कारण।
260.	श्रीमती किशोर गर्ग	100×100	,,	घटियाली	,,	11.10.83	21.10.83	आवेदित क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से विरोधीत होने के कारण।
261.	श्री मोहनसिंह	60×60	,,	नारेली	चुनाई पत्थर	12.10.83	29.11.83	चुनाई पत्थर के ख. प. आवंटन हेतु निर्धारित क्षेत्र में न आने से खारिज किया गया।
262.	,, भंवरललाल बरड़वा	100×100	,,	मकरेड़ा	,,	22.10.83	30.11.83	आवेदित क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से विरोधित होने के कारण।

1	2	3	4	5	6	7
263.	श्री एश्वीन विल्सन	60 × 60 व.मी.नि.ग्रा.	लोहागढ़ चुनाई पत्थर	31.10.83	29.11.83	चुनाई पत्थर के खनन पट्टे हेतु निर्धारित श्रेणियों में न आने के कारण।
264.	,, देवी भील	60 × 60 ,,	बरल बजरी	2.11.83	30.11.83	खनन क्षेत्र में विभागीय नाका होने के कारण का निर्गम परमिट द्वारा ही दिया जाने।
265.	,, जगदेवसिंह	100 × 100 ,,	रिछमाजिया ,,	29.11.83	31.12.83	आवेदित क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से विरोधित होने के कारण।
266.	,, कुशालसिंह	100 × 100 ,,	नाड़ी मारबल	5.1.84	31.1.84	,,
267.	,, नेमीचन्द जैन	200 × 101 ,,	श्योपुरा ,,	6.1.84	31.1.84	,,
268.	,, नेमीचन्द जैन	100 × 100 ,,	श्योपुरा ,,	7.2.84	28.2.84	आवेदित क्षेत्र रिक्त न होने के कारण।
269.	,, रोशन खां	100 × 100 ,,	कायमपुरा ,,	13.2.84	28.2.84	आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण।

परिशिष्ट-10

प्रश्न संख्या 960 की सूची

सूची

क्रम सं.	नाम पटवारी
1.	श्री गोपाल सिंह
2.	,, रामचन्द्र
3.	,, सोवरन सिंह
4.	,, लक्ष्मणसिंह
5.	,, बनवारी लाल
6.	,, रामेश्वर दयाल
7.	,, नारायण स्वरुप
8.	,, भरतसिंह
9.	,, राम प्रकाश
10.	,, रुपचन्द
11.	,, रामेश्वर दयाल
12.	,, नारायण स्वरुप
13.	,, महेश चन्द
14.	,, धर्मसिंह
15.	,, धर्मसिंह
16.	,, रामचरन लाल
17.	,, जवाहर सिंह
18.	,, कमरूद्दीन
19.	,, महावीर प्रसाद
20.	,, लक्ष्मण सिंह
21.	,, रामबाबू
22.	,, मुन्नालाल
23.	,, भंवरसिंह
24.	,, दीनदयाल
25.	,, डालचन्द
26.	,, वदनसिंह
27.	,, विमलचन्द
28.	,, शिवचरन लाल
29.	,, नेमीचन्द
30.	,, हरद्वारी लाल
31.	,, राम बाबू यादव

321

नोट :—

1. इन स्थानान्तरण आदेश के फलस्वरूप 13 पटवारियों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। जिसकी अनुमानित राशि 4000/–रु० होगी। सही राशि पटवारियों द्वारा उनके स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के बिल प्रस्तुत करने पर ही विदित हो सकेगी।

2. इन 31 पटवारियों के क्रम संख्या 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 के स्थानान्तरण उनके क्रियान्वयन के पूर्व ही प्रशासनिक कारणों से निरस्त किये जाकर, इसके स्थानान्तरण आदेश प्रसारित किये गये।

3. क्रम संख्या 1, 2, 3, 10, 18, 19, 21, 27, 28, 29 के स्थानान्तरण उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्वेच्छा से किये गये हैं।

4. क्रम संख्या 30 पर स्थानान्तरित पटवारी का स्थानान्तरण 8 कि. मी. की परिधि में हुआ है जिसके कारण उसे स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 963 की सूची

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

बोर्ड द्वारा पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं की सूची:— परिशिष्ठ 'ल'

जिला—अजमेर

र. न.	नाम व पता
1	2
01/01	मैसर्स भारत जनरल स्टोर, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/02	मैसर्स ओम ब्रदर्स, अग्रसेन बाजार, ब्यावर (अजमेर)
01/03	मैसर्स विजय ब्रदर्स, कचहरी रोड़, अजमेर
01/04	मैसर्स अभिनव प्रकाशन, बछराज भवन, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/05	मैसर्स सरला ट्रेडिंग एजेन्सी, सावित्री बालिका उ. मा. वि. अजमेर
01/06	मैसर्स सिंहल ब्रदर्स, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/07	मैसर्स मार्डन स्टेशनर्स, चटाई गंज, अजमेर
01/08	मैसर्स गणपति स्टेश्नरी मार्ट, पांच बत्ती, लोहिया बाजार, ब्यावर (अजमेर)
01/09	मैसर्स अग्रवाल बुक डिपो, सदर बाजार, नसीराबाद (अजमेर)
01/10	मैसर्स पारस स्टेश्नर्स, 2/713, पीपलिया बाजार, ब्यावर (अजमेर)
01/11	मैसर्स अनिल बुक हाऊस, नेहरू मार्ग, मदनगंज, किशनगढ़ (अजमेर)
01/12	मैसर्स अनुपम स्टेश्नर्स, सिटी रोड़, मदनगंज, किशनगढ़ (अजमेर)
01/13	मैसर्स सुरेन्द्र बुक एण्ड स्टेश्नरी सेंटर, मदन गोपाल रोड़, राजकीय महाविद्यालय के सामने, अजमेर

1	2
01/14	मैसर्स महेश्वरी जनरल स्टोर्स, महावीर बाजार, विजयनगर (अजमेर)
01/15	मैसर्स राकावत स्टेशनरी मार्ट, पीसांगन (अजमेर)
01/17	मैसर्स माडर्न पब्लिशर्स, चूड़ी बाजार, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/18	मैसर्स गुप्ता बुक डिपो, संत पाल्स स्कूल के पास, रानाडे मार्ग, अलवर गेट, अजमेर
01/19	मैसर्स देवकरण रामेश्वर प्रशाद, अजमेरी गेट, बन्सी भवन, ब्यावर
01/20	मैसर्स महेश बुक कम्पनी, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/21	मैसर्स जयपुर बुक कम्पनी, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/22	मैसर्स विजय पुस्तक भण्डार, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/23	मैसर्स किरन पब्लिकेशन्स, 38/439 बाटा गवाड़ी, पुरानी मण्डी, (अजमेर)
01/24	मैसर्स गर्ग बुक कम्पनी, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/25	मैसर्स महेश जनरल स्टोर्स, गोपी बिल्डिंग, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/26	मैसर्स डी–लक्स सुपर स्टोर्स, रामगंज, अजमेर
01/27	मैसर्स इन्दरमल नेमीचन्द गोखारु, महावीर बाजार, विजयनगर
01/28	मैसर्स पापुलर हाऊस, पीपलिया बाजार, ब्यावर
01/29	मैसर्स किताब घर, चांग गेट के अन्दर, ब्यावर
01/30	मैसर्स सोभागमल प्रकाशचन्द, सुभाष बाजार, केकड़ी (अजमेर)
01/31	मैसर्स माणकचन्द रतनलाल गदिया, सदर बाजार, केकड़ी (अजमेर)
01/32	मैसर्स अग्रवाल जनरल स्टोर्स, 69 सदर बाजार, नसीराबाद
01/33	मैसर्स अग्रवाल ब्रदर्स, 68, सदर बाजार, नसीराबाद
01/34	मैसर्स खण्डेलवाल ब्रदर्स, बस स्टेण्ड के पास, ब्यावर
01/35	मैसर्स पुस्तक भवन, पाली बाजार, ब्यावर (अजमेर)

1	2
01/36	मैसर्स रिन्कू ट्रेडर्स, 6/316, डिग्गी मोहल्ला, ब्यावर
01/37	मैसर्स त्रिवेणी प्रकाशन, आगरा गेट, अजमेर
01/39	मैसर्स भारत पुस्तक मन्दिर, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/40	मैसर्स लक्ष्मी जनरल स्टोर, डा. नन्दलाल मार्ग, अजमेर
01/41	मैसर्स कृष्णा ब्रदर्स, कचहरी रोड़, अजमेर
01/42	मैसर्स राजू पुस्तक भण्डार, भवराह घाट, पुष्कर (अजमेर)
01/43	मैसर्स वर्मा ब्रदर्स, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/44	मैसर्स कालेज बुक डिपो, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/45	मैसर्स महावीर पुस्तक भण्डार, कुमावत मार्केट, सिटी रोड़, मदनगंज किशनगढ़ (अजमेर)
01/46	मैसर्स गांधी स्टोर, केसरगंज, अजमेर
01/47	मैसर्स महेश्वरी पुस्तक भण्डार, गोपाल बिल्डिंग के सामने, मदनगंज किशनगढ़ (अजमेर)
01/48	मैसर्स जनता पुस्तक भण्डार, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/49	मैसर्स अजमेर पब्लिशिंग हाऊस, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/50	मैसर्स नेशनल बुक हाऊस, सेंट्रल बैंक के पास, पुरानी मन्डी, अजमेर
01/51	मैसर्स श्री लक्ष्मी पुस्तक भण्डार, गली कायस्थ मोहल्ला, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/52	मैसर्स निरंकारी जनरल स्टोर, रामगंज, अजमेर
01/53	मैसर्स गर्ग पेपर इण्डस्ट्रीज, अजमेरी गेट के पास, केकड़ी, (अजमेर)
01/56	मैसर्स राजोरिया प्रकाशन, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/57	मैसर्स गणपति पुस्तक भण्डार, सोमानी मार्केट, सेन्दड़ा रोड़, ब्यावर

1	2
01/58	मैसर्स गणेशदास श्री कृष्ण, पाली बाजार, ड्रिप्लेवर्स के पास. ब्यावर (अजमेर)
01/59	मैसर्स रवि प्रकाशन, महात्मा गांधी मार्ग, अजमेर
01/60	मैसर्स नागोरी जनरल स्टोर्स, पुरानी सब्जी गली, ब्यावर
01/62	मैसर्स छगनलाल एण्ड सन्स, 103, मैन रोड़, नसीराबाद (अजमेर)
01/63	मैसर्स देव एण्ड ब्रदर्स, अजमेर रोड़, मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)
01/65	मैसर्स एज्यूकेशनल पब्लिशर्स, 224, शिवाजी नगर, मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर)
01/67	मैसर्स जैन ब्रदर्स, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/68	मैसर्स चित्रगुप्ता प्रकाशन, पुरानी मण्डी अजमेर
01/69	मैसर्स सुशील प्रकाशन, 63, कचहरी रोड़, अजमेर
01/70	मैसर्स दयानन्द बुक स्टोर्स, जिया लाल मार्ग, केसर गंज, अजमेर
01/71	मैसर्स जनता जनरल स्टोर्स, केसर गंज, अजमेर
01/72	मैसर्स यंगमैन एण्ड कम्पनी, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/73	मैसर्स यूनिक बुक हाऊस, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/74	मैसर्स मिश्रा ब्रदर्स, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/75	मैसर्स अलका पब्लिकेशन्स, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/77	मैसर्स अशोक बुक डिपो, पुरानी मण्डी, अजमेर
01/78	मैसर्स कार्मशियल लॉ हाऊस, सरस्वती भवन, महेश्वरी कालोनी, मदनगंज—किशनगढ़ (अजमेर)
01/79	मैसर्स तारा बुक स्टोर्स, केसर गंज, अजमेर
01/80	मैसर्स महेश्वरी ब्रदर्स, अजमेरी गेट, केकड़ी (अजमेर)

1	2
01/81	मैसर्स सूरज प्रकाशन, ब्रह्मपुरी रोड़, अजमेर
01/82	मैसर्स नील कमल स्टोर, सरवाड़ (अजमेर)
01/84	मैसर्स शीतल पुस्तक भण्डार, मिट्ठनलाल का चौक, पुरानी मण्डी, (अजमेर).

जिला–अलवर

02/01	मैसर्स यशोदा नन्दन श्रीकिशन, बहरोड़, अलवर
02/02	मैसर्स राजेन्द्र प्रसाद रोशनलाल, बहरोड़, (अलवर)
02/03	मैसर्स दीपक बुक डिपो, नया बस स्टेण्ड, बहरोड़, (अलवर)
02/04	मैसर्स विकास पब्लिकेशन, श्री आदिनाथ मार्ग, अलवर
02/05	मैसर्स कालेज बुक डिपो, महाविद्यालय के सामने, बहरोड़, (अलवर)
02/06	मैसर्स द्वारका प्रशाद आनन्द कुमार, मैन बाजार, बहरोड़ (अलवर)
02/07	मैसर्स भार्गव बुक्स एण्ड जनरल स्टोर, कोटकासिम तहसील–किशनगढ़ (अलवर)
02/08	मैसर्स राजस्थान पुस्तक भण्डार, रामगढ़ (अलवर)
02/09	मैसर्स हरिकिशन दामोदरलाल, चौपड़ बाजार, राजगढ़, (अलवर)
02/10	मैसर्स विजय बुक डिपो, चर्च रोड़ अलवर
02/11	मैसर्स महावर जनरल स्टोर, हरसोली, अलवर
02/12	मैसर्स महेश बुक कम्पनी, मन्नी का बड़, अलवर
02/13	मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स, नया बस स्टेण्ड, बहरोड़, (अलवर)
02/14	मैसर्स भागीरथ पुस्तक भण्डार, मुखर्जी मार्ग, खैरथल (अलवर)
02/15	मैसर्स राजस्थान बुक डिपो, मन्नी का बड़, अलवर

(327)

1	2
02/16	मैसर्स चेतन बुक डिपो, खैरथल मण्डी, (अलवर)
02/17	मैसर्स ज्ञानचन्द जैन (बुक सेलर), तिजारा (अलवर)
02/18	मैसर्स बिहारीलाल गिर्राजप्रसाद अग्रवाल, तिजारा, (अलवर)
02/19	मैसर्स ज्ञानचन्द ओमप्रकाश, बहरोड़, (अलवर)
02/20	मैसर्स बाल पुस्तक भण्डार, खैरथल (अलवर)
02/21	मैसर्स विशम्बर दयाल मातादीन, बहरोड़, (अलवर)
02/22	मैसर्स नानकचन्द देवेन्द्रकुमार हरसोली (अलवर)
02/23	मैसर्स खण्डेलवाल जनरल स्टोर, बहरोड़, (अलवर)
02/24	मैसर्स सिद्धार्थ बुक्स कार्नर एण्ड जनरल स्टोर, लक्ष्मणगढ़, (अलवर)
02/25	मैसर्स जैन ट्रेडर्स, स्टेशन रोड़, राजगढ़ (अलवर)
02/26	मैसर्स सरस्वती पुस्तक भण्डार, किशनगढ़बास (अलवर)
02/27	मैसर्स रामनाथ रामनिवास, जवाहर चौक, खेरली (अलवर)
02/28	मैसर्स अग्रवाल पुस्तक भण्डार, खैरली (अलवर)
02/29	मैसर्स अग्रवाल पुस्तक भण्डार, आदिनाथ मार्ग, अलवर
02, 30	मैसर्स सुशील पुस्तक भण्डार, मन्नी का बड़, अलवर
02/31	मैसर्स ललित बुक डिपो, जवाहर चौक, खैरली (अलवर)
02/33	मैसर्स सैनी पुस्तक भण्डार, मन्नी का बड़, चारणवाला कुंआ, अलवर
02/34	मैसर्स विजय पुस्तक भण्डार, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)
02/35	मैसर्स घनश्यामदास निरंजनलाल, बहरोड़ (अलवर)
02/36	मैसर्स ऋषीकुमार ज्ञानचन्द जैन, तिजारा, अलवर
02/37	मैसर्स नारायण पुस्तक भण्डार, सब्जी मण्डी, खेरथल (अलवर)
02/38	मैसर्स विपिल बुक डिपो, मन्नी का बड़, अलवर

1	2
02/39	मैसर्स जे. बी. प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, मालाखेड़ा बाजार, राजगढ़, (अलवर)
02/40	मैसर्स बंसल बुक भण्डार, मालखेड़ा बाजार, राजगढ़ (अलवर)
02/41	मैसर्स श्याम बुक कम्पनी, सब्जी मण्डी, खैरथल (अलवर)
02/42	मैसर्स लक्ष्मी पुस्तक भण्डार, चर्च रोड, अलवर
02/43	मैसर्स नीलम बुक डिपो, सेन्ट्रल बैंक के सामने, मन्नी का बढ़, अलवर
02/44	मैसर्स अजन्ता बुक स्टोर, राजकीय नवीन उ. मा. विद्यालय के सामने, अलवर
02/45	मैसर्स प्रेम बुक डिपो, आदिनाथ मार्ग, अलवर
02/46	मैसर्स पदमचन्द जैन, होप सर्कस, अलवर
02/47	मैसर्स जोशी पुस्तक भण्डार, शाहजहांपुर तह बहरोड़, (अलवर)
02/48	मैसर्स सींथल बुक कम्पनी, सब्जी मण्डी, बानूसर (अलवर)
02/49	मैसर्स जैन पुस्तक भण्डार, चर्च रोड, अलवर
02/50	मैसर्स रमेश बुक्स एण्ड स्टेशनरी मार्ट, चर्च रोड, अलवर
02/51	मैसर्स आनन्द प्रकाशन, चर्च रोड, अलवर
02/52	मैसर्स गुरुनानक पुस्तक भण्डार, गुरुद्वारे वाली गली, किशनगढ़बास (अलवर)
02/53	मैसर्स नरेश बुक डिपो, चर्च रोड, अलवर
02/54	मैसर्स जैन जनरल स्टोर, जवाहर चौक, खैरली (अलवर)

जिला-बांसवाड़ा

03/01	मैसर्स गेबीलाल निहालचन्द जैन बागीदौरा, (बांसवाड़ा)

1	2
03/02	मैसर्स कांतिलाल सुखलाल जैन, गान्धी मार्केट, तलवाड़ा (बांसवाड़ा)
03/03	मैसर्स गेंदामल बुक सेलर, मु. पो. पालोदा (बांसवाड़ा)
03/04	मैसर्स कोठारी ब्रदर्स, आजाद चौक, बांसवाड़ा
03/05	मैसर्स उपाध्याय ब्रदर्स, मोहन कालोनी, बांसवाड़ा
03/06	मैसर्स श्री सरस्वती स्टेशनरी मार्ट, सदर बाजार, बांसवाड़ा
03/07	मैसर्स जोशी बुक स्टाल, महात्मा गांधी मार्ग, बांसवाड़ा
03/08	मैसर्स सेठनाथूलाल सूरजमल, सदर बाजार, घाटोल (बांसवाड़ा)
03/09	मैसर्स विमल स्टेशनर्स एण्ड जनरल स्टोर बरारवाड़ा (बांसवाड़ा)
03/10	मैसर्स श्री महावीर स्टोर्स, मु. पो. अरथूना (बांसवाड़ा)
03/11	मैसर्स सुदर्शन बुक स्टोर, सदर बाजार, परतापुर, (बांसवाड़ा)
03/12	मैसर्स अरुण जनरल स्टोर, आजाद चौक, बांसवाड़ा
03/13	मैसर्स हितैषी ब्रदर्स, पीपली चौक, बांसवाड़ा
03/14	मैसर्स पेनपेलेस स्टेशनर्स एण्ड जनरल स्टोर, आजाद चौक, बांसवाड़ा

जिला–बाड़मेर

04/01	मैसर्स अग्रवाल जनरल स्टोर, सदर बाजार, समदड़ी तहसील–सिवाना (बाड़मेर)
04/02	मैसर्स अरोड़ा स्टेशनर्स पचपदरा सिटी (बाड़मेर)
04/03	मैसर्स अमृतलाल देवीलाल, स्टेशन रोड़, बाड़मेर
04/04	मैसर्स जे. पी. सिन्हल एण्ड कम्पनी, स्टेशन रोड़, बाड़मेर
04/05	मैसर्स स्टूडेन्ट बुक कम्पनी, स्टेशन रोड़, बाड़मेर
04/06	मैसर्स माहेश्वरी पुस्तक भण्डार, स्टेशन रोड़, बाड़मेर

1	2
	जिला-भरतपुर
05/01	मैसर्स सुभाष बुक डिपो, छोटा बाजार, रूदावल (भरतपुर)
05/02	मैसर्स उपाध्याय बुक एण्ड जनरल स्टोर, कटरा, नदबई (भरतपुर)
05/03	मैसर्स अग्रवाल पुस्तक भण्डार, सीकरी (भरतपुर)
05/04	मैसर्स रूपेन्द्र बुक डिपो, बयाना (भरतपुर)
05/05	मैसर्स रामजीलाल दिनेशचन्द, कटरा, नदबई (भरतपुर)
05/06	मैसर्स गर्ग बुक स्टोर, वैर (भरतपुर)
05/07	मैसर्स बंसल बुक डिपो, दाल बाजार, भरतपुर
05/08	मैसर्स अग्रवाल बुक स्टोर, मण्डी बाजार, कामां (भरतपुर
05/09	मैसर्स राज बुक सेन्टर, चौबुर्जा बाजार, भरतपुर
05/10	मैसर्स राधाकृष्ण पुस्तक केन्द्र, कटरा, नदबई (भरतपुर)
05/11	मैसर्स गोविन्दप्रसाद राजेन्द्रप्रसाद, वैर (भरतपुर)
05/12	मैसर्स गोयल पुस्तक भण्डार, मुख्य बाजार, नगर (भरतपुर)
05/13	मैसर्स भारती पुस्तक मन्दिर, जनरल ग्रस्पताल मार्ग, भरतपुर
05/16	मैसर्स खण्डेलवाल एण्ड ब्रदर्स बापू बाजार, नगर (भरतपुर)
05/17	मैसर्स नवभारत स्टोर, लक्ष्मण मन्दिर, डीग (भरतपुर)
05/18	मैसर्स दिनेश बुक डिपो, गंगा मन्दिर, भरतपुर
05/19	मैसर्स सेठी बुक डिपो, गंगा मन्दिर (भरतपुर)
05/20	मैसर्स अशोक बुक डिपो, बुद्ध की हाट, भरतपुर
05/21	मैसर्स अशोक ब्रदर्स, चौबुर्जा, भरतपुर

1	2
05/22	मैसर्स महेन्द्र जनरल स्टोर, मुसावर (भरतपुर)
05/24	मैसर्स अंशू जनरल स्टोर, मुसावर (भरतपुर)
05/25	मैसर्स योगीराज पुस्तक भण्डार, मुसावर (भरतपुर)
05/26	मैसर्स मनोहर जनरल स्टोर, उच्चैन (भरतपुर)
05/27	मैसर्स सरस्वती पुस्तक भण्डार, दाल बाजार, (भरतपुर)
05/28	मैसर्स रामदत्ता एण्ड संस, नदबई (भरतपुर)
05/29	मैसर्स पितालिया पुस्तक मन्दिर, मण्डी बाजार, कामां (भरतपुर)
05/30	मैसर्स राधास्वामी जनरल स्टोर, नदबई (भरतपुर)
05/31	मैसर्स जैन जनरल स्टोर, मुसावर (भरतपुर)
05/32	मैसर्स गर्ग बुक कम्पनी, मथुरा गेट, भरतपुर
05/33	मैसर्स मित्तल ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, सब्जी मण्डी, मुसावर (भरतपुर)
05/34	मैसर्स बंसल बुक डिपो, छोटा बाजार, बयाना (भरतपुर)
05/35	मैसर्स स्टूडेन्ट ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, जामा मस्जिद के नीचे, भरतपुर
05/36	मैसर्स खण्डेलवाल पुस्तक भण्डार, बापू बाजार, नगर (भरतपुर)
05/37	मैसर्स रघुवर बुक डिपो, कुम्हेर (भरतपुर)
05/38	मैसर्स कन्हैयालाल एण्ड कम्पनी, कुम्हेर (भरतपुर)
05/39	मैसर्स महेन्द्र बुक डिपो, नदबई (भरतपुर)
05/40	मैसर्स अग्रवाल बुक डिपो, मथुरा गेट, भरतपुर
05/41	मैसर्स न्यू बुक कम्पनी, जवाहर गंज, डीग, (भरतपुर)
05/42	मैसर्स बंसल बुक सेन्टर, लाल बाजार, भरतपुर
05/43	मैसर्स भोलेश्वर बुक डिपो, मथुरा गेट के पास, भरतपुर

1	2
05/44	मैसर्स कृष्णा बुक डिपो, दाल बाजार, भरतपुर
05/45	मैसर्स आदर्श ट्रेडर्स बुक सेलर अस्पताल रोड़, बयाना (भरतपुर)
05/46	मैसर्स गोपाल पुस्तक भण्डार, तहसील कार्यालय के पास, कामां (भरतपुर)
05/47	मैसर्स ठाकुरदास जगदीशकुमार बुक सेलर, रूपवास (भरतपुर)
05/48	मैसर्स अग्रवाल बुक डिपो, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर रोड़, नगर (भरतपुर)
05/49	मैसर्स मनोज जनलर स्टोर, जवाहर चौक, बयाना (भरतपुर)
05/50	मैसर्स दिनेश जनलर स्टोर, छोटा बाजार, बयाता (भरतपुर)
05/51	मैसर्स शिवप्रसाद गन्धी एण्ड संस, आर्य समाज रोड़, लक्ष्मण मन्दिर, भरतपुर
05/52	मैसर्स भरतपुर बुक डिपो, जामा मस्जिद, भरतपुर
05/53	मैसर्स गर्ग बुक डिपो, जुरहरा (भरतपुर)
05/54	मैसर्स चतुर्वेदी बुक एण्ड जनरल स्टोर, नई मण्डी, भरतपुर
05/55	मैसर्स चन्द्रा बुक स्टोर, मथुरा गेट, भरतपुर
05/56	मैसर्स कुमार स्टेशनर्स एण्ड जनरल मर्चेन्ट, मथुरा गेट, भरतपुर
05/57	मैसर्स महेन्द्रकुमार अशोककुमार, जवाहर चौक, बयाना (भरतपुर)
05/58	मैसर्स मोतीलाल जैन पुस्तक विक्रेता, जवाहर चौक, बयाना (भरतपुर)
05/59	मैसर्स ओमप्रकाश बुक सेलर, सदर बाजार, उच्चैन (भरतपुर)
05/60	मैसर्स सिंघल जनरल स्टोर, सदर बाजार, उच्चैन (भरतपुर)

जिला-भीलवाड़ा

06/01	मैसर्स सुभाष बुक स्टेशनर' कालेज रोड़, भीलवाड़ा
06/02	मैसर्स सरस्वती स्टोर्स, कालेज रोड़, भीलवाड़ा

1	2
06/03	मैसर्स अरावली स्टेशनरी मार्ट, नगरपालिका के सामने आसीन्द (भीलवाड़ा)
06/04	मैसर्स महेश्वरी बुक हाउस, मु. पो. पुर (भीलवाड़ा)
06/05	मैसर्स नोलखा ब्रदर्स, सदर बाजार गंगापुर (भीलवाड़ा)
06/06	मैसर्स एस. लोढ़ा एण्ड कम्पनी, 78, बाला जी मार्केट, भीलवाड़ा
06/07	मैसर्स प्रगतिशील प्रकाशन समिति, मुपालगंज, भीलवाड़ा
06/08	मैसर्स विद्यार्थी पुस्तक भण्डार, मु. पो. बिजोलिया (भीलवाड़ा)
06/09	मैसर्स राठी ब्रदर्स बुक सेलर, मुपालगंज, भीलवाड़ा
06/10	मैसर्स बगतावरमल लक्ष्मीनारायण मालू, मैन मार्केट, जहाजपुर, (भीलवाड़ा)
06/11	मैसर्स मण्डोरा ट्रेडर्स, सदरबाजार, गंगापुर (भीलवाड़ा)
06/12	मैसर्स इन्द्रमल अनिलकुमार, सरकारी दरवाजा, भीलवाड़ा
06/13	मैसर्स पारस स्टेशनर्स, इन्दिरा मार्केट, भीलवाड़ा
06/14	मैसर्स श्री गणेश पुस्तक भण्डार, बस स्टेण्ड, बड़लियास (भीलवाड़ा)
06/15	मैसर्स ओसवाल ब्रदर्स सदरबाजार, आसीन्द (भीलवाड़ा)
06/16	मैसर्स छापरवाल एण्ड संस, 92, बालाजी मार्केट, भीलवाड़ा
06/17	मैसर्स यतीन्द्र साहित्य सदन, सरस्वती बिहार, कोर्ट के सामने, भीलवाड़ा
06/19	मैसर्स दीपक जनरल स्टोर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
06/21	मैसर्स गोपाल एण्ड ब्रदर्स, वार्ड न. 13, सिन्धुनगर, भीलवाड़ा
06/22	मैसर्स लक्ष्मी जनरल स्टोर्स, कालेज रोड़, भीलवाड़ा

1	2
	जिला–बीकानेर
07/01	मैसर्स राज पुस्तक महल, गोगा गेट के बाहर, बीकानेर
07/02	मैसर्स शर्मा बुक सेन्टर, रानी बाजार, बीकानेर
07/04	मैसर्स धुड़चन्द भंवरलाल, गंगाशहर (नई लाईन) बीकानेर
07/05	मैसर्स गुप्ता स्टेशनरी एण्ड स्टोर, रानी बाजार, बीकानेर
07/06	मैसर्स जैन बुक सेन्टर, बैदों का चौक, बीकानेर
07/07	मैसर्स हरियाणा बुक डिपो, फड़ बाजार, बीकानेर
07/08	मैसर्स सतीश एण्ड कम्पनी, अस्पताल रोड़, बीकानेर
07/09	मैसर्स मल्होत्रा ब्रदर्स, कोट गेट के अन्दर, बीकानेर
07/10	मैसर्स देहली स्टोर, कोट गेट, बीकानेर
07/11	मैसर्स बीकानेर बुक डिपो, कोट गेट, बीकानेर
07/12	मैसर्स बुलाकी दास चौहान, बैदों का चौक, बीकानेर
07/13	मैसर्स श्री गोपाल बुक डिपो, कोट गेट, बीकानेर
07/14	मैसर्स राजस्थान एज्यूकेशनल स्टोर, दाऊजी रोड़, बीकानेर
07/15	मैसर्स नन्दलाल मोदी, डागा बिल्डिंग, दुकान नम्बर 12 के सामने, बीकानेर
07/16	मैसर्स कृष्ण जन सेवी एण्ड को. दाऊजी मन्दिर भवन, बीकानेर
07/17	मैसर्स नवयुग ग्रन्थ कुटीर, कोट गेट, बीकानेर
07/19	मैसर्स राजू बुक सेन्टर, स्टेशन रोड़, बीकानेर
07/20	मैसर्स गर्ग बुक डिपो, कोट गेट के अन्दर, बीकानेर
07/21	मैसर्स विद्या स्टेशनरी भण्डार, गुरुद्वारा बिल्डिंग, रानी बाजार, बीकानेर

1	2
07/22	मैसर्स उत्तम पुस्तक केन्द्र, अम्बेडकर सर्किल, हास्पिटल रोड़, बीकानेर
07/23	मैसर्स श्री कृष्ण ट्रेडर्स, जसूसर गेट के अन्दर, बीकानेर
07/24	मैसर्स किशोर पुस्तक केन्द्र, डॉ. अम्बेडकर सर्किल, अस्पताल रोड़, बीकानेर
07/25	मैसर्स श्रीराम बुक डिपो, सोन गिरि कुआ, बीकानेर
07/26	मैसर्स चन्द्रभान हजरती, रानी बाजार, बीकानेर
07/27	मैसर्स बुक हाउस, मुख्य डाकघर के सामने, बीकानेर
07/28	मैसर्स जी. डी. सेल्स ऐजेन्सी, माल गोदाम रोड़, बीकानेर
07/29	मैसर्स सुरजीत प्रकाशन, व्यापारियों का मोहल्ला, बीकानेर
07/31	मैसर्स गाडोदिया पुस्तक भण्डार, फड बाजार, बीकानेर
07/32	मैसर्स पुस्तक भवन, सुखलेचा कटला, कोट गेट, बीकानेर
07/33	मैसर्स गोयल एण्ड कम्पनी, 6, कोट गेट के अन्दर, बीकानेर
07/34	मैसर्स यादव पुस्तक भण्डार, कोट गेट के अन्दर, बीकानेर

जिला–बून्दी

08/01	मैसर्स सत्यनारायण बिड़ला, चौमुखा बाजार, बून्दी
08/02	" गुप्ता बुक डिपो, चौमुखा बाजार, बून्दी
08/03	" शिवनारायण नरसिंह लाल महाजन, बुक सेलर, केशवराय पाटन (बून्दी)
08/04	" रोडू लाल ओम प्रकाश, केशवराय पाटन (बून्दी)
08/05	" शिव बुक डिपो, कोटा रोड़, बून्दी
08/06	" अग्रवाल ट्रेडर्स, चौमुखा बाजार, बून्दी
08/07	" राकेश जनरल स्टोर, तालेड़ा (बून्दी)

1	2
08/08	मैसर्स जैन पुस्तक मन्दिर, बून्दी
08/09	" राकेश एण्ड ब्रदर्स, बस स्टेण्ड, लाखेरी (बून्दी)
08/10	" सुभाष जनरल स्टोर, जवाहर बाजार, लाखेरी (बून्दी)

जिला–चित्तौड़गढ़

09/01	मैसर्स चम्पालाल पुखराजमल, बड़ी सादड़ी दरवाजा, छोटी सादड़ी, (चित्तौड़गढ़)
09/02	" ललित क्रोकरी एण्ड जनरल स्टोर, केन्द्रीय सहकारी बैंक के सामने, बेगू (चित्तौड़गढ़)
09/03	" मोहनलाल ओमप्रकाश, गांधी चौक, चित्तौड़गढ़
09/04	" पन्नालाल बाबूलाल नन्दवाना, सुखाड़िया मार्केट, पुराना बस स्टेण्ड पोस्ट–कपासन (चित्तौड़गढ़)
09/05	" अशोक जनरल स्टोर, गंगरार (चित्तौड़गढ़)
09/06	" मोहन जनरल स्टोर, गांधी चौक, चित्तौड़गढ़
09/07	" सुभाष जनरल स्टोर पो. कपासन (चित्तौड़गढ़)
09/08	" सोवती नामदेव जनरल स्टोर्स, पो. पहुना, तहसील राशमी (चित्तौड़गढ़)
09/09	" कालेज स्टोर, सदर बाजार, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)
09/10	" विद्यार्थी वस्तु भण्डार, माणक चौक, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)
09/11	" जैन पुस्तक भण्डार, सदर बाजार, चित्तौड़गढ़
09/12	" के. एम. अलावत एण्ड ब्रदर्स, गोल प्याऊ चौहराया, चित्तौड़गढ़
09/13	" नीलकमल स्टेशनर्स, सदर बाजार, चित्तौड़गढ़

1	2
09/14	मैसर्स इन्दू स्टोर्स, छोटी सादड़ी (चित्तौड़गढ़)
09/15	" हिन्दुस्तान स्पोर्टस एण्ड स्टेशनर्स, पुराना बस स्टेण्ड, चित्तौड़गढ़
09/17	" श्री गोपाल जनरल स्टोर्स, सदर बाजार, कपासन (चित्तौड़गढ़)
09/18	" राकेश ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड, कपासन (चित्तौड़गढ़)
09/19	" राजश्री स्टेशनर्स, नेहरू बाजार, चित्तौड़गढ़

जिला-चुरु

10/02	मैसर्स बजरंग किताब घर, सालासर (चुरु)
10/03	" विजय स्टोर, पोस्ट आफिस के पास, पोस्ट बाक्स नं. 24, सरदार शहर (चुरु)
10/04	" राधेश्याम दोलतराम, स्टेशन रोड़, रतनगढ़ (चुरु)
10/06	" मोदी स्टेशनरी सेन्टर, अशोक मार्केट, सादुलपुर (चुरु)
10/08	" अग्रवाल बुक कम्पनी, आथुना बाजार, चुरु
10/09	" जालान पिक्चर स्टोर, मैन बाजार चुरु
10/10	" लादूराम महेशकुमार खेमका, कटला बाजार, चुरु
10/11	" विनोद स्टोर्स, बस स्टेण्ड रोड़, सरदार शहर (चुरु)
10/12	" संजय स्टोर, स्टेशन रोड़, सादुलपुर (चुरु)
10/13	" गाडोदिया स्टोर, स्टेशन रोड़, चुरु
10/14	" किताब घर, घन्टाघर के पास, दिखनादा बाजार, सुजानगढ़ (चुरु)
10/16	" श्री हनुमान स्टोर, रतनगढ़ (चुरु)
10/17	" सस्ता स्टेशनरी भण्डार, मैन मार्केट, चुरु

1	2
10/18	मैसर्स अजयकुमार संजयकुमार, मैन मार्केट, चुरु
10/19	" सन्तोषीमां स्टोर एण्ड स्टेशनर्स, स्टेशन रोड़, रतनगढ़ (चुरु)
10/20	" किताब घर, मैन बाजार, सरदार शहर (चुरु)
10/22	" बुगालिया स्टेशनर्स एण्ड स्पोर्ट्स, स्टेशन रोड़, सुजानगढ़ (चुरु)
10/23	" गोपाल पुस्तक भण्डार, घन्टाघर के पास, सुजानगढ़ (चुरु)
10/24	" जगदम्बा स्टोर, श्री डूंगरगढ़ (चुरु)
10/25	" जगदम्बा स्टेशनरी, बेरासरीया बाजार, सादुलपुर (चुरु)
10/26	" प्रकाश जनरल स्टोर, मैन बाजार, बीदासर (चुरु)
10/27	" तिवारी ब्रदर्स, डागा मार्ग, सरदार शहर (चुरु)
10/28	" मधु बुक डिपो, गांधी चौक, सरदार शहर (चुरु)
10/29	" श्री हनुमान स्टोर, पोस्ट-बीदासर (चुरु)
10/30	" स्वामी स्टोर, सब्जी मण्डी, तारानगर (चुरु)
10/31	" नवभारत पैन स्टोर, स्टेशन रोड़, सुजानगढ़ (चुरु)
10/32	" गौड़ पुस्तक भण्डार, शोभासर, तह. सुजानगढ़ (चुरु)
10/33	" शारदा पुस्तक मन्दिर, सरदार शहर (चुरु)
10/34	" उमेश स्टोर बुक सेलर एवं स्टेशनर्स, नई सड़क, चुरु
10/36	" विनोद पुस्तक सदन, रेल्वे रोड़, सादुलपुर (चुरु)
10/37	" प्रवीन बुक सेन्टर, नगीना बाजार, बीदासर (चुरु)
10/38	" महावीर बुक स्टाल, सरदार शहर (चुरु)

जिला-डूंगरपुर

11/01	मैसर्स जयलक्ष्मी पुस्तक भण्डार, माणक चौक, डूंगरपुर

(339)

1	2
11/02	मैसर्स ओम प्रकाश, पुस्तक विक्रेता, सागवाड़ा (डूंगरपुर)
11/03	" नेशनल स्टोर्स, शास्त्री मार्ग, डूंगरपुर
11/04	" श्री सरस्वती पुस्तक भण्डार, मैन रोड़, डूंगरपुर
11/05	" गणेश बुक सेलर्स, सीमलवाड़ा (डूंगरपुर)
11/06	" महावीर बुक सेलर्स, हास्पिटल रोड़, डूंगरपुर

जिला-जयपुर

12/01	मैसर्स प्रकाश बुक डिपो, लालसोट रोड़, दौसा
12/02	" सिंघल ब्रदर्स, डी 278, टोडरमल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
12/03	" राज जनरल स्टोर, नगरपालिका के पास, कोटपूतली
12/04	" गोपाल स्टोर्स, रेनवाल
12/05	" अग्रवाल स्टेशनर्स एण्ड जनरल स्टोर्स, उ. मा. वि. के पास अचरोल
12/06	" हाडा जनरल स्टोर्स, लालसोट
12/07	" रामानन्द रामप्रसाद, गांधी चौक, फुलेरा
12/08	" सुरेश बुक डिपो, नगरपालिका के पास, कोटपुतली
12 09	" हरीनारायण कमलेशकुमार जनरल मर्चेंट, अचरोल
12/10	" अशोककुमार मनोजकुमार जैन रेनवाल मांझी
12/11	" श्रीनारायण रामावतार ताम्बी, त्रिकुटिया बाजार, बंसवा
12/12	" वदनका न्यूज एजेन्सी एण्ड स्टेशनर्स, गांधी चौक, मनोहपुर
12/13	" बजाज पुस्तक भण्डार शाहपुरा

1	2
12/14	मैसर्स गोयनकाज, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/15	" महेश बुक डिपो, गांधी बाजार, कोटपुतली
12/16	" अग्रवाल एजेन्सीज, पुस्तक एवं स्टेशनरी विक्रेता, 12/67, गोपालजी का रास्ता, खो वालों का चौक, जयपुर
12/17	" रस्तौगी ब्रदर्स, 811, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर
18/18	" खण्डेलवाल पुस्तक भण्डार, सिकराय (जयपुर)
12/19	" पवन बुक डिपो, लालसोट रोड़, दौसा
12/20	" बृजमोहन शर्मा एण्ड कम्पनी, गांधी चौक, दौसा
12/21	" रामा पुस्तक सदन, पुराने अस्पताल के सामने, कोटपूतली
12/22	" इंडिया बुक हाऊस, चौडा रास्ता, जयपुर
12/23	" राजस्थान पुस्तक सदन, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर
12/24	" विजय बुक डिपो, रामगंज बाजार, जयपुर
12/25	" पेपर प्लास्ट पैक्स, 1702, तीसरा क्रास, जयलाल मुंशी मार्ग, जयपुर
12/26	" कमल जनरल स्टोर्स, माधोराजपुरा (जयपुर)
12/27	" अम्बिका इन्टर प्राइजेज, श्यामनाथ तिवाड़ी की गली, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर
12/28	" गुप्ता ब्रदर्स, सिकन्दरा रोड़, बांदीकुई
12/29	" शंकर बुक डिपो, मु. पो. हरमाड़ा (जयपुर)
12/30	" श्रीराम ट्रेडर्स, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/31	" जयपुर पुस्तक मन्दिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/32	" मेहता पुस्तक भण्डार, चौड़ा रास्ता, जयपुर

1	2
12/33	मैसर्स वन्दीवाल एजेन्सीज, बोहरो का मोहल्ला, सांगानेर, जयपुर
12/34	" टीकम बुक डिपो, गोला बाजार, सांभरलेक, (जयपुर)
12/35	" शरण पुस्तक भण्डार, खुटेटों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर
12/36	" हसा प्रकाशन, म.-57, मिश्रराजा जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर
12/37	" राम स्टेशनर्स, गोला बाजार, सांभरलेक, (जयपुर)
12/38	" अग्रवाल बुक डिपो, चौडा रास्ता, जयपुर
12/39	" मुगनी ट्रेडर्स, चौडा रास्ता, जयपुर
12/40	" ओम काटेज इन्डट्रीज, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/41	" अशोक बुक डिपो, मु. पो.-मन्डावरी (जयपुर)
12/42	" सुरेन्द्र जनरल स्टोर, नया बाजार, जोबनेर (जयपुर)
12/43	" झालानी ब्रदर्स, माधोगंज गेट, बान्दीकुई (जयपुर)
12/44	" खण्डेलवाल स्टोर, कल्याणगंज, बस्सी (जयपुर)
12/45	" लादूराम रामेश्वरप्रसाद शर्मा, मु. पो. लवाण, (जयपुर)
12/48	" आनन्द स्टोर्स, मोती सिंह भोमियों का रास्ता, जयपुर
12/47	" कोहीनूर स्टेशनरी एण्ड जनरल स्टोर्स, बजाज नगर, न्यू मार्केट, जयपुर
12/50	" कुमार बुक डिपो, आदर्शनगर, जयपुर
12/49	" रवि इन्टर प्राइजेज, 164 रामगली नं0-2, राजा पार्क, जयपुर
12/51	" ताम्बी जनरल स्टोर, मैन बाजार, बस्सी, (जयपुर)
12/52	" सन्तोषकुमार, राजेन्द्रकुमार, 145 त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

1	2
12/53	मैसर्स मोदी स्टेशनर्स एण्ड बुक स्टोर, डी-14, शांतिनगर, एन. बी.सी. जयपुर,
12/54	" ए.एच. स्टेशनर्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/55	" अनिल प्रकाशन, चौडा रास्ता, जयपुर
12/56	" राधेश्याम अटोलिया एण्ड ब्रदर्स, बसवा (जयपुर)
12/57	" स्टूडेन्ट बुक डिपो, राज बाजार, फुलेरा (जयपुर)
12/58	" उमेश बुक डिपो, 107, इन्दिरा कॉलोनी, बनीपार्क जयपुर
12/59	" महावीरप्रसाद पदमचन्द पाटनी, नेहरूबाजार, बगरू (जयपुर)
12/60	" अनन्त एजेन्सीज, 1646, बैराठी भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/61	" शर्मा बुक एण्ड स्टेशनर्स, लाल जी सांड का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/62	" सत्यप्रकाश बुक सेन्टर, मु. पो. बिलोनाकलां,तह.–लालसोट (जयपुर)
12/63	" पारीक बन्धु जनरल स्टोर, शाहपुरा (जयपुर)
12/64	" गंगाबक्स जैन एण्ड कम्पनी, सदर बाजार, चौमू (जयपुर)
12/65	" राज जनरल स्टोर, सदर बाजार, चौमू (जयपुर)
12/66	" श्री हिन्दी विद्या भवन बुक डिपो, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/67	" राकेश पुस्तक भण्डार, नया कटला, दौसा (जयपुर)
12/68	" दीपक जनरल स्टोर, चौमू (जयपुर)
12/69	" गोकुल बुक डिपो, जाट के कुए का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर
12/70	" राज बुक डिपो, गली नं0 1, राजापार्क, आदर्शनगर, जयपुर

1	2
12/71	मैसर्स कल्याणमल एण्ड सन्स, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर
12/72	" विमल बुक डिपो, स्टेशन रोड़, बांदीकुई (जयपुर)
12/73	" संगम जनरल स्टोर, सांगानेर बाजार, सांगानेर, (जयपुर)
12/75	" गजानन्द केदारप्रसाद शर्मा, सदर बाजार, लालसोट (जयपुर)
12/76	" अशोक पुस्तक भण्डार, लालसोट रोड़, दौसा (जयपुर)
12/77	" स्टूडेन्ट बुक कम्पनी, लालसोट रोड़, दौसा (जयपुर)
12/78	" राम बुक डिपो, गांधीचौक, दौसा (जयपुर)
12/79	" दयाल पुस्तक भण्डार, अस्पताल रोड़, बांदीकुई (जयपुर)
12/80	" खण्डेलवाल बुक डिपो, टौंक फाटक, जयपुर
12/81	" चौधरी पुस्तक भण्डार, लालसोट रोड़, उ. मा. वि. के सामने दौसा (जयपुर)
12/82	" श्री कृष्ण पुस्तक भण्डार, 31, आदर्श बस्ती, टौंक फाटक, जयपुर-15
12/83	" श्रीराम पुस्तक भण्डार, प्रगति पथ, बजाज नगर, जयपुर-17
12/84	" कमलकुमार विमलकुमार जैन, जैन मन्दिर चौराहा, सिकराय
12/86	" विजय बुक डिपो, टौंक फाटक, रामपुरा, रूपा मिडिल स्कूल के सामने, जयपुर
12/87	" भारत प्रकाशन मन्दिर, धामाणी मार्केट, चौडा रास्ता, जयपुर
12/90	" विष्णु स्टेशनरी एण्ड जनरल स्टोर, कोटपूतली (जयपुर)
12/92	" माडर्न बुक डिपो, जयपुर
12/93	" कमल बुक डिपो, जयपुर
12/95	" राष्ट्रीय पुस्तक भण्डार, हाईस्कूल रोड़, बांदीकुई (जयपुर)

1	2
12/96	मैसर्स विद्यार्थी पुस्तक भण्डार, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/97	" करेन्ट बुक हाऊस, 16, धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/98	" न्यू राष्ट्रीय बुक डिपो, राजापार्क, आदर्शनगर, जयपुर
12/99	" विवेक प्रकाशन, धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/101	" शर्मा पुस्तक मन्दिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/102	" राधेश्याम एण्ड कम्पनी, पावटा (प्रागपुरा) (जयपुर)
12/105	" शिव जनरल स्टोर, जुगल बाजार, बगरू (जयपुर)
12/106	" गीता एन्टरप्राइजेज, रास्ता तेलीपाडा, जयपुर
12/107	" अटोलिया ब्रदर्स, बसवा रोड़, बांदीकुई (जयपुर)
12/108	" खण्डेलवाल बुक डिपो, हाईस्कूल रोड़, बांदीकुई (जयपुर)
12/110	" राधा बुक कारपोरेशन, जवाहरनगर रोड़, जयपुर–4
12/112	" ज्ञान मन्दिर, 231, किशनपोल बाजार, जयपुर
12/113	" जतन पब्लिशिंग हाऊस, 43, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर
12/114	" गोयल बुक डिपो, मोचियों की छबील के सामने, शास्त्रीनगर जयपुर
12/116	" दयाल फोटो कापीयर्स, सब्जी मण्डी, बसवा रोड, बांदीकुई (जयपुर)
12/118	" पाटनी ब्रदर्स, 484/ए, गणगोरी बाजार, विद्या बिहार के सामने, जयपुर
12/120	" अजीत पुस्तक भण्डार, झटवाडा वाया दौसा (जयपुर)

345

1	2
12/121	मैसर्स माधव स्टेशनरी स्टोर, सांगानेर (जयपुर)
12/122	" प्रकाश बुक डिपो, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/124	" पंचोली पुस्तक भण्डार, चाकसू-(जयपुर)
12/125	" शर्मा फैन्सी स्टोर, चौमू (जयपुर)
12/127	" दिनेश जनरल स्टोर, त्रिपोलिया बाजार, लालसोट (जयपुर)
12/128	" आराधना पुस्तक मन्दिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर–3
12/129	" जैन बुक डिपो, ताडकेश्वर मन्दिर के सामने, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/130	" वन्दना, नया बाजार, चौमू (जयपुर)
12/132	" पूरणमल एण्ड कम्पनी, पावटा (जयपुर)
12/133	" सुबोध बुक डिपो, सैथल (जयपुर)
12/135	" गुप्ता बुक कम्पनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर–3
12/136	" रमन बुक डिपो, भानपुर, जयपुर
12/138	" जैन बुक एण्ड स्टेशनर, पंचायत समिति के पास, सांगानेर (जयपुर)
12/139	" विवेक बुक डिपो, चौड़ा रास्ता, जयपुर–3
12/140	" राज पुस्तक मन्दिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/141	" जगन्नाथप्रसाद कृष्णावतार, नया कटला, दौसा (जयपुर)
12/144	" गुप्ता बुक डिपो, दौसा (जयपुर)
12/145	" दीप्ति स्टेशनर्स, जवाहरनगर सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर

1	2
12/146	मैसर्स जयपुर पुस्तक सदन, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/147	" खण्डेलवाल ब्रदर्स, शॉप नं. 2 मदनपुरी, 22, गोदाम, जयपुर
12/148	" न्यू बुक डिपो, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/149	" आनन्द बुक डिपो, पल्लीवालों की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/150	" राजस्थान प्रकाशन, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर,
12/151	" राधास्वामी जनरल स्टोर एण्ड स्टेशनर्स, रथखाने के पास, गणगौरी बाजार, जयपुर
12/152	" कमल बुक कम्पनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर
12/153	" शर्मा पुस्तक भण्डार, चौड़ा रास्ता, जयपुर–3
12/154	" बनवारीलाल रामबाबू, मानपुर तहसील–सिकराय (जयपुर)

जिला–जैसलमेर

13/01	मैसर्स बालकृष्ण एण्ड सन्स, भाटिया मार्केट, जैसलमेर
13/02	" दिनेश जनरल स्टोर, सदर बाजार, जैसलमेर

जिला–जालोर

14/01	मैसर्स बाबाजी पुस्तक भण्डार, पुरा मोहल्ला, सूरजपोल रोड़, जालोर
14/02	" राठोड प्लेयिंग स्टोर, गणेश चौक, जालोर
14/03	" स्वास्तिक चौपड़ा भण्डार, महालक्ष्मी रोड़, भीनमाल (जालोर)
14/04	" प्रजापत मगनाराम भीमाजी, सदर बाजार, जालोर
14/05	" राकेश स्टेशनरी मार्ट, वाराह श्याम मन्दिर के सामने, जालोर

1	2	3	4

जिला—झुन्झुनु

15/01 मैसर्स प्रभुदयाल गुप्ता बुक सेलर्स, खेतड़ी (झुन्झुनू)

15/02 ,, रतन जनरल एण्ड बुक डिपो, पोस्ट पापड़ा (झुन्झुनू)

15/03 ,, भारत ट्रेडिंग कम्पनी, बस स्टेण्ड, सिंघाना (झुन्झुनू)

15/04 ,, सुरेश जनरल स्टोर, गांधी चौक, चिड़ावा (झुन्झुनू)

15/05 ,, राजस्थान जनरल स्टोर, नेहरु मार्केट, (झुन्झुनू)

15/06 ,, गुप्ता ब्रदर्स, खेतड़ी (झुन्झुनू)

15/07 ,, साहित्य सदन, गांधी चौक, (झुन्झुनू)

15/08 ,, कृष्णा जनरल स्टोर, तहसील रोड, चिड़ावा (झुन्झुनू)

15/09 ,, विश्वेश्वरलाल मदनलाल, गुदड़ी बाजार, (झुन्झुनू)

15/11 ,, गुमानसिंह विक्रमसिंह गणपतसिंह पुस्तक भण्डार, गांव सुल्ताना, तह. चिड़ावा (झुन्झुनू)

15/12 मैसर्स दामोदर प्रसाद मुरारका, मैन मार्केट, मुकुन्दगढ़ (झुन्झुनू)

15/13 मैसर्स जोशी ब्रदर्स, नवलगढ़ (झुन्झुनू)

15/14 मैसर्स मुरारका स्टोर्स, बड़ा बाजार, नवलगढ़ (झुन्झुनू)

15/15 मैसर्स नेशनल बुक हाऊस, मुख्य बाजार, नवलगढ़ (झुन्झुनू)

15/16 मैसर्स खाण्डेलिया जरनल स्टोर, तहसील रोड, चिड़ावा ((झुन्झुनू)

15/17 मैसर्स सन्तोष जनरल स्टोर, सूरजगढ़ मण्डी, तह. चिड़ावा (झुन्झुनू)

15/18 मैसर्स शर्मा जनरल स्टोर, खेतड़ी (झुन्झुनू)

15/19 मैसर्स कृष्णा स्टोर, नूतन मार्केट, पिलानी (झुन्झुनू)

15/20 मैसर्स विश्वनाथ पुस्तक भण्डार, नेहरू मार्केट, (झुन्झुनू)

15/21 मैसर्स दमड़िया जनरल स्टोर, सूरजगढ़ मण्डी, सूरजगढ़ (झुन्झुनू)

15/22 मैसर्स मुकेश पुस्तक भण्डार, सूरजगढ़ (झुन्झुनू)

1	2	3	4
15/23	मैसर्स भार्गव पुस्तक सदन, चाण्डक रोड़ गढ़ स्कूल के पीछे, पिलानी (झुन्झुनू)		
15/24	मैसर्स पापुलर स्टोर, तहसील रोड़, चिड़ावा (झुन्झुनू)		
15/25	मैसर्स अजन्ता स्टोर्स, पोद्दार गेट, नवलगढ़ (झुन्झुनू)		
15/26	मैसर्स गोयल जनरल स्टोर, तहसील रोड़, चिड़ावा (झुन्झुनू)		
15/27	मैसर्स दी स्टूडेन्ट बुक डिपो, उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)		
15/28	मैसर्स अग्रवाल ब्रदर्स, स्टेशन रोड़, खेतान पेट्रोल पम्प के सामने, (झुन्झुनू)		
15/29	मैसर्स हीरालाल सुरेशकुमार, बुकसेलर, मैन बाजार, पिलानी (झुन्झुनू)		
15/30	मैसर्स शशि कुमार शरतचन्द्र, न्यू मार्केट, शाप नं. 30, खेतड़ीनगर, (झुन्झुनू)		
15/31	मैसर्स शशिकुमार शरतचन्द्र, (झुन्झुनू)		
15/32	मैसर्स श्री संगम स्टोर, पो. चिड़ावा (झुन्झुनू)		
15/33	मैसर्स शरतचन्द्र गाड़िया एण्ड कं., शार्दुल मार्केट शोप नं. 7, स्टेशन रोड़ जी. पी. ओ. के सामने, (झुन्झुनू)		
15/34	,, महेश जनरल स्टोर, मैन मार्केट, मण्ड्रेला (झुन्झुनू)		
15/35	,, पवन जनरल स्टोर, मैन मार्केट, चिड़ावा (झुन्झुनू)		
15/36	,, चण्डी प्रसाद बेनी प्रसाद, पोस्ट-बागड़ (झुन्झुनू)		
15/37	,, ओमप्रकाश बाबूलाल, मैन मार्केट, बगड़ (झुन्झुनू)		
15/38	मैसर्स सुभाष जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, सिन्धाना (झुन्झुनू)		
15/39	,, शाह ब्रदर्स, मुकुन्दगढ़ (झुन्झुनू)		
15/40	,, जाखड़ पुस्तक भण्डार गुढ़ा, गोड़जी, (झुन्झुनू)		

जिला—जोधपुर

17/01	मैसर्स दिनेश जनरल स्टोर, स्टेशन रोड़ फलोदी, (जोधपुर)		

349

1	2	3	4
17/02	,, अशोक स्टेशनर्स, जालौरी गेट, (जोधपुर)		
17/03	,, एन. सी. भार्गव एण्ड ब्रदर्स, गुलाबसागर, (जोधपुर)		
17/04	,,यूनिवर्सल बुक डिपो, जालौरी गेट, (जोधपुर)		
17/05	,, अमरचन्द मदनचन्द कोचर, नयाबजार फलौदी (जोधपुर)		
17/06	,, राजस्थान पाठ्य प्रकाशन, सोजती गेट के अन्दर, (जोधपुर)		
17/07	,, लक्ष्मी पुस्तक भण्डार, छानेराव हाऊस, सोजती गेट के अन्दर, (जोधपुर)		
17/08	मैसर्स विष्णु बुक एण्ड जरनल स्टोर, गुलाबसागर, (जोधपुर)		
17/09	,, नेशनल बुक डिपो, जालौरी गेट, (जोधपुर)		
17/10	,, भारत पब्लिशिंग हाऊस, जालौरी गेट के बाहर (जोधपुर)		
17/11	,, यूनिवर्सिटी बुक डिपो, सोजती गेट के अन्दर, (जोधपुर)		
17/12	,, महालक्ष्मी पुस्तक भण्डार, स्टेशन रोड फलौदी (जोधपुर)		
17/13	,, सैकिण्ड हैण्ड बुक कम्पनी, जालौरी गेट, (जोधपुर)		
17/14	,, मुरली बुक डिपो, 12-सी-रोड सरदारपुरा, (जोधपुर)		
17/15	,, न्यू मुरली बुक डिपो, 2-बी-रोड सरदारपुरा, (जोधपुर)		
17/16	,, भाटी बुक डिपो, गुलाबसागर का श्रोटा, (जोधपुर)		
17/17	,, भाटी स्टेशनर्स, 14, पाल हाऊस, घन्टाघर, (जोधपुर)		
17/18	,, सूरज बुक डिपो, प्रथम बी-रोड, सरदारपुरा, (जोधपुर)		
17/19	,, जयनारायण भूतड़ा एण्ड संस, नया बाजार, फलौदी (जोधपुर)		
17/20	,, महेश कार्मशियल इन्स्टीट्यूट, नया बाजार, फलौदी (जोधपुर)		
17/21	,, रामचन्द्र चिमनलाल, सदर बाजार, मु. पो. बिलाड़ा (जोधपुर)		
17/22	,, न्यू सूरज बुक डिपो, 2-बी-रोड, गांधी मैदान, सरदारपुरा, (जोधपुर)		
17/23	,, महेश बुक हाऊस, घोड़ों का चौक, सोजती गेट के अन्दर, (जोधपुर)		
17/24	,, पटेल रावत रामरूपाराम, सदरबाजार, बिलाड़ा, (जोधपुर)		

1	2	3	4
17/25	,, विमल बुक डिपो राजमहल हायर सैकण्डरी स्कूल के पास, जोधपुर		
17/26	,, महेश बुक डिपो, 67, आड़ा बाजार जोधपुर		
17/27	,, भण्डारी ब्रदर्स, अस्पताल के सामने, पीपाड़ शहर, (जोधपुर)		
17/28	,, श्री रंगा पुस्तक भण्डार, गुलाबसागर का ओटा, जोधपुर		
17/29	,, मनोहर पुस्तक भण्डार, गुलाबसागर, जोधपुर		
17/30	,, ओम बुक डिपो, छत्री का चौक, बिलाड़ा (जोधपुर)		
17/31	,, गोविन्द बुक डिपो, 2-बी-रोड, सरदारपुरा, जोधपुर		
17/32	,, किताबघर, सोजती गेट के बाहर, जोधपुर		
17/33	,, सन्तोष पुस्तक भण्डार, महेश उ. मा. विद्यालय के पास, जोधपुर		
17/34	,, प्रदीप पुस्तक भण्डार, 4, चौपासनी रोड, जोधपुर		
17/35	,, विष्णु ट्रेडर्स, सदर बाजार, पीपाड़शहर, (जोधपुर)		

जिला—झालावाड़

16/01	मैसर्स सुरेशचन्द निर्मल कुमार, मंगलपुरा, झालावाड़		
16/02	,, राज पुस्तक मन्दिर, सदर बाजार, खानपुर (झालावाड़)		
16/03	, राजेन्द्र बुक डिपो, पंजाब बैंक के सामने, भवानी मण्डी, झालावाड़		
16/04	,, मित्तल जनरल स्टोर मंगलपुरा, झालावाड़		
16/05	,, दीपक जनरल स्टोर एण्ड बुक डिपो, वंदा रोड, भवानी मंडी झालावाड़		
16/06	,, सुराणा बुक डिपो, पचपहाड़ रोड, भवानी मंडी झालावाड़		
16/07	,, मिश्रीलाल पुस्तक विक्रेता, पचपहाड़ रोड, भवानी मंडी झालावाड़		
16/08	,, जितेन्द्रकुमार सुराणा, छत्रीचौक, पच पहाड़, भवानी मंडी झालावाड़		

जिला—कोटा

18/01	मैसर्स पुरसवानी स्टेशनर्स एण्ड बुक सेलर्स, सिंधी कॉलोनी, बल्लभ नगर (कोटा)		

351

1	2	3	4
18/02	,, अशोक बुक डिपो, बुक सेलर्स एण्ड स्टेशनर्स, रामपुरा बाजार, कोटा		
18/03	,, जैन बुक डिपो, भीमगंज मंडी, कोटा		
18/04	,, लक्ष्मी पुस्तक मन्दिर, रामपुरा बाजार, कोटा		
18/05	,, जैन जनरल स्टोर, लाडपुरा बाजार, कोटा		
18/06	,, मदनलाल मूलचन्द खण्डेलवाल, मेन बाजार, अन्ता, (कोटा)		
18/07	,, लालवानी जनरल एण्ड स्टेशनर्स, पाटनपोल, कोटा		
18/08	,, महेन्द्रकुमार रामजीदास, सब्जी मंडी, कोटा		
18/09	,, आर. के. स्टेशनर्स, गुमानपुरा, कोटा		
18/10	,, महेश्वरी ब्रदर्स, रामपुरा बाजार, कोटा		
18/11	,, अरुण बुक सेन्टर, गुमानपुरा कोटा		
18/12	,, खंडेलवाल स्टेशनरी एण्ड स्पोटर्स, स्टेशन रोड, बांरा कोटा		
18/13	,, अग्रवाल पुस्तक विक्रेता एण्ड जनरल मर्चेन्ट, गर्ग निवास, रंगपुर रोड, कोटा		
18/14	मैसर्स आदर्श स्टेशनर्स, टिपटा, कोटा		
18/15	,, जितेन्द्र बुक डिपो, एण्ड स्टेशनर्स, स्टेशन रोड, बांरा		
18/16	,, भंडारी स्पोटर्स एण्ड स्टेशनर्स, पुराने पोस्ट आफिस की गली, भीमगंज मंडी, कोटा		
18/17	मैसर्स भडारी स्टेशनर्स गुमानपुरा कोटा		
18/18	,, परिहार बुक डिपो एण्ड स्टेशनर्स, स्टेशन रोड, बांरा (कोटा)		
18/19	,, गुप्ता स्टोर, बांरा (कोटा)		
18/20	,, इन्द्र जनरल स्टोर, मेन मार्केट, छीपा बडौद (कोटा)		
18/21	मैसर्स लक्ष्मी बुक डिपो, सूरजपोल गेट के अन्दर, कोटा		
18/22	,, गौतम जनरल स्टोर, कैथून (कोटा)		
18/23	,, हितैषी स्टेशनर्स एण्ड जनरल स्टोर, लाडपुरा, कोटा		

1	2	3	4
18/24	मैसर्स साहित्य प्रकाशन मन्दिर, रामपुरा बाजार, कोटा		
18/25	,, गुप्ता बुक डिपो व न्यूज एजेन्सीज, मांगरोल (कोटा)		
18/26	,, विजय बुक डिपो, रामपुरा बाजार, कोटा		
18/27	,, आनन्द स्टेशनर्स, एण्ड आप्टीकल, गुमानपुरा, कोटा		
18/28	,, नावल्टी स्टेशनर्स, गुमानपुरा, कोटा		
18/29	,, शृंगी स्टेशनरी मार्ट, छावनी, कोटा		
18/30	,, कॉलेज बुक हाऊस, रामपुरा बाजार, कोटा		
18/31	,, गुप्ता ब्रदर्स, 255, शापिंग सेन्टर, कोटा		
18/32	,, गौतम बुक डिपो, बड़ा बाजार, कोयला कोटा।		
18/33	,, जैन जनरल स्टोर, मेन बाजार, सांगोद कोटा		
18/34	,, खण्डेलवाल ब्रदर्स, सर्राफा बाजार, बांरा कोटा		
18/36	, शर्मा पुस्तक मन्दिर, स्टेशन रोड़, बांरा कोटा		
18/37	,, राज स्टेशनरी कार्नर, स्टेशन रोड़, बांरा कोटा		
18/38	,, ओम स्टेशनर्स, गुमानपुरा कोटा		
18/39	,, राजेश ब्रदर्स, लाडपुरा, कोटा		
18/40	,, स्टूडेन्ट बुक डिपो, रामपुरा, आर्य समाज रोड़, कोटा		
18/41	,, लक्ष्मी जनरल स्टोर एण्ड स्टेशनरी छावनी कोटा		
18/42	,, शांता स्टेशनर्स एण्ड सप्लायर्स गुरुद्वारे के सामने, छावनी, कोटा		
18/43	,, यश स्टेशनर्स, गुमानपुरा, कोटा		
18/44	,, अग्रवाल स्टेशनर्स एण्ड जनरल सप्लायर्स, बांरा (कोटा)		

जिला—नागौर

19/01	मैसर्स गीता पुस्तक मार्ट, स्टेशन रोड़, मेडतासिटी, नागौर		

1	2	3	4
19/02	मैसर्स जैन ब्रदर्स, सदरबाजार, लाडनू (नागौर)		
19/03	,, सुमित ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम-बडू, (नागौर)		
19/04	,, भंवरलाल खेतावत जनरल स्टोर, नागौरी गेट के बाहर, डीडवाना		
19/05	,, श्री शंकर स्टोर, परबतसर (नागौर)		
19/06	,, वेद ट्रेडर्स, सदरबाजार, लाडनू (नागौर)		
19/07	,, अग्रवाल जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड के पास, कुचामनशहर, (नागौर)		
19/09	,, गो. लाल नन्दलाल डालूके, सुराग चौक, सदर बाजार, कुचामनसिटी (नागौर)		
19/10	मैसर्स सोनी ट्रेडर्स, बागड़ प्याऊ के पास, डेगाना जक्शन (नागौर)		
19/11	,, लक्ष्मी जनरल स्टोर, हाका मार्केट, जायल (नागौर)		
19/12	,, कमलकिशोर खेतावत, नागौरी गेट, डीडवाना		
19/13	, रतन ट्रेडर्स, मेन मार्केट, डीडवाना (नागौर)		
19/14	,, बेरीवाल जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, नॉवलशहर, कुचामन रोड़ (नागौर)		
19/15	,, कैलाश जनरल स्टोर, नावॉ पोस्ट, कुचामन रोड़, (नागौर)		
19/16	,, गजानन्द फैन्सी जनरल स्टोर, सदर बाजार, बोरावड (नागौर)		
19/17	,, कुचामन बुक डिपो, स्टेशन रोड़, कुचामनसिटी		
19/18	,, किरण पुस्तक भण्डार, बस स्टेण्ड, मेड़तासिटी		
19/19	,, चौहान जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, मौलासर (नागौर)		
19/20	,, जैन भण्डार, छोटी खाटू (नागौर)		
19/21	,, किसान स्टेशनर्स टाईपिंग सेंटर, मकराना (नागौर)		
19/22	,, विजय बुक डिपो, हास्पिटल रोड़, नागौर		
19/23	,, मेहता स्टोर्स, जयशिव चौक, मकराना (नागौर)		
19/26	,, राजस्थान पुस्तक भंडार, नागौरी गेट के बाहर, डीडवाना.		

1	2	3	4
19/27	मैसर्स शांतिलाल कोठारी, गांधी चौक, मेडतासिटी		
19/28	,, मनीष बुक डिपो, दयानन्द माग, सौनी चौक, मेडतासिटी		
19/29	,, हनुमान बुक स्टोर, जसवन्तगढ़ (नागौर)		
19/30	,, सम्पतलाल गिरधारीलाल, मोलासर (नागौर)		
	जिला—पाली		
20/01	मैसर्स चौधरी कृपाराम केसाराम, मारवाड़ राणावास (पाली)		
20/02	,, अम्बिका स्पेपरमेंट भण्डार, मैन बाजार, तखतगढ़ (पाली)		
20/03	,, अजन्ता स्टेशनरी वर्क्स, कॉलेज मार्ग, फालना (पाली)		
20/04	,, राजेश स्टेशनर्स. 2 गुलजार चौक, पाली		
20/05	,, लक्ष्मी स्टोर्स, सदर बाजार, सादड़ी		
20/06	,, हरिश बुक डिपो, सिन्धी बाजार, मारवाड़ जंक्शन		
20/07	,, श्री नागोड़ा फेन्सी स्टोर निमाज (पाली)		
20/08	,, गहलोत जनरल स्टोर, पुलिस थाना रोड, सोजत सिटी (पाली)		
20/09	,, कल्याण बुक एण्ड स्टेशनर्स मैन बाजार, सुमेरपुर (पाली)		
20/10	,, दिनेश पुस्तक भण्डार, धानमण्डी, (पाली)		
20/11	,, दिनेश कापी मैन्यूफेक्चर्स जरदा बाजार, पाली		
20/12	,, जैन फैन्सी एण्ड जनरल स्टोर मारवाड़ राणावास (पाली)		
20/13	,, एस कुमार एण्ड ब्रदर्स, बाली (पाली)		
20/14	,, हनुमान स्टोर, गणेश दरवाजा के बाहर, रायपुर—मारवाड़		
20/15	,, शंकर स्टोर, पाली बस स्टेण्ड, सुमेरपुर		
20/16	,, साकेत जनरल स्टोर, कॉलेज रोड फालना (पाली)		
20/17	,, सत्यनारायण अग्रवाल, मैन बाजार, सुमेरपुर		

1	2	3	4
20/18	मैसर्स भैरव स्टोर्स, स्कूल रोड पाली		
20/19	,, मेहता स्टोर्स, घी का भण्डा, पाली		
	जिला : सवाई माधोपुर		
21/01	मैसर्स महेश बुक डिपो, वजीरपुर गेट, करौली		
21/02	,, कृष्णा बुक डिपो, सदर बाजार, करौली		
21/03	,, जगदीश प्रसाद रघुवीर शरण, कटरा बाजार, हिण्डौन सिटी		
21/04	,, वन्दना पुस्तक भण्डार, कटला गोविन्द जी, करौली		
21/05	,, विजय स्टोर्स, रेस्ट हाऊस के पास, सपोटरा		
21/06	,, गर्ग बुक एण्ड जनरल स्टोर्स, सदर बाजार, सपोटरा		
21/07	,, ओमप्रकाश रमेशचन्द, कटरा बाज़ार, हिण्डोनसिटी		
21/08	,, अजय प्रकाशन, कटरा बाज़ार, हिण्डोन सिटी		
21/09	,, जगदीश नारायण कन्हैयालाल, बुक सेलर, महूवा		
21/10	,, लक्ष्मी स्टोर सदर बाजार, सवाई माधोपुर		
21/11	,, गोयल पुस्तक भण्डार, स्टेशन बजरिया सवाई माधोपुर		
21/12	,, जगन्नाथ घूड़मल, बुक सेलर, पुरानी मंडी, गंगापुर सिटी स. माधोपुर		
21/13	मैसर्स अग्रवाल बुक डिपो हा. सै. स्कूल के सामने, हिण्डोनसिटी स. मा.		
21/14	मैसर्स जैन बुक कम्पनी, कटरा बाजार, हिण्डोन सिटी (सवाई माधोपुर)		
21/15	मैसर्स जगदीश प्रसाद बुक सेलर, स्टेशन रोड, मण्डावर महवा रोड		
21/16	मैसर्स तुलसी जनरल स्टोर साहू नगर (सवाई माधोपुर)		
21/17	मैसर्स जिन्दल बुक डिपो, नई मण्डी के सामने, टोडाभीम (सवाई माधोपुर)		
21/18	मैसर्स भगवान सहाय प्रकाश चन्द पुराना बस स्टेण्ड, टोडाभीम (सवाई माधोपुर)		

1	2	3	4
21/19	मैसर्स भगवान सहाय नरेश चन्द्र जैन, हिण्डोन सिटी (सवाई माधोपुर)		
21/20	मैसर्स जैन जनरल स्टोर्स, सदर बाजार, करौली (सवाई माधोपुर)		
21/21	मैसर्स खण्डेलवाल स्टोर्स, मैन मार्केट, गंगापुर सिटी		
21/22	,, आर. के बुक डिपो, करौली (सवाई माधोपुर)		
21/23	,, जे. पी. अग्रवाल एण्ड ब्रदर्स, गंगापुर सिटी, स्टे-बजरिया (स. माधोपुर)		
21/24	,, गोयल बुक डिपो, बोली (सवाई माधोपुर)		
21/25	,, राधेश्याम बुक सेलर, गंगापुर सिटी, स्टे-बजरिया		
21/26	,, गेंदीलाल रामजीलाल, गंगापुर सिटी, खारी बाजार		
21\27	,, गुप्ता ब्रदर्स, कटला मन्दिर श्री गोविन्ददेवजी, करौली सवाई माधोपुर		
21/28	,, सिंघल ब्रदर्स, सब्जी मण्डी, करौली		
21/29	,, सरस्वती स्टोर, सदर बाजार, सवाई माधोपुर		
21/30	,, खण्डेलवाल जनरल स्टोर्स, गुढ़ा चन्द्रजी (सवाई माधोपुर)		
21/31	,, सरस्वती स्टोरर्स, स्टेशन बजरिया (सवाई माधोपुर)		
21/32	मैसर्स ज्ञान जनरल स्टोर, चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर)		
21/33	मैसर्स महावीर बुक स्टोर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर		
21/34	मैसर्स सतीश ट्रेडिंग कम्पनी, वेयर हाऊस के पास, गंगापुर सिटी स.माधोपुर		
21/35	मैसर्स जगदीश प्रसाद एण्ड कम्पनी नादौती (सवाई माधोपुर)		
21/36	मैसर्स गिरराज प्रसाद रमेश चन्द गर्ग, वामनवास पट्टीकलां, सवाईमाधोपुर		
21/37	मैसर्स हरिमोहन विश्वम्भर दयाल गोयल, नादौती		
21/38	मैसर्स हनुमान प्रसाद बुक सेलर, मण्डावर, महुवा रोड़, सवाई माधोपुर		
21/39	मैसर्स अरविन्द बुक कम्पनी, स्टेशन बजरिया, सवाई माधोपुर		
21/40	मैसर्स श्री प्रभा उपभोक्ता भण्डार, प्रभा निवास, महुवा		
21/41	मैसर्स सन्तोष कुमार सन्दीपकुमार बंसल, महुवा (सवाई माधोपुर)		

1	2
21/42	मैसर्स वेद प्रकाश रामगोपाल, गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)
21/43	मैसर्स दयाल स्टोर्स, गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)
21/44	,, दीनदयाल ओमप्रकाश, खारी बाजार गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)
21/45	,, प्रभुदयाल माणकचन्द खारी बाजार, गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)
21/46	मैसर्स सुरेश बुक स्टोर, बामनवास, सवाई माधोपुर
21/47	मैसर्स कन्हैयालाल प्रमोद कुमार बुक सेलर, सुरोठ (स. मा.)
21/48	,, शर्मा जनरल स्टोर, पट्टी कलां बामनावास, (स. मा.)
21/49	,, बंसल जनरल स्टोर्स, हाई स्कूल के सामने, हिण्डोन सिटी
21/50	,, राकेश स्टेशनरी एण्ड बुकसेलर मण्डी, मण्डावर महुआ रोड, (स. मा.)
21/51	मैसर्स द्वारका प्रसाद राजेन्द्र कुमार बुक सेलर, महुवा
21/52	,, सुरेन्द्र स्टोर्स, बुक सेलर, मैन मार्केट, गंगापुरसिटी
21/53	,, क्वालिटी स्टेशनर्स नगर पालिका के पास, गंगापुर सिटी
21/54	,, बी. के. बुक हाऊस, सदर बाजार, सवाई माधोपुर
21/55	,, शर्मा पुस्तक भण्डार, श्री महावीर जी
21/56	,, सैनी पुस्तक भण्डार, श्री महावीर जी
21/57	,, शिव बुक डिपो, मण्डावर, महुवा रोड
21/58	,, चिरंजीलाल कमल कुमार, सदर बाजार, सवाई माधोपुर
21/59	,, कृष्णा जनरल स्टोर, नारौली डांग (स. मा.)
21/60	,, जयशिवजनरल स्टोर, मण्डावर, महुवा रोड (स. मा.)
21/61	,, सुरेश जनरल स्टोर, नादौती
21/62	,, अग्रवाल जनरल स्टोर्स, नादौती
21/63	,, आनन्द कुमार श्याम कुमार, डेम्परोड, हिण्डौन सिटी
21/64	,, सोम कुमार धर्मेन्द्र कुमार, स्कूल के सामने, हिण्डौन सिटी

1	2
21/65	,, मुकेश प्रकाशन, गीता टांकीज के पास, हिण्डौनसिटी
21/66	,, मक्खनलाल वल्लभलाल, कटरा बाजार, हिण्डोन सिटी (सवाई माधोपुर)
21/67	,, राज बुक डिपो सी. डी, एस. स्टेण्ड के पास बजरिया सवाई माधोपुर
21/68	,, जगदीशचन्द मुकेश कुमार, सपोटरा
21/70	,, रामअवतार ब्रदर्स, इब्राहिमपुर, (स. मा.)

जिला सीकर

22/01	मैसर्स जैन पुस्तक भण्डार, वजाज रोड़, सीकर
22/02	,, मुकेश जनरल स्टोर, रींगस (सीकर)
22/03	,, राम ट्रेडिंग कम्पनी, स्टेशन रोड़, श्रीमाधोपुर
22/04	,, कैलाश बुक डिपो, अग्रवाल धर्मशाल के पास, खण्डेला, सीकर
22/05	,, सुरेश स्टोर, सैकण्डरी स्कूल के पास, पलसाना (सीकर)
22/06	,, स्टेडेन्ट बुक कम्पनी, स्टेशन रोड़, सीकर
22/07	,, तिवारी बुक कम्पनी, स्टेशन रोड़, सीकर
22/08	,, राजस्थान बुक डिपो, स्टेशन रोड़, जाटिबा बाजार, सीकर
22/09	,, गोपाल लघु उद्योग, नीम का थाना
22/10	,, स्टूडेन्ट्स बुक डिपो, बुक सेलर एण्ड सप्लायर, कपिल मण्डी नीम का थाना
22/11	,, राजस्थान पुस्तक एण्ड स्टेशनरी भण्डार, मण्डी, नीम का थाना
22/12	,, श्याम पुस्तक एण्ड स्टेशनरी भण्डार, कपिल मण्डी, नीम का थाना (सीकर)
22/13	,, महालक्ष्मी पुस्तक भण्डार, खाण्डल मार्केट, नानीगेट, सीकर
22/14	,, रामलाल बिहारी लाल, चौपड़ बाजार, श्रीमाधोपुर

1		2
22/15	,,	पोपुलर बुक सेन्टर, नया शहर, सीकर
22/16	,,	शेखावाटी बुक डिपो, स्टेशन रोड़, सीकर
22/17	,,	स्टूडेन्टस बुक कम्पनी, बीकानेर बस स्टेण्ड के पास, रींगस (सीकर)
22/18	,,	खण्डेलिया ब्रदर्स, स्टेशन रोड़, सीकर
22/20	,,	नेशनल बुक डिपो, कूदन (सीकर)
22/21	,,	कैलाश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, श्रीमाधोपुर
22/22	,,	भूकरान बुक डिपो कोर्ट रोड, सीकर
22/23	,,	राधेश्याम एण्ड संस, स्टेशन रोड़, श्रीमाधोपुर
22/24	,,	विजय बुक डिपों, स्टेशन रोड़, सीकर
22/25	,,	बजरंग स्टोर्स, स्टेशन रोड़, श्रीमाधोपुर
22/26	,,	सीकर स्टेशनरी स्टोर, कोतवाली रोड़, सीकर
22/27	,,	जमनालाल पूनमचन्द जैन, खण्डेला, सीकर
22/28	,,	नवभारत स्टेशनर्स, मण्डी, नीम का थाना
22/29	,,	फैशान फैन्सी स्टोर, मेन बाजार, फतेपुर (सीकर)
22/30	,,	श्री गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, चला (सीकर)
22/32	,,	पारीक बुक डिपो, कॉलेज रोड, लक्ष्मणगढ़ सीकर
22/33	,,	सीकर बुक डिपो, श्रमदान मार्ग, सीकर
22/34	,,	हनुमान एण्ड संस, कोलीड़ा, सीकर
22/35	,	बसन्त पुस्तक भण्डार, नेहरू पार्क के पास, खण्डेला
22/37	,,	वैरायटी शोपिंग सेन्टर, कॉलेज रोड़, लक्ष्मणगढ़, सीकर
22/38	,,	लक्ष्मी जनरल स्टोर, चौपड़ बाजार, खण्डेला
22/40	,,	फेशान मेडिकल स्टोर, मैन बाजार, फतेहपुर सीकर
22/41	,,	गोयल पुस्तक भण्डार, कृषि मण्डी, नीम का थाना, (सीकर)

1	2
22/42	,, नरेदी बुक डिपो, स्टेशन रोड, श्रीमाधोपुर
22/43	,, जुगल किशोर कैलाशनारायण, पिपराली
22/44	,, श्याम पुस्तक भण्डार, रेल्वे स्टेशन, डाबला (सीकर)
22/45	,, ललित कुमार बंसल, जनरल स्टोर, कांवट
22/46	,, हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, नेहरू मार्ग, सीकर
22/47	,, अग्रवाल बुक डिपो, चौमू पुरोहितान, वाया रींगस
22/48	,, सुभाष बुक डिपो, मण्डा, सीकर
22/50	,, शंकर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, दातारामगढ़
22/51	,, प्रकाश बुक डिपो, दांता
22/52	,, माहेश्वरी जनरल स्टोर, लक्ष्मगढ़, सीकर
22/53	,, जैन बुक डिपो, रानोली शिशु, (सीकर)

जिला सिरोही

23/01	मैसर्स राधाकिशन रामबिलास जिंदल, सदर बाजार, आबू रोड
23/02	,, नानावाटी बुक एण्ड इलेक्ट्रिकल स्टोर, सदर बाजार, सिरोही.
23/03	,, संजय कुमार एण्ड ब्रदर्स, सदर बाजार, आबूरोड
23/04	,, गीता रामायण प्रचार केन्द्र, शास्त्रि बुक स्टाल, मैन मार्केट शिवगंज, सिरोही
23/05	,, लक्ष्मी पुस्तक भण्डार, सिरोही
23/06	,, शाह ब्रदर्स, सदर बाजार, सिरोही,
23/07	,, हरिश कुमार रमेश चन्द, सदर बाजार, पिण्डवाड़ा
23/08	,, अम्बे पुस्तक भण्डार, सदर बाजार, सिरोही
23/09	,, अम्बालाल महावीर प्रसाद जैन, सदर बाजार, आबूरोड

361

1	2
	जिला श्रीगंगानगर
24/01	मैसर्स जाखोदिया ब्रदर्स, मेन बाजार, सांगरिया
24/02	,, सराफ ट्रेडिंग कम्पनी, स्टेशन रोड, भादरा
24/03	,, मांगीलाल इन्द्र देव बुक सेलर, मेन बाजार, भादरा
24/04	,, भारतीय साहित्य सदन, रविन्द पथ, श्रीगंगानगर
24/05	,, सुरेन्द्र कुमार महीपाल, टिब्बी
24/07	,, मल्होत्रा एज्यूकेशनल स्टोर्स, गोल बाजार, श्रीगंगानगर
24/08	,, पवन पुस्तक भवन, 18, गुरूद्वारा शोर, कोर्टरोड, श्रीगंगानगर
24/09	,, लक्ष्मी पुस्तक भण्डार, सांगरियां
24/10	,, साहित्य सदन, हनुमानगढ़ टाउन
24/11	,, परनामी पुस्तक भण्डार, सुरतगढ़ (श्रीगंगानर)
24/12	,, नवीन पुस्तक भण्डार, रविन्द्र पथ, 5वी, श्रीगंगानगर
24/13	,, पूनमचन्द खत्री एण्ड संस मेन बाजार, गजसिंहपुर
24/14	,, राजस्थान एज्यूकेशनल स्टोर, गोल बाजार, श्रीगंगानगर
24/15	,, मदलाल मोहनलाल बुक सेलर, केसरीसिंहपुर
24/16	,, अग्रवाल साहित्य सदन, श्रीगंगानगर
24/17	,, सुनील बुक स्टोर केसरीसिंहपुर
24/18	,, अग्रवाल पुस्तक भण्डर, न्यूमार्केट, हनुमानगढ़ टाउन
24/19	,, सत्यनारायण श्रीकृष्ण, पुस्तक विक्रेता, नोहर
24/20	,, बतरा बुक स्टोर, केसरीसिंहपुर
24/21	,, रवि एण्ड राकेश किताब घर, केसरीसिंहपुर
24/22	,, जिन्दली बुक डिपो, 60 ए, कोतवाली रोड, श्रीगंगानगर
24/23	,, प्रकाश जनरल स्टोर, 10 मेन बाजार, श्रीकरणपुर

1		2
24/24	,,	रामा पुस्तक भण्डार, मैन रोड़, पदमपुर
24/25	,,	सुबोध साहित्य सदन, गुरुद्वारा गली, हनुमानगढ़ ज.
24/26	,,	प्रेम साहित्य सदन, हॉस्पिटल रोड़ पदमपुर
24/27	,,	अग्रवाल ब्रदर्स, 65, ए. गोल बाजार, कोतवाली रोड़, श्रीगंगानगर
24/28	,,	आनन्द पुस्तक भण्डार, मैन बाजार, हनुमानगढ़ टाउन
24/29	,,	रोशनलाल एण्ड ब्रदर्स, रायसिंह नगर
24/30	,,	कालेज बुक सेन्टर, इन्द्रा चौक, रेल्वे रोड़, हनुमानगढ़ टाउन
24/31	,,	उपनेजा ट्रेडर्स, 5बी ब्लॉक, रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर
24/32	,,	भारतीय पुस्तक भण्डार 12 सी ब्लॉक, गोशाला रोड़ श्रीगंगानगर
24/33	,,	गुप्ता एज्यूकेशनल स्टोर, 18, गोल बाजार, श्रीगंगानगर
24/34	,,	गुप्ता ब्रदर्स, 57, कोतवाली रोड़ श्रीगंगानगर
24/35	,,	पुरुषोत्तम पुस्तक भण्डार, स्टेशन रोड़ हनुमानगढ़ टाउन
24/36	,,	गुरदितामल मोहनलाल, मैन बाजार, हनुमानगढ़ जं.
24/37	,,	भांभू ब्रदर्स, रायसिंहनगर
24/38	,,	गुप्ता बुक स्टोर, सादुल शहर
24/39	,,	कंवर ट्रेडर्स, 32, सी पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर
24/40	,,	मुकेश पुस्तक भण्डार, अनुपगढ़
24/41	,,	बलविन्दरसिंह एण्ड ब्रदर्स, मैन बाजार अनूपगढ़
24/42	,,	श्रीमहालक्ष्मी पुस्तक सदन, गिरांणियों की धर्मशाला के पास नोहर
24/43	,,	मोहन पुस्तक भण्डार, मैन बाजार, रायसिंह नगर
24/44	,,	गोयल जनरल स्टोर, श्रीबिजयनगर
24/45	,,	अशोक बुक डिपो सांगरिया
24/46	,,	बधवा स्टेशनरी स्टोर, 2 दुर्गा मन्दिर, बिनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर
24/47	,,	मित्रसाहित्य सदन, पब्लिक पार्क, 36 डी, श्रीगंगानगर

1	2

जिला टोंक

25/01 मैसर्स बाल बुक डिपो, जवाहर बाजार, टोंक
25/02 ,, बोहरा फैन्सी स्टोर, खवास जी का कटला, मालपुरा
25/03 ,, महावीर पुस्तक भण्डार, अमीरगंज बाजार, टोंक
25/04 ,, रामनाथ एण्ड ब्रदर्स, बत्तीसी बाजार, टोडारायसिंह
25/05 ,, जनता भण्डार, माणक चौक, बाजार, मालपुरा
26/06 ,, जैन बुक डिपो, माणकचौक बाजार, मालपुरा
25/07 ,, गणेश जनरल स्टोर, सदर बाजार, बस स्टेण्ड रोड, देवली
25/09 ,, सुभाष जनरल स्टोर, सुभाष बाजार, टोंक
25/10 ,, सिखवाल ब्रदर्स, बस स्टेण्ड, देवली
25/11 ,, देवली पुस्तक भण्डार, पीर बाबा रोड, खण्डेलवाल रेस्टोरेट के पास, देवली, टोंक
25/12 ,, वाकलीवाल जनरल स्टोर, बत्तीसी बाजार, टोडारायसिंह
25/13 ,, शान्ति प्रकाश चेतन कुमार जैन, दूनी (टोंक)
25/14 ,, अशोक पुस्तक मंदिर, जवाहर बाजार, (टोंक)

जिला उदयपुर

26/01 मैसर्स देवेन्द्रा एजेन्सीज, सब्जी बाजार, नाथद्वारा
26/02 ,, राजस्थान बुक स्टोर्स, 25, बापू बाजार, उदयपुर
26/03 ,, पारस जनरल स्टोर्स, ऋषभदेव (उदयपुर)
26/04 ,, पालीवाल जनरल स्टोर्स, सिनेमा रोड, कांकरोली
26/05 ,, चेतानी एजेन्सीज, चित्तोड़रोड, फतहनगर
26/06 ,, धनराज सवाईलाल, सदर बाजार, भीण्डर
26/07 ,, शिवशंकर बुक डिपो, राजसमन्द, उदयपुर

1		2
26/08	,,	गौरा पुस्तक भण्डार, चारभुजा रोड़, उदयपुर
26/09	,,	वन्दना स्टोर, द्वारकेश मार्केट, कांकरोली (उदयपुर)
26/10	,,	शक्ति जनरल स्टोर, सिनेमा रोड़, कांकरोली
26/11	,,	पुस्तक सदन, 231, बापू बाजार, उदयपुर
26/12	,,	सत्येश पुस्तक भण्डार, चौपाटी बाजार, नाथद्वारा
26/13	,,	पद्मावती जनरल स्टोर, ऋषभदेव, उदयपुर
26/14	,,	गणेश प्रिंटिंग प्रेस, मावली जंक्शन, उदयपुर
26/15	,,	शर्मा बुक सेलर, देहली बाजार, नाथद्वारा
26/16	,,	मेहता पुस्तक भण्डार, सदर बाजार, रेलमगरा
26/17	,,	दीनदयाल जनरल स्टोर, सलूम्बर
26/18	,,	श्रीअशोक बुक स्टोर, शिवगंज, बाजार, कानोड
26/19	,,	दिनेश जनरल स्टोर, सदर बाजार, भीम
26/20	,,	सोनी ब्रदर्स, सदर बाजार, भीम
26/21	,,	अनुपम प्रकाशन, बापू बाजार, उदयपुर
26/23	,,	न्यू एण्ड सैकिंड हैण्ड बुकस्टोर 33, बापू बाजार, उदयपुर
26/24	,,	कल्पना प्रकाशन, 54, कोलीवाड़ा, उदयपुर
26/25	,,	रमेश चन्द एण्ड ब्रदर्स, मैन बाजार, ऋषभदेव (उदयपुर)
26/26	,,	श्याम पुस्तक मन्दिर, सेठों का मोहल्ला, चौपाटी बाजार, नाथद्वारा
26/27	,,	रमेश बुक स्टोर, 27, बापू बाजार, उदयपुर
26/28	,,	नरेश चन्द्र मनोहरलाल चोपड़ा पो. घांसा वाया खेमली (उदयपुर)
26/29	,,	जैन बुक डिपो, जगदीश मार्ग, मांजी की बावड़ी के पास, उदयपुर
26/30	,,	भारत पुस्तक भण्डार, गांधी मार्ग, कांकरोली
26/31	,,	सोनी माणकचन्द पन्नालाल, सदर बाजार, भीम (उदयपुर)

368

1		2
26/32	,,	यूनिवर्सिटी बुक सेन्टर, 128-29, शक्ति नगर, उदयपुर
26/33	,,	श्रीमहावीर जनरल स्टोर, सनवाड़ (उदयपुर)
26/35	,,	यूनिवर्सल बुक स्टोर, 21 चेतक सर्कल, उदयपुर
26/36	,,	जनता बुक स्टोर, 20, चेतक सर्कल, उदयपुर
26/37	,,	ग्रोवर बुक स्टोर, हाथीपोल अन्दर, खटीकवाड़ा, उदयपुर
26/38	,,	गणपति पुस्तक भण्डार, प्रताप चौक, गोगुन्दा (उदयपुर)
26/39	,,	राजस्थान पुस्तक भण्डार, राजसमन्द, उदयपुर
26/40	,,	सिघट वाडिया स्टोर घण्टाघर, उदयपुर
26/41	,,	सुरेश बुक स्टोर, देहली गेट, उदयपुर
26/42	,,	माली बुक स्टोर, गोतम गली, गुन्दिया भवन, उदययुर
26/44	,,	राजहंस प्रकाशन, सूरजपोल बाहर, उदयपुर
26/45	,,	श्री वस्त्र जनरल स्टोर, मु. पो. कुरंज (उदयपुर)

जिला धौलपुर

27/01	मैसर्स	किशनलाल रमेशचन्द, कोठी, धौलपुर
27/03	,,	अनुराधा प्रकाशन मन्दिर, गज दरवाजा, बाड़ी (धौलपुर)
27/04	,,	शंकर बुक डिपो, किले के पास, बाड़ी (धौलपुर)
27/05	,,	दिनेश एण्ड कम्पनी, निहालगंज कोठी, धौलपुर
27/06	,,	गोयल जनरल स्टोर एवं पुस्तक-विक्रेता, हलवाई खाना कोठी, धौलपुर
27/07	,,	प्रकाश जनरल स्टोर्स, घन्टाघर के पास, बाड़ी (धौलपुर)
27/08	,,	महेश इन्टर प्राइजेज, बीच बाजार, बसेड़ी (धौलपुर)

परिशिष्ट—स

निम्न पुस्तक विक्रेताओं के पंजीकरण के प्रकरण विचाराधीन हैं

जिला जयपुर

1. मैसर्स ललित स्टेशनर्स एण्ड जनरल मर्चेन्ट, टोंक फाटक, जयपुर
2. ,, योगेश बुक सेन्टर, बसन्त बहार कॉलोनी, गोपालपुरा के पास, बाईपास टोंक रोड़, जयपुर
3. ,, अग्रवाल स्टेशनर्स एण्ड कलेण्डर्स कल्याण जी मन्दिर के सामने, चांदपोल बाजार, जयपुर
4. ,, चौधरी स्टोर, लालसोट रोड़, हायर सैकण्डरी स्कूल के सामने, दौसा (जयपुर)
5. ,, लोकेश जनरल स्टोर, आजाद चौक, लालसोट
6. ,, गोपाल जनरल स्टोर, मैन मार्केट, लालसोट
7. ,, मोहन ऐजेन्सीज, जाट के कुए का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर
8. ,, आर. सी. भार्गव एण्ड कं., चौड़ा रास्ता, जयपुर
9. ,, त्रिवेणी स्टेशनर्स, नीमका थाना रोड़, शाहपुरा
10. ,, रतन एण्ड कम्पनी, रावण गेट, चौमू
11. ,, राजू बुक सेलर एण्ड स्टेशनर्स, बड़ा बाजार, बसवा
12. ,, संजीव ट्रेडिंग कम्पनी, हवा सड़क सिविल लाइन्स, जयपुर
13. ,, मिलन जनरल स्टोर्स, मैन बाजार, सांगानेर
14. ,, पारीक बन्धु देहली रोड, शाहपुरा
15. ,, अग्रवाल स्टेशनरी एण्ड जनरल स्टोर, नरायना रोड, दूदू
16. ,, मनोहर बुक डिपो, 338, स्टेशन रोड, जयपुर
17. ,, एस. एन. प्रकाशन, 1625, बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर

18. मैसर्स अशोक कुमार एण्ड ब्रदर्स, लाल जी सांड का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर
19. ,, कृष्णा जनरल स्टोर्स, मुख्य बाजार, बस्सी
20. ,, कल्याण सहाय राधेश्याम खण्डेलवाल, भांडारेज, जयपुर
21. ,, रतन पुस्तक मन्दिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर
22. ,, राजस्थान पुस्तक भण्डार, कोटपूतली
23. ,, करेन्ट लॉ हाउस, 16, धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर
24. ,, श्री श्याम स्टेशनर्स एण्ड जनरल स्टोर्स, मु. पो. बधाल, जिला जयपुर
25. ,, अमर न्यूज एजेन्सीज, मनोहर पुर
26. ,, अजमेर बुक कम्पनी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर
27. ,, सतीश बुक एण्ड स्टेशनर्स, पुराना बाजार, लालसोट, जयपुर
28. ,, रामेश्वर प्रसाद एण्ड संस, सदर बाजार, लालसोट
29. ,, बद्री नारायण एण्ड संस, मु. पो; गोनेर
30. ,, अग्रवाल जनरल स्टोर, तेली दरवाजा, सांभरलेक
31. ,, शरण बुक डिपो, रामगंज की चौपड़ के पास, जयपुर
32. ,, ओम ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड, बगरू कलां
33. ,, कन्हैयालाल राजेश कुमार, मोजमाबाद
34. ,, मुकेश पुस्तक भण्डार, सेडुराम की चक्की के पास, लालसोट रोड, दौसा
35. ,, संजीव बुक डिपो, चौड़ा रास्ता, पालीवालों की गली, जयपुर

जिला जालौर

36. मैसर्स योगेश एण्ड कम्पनी, बस स्टेण्ड, जालौर

जिला झालावाड़

37. मैसर्स जैन पुस्तक भण्डार, झिड़ावा (झालावाड़)
38. ,, प्रभात पुस्तक भण्डार, झालावाड़
39. ,, अनिल जनरल स्टोर, जनरल हॉस्पिटल के पास, रायपुर

40. मैसर्स प्रकाश जनरल स्टोर, सुनेल

41. ,, शर्मा बुक डिपो, बांरा रोड़, खानपुर

जिला कोटा

42. मैसर्स जैन बुक कम्पनी, खेडली गंज, अटरू

43. ,, मोहन न्यूज एजेन्सीज, रामपुरा बाजार, कोटा

44. ,, रमेश बुक डिपो, छावनी, कोटा

45. ,, गायत्री स्टेशनर्स, विज्ञान नगर, कोटा

जिला नागौर

46. मैसर्स नन्दलाल गोविन्दलाल डालूका, कुचामन सिटी

47. ,, चैनराज लोढ़ा मु. पो. बड़, (नागौर)

48. ,, जैन बुक डिपो, कुचामन सिटी

जिला पाली

49. मैसर्स वैष्णव जनरल स्टोर, अस्पताल के पास, जैतारण

जिला श्रीगंगानगर

50. मैसर्स मलहोत्रा ब्रदर्स, गोल बाजार, श्रीगंगानगर

51. ,, सुरजीत जनरल स्टोर्स, रेल्वे रोड पीली बंगा

52. ,, खावा एण्ड कम्पनी, मैन बाजार, भादरा

53. ,, रवि पुस्तक भण्डार, सिनेमा रोड, सूरतगढ़

54. ,, गज्जूमल दूलचन्द बुक सेलर, श्रीकरणपुर

55. ,, ट्रेण्ड ट्रेडर्स, दयिमति स्कूल के पास, गौशाला रोड, श्रीगंगानगर

56. ,, गरीब दी हट्टी, 21-22 डी, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर

जिला सीकर

57. मैसर्स किसान बुक कम्पनी, स्टेशन रोड, सीकर
58. ,, करोटवाण पुस्तक एवं स्टेशनरी भण्डार, छावनी, नीमका थाना
59. ,, गोपाल बुक डिपो, दिवराला (सीकर)
60. ,, न्यू माडर्न चौधरी एण्ड कम्पनी, पलसाना (सीकर)
61. ,, खान बुक डिपो, विजय मार्केट, लुहारू बस स्टेण्ड, सीकर
62. ,, सेठ ट्रेडिंग कम्पनी, बस स्टेण्ड, चला (सीकर)
63. ,, गणेश बुक डिपो, घण्टाघर के पास, सीकर
64. ,, नेशनल बुक डिपो, स्टेशन रोड, सीकर
65. ,, गोयल बुक डिपो, किनारी बाजार, खण्डेला
66. ,, श्री शंकर स्टोर, लक्ष्मण गढ़ (सीकर)
67. ,, धनपत शर्मा एण्ड संस, फतेहपुर शेखावाटी
68. ,, प्रकाश एजेन्सीज, बस स्टेण्ड फतेहपुर, शेखावाटी

जिला सिरोही

69. मैसर्स अरुण कुमार विनोद कुमार, सरूपगंज, सिरोही
70. ,, शर्मा ट्रेडर्स, सदर बाजार, सरूपगंज
71. ,, भवानी नोवल्टी स्टोर्स, सदर बाजार, पिंडवाड़ा

जिला सवाई माधोपुर

72. मैसर्स रवि एण्टर प्राइजेज़, वजीरपुर दरवाजे के बाहर, करौली
73. ,, सुरेन्द्र बुक डिपो, सदर बाजार, स० माधोपुर
74. ,, धन्नालाल नाथूलाल, बामनवास
75. ,, शारदा जनरल स्टोर, मण्डावर महुआ रोड
76. ,, अशोक बुक डिपो, श्रीमहावीर जी

जिला टोंक

77. मैसर्स प्यारेलाल हंसराज सिंघल, देवली जिला (टोंक)

78. ,, हरिराम अवधेश कुमार मालपुरा

79. ,, अग्रवाल एण्ड कम्पनी, सदर बाजार, निवाई

जिला उदयपुर

80. मैसर्स शिव बुक डिपो, 53, जगदीश रोड, उदयपुर

81. ,, ओम स्टेशनर्स, बस स्टेण्ड, खेरवाड़ा

82. ,, रामेश्वरलाल दिनेशचन्द्र, शान्ति पथ मार्केट, फतेह नगर

83. ,, शारदा पुस्तक भण्डार, नया बाजार, सागवाड़ा

84. ,, सत्येश पुस्तक भण्डार, कांकरोली

85. ,, जैन जनरल स्टोर्स, सदर बाजार, घांसा

86. ,, पापूलर डिस्टीब्यूटर्स, सारंग मार्ग, सूरजपोल उदयपुर

जिला अजमेर

87. मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स, मदन गोपाल मार्ग, अजमेर

88. ,, श्री पब्लिकेशन्स, आगरा गेट, अजमेर

89. ,, जनरल एजेन्सीज, पुरानी मण्डी, अजमेर

90. ,, रायल बुक एजेन्सी, पुरानी मण्डी, अजमेर

91. ,, गारगिया एण्ड कम्पनी, सदर बाजार, नसीराबाद (अजमेर)

92. ,, गौरव स्टेशनर्स एण्ड स्पोटर्स, डिग्गी मोहल्ला, ब्यावर (अजमेर)

93. ,, मेठाराम लोंगमल पाली बाजार, ब्यावर

94. , जैन ट्रेडर्स जियालाल मार्ग, केसरगंज, अजमेर

95. ,, कमल स्टेशनर्स एण्ड बुक सेलर, सुभाष बाजार, केकड़ी

96. ,, टीना स्टेशनर्स, हाथी भाटा, अजमेर

370

97. मैसर्स जादम जनरल स्टोर्स. कचहरी रोड, अजमेर

98. ,, महावीर जनरल स्टोर्स, बस स्टेण्ड. पीसांगन

99. ,, दयाल बुक डिपो, पुरानी मण्डी, अजमेर

100. ,, अमित ट्रेडर्स, अजय नगर, अजमेर

जिला अलवर

101. मैसर्स प्रमोद बुक डिपो, तिजारा (अलवर)

102. ,, केशवदेव सन्तोष कुमार अग्रवाल, कठुमर जिला (अलवर)

103. ,, प्रेम बुक्स एण्ड स्टेशनरी सेन्टर, मन्नी का बड़, अलवर

104. ,, भागीरथ प्रसाद गुप्ता, बड़ौदा जिला (अलवर)

जिला बीकानेर

105. मैसर्स जैन जनरल स्टोर्स, वैदों का चौक, बीकानेर

106. ,, शिवलाल मोहनलाल, सदर बाजार, नोखा

107. ,, गौड़ पुस्तक सदन, नोखा (बीकानेर)

108. ,, देवीचन्द सुरेशचन्द जैन, मार्केट के. ई. एम. रोड, बीकानेर

109. ,, नोखा फैन्सी स्टोर, हैड पोस्ट आफिस के पास, बीकानेर

110. ,, रमेश बुक डिपो, हैड पोस्ट आफिस के पास, बीकानेर

जिला भीलवाड़ा

111. मैसर्स गांधी स्टेशनर्स, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा

112. ,, मारूती स्टेशनर्स एण्ड जनरल स्टोर्स, गुलाबपुरा

113. ,, नैनानी एण्ड संस, भोपालगंज, भीलवाड़ा

114. ,, सरस्वती बुक एण्ड जनरल एजेन्सी, भोपालगंज, भीलवाड़ा

115. ,, माहेश्वरी पुस्तक भण्डार, बस स्टेण्ड, शाहपुरा

116. ,, विद्यार्थी जनरल स्टोर्स, बनेड़ा

117. ,, राजेन्द्र बुक्स एण्ड जनरल स्टोर्स, गांधी मार्केट, आसीन्द

118. ,, ओसवाल मेडीकल एण्ड जनरल स्टोर्स, सदर बाजार, शाहपुरा

119. मैसर्स आशीष जनरल स्टोर्स, नई आबादी चौराहा, माण्डलगढ़
120. ,, मित्र बालोपयोगी वस्तु भण्डार; गुलाबपुरा

जिला बांसवाड़ा

121. मैसर्स अरहन्त स्टेशनर्स, परतापुर (बांसवाड़ा)

जिला भरतपुर

122. मैसर्स आदर्श जनरल स्टोर्स, नगर (भरतपुर)
123. ,, शर्मा जनरल स्टोर्स, मण्डी अटलबन्द; भरतपुर
124. ,, गोविन्द प्रसाद राकेश कुमार, मुसावर, (भरतपुर)
125. ,, बृज सेल्स कारपोरेशन, चौमुजा बाजार, भरतपुर
126. , अशोका बुक सेन्टर, स्टेशन रोड़, बयाना
127. ,, सतीशचन्द बाबूलाल, मु. पोस्ट, हलैना
128. ,, राजू बुक सेन्टर, मु. पोस्ट, हलैना
129. ,, भजनलाल अशोक कुमार मु. पोस्ट हलैना

जिला चित्तौड़गढ़

130. मैसर्स सुरेश कुमार बाबूलाल, डुंगला (चित्तौड़गढ़)

जिला चूरू

131. मैसर्स मित्तल पेपर इण्डस्ट्रीज एण्ड प्रिन्टर्स, सरदार शहर
132. ,, बजरंग पुस्तक भण्डार, तारानगर, चूरू
133. ,, गोपाल जनरल स्टोर्स, सुजानगढ़
134. ,, राजस्थान पेपर इण्डस्ट्रीज, चूरू
135. ,, राकेश जनरल स्टोर्स, सुजानगढ़

जिला धोलपुर

136. मैसर्स ज्ञानचन्द एण्ड ब्रदर्स, धोलपुर
137. , बन्सल बुक स्टोर्स, धोलपुर

373

जिला झुंन्झनूं

138. मैसर्स सांवरमल रामचन्द्र, झुंन्झनूं

139. ,, सुमेर पुस्तक भण्डार, झुंन्झनूं

140. ,, लक्की सेन्टर, खेतड़ी नगर

141. ,, ऊंराज बुक डिपो, खिरोड़ जिला (झुंन्झनूं)

142. ,, ललित जनरल स्टोर्स, डूंडलोद

143. ,, श्री महालक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, चिड़ावा

जिला जोधपुर

144. मैसर्स सेठिया ब्रदर्स, जोधपुर

145. ,, जैन बुक डिपो, जोधपुर

146. ,, अग्रवाल पुस्तक भण्डार, जोधपुर.

147, , विजय स्टोर्स, गूदड़ी बाजार, चूरू

परिशिष्ट–12

प्रश्न संख्या 966 की सूची

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम
1.	मै. विवेकानन्द स्टोन क्रेशर	खेतड़ी
2.	मै. नवल प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज	पिलानी
3.	मै. एम. एस. हिन्दुस्तान वायर्स	,,
4.	मै. राजस्थान एग्रीकल्चर वायर प्रोडक्ट्स	,,
5.	मै. विजय इण्डस्ट्रीज	,,
6.	मै. मेडानी लेम्पल	,,
7.	मै. लक्ष्मी आइल मिलस	,,
8.	मै. कुलदीप फेब्रिकेटर्स	,,
9.	मै. प्रभुदयाल शिवलाल	,,
10.	मै. रामसिंह जांगिड	,,
11.	मै. पोथाराम जांगिड	,,
12.	मै. संतोष फेब्रिकेटर्स	,,
13.	मै. कुमारी सरोज डागा	,,
14.	मै. राजस्थान केमिकल	,,
15.	मै. प्रेसीटोनइण्डिया	,,
16.	मै. जगदीश प्रसाद	चिड़ावा
17.	मै. मोहम्द सदीक	,,
18.	मै. मोहनलाल जांगिड	,,
19.	मै. छाजू राम जांगिड	,,
20.	मै. रामसिंह	,,
21.	मै. बजरंग जागिड	,,
22.	मै. गजानन्द इंजीनियरिंग	,,
23.	मै. भगवाना राम	,,
24.	मै. सत्यनारायण सैनी	चिड़ावा

1	2	3
25.	मै. धर्मेन्द्र फ्लोर मिल्स	सिघाना
26.	मै. शिव वुड वर्क्स	,,
27.	मै. रामचन्द्र यादव	पिथौला
28.	मै. कुंजी लाल	पिथौला
29.	मैं. जी. के. इंजीनियरिंग	गोठड़ा
30.	रामनिवास/खानचन्द	चिड़ावा
31.	गाड़िया एन्टरप्राईजेज	चिड़ावा
32.	शंकर लाल	नगली समेदी
33.	नसीरुद्दीन गफूर	नगली समेदी

परिशिष्ट 13

प्रश्न संख्या 974 की सूचना

मोटर व्हीकल इन्सपेक्टर के पद भरने सम्बन्धी सूची

वर्ष	सीधी भर्ती पद भरे	अनु.ज.	जनजाति	पदोन्नति पद भरे	अनु.जा.	जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
1974	3	....	1		अक्षण नहीं था	
1975	...	....	....	5	—	....
1976	....	....	....	8	....	....
1977	....	....	....	11	1	....
1978	....	....	....	1	....	....
1979	....	....	....	6	....	....
1980	12	....	....	....	....	....
1981	1	—	....	1	1	....
1982	....	....	....	....	—	....
1983	....	....	....	3	2	....
1984	....	....	....	2	—	....

मोटर व्हीकल सब–इन्स्पेक्टर पद भरने सम्बन्धी सूचना

1974	6	....	....	....	....	....
1975	1	....	....	....	....	....
1976	....	....	....	....	....	—
1977	10	....	1	9	2	....
1978	7	....	....	....	....	....
1979	....	....	....	6	1	....

1	2	3	4	5	6	7
1980	10	1	....	....	....	....
1981	....	....	....	....	....	....
1982	....	—	....	—	....	....
1983	....	....	....	....	....	....
1984	....	....	....	....	....	....

नोट :—अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित पद नहीं भरे जा सके हैं ।

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 975 की प्रति

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग : ग्रुप–3 : विभाग

क्रमांक प. 8 (3) राज–1/81 दिनांक 26. 10. 83

प्रेषित :

आयुक्त देवस्थान
विभाग, उदयपुर,
विषय:—पुजारियों के लिये प्रशिक्षण योजना बाबत।
संदर्भ:—आपका अ. शा. पत्र क्रमांक एफ 3 (2) सामान्य/देव, 83/1893
दिनांक 21. 7. 83

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार ने पुजारियों के लिए प्रशिक्षण हेतु 2 केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है जिनमें एक केन्द्र जयपुर में रखा जायेगा तथा दूसरा स्थान उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर में मन्दिर की संख्या व व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए चयन किया जाना है।

उक्त केन्द्र में सेवारत पुजारियों को तीस-तीस के बैच में क्रम बद्ध योजनानुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र नये पुजारियों के चयन में मदद/सहयोग करेगा। तथा उसके बाद चयनित पुजारियों को सेवा पूजा का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षित करेगा। पाठ्यक्रम में पुजारियों को हिन्दु शास्त्रों का आधारभूत ज्ञान, सेवापूजा पंडित एवं धार्मिक उत्सवों का पूर्ण प्रशिक्षण देना शामिल होगा।

पुजारियों को प्रशिक्षण देने हेतु, एक योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की चीफ इन्सट्रक्टर के पद पर नियुक्ति की जायेगी जिसे मन्दिर फण्ड से मासिक संकलित राशि लगभग 800/– रुपये तक भुगतान किया जा सकेगा श्री भंवरलाल श्रीमाली सेवानिवृत सहायक आयुक्त देवस्थान को चीफ इन्सट्रक्टर के पद पर लगाना प्रस्तावित है अतः उनकी नियुक्ति के बारे में सम्मति प्राप्त कर भिजवायें।

इनके कार्य में सहयोग के लिए एक क. लिपिक व च. श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी है। उक्त पदों के सृजन करने की स्वीकृति दे दी जावेगी।

अत: उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर के अतिरिक्त दूसरे केन्द्र का स्थान एवं क. लि. एवं च. श्रेणी पदों के सृजनार्थ (वेतनमान आदि दर्शाते हुये) आवश्यक प्रस्ताव भिजवावें।

भवदीय
हस्ताक्षर
उपसचिव (देवस्थान)

वैदिक पूजा प्रशिक्षण और उसका सांस्कृतिक महत्व

संस्कृति संस्कारों की समन्विति है। संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त मनुष्य को परिमार्जित करते रहते हैं। संस्कारों की जड़ पूजा और अर्चन तथा वदन में निहित है। बिना पूजा-विधि के संस्कार सुसंस्कृत नहीं होते। पूजा-विधि धार्मिक प्रक्रिया का विशिष्ट अंग है। धार्मिक प्रक्रियाओं का निर्धारण हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। हिन्दू धर्म की विविध धाराएं वेदों से निकली हैं। 'वेद' स्वयं ईश्वर की महान कृति है। मनुष्य भी ईश्वर की कृति है किन्तु वेदों की मूल सृजन धारा में धर्मों की सभी छोटी धाराएं समाहित हो जाती हैं। अतः पूजा विधि उस महान गंतव्य तक जाने की पगडंडी है।

पूजा विधि में प्रक्रियाओं का सही विधान नहीं हो तो वह भ्रष्ट पूजा कहलाती है। अत: हमारे धर्मज्ञों ने पूजा विधि को परिमार्जित किया है। उसमें शुद्धि का संचरण किया है। ऐसी पूजा विधि बड़े विद्वानों और पंडितों से सीखना उचित है ताकि अशुद्धि का संस्कारों में आगमन न हो।

पूजा का विधान जन्म घड़ी से ही नहीं, गर्भाधान की घड़ी से ही प्रारम्भ हो जाता है। पूजा जन्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, ग्रह प्रवेश आदि से जुड़ी हुई है। विधि गृहों, नक्षत्रों से उसका सम्बन्ध जुड़ा होता है। प्रकृति से पूजा पनपती है किन्तु कुप्रकृति को पूजा पवित्र बनाती है। हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति में पूजा ही मोक्ष के मार्ग का निर्माण करती है, अत: सुयोग्य हाथों द्वारा उसका प्रशिक्षण होना आवश्यक है।

राजस्थान में वैदिक पूजा प्रशिक्षण केन्द्र बहुउद्देशीय है और इससे विद्वानों, पंडितों व विद्वजनों का निकटतम सम्पर्क होना परम आवश्यक है।

वर्तमान युग संस्कृति का शोर अधिक करता है किन्तु वह हिन्दू धर्म से उतना दूर होता जा रहा है जितना भूतल आकाश से जिससे कुछ ही वर्षों में हमारी संस्कृति के मान और मूल्यों में बेहद गिरावट आई है। पाश्चात्य संस्कृति का हमारे युवकों व समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता जा रहा है। एक प्रकार से हम अपने ही धार्मिक व्यक्तित्व से विमुख होते जा रहे हैं। विशेषकर युवकों में यह धारणा घर करती जा रही है कि पूजा पाठ एक ढकोसला है और पंडितों व पुजारियों की येनकेन जीविका अर्जन का साधन है।

ऐसी भावना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए वह पंडित वर्ग भी जिम्मेदार है जो केवल पैसे के लिये पूजा विधि को व्यापार विधि बनाता है। दक्षिणा का पुण्यमय अर्थ अब धनोपार्जन का पाप लपेटे हुए रहता है। आवश्यक पूजा-सामग्री की जगह ढेरों व्यर्थ की वस्तुओं का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संग्रह करना और यजमान के हृदय में भय पैदा कर उसकी मूल श्रद्धा को ऐंठना निश्चय ही शास्त्रोक्त पूजा विधि का घोर अपमान है।

वैदिक पूजा प्रशिक्षण केन्द्र इसलिये विशेष पूजा सरणियों के माध्यम सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न करेगा। इससे शास्त्रोक्त पूजा के प्रति श्रृद्धा बढ़ेगी। ढ़कोसलों का अन्त होगा। जो पंडित इसे अपनी जीविका से जोड़ेंगे उन्हें दक्षिणा भी पुण्य पथ से भरपूर मिलेगी।

केन्द्र का मूल उद्देश्य ज्ञानोपार्जन है। पूजा प्रक्रिया हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी जिन्दगी के लिए पवित्रता की आवश्यकता है।

कालान्तर में इस केन्द्र द्वारा भाषण मालाएं भी प्रशिक्षार्थियों के लिए आरम्भ की जायेगी। शोध कक्ष की स्थापना होगी तथा पाठ्यक्रम के निर्धारण पश्चात् नियमित कक्षाएं आरम्भ कर वैचारिक, सांस्कृतिक व धार्मिक सृजन क्रान्ति का सूत्रपात किया जायेगा।

हिन्दू धर्म सनातन है और इससे युगानुकूल परिवर्तन परिवर्द्धन भी होते आए हैं। अत: पूजा विधि में भी अस्वस्थ प्रक्रियाओं को हटाकर उपयोगी व स्वस्थ प्रक्रियाओं को ही बलशाली बनाया जायेगा।

आशा है, इसमें पारस्परिक व अन्य सभी पुजारियों व पंडितों का सम्पूर्ण सहयोग मिलेगा ताकि धार्मिक प्रसंगों में हमारे संस्कारों को सिर न झुकाना पड़े।

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम विविध खण्डों में निम्न प्रकार होगा।

भूमिका

इस प्रशिक्षण को खोलना इस वास्ते जरूरी समझा गया है कि विभाग से सम्बन्धित पुजारी, सेवागिर व मुखिया इत्यादि वैदिक मन्त्रों द्वारा पूजन विधि से सर्वथा ज्ञान नहीं रखते व वास्तविक अनिवार्य पूजन का महत्त्व आदि भी सर्वेक्षण विसर्जन हो गया है। इस प्रशिक्षण केन्द्र का ध्येय मात्र पुजारियों में वैदिक मन्त्रों द्वारा विधि पूर्वक पूजा पद्धति एवं तत्सम्बन्धि कर्मकाण्ड पोराहित्य, व्रत आदि व पंचाग सम्बन्धी ज्ञान एवं वास्तविक महूर्त सम्बन्धित प्रारम्भिक ज्ञान व वेदोक्त सोलह संस्कारों का ज्ञान कराना है।

पुस्तकें—

1. पूजा भास्कर
2. सेवा कौमुदी की
3. त्रुकाल संध्या पुस्तक
4. श्री शुक्ल पुरुषसुक लक्ष्मी शुक्त
5. गोपाल सहस्त्रनाम विष्णु सहस्त्रनाम
6. वृहत घोड़ा चक्रम
7. शीघ्र बोध की
8. फलित प्रदीप का
9. कर्मठ गुरु (गृहसामी)
10. ब्रह्मकार्य समुच्य (निष्पदेव कर्म प्रधान वैदिक)
11. पोरोहीत कर्मशाह
12. मन्त्र संगीता
13. मंडप कुण्ड सिद्धि
14. विवाह पत्रंति एवं यगोपवीत पद्धति
15. संस्कार चन्द्रिका
16. सोलह संस्कारों का ज्ञान महत्त्व अर्थ सहित श्रृष्टि विज्ञान, वेदकाल निर्णय और यगोपवीत महत्त्व
17. निर्णय सिन्धु
18. बारह महीनों की कथायें एवं महत्त्व
19. अन्त्येष्टी कर्म पद्धति तर्पण पद्धति
20. अष्टाअध्यायी रुद्री पूजा प्रकरण सहित रुद्री दण्डक
21. दुर्गा सप्तसती पूजन प्रकरण सहित
22. मन्त्र महोदधी

ह०/- भंवर लाल श्रीमाली

वैदिक पूजा प्रशिक्षण नियम

साधारण प्रशिक्षण नियम

(1) इसमें प्रशिक्षण देवस्थान सम्बन्धित वेतनिक पुजारी एवं सेवागिर।

(2) जो अवैतनिक पुजारी एवं वंश परम्परागत पुजारी भी शामिल होंगे।

(3) सुपुर्दगी एवं कोर्ट आफ वार्ड के सम्बन्धित मन्दिरों के पुजारी भी होंगे।

(4) आत्म निर्भर मन्दिर के पुजारी भी शामिल होंगे।

(5) जो नये महन्त एवं पुजारी मुकर्रर होंगे वे भी इस प्रशिक्षण से शिक्षण लिये हुये ही नियुक्त होंगे। और प्रवेशिका उसमा परीक्षा पास करते ही प्रशिक्षण देंगे।

(6) (अ) पूजा विधान में प्रशिक्षण कोर्स तीन मास का होगा। जो अनिवार्य प्राथमिक जानकारी प्रथमा वृति' द्वितीया वृति का ज्ञान पाठ्यक्रम के अनुसार चौथे खण्ड तक होगा और तीन महीनों का आगे विशेष जरूरी कोर्स पंचम व षष्टम खण्ड तक होगा।

(ब) प्रथम खण्ड सेवा पूजा एवं द्वितीय खण्ड सेवा–पूजा का ज्ञानात्मक के लिये प्राथमिक ज्ञान ज्ञाता होगा।

(स) तृतीय खण्ड-ज्ञान कर्म काण्ड पूजा सम्बन्धित।

(द) चतुर्थ खण्ड पूर्ण पन्चांग ज्ञान एवं महूर्त ज्ञान का होगा।

(7) विशेष पूजा प्रधान मूर्ति के पूजन ज्ञान जो पूजा प्रशिक्षण कर्मकाण्ड (वैदिक मन्त्रों से) पूजन का पचम खण्ड होगा।

(8) विशेष पोरोहित पूजा ज्ञान सोलह संस्कारों का महत्त्व ज्ञान कहलायेगा। वेद मन्त्र सहित एवं धर्म ग्रन्थ अनुसार एवं पुराण अनुसार होगा जो षष्टम खण्ड कहलायेगा।

(9) विशेष स्वयं पाठी पोरोहित कर्म का पूरा ज्ञान अध्ययन भी कर सकेगा अगर करना चाहे तो। चाहे वे देवस्थान विभाग का कर्मचारी हो अथवा स्वयं

पाठी हो इसके लिये निर्धारित फार्म भरना होगा इनका छः माह का अल्प अवधि कोर्स होगा जो इस प्रशिक्षण का सप्तम, अष्टम, नवम् खण्ड कहलायेगा।

(10) नये पुजारियों को रिक्त पदों पर भर्ती के लिये उपरोक्त पूरा कोर्स सम्पन्न करने पर ही सेवा नियमों अनुसार लिये जा सकेंगे। जिसको खण्ड एक से लेकर नौ खण्ड तक पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। उसे कोई यात्रा व्यय आदि कोई भार विभाग नहीं देगा। वह खुद स्वयंपाठी के रूप में अध्ययन चीफ इन्सट्रक्टर के आदेश से कर सकेगा कोई अध्ययन फीस नहीं ली जायेगी।

(11) उपरोक्त परीक्षा हर तीमाही होगी उसमें दो परीक्षक एक कर्मकाण्डी एवं एक ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला बाहर का होगा एक मुख्य प्रशिक्षक भी होगा। परीक्षा मासिक साक्षात्कार प्रयोगात्मक एवं लिखित आदि के रूप में ली जायेगी।

विभाग से सम्बन्धित पुजारी सेवागिर आदि से कोई फीस नहीं ली जावेगी।

(12) परीक्षा के बाद उत्तीर्णता के आधार पर प्रमाण-पत्र दिया जायेगा जो चीफ इन्स्ट्रक्टर के कार्यालय से दिया जायेगा।

(13) प्रमाण-पत्र के आधार पर एवं यह विभाग राज्य सरकार को एक वेतन वृद्धि दिये जाने हेतु सिफारिश श्री राज्य सरकार को आयुक्त के माध्यम से कर सकेगा।

(14) वंश परम्परागत पुजारियों की सन्तान को अध्ययन निःशुल्क कराया जायेगा।

(15) मेधावी छात्रों को प्राथमिकता के रूप में यह प्रशिक्षण छात्रवृत्ति दिलाने के लिये भी राज्य सरकार के माध्यम से दिलाने की आयुक्त को सिफारिश कर सकेगा।

(16) विभाग से सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी व पुजारी अगर आदेशों की अवेहलना करेंगे, या अपना आचरण सन्तोषजनक नहीं रखेंगे तो उन्हें अनुपस्थित मानकर इस संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागीय सक्षम अधिकारी कर सकेंगे।

ह. भंवर लाल श्रीमाली

वैदिक पूजा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

अनिवार्य प्रारम्भिक ज्ञान प्रथमावृति भूमिका

(1) हिन्दू धर्म क्या है और किसको कहते हैं ? उसका महत्व बताना ।

(2) वेद काल निर्णय ।

(3) पूजन महत्त्व ज्ञान ।

(4) हवन महत्त्व ज्ञान

(5) द्विज वर्ण ज्ञान ।

(6) ऋषि ज्ञान ।

(7) गौत्र ज्ञान ।

(8) यज्ञोपवित निर्माण एवं धारण विधि एवं ज्ञान ।

मुद्राज्ञान–प्राणायाम–उपस्थान ज्ञान–करन्यास अंगन्यास ज्ञान ।

प्रभावित पुस्तकः—संस्कार चन्द्रिका का वृत्ति भूमिक पृष्ठ 13 से 21 तक ।

अनिवार्य प्रारम्भिक ज्ञान द्वितीय वृति भूमिका

(1) 16 संस्कार महिमा और उनसे लाभ ।

(2) वैदिक सिद्धान्त के अनुसार हिन्दू धर्म का वर्णन ।

(3) आचार वैदिक विद्या ।

(4) पंचांग ज्ञान महत्त्व ।

(5) पंचांग ज्ञान वृतोपवास का महत्त्व ।

(6) यज्ञ स्थल ज्ञान ।

(7) यज्ञ समीधा ज्ञान ।

(8) यज्ञ वर्ण ज्ञान ।

(9) यज्ञ पात्र ज्ञान ।

प्रस्तावित पुस्तक संस्कार चन्द्रिका पृष्ठ 25 से 47 तक

ह. भंवर लाल श्रीमाली

वैदिक प्रशिक्षण पूजा केन्द्र देवस्थान विभाग द्वारा संचालित मन्दिरों के पुजारी को शैक्षणिक योग्यता का अनिवार्य पाठ्यक्रम:—

(अ) प्रथम खण्ड सेवा पूजा से पूर्व योग्यता।

(1) त्रीकाल, गायत्री, उपासना।

(2) मंगलाचरण अर्थात् शांतिपाठ दीपक पूजन।

(3) कलश-स्थापना।

(4) विष्णु आदि पंच देव पूजन पद्धति।

(ब) प्रथम खण्ड

(1) स्थापित मूर्ति का ध्यान अर्थात् मंगलाचरण।

(2) जागरण घंटा पूजन एवं घंटा नाद एवं शंख पूजन अर्थात् शंखनाद।

(3) आचमन मंगलाभोग स्नान एवं वस्त्र।

(4) तिलक, पुष्प-माला, ग्रन्थ, अक्षत् आदि।

(5) शृंगार।

(6) राजभोग (आचमन एवं झारी दर्शन तारज)

(7) विश्राम प्रातः काल।

(8) उत्थापन, सायं दर्शन, शयन भोग, शयन विधि।
(मंत्र सहित ग्रन्थ पूजन भास्कर)

(स) प्रायोगिक

(1) सिंहासन पर अचल-चल मूर्तियों की प्रतिष्ठा ज्ञान।

(2) पात्रों का ज्ञान।

(3) शृंगार विधि का ज्ञान।

(4) विशेष पर्व में वस्त्र आदि का ज्ञान।

(5) राजभोग एवं शयन भोग तथा मंगला भोग सामग्री का ज्ञान।

इनके लिये प्रस्तावित पुस्तक

पूजा भास्कर ग्रन्थ द्वारा उपरोक्त कार्य होगा 15 दिन के अन्दर इसका अध्ययन होगा।

(अ) द्वितीय खण्ड

ज्ञानात्मक के लिये :—

(1) विशेष उत्सवों पर शृंगार का ज्ञान ।

(2) उत्सव ज्ञान ।

(3) पुष्प शृंगार ।

(4) जलयात्रा, रथयात्रा, जन्मोत्सव, पाटोत्सव, देवशमन, देव प्रमोदनी, झूला उत्सव एवं फाग उत्सव ।

(ब) प्रायोगिक के लिये : विशेष पर्वों पर विशिष्ट झांकियों की रचनाओं का ज्ञान ।

प्रस्तावित पुस्तक (ग्रन्थ) सेवा कौमुदी, इसका 15 दिन का कोर्स होगा ।

(अ) तृतीय खण्ड

ज्ञानात्मक कर्मकाण्ड

(1) विष्णु पूजन षोड्षोपचार विधि । वेद मन्त्रों से

(2) नवग्रह पूजन मन्त्र सहित ।

(3) षोड्ष मातृकों पूजन मं. 9 सहित ।

(4) स्वीस्ति पुण्या वाचन मं. 9 सहित एवं कलश स्थापन ।

(5) सरस्वती पूजन श्री सूक्त ।

(6) लेखनी पूजन लक्ष्मी सूक्त ।

(7) लक्ष्मी पूजन पुरुष सूक्त ।

(8) विष्णु सहस्त्रनाम ।

(9) गोपाल सहस्त्रनाम ।

(ब) प्रायोगिक

(1) मंडलनिर्माण, सामग्री, लेखन और स्वस्तिक अंकन, अष्ट दल अंकन, षोड्स मातृका अंकन, सामग्री की पहचान नवग्रह मण्डल अंकन ।

387

(2) पूजन विधि का ज्ञान (हवन सामग्री) ज्ञान।

प्रस्तावित पुस्तक कर्मठगुरु एवं ग्रह शांति की पूर्वाध तक का ज्ञान।

समय एक माह का अध्ययन।

चतुर्थ खण्ड—पंचाग का ज्ञान।

(1) सम्वत्सर, अमन, मास, तिथि, नक्षत्र, वार, दण्ड, कर्ण, घटी, योग एवं राशि ज्ञान।

(2) वर्ष वष्य, योनी, राशिपति, गण, नाड़ी, ज्ञान, (विवाह के लिये कुण्डली मिलाने का ज्ञान।

(3) सूर्य स्पष्ट ज्ञान, इष्ट ज्ञान, लगन ज्ञान, ग्रह स्थापन एवं मेलापक ज्ञान तक।

प्रायोगिक के लिये—

पचांग दर्शन लगन स्पष्ट, राशि स्पष्ट, ग्रह निर्माण, ग्रह स्थिति।

पुस्तक का नाम—

वृहत होंडा चक्रम, समय एक माह का अध्ययन।

पंचम खण्ड (यानी मुहूर्त प्रकरण)

(1) यात्रा सम्बन्धित—दिकशल ज्ञान चौघड़िया, योगनी एवं कालराहु।

(2) संस्कार सम्बन्धित—सिमती नमन, जातकर्म, नामवर्ष, सूतिका स्नान, जल-पूता, अन्न-प्राष्ण, कर्णवेधन, चोलकर्म, विद्या-आरम्भ, रोग मुक्त, नव निर्माण, हल वाहन, गृह प्रवेश, विवाह मुहूर्त, यज्ञोपवित मुहूर्त, वधु-प्रवेश, द्विरा-गमन का मुहूर्त, गन्धर्व विवाह मुहूर्त,।

(3) द्वादश भाव-फलम्।

प्रवेशिका तक का ज्ञान।

पुस्तक—शीघ्र बोध एवं फलित दीपिक तथा मूर्तचिन्तामणी का मुहूर्त प्रकरण समय एक मास का अध्ययन।

प्रथमा षष्टम खण्ड—

रुद्री, अष्टाध्यायी, नमका, चमका, पाठ सहित अर्थात् रुद्रा विशेष शिव पूजन ज्ञान पार्थिवेश्वर पूजन ज्ञान।

महामृत्युन्जय जय विधि ज्ञान।

अमृत संजीवनी हवन-पूजन।

ग्रह शान्ति (हवन-पूजन)

दुर्गा पठन, पूजन ज्ञान, दुर्गा-पीठ यानी यन्त्र पूजन ज्ञान।

विष्णु-पूजन श्री सूक्त पुरुष सूक्त आदि से षोड्शोपचारी पूजन ज्ञान/दण्डक ज्ञान।

माध्यमा—सप्तक खण्ड

(1) यज्ञोपवीत विवाह, साखोचार आदि सोलह संस्कार कराने का ज्ञान।

(2) उपवास का ज्ञान निर्णयसिन्धु अनुसार

माध्यम का दूसरा भाग

मन्त्र सहिता पूर्ण ज्ञान

12 मास की कथा प्रवचन ज्ञान। **प्रवेशिका।**

मध्यमा का तीसरा भाग

शुक्ल यजुर्वेद मन्त्र सहिता का पूर्वाद, कुण्ड मण्डप ज्ञान अनुष्ठान प्रकरण में मन्त्र महोदरी का ज्ञान।

विशेष पौराणिक कर्म के लिये अध्ययन।

मध्यमा का चौथा भाग

पौरोहित्य (द्वि वर्ष)

शुक्ल यजुर्वेद मन्त्र सहिता का उतरार्ध।

रुद्र महायज्ञ तथा विष्णु महायज्ञ ज्ञान।

प्रायोगिक—

चतुर्थ लिंगतो भद्र, द्वादक लिंगतो भद्र, इक लिंगता भद्र, कुण्डिका ज्ञान ।

पात्र स्थापन, अवर्ण पूजा ज्ञान एवं वलि ज्ञान । मन्त्र पीठ स्थापना ज्ञान ।

अष्ठम खण्ड

उपाध्याय

अन्तेष्टि कर्म ज्ञान अर्थात् प्रकरण

(1) अष्ट महादान ।

(2) मृतक संस्कार, पिण्डदान एवं दाह संस्कार ।

(3) अस्थि संचय ज्ञान एवं अस्थित प्रक्षेपण ज्ञान ।

(4) दस-गात्र ज्ञान ।

(5) नारायण वलिका ज्ञान ।

(6) द्वादश कृत्य ज्ञान ।

ग्रन्थ का नाम अन्तेष्टि–कर्म पद्धति गरूड प्राण कथा ।

सम्वत् श्री प्रकरण ज्ञान ।

महालय श्राद्ध ज्ञान ।

तर्पण ज्ञान ।

बलि-वश्वदेव ज्ञान अर्थात् पंच बलिदान ।

ऐसी आशा है कि उपरोक्त पूजाविधियों का सम्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी धर्म पुजारियों के मानस का सही दिशाओं में संवर्द्धन हो सकेगा और वे धर्म सम्बन्धी अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकेंगे ।

यह पाठ्यक्रम समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित व परिवर्द्धित भी हो सकेगा क्योंकि संस्कार ज्ञान कोई स्थिर चीज नहीं है । वह चलायमान है और उत्तरोत्तर युग की मांगों के अनुसार परिमार्जित होता चला जाता है ।

अतः वैदिक पूजा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना धर्म और धार्मिक संस्कारों के स्वस्थ निर्माण में अपना योगदान कर सकेगा तथा उन भ्रान्तियों को दूर कर सकेगा जो अंध विश्वास और ढ़कोसलों को लिये हुए हैं।

प्रशिक्षण के बाद पुजारियों के सेवा पूजा के नियम—

(1) प्रत्येक पुजारी की मन्दिर के समय सारिणी अनुसार सेवा पूजा को समय पर करने की ड्यूटी रहेगी।

(2) कोई भी पुजारी बिना स्नान एवं शुद्धता आचार विचार के साथ धोती वस्त्र पहन कर ही प्रवेश कर सकेगा।

(3) सेवा पूजा के लिये निम्न प्रकार का ज्ञान जो उक्त संस्था द्वारा लिया जाकर उससे सेवा पूजा प्रमाण पत्र प्राप्त कर्ता ही निज मन्दिर में प्रवेश कर सकेगा।

(4) सहायक पुजारी भी मन्दिर को समय सारिणी अनुसार सेवा में रहेगा व निज मन्दिर की पूर्ण सफाई की व्यवस्था रखेगा।

(5) पुजारी अंगूठी पहन कर निज मूर्ति की सेवा नहीं करेगा।

(6) खुले अंग प्रवेश भी नहीं करेगा एवं निर्धारित वस्त्र देव में ही सेवा पूजा के समय रहेगा।

(7) किसी भी दर्शनार्थी स्त्री को इत्र-पान नहीं देगा।

(8) कोई भी पुजारी नशीली चीजे सेवन कर मन्दिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा जैसे कि (बीड़ी–गांजा–भांग–अफीम–चरस–जर्दा आदि का उपयोग नहीं करेगा।

ह. भंवरलाल श्रीमाली

गायत्री श्रीमूर्ति या फोटू।

भगवान गोविन्द देवजी का फोटू।

भगवान शिवार्चन फोटू

भगवती फोटू।

ब्रह्मा का फोटू।

स्मार्क कौन और वैष्णव कौनः—

391

(1) गणेश-महालक्ष्मी-गायत्री

श्रुतीस्तु वेदी विज्ञयों धर्म शंसुसु वस्मृति

अर्थात्

वेद एवं श्रुती स्मृति के अनुसार कर्मकर्ता या मानने वाला स्मार्क कहलाता। मंसा मन्दिरा रूपण्कर्ता राम कृष्ण विष्णु के अनुयायी वैष्णव है।

(1) पेड अस्थाई/स्थाई पौधे जो पुण्य रोजगार देते हो।

(2) तुलसी पौधा श्याम वर्ण।

(3) केले के गमले-10

बड़ का पिपल पेड़

चार्ट बनाना है।

(1) सिखो कमाओं क्या (अर्थ धर्म काम मोक्ष क्या)

(2) विद्या सर्वस्व भूषणम्

(3) सत्यं शिवम् सुन्दरम्

(2) देवाधिना जगत सर्व:

ले देवामन्त्राधिन:

समन्त्रा ब्राह्मण पंडित्य पंडित आधिन।

तेषू पंडित पूज्यनीय

विद्यार्थी कुतः सुखं-सुखार्थी कुता विद्या।

(3) वेद वाणी-देव वाणी।

(4) कर्म की पहचान

जप-दया-दान-कर्म-यज्ञ

देवार्चन कर्ता ग्रहो,

यश कर्ता मोक्ष्य प्राप्त कर्ता है।

(5) दाम्यां जन्म संस्कारात्यां जायत दिज।

———

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE (GROUP-III) DEPARTMENT

No. F. 8(3)/Rev/Gr.III/81 Jaipur, 5th December, 1983

ORDER

Government has been pleased to appoint Shri Bhanwar Lal Shrimali, retired R.A.S. Officer, as Chief Instructor to impart training to the Pujaris who are in service, as also newly selected candidates appointed as Pujaris. The appointment will be on contract basis, and will be effective from the date of his joining, and will be governed by terms and conditions as laid down in the contract agreement executed by him He shall be paid a fixed consolidated amount of Rs. 800/- (Rs. Eight hundred only) per month from the Temple Fund. He will work under the control and supervision of Commissioner, Devasthan Department, Rajasthan, Udaipur.

His functions and duties shall be as follows :

1. To impart in-service training to persons who are already working as Pujaris in our temples, in batches of 30 or so, in accordance with a phased programme; and

2. To assist in the selection of fresh candidates to the posts of Pujaries, and thereafter, to train the selected candidates before they actually start working as Pujaries.

The training will include :—

(a) imparting of basic knowledge regarding Hindu Scriptures, specially those aspects which are directly connected with the performance of Sewa-Puja and religious ceremonies; and

(b) Actual practice and practical performance of different aspects of Sewa-Puja and important ceremonies.

It will be his initial duty to :—

(1) Draw up a detailed syllabus of training for Pujaris in service and freshly appointed Pujaris.

(2) Select suitable accommodation for the setting up of the training centres.

(3) Boarding arrangement for the trainees.

(4) Suggest suitable criteria for the selectoon of the Instructors for training centres, and assist in their selection.

The Chief Instructor will submit his report on the above lines within 3 months of his taking over charge to the Devasthan Commissioner.

By Order,

Sd/-

Dy. Secretary to Government

Copy forwarded to :—

1. Commissioner, Devasthan Department, Udaipur for necessary action in continuation to this Department letter of even number dated 19.11.83. He may please draw out detailed instructions regarding the duties and functione's of the Chief Instructor and give him a time bound programme (With Copy of agreement.)

2. Shri Bhanwar Lal Shrimali, Retired R.A.S. Telewara, Bikaner.

Sd/-

Dy. Secretary to Government

Articles of Agreement made the Second day of December One Thousand Nine Hundred and Eighty Three between Bhanwar Lal Shrimali of the one part and the Governor of Rajasthan (hereinafter called the 'Government') of the other part.

Wheres the Government have engaged the party of the first part and the party of the first part has agreed to serve the Government as Chief Instructor for imparting training to Pujaris on the terms and conditions here-in-after contained.

Now these present witness and the parties hereto respectively agreed as follows :—

1. The party of the first part shall submit himself to the order of the Government and the officers and authorities under whom he may from time to time be placed by the Government and authorities shall remain in the service for the term of five years commencing from 2nd day of December, 1983 with the condition that he will be on probation for the first one year and his services will be liable to be terminated without notice if his services during the period of probation are not found to be satisfactory.

2. The party of the first part shall devote his whole time to his duties and at all times obey the rules, including the Government Servants Conduct Rules, prescribed from time to time for regulation of the branch of the public service to which he may belong and shall, whenever required, proceed to any part of Rajasthan or India and there perform such duties as may be assigned to him.

3. The services of the party of the first part may be terminated as follows :—

(i) At any time on three calender months notice in writing given to him by the Government if in the opinion of the Government the party of the first part proves unsuitable for the efficient performance of his duties during service under this agreement.

(ii) By the Government without previous notice if the Government are satisfied on medical evidence, that the party of the first part is unfit and is likely for a considerable period to continue unfit, by reason of ill health, for the discharge of his duties in Rajasthan or India, provided always that the decision of the Government that the party of the first part is likely to continue unfit shall be conclusively binding on the party of the first part.

(iii) By the Government or their officers having proper authority without any previous notice if the party of the first part shall be guilty of any insubordinaton, intemperance or other misconduct or of any breach or non performance of any of the

provisions of these presents or of any Rules pertaining to the branch of the public service to which he may belong.

4. If the party of the first part be suspended from duty during investigation into any charges of misconduct mentioned in sub-clause (III) of clause 3 here of The shall not be entitled to any pay or allowances during such period of suspension. The Government may however, in its discretion grant, a subsisteance allowance at such rates as the Government may decide.

5. The party of the first part shall be paid a fixed consolidated amount of Rs. 800/- per month from the funds of the temples.

6. The Party of the first part if required to travel in the interest of the public service shall be entitlod to travelling allowance on the scale provided for in the Travelling Allowance Rules framed by the Government from time to time inforce and applicable.

7. The party of the first part shall not be permitted to join any pension scheme of the State Government. It will not affect upon pension already being drawn by the party of the first part.

8. The party of the first part shall be entitled to leave according to the Rules of the State Government in force from time to time.

9. The period of service by the party of the first part shall commence from the date he joins his duty on the post he is appointed.

10. In respect of any matter for which no provision has been made in this Agreement, the provisions of the Cavil Srvices, (classification, Control and Appeal) Rules, any Rules made thereunder and any rules made or deemed to be made under Article 309 or continued under Article 313 of the Constitution shall apply to the extent to which they are applicable to the service hereby provided for and the decision of the Goverhment as to their applicability shall be final.

In witness whereof the party of the first part and Secretary to Government of Rajasthan in the Revenue (Devasthan) Department on behalf of the Governor of Rajasthan acting in the premises for and on behalf of the Governor have hereinto set

their hands the day and the year first above written.

Signed by the party of the first part

....

Signature

In the presence of

....

Signature
occupation
Address.

Signed on behalf of Government.

....

Signature
Secy. to Government
Revenue (Gr. 3) Deptt.,

In the presence of

....

Signature
occupation
Address.

397

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

विषय—पुजारियों के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 1.12.83 से 31.3.84 तक का बजट तैयार करने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सेवा पूजा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर के स्थापित करने हेतु दिनांक 1.12.83 से 31.3.84 तक के लिये निम्न अनुसार राशि की आवश्यकता रहेगी :—

संवेतन	2400-00
यात्रा व्यय	1000-00
विविध व्यय	6600-00
	10,000-00

उक्त व्यय में से संवेतन व यात्रा के बिल इस कार्यालय में पारित कर मासिक भुगतान हेतु उपायुक्त को बिलों के आधार पर राशि भेजी जावेगी।

विविध व्यय में उप मद (3) पूजा प्रशिक्षण के लिये आवश्यक उपकरण व फर्नीचर हेतु फिलहाल रुपया 5000/- का ड्राफ्ट उपायुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर के नाम का बनवा कर प्रस्तुत करें ताकि उन्हें भेजते हुये आवश्यक निर्देश दिये जा सके।

यह व्यय प्रधान कार्यालय के फण्ड बजट से किया जावेगा।

ह.

आयुक्त

प्र.वि.टि.प. एफ 15 (37) (लेखा: निधि:बजट: 83:860 दि. 18.1.84 केशियर (प्र.का.)

(398)

राजस्थान सरकार

ओर से, को,

आयुक्त उपायुक्त

देवस्थान देवस्थान विभाग

राजस्थान, उदयपुर जयपुर।

क्रमांक एफ 12 (73) निधि/बजट:83:4633 दिनांक 6.4.84

विषय—पूजा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर हेतु बजट की आवश्यकता बाबत।

प्रसंग—आपका पत्र सं. 508 दिनांक 27.3 84

उपरोक्त विषय में प्रासंगिक पत्र के प्रस्तावानुसार आपको पूजा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर के दिनांक 10.4.84 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा उद्घाटन के अवसर पर पंखों व ट्यूब लाईटों की व्यवस्था हेतु रु. 3000/- (रुपया तीन हजार) मात्र की स्वीकृति प्रधान कार्यालय निधि बजट से प्रदान की जाती है। राशि को नियमानुसार आवश्यकतानुसार ही व्यय किया जावे।

ह.

आयुक्त

क्रमांक एफ 15 (73) : निधि:बजट:83 दिनांक 6.4.84

प्रतिलिपि लेखा विनियोजन शाखा पास भेज लेख है कि रुपया 3000/- का ड्राफ्ट शीघ्र उपायुक्त देवस्थान, जयपुर के नाम का भिजाने हेतु केशियर को निर्देशित करें।

ह.

आयुक्त

वैदिक पूजा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर में देवस्थान विभाग के अन्तर्गत प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों के कर्मचारियों की सूची जिनको प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है—

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	वि. विवरण
1	2	3	4
1.	श्री रामेश्वर	पुजारी	
2.	श्री सूर्यनारायण	"	
3.	श्री नारायणलाल	"	
4.	श्री नरेन्द्रकुमार	"	
5.	श्री हरिशंकर	"	
6.	श्री राधेश्याम प्रथम	"	
7.	श्री राधेश्याम द्वितीय	"	
8.	श्री घनश्यामदास	"	
9.	श्री मदनलाल	"	
10.	श्री गोपालदेव	"	
11.	श्री रामेश्वर	"	
12.	श्री रामावतार	"	
13.	श्री रामलाल	"	
14.	श्री महादेव प्रसाद	"	
15.	श्री नागेन्द्र मोहन	"	
16.	श्री रामकिशोर चतुर्वेदी	"	
17.	श्री दामोदर	रसोइया	
18.	श्री गजानन्द पारीक	"	
19.	श्री पुरुषोतम	"	
20.	श्री सत्यनारायण	भण्डारी	
21.	श्री बाबूलाल	रसोइया	

1	2	3	4
22.	श्री रामचरण	रसोइया	
13.	श्री ओमप्रकाश	,,	
24.	श्री मोहनलाल	,,	
25.	श्री सीताराम	,,	
26.	श्री श्यामसुन्दर	,,	
27.	श्री मधुसूदन	जल सेवक	
28.	श्री भगवान सहाय	रसोइया	

ह.

सहायक आयुक्त (देवस्थान)
जयपुर खण्ड जयपुर

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 978 की सूचना

परिशिष्ट "अ"

राष्ट्रीयकृत मार्ग एवं उन पर चलाई जा रही बस सेवाओं की सूची :—

क्र. सं.	मार्ग का नाम	दैनिक परिचक्र	दैनिक वाहन आवश्यकता
1	2	3	4
1.	जयपुर-अजमेर वाया दूदू-किशनगढ़	60	32
2.	जयपुर-अलवर वाया शाहपुरा	26	15
3.	जयपुर-भरतपुर वाया दौसा महुआ	12	8
4.	अजमेर-कोटा वाया नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली बून्दी	40	32
5.	आबूरोड़ देलवाड़ा वाया माउन्टआबू	38	17
6.	आबूरोड़-पालड़ी-अनादरा	10	2
7.	जयपुर-टोंक-देवली कोटा	52	50
8.	अलवर-दिल्ली	10	6
9.	जोधपुर-बिलाड़ा-ब्यावर-अजमेर	42	35
10.	जोधपुर-सुमेरपुर	16	9
11.	जोधपुर-पाली-सोजत-वर ब्यावर	20	18
12.	कोटा-झालावाड़-इलेरा	16	9
13.	रायसिंहनगर-पदमपुर–	26	
	गंगानगर-पदमपुर-गंगानगर	4	
	गंगानगर-पदमपुर/गंगानगर-हनुमानगढ़	50	42

1	2	3	4
14.	जयपुर-सैंथल वाया दौसा	4	2
15.	जयपुर-लवाण वाया बस्सी	6	2
16.	अलवर-नारायणपुर वाया कुशलगढ़	6	3
17.	अलवर-प्रतापगढ़ वाया थानागाजी	6	3
18.	जयपुर-बस्सी-तूंगा	6	2
19.	दौसा-अलवर वाया बोरूदा-टहला-सिरसका	4	3
20.	कोटा-इकलेरा वाया दरा सांगोत-खानपुर-अरनिया	6	6
21.	कोटा-झालरापाटन, पिड़ावा	2	1
22.	कोटा-सांगोत वाया दरा, खानवास	4	2
23.	कोटा बकानी वाया दरा, झालावाड़, तीनधार	6	5
24.	खानपुर-झालावाड़ रोड़	4	2
25.	झालावाड़-दुधालिया वाया डग	6	4
26.	झालावाड़-मनोहरथाना वाया पाटन इकलेरा	6	5
27.	झालावाड़-पिड़ावा वाया सोजत	10	5
28.	बांरा-पाटन वाया झालावाड़	6	4
29.	झालावाड़-झालावाड़ रोड़	10	2
30.	भवानीमण्डी-इकलेरा वाया पाटन	2	1
31.	रामगंजमण्डी-सारोला वाया झालावाड़	6	3
32.	रामगंजमण्डी-सन्दरा	1	1
33	रामगंजमण्डी-बकानी वाया तीनधार	6	3
34.	पचपहाड-झालावाड़ वाया पाटन	2	2
35.	पचपहाड़-इकलेरा वाया पाटन	2	2

1	2	3	4
36.	दहीखेडा-इकलेरा वाया अरनिया	8	4
37.	बीकानेर-जैसलमेर वाया बाप, फलोदी, रामदेवरा पोकरण, लाठी	2	3
	बीकानेर-कोलायत वाया नाल	6	3
	बीकानेर-पोकरण	4	4
	बीकानेर-फलोदी	4	3
	बीकानेर-कादम-देसर	4	1
	बीकानेर-गजनेर	4	1
38.	बीकानेर-चुरू वाया डूंगरगढ़, रतनगढ़	8	6
39.	रतनगढ़-रावतसर वाया सरदारशहर	14	18
	सरदारशहर-रावतसर	8	6
40.	गंगानगर-बीकानेर वाया सूरतगढ़, महाजन, लूणकरणसर	10	12
	बीकानेर-सूरतगढ़	10	12
	गंगानगर-सूरतगढ़	42	15
	गंगानगर-जोडकिया	30	4
	लूणकरणसर-सूरतगढ़	4	3
41.	उदयपुर-टीडी-प्रसाद-रिखबदेव	6	2
	उदयपुर-प्रसाद-खेरवाड़ा-डूंगरपुर	22	11
	उदयपुर-खेरवाड़ा-डूंगरपुर-रतनपुर	14	8
	डूंगरपुर-रतनपुर	16	4
42.	पिलानी-भादरा वाया रतनगढ़, तारानगर	2	2
	राजगढ़-साहवा वाया तारानगर	8	4
	राजगढ़-पिलानी वाया हरपालू	20	6
	तारानगर-भादरा वाया साहवा	6	3

1	2	3	4
	साहवा-भादरा	4	2
	तारानगर-राजगढ़	12	3
43.	टोंक-सवाई माधोपुर वाया खटकड उनियारा, अलीगढ	24	8
	टोंक-अलीगढ़ वाया खटकड	6	2
44.	रावतसर-भादरा वाया नोहर	8	4
	रावतसर-नोहर	22	8
	नोहर-भादरा	12	14
45.	जोधपुर-बाड़मेर वाया कल्याणपुर	16	12
	जोधपुर-बालोतरा वाया कल्याणपुर	8	4
	जोधपुर-कल्याणपुर	2	1
	बालोतरा-बाडमेर वाया सीन्दरी	2	1
	जोधपुर-जैसलमेर वाया डेचू, पोकरण	2	2
	जोधपुर-रामदेवरा वाया डेचू, पोकरण	6	5
	जैसलमेर-पोकरण वाया लाठी	6	4
	जोधपुर-फलोदी-वाया डेचू	6	4
	जोधपुर-जालोर-वाया रोहित	6	4
	आहोर-जालोर	30	3
46.	उदयपुर-ब्यावर वाया नाथद्वारा, कांकरोली, देवगढ़, कामलीघाट भीम	8	18
	उदयपुर-भीम	8	8
	उदयपुर-कांकरोली	12	5
	उदयपुर-नाथद्वारा	8	3
	उदयपुर-कामली घाट	4	3
	उदयपुर-भीलवाड़ा वाया कांकरोली, गंगापुर	26	20

1	2	3	4
	भीलवाड़ा-गंगापुर	12	4
	भीलवाड़ा-पुर	32	2
	भीलवाड़ा-गुड़ला	4	1
	भीलवाड़ा-कांकरोली	12	2
	गंगापुर-कांकरोली	8	2
	उदयपुर-कैलाशपुरी	2	1
	उदयपुर-गोमती	6	1
	नाथद्वारा-गोमती	16	6
	गोमती-भीम	2	1
	देवगढ़-भीम	10	2
	भीम-ब्यावर	14	4
	ब्यावर-एनवा	40	3
47.	राजगढ़-चुरू वाया दूधवा	4	2
48.	जयपुर-ब्यावर वाया सांगानेर, डिग्गी-मालपुरा, केकड़ी-मसूदा	8	10
	जयपुर-सांगानेर	12	8
	जयपुर-केकड़ी	10	7
	जयपुर-रेनवाल	4	1
	जयपुर-फागी	8	2
	जयपुर-नीमेड़ा	2	1
	डिग्गी-मालपुरा	20	2
	मालपुरा-केकड़ी	14	1
	केकड़ी-नागोला	12	2
	जयपुर-मालपुरा	14	7

1	2	3	4
	मैसूदा-ब्यावर	4	1
	केकड़ी-ब्यावर	10	5
49.	बीकानेर-अनूपगढ़ वाया रतनगढ़-घड़साना	8	8
	बीकानेर-रतनगढ़	2	1
	घड़साना-अनूपगढ़	4	1
50.	जोधपुर-फलौदी वाया मण्डोर-ओसियां, लौहावट	6	3
	जोधपुर-ओसियां वाया मण्डोर	6	2
	जोधपुर-लोहावट वाया मण्डोर	2	3
51.	नागौर-फलौदी वाया चिगनी	6	3
52,	बाड़मेर-जैसलमेर वाया शिव, देवीकोट	4	2
	बाड़मेर-गौंगूदा वाया शिव	2	1
	बाड़मेर-चौहटन	12	3
	बाड़मेर-गडरारोड़	2	1
53.	नाकोड़ा-जालौर वाया बालोतरा-शिवाना	2	—
	नाकोड़ा-शिवाना वाया बालोतरा	2	—
	नाकोड़ा-भोकलसर	4	—
	जालौर-बैलीवाड़ा	2	1
	जालौर-किशनगढ़	8	1
54.	सिरोही-अनादरा-मण्डार	4	2
	सिरोही-अनादरा-रेवदर	6	2
	सिरोही-कालीन्दरा-रामसीन	12	2
	सिरोही-रोड-सिरोही-रामसीन	2	1
	सिरोही-अलट	8	6
	सिरोही-कालीदरा	4	1

1	2	3	4
	फालना-साण्डेराव-तख्तगढ़, जालोर	12	3
	फालना-साण्डेराव	14	1
	फालना-तख्तगढ़	14	2
	ऐरनपुरा-सुमेरपुर-तख्तगढ़-जालोर	18	6
	जोधपुर-नागौर	12	6
	नागौर-नोखा	2	1
	नाकोड़ा-बीकानेर	40	10
	जोधपुर-नाकोड़ा	4	2
	ऐरनपुरा-तख्तगढ़	8	2
	जोधपुर-बीकानेर	12	10
	जोधपुर-कालोन्दरीस	2	1
55.	मण्डार-बाड़मेर	4	3
	रानीवाड़ा-बाड़मेर	8	6
	मण्डार-जालोर	4	2
	सांचोर-बाड़मेर	2	1
	सांचोर-गार्धव	12	2
	बाड़मेर-धोरीमल	4	1
	जालोर-सांचोर	12	6
	जालोर-भीनमाल	2	1
	बाड़मेर-जालोर	4	3
56.	जयपुर-पिलानी वाया चौमू, सीकर, नवलगढ़, झुन्झुनू, चिड़ावा	36	20
	चिड़ावा-खेतड़ी वाया सिंघाना	42	5
	झुन्झुनू-चिड़ावा-खेतड़ी	34	12
	पिलानी-खेतड़ी वाया चिड़ावा	4	1
	झुन्झुनू-सीकर वाया नवलगढ़	12	4

1	2	3	4
	झुन्झुनू-पिलानी वाया चिड़ावा	14	4
	जयपुर-चौमू	34	6
	जयपुर-रींगस	0	5
	जयपुर-सीकर	38	10
	नवलगढ़-झुन्झुनू	8	2
	नवलगढ़-मुकन्दगढ़	22	2
	मुकन्दगढ़-झुन्झुनू	4	1
	मुकन्दगढ़-पिलानी	2	1
57.	जयपुर-पद्मपुरा वाया शिवदासपुरा	6	2
58.	जयपुर-वाटिका वाया सांगानेर	4	—
59.	जयपुर-नामीर	6	1
60.	जयपुर खोटखावदा वाया सांगानेर	2	1
61.	जयपुर बिचून वाया महला	4	—
62.	जयपुर-सांभर वाया दूदू	6	3
63.	जयपुर-सांगानेर वाया महला	8	1
64.	जयपुर-प्रतापगढ़ वाया अचरोल	4	—
65.	जयपुर-आमेर	80	—
66.	जयपुर-बीकानेर वाया चौमू, सीकर, सालासर, नोखा	12	1
	बीकानेर-सालासर वाया नोखा	16	10
	सुजानगढ़-छापर वाया-बीदासर	8	1
	सुजानगढ़-छापर	8	1
	सालासर-सीकर	16	4
67.	जयपुर-बीकानेर वाया सीकर, रतनगढ़, डूंगरगढ़	8	8
	जयपुर-फतेहपुर, वाया चौमू, सीकर	2	2

1	2	3	4
	सीकर-फतेहपुर	30	6
	सीकर-रतनगढ़	18	8
	बीकानेर-डूंगरगढ़	10	3
	बीकानेर-रतनगढ़	28	15
68.	भरतपुर-वल्भगढ़ वाया मुसा	6	4
69.	भरतपुर-नन्दबई वाया सेवर	6	2
70.	बून्दी-केशोरायपाटन वाया तालेड़ा	12	2
	तालेड़ा केशोरायपाटन	8	1
71.	अलवर तिराया नगर डीग भरतपुर	20	10
	अलवर तिराया जालूकी गोविन्दगढ़	8	2
	अलवर डीग नगर	10	4
	अलवर तिराया जालूकी लक्ष्मणगढ़	8	2
	नगर डीग भरतपुर	24	8
	अलवर तिराया लक्ष्मणगढ़ खेड़ली	10	5
	भरतपुर डीग कामां पगड़ी	24	7
	किशनगढ़ परबतसर	20	4
72.	शाहपुरा-शाहजहांपुर वाया कोटपुतली-बहरोड़	2	1
	शाहपुरा-कोटपुतली	8	2
	शाहपुरा-बहरोड़ वाया पावट	18	5
	कोटपुतली-बहरोड़ वाया पावट	—	6
	कोटपुतली-बहरोड़	22	—
	बहरोड़-शाहापुर	10	2
73.	शाहपुरा-खेतड़ी वाया अजीतगढ़, कावट-नीम का थाना	12	7
	कावट नीम का थाना	4	2

1	2	3	4
	शाहपुरा कांवट वाया अजीतगढ़	10	2
	नीम का थाना खेतड़ी वाया बम्बई	36	7
	शाहपुरा नीम का थाना	36	2
74.	डूंगरपुर गलियाकोट वाया सागवाड़ा	18	5
	डूंगरपुर बांसवाडा	18	20
	बांसवाडा गलियाकोट वाया गढ़ी	16	5
	सागवाडा बांसवाडा वाया गढ़ी	4	1
75.	उदयपुर करालना वाया नाथद्वारा, चारभुजा, देसूरी, सादड़ी	20	20
	नाथद्वारा करालना वाया गोमती, देसूरी	6	4
	कांकरोली, चारभुजा	2	1
	देसूर-फालना वाया सादड़ी	14	5
	उदयपुर पालना वाया गांगून्दा, रणकपुर	10	8
	उदयपुर-ईसवाल	20	2
	उदयपुर-गोगुन्दा	8	2
	उदयपुर-सायरा	6	2
	सादड़ी-फालना	24	3
	रणकपुर फालना वाया सादड़ी	2	1
76.	बालोतरा सिवाना वाया आसोतरा	6	1
77.	जयपुर कैलादेवी वाया महुवा, हिन्डौन	4	4
	महुवा करौली वाया हिन्डौन	28	10
	महुआ कैलादेवी वाया हिन्डौन करौली	14	7
	हिन्डौन करौली	20	—
	जयपुर बयाना वाया महुवा, छोकरवाडा, मुसावर, वैर	2	4
	महुवा बयाना वाया छोकरवाडा	4	2

1	2	3	4
	बयाना भुसावर वाया वैर	16	4
	ब्यावर नसीराबाद वाया मांगलियावास	10	4
78.	टोंक डिग्गी वाया सोयला, फराना	20	8
79.	भीलवाड़ा बून्दी वाया दीगोद, लाड़पुरा	20	10
	भीलवाड़ा, बिजौलिया वाया बिगोदलाडपुरा	20	10
	भीलवाडा-मांडलगढ़	16	6
	मांडलगढ़-बून्दी	10	3
	भीलवाडा, कोटडी वाया सिवाना	12	3
80.	बून्दी इन्द्रगढ़ वाया खटकड़े, गैनाली	8	3
	बून्दी, लाखेरी वाया खटकडे, गैनाली	8	3
	बून्दी, नैनवा वाया खटकडे, लुहारपुरा	16	6
81.	रींगस, झुन्झुनू वाया श्री माधोपुर खण्डेला, उदयपुरवाटी	10	8
	रींगस, उदयपुरवाटी वाया खण्डेला	16	6
	उदयपुर-झुन्झुनू	4	1
	बड़ागांव-झुन्झुनू	4	1
	रींगस खेतड़ी वाया मेहरोली, कांवट	10	7
	रींगस-नीम का थाना	4	2
82.	अजमेर, उदयपुर वाया वान्दनवाड़ा, भीलवाडा, चित्तौडगढ़, माडलगढ़	6	7
	अजमेर, विजयनगर वाया वान्दनवाडा	6	2
	अजमेर, भिनाय वाया वान्दनवाडा	10	5
	विजयनगर-भीलवाड़ा	4	2
	भीलवाड़ा, उदयपुर वाया चित्तौडगढ़, मंगलवाड़	16	16
	अजमेर भीलवाड़ा वाया वान्दनवाड़ा	20	14

1	2	3	4
	भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ वाया गंगरार	24	9
	मंगलवाड-उदयपुर	8	4
	चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाया मंगलवाड़	4	2
	भीलवाड़ा, शाहपुरा चौराहा	32	3
83.	थानागाजी, दौसा वाया प्रतापगढ़	4	2
84.	जयपुर, जमवारामगढ़ वाया दौसा	26	8
	जयपुर-बौरून्दा	8	2
	जयपुर-आंधी	10	2
85.	उदयपुर-बून्दी वाया मावली कपासन, चित्तौड़गढ़, माडलगढ़, बिजौलिया	8	9
	उदयपुर-चित्तौडगढ़ वाया मावली	10	5
	चित्तौडगढ़-बून्दी वाया मांडलगढ़	14	10
	चित्तौडगढ़-कपासन	12	4
	भोपालसागर-मावली	10	2
	कपासन-उदयपुर	2	1
	फतेहनगर-भोपालसागर	12	2
	उदयपुर-सनवाड	8	3
	उदयपुर-राशमी वाया मावली	6	2
	चित्तौडगढ़-नाथद्वारा वाया कपासन	16	8
	चित्तौडगढ़-राशमी वाया कपासन	10	3
	मावली-नाथद्वारा	12	2
	भोपालसागर-नाथद्वारा	2	1
	फतेहनगर-नाथद्वारा	6	1
	चित्तौडगढ़-बल्लभनगर	22	1

1	2	3	4
86.	कोटा-कस्वाथाना वाया बारां	14	14
	कोटा-अन्ता	14	5
	कोटा-बारां	14	7
	बारां-शाहबाद	6	—
	बारां-नाहरगढ़	8	2
	शाहबाद-कस्बाथाना	4	1
87.	पदमपुर-गजसिंहपुर	16	2
	पदमपुर-करणपुर	20	4
	रायसिंहनगर-अनुपगढ़	20	5
	हनुमानगढ़-सूरतगढ़	28	8
	सीसीहैड-लखुवाली	8	5
	जोडकिया-पीलीबंगा	12	2
	सीसीहैड-पकासारना	16	5
88.	उदयपुर-कुशलगढ़ वाया सलूम्बर	2	2
	बांसवाड़ा-कालीजरा		
	उदयपुर, सलुम्बर वाया जयसमन्द	10	5
	उदयपुर, बांसवाड़ा वाय ।जयसमन्द	10	5
	सलूम्बर-ग्रासपुर	8	2
	उदयपुर-अमरापुरा	10	3
	सलूम्बर, बांसवाडा वाया आसपुर	4	2
	बांसवाड़ा, कुशलगढ़ वाया सज्जनगढ़	16	6
	आसपुर-बांसवाड़ा	2	1
	बांसवाड़ा-भीलकुंआ	10	2
	बांसवाड़ा कुशलगढ़ वाया आन्देश्वर	6	2

1	2	3	4
89.	सरदारशहर, झुन्झुनू वाया चुरू, बिसाऊ	8	6
	सरदारशहर, चुरू वाया झालरी	4	2
	झालरी-चुरू	14	3
	चुरू, झुन्झुनू वाया बिसाऊ	14	4
90.	रतनगढ़, डीड़वाना वायां छापर, लाडनू	4	2
	रतनगढ़, सुजानगढ़ वाया छापर	40	12
	सुजानगढ़, लाड़नू वाया जसवन्तगढ़	50	5
	लाडनू डीडवाना वाया समता	30	5
	छापर-लाड़नू	16	3
91.	सरदारशहर, तारानगर वाया झालरी	18	4
	सरदारशहर-झालेरी	2	1
	झालेरी-तारानगर	14	3
92.	डूंगरगढ़, सरदारशहर वाया मुमासर	18	9
93.	बालोतरा, बाड़मेर वाया बायतू	8	4
94.	नाथद्वारा, कैलवाड़ा, वाया चारभुजा, कागोद, माजेरा	8	3
95.	सिरोही, जालौर वाया सियाना	8	3
96.	खेड़ली, हिण्डौन वाया पालूद, छोकरवाडा, मुसावर, बल्लभगढ़	12	4
97.	फलौदी, पाटा, शेरगढ़ वाया खिरजू, टीना	4	1
98.	नीमकाथाना, कोटपुतली वाया रपोटन, नरेडा	36	9
	सीकर, नीम का थाना वाया पीपरोली रघुनाथगढ़	10	4
99.	अजमेर, मकराना वाया लीहागल अरडका, परबतसर, नावां	8	4
	अजमेर, नागौर वाया मेरून्दा, मेडता	6	4
100.	जयपुर, नागौर वाया महला, जोबनेर, सांभर, नावां, कुचामनसीटी डीडवाना	2	2

1	2	3	4
101.	जयपुर, नागौर वाया महला, मोखमपुरा, बिचून, सांभर, नावा, डीडवाना	2	2
	जयपुर डीडवाना वाया महला, जोबनेर	2	2
	नावा, नागौर वाया कुचामनसिटी	2	2
	नावां, डीडवाना वाया कुचामनसिटी	12	6
	नागौर, सीकर वाया डीडवाना, लोसल	10	10
	डीडवाना सीकर वाया लोसल, खुर्द	6	3
102.	जयपुर, डीग वाया रामगढ़, सैंथल	6	5
	डीग-बहाज	10	1
	भरतपुर, खेड़ली वाया कुम्हेर	10	3
	पहाड़ी, नन्दबई वाया नगर	8	2
103.	पहाडी कटूम्बर वाया सीकराय,	34	8
104.	चुरू, फतेहपुर वाया रामगढ़, देवास	36	8
105.	जोधपुर, पीपाड़सिटी वाया दातांवारा	10	4
	बिलाडा, मेड़तासिटी वाया खोजरोल, मरून्दा	6	3
	बिलाड़ा, पीपाड़सिटी वाया खेजरोली	1	1
105.	अलवर, तिजारा भिवाडी वाया किशनगढ़ पीलड़िया, ततारपुर	22	10
	अलवर, जयपुर वाया मालाखेड़ा, राजगढ़	23	12
	अलवर, बहरोड़ वाया जिन्दोली, ततारपुर	16	5
	अलवर, रैनवास, वाया मालाखेड़ा, राजगढ़	10	6
	अलवर-प्रतापगढ़ वाया मालाखेड़ा	6	2
	राजगढ-लक्ष्मणगढ़ वाया मालाखेड़ा	14	6
107.	खैरथल-कोटकासिम वाया किशनगढ़वास	6	2

1	2	3	4
	किशनगढ़, बास-कोटकासिम वाया बीबीरानी	12	2
	कोटकासिम-भिवाड़ी (राज० बोर्डर)	10	2
	तिजारा-नीमला (राज. बोर्डर)	14	6
	खैरथल, सोड़ावास वाया हरसौली	24	16
	खैरथल-बानसूर ततारपुर, हमीरगढ़	14	10
	बानसूर-रामपुर, ईस्माइलपुर	6	2
	खैरथल-इस्माईलपुर	4	2
108.	अलवर-खैरथल वाया चिकानी	8	2
	कोटपुतली-अलवर वाया बानसूर	20	6
	बानसूर, डाबला वाया कोटपुतली	12	3
109.	डग-पिडावा वाया बन्धपुर	6	2
	डग-चौमेला	32	4
	भवानी मंडी-पिड़ावा	14	4
110.	इकलेरा-सालपुरोछीपा बड़ौदा वाया द	8	2
	इकलेरा-मनोहरथाना वाया अरनीदा	8	2
111.	सिन्धरीं, गाबंव वाया गुढ़ा,	4	2
	सोजत-बिलाडा	8	2
	जैतारण-मेड़ता	12	3
112.	अनूपगढ़-सूरतगढ़ वाया जैतसर	26	10
113.	बांरा-अटरू	12	3
	बांरा-खातोली वाया मांगरोल	10	4
114.	बीकानेर-सैंथल वाया नापासर	18	4
	बीकानेर-नापासर	12	3
	बीकानेर-खाजूवाला वाया पूगल	4	2

1	2	3	4
115.	डूंगरपुर-आसपुर वाया गणेशपुर	20	4
	डूंगरपुर-आसपुर वाया बनकोडा	16	4
	डूंगरपुर-निठवा	10	4
	आसपुर-सांगवाड़ा वाया कुंजपुर	6	1
116.	चौमू-वन्दवाज	4	1
117.	कोटा-कोटाडेम	8	1
	कोटा वाया बिगोद	6	2
	कोटा-कोटराव्दीपसिंह	6	2
118.	गंगानगर-करणपुर वाया जैडमाईनर	30	6
	गंगानगर-करणपुर वाया मिजावाली	30	7
	गंगानगर-केसरीसिंहपुर	16	3
119.	जयपुर-नायला वाया कानोता	12	2
120.	कोटा-रंगपुर वाया कोटा रेलवेस्टेशन	14	2
121.	कोटा-रावतभाटा वाया शिवपुरी	10	5
	कोटा-खातोली वाया सुल्तानपुर	10	4
	कोटा-इटावा वाया सुल्तानपुर		
122.	पलसूण्ड-पोकरण	4	2
	पलसूण्ड-शिव	2	1
123.	कोटपुतली-रायपुर	14	—
	कोटपुतली-नारायणपुर	16	6
	शाहपुरा-नारायणपुर	8	—
124.	बहरोड़-शाहजहांपुर	20	—
	बहरोड़-गूगलकोटा	10	4
	शाहजहांपुर-राज० सीमा	6	

1	2	3	4
	बहरोड़-बानसूर	12	—
	बहरोड़-मोडना राज० सीमा	24	6
	बहरोड़-भगवाड़ी	12	—
125.	उययपुर-कोटडा वाया नाई, उन्दरी, भाडोल, बिछीवाडा फलासिया-सोल	8	4
126.	अजमेर-डिग्गी वाया मालपुरा	20	5
	किशनगढ़-मालपुरा	4	2
	मालपुरा-टोडारायसिंह	18	3

परिशिष्ट (ब)

राष्ट्रीयकृत मार्ग एवं उन पर चलाई जा रही अनुबन्धित बसों की सूची

क्र.सं.		वाहन संख्या	मार्ग का नाम
1		2	3
1.	आर.एस.बी.	5129	दौसा-घाटगेट
2.	,,	1438	जयपुर-केकड़ी
3.	,,	5084	घाटगेट-बालाजी
4.	,,	5082	,,
5.	आर.आर.जी.	5367	दौसा-घाटगेट
6.	,,	8074	महुवा-बालाजी-जयपुर
7.	आर.एस.बी.	5078	घाटगेट-महुआ
8.	आर.एस.बी.	2469	पदमपुरा
9.	आर.आर.जी.	354	सिकराय-घाटगेट
10.	आर.आर.जी.	2132	जयपुर-टोडाभीम
11.	आर.आर.बी.	9154	घाटगेट-महुआ
12.	आर.आर.बी.	7845	दौसा-घाटगेट
13.	आर.एस.बी.	5076	,,
14.	आर.एन बी.	3874	जयपुर-बालाजी
15.	,,	3880	जयपुर-लवाण
16.	आर एस डी	3673	जयपुर-बयाना
17.	,,	3692	,,

1		2	3
18.	आर.आर.जी	5172	जयपुर-बयाना
19.	,,	2348	जयपुर-भाण्डारेज-राजगढ़
20.	आर.एन.बी	191	जयतुर-दौसा
21.	आर.एस.जी	2511	लालनिवास-पदमपुरा
22.	आर.एन.बी.	5376	जयपुर-सिकराय-तूंगा लवाण
23.	,,	3853	जयपुर-बालाजी-बान्दीकुई
24.	आर.एन.डी.	5034	जयपुर-महुआ-लवाण
25.	,,	5036	जयपुर-महुआ
26.	,,	5032	,,
27.	,,	5035	,,
28.	आर.आर.बी.	9611	जयपुर-नगर
29.	आर.एन.डी.	6366	,,
30.	आर.एस.बी	4299	जयपुर-कोटा
31.	,,	7620	जयपुर-तारानगर
32.	आर.आर.बी.	6078	जयपुर-बीकानेर वाया रतनगढ़
33.	,,	8844	जयपुर-उदयपुर
34.	आर.आर.बी.	3927	जयपुर-अजमेर
35.	,,	7569	,,
36.	आर.एन.बी.	5169	जयपुर-बीकानेर-वाया रतनगढ़
37.	आर.एस.बी.	5255	,,
38.	आर.जे.यू.	2838	जयपुर-पिलानी
39.	आर.एन.बी.	6268	जयपुर-उदयपुर
40.	,,	7329	जयपुर-तारानगर

1		2	3
41.	आर.एन.बी.	4217	जयपुर-अजमेर
42.	,,	4232	,,
43.	आर.एन.डी.	5461	जयपुर-बीकानेर वाया रतनगढ़
44.	आर.एस.बी.	1585	जयपुर-पाली
45.	,,	1596	,,
46.	आर.एन.ई.	1527	जयपुर-कोटा
47.	आर.एस.बी	2110	जयपुर-अजमेर
48.	आर.आर.एस.	8661	जयपुर-केकड़ी
49.	,,	8652	जयपुर-अलवर
50.	आर.एस.बी.	2036	जयपुर-मकराना
51.	आर.आर.एल.	1924	जयपुर-केकड़ी
52.	आर.एस.बी.	9251	जयपुर-ब्यावर
53.	,,	2106	जयपुर-पाली
54.	आर.एन.बी.	5855	जयपुर-मकराना
55.	,,	6099	जयपुर-अजमेर-बेगू
56.	आर.एस.बी.	1374	जयपुर-पाली
57.	आर.एन.बी.	4548	जयपुर-मण्डावा
58.	,,	7959	जयपुर-अजमेर
59.	,,	3844	,,
60.	,,	4449	जयपुर-केकड़ी
61.	,,	3751	जयपुर-बीकानेर वाया सालासर
62.	,,	6951	जयपुर-लाडनूं
63.	,,	5940	जयपुर-अजमेर

1		2	3
64.	आर. एन. बी.	5445	जयपुर-अजमेर
65.	आर.आर.एल.	8625	जयपुर-टोडा
66.	आर.जे.पी.	4629	जयपुर-केकड़ी–मालपुर
67.	,,	4327	जयपुर-चुरू
68.	आर.एन.बी.	7095	जयपुर-केकड़ी-मालपुरा
69.	आर.जे.एफ.	9507	जयपुर-अलवर-मुबारकपुर
70.	आर.एन.बी.	1921	अलवर-जयपुर
71.	आर.एस.ए.	3789	,,
72.	,,	3939	अलवर-भरतपुर
73.	,,	3977	अलवर-जयपुर-तिजारा
74.	आर.एन.बी.	4832	अलवर-जयपुर-वाया राजगढ़
75.	आर.एस.ए.	4837	अलवर-जयपुर-मुबारकपुर
76.	,,	5354	अलवर-जयपुर-भिवाड़ी
77.	,,	5862	अलवर-जयपुर
78.	आर.एन.डी.	6714	अलवर-कोटा
79.	आर.एन.बी.	7587	,,
80.	आर.एस.बी.	4427	भरतपुर-नदवई
81.	आर.एस.डी.	3338	भरतपुर-जयपुर
82.	आर.एस.डी.	3555	,,
83.	,,	3895	भरतपुर-अलवर
84.	आर.एन.बी.	5183	भरतपुर-जयपुर
85.	आर.एस.डी.	3627	,,
86.	आर. आर. बी.	4447	भरतपुर-कुरेरा-जयपुर

1	2		3
87.	आर. आर. बी.	5477	भरतपुर-अलवर
88.	आर. एन. बी.	368	कोटपुतली-बहरोड-अमरसर
89.	आर. एस. जी.	5277	जयपुर-कोटपुतली
90.	आर. आर. जी.	9842	जयपुर-कोटपुतली-मंड
91.	आर. एन. बी.	6115	कोटपुतली-अमरसर-जयपुर
92.	आर. एस. ओ.	1956	कोटपुतली-नारायणपुर
93.	आर. एस. बी.	1956	डीडवाना-सीकर
94.	आर. एन. बी.	1655	सीकर-अजमेर
95.	आर. जे. बी.	4181	सीकर-चुरू-जयपुर
96.	आर. एन. बी.	8885	सीकर-पिलानी-जयपुर
97.	,,	1051	,,
98.	आर. एस. बी.	3985	सीकर-चुरू-जयपुर
99.	आर. जे. एक्स	2557	,,
100.	आर. एस. डी.	3081	,,
101.	आर. जे. बी.	3946	सीकर-जयपुर-चुरू
102.	आर. जे. पी.	3903	झुंझुनू-जयपुर
103.	,,	3918	,,
104.	आर. एन. बी.	5011	झुंझुनू-राजगढ़
105.	आर. एस. बी.	2755	खेतड़ी-चिड़ावा
106.	आर. एन. बी.	6289	खेतड़ी-जयपुर-राजगढ़
107.	,,	6050	खेतड़ी-जयपुर-शाहपुरा
108.	आर. आर. एम.	9167	खेतड़ी-जयपुर-नीम का थाना
109.	आर. एस. बी.	1817	बीकानेर-राजगढ़
110.	,,	1426	बीकानेर-जयपुर
111.	आर. एस. एफ.	2698	बीकानेर-लाडनू
112.	आर. एन. बी.	5166	जयपुर-बीकानेर-वाया-सालासर
113.	आर. एन. बी.	6456	,,

1	2		3
114.	आर. एन. बी.	914	जयपुर-बीकानेर-वाया-सालास र
115.	आर. एन. बी.	2997	सरदारशहर-जयपुर
116.	आर. एन. डी.	351	बून्दी-कोटा-उदयपुर
117.	आर. एन. बी.	2547	कोटा-जयपुर
118.	आर. जे. जी.	3725	टोंक-जयपुर-कोटा
119.	आर. एन. बी.	2335	,,
120.	आर. एस. बी.	5484	,,
121.	आर.जे.एक्स	2528	,,
122.	आर.एन.डी.	7125	,,
123.	आर.एस.ओ.	3005	,,
124.	आर.जे.एक्स	2197	कोटा-टोंक-जयपुर
125.	आर.एन.ई.	5003	टोंक-जयपुर-रामगंजमण्डी
126.	आर.एन.बी.	2841	पाटन-जयपुर
127.	आर.एस.बी.	1437	जोधपुर-जयपुर
128.	आर.आर.जी.	6821	,,
129.	आर.आर.एन.	4135	,,
130.	आर.आर.एन.	5925	जोधपुर-अजमेर-ब्यावर
131.	,,	6317	जोधपुर-पाली
132.	आर.एन.बी.	6212	जोधपुर-रामदेवरा
133.	,,	7900	जोधपुर-मेड़ता
134.	आर.जे.आई.	9174	जोधपुर-जैतारान
135.	आर.आर.एम.	6551	जोधपुर-कोटा
136.	आर.एस.बी.	4437	जोधपुर-गंगानगर
137.	आर.एन.बी.	6125	जोधपुर-तख्तगढ़
138.	,,	4833	जोधपुर-बीकानेर
139.	,,	4669	जोधपुर-गंगानगर
140.	आर.आर.एन.	5721	जोधपुर-नाकोडाजी

1	2	3
141.	आर.एस.एन. 9484	जोधपुर-नाकोडाजी
142.	आर.जे.डब्लू 3211	अजमेर-बाड़मेर
143.	आर.एन.बी. 6472	बाड़मेर-जयपुर
144.	,, 117	,,
145.	आर.एस.बी. 3103	आबूरोड-जयपुर
146.	आर.एन.बी. 9327	,,
147.	,, 6384	जालौर-जयपुर
148.	आरएसबी. 945	जालौर-जयपुर
149.	आर.एन.ई. 2771	,,
150.	आर.एन.बी. 5525	जालौर-जयपुर
151.	,, 6721	फलौदी-जयपुर
152.	,, 6731	,,
153.	,, 4887	फालना-जयपुर
154.	,, 5687	,,
155.	, 7875	रणकपुर-जयपुर
156.	आर.आर.वाई. 3531	उदयपुर-जयपुर
157.	आर.एन.बी. 3242	,,
158.	आर.एस.बी. 3768	,,
159.	आर.एन.बी. 6582	,,
160.	,, 4878	,,
161.	आर.एन.डी. 63	,,
162.	,, 3702	,,
163.	आर,एन.बी. 4796	,,
164.	,, 5247	जयपुर-बांसवाड़ा
165.	आर.आर.जेड. 289	,,
166.	आर.आर.वाई. 3532	बांसवाड़ा-उदयपुर

1	2		3
167.	आर.एन.डी.	5648	बांसवाड़ा-अजमेर
168.	आर.एन.बी.	5415	बांसवाड़ा-जयपुर
169.	आर.ए.नई.	4881	बांसवाड़ा-अजमेर
170.	,,	4788	बांसवाड़ा-जयपुर
171.	आर.एस.बी.	1217	चित्तौड़-जयपुर
172.	,,	4151	,,
173.	,,	5493	,,
174.	,,	7446	,,
175.	आर.आर.जेड.	311	डूंगरपुर-जयपुर
176.	आर.आर.वाई.	4591	,,
177.	आर.एस.जेड.	5165	अजमेर-कोटा
178.	आर.आर.जेड.	1051	अजमेर-महावीर जी
179.	,,	1344	,,
180.	आर.एस.जेड.	2151	ब्यावर-नसीराबाद
181.	,,	171	नसीराबाद-ब्यावर
182.	,,	9156	,,
183.	,,	9624	ब्यावर-रामदेवरा
184.	,,	9714	ब्यावर-पाली
185.	आर.आर.जेड.	183	ब्यावर-पाली-बीकानेर
186.	आर.एन.बी.	2791	ब्यावर-रामदेवरा
187.	आर.आर.जेड.	287	भीलवाड़ा-जयपुर
188.	आर.आर.वाई.	3215	भीलवाड़ा-उदयपुर
189.	आर.एस.डी.	4172	भीलवाड़ा-जयपुर
190.	आर.आर.वाई.	4653	भीलवाड़ा-उदयपुर वाया-कुरज
191.	आर.जे.ई.	7619	,,
192.	आर.एन.डी.	1955	हिण्डौन-महावीरजी-जयपुर

1	2		3
193.	आर.एन.बी.	1952	हिण्डौन-महावीरजी-जयपुर
194.	आर.एस.बी.	1464	महावीरजी-पदमपुर
195.	आर.जे.यू.	2919	,,
196.	आर.एस.डी.	5315	,,
197.	आर.जे.यू.	3026	जयपुर-केलादेवी
198.	आर.एन.बी.	5781	,,
199.	आर.एस.डी.	4418	जयपुर-महावीरजी
200.	आर.एस.बी.	2793	सिरोही-जयपुर
201.	आर.आर.एन.	4148	सिरोही-जोधपुर
202.	आर.जे.टी.	8733	,,
203.	आर.एन.बी.	7111	सिरोही-जयपुर
204.	आर.एन.बी.	7059	जयपुर-बीकानेर वाया-सालासर
205.	आर.एस.बी.	7927	जयपुर-शाहपुरा-नारायणपुर
206.	आर.एस.डी.	3105	सीकर-चुरू-जयपुर
207.	आर एन.बी.	8229	खेतड़ी-जयपुर वाया-रींगस
208.	,,	224	जयपुर-बीकानेर-वायासर
209.	आर.आर.एन.	5925	जोधपुर-अजमेर-ब्यावर
210.	आर.आर.जैड.	85	अजमेर-किशनगढ़
211.	आर.आर.जैड.	867	टौंक-अजमेर
212.	आर.आर.क्यू.	9327	जोधपुर-ब्यावर
213.	आर.आर.एन.	6195	जोधपुर-कोटा

परिशिष्ट 'स'

राष्ट्रीयकरण हेतु प्रस्तावित मार्गों की सूची

क्र. सं.	मार्ग का नाम	विवरण
1.	अलवर श्री महावीर जी हिण्डौन-महावीरजी हिण्डौन-गंगापुर गंगापुर-कैलादेवी टोडाभीम-बयाना हिण्डौन-सिकन्दरा हिण्डौन-कोटरी गंगापुर-सिकन्दरा	मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 68 घ (3) के अन्तर्गत राज पत्र प्रकाशन हेतु राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन।
2.	दौसा-सवाईमाधोपुर दौसा-गंगापुर	
3.	डिगाल-मण्डावा मुकन्दगढ़-मण्डावा	
4.	भरतपुर-हिण्डौन भरतपुर-बयाना	
5.	अजमेर-रामसर अजमेर-मेडतासिटी	
6.	उदयपुर-बडीसादड़ी चित्तौड़-बडीसादड़ी चित्तौड़-छोटीसादड़ी उदयपुर-फतेहनगर	

1	2	3
7.	आमेट-कांकरोली	
	आमेट-चारभुजा	
8.	अजमेर-सीकर	
	अजमेर-डबरेला	
	अजमेर-पीसांगन वाया मांगलियावास	
	अजमेर-पीसांगन वाया पुष्कर	
	अजमेर-पुष्कर	
9.	डूंगरपुर-पीठ	

परिशिष्ट द

राष्ट्रीयकरण हेतु प्रस्तावित मार्गों की सूची

क्र. सं.	मार्ग का नाम	विवरण
1.	ब्यावर-भीलवाड़ा	मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68-ग के अन्तर्गत सुनवाई हेतु राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन।
	भीलवाड़ा-देवली	
2.	ब्यावर-विजयनगर	
	ब्यावर-वाराखान	
	आसिंद-विजयनगर	
	आसिंद-बालापुर	
3.	चौमू-रेनवाल, चौमू-कालाडेरा	
4.	उदयपुर-केलवाड़ा	
	उदयपुर-नाथद्वारा	
5.	देवगढ़-भीलवाड़ा	
	देवगढ़-गंगापुर	
	गंगापुर-रायपुर	
6.	भीम-देवगढ़	

1	2	3
	देवगढ़-भीम	
	भीम-टाटगढ	
	भीम-बदनोर	
7.	डूंगरपुर-मेवाड	
	पीठ-गलिया-कोट	
	सीमलवाड़ा-मांडली	
8.	जयपुर-दांतारामगढ़	
	जयपुर-हिंगोनिया	
	हिंगोनिया-जोबनेर	
9.	दूदू-मालपुरा	
10.	विजयनगर-शाहपुरा वाया-देवलीया	
	विजयनगर-शाहपुरा वाया-गुलाबपुरा	
11.	प्रतापगढ़-जालन्धर खेड़ा (राज. बोर्डर)	
	प्रतापगढ़-अरनोद	
	प्रतापगढ़-राजपुरिया (राज. बोर्डर)	
12.	बांसवाड़ा-दानपुर (राज. बोर्डर)	
13.	मोवली-भटेवर	
	मगंलवाड़-निम्बेहड़ा	
14.	घरियवाद-सलूम्बर	
	बांसवाड़ा-घरियावाद	
	बांसवाड़ा-प्रतापगढ़	
	प्रतापगढ़-घरियावाद	
	बांसवाड़ा-बांसी	
	घरियावाद-बांसी	
16.	कोटा-सांगोद वाया-देवली	
	कोटा-सींगोद वाया-घनवार	
17.	चितौड़-प्रतापगढ़	
	प्रतापगढ़-बांसवाड़	

(431)

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 979 की सूची

अनुसूचित जाति के उचित मूल्य की दुकानों का विवरण :—

क्र.सं.	नाम उचित मूल्य दुकानदार	जाति
1.	श्रवण कुमार मांगीलाल भवानी मण्डी नगर पालिका क्षेत्र— भवानी मण्डी।	चमार
2.	मै. दौलतराम फूलचन्द भवानीमण्डी (नगरपालिका क्षेत्र— भवानीमण्डी) (पं. स. डग)	मोची
3.	श्री राजेन्द्र कुमार कालूराम, खानपुर (ग्रा. पं. भगवानपुरा)	जाटव

———